अंक 21

बुधवार, 25 मार्च
5 चैत्र, 1914

20 K

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

63
7/4/93

(खंड 10 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सं
हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण
कुवार, 25 मार्च, 1992/5 चैत्र, 1914 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
10	नीचे से 7	"अध्यक्ष महोदया" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िए।
51	नीचे से 2	"श्री नीतीश कुमार" के स्थान पर "श्री नीतीश कुमार" पढ़िए।
75	13	"श्री भाग्ये गोबधन" के स्थान पर "श्री भाग्ये गोबर्धन पढ़िए।
90	नीचे से 14	"प्रो॰ राम कापते" के स्थान पर "प्रो॰ राम कापसे" पढ़िए।
110	नीचे से 4	"श्री गिरधारी भार्गव" के स्थान पर "श्री गिरधारी लाल भार्गव" पढ़िए।
115	नीचे से 8	"श्री एम॰ वा॰ वी॰ एस॰ मूर्ति" के स्थान पर "श्रीएम॰ वी॰ जो॰ एस॰ मूर्ति" पढ़िए।
176	14	"43 0" के स्थान पर 4320 पढ़िये।
177	12	"श्री गुरुदात्त कामता" के स्थान पर "श्री गुरुदास कामत" पढ़िए।
194	नीचे से 8	"श्री बाज दयाल जोशी" के स्थान पर "श्री बाज दयाल जोशी" पढ़िए।
204	नीचे से 11	"श्री गंगाधर सानोपल्ली" के स्थान पर "श्री गंगाधर सानोपल्ली" पढ़िए।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
217	पंक्ति 5 के	"क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह रूप में निम्न- बतायेंगे कृपा करेंगे कि:" लिखित जोड़िये
248	नीचे से 5	"4308" के स्थान पर "4389" पढ़िए ।
252	नीचे से 4	"श्री कार्वेत राए पटिल" के स्थान पर "श्री राव पाटिल" पढ़िए ।
260	6	"4420" के स्थान पर "4400" पढ़िए ।
269	13	"श्री विश्नाव शास्त्री" के स्थान पर "श्री विश्वनाथ शास्त्री" पढ़िए ।
278	19	"श्रीभियान" के स्थान पर "अभियान" पढ़िए ।
281	नीचे से 4	"श्री गोपी नाथ गजपित" के स्थान पर "श्री गोपीनाथ गजपति" पढ़िए ।
287	नीचे से 2	"श्री भानवेन्द्र शाह" के स्थान पर "श्री भानवेन्द्र शाह" पढ़िए ।
293	15	"श्री उद्धत बर्मन" के स्थान पर "श्री उद्धव बर्मन" पढ़िए ।
310	नीचे से 9	"डा॰ श्रशोम बाला" के स्थान पर "डा॰ अशोम बाला" पढ़िए ।
358	6	"श्री अवतार सिंह मडाना" के स्थान पर "श्री अवतार सिंह भडाना" पढ़िए ।
398	4	"श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वलू" के स्थान पर "श्री॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वलु" पढ़िए ।
413	19	"श्री राजनाथ जोकर शास्त्री" के स्थान पर "श्री राजनाथ जोकर शास्त्री" पढ़िए ।

पृष्ठ	पंक्ति	पढ़ें
434	10	"[illegible]क्ति" के स्थान पर "अशक्ति" पढ़िए ।
436	7	"श्री वाधिल अंजलोज" के स्थान पर "श्री टी॰जे॰ अंजलोज" पढ़िए ।
499	17	"श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद)" के स्थान पर "श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद)" पढ़िए ।
509	13	"डा॰ कार्तिश्वर दासा" के स्थान पर "डा॰ कार्तिश्वर पात्र" पढ़िए ।
548	नीचे से ।	"श्री सोमनाथ भजटर्जी" के स्थान पर "श्री सोमनाथ चटर्जी" पढ़िए ।
578	13	"श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी" के स्थान पर "श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी" पढ़िए ।
579	16	"श्री एस॰बी॰ [illegible]राय" के स्थान पर "श्री एस॰बी॰ [illegible]राय" पढ़िए ।
587 592	5 और 6 6	"श्री योगेन्द्र [illegible]" के स्थान पर "श्री योगेन्द्र [illegible]" पढ़िए ।
613	नीचे से ।	"श्री [illegible]नाथ [illegible]र्मा के स्थान पर "श्री उपेन्द्रनाथ [illegible]र्मा" पढ़िए ।
615	17	"श्री मुदलीयार [illegible]या" के स्थान पर "श्री [illegible]पसेकिया" पढ़िए ।
653	नीचे से ।	"श्री प्रफुल पटेल" के स्थान पर "श्री प्रफुल पटेल" पढ़िए ।

विषय सूची

दशम माला, खंड 10, तीसरा सत्र 1992/1914 (शक)

अंक 21, बुधवार, 25 मार्च, 1992/5 चैत्र, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
अफगानिस्तान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर ।	
* तारांकित प्रश्न संख्या : 389,390,392,394 396 और 398	6-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	24-483
*तारांकित प्रश्न संख्या । 368 से 388 और 285 (24.3.1992)	24-51
391,393,395,397 और 399 से 408 (25.3.1992)	51-72
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4182 से 4193,4195 से 4208 और 4210 से 4416 (24.3.1992)	73-269
4417,4418,4420 से 4426,4458 से 4558, 4560 से 4585,4587 से 4594,4596 से 4641,4643 से 4645 और 4647 से 4651 (25.3.1992)	269-483
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में	483-511
सभा पटल पर रखे गये पत्र	511-516
राज्य सभा से संदेश	516-517

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत 517

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत 517

नियम 377 के अधीन मामले 517-521

(एक) कोचीन विमानपत्तन का शीघ्र विस्तार करने के उपाय करने की मांग

श्री. सावित्री लक्ष्मणन 517-518

(दो) महेन्द्रगिरि, उड़ीसा में जैविक विविधताओं का परिरक्षण और संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग

श्री गोपीनाथ गजपति 518-519

(तीन) प्रतापनगर रेलवे स्टेशन, बड़ौदा, गुजरात के समीप रेलवे फाटक को पुनः खोलने की मांग

श्रीमती दीपिका ऐच. टोपीवाला 519

(चार) जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज और मीरगंज में चीनी मिलों की स्थापना की मांग

श्री संतोष कुमार गंगवार 519

(पांच) भुवनेश्वर उड़ीसा में दूरदर्शन के दूसरे चैनल की स्थापना की मांग

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी 520

(छः) तमिलनाडु में कुड्डालोर पत्तन का एक बड़े पत्तन के रूप में विकास करने की मांग

श्री पी. पी. कालियापेरुमल 520

(सात) छोटे व्यापारियों की रक्षा के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को संशोधित करने की मांग

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 520-521

बजट, सामान्य 1992-93—सामान्य चर्चा

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92 521-559

श्री ए. चार्ल्स 522-529

श्री कालिका दास 529-532

श्री जार्ज फर्नान्डीज 532-559

श्री चन्द्रशेखर 560-570

श्री भोगेन्द्र झा 583-593

श्री के. पी. सिंह देव 593-600

श्री सिमंत काम्ति चटर्जी 600-609

श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर 609-613

डा. परशुराम गंगवाद 616-619

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा 619-622

श्री विजय कृष्ण हान्डिक 622-625

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे 625-629

प्रो. के. वेंकटगिरि गौड 630-634

श्री याइमा सिंह युमनाम 634-637

डा. राव मल्लू 638-641

श्री चित्त बसु 641-644

श्री के. मुरलीधरन 644-649

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव 649-651

श्री सनत कुमार मंडल 650

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ 651-656

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा 559

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद

श्री एस. बी. चव्हाण 570-573

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत 609

लोक सभा

बुधवार 25 मार्च, 1992/5 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हमने नियम, 388 के तहत स्वरुचन आवर को सस्पेंड करके अयोध्या में विवाद के सम्बन्ध में नोटिस दिया है कि जिस तरीके से मंदिर तोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से नेशनल इन्टोग्रेशन कौंसिल का वायलेशन किया जा रहा है और आज होम मिनिस्टर दूसरे सदन में स्टेटमेंट देने वाले हैं । प्रधानमन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं । अयोध्या का मामला एक राष्ट्र-व्यापी मामला बन गया है और देश के जो सैक्युलर माईन्डेड लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके मन में भय का वातावरण व्याप्त है । नेशनल इन्टीग्रेशन कौंसिल में जो आश्वासन दिया गया है, यह उसका खुला उल्लंघन है ।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रधानमन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री राष्ट्र को आश्वस्त करें कि किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी । उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझकर उसमें लगी हुई है और केन्द्र सरकार चुपचाप, मौन होकर देख रही है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी) : स्थिति बहुत अधिक गम्भीर और चिन्ताजनक होती जा रही है । प्रधान मन्त्री जी यहां बैठे हैं । यह राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : होम मिनिस्टर ने यू. पी. सरकार को डिसमिस करने की बात कही है । हम यह कहना चाहते हैं कि अगर होम मिनिस्टर की हिम्मत है तो यू. पी. सरकार को डिसमिस करके दिखाएं ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रधानमन्त्री जी यहां उपस्थित हैं । वह प्रश्न घण्टे से पहले सभा को आश्वासन दे सकते हैं । प्रधानमन्त्री जी सभा को आश्वासन दे सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उत्तर प्रदेश की सरकार ने विश्व हिंदू परिषद के हाथ में सौंपा है। आज विश्व हिन्दू परिषद जो कह रहा है, उसको मान रही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार मौन बनकर क्यों बैठी हुई है ?

श्री मदन लाल खुराना : यू. पी. की सरकार ठीक से चल रही है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : यह बहुत ही नाजुक मामला है। प्रधान मन्त्री जी को खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्हें सभा को आश्वासन देना चाहिए। उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए।

(व्यवधान)

11.03 म. पू.

अफगानिस्तान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से महामहिम डा. खलील अहमद अबावी, अफगानिस्तान की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष तथा अफगानिस्तान संसदीय शिष्टमण्डल के माननीय सदस्यों का, जो हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत यात्रा पर आये हुए हैं, का स्वागत करता हूँ।

शिष्ट मंडल के अन्य माननीय सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. प्रो. शाह अली अकबर शेहरास्तनी
2. डा. मेहराबुद्दीन पाक्तीयावाल
3. श्री खिजहर कल तुगरा
4. श्री हबीब-उर-रहमान मोमंद
5. श्री बिस्मिल्लाह

यह शिष्ट मंडल 23 मार्च, 1992 को दोपहर को दिल्ली पहुँचा था। इस समय वे विशेष बाक्स में बैठे हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद और सार्थक प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम अफगान गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद, सरकार तथा हितैषी लोगों को बधाई तथा शुभकामनाएं सम्प्रेषित करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा) : मैंने इस मामले को उठाया है, यह राष्ट्र की एकता से संबंधित है। आज राष्ट्र की एकता खतरे में पड़ गई है।···(व्यवधान)···

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : ये लोग ऐसे मुद्दे उठाकर सारे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : ये लोग उत्तर प्रदेश में तो हंगामा कर ही रहे हैं, यहां भी हंगामा कर रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : ये लोग यू. पी. अन्दर सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं।...(व्यवधान)...ये यू. पी. के साथ साजिश की जा रही है। हम इसका विरोध करना चाहते हैं। ये लोग यू. पी. के अंदर सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हैं।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह बहुत ही नाजुक मामला है। हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री महोदय इस सभा में आश्वासन दें। इस मामले पर सम्पूर्ण देश आकाश में है। प्रधान मंत्री महोदय सभा में उपस्थित होकर भी चुप क्यों हैं? (व्यवधान) जब प्रधान मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं, तो उन्हें वक्तव्य देना चाहिए। वह चुप क्या हैं? यह बहुत ही नाजुक मामला है। उनके प्रस्ताव पर आपका क्या निर्णय है?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने स्थान पर बैठें और मुझे कुछ बोलने की अनुमति दें, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : जब प्रधानमंत्री जी सभा में उपस्थित हैं, तो उन्हें इस मामले पर वक्तव्य देना चाहिए।

श्री ओकांत जेना (कटक) : हम प्रश्न काल को समाप्त करें और इस मामले पर चर्चा करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इस मामले पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यह अत्यन्त नाजुक मामला है। इमारतों को नष्ट किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप केवल कुछ बोलकर ही संतुष्ट हैं अथवा कुछ सुनना भी चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : हम सुनना भी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं कहता हूं कि कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें। यदि आप दूसरों को वह सब बोलने का अवसर नहीं देते जो वह बोलना चाहते हैं, तो आप जो चाहते हैं वह नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न काल आपके द्वारा प्रश्न उठाने के लिए ही होता है। वह गैर सरकारी सदस्यों का समय होता है। हम प्रश्न काल की तैयारी करते हैं। हमें प्रश्न प्राप्त होते हैं। हम उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं और फिर हमें जानकारी प्राप्त होती है और आपको प्रश्न करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : आज मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें। प्रश्न काल के बाद आपको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि आप प्रश्न काल के बाद अपने विचार व्यक्तकरें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरी प्रशंसा करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह आपका समय है। यदि आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। परन्तु यह नियम के विरुद्ध है। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रश्न काल के तुरन्त बाद आपको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यह पूर्णतया नियमानुसार है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैंने नियम 384 के अन्तर्गत सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री राम विलास पासवान : मैंने सूचना दी है। क्या आपको प्राप्त नहीं हुई ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपकी सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री राम विलास पासवान : मैंने प्रश्न काल के स्थगन संबंधी प्रस्ताव रखने के लिए इसे 10 बजे से पहले दे दिया था। मैंने नियम 388 के अधीन प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए सूचना दी थी।

[हिन्दी]

मैंने नियम 388 के अधीन नोटिस दिया है। आप मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मदसौर) : अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार चर्चा उठाने के लिए बहुत बार नियम बन हुए है, क्वेश्चन आवर में ऐसा नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इम्मीडियटली आफ्टर क्वेश्चन आवर आपको एलाव करूँगी।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप यह समझ लीजिए कि इस समय प्राईम मिनिस्टर साहब सदन में मौजूद है। जीरो-आवर के दौरान नहीं रहेंगे प्राईम मिनिस्टर साहब को देश को एश्योर करना चाहिए। देश की बुनियाद को खतरा पैदा हो गया है। आज देश में सेक्यूलरिज्म खतरे में है। मैंने नियम 388 के अधीन नोटिस दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बी. जे. पी. की सरकार ने, विश्व हिन्दू परिषद के हाथों में सब कुछ सौंप दिया है। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे लोग वहां बाबरी मस्जिद को तोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार सदन को आश्वस्त करे। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बातें करके, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को डिसमिस कराना चाहते है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल भ्रम है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सरकार दोहरी नीति चलाना चाहती है, उनकी दोहरी नीति अब चलने वाली नहीं है। एक तरफ यह कम्यूनल ताकतों से हाथ मिलाना चाहती है दूसरी तरफ सेक्यूलर फोर्सेस से बात करती है। कांग्रेस की दोहरी नीति को चलने नहीं दिया जायेगा। कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण आज देश के सेक्यूलर स्वरूप को खतरा पैदा हो गया है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : यह यू. पी. सरकार को बदनाम और डिसमिस कराने की एक चाल है। (व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय··· (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। यह जो कुछ भी कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैं समझ सकता हूं कि सदस्य इस मामले में कितनी रुचि दिखा रहे हैं। किसी भी मामले पर चर्चा को रोकने की हमारी नीति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सरकार की नीति अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। प्रधानमन्त्री जी को कुछ कहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री आकांत जेना : प्रधान मन्त्री महोदय को कुछ कहने में क्या बाधा आ रही है ?

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : प्रश्नकाल के दौरान, प्रधान मन्त्री महोदय इस मामले पर वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य मुझे सदन में आपके इस व्यवहार पर गंभीर आपत्ति है। मैंने देखा है कि आप बराबर सभा की कार्यवाही में बाधा डालते रहते हैं। कृपया बैठ जाएं। मैं कुछ कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी आदत हो गई है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप प्रश्न काल स्थगित करें तथा प्रधान मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वक्तव्य देने में उन्हें क्या अड़चन है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति यह सोच रहा है कि आप अपने विचार बहुत प्रचंड होकर रखते हैं। वे अपना प्रचण्डता थोड़ा कम कर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया वहां बैठकर आप मुझसे तर्क न करें। मैं यह नहीं कह रहा कि इस मामले को बन्द कर दिया जायेगा। मैं यह कह रहा हू कि इस मामले पर चर्चा करने का आपको आज भी मौका है। मैं यह नहा कह रहा हूँ कि सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाएगी। यदि इस सभा के बाहर या दूसरे सदन मे प्रतिक्रिया जाहिर का जा सकती है, तो यहां भी जाहिर का जा सकती है। किसे प्रतिक्रिया जाहिर करना है। विभाग के मन्त्री प्रातक्रिया व्यक्त कर सकते है। यह सरकार की प्रतिक्रिया है। यह उतना ही प्रधान मन्त्री की भी प्रातक्रिया है। अत: यह आवश्यक नही कि प्रधान मंत्री पूरे समय यहां उपस्थित हो रहे। यदि समय होगा तो वे यहां आएंगे। यदि समय नहीं हा, तो निश्चत तौर पर हम चाहेंगे कि वे इस सभा के बाहर भी सरकार का अन्य कार्य करे। हमें यह बात समझना चाहिए। आप अपना समय बर्बाद कर रहे है। आप कृपया अपना प्रश्न रखें। इसके बाद यदि वास्तव में आपका रुचि है तो प्रत्येक पक्ष से एक या दो सदस्य इस विषय पर बोल सकते हैं और इस विषय पर प्रतिक्रिया आने दें। याद आप नहीं चाहते हैं तो आप इसी तरह करते रहें, मुझे कोई आपत्ति नही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 389 श्री सनत कुमार मंडल।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नगर पालिका निकायों का गैर-सरकारीकरण

*389. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री गुरुदास कामत :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नगर पालिका निकायों के गैर-सरकारीकरण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इसमें वित्तीय और संवैधानिक दृष्टि से क्या-क्या कठिनाइयां हैं;

(घ) क्या इस मामले पर राज्य सरकारों अथवा किसी निगम के साथ उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए विचार विमर्श किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सनत कुमार मंडल : यह काफी अजीब स्थिति है कि सरकार नगर पालिका निकायों के गैर-सरकारी करण के प्रोक्ष पूर्णतया इनकार कर रही है। परन्तु दिनांक 19.2.1991 के फाइनान्शियल एक्सप्रेस नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार से पता चला कि शहरी विकास मंत्रालय इस प्रस्ताव को ठोस रूप देने के लिए इसे मुम्बई स्थित एक परामर्शदात्री फर्म इन्फास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनांसिंग कारपोरेशन को सौंपने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। सिर्फ यही नहीं फर्म को इस आशय के प्रस्तावों का अध्ययन करने तथा 11 फरवरी को शहरी विकास सचिव के साथ चर्चा करने के लिए कहा गया है। क्या कोई चर्चा हुई थी यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ? क्या मैं जान सकता हूं कि यह क्या अनापशनाप हो रहा है ? क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : फिलहाल भारत सरकार नगर पालिका निकायों के गैर-सरकारीकरण के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है परन्तु वास्तव में हम निकायों की सेवाओं का गैर-सरकारीकरण करना चाहते हैं। हमने अनेक राज्यों को सूचना भेजने के लिए कहा है। हमें विभिन्न राज्यों से सूचना भी मिली है। ये राज्य हैं असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र।

जैसाकि वे अभी उल्लेख कर रहे थे, महाराष्ट्र में गैर-सरकारी क्षेत्रों को नगरपालिका निकाय की कोई भी सेवा नहीं सौंपी गई है। परन्तु मुम्बई नगर निगम के क्षेत्र में सड़कों के बीच के भू-भागों के सौंदर्यीकरण शौचालयों के निर्माण शहरी सेवाओं वालिकी जैसी कुछ सेवाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों को शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है।

गुजरात सरकार ने कूड़ा हटाने सड़कों की मरम्मत तथा स्ट्रीट लाइट जैसी प्रमुख सेवाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का मामला उठाया है मैं समझती हूं कि सदस्य इन्हीं बातों के बारे में जानना चाहते।

श्री सनत कुमार मंडल : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है तो प्रेस को ऐसा समाचार कैसे भेजा गया, खासकर जबकि इसमें मुम्बई स्थित निगम को इस प्रस्ताव को ठोस रूप देने के लिए नियुक्त किए जाने का उल्लेख किया गया है।

श्रीमती शीला कौल : समाचार पत्रों में अनेक समाचार छपते हैं। हो सकता है कि जानकारी के लिए हमने इन समाचार पत्रों की प्रतियां मांगी हैं। इसी कारण से ये बातें हुई।

श्री ई. अहमद : मंत्री महोदया ने उत्तर दिया है कि सरकार का नगरपालिकाओं के गैर-सरकारीकरण का कोई इरादा नहीं है, परन्तु इसके साथ ही मंत्री महोदया ने स्पष्ट किया है कि नगरपालिकाओं की कुछ सेवाओं का गैर-सरकारीकरण हुआ है। जैसाकि सर्वविदित है, नगर-

पालिका राज्य सरकारों के अधीन है। क्या सरकार ने क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावितनीति के बारे में राज्य सरकार से परामर्श किया है तथा क्या आज तक भारत सरकार को सेवाओं के गैर-सरकारीकरण के अपने इस विचार के बारे में किसी सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है।

श्रीमती शीला कौल : जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है हमें आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, मेघालय, अरुणाचलम, मिजोरम तथा लक्षद्वीप की सरकारों से उत्तर प्राप्त हुए हैं, जैसाकि मैं पहले बता चुकी हूँ गुजरात सरकार ने कूड़ा हटाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का प्रश्न मुद्दा उठाया है। उन्होंने उत्तर दिया है कि वे इस क्षेत्र को उन सड़कों के रखरखाए और स्ट्रीट लाइट के कार्य मे गैर-सरकारी क्षेत्र से करवाना चाहते हैं। यह गुजरात की स्थिति है, परन्तु मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य इस पक्ष में नहीं हैं। वे काफी छोटे राज्य हैं और इस कार्य को वे स्वयं कर सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन

*390. श्री वसुदेव आचार्य :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्गठित कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऋणों को माफ करने, ऋण पर ब्याज ब्याज माफ करने तथा संचयी घाटा समाप्त करने का विचार है ताकि ये उपक्रम बिना किसी प्रतिबन्ध के कार्य कर सकें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकें;

(घ) उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ङ) इन उपक्रमों की कार्य पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन)। (क) से (ङ) विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) जैसा कि 25 जुलाई, 1991 को संसद में औद्योगिक नीति संबंधी दिए गए वक्तव्य में पहले ही घोषित किया जा चुका है, सरकार अपनी नीति के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का अनुसरण करती रहेगी। सरकारी उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए भविष्य में सरकारी पूंजीनिवेश के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कमी लाकर; पुनर्संरचीकरण/पुनर्स्थापित संबंधी योजनाओं के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल (बी. आई. एफ. आर.) को सौंप कर; सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों में सरकार को शेयरधारिता के एक भाग को सांझा कोषों (म्यूचुअल फण्डों) वित्तीय संस्थाओं, आम जनता तथा कामगारों को सौंप कर; सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को शामिल करने के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली के क्षेत्र को व्यापक बनाकर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्संरचन

किया जा रहा है। सरकार ने पुनर्नबीकरण/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाओं से संभाव्यत प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष के माध्यम से एक सुरक्षा तंत्र का भी गठन किया है। क्षेत्र एवं एक क स्तरों पर पुनर्स्थापन संबंधी उपायों की रूपात्मकता को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य मंत्री (श्रम) की अधीनता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन भी किया गया है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के एककों की शेयर पूंजी में जनता की व्यापक सहभागिता को सुनिश्चित करने तथा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर नियंत्रण में कोई कमी किए बिना उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिए सरकार ने सरकारी उपक्रमों के शेयरों से धन निकालने का भी कार्य किया है।

सरकारी क्षेत्र के जिन रुग्ण उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंप दिया गया है तथा जिनके बारे में बी. आई. एफ. आर. के आदेश सरकार के पास उपलब्ध हैं, उनमें से किसी उद्यम-विशेष के ऋण, ऋणों पर ब्याज तथा संचयी घाटे आदि में छूट देने संबंधी किसी प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है। बी. आई. एफ. आर. अपनी जांच के दौरान आर्थिक संकट की समस्या से जूझ रहे सरकारी उद्यमों के मामलों पर भी विचार कर सकता है तथा कार्यचालन पूंजी संबंधी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपायों की अनुशंसा कर सकता है। सरकारी क्षेत्र के अन्य गैर-औद्योगिक रुग्ण उद्यमों की कार्यचालन पूंजी अथवा आर्थिक संकट से संबंधित मामला सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन का आंतरिक मामला है और उन्हें ही इससे निपटना है तथा सरकार ने इन मामलों पर गुणावगुण के आधार पर और समय-समय पर सरकार के समक्ष उत्पन्न संसाधन सम्बन्धी बाधाओं के आधार पर विचार किया है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय मैंने मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया। वक्तव्य पढ़ा है। उन्होंने इस वक्तव्य में मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं स्पष्ट रूप से पुनर्गठन प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता था। न कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने के बारे में परन्तु उन्होंने बताया कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) के पास भेजा जा रहा है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजने का मतलब है कि इन उपक्रमों को बन्द करना। बी. आई. एफ. आर. कुछ नहीं है बल्कि औद्योगिक अन्तिम संस्कार ब्यूरो है क्योंकि बी. आई. एफ. आर. के पास भेजे गए उद्योगों में 90 प्रतिशत उद्योगों को बन्द करने अथवा परिसमापन या समाप्त करने का सुझाव दिया गया था।

अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या श्री पूर्ण संगमा जो यहां पर भी उपस्थित हैं के सभापतित्व में किसी त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था और क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल से संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी? क्या मैं यह जान सकता हूं कि उस बैठक में यह निर्णय लिया गया गया था कि पश्चिम बंगाल को रुग्ण इकाईयों के बारे में एकक वार विचार विमर्श किया जाएगा। और क्या उसके बाद उनको बी. आई. एफ आर. के पास भेजने का निर्णय लिया जाएगा? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सही है कि कुछ उपक्रमों को पहले ही बी. आई. एफ. आर. के पास भेजा जा चुका है जब कि प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में ऐसा न करने का निर्णय लिया जा चुका था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य मैंने आपसे पूरक प्रश्न पूछने को नहीं कहा था। क्योंकि मैं चाहता था कि इस बात पर सारी सभा सहमत हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : सरकारी क्षेत्र के ऐसे कौन से उपक्रम हैं जिन्हें जांच के लिए बी. आई. एफ. आर. को सौंपा जा चुका है,

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं परन्तु उस सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इतना निराशावादी नहीं हूं जितने वे हैं क्योंकि यदि किसी मरीज को अस्पताल ले जायें तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि वह मर जायेगा। (व्यवधान) मामलों को बी. आई. आफ. आर. को सौंपने का भी यही मामला है (व्यवधान) महोदय यह बात कि मैंने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, मैं समझता हूं कि मैंने विस्तृत उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को छोड़ दीजिए।

श्री पी. के. थुंगन : महोदय मैंने सोचा था कि वे संतुष्ट हो गए होंगे। (व्यवधान) जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है कि अब तक कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बी. आई. एफ. आर. को सौंपा गया है, मैं यह कहूंगा कि अब तक सरकारी क्षेत्र के 10 उपक्रमों को बी.आई. एफ. आर. को सौंपा गया है।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि पश्चिम बंगाल को संसद सदस्यों के साथ हुई बैठक में क्या निर्णय लिया गया था। क्या यह निर्णय लिया गया था कि एककवार जांच और विचार विमर्श किया जायेगा।

श्री पी. के. थुंगन : महोदय यह सही है कि बैठक हुई थी। अम मंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित त्रिपक्षीय समिति सभी संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रही है और विशेष प्रकार की रूग्ण इकाईयों की समस्याओं का गहराई से पता लगाने की भी कोशिश कर रही है। अतः विशेष प्रकार की रूग्ण इकाईयों की समिति द्वारा गहराई से जांच की जायेगी। उनकी सिफारिशों अथवा सुझावों को निश्चित रूप से बी. आई. एफ. आर. या संबंधित अधिकारी को भेजा जायेगा। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य। इन्हें बी. आई. एफ. आर. को क्यों भेजा गया है ?

अध्यक्ष महोदया : आपने दूसरा पूरक प्रश्न पूछा था। यह तीसरा पूरक प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो, नहीं, श्री आचार्य आपके दो पूरक प्रश्न चार पूरक प्रश्नों के बराबर होते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : अनेकों बार यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करेगी। परन्तु कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया है। केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द किया गया है। (व्यवधान) क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में श्वेत पत्र जारी करेगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमें तीन बार अनुमति नहीं दी जाती है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, मैं कार्य शील पूंजी के बारे में जानना चाहता हूं। सरकारी क्षेत्र के कुछ ऐसे उपक्रम मौजूद हैं। यदि कार्य शील पूंजी उपलब्ध करा दी जाये तो वे उपक्रम सक्षम बनाये जा सकते हैं। क्या सरकार उन उपक्रमों को सक्षम बनाने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर श्वेत पत्र भी जारी करेगी।

श्री पी. के. थुंगन : माननीय सभा को इस बात का पता है। कि हमने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की स्थिति के बारे में एक विस्तृत मोनाग्राफ स्टेटस पेपर तैयार किया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी तरफ मत देखिए कृपया अध्यक्षपीठ की ओर देखिए और उत्तर दीजिए वर्ना आपको लगातार व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा।

श्री पी. के. थुंगन : महोदय मैं आपकी ओर देखूंगा यह पत्र पहले ही माननीय सदस्यों को वितरित कर दिया गया है। हम उसके आधार पर माननीय सदस्यों से विस्तृत तथा उचित सुझाव मांगते हैं।

जहां तक दूसरी बात का सवाल है मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

डा. देवा प्रसाद पाल : महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन एक जटिल और एकीकृत प्रक्रिया है। इसमें श्रम एवं वित्तीय अन्य पहलुओं के उचित प्रबंध की जांच करने की आवश्यकता है।

अब जब रुग्ण इकाइयों को बी. आई. एफ. आर. को सौंपा गया है, बी. आई. एफ. आर. जैसाकि इसका गठन किया गया है, मुझे कम से कम विश्वास होता है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह पूछता हूं, कि वे यह बताएं कि क्या बी. आई. एफ. आर. का उस प्रकार पुर्नगठन किये जाने का प्रस्ताव है जिससे उसमें ऐसे व्यक्ति शामिल किये जायें जिन्हें उद्योग के वित्तीय क्षेत्रों में औद्योगिक और प्रबंध का अनुभव हो।

श्री पी. के थुंगन : महोदय, यह एक प्रकार से बहुत अच्छा सुझाव है। हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री आज फनाडोज : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के दरम्यान यह कहा कि मरीज को अस्पताल में पहुंचाने का मतलब वह मरीज जायेगा या उसको मर ही जाना चाहिये, ऐसी बात नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आज से दो महीने पहले 15 जनवरी, 1992 को आपके दफ्तर से जो आफिस मेमोरेंडम सभी पब्लिक अण्डरटेकिंग्स और सरकारी विभागों के लिए निकाला, उसमें आपने कहा कि :

[अनुवाद]

'उदार औद्योगिक नीति के नये माहौल में और सरकारी उपक्रमों द्वारा वाणिज्यिक सिद्धान्तों के आधार कार्य करने के लिए उनके कार्य निष्पादन में सुधार करने आदि पर जोर देते हुए मुल्य खरीद प्राथमिकता के संदर्भ में और संरक्षण देना नये प्रतियोगी माहौल में अधिक संगत नहीं है। सरकार ने मामले की पुनरीक्षा की है और निर्णय इस प्रकार लिया गया है

(क) सरकारी उपक्रमों को मूल्य प्राथमिकता देने के बजाय सरकार को उन्हें खरीद प्राथमिकता देनी चाहिए।

(ख) ऐसे सौदा मामलों में जहां सरकारी उपक्रम का निर्धारित मूल्य निर्धारित वस्तु मूल्य की सबसे कम बोली के 10% के अन्तर्गत न हो तो ऐसे मूल्य की बोली को बिना कोई और विचार किये रद्द कर देना चाहिये।"

जहां कीमतों को 10% के भीतर निर्धारित किया गया है...(व्यवधान).....मैं जानता हूं कि जो भी निजी उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते है वे यह विश्वास करेंगे कि यह बिल्कुल ही जायज है। परन्तु महोदय, सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने का लक्ष्य यह तो नहीं था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, सार्वजनिक उद्यमों का इस देश में निर्माण करते हुए उसके पीछे कुछ विचार थे, उन विचारों को आज क्या सरकार ने तिलांजलि दे दी है ? आपने चूंकि अस्पताल, मरीज और मौत की बात की तो आपके इस आफिस मेमोरेण्डम का जो पार्ट डी है, उसमें आपने बहुत स्पष्ट किया है कि तीन सालों के भीतर हिन्दुस्तान के तमाम पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स को यहां मार डालने का फैसला हो चुका है इसलिए आप क्यों यहां लोगों को धोखा देने का काम कर रहे है ?

[अनुवाद]

श्री पी. के. थुंगन : महोदय, महोदय इस माननीय सभा के सभी सदस्य माननीय सदस्य की भाषण-कला से पारिचत है और अपनी इस भाषण कला के माध्यम से उन्होने कुछ ऐसे प्रश्न उठाए है जो मेरे विचार म उचित नहीं है। महोदय, जहां तक सरकारी उद्यमो की भूमिका का सवाल है इस सबध मे इसके भावी स्वरूप के बारे में नई औद्योगिक नीति मे स्पष्ट घोषणा की गई है और हम उसी घोषणा के अनुसार कदम उठा रहे हैं। हम तो सिर्फ यह चाहते है कि हमारे सरकारी उद्यम दुध मुहे बच्चे ही न बन रहे। हम चाहते है कि वे आत्म निभर बने और प्रतियोगी बने। हम चाहते है कि वे अपने पैरों पर खड़े हों। इसीलिए हम उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते है। माननीय सदस्य ने हालात के सिर्फ एक पहलू को देखा है हमने उन्हे काफी प्रोत्साहन और कुछ अन्य क्षेत्रो म स्वायत्तता भी दी है। और उन्हे ज्यादा स्वायत्तता दी है अब उन्हे ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी अब हमने समझौता ज्ञापन मे मेमोरेण्डम् आंव अण्डरस्टैंडिंग की प्रथा शुरू की है जो एक अनुबध मात्र है और सरकार इस अनुबध मे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्हें उसी समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य करना होगा। अब मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा इस तरह की बात नहीं कही जानी चाहिए।

बाकी जो नीलाम की बात कर रहे हैं तो हम कोई नीलाम करने नहीं जा रहे हैं।

हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है और हम उसी नीति का पालन करना चाहते है जो हमने शुरू से ही अपनायी है। परिवर्तन के साथ निरंतरता ही हमारी नीति है। (व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नई पुनर्रचना कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कुल 2500 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए (डिस्इन्वस्टेड) है। यदि हम इन शेयरों के बाजार भाव को देखें तो हम पायेंगे कि पिछले तीन महीनों में यह बढ़ कर 11,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस तथ्य को देखते हुए अब चूंकि नई औद्योगिक नीति के बदौलत पूंजी बाजार में जबरदस्त उछाल आया है अत. क्या सरकार अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को म्युचुअल फंडों के द्वारा बेचने के बजाय जनता को सीधे बेचेगी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार जनता में इन शेयरों को सीधे बेचने पर विचार करेगी या नहीं।

श्री पी. के. थुंगन महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा कि हमने अभी तक 1038 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। सीधे जनता के बीच इसको नहीं बेचे जाने का जो मैं कारण बताऊंगा। सरकारी क्षेत्र के एककों के शेयरों को हम पहली बार बेच रहे हैं। यही कारण है कि इसमें थोड़ा खतरा है। यदि हम सावधान नहीं रहे तो इनकी कीमत बहुत

ज्यादा घट या बढ़ सकती है। यही कारण है कि हमने म्युचुअल फंडों और वित्तीय संस्थाओं का सहारा लिया है। जहां तक और शेयरों को बेचने का सवाल है तो माननीय सदस्य यह जानकर खुश होंगे कि हमने श्री वी. कृष्ण मूर्ति सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है जो इसका विस्तार से अध्ययन करेगी और भविष्य में शेयरों को बेचने के और तरीके सुझायेगी... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्या कर रहे हैं श्री आर्या ? यह तो कोई तरीका नहीं है।

श्री पी. के. थुंगन : इसका एक कारण यह है कि हमें सजग रहना चाहिए नहीं तो स्टॉक एक्सचेंजों में समस्यायें उठ खड़ी होंगी और पूंजी बाजार भी ध्वस्त हो सकता है। एक संकटापन्न स्थिति आ सकती है और पूरे पूंजी बाजार में असंतुलन फैल सकता है। यही कारण है कि सरकार की ओर से हमने इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी है ताकि पूंजी बाजार का भी साथ-साथ ख्याल रखे और साथ ही हमारा लक्ष्य भी पूरा हो सके। साथ ही हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं था अतः हमें म्युचुअल फंड और वित्तीय संस्थानों का सहारा लेना पड़ा है।

बैटरी चालित कारें

*392. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री ललित उरांव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के एड्डी करेन्ट कंट्रोल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा बैटरी चालित कारों के निर्माण हेतु स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत एवं क्षमता कितनी है; और

(घ) इन कारों का उत्पादन कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (घ) मेसर्स एड्डी करेन्ट कंट्रोल (इंडिया) लि. को चालाकुड़ी, मुकुंदपुरम (केरल) में प्रति वर्ष 6 हजार "बैटरी चालित इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण की स्वीकृति दी जा रही है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 6 करोड़ रु. होने की आशा है। कम्पनी द्वारा स्वीकृति मिलने के छः महीने के भीतर उत्पादन शुरू कर देने की आशा है।

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : हम जानते हैं कि हमारे देश में बैटरी-चालित कारों पर पर्याप्त अनुसंधान नहीं हो रहा है। क्या सरकार बैटरी-चालित कारों का निर्माण करने के लिए अनुसंधान करने की इच्छुक है यदि इसमें काफी ज्यादा खर्चे की जरूरत हो तो क्या सरकार इसे राज सहायता देने को तैयार है ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : गैर-परम्परागत ऊर्जा-चालित कारों पर विज्ञान और तकनीकी विभाग में पहले से ही अनुसंधान हो रहा है। यह एक ऐसा कार है जिसका प्रारूप एक भारतीय ने

बिल्कुल हमारी अपनी अनुसंधान और विकास प्रणाली के आधार पर देशी तकनीकों से बनाया है गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के ऊपर अनुसंधान और विकास के लिए बैटरी-चालित कारों और ऊर्जा के वैसे ही अन्य गैर परंपरागत स्रोतों द्वारा चालित कारों के लिए सरकार हर संभव सहायता दे रही है।

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : महोदय, मैंने एक विशेष प्रश्न पूछा था। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार एट्टडा करन्ट कंट्रोल्स को राज सहायता देने के लिए तैयार है। यह एक केरल स्थित कंपनी है और माननीय मंत्री महोदय भी केरल के ही हैं। मेरा विचार है कि उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। क्या वे इस कार के विकास में लगने वाले सारे खर्चे का वहन करने और राज सहायता देने के लिए तैयार हैं ?

प्रो. पी. जे. कुरीयन : इस कंपनी ने बिना हमारी राज सहायता के ही यह प्रौद्योगिकी विकसित की है और अब वे इसके निर्माण की तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि उन्हें इस प्रौद्योगिकी के लिए किसी राज सहायता की जरूरत है।

श्री राम नाईक : महोदय, इस नई कार की अनुमानित लागत क्या है, उत्पादन लागत क्या है ? तथा सरकार ने जो परियोजना प्रतिवेदन देखा है उसके अनुसार इसे किस दर पर बेचा जाएगा ?

प्रो. पी. जे. कुरीयन : परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार नई कार का कारखाना बाह्य मूल्य 1.75 लाख रुपए का होने अनुमान लगाया गया है और वे प्रतिवर्ष 0 हजार कारों का निर्माण करेंगे।

श्री राम नाईक : इसका विक्रय मूल्य क्या होगा ?

प्रो. पी. जे. कुरीयन : यही विक्रय मूल्य भी है जिसमें वर्तमान दर से उत्पादन शुल्क भी जुड़ा हुआ है।

श्री राम नाईक : इसका विक्रय मूल्य और लागत मूल्य क्या-क्या है ? ये दो भिन्न बात हैं।

प्रो. पी. जे. कुरीयन : मैंने बताया है कि विक्रय मूल्य 1.75 लाख रु. है इसकी उत्पादन लागत इसमें से उत्पाद शुल्क और इससे जुड़े अन्य खर्चों को घटाने से निकल आयेगी।

अध्यक्ष महोदय। इसकी उत्पादन लागत कंपनी को पता होगी। वह इसे उनसे पता कर लेंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या उन्हें विजयवाड़ा आटोनगर जो कि आटोमोबाईल क्षेत्र में अपनी से किसी प्रस्ताव के मिलने की जानकारी है—राघवय्या ने भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है—जो बैटरी से चलने वाली एक कार के विनिर्माण के बारे में है और जिसके मॉडल को पहले तत्कालीन प्रधान मंत्री ने चलाया था। ईंधन और पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार उस प्रस्ताव पर विचार करेगी और बैटरी चालित कार बनाने के लिए इजाजत देगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्री महोदय से सभा में ऐसे प्रश्नों के जवाब मांगना उचित नहीं होगा। यह उचित नहीं होगा अन्यथा लोग सभा में लाइसेंस और इजाजत के लिए बात करने लगेंगे। आप उनसे बाद में बात कर सकते हैं।

श्री के. वी. तंगकाबालू : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या तमिलनाडू से बैटरी चालित कार के विनिर्माण का कोई प्रस्ताव मिला है, यदि हां तो इस प्रस्ताव का दर्जा क्या है, क्या सरकार ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है या नहीं ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, तमिल नाडू से बैटरी चालित कार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, तमिलनाडू से डीजल चालित कार के लिए तो प्रस्ताव मिला है। प्रस्ताव के अनुसार वह एक लीटर में 45 कि. मी. चलती है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री पाला के. एम. मैथ्यू : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस कार के निर्यात की कोई संभावना है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इस्तेमाल की गई सारी तकनीक स्वदेशी है और यदि उपकरनों का आयात किया गया है तो उस पर व्यय की प्रतिशतता कितनी है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि संपूर्ण तकनीक स्वदेशी है जिसको हमारी अनुसंधान और विकास विंग ने तैयार किया है। कोई भी उपकरण आयात नहीं किया गया है। अतः विदेशी मुद्रा के निर्गम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्यात संभावना के संबंध में कंपनी ने हमें सूचित किया है कि इसके बारे में विदेशों द्वारा भी कुछ पूच्छायें (इन्क्वारीज) की गई हैं और कंपनी निर्यात की संभावनाओं का पता लगा रही है। मैं आशा करता हूं कि निर्यात भी संभव हो सकेगा।

[हिन्दी]

+

394. श्री यशवन्त राव पाटिल।

श्री गोविन्द राव निकाम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय को बंद किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय परिसर में संस्थान के लिए भूमि देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) सी. एस. आई.

आर. फील्ड/एक्सटेंशन/रीजनल केन्द्रों की कार्य निष्पादकता समीक्षा के अनुसरण में सीएसआईआर सोसाइटी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया कि नागपुर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) के केन्द्र को तभी जारी रखा जा सकता है जब राज्य सरकार निम्नांकित से सहमत हो :

i केन्द्र की पुनः स्थापना के लिए भूमि प्रदान करना, और

ii 50 प्रतिशत व्यय वहन करना ।

(ग) जी हां ।

(घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा व्यय 50 प्रतिशत वहन करने की स्वीकृति (सहमति) देने के बाद ही केन्द्र की पुनःस्थापना की जा सकती है ।

[हिन्दी]

श्री यशवंतराव पाटिल । अध्यक्ष जी, यह जो सी एफ टी आर आई है, इसका काम महाराष्ट्र में और नागपुर में बहुत अच्छा चल रहा है । महाराष्ट्र राज्य के किसानों को इसका बहुत फायदा हो रहा है, मगर केन्द्र सरकार इसको बन्द करना चाहती है या महाराष्ट्र से बाहर ले जाना चाहती है । इस इंस्टीट्यूट के बारे में महाराष्ट्र सरकार 3 साल से केन्द्र सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है केन्द्र सरकार ने बताया है कि जमीन नहीं है, इसलिए इस इंस्टीट्यूट को बन्द किया जा रहा है । महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 2 एकड़ जमीन दी है । मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार वास्तव में इस इंस्टीट्यूट को बन्द करना चाहती है या महाराष्ट्र से बाहर ले जाना चाहती है ?

[अनुवाद]

प्रो पी. जे. कुरियन : महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य की इस आशंका को कम करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इस यूनिट को महाराष्ट्र राज्य से बाहर जाने की कोशिश कर रही है । केन्द्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है ? तथापि, पहले एक निर्णय लिया गया था कि न केवल महाराष्ट्र के इस यूनिट का बल्कि इन सभी यूनिटों का निरीक्षण किया जाए । सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया गया था क्योंकि कुछ एकक ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे थे । इनमें से कुछ को अन्यत्र पुर्नस्थापना करने का भी निर्णय लिया था । समिति द्वारा लिए गए निर्णयों में से यह एक था । अतः महाराष्ट्र राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता गया है ।

महाराष्ट्र यूनिट के संबंध में राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया था कि एकक को बन्द नहीं किया जाएगा और इसे जारी रखा जाएगा । आज यह यूनिट एक बहुत ही जीर्ण-क्षीण भवन में स्थित है और उस जगह यह कार्य नहीं कर सकती । यह एक पुरानी इमारत है । यह किराए की इमारत में है । अतः हम इस सेंटर को वहां पर मजबूत बनाना चाहते हैं । इसीलिए हमने भूमि की मांग की है । एक समझौते के अनुसार उन्हें व्यय के 50 प्रतिशत की पूर्ति करनी होगी । इन दोनों बातों पर सहमति हो गई है और महाराष्ट्र सरकार ने भूमि आवंटित कर दी है । व्यय के सम्बन्ध में, मुझे आशा है, कि वे वादा निभाएंगे और केन्द्र हमेशा उनके साथ रहेगा ।

श्री यशवन्तराव पाटिल : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है। महोदय, आप हमेशा ...ते हैं। स्पष्ट प्रश्न पूछिए। अत: मैं बहुत ही सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं और मैं मन्त्री जी से ...ी स्पष्ट जवाब चाहता हूं।

यदि महाराष्ट्र सरकार व्यय के 50 प्रतिशत की पूर्ति के लिए सहमत हो गई है, तो क्या ...कार केवल नागपुर में ही इस संस्थान को चालू रखेगी ?

प्रो. पी. जे. कुरियल : हां, यही मैंने पहले कहा था। यह एक स्पष्ट उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न और उत्तर दोनों स्पष्ट हैं।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने प्रधान मन्त्री जी को इस बारे में चिट्ठी लिखी है कि इस इंस्टीट्यूशन के कार्य का उपयोग सारे देश में होने जा रहा है। तो फिर अकेले महाराष्ट्र पर इसके 50 परसेंट एक्सपेन्डीचर को देने के लिए सख्ती क्यों की जा रही है ? यह 50 परसेंट अमाउन्ट कितना होता है ?

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, राशि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि पुनरीक्षा करने का निर्णय सामान्य रूप से लिया गया है। सी. एस. आई. आर. ने इन सभी केन्द्रों की कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का फैसला किया है। अत: पहले सी. एस. आई. आर द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे सत्रह केन्द्रों को बंद कर दिया जाए और इसे बंद नहीं किया जाए।

श्री अन्ना जोशी : मैं आपसे यह पूछ रहा हूं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के पत्र और अनुरोध पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है। यह निर्णय देश की सभी सी. एस. आई आर. लेबोरेट्रियों पर लागू है।

श्री अन्ना जोशी : धनराशि कितनी है ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : यह मुख्य मंत्री के पत्र के संदर्भ में है इस पर विचार कर लिया गया और यह निर्णय ले लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अमाउंट क्या है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आप इन्हें बाद में धनराशि सूचित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, नागपुर के लिए सटर की बात थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जगह देने का प्रस्ताव दिया और पैसा देने का भी प्रस्ताव किया। इनके बाद भी अभी तक वह पूरा

नहीं किया। महाराष्ट्र स्टेट में आरेंज होता है तथा बहुत से फ्रूट लगाने का काम हुआ है। बड़े पैमाने पर विदर्भ बैकवर्ड है। नागपुर के लिए यह सेंटर दिया गया था, मुझे मालूम हैं इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने आपको दोनों चीजें देने का प्रस्ताव किया है। मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूं कि इस सेंटर के लिए क्यों देरी कर रहे हैं? यह कब शुरू करने वाले हैं। हमें विश्वास है, नागपुर के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने रमण विज्ञान सेंटर दिया है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। महाराष्ट्र सरकार के पास पैसा भी है और जमीन भी है। आप यह बतायें। यह सेंटर आप कब शुरू कर सकते हैं? आरेंज के लिए ओरिजनल प्रपोजल था, आपने सीड वगैरह के लिए भी एडीशनल प्रपोजल रखा है, आप दोनों सेंटर का देने वाले हैं? इन सेंटर्स को देने के बाद कब, कितने दिनों में शुरू करने वाले हैं?

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं कहूंगा कि यह सेंटर केवल संतरों के लिए है यह इसलिए है क्योंकि उस भाग में बहुत संतरे उगाते हैं। अतः इसकी पैकिंग, परिवहन और अन्य सभी बातों के लिए तकनीक की आवश्यकता है।

लेकिन माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि एक अन्य सेंटर है—भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक अन्य सेन्टर बनाया है—जो कि भलीभांति सुसज्जित है और वह संतरों की देखभाल कर रहा है।

अतः अन्य फसलों, जैसे खाद्य तेल, मसालों और उस क्षेत्र में उगाई जाने वाली अन्य सफलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इस यूनिट को मजबूत बनाना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री वत्ता मेघे : आरेंज भी इम्पोर्टेंट हैं। इसको क्लीयर कीजिएगा। वहां आरेन्ज बहुत होता है।

[अनुवाद]

प्रो पी. जे. कुरियन : हां, श्रीमान। मैंने यही कहा था। यह संतरों के लिए है। संतरों की अन्य यूनिट द्वारा भी देखभाल की जाती है। अतः हम अन्य फसलों को भी शामिल करने के लिए भी इस सेंटर में सुविधायें बढ़ाना चाहेंगे।

उन्होंने अन्यत्र पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। जैसे ही महाराष्ट्र सरकार अपना वायदा पूरा कर लेगी। हम इसकी अन्यत्र पुनर्स्थापना करेंगे।

भोपाल गैस पीड़ितों के दावे

*396. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों के दावों के सम्बन्ध में यूनियन कार्बाइड के साथ अन्तिम समझौता कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी पीड़ितों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास के लिए कुछ धनराशि दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को अपर्याप्त मुआवजे के सम्बन्ध में पीड़ितों में विद्यमान असन्तोष की जानकारी है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) से (ज) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने 14/15-2-89 के निर्णय में मुआवजे के रूप में 470 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का आदेश दिया गया था। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन (यू सी सी) और यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि. (यूसीआईएल) ने यह राशि जमा कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने 3-10-91 के निर्णय में इस समझौते को वैध ठहराया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 14/15-2-1989 के निर्णय में आपराधिक मुकदमे से खिलाफ दी गई छूट वह कर दी गई है।

(ग) और (ग) भोपाल गैस पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए भारत संघ ने निम्नलिखित राशियां दी हैं :—

1. दुर्घटना के तुरन्त बाद राहत और पुनर्वास के लिए 101 करोड़ रुपए जिसमें तत्काल चिकित्सा सहायता के उपाय और विशेष चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना आदि शामिल था।

2. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर पीड़ितों की विशिष्ट श्रेणियों को अन्तरिम सहायता के रूप में 7.14 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

3. भोपाल के गम्भीर रूप से प्रभावित 36 म्युनिसिपल वार्डों के 5 लाख निवासियों को 200/- रुपए प्रति माह की दर से अन्तरिम सहायता के भुगतान के लिए 310.30 करोड़ रुपये।

4. 163.10 करोड़ रुपये की कार्य योजना, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पुनर्वास और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है, के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को उसके हिस्से के रूप में 36.67 करोड़ रुपये की राशि।

(छ) और (ज) मुआवजा पर्याप्त न होने के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था कि भोपाल गैस पीड़ित के शिकार लोगों के मुआवजे एवं दावा को निपटाने हेतु 3 फरवरी, 992 तक कम से कम 50 दावों के लिए न्यायाधिकरण का कार्य प्रारम्भ हो जाना था इसमें कहां तक प्रगति हुई है और ये निर्देश दिए या नहीं।

[अनुवाद]

श्री चिन्ता मोहन : 1989 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद 470 मिलियन अमरीकी डालर का एक समझौता हुआ है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक में जमा किया जाएगा; और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस समझौते की पुष्टि अक्तूबर, 1991 में की गई; और उसने न्याय निर्णयन प्रक्रिया को शुरू करने के लिये 120 दिन का समय दिया है। यह भोपाल में कल्याण आयुक्त द्वारा शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

श्री परसराम भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार गैस पीड़ित लोगों के दावा निपटाने हेतु उसमें दवाईयां उपलब्ध कराने और रोजगार देने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उच्च-स्तरीय समिति केन्द्र सरकार भेज रही है क्या ? यदि प्रावधान नहीं हो तो कृपया उच्चस्तरीय समिति भेजने की व्यवस्था करेंगे।

[अनुवाद]

श्री चिन्ता मोहन : पहले ही सरकार ने 1984 में तत्काल राहत के रूप में लगभग 101 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। तत्पश्चात 1990-91 में दुर्घटना के शिकार लोगों के लिये अन्तरिम राहत के रूप में लगभग 310 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। उच्चतम न्यायालय के निणय के बाद हमने करीब 7 करोड़ रुपये जारी किये थे। कार्ययोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई थी और भारत सरकार ने इसका 75 प्रतिशत दिया था।

सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण योजना तैयार की गई थी और मध्य प्रदेश सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और वह इसे यथाशीघ्र चालू करने की कोशिश कर रही है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि भोपाल गैस कमीशन की स्थापना का गई थी तो उसका उद्देश्य क्या था, आज तक कितने केस सुने गये और कितनों पर डिसीजन लिया गया और इस गैस कमीशन के लिए कितना व्यय हुआ··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन : वास्तव में न्याय निर्णयन इस वर्ष 3 फरवरी को शुरू हुआ। हमने 5 न्यायालयों का गठन किया और कल्याण आयुक्त ने मामलों को सुनना शुरू किया। जैसा कि आप

सब जानते हैं, न्यायालय समय लेगा। हम इसे एक दिन में नहीं कर सकते हैं। परन्तु हमने पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक में 14 0 करोड़ रुपये रख दिए हैं, और हमने मध्य प्रदेश सरकार को इसे वितरित करने के लिये पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : गैस कमीशन आपके द्वारा स्थापित किया गया था तो उस पर कितना खर्च हुआ और कितने केस डिसाइड हुये।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन : कल्याण आयुक्त ने विभिन्न पीड़ितों को नोटिस भेजे हैं और वे इनकी जांच कर रहे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कार्य फरवरी में शुरू कर दिया है और वह इस पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उत्तर में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14/15-2-1989 के निर्णय के अनुसार आपराधिक मुकदमे के खिलाफ दी गई छूट रद्द कर दी गयी है। यह इस तथ्य को देखते हुये बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मुआवजे के लिये निर्धारित धनराशि और शर्तें पीड़ितों द्वारा नितांत असंतोषजनक पाया गया है। अतः इसे देखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि यूनियन काबाइड के दायित्वों को तय करने के लिए और यू. सी. सी. और एवं अन्य जिम्मेदार लोगों पर दण्डनीय एवं कठोर जुर्माना लगाने के लिए क्या सरकार कोई अभियोजन कक्ष गठन करेगी जो यू.सी.सी. के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही कुशलता और प्रभावी ढंग से निपटाएगा।

डा. चिन्ता मोहन : 1989 में समझौता होने के बाद उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष अक्तूबर में इस समझौते को पुष्ट कर कर दिया था। तत्पश्चात हम अब तक इसके विरोध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, और हम आगे अन्य किसी पर अभियोजन चलाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा है कि इसे रद्द कर दिया गया है। आप मामले को शुरू करें और लोगों की सहायता करें।

डा. चिन्ता मोहन : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इसकी जांच का कार्य पूरा कर लिया है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : भोपाल गैस त्रासदी की व्यापकता इतनी अधिक हो गयी है कि भोपाल नगर में जिन वार्ड्स को पहचान की गई है कि ये पीड़ित हैं उसके अतिरिक्त सारा शहर उसकी चपेट में है। राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि उनके लिए भी पुनर्वास और सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या केन्द्रीय सरकार इस दृष्टि से जिन वार्ड्स को सम्मानित नहीं किया गया है उन्हें भी उसमें लाने की और सहायता देने पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन : आयोग ने पीड़ितों को राहत देने के 36 करोड़ रु. आवंटित किए हैं और धनराशि पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर दी गयी है। कल्याण आयुक्त ने पहले ही न्याय निणयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुनियादी सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं। सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। यह मध्य प्रदेश सरकार को तय करना है। सभी शक्तियां उन्हें दे दी गयी हैं। हम माननीय सदस्यों से निवेदन करते हैं कि वे मध्य प्रदेश जायें सरकार के साथ बैठकर बातचीत करें और कार्यवाही में तेजी लायें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं मंत्री महोदय से मध्य प्रदेश में भोपाल में आयुक्त न्यायालयों में मुआवजों के मामलों के न्याय निणयन के बारे में पूछना चाहता हूं। भारत सरकार अर्थात वित्त मंत्रालय और रसायन और उवरक मंत्रालय को मार्ग निर्देश जारी करने हैं। क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्गनिर्देश कब जारी किए जायेंगे ताकि मुआवजे के मामलों पर तेजी से सुनवाई की जा सके ?

डा. चिन्ता मोहन। यह न्यायालय और कल्याण आयुक्त को तय करना है।

श्री दिग्विजय सिंह : मार्गनिर्देश भारत सरकार को जारी करने हैं। वित्त मन्त्री को मार्ग-निर्देश जारी करने हैं कि मुआवजे के मामलों को तय करने की क्या विधि होगी।

श्री राम नाईक : उन्हें इस तरह एक तरफ मत करिए। यह सरकार कभी भी काम नहीं करेगी।

डा. चिन्ता मोहन : कल्याण आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य है और हम मार्ग निर्देश तैयार कर रहे हैं कि गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में 4 लाख रु. और मृत्यु आदि की स्थिति में 1 से 3 लाख रु. तक का मुआवजा दिए जाने की बात विचाराधीन है।

श्री दिग्विजय सिंह। मंत्री महोदय को इसे जारी करना है। मामलों पर निर्णय केवल इसी लिए नहीं हो पाया है क्योंकि भारत सरकार द्वारा मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गये हैं। वित्त मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा मार्गनिर्देश जारी करने हैं।

डा. चिन्ता मोहन : हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम इसे यथाशीघ्र भेजेंगे।

श्री राम नाईक : इस तरह सरकार कार्य कर रही है।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : मंत्री महोदय ने कहा है कि 36.67 करोड़ रु. की धनराशि मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए दी गयी है।

क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि क्या मुआवजा केवल पीड़ितों के लिए है या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पुनर्वास सुविधाओं का निर्माण करने पर भी कुछ धनराशि खर्च करेगी। क्या सरकार की यह नीति है कि वह खर्च की गयी धनराशि को मुआवजे में से कम कर लेगी या ऐसी सुविधाओं का खर्च वह वहन करेगी।

डा. चिन्ता मोहन। मुआवजा केवल पीड़ितों के लिए है। धनराशि उपलब्ध है। मुआवजा उन्हें देना है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

+

*398. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे कुरियन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अधिकारिता को सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा इस समय निपटाए जा रहे मामलों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण अतिरिक्त कार्य को लेने की स्थिति में नहीं है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : श्रम मंत्रालयों में काफी बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े हैं और इसलिए बड़ी संख्या में कर्मकार पीड़ित हैं। इन मामलों के लम्बित होने के कारण बहुत सी समस्यायें आ गयी हैं। क्या सरकार का उच्च न्यायालय की शक्तियों वाले एक राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के गठन का विचार हैं ? क्या सरकार इसके बारे में सोच रही है ?

प्रो. पी जे कुरियन : महोदय इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के पास पहले ही उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं और उनकी प्रत्येक राज्य में शाखाएं हैं। अतः मैं नहीं समझता कि उसके लिए कितनी और आवश्यकता है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि काफी बड़ी संख्या में मामलों का निपटान केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण द्वारा किया जा रहा है और विशेषकर सार्वजनिक बैंकों से संबंधित मामले बड़ी संख्या में अन्य न्यायाधिकरणों या अन्य न्यायाधिकार क्षेत्रों में लम्बित पड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कोई तरीका है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को बैंकों तक बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के प्रबन्धकों या सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक यूनियनों से न तो कोई प्रस्ताव और न ही कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। अतः मैं नहीं समझता कि दूसरी कोई आवश्यकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजभाषा नीति

[हिन्दी]

*368. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री राजवीर सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित कर रहा है। हालांकि, हिन्दी के प्रयोग के लिए 1991-92 के वास्ते कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, फिर भी आयोग ने अपने कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं :

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव के नियंत्रण में एक हिन्दी अधिकारी कार्य कर रहा है, जो राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाती है और प्रस्तुत की जाती है।

— सभी विज्ञापन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के साथ-साथ दिए जाते हैं।

— रजिस्टर, प्रपत्र नाम पट्ट और रबड़ की मोहरें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

— हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जाते हैं।

— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 80% से अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

— चालू वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है।

— जिन कर्मचारियों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त नहीं है, उनको राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के लिए नियमित रूप से भेजा जाता है।

— 1891-92 में शुरू किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न्यूज लेटर हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशित किया जाता है।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षक

*369. श्री वी. कृष्णा राव :

श्री के. एच. मुनियप्पा।

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षत करने के लिए इस समय कितने विदेशी प्रशिक्षक नियुक्त किये गये हैं;

(ख) इन प्रशिक्षकों के साथ कितनी अवधि का करार हुआ है;

(ग) क्या इन प्रशिक्षकों के साथ हुए करार की अवधि को कम करके एक वर्ष करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) चीन, क्यूबा और भूतपूर्व सोवियत संघ के दस विदेशी प्रशिक्षक खेल नयाचार की शर्तों के अन्तर्गत फिलहाल भारत में हैं।

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अनुबन्धित विदेशी प्रशिक्षकों के समस्त ठेके सामान्यतः प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होते हैं।

(ग) सुझाव दिया गया है कि ठेके की अवधि घटाकर एक वर्ष कर दी जानी चाहिए।

(घ) चूंकि ठेके प्रारम्भ में सामान्यतः एक वर्ष के लिए ही होते हैं, इसलिए ठेकों की अवधि को घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, जब प्रशिक्षक का कार्य हमारे लिए उपयुक्त और लाभ-प्रद पाया जाता है तो ठेके की अवधि को बढ़ा दिया जाता है।

प्लेटफार्म टिकट

*370. श्री निर्मल कांति चटर्जी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्लेटफार्म टिकटों की दरों में कितनी बार वृद्धि की गई है;

(ख) प्रत्येक बार इन दरों में कितनी वृद्धि की गई; और

(ग) इन वृद्धियों से कितनी अतिरिक्त आय हुई ?

रेल मन्त्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्लेटफार्म टिकटों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है;

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"दिल्ली में वायु प्रदूषण"

*371. श्री पीयूष तीरकी ।

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में पत्थरों की पिसाई के कारण वायु-प्रदूषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां । पत्थर पिसाई के कार्यों से भी वायु-प्रदूषण होता है, यदि ये प्रचालन मंजूरी की शर्तों में निर्धारित प्रदूषण नियन्त्रण उपायों के बिना चलाए जाते हैं ।

(ग) रजोकरी गांव और लाल कुआं के निवासियों से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनसे पता चलता है कि वहां पर्याप्त नियंत्रण उपायों के बिना पत्थर-पिसाई के कार्यों से प्रदूषण हो रहा है और उससे उत्पन्न धूल से स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो रहा है ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(घ) सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत स्टोन क्रेशरों के आसपास परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं ।

(2) स्टोन-क्रेशरों के स्थान निर्धारण तथा संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं ।

(3) स्टोन-क्रेशरों के मालिकों से उत्सर्जनों को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है ।

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं ।

(5) दिल्ली में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है ।

(6) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की है और न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(7) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में लघु औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने के लिये 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने की एक स्कीम चलाई है।

स्वायत्तशासी कालेज

*372. डा. सुधीर राय :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वायत्तशासी कालेजों को गत दो वर्षों के दौरान, राज्य-वार कितनी राशि के अनुदान दिये गये;

(ख) क्या ये कालेज अपना पाठ्यक्रम स्वयं निर्धारित करते हैं और अपनी वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करते हैं;

(ग) कालेजों को स्वायत्त कालेज होने का दर्जा देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं कि ये कालेज भारतीय विश्व विद्यालयों के अन्य कालेजों जैसा स्तर बनाये रखें ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इस समय देश में 102 स्वायत्त कालेज हैं। विश्व विद्यालत अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 7वीं योजना के दौरान और 1990-91 में उनको दी गई अनुदान की राज्यवार राशि निम्नलिखित है :—

राज्य का नाम	स्वायत्त कालेजों की संख्या	दिया गया अनुदान (लाख रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	16	97.02
गुजरात	2	शून्य *
मध्य प्रदेश	28	96.00
उड़ीसा	5	5.00
राजस्थान	5	15.00
तमिलनाडु	44	347.00
उत्तर प्रदेश	2	शून्य *

* गुजरात और उत्तर प्रदेश में स्वायत्त कालेजों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता का उपयोग नहीं किया है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा परिचालित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार स्वायत्त कालेजों को अध्ययन और पाठ्यचर्या के अपने पाठ्यक्रम दाखिला के नियम निर्धारित करने, मूल्यांकन की पद्धतियां तैयार करने, परीक्षाएं आयोजित करने की पूरी स्वतंत्रता है और वे शिक्षा की विषय वस्तु और कोटि के लिये उत्तरदायी हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त प्रदान करने के लिये संस्थाओं का पता लगाने के वास्ते निम्नलिखित प्रमुख मानदंड निर्धारित किये हैं :

(I) विश्वविद्यालय परीक्षाओं में शैक्षणिक ख्याति और पिछला कार्य निष्पादन ।

(II) संकाय की उपलब्धियां ।

(III) भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता अर्थात पुस्तकालय आवास और उपस्कर ।

(IV) प्रबन्ध और प्रशासनिक क्षमता ।

(V) राज्य सरकार और प्रबन्ध से अनुरक्षण और विकास के लिये संसाधनों की उपलब्धता ।

(घ) वि. अ. आ. के दिशा निर्देशों में प्रत्येक वर्ष कालेजों द्वारा स्वत: मूल्यांकन और आवधिक अन्तराल पर बाह्य मूल्यांकन का प्रावधान है । संबंधित विश्वविद्यालय को स्वायत्त कालेजों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना अपेक्षित है ।

"प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग"

हिन्दी[

*373. श्री मोहन सिंह :

श्री बा. एन. रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विशेषत: उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के बोर्डों के आसपास की प्रदूषित वायु जल की गुणवत्ता के बारे में फ्लोपियों पर आंकड़े नियमित रूप से मिलते रहते हैं;

(ख) क्या ये डेटाबेस अद्यतन विश्लेषित, व्याख्यापित और प्रकाशित किये जाते हैं;

(ग) क्या राज्य प्रदूषण नियत्रण बोर्डों ने प्रदूषण फैलाने वाले उन औद्योगिक एककों का पता लगा लिया है, जो अपने अपशिष्ट पदार्थों को शोधन करने से पहले ही सीवरों, नालों और नदियों मे बहा देते हैं, जिससे मछलियों और अन्य जल-जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है और क्या इन उद्योगों को जल और वायु प्रदूषण सम्बन्धी अधिनियमों के अन्तर्गत कोई नोटिस जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही के क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और असम से फ्लोपियों पर पारवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी आंकड़े नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हैं ।

(ख) दिसम्बर 1990 की रिपोर्टों का अद्यतनीकरण और प्रकाशन तथा विश्लेषण और विवेचन किया गया है ।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों ने 17 श्रेणी के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में इकाइयों की शिनाख्त की है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 150 इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुपालन के लिये कार्रवाई शुरू नहीं की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दोषी इकाइयों को नोटिस जारी करने की सलाह दी गई है। इन बोर्डों ने इस सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू कर दी है और कुछ मामलों में दोषी इकाइयों को बन्द करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

"प्रदूषण निवारण और नियंत्रण"

[अनुवाद]

*374. श्री थाइल वान अंजलोज :

श्री बारे लाल जाटव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए गत दो वर्षों के दौरान कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए केन्द्र सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। अंतराष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता के रूप में 2.27 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, उपकरण खरीदने तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए 26.85 करोड़ रुपये की तकनीकी सहायता भी प्राप्त हुई है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1990-91 तथा 1991-92 के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई है :—

क्रम सं.	राज्य का नाम	राशि	
		1990-91	1991-92
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	51,76,450	4,88,250
2.	आसाम	11,87,000	8,57,500

1	2	3	4
3.	बिहार	38,72,000	8,38,000
4.	गुजरात	17,56,750	14,21,750
5.	जम्मू और कश्मीर	9,31,500	31,500
6.	हरियाणा	35,50,750	15,53,750
7.	हिमाचल प्रदेश	13,86,250	4,06,250
8.	कर्नाटक	28,25,000	31,13,250
9.	केरल	13,21,250	13,20,250
10.	मध्य प्रदेश	39,14,750	20,80,250
11.	महाराष्ट्र	10,84,500	10,74,500
12.	मेघालय	11,38,500	31,500
13.	उड़ीसा	39,34,050	7,99,250
14.	पंजाब	21,43,500	20,03,500
15.	राजस्थान	10,39,500	11,59,000
16.	तमिलनाडु	23,54,500	32,58,500
17.	उत्तर प्रदेश	27,06,500	48,81,500
18.	पश्चिम बंगाल	7,49,750	13,84,750
19.	दिल्ली	5,90,250	16,15,250
20.	गोवा	1,11,000	1,11,000
21.	दादरा एवं नगर हवेली	2,11,000	2,11,000
22.	पाण्डिचेरी	2,11,000	2,11,000
23.	चण्डीगढ़	2,11,000	2,15,000
24.	त्रिपुरा	1,30,000	—

[हिन्दी]

बिहार में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकी करण और विस्तार

*375 श्री सुकदेव पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सातवीं योजना के दौरान रेलवे स्टेशनों के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस मद पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) 14.50 करोड़ रुपये

(ख) प्रस्तावित आवंटन, आठवीं योजना के दौरान धन की समग्र उपलब्धता के अनुसार होगा, बहरहाल, 1992-93 के लिए आवंटन 5.67 करोड़ रुपए है,

(ग) प्लेटफार्म की सतह ऊंची करना, प्लेटफार्मों पर सायबानों, बेंचों मूत्रालयों, ऊपरी पैदल पुलों, प्रतीक्षा कक्षों/प्रतीक्षालयों, बुकिंग कार्यालयों, जन उद्घोषणा प्रणाली, गाड़ी संसूचक बोर्ड की व्यवस्था करना, आरक्षण के कंप्यूटरीकरण आदि से संबंधित कार्य शुरू किए जायेंगे, बशर्ते कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्य का औचित्य बनता हो और उसके लिए धन उपलब्ध हो,

[अनुवाद]

"परिस्थितिकी संरक्षण"

*376. श्री एस. बी. सिदनाल :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 दिसम्बर, 1991 के "इकानामिक टाइम्स" में "माइनिंग थ्रेटन्स सैंक्चुअरी उन उड़ीसा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने अभयारण्यों में वन्य प्राणियों के संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या वन संरक्षण तथा वन्यजीव संरक्षण संबंधी अधिनियमों के अन्तर्गत अभयारण्यों और राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों के भीतर खनन कार्य करने की अनुमति है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए क्या सावधानियां बरतने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि अभयारण्य राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, इसलिए उड़ीसा सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) और (च) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) चूंकि खनन गतिविधियां अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए हानिकारक होता हैं, इसलिए यथासंशोधित वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के तहत वहां खनकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके लिए वन भूमि का वनेतर प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल होगा, जिसपर वन (संरक्षण) अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं।

विवरण

(ग) और (च) सरकार द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा, पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाए रखने तथा पारि-प्रणालियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

1. भारतीय वन्यजीव संस्थान ने "भारत में एक संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की आयोजना" नामक एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए विस्तृत सिफारिशें की गई हैं, ताकि वन्यजीवों और पारि-प्रणालियों, जिसका वे एक हिस्सा हैं, की पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण किया जा सके।

2. वन्यजीवों की संकटापन्न और दुलर्भ प्रजातियों को वन्यजीव (सुरक्षा)अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 और 2 (भाग-2) में शामिल किया गया है और इस प्रकार उन्हें कानून के तहत यथासंभव अधिकतम सुरक्षा प्रादान की गई है। इस अधिनियम के तहत वन्यजीवों के शिकार पर भी पूर्ण प्रतिबंध है।

3. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में किसी वन्यजीव अभयारण्य को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने अथवा शांति भंग करने के लिए कड़े और निवारक दण्ड का भी प्रावधान है। किसी अभयारण्य की सीमाओं में भी संबंधित राज्य विधान सभा की मंजूरी के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

4. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत, अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ परियोजना के विकास, बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों ओर पारि-विकास के लिए विभिन्न अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के बफर क्षेत्रों के विकास सहित उनके विकास और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंध के लिए उन्हें केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. भारत में अनेक चिड़ियाघरों में वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों का सफलता-पूर्वक प्रजनन हो रहा है और इस प्रकार इन बहुमूल्य जीनमूलों के स्थान बाह्य संरक्षण में मदद मिल रही है।

6. असम में गैंडों का संरक्षण नामक स्कीम के तहत असम में गैंडों के सभी प्राकृतिक वास स्थलों में उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए असम सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

7. हाथियों के वास स्थलों की सुरक्षा, प्रवासी कारीडोरों की बहाली तथा मानव और हाथी के बीच संघर्ष के मामलों को कम करने जैसे समन्वित उपायों के जरिए देश में सभी हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए चालू वित्त वर्ष में "हाथी परियोजना" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है।

महिलाओं के लिए शिक्षा

*377. डा. राजा गोपालन श्रीधरण :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार देश में महिलाओं के लिए शिक्षा के विकास हेतु विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को धन-राशि प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके लिए धन-राशि प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा उपस्कर की खरीद, शिक्षकों की नियुक्ति, शैक्षिक तथा छात्रावास भवनों के निर्माण और अनुसंधान की प्रोन्नति के विशेष कार्यक्रमों के लिए पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वि. अ. आ. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने महिलाओं की संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता के मानदंडों मे निम्न प्रकार छूट दी है।

— न्यूनतम छात्र-नामांकन में अन्य कालेजों के लिए 250 की तुलना में महिला कालेजों के लिए 150 तक की छूट दी गई है।

— अन्य कालेजों के लिए 10 की तुलना में महिला कालेजों के लिए शिक्षकों की न्यूनतम संख्या केवल 5 आवश्यक है।

— आयोग लड़कों के छात्रावासों के लिए 75% की तुलना में महिला छात्रावास के लिए 100% सहायता प्रदान करता है।

देश में केवल महिलाओं के लिए तीन महिला विश्वविद्यालय और दो समविश्वविद्यालय हैं। आयोग ने इन विश्वविद्यालयों के विकास के लिए सातवीं योजना के दौरान 2.85 करोड़ रुपए की राशि के अनुदान प्रदान किए।

भारतीय विज्ञान, दर्शन तथा संस्कृति का विकास

*378. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

डा. ए. के. पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद ने भारतीय विज्ञान, दर्शन तथा संस्कृति के इतिहास सम्बन्धी अन्तर-विषय अध्ययन हेतु एक व्यापक अनुसंधान परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के उद्देश्यों, आयाम, विधि-तंत्र, अनुसन्धान मुद्दों, कार्य-योजना तथा क्रियाकलापों की समय सारणी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई "ओवर व्यू वोल्यूम" तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में तथा विशेषत: आठवीं योजना के संदभ में बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आई. सी. पी. आर.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परिषद "भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र व संस्कृति के इतिहास के अध्ययन" सम्बन्धी शोध परियोजनाओं के लिए एक नोडल एजेन्सी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक, दार्शनिक व सांस्कृतिक विरासत का विस्तृत व अंतर्विषयक अध्ययन करना है। परियोजना के विस्तृत आयोजन व कार्यान्वयन के लिए विख्यात अध्येताओं की एक प्रारम्भिक समिति गठित की जा चुकी है। इस परियोजना के अधीन भूगोल, गणित, खगोल शास्त्र, शारीरिक विज्ञान, जीवनविज्ञान आयुर्विज्ञान, उद्योग, कृषि तथा भारत के सामाजिक व राजनैतिक संस्थान जैसे विभिन्न विषयों पर दस खंड प्रकाशित किए जाने की संभावना है, जिसको पूरा करने में 7 से 9 वर्ष लग सकते हैं। समिति ने एक "सिंहावलोकन खंड" की तैयारी शुरू की है जिसमें अलग-अलग खंडों की तैयारी के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत रूपरेखायें, चुने गए विषय और व्यापक कार्य पद्धति का निर्धारण किया जाएगा। यह "सिंहावलोकन खंड" 1994 तक पूरा किए जाने का विचार है।

टीपू सुल्तान का समर पैलेस

*379. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के निकट टीपू सुल्तान के दरिया दौलत समर पैलेस के समुचित अनुरक्षण और रखरखाव की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) उपर्युक्त स्थल पर पर्यटकों को क्या अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) यह स्मारक संरक्षण की अच्छी अवस्था में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस स्मारक पर पेय जल की सप्लाई और सार्वजनिक सहूलियतें जैसी सुविधायें पहले से ही उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व शिक्षा

*380. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारणार्थ स्कूल-पूर्व बाल शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी एक परियोजना तैयार की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने स्कूल पूर्व बच्चों के लिए 13 प्रकरणों वाला एक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान की है । आशा है कि इन प्रकरणों से स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में गीतों, सजीव चित्रण, कठपुतली तथा ओरीगेमी के माध्यम से वर्णमाला अंक, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई, पोषण, ज्यामितीय आकृतियों तथा इस प्रकार के अन्य विषयों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस कार्यक्रम को समय का स्लाट उपलब्ध होते ही प्रसारित करने पर सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया है ।

[अनुवाद]

"क्षारीय भूमि"

*381. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षारीय भूमि का, राज्य-वार, कुल कितना क्षेत्र है; और

(ख) सातवीं योजना के दौरान क्षारीय भूमि के विकास के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्य तथा नियत की गई निधियों का ब्योरा क्या है; और इस दिशा में क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) उपलब्ध क्षारीय भूमि का राज्यवार अनुमान नीचे दिया गया है :—

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षे. प्रदेश	क्षेत्र x (मिलियन हैक्टेयर में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.18
2.	गुजरात	0.10
3.	हरियाणा	0.08
4.	कर्नाटक	0.33
5.	केरल	0.12
6.	मध्य प्रदेश	0.08
7.	महाराष्ट्र	0.48
8.	उड़ीसा	0.40
9.	पंजाब	1.00

1	2	3
10.	राजस्थान	0.10
11.	तमिलनाडु	0.01
12.	उत्तर प्रदेश	0.20
13.	पश्चिम बंगाल	0.99
14.	क्षारीय भू-खण्ड	1.46xx
	कुल योग	5 53

x कृषि एवं सहकारिता विभाग । आठवीं योजना, 19 9 को तैयार करने के लिए बनाई गई योजना कार्य दल की रिपोर्ट, जो भूमि सुधार और विकास सहित भूमि और जल के उपयोग पर आधारित है ।

xx क्षारीय भू-खण्ड वाले बलुई क्षेत्रों को राज्यों के सामने नहीं बताया गया है ।

(ख) सातवीं योजना के दौरान मृदा क्षारीयता की समस्या को रोकने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था । तथापि, जल संसाधन मंत्रालय के कमांड क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित उपाय किए गये :—

(i) खेत-नहरें बनाने, भूमि समतल करने तथा भूमि को उचित आकार देने के फार्म-विकास सम्बन्धी कार्य;

(ii) जल निकासी की उचित व्यवस्था करना;

(iii) सतही और भूमिगत जल के साथ-साथ प्रयोग को बढ़ावा देना;

(iv) फसल पैदावार की उपयुक्त पद्धति को अपनाना;

(v) अनुकूल परीक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विस्तार प्रयासों के माध्यम से किसानों में जल के कुशल और उचित प्रयोग के प्रति जागरुकता पैदा करना ।

इसके अतिरिक्त वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यक्रमों के अधीन क्षारीय परती भूमि को भी शामिल किया गया है ।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्र

*382. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ख) इसमें से राज्यवार कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम एल. फोतेदार) : (क) और (ख) देश में 1733 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और 47 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र काय कर रहे हैं । 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान देश में कोई नया शहरी/ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला गया ।

इन केन्द्रों के रख-रखाव के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत की गई राशि तथा राज्यों द्वारा किए गये व्यय के राज्यवार ब्योरे क्रमशः संलग्न विवरणों I, II और III में दिए गये हैं ।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र			
		1989-90		1990-91	
		स्वीकृत राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय	स्वीकृत राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	114.09	187.34	100.40	142.95
2.	असम	18.12	19.33	20·51	24.55
3.	बिहार	22.75	21.08	21.96	21.96
4.	गुजरात	52.90	197.03	62.75	122.68
5.	हरियाणा	10.60	24.51	1.88	29.81
6.	हिमाचल प्रदेश	8.33	0.00	0.65	एन. आर.
7.	जम्मू और कश्मीर	4.70	6.61	0.22	एन. आर.
8.	कर्नाटक	104.36	118.40	35.47	142.53
9.	केरल	19.50	एन.आर.	37.65	17.34
10.	मध्य प्रदेश	149.01	96.37	65.89	213.65
11.	महाराष्ट्र	176.99	199.90	163.15	171.48

5 मई 1914 (शक)

1	2	3	4	5	6
11.	मणिपुर	1.71	2.15	3.30	2.04
12.	मेघालय	1.95	3.21	0.67	2.07
14.	नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	उड़ीसा	12.22	12·30	3.13	7.17
16.	पंजाब	85.99	53.14	43.92	96.28
17.	राजस्थान	115.24	66.13	50.20	76.37
18.	सिक्किम	1.38	0.00	0·65	एन. आर.
19.	तमिलनाडु	54.49	258.99	94.12	175.71
20.	त्रिपुरा	3.82	5.38	7.27	4.81
21.	उत्तर प्रदेश	308.76	187.19	66.45	212.42
22.	पश्चिम बंगाल	79.40	79.07	97.26	97.26
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	2.06	0.82	3.97	1.94
25.	चंडीगढ़	18.40	14.57	18.00	14.68
26.	दादरा और नगर हवेली	एन.आर.	शून्य	एन.आर.	शून्य
26.	दिल्ली	93.14	107.88	70.00	80.08

28.	गोवा	1.37	एन. आर.	2.64	एन. आर.
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	मिजोरम	5.40	1.08	शून्य	1.95
31.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दमण और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

एन. आर=सूचना प्राप्त नहीं ।

विवरण-II

(लाख रुपये में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र			
		1989-90		1990-91	
		स्वीकृत राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय	स्वीकृत राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1109.40	1101.39	877.77	1606.43
2.	असम	146.81	220.48	305.35	227.08
3.	बिहार	827.26	954.53	1227.16	1227.16

1	2	3	4	5	6
4.	गुजरात	842.49	869.16	524.80	1414.57
5.	हरियाणा	178.40	223.99	185.47	242.75
6.	हिमाचल प्रदेश	152.31	217.91	160.61	220.73
7.	जम्मू और कश्मीर	104.18	146.49	170.77	98.35
8.	कर्नाटक	637.27	790.88	562.12	799.30
9.	केरल	977.03	663.88	340.44	1399.27
10.	मध्य प्रदेश	1106.22	1229.68	961.38	1083.47
11.	महाराष्ट्र	819.66	1228.60	394.66	1320.50
12.	मणिपुर	37.04	55.13	64.45	77.63
13.	मेघालय	40.55	46.45	47.47	39.92
14.	नगालैंड	7.22	28.37	14.89	12.89
15.	उड़ीसा	1077.57	765.30	656.00	851.63
16.	पंजाब	521.40	400.26	269.19	एन.आर.
17.	राजस्थान	353.86	463.50	485.20	534 00
18.	सिक्किम	29.78	30.42	31.67	48.80
19.	तमिलनाडु	384.88	541.45	800.78	683.09

20.	त्रिपुरा	116.13	116.93	73.50	143.06
21.	उत्तर प्रदेश	2215.00	3332.72	1895.80	3855.40
22.	पश्चिम बंगाल	806.87	1031.22	700.12	700.12
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	1.08	2.30	शून्य	2.54
25.	चण्डीगढ़	6.42	8.15	6.00	8.85
26.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	दिल्ली	5.00	6.00	600	8.22
28.	गोवा	34.94	38.73	31.67	36.02
29.	लक्षद्वीप	0.35	0.35	0.20	0.07
30.	मिजोरम	23.37	22.68	29.39	27.45
31.	पांडिचेरी	23.03	एन.आर.	18.00	एन.आर.
32.	दमण और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

एन. आर.=सूचना प्राप्त नहीं।

विवरण-III

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र			
		1989-90		1990-91	
		स्वीकृत राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय	स्वीकृत राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	38.69	38.37	26.64	36.50
2.	असम	7.62	9.10	6.90	9.21
3.	बिहार	32.51	11.92	37.18	37.18
4.	गुजरात	44.43	39.56	13.34	20.82
5.	हरियाणा	9.73	6.66	6.67	8.53
6.	हिमाचल प्रदेश	13.30	एन.आर.	6.67	एन. आर.
7.	जम्मू और कश्मीर	7.91	11.21	6.67	6.70
8.	कर्नाटक	18.74	16.72	13.34	18.47
9.	केरल	17·83	19.33	13.34	17.91

10.	मध्य प्रदेश	22,86	29.94	26.64	30.40
11.	महाराष्ट्र	21.96	35.10	26.64	47.40
12.	मणिपुर	5.18	26.12	6.85	10.73
13.	मेघालय	8.87	8.87	6.67	8.97
14.	नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	उड़ीसा	11.18	15.12	13.34	15.24
16.	पंजाब	44.93	54.79	6.67	57.00
17.	राजस्थान	38.68	60.46	13.34	69.01
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	तमिलनाडु	17.66	27.61	19.98	एन. आर.
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	3.33
21.	उत्तर प्रदेश	63.00	75.15	66.98	82.91
22.	पश्चिम बंगाल	21.00	21.13	20.34	20.34
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
25.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	0.61	शून्य	0.76
27.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	गोवा	32.51	7.47	4.00	एन. आर.
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

एन. आर.—सूचना प्राप्त नहीं ।

[अनुवाद]

"शहरों में वायु प्रदूषण"

*383 श्री शंकर सिंह वघेला :

श्री लाल कृष्ण आडवानी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्याधिक प्रदूषण से प्रभावित शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर पहली बार की गई परिवीक्षा के समय क्या था, इस समय क्या है और सन् 2000 ई. में अनुमानत: क्या होगा;

(ख) आस-पास के क्षेत्र में वायु की शुद्धता के संबंध में किन-किन मानदण्डों की सिफारिश की गई है;

(ग) उक्त प्रदूषण फैलाने के लिए कौन-कौन से स्रोत दोषी माने गये हैं;

(घ) इन शहरों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले ह; और

(ङ) चालू वर्ष के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ङ) एक विवरण सलग्न है

विवरण

(क) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर में 1978 के शुरू में बड़े शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की। इस आंकड़े के सांख्यिकीय विश्लेषण से निम्नलिखित मुख्य बातों का पता चला :

(1) बम्बई, हैदराबाद, कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, नागपुर, और कलकत्ता शहरों में सल्फर डाई आक्साइड के स्तरों में आमतौर पर कोई बदलाव नहीं आया है जबकि दिल्ली में इसके स्तरों में वृद्धि हो रही है जबकि मद्रास और कोचीन में इसके स्तरों मे कमी देखी गई है।

(2) कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद और जयपुर, प्रत्येक शहरों के एक स्थान के अतिरिक्त, इन दस शहरो के निगरानी किए गए अधिकांश स्थानों पर धूलकणों के स्तरों में कोई महत्व पूर्ण परिवर्तन नहीं देखे गए।

(3) अहमदाबाद के सभी स्थानों पर और नागपुर तथा हैदराबाद प्रत्येक के एक स्थान पर नाइट्रोजन डाईआक्साइड के स्तर में कमी आई है; दिल्ली और बम्बई प्रत्येक के दो स्थानों में वृद्धि हुई है और शेष स्थानों में कोई बदलाव नहीं आया है।

(4) इन शहरों में निगरानी किए गए लगभग सभी स्थानों पर सल्फर डाईआक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइड के स्तर निर्धारित सीमाओं के भीतर थे।

इस समय, इस वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण के अनुसार बड़े शहरों में सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइडों के स्तर निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं जबकि इन शहरों में धूलकणों के स्तर अधिक हैं। धूलकणों का स्तर अधिक होने का कारण प्राकृतिक धूल भरा वातावरण और यातीय यातायात में वृद्धि का होना है। यद्यपि उद्योगों तथा मोटरगाड़ियों से निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन वायु प्रदूषण के स्तर में जो सुधार हुआ है वह सन् 2000 तक महानगरों में मोटर वाहनों में वृद्धि होने से व्यर्थ चला जाएगा।

(ख)विभिन्न श्रेणियों के क्षेत्रों और विशिष्ट प्रदूषणों के लिए जिस परिवेशी वायु गुणवत्ता की सिफारिश की गई है, वे निम्न लिखित हैं।

परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक
(माइक्रोग्राम में सान्द्रता-प्रति घन मीटर)

श्रेणी	धूलेकण	सल्फरडाई आक्साइड	कार्बन डाई आक्साइड	नाइट्रोजन के आक्साइड
औद्योगिक तथा निश्चित उपयोग	500	120	5000	120
आवासीय तथा ग्रामीण उपयोग	200	80	2000	80
नाजुक उपयोग	100	30	1000	30

(ग) उद्योग, ताप विद्युत संयंत्र, वाहन तथा घरों में खाना पकाने के लिए कोयला और जलाने की लकड़ी का प्रयोग वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं।

(घ) सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं।

(1) उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) परिवेशी वायु मानक निर्धारित किये गये हैं।

(3) परिवेशीगुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(4) वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

(5) उद्योगों के स्थान निर्धारण एवं प्रचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

(6) उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

(7) उद्योगों को समयबद्ध आधार पर जरूरी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

(8) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(9) संबंधित अधिनियमों के तहत दोषी इकाईयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(10) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत सभी वाहनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किये गये हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय ने विभिन्न राज्य परिवहन निदेशालयों को इन व्यापक उत्सर्जन मानकों को 1 मार्च, 1990 से लागू करने की सलाह दी है।

(11) मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत वाहनों के लिए ठोस उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से संबंधित मानक 1 अप्रैल, 1991 और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए मानक 1 अप्रैल, 1992 से लागू होंगे।

(12) वायुीय प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(13) प्राधिक मोटर वाहन सिफारिसों का उनके द्वारा बनाए गए वाहन पर प्रोटोटाइप सरकार द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी से जांच कराने के लिए प्रस्तुत करना होता है तथा उत्पादन उत्सर्जन मानकों सहित नियमावली के उपबंधों के अनुरूप होने के बारे में एक प्रमाण पत्र देना होता है। यह उपबंध 1 अप्रैल, 1991 से लागू हो गया है।

(14) महानगरों में स्थानीय प्राधिकारियों से बड़े पैमाने पर वनरोपण करने का अनुरोध किया गया है, जैसा कि दिल्ली के आसपास पहले से ही किया जा चुका है।

(15) बड़ी और मझौली इकाइयों को रियायती दरों पर प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक स्कीम चलाई गई है।

(ङ) कार्य योजना और निर्धारित लक्ष्यों को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है।

कोई ऐसा उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई, 1981 को अथवा इससे पूर्व उत्पादन प्रारंभ किया है और जितने विनिर्दिष्ट मानकों को एक समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु कम से कम वास्तविक कार्य प्रारंभ करने का संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण दिया है, वह इन मानकों को अधिकतम 31.12.93 तक पूरा करेगा।

ऐसा कोई उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई, 1981 के बाद किन्तु 31 दिसम्बर, 1991 से पूर्व उत्पादन प्रारंभ किया है और जिसने विनिर्दिष्ट मानकों को एक समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु कम से कम वास्तविक कार्य प्रारंभ करने का संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण दिया है, वह इन मानकों को अधिकतम 31.12.92 तक पूरा करेगा।

चीनी मिलें

*384. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सहकारी क्षेत्र में चल रही चीनी मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है और प्रत्येक चीनी मिल की उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी मिलें स्थापित करने के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और मंजूर किए गये प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) मंजूरी के लिए लंबित पड़े प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है, और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या लंबित पड़े प्रस्तावों को चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दे दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) संस्थापित चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या तथा उत्पादन क्षमता संलग्न विवरण I में है।

(ख) पिछले तीन चीनी वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों तथा जारी किए गये आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा विवरण I में संलग्न है।

(ग) से (ङ) नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए 31.1.1992 तक लंबित प्रस्तावों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण III में है।

केन्द्र सरकार ने चीनी वर्ष 1991-92 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93—1996-97) के लिए दिनांक 8.11.91 के प्रेस नोट के तहत नई चीनी फैक्ट्रियों तथा मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु संशोधित लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा कर दी है। तथापि पहले जारी किए गए तथा कार्यान्वित न किए गए आशय पत्रों/लाइसेंसों की बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए नई चीनी फैक्ट्रियों के प्रस्तावों पर अभी विचार नहीं किया गया है।

विवरण-I

सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या तथा उत्पादन क्षमता दर्शाने वाला विवरण
(29.02.1992 को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	सहकारी क्षेत्र में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या	संस्थापित क्षमता (लाख टन)
1	2	3	4
1.	महाराष्ट्र	95	30.0374

1	2	3	4
2.	उत्तर प्रदेश	31	6.402
3.	आन्ध्र प्रदेश	18	2.225
4.	कर्नाटक	18	3.701
5.	तमिलनाडु	14	3.965
6.	बिहार	—	—
7.	पंजाब	13	3.107
8.	हरियाणा	10	2.436
9.	गुजरात	17	6.534
10.	राजस्थान	1	0 077
11.	मध्य प्रदेश	3	0.334
12.	पांडिचेरी	1	0.174
13.	मणिपुर	—	—
14.	हिमाचल प्रदेश	—	—
15.	उड़ीसा	4	0.392
16.	पश्चिमी बंगाल	—	—
17.	आसाम	2	0.115
18.	नागालैण्ड	—	—
19.	केरल	2	0.136
20.	गोवा	1	0.093
	कुल	230	59.7284

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों (1988-89 से 1990-91) के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों तथा जारी किए गये आशय पत्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण :

क्रम सं.	राज्य	1988-89		1989-90		1990-91	
		प्राप्त प्रस्तावों की सं.	जारी किए गए आशय पत्रों की सं.	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	जारी किए गए आशय पत्रों की सं.	प्राप्त प्रस्तावों की सं.	जारी किए गए आशय पत्रों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	महाराष्ट्र	39	14	125	19	78	2

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	उत्तर प्रदेश	18	5	140	9	56	3
3.	आन्ध्र प्रदेश	3	3	36	3	33	1
4.	कर्नाटक	—	4	36	1	21	—
5.	तमिलनाडु	—	—	16	2	4	—
6.	बिहार	1	—	17	—	4	—
7.	पंजाब	—	—	21	—	14	6
8.	हरियाणा	—	—	9	—	8	1
9.	गुजरात	11	2	2	6	6	1
10.	राजस्थान	—	—	1	—	1	—
11.	मध्य प्रदेश	3	1	5	1	3	—
12.	पांडिचेरी	1	—	—	1	—	—
13.	मणिपुर	1	—	—	—	—	—
14.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1	—	—	—
15.	उड़ीसा	—	3	—	1	—	1
	कुल	77	32	409	43	228	16

विवरण-III

नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु औद्योगिक विकास विभाग से प्राप्त विचारार्थ लंबित आवेदन पत्रों की सूची

क्रम सं.	राज्य	31.1.92 को नई इकाइयों के लिए लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	227
2.	उत्तर प्रदेश	211
3.	आन्ध्र प्रदेश	86
4.	कर्नाटक	53
5.	तमिलनाडु	20

1	2	3
6	बिहार	23
7.	पंजाब	29
8.	हरियाणा	16
9.	गुजरात	11
10.	राजस्थान	02
11.	मध्य प्रदेश	07
12.	पांडिचेरी	—
13.	मणिपुर	—
14.	हिमाचल प्रदेश	01
15.	उड़ीसा	02
16.	पश्चिमी बंगाल	—
17.	केरल	01
	कुल	689

जनसंख्या नियंत्रण के लिए सहायता

*385. श्री पृथ्वी राज डी. चव्हाण :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैंड सरकार ने परिवार नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में सहायता करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम. एन. कोतेदार) :(क) अब तक कोई ऐसी पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा

*386. डा. महाबीर सिंह (झांसी)

श्री नीतीश कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं और उन्होंने किस रूप में उक्त सहायता देने की पेशकश की है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सहायता को स्वीकार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे किन-किन राज्यों को लाभ होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)। (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

यूनीसेफ ने 1991-95 की अवधि के दौरान बिहार शिक्षा परियोजना (बी. ई. पी.) के लिए अपने सामान्य ससाधनों से 80 लाख अमरीकी डालर देने और 1 हजार लाख अमरीकी डालर के मूल्य का अतिरिक्त धन एकत्र करने का वचन दिया। बिहार शिक्षा परियोजना (बी. ई. पी.) एक बुनियादी शिक्षा परियोजना है जिसके मुख्य घटक इस प्रकार हैं : प्राथमिक स्कूल शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता, महिला शिक्षा और उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा।

विश्व बैंक ने भी देश में बुनियादी शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराने में रुचि व्यक्त की है। सहायता के लिए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश को चुना गया है।

यूनेस्को ने भी मध्य प्रदेश के 5 जनजातीय जिलों में बुनियादी शिक्षा परियोजना तैयार करने में विदेशी सहायता देने की पेशकश की है।

यू. एन. डी. पी. ने भी बुनियादी शिक्षा क्षेत्र में रुचि व्यक्त की है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 8-9 मार्च, 1991 को संपन्न अपनी 46 वीं बैठक में बुनियादी शिक्षा हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचा निर्धारित किया। इस ढांचे के घटक इस प्रकार हैं :—

(i) विदेशी सहायता, शिक्षा संसाधनों के लिए अतिरिक्त रूप से प्राप्त होनी चाहिए।

(ii) परियोजना हर तरह से राष्ट्रीय नीतियों, कार्य नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप होनी चाहिए।

(iii) परियोजना की तैयारी केन्द्र/राज्य सरकारों/अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए और परियोजना की तैयारी क्षमता निर्माण की प्रक्रिया होनी चाहिए।

(iv) परियोजना सर्वथा नवीन रूप में तैयार की जानी चाहिए जिसमें लोगों की सहभागिता, कोटि में सुधार, शिक्षा की समानता और सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि पर बल दिया जाना चाहिए।

बुनियादी शिक्षा के लिए विदेशी सहायता उपलब्ध कराने के मामले में आमतौर पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

[अनुवाद]

आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों हेतु निदेशालय

*387 श्री प्रकाश वी. पाटील ।

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के लिए निदेशालय की स्थापना करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोहन लाल फोतेदार) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

"वनों और अभयारण्यों के रख-रखाव में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करना"

*388. श्री नवल किशोर राय :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुल्तानपुर पक्षी विहार का विकास करने तथा उस पर निगरानी रखने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संगठनों को सभी वनों, अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों के रख-रखाव के काम में भी शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र की और केन्द्रीय प्रायोजित विशिष्ट स्कीम/परियोजनाओं के मूल्यांकन और/अथवा निगरानी की व्यवस्था सामान्यतः स्कीमों/परियोजनाओं में ही की जाती है । फिर भी स्वैच्छिक निगरानी सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से अपनी पौधरोपण परियोजनाओं का प्रचार करने को कहा गया है ताकि वे परियोजना क्षेत्रों में उनके आस-पास रहने वाले लोगों द्वारा किये गये कार्य पर एक फीडबैक प्राप्त कर सकें ।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के विकास और सुरक्षा में लोगों की भागीदारी को शामिल किया गया है । इस नीति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से भागीदारी की हिस्सेदारी के आधार पर वनरोपण और अवक्रमित वनों की सुरक्षा में लोगों को

शामिल करने के लिए विशेष स्कीम तयार करने का कहा है। भारत सरकार का मानना है कि अच्छे रिकार्ड वाली बचनबद्ध स्वैच्छिक एजेंसियां/गैर-सरकारी संगठन अवक्रमित वन भूमि, खासकर बस्तियों के आस-पास की भूमि की सुरक्षा वनीकरण और विकास के लिए ग्रामीण समुदायों को प्रेरित और संगठित करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त साबित हो सकते हैं : जून 1990 में जारी किये गये दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों को अवक्रमित वन भूमियों की सुरक्षा और विकास में लोगों को सार्थक भागीदारी हासिल करने के लिए इस सम्बन्ध में ऐसे संगठनों की विशेषता और अनुभव का पूरा लाभ उठाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा जहां भी विशेषज्ञता वन्य जीव परियोजनाओं का मूल्यांकन आवश्यक समझा जाए, वहां अपेक्षित विशेषता वाले गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों को कार्य सौंपने पर विचार किया जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के मूल्यांकन अथवा निगरानी के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बंगलोर में रेल संस्थान खोलना

*285. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्से :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर में रेल संस्थान (रेलवे इंस्टीट्यूट) खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ भूमि और अन्य आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश कम करना

391. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय के प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश कम करने की औपचारिकतायें पूरी की जा चुकी हैं;

(ख) क्या इन उपक्रमों में से प्रत्येक के शेयरों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) उद्योग मन्त्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के ऐसे पांच उपक्रम हैं जिनमें से वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार की शेयरधारिता का एक भाग निकाल लिया गया है। ये उपक्रम हैं :—

(1) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(2) एच. एम. टी. लिमिटेड

(3) एण्ड्यू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड

(4) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

(5) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

इन उपक्रमों के शेयर सरकारी क्षेत्र के पूंजी निवेश सम्बन्धी संस्थानों, साझा कोषों तथा व्यापारिक बैंकों को समूहों (बण्डलों) के रूप में नीलाम कर दिये गये थे। प्रत्येक उपक्रम के शेयरों का मूल्यांकन समूहों (बण्डलों) के आधार पर तथा पूंजी निर्गम नियंत्रण के प्राचलों और मार्ग निर्देशों के अनुसार किया गया था।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा योजनायें

*393. श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा की विभिन्न योजनाओं पर वर्ष वार तथा योजना-वार कितना व्यय किया गया;

(ख) इनसे क्या-क्या उपलब्धियां हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो पी. जे कूरियन) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में तीन प्रमुख क्षेत्रों में किया गया व्यय नीचे दिए अनुसार है :

व्यय की गई राशि का ब्यौरा

क्षेत्र	1989-90 (वास्तविक)	1990-91 (वास्तविक) (करोड़ रुपए)	1991-92 (प्रत्याशित)
1. अनुसंधान तथा विकास	83.83	98.29	94.92
2. उद्योग तथा खनिज	229.31	185.53	211.04
3. विद्युत	570 32	802.40	821.92
योग	883.46	10 6.22	1127.88

अधिक विस्तृत ब्यौरा संसद को प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेजों से प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) बजट में कार्य संबंधी तथा वित्तीय संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को मोटे तौर पर प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) अगले वर्ष ककरापार परमाणु बिजलीघर का 220 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाला एक एक यूनिट 1500 मेगावाट की वर्तमान स्थापित क्षमता में जुड़ जाएगा। अन्य बिजली घरों से संबंधित निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही किया जायेगा। सम्बद्ध औद्योगिक कार्य क्षेत्रों में उत्पादन हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।

[अनुवाद]

द्रव्य प्रणोदन प्रणाली केन्द्र

*395. श्री एन. डेनिस :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कन्याकुमारी/तिरुनेलवेली जिले के महेन्द्रगिरी में स्थित द्रव्य प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (लिक्विड प्रोपलसन सिस्टम सेंटर) का एक स्वतंत्र एकक के रूप में विस्तार किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र के विस्तार में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. जे. कुरियन)। (क) से (ग) महेंद्रगिरी स्थित सुविधाएं, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के द्रव्य नोदन प्रणाली केन्द्र (एल. पी. एस. सी) का आग इन्मैट श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन के लिए भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी. एस. एम. वी.) नामक प्रमोचक यान की जरूरतों की पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार इन सुविधाओं का विस्तार पहले ही चल रहा है।

[अनुवाद]

खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए विकास योजनाएं

*397. श्री. पी. सी. थामस :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन उद्योगों के विकास के लिये केरल को कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) 1992-93 के दौरान खादी

तथा ग्रामोद्योग आयोग का विकास के लिए निम्नलिखित नई योजनाएं आरम्भ करने का विचार है :—

(1) छोटे चावल मिल

(2) दलिया बनाना

(3) पशु आहार/कुक्कुट आहार

(4) खिला कच्ची सामग्री बैंक (चमड़े के लिए)

(5) कमाना तथा परिष्करण वैट ब्लू क्रस्ट (चमड़े के लिए)

(6) दुग्ध आधारित उत्पाद

(7) सीसल रेशा उत्पादन एकक

(8) बान उत्पादन एकक

(9) फाइबर फैंसी वस्तु एकक

(10) कोरा ग्रास मेट वीविंग यूनिट

(11) केला रेशा उत्पादन एकक

(12) रस्सी निर्माण एकक

(13) अनिकार्य तेल/अतर एकक

(14) पावर घानी के साथ एक चार बोल्ट एक्सपलर एकक

(15) हवाई चप्पल उत्पादन एकक

(ख) 1992-93 के दौरान के. वी. आई. सी. के विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों के लिये योजना के अधीन बजट में 19। करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान के. वी. आई. सी. के द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग उद्योगों के विकास के लिये केरल को निम्नलिखित धनराशि दी गई है :—

वर्ष	अनुदान	ऋण
	(रुपये लाख में)	
1988-89	206.99	436.72
1989-90	268.67	595.89
1990-91 (दुरेखा)	175.44	750 51

[अनुवाद]

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना

+

*399 डा. डी. वेंकटेश्वरराव :

श्री धर्मलिंगम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ धनराशि दी जानी शेष है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अकाया राशि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय राजसहायता योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार वितरित धन इस प्रकार है :—

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	1985-86	986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9.46	14.05	9.87
2.	असम	3.02	2.32	7.00
3.	बिहार	—	6.22	1.80
4.	गुजरात	3.23	4.77	6.72
5.	हरियाणा	1.79	1.47	1.49
6.	हिमाचल प्रदेश	6.0	10.00	10.92
7.	जम्मू एवं कश्मीर	5.52	6.40	7.81
8.	कर्नाटक	6.55	6.48	4.02
9.	केरल	1.66	2.70	3.43
10.	मध्य प्रदेश	11.48	9.68	12.18
11.	महाराष्ट्र	3.65	3.43	2.83
12.	मणिपुर	0.90	0.83	0.30

1	2	3	4	5
13.	मेघालय	0.12	0.43	0·71
14.	नागालैंड	0.82	0.95	4.72
15.	उड़ीसा	1.70	2.90	2.46
16.	पंजाब	2.80	2.28	2.22
17.	राजस्थान	8.59	6.34	12.20
18.	सिक्किम	0.30	1.11	2.77
19.	तमिलनाडु	10.69	5.47	8.45
20.	त्रिपुरा	—	0.10	—
21.	उत्तर प्रदेश	12.54	22.72	31.86
22.	पश्चिम बंगाल	1.37	1.26	4.04
23.	अंडमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह	0.15	0.19	0.17
24.	दादरा एण्ड नागर हवेली	7	0.92	5.77
25.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.84	0.22
26.	गोवा	2.52	3.79	6.31
27.	मिजोरम	1.08	4.55	0.38
28.	पांडिचेरी	4.03	2.92	3.70
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	दमन और दीव	—	—	—

(ख) से (घ) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 30.9.1988 को समाप्त हो गई थी। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी गई कि राज्य स्तर समिति/जिला स्तर समिति द्वारा 30-9-1988 को या उससे पहले अनुमोदित परियोजना के बारे में राजसहायता की राशि और 30-9-1989 से पहले (गैर-निर्माणकारी यूनिटों के लिए) तथा 31-12-1988 से पहले (निर्माणकारी एककों के लिये) अदा की गई राशि की ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी आंध्र प्रदेश से 3.19 करोड़ रुपये के पात्र दावे केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति इस प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध होते ही कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 23.8 करोड़ रुपये के दावे प्रस्तुत किए हैं, जो उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा नहीं करते।

[अनुवाद]

मनोकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राजसहायता

*400. श्री के. प्रधानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कितनी राजसहायता दिए जाने का विचार है;

(ख) क्या यह राजसहायता केवल आदिवासी क्षेत्रों को ही दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें सम्मिलित किए गए अन्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) संघ के वर्ष 1992-93 के बजट प्रस्तावों में नवीनतम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राजसहायता हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह भी कहा गया है कि आवश्यकता होने पर आवंटनों में वृद्धि की जाएगी।

नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश भर में लगभग 1700 ब्लाकों में चलाई जा रही इस नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से समेकित आदिवासी विकास परियोजना, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम तथा कुछ निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों के तहत आने वाले इलाकों को चुना गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

*401. श्री जे. चोक्का राव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कौन-कौन सी वस्तुएं हैं;

(ख) क्या इस अधिनियम में और अधिक वस्तुओं को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) यह अधिनियम निःशुल्क प्रदान की गई सेवाओं तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्राप्त की गई वस्तुओं के सिवाय सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा संयुक्त क्षेत्रों में उपलब्ध की जाने वाली सभी वस्तुओं (वस्तुओं की बिक्री अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार) तथा सेवाओं पर लागू होता है।

(ख) व (ग) कुछ समय पूर्व सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को और अधिक कारगर बनाने के लिए उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त दल गठित किया था। इस दल ने निम्नलिखित मदों को अधिनियम की परिधि में शामिल करने की सिफारिश की है :—

(1) वे वस्तुएं अथवा सेवाएं, जिनसे उपभोक्ता को हानि या चोट पहुंचने की सम्भावना है;

(2) गृह निर्माण से संबंधित सेवाएं;

(3) हस्पताल सेवाएं तथा स्थानीय निकायों आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली जलआपूर्ति, स्वास्थ्य की देखरेख आदि से सम्बन्धित सेवाएं;

(4) स्वरोजगार के लिए क्रय की गई वस्तुएं;

(5) प्रतिबन्धात्मक, व्यापार प्रथाएं जैसे प्रतिबद्ध बिक्री आदि।

विदेशी निवेशकों द्वारा समझौता ज्ञापन

*402. श्री ई. अहमद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए विदेशी निवेशकों द्वारा कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) ऐसे कितने औद्योगिक उद्यमों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है और उनके नाम क्या-क्या हैं और भारतीय निवेशकों के साथ यदि कोई समझौता किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी.जे. कुरियन) : (क) से (ग) संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता करना विदेशी सहयोगी और भारतीय पार्टी का आपसी मामला है। सरकार केवल तभी बीच में आती है जब प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश और/अथवा विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

1991-92 (फरवरी, 1992 के अन्त तक) के दौरान 1050 से अधिक विदेशी सहयोगों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से लगभग 360 मामलों में 1200 करोड़ रु. से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश निहित है।

स्वीकृत विदेशी प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम, देश का नामसहयोग का स्वरूप और और विनिर्माण की मदें, भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मन्थली न्यूजलेटर के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित की जाती है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

कागज मिलें

*403. श्री राजेंद्र कुमार शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कागज की कमी को पूरा करने के लिए कागज मिलें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं ? जिनसे इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी जे. कुरियन) : (क) जहां तक कागज की सामान्य किस्मों का सम्बन्ध है, सरकार प्राय: आत्मनिर्भर है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में कागज मिलें लगाने की केन्द्र सरकार की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) आज की स्थिति के अनुसार—(1) आंध्र प्रदेश राज्य में आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि. और (2) महाराष्ट्र राज्य में मै. बल्लारपुर उद्योग लि. से प्राप्त दो प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं। इन प्रस्तावों पर सरकार की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-पांच

*404. श्री हाराधन राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-पांच के निपटान हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) कोयला उद्योग के लिये संयुक्त द्विपक्षी समिति, जिसमें केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि और विभिन्न कोयला कंपनियों के प्रबन्धन के प्रतिनिधि शामिल हैं, का पुनर्गठन कर लिया गया है।

मजदूर संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उक्त अभ्यावेदनों पर उपयुक्त रूप से कार्यवाही की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोयला खनिकों के लिए पेंशन

*405. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेंशन योजना को कोयला खनिकों के लिए भी शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. सगमा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार, व्यक्तिगत रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों के स्वैच्छिक अंशदान पर आधारित एल. आई. सी के माध्यम से एक उपयुक्त अधिकाधिकी योजना तैयार किए जाने के पक्ष में है, जिसका निधि सार्वजनिक क्षेत्र से बाह्य हो और जिसकी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकार पर किसी तरह की देयता न हो।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की मांगे

+

*406. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी गत वर्ष अक्तूबर से अपनी मांगों को मनवाने हेतु आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) डी. डी. ए. कर्मचारी संघर्ष समिति नाम की एक अपंजीकृत, अमान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिये पिछले वर्ष अक्तूबर से आंदोलन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) समिति की मुख्य मांगे और दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भारत सरकार की प्रतिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से है :—

मांगें	प्रतिक्रियाएं
1. दिल्ली विकास प्राधिकरण के त्रिशाखन/द्विशाखन को रोकना।	दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्य-कुशलता को सुधारने के दिल्ली विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाएगा।
2. श्रेणी-III तथा IV के कर्मचारियों के लिये 200/- रुपये प्रति माह का चिकित्सा भत्ता।	अगस्त, 1990 से दिल्ली विकास प्राधि-ने श्रेणी घ तथा श्रेणी ग कर्मचारियों के लिए चिकित्सा भत्ता 90 रुपये तथा 100 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 100 रुपये तथा 110 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। अतः संस्था को चिकित्सा भत्ता बढ़ाने हेतु

	कारण तथा विस्तृत औचित्य बताने के लिये कहा गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के बदले में सी. जी. एच. एस. का विकल्प लेने के लिए भी कहा गया है।
3. साइकिल भत्ते को 40 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाना।	अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण के समूह "ब" कर्मचारियों को साइकिल भत्ते के रूप में 25 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। केन्द्र सरकार में, इस भत्ते की दर 20 रुपये प्रतिमाह है। चूंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह नीति निर्णय लिया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए वही वेतन तथा भत्ते देय होंगे, जो कि केन्द्र सरकार में लागू है, अत: इस अनुरोध को मानने का कोई औचित्य नहीं है।
4. दिल्ली-विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये फ्लैटों का 5 प्रतिशत पुन: लागू करना।	1979 तक, दिल्ली विकास प्राधिकरण निर्मित फ्लैटों के 5% फ्लैट कर्मचारियों को प्राथमिकता आधार पर आवंटन हेतु आरक्षित थे। सरकार द्वारा नियुक्त क्वेजा समिति की सिफारिशों के आधार पर यह कोटा 1979 में समाप्त कर दिया गया था।
5. सभी कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ता/नियत वाहन भत्ते का भुगतान।	सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार केवल ऐसी श्रेणियों, जो कि फील्ड कार्य में लगी हो अथवा जिनके द्वारा निरीक्षण आदि करना अपेक्षित है, के लिए ऐसे भत्ते स्वीकृत किए जा रहे हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उन कर्मचारियों, जो ये भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, के मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 14.2.91 के आदेश संख्या 5 द्वारा 1-11-1990 से नियत यात्रा भत्ता/नियत वाहन भत्ता में प्रति वर्ष 75 रुपए की तदर्थ वृद्धि घोषित की। तथापि

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मांग को फिर से जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

6. कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट रद्द करना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सामान्य तथा अतिरेक स्टाफ को देखते हुए, कर्मचारी निरीक्षण एकक ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उन स्कंधों, जिनका निरीक्षण किया गया है, में कुछ पद समाप्त करने की सिफारिश की है यह कुल मिलाकर संगठन के हित में है। इस प्रकार से, आधिक्य घोषित कर्मचारियों को अन्य विभागों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जा रहा है।

7. दिल्ली विकास प्राधिकरण से सभी प्रतिनियुक्तियों पर गए सभी कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन।

अभी कुल 72 कर्मचारी (कुल संख्या का 0.02 प्रतिशत) पर कार्य कर रहे हैं। सरकार का यह स्पष्ट मत है कि कार्य सम्बन्धी कुशलता के हित को देखते हुए प्रतिनियुक्तियों पर पूर्णतया रोक न लगाई जाए।

8. दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के निकटतम संबंधी के लिए अनिवार्य रोजगार।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार की स्पष्टतया निर्धारित नीतियों का अनुसरण किया जाता है और प्रत्येक मामले की गुणावगुण आधार पर जांच की जाती है। केवल ऐसे मामलों में, जिनमें मृतक कर्मचारी का परिवार दीन-हीन अवस्था में हो, निकटतम सम्बन्धी को समूह "घ" तथा "ग" पद पर रोजगार दिया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले दो वर्षों से अनुकम्पा आधार पर लगभग 200 नियुक्तियां की हैं।

9. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही।

अधिकारियों सहित सभी भ्रष्ट कर्मचारियों, चाहे वे दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित हैं या प्रतिनियुक्ति पर हों, के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। दिल्ली का विकास प्राधिकरण ने वास्तविक प्रकृति के

	सभी आरोपों की जांच के लिए एक अलग सतर्कता विभाग है ।
10 भर्ती विनियमन समिति को हटाना ।	कर्मचारियों/अधिकारियों की अनेक ऐसी श्रेणियां हैं जिनके लिए कोई भर्ती विनियमन निर्धारित नहीं किए गए हैं । इनका प्रारूप बनाया जा रहा है । उस समय तक भर्ती विनियमन समिति बनी रहेगी ।
11. सभी श्रेणियों में कर्मचारियों की पदोन्नति ।	लागू निर्धारित भर्ती विनियमनों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभागीय पदोन्नति समिति तथा पर्सनल डिपार्टमेंट की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर रिक्त पद भरे जाते हैं ।

[हिन्दी]

कोयले की कालाबाजारी

*407. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं को दिये जा रहे कोयले की कालाबाजारी को रोकथाम हेतु क्या उपाय किये गए हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश में कोयले का कितना उत्पादन हुआ तथा उद्योगों और बिजली घरों को कितना कोयला सप्लाई किया गया; और

(ग) उपरोक्त अवधि में मध्य प्रदेश की किन खानों से कोयला मध्य प्रदेश के बाहर भेजा गया और कितनी मात्रा में भेजा गया ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कोयले के काला बाजार पर रोके लगाए जाने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए मांगों का प्रायोजन ताकि केवल वास्तविक उपभोक्ता ही अपनी मांग के अनुसार कोयले की आपूर्ति प्राप्त कर सके ।

(2) विभिन्न उद्योगों के लिए उपयुक्त उपभोक्ता मानदंडों के आधार पर गैस-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की मांगों के प्रयोजनों को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए कोल इंडिया लि. का राज्य सरकारों के साथ सक्रिय सहयोग ।

(3) सुपुर्दगी आर्डरों की स्थानान्तरणता की पद्धति पर रोक।

(4) कोयला कपी स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर परिवाद/शिकायतों की जांच किए जाने के लिए कोयला उपभोक्ता परिषदों की स्थापना किया जाना।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश को कोयले की आपूर्ति अधिकांशतः वे. को. लि., ना. को. लि., सा. ई. को. लि. द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित विद्युत गृहों और उद्योगों को कोयले की की गई आपूर्ति और उत्पादित किए गए कोयले की मात्रा के संबंध में कंपनीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टन में)

कोयला कंपनी का नाम और संबंधित अवधि	कच्चे कोयले का उत्पादन	कोयले की आपूर्ति उद्योगों को	कोयले की आपूर्ति विद्युत गृहों को
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि- (अप्रैल, 91-फरवरी,92)	16.98	0.33	3.48
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (अप्रैल, 91-फरवरी, 92)	39.91	2.50	14.84
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (अप्रैल, 91-जनवरी, 92)	4 58	0.82	3.11

कोल इंडिया लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार नार्दर्न कोलफील्ड्स लि., वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की 128 कोयला खानें पूर्णतः मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इन खानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अप्रैल, 91 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश से बाहर के उपभोक्ताओं को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि, और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को इन खानों से 35.33 मि टन कोयले का प्रेषण किया गया और अप्रैल, 91 से जनवरी, 1992 की अवधि के बीच वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में ऐसी खानों से 09.43 मि. टन कोयले का प्रेषण किया गया।

विवरण I

मध्य प्रदेश में स्थित साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. कोयला खानों की सूची

ए. सोहागपुर क्षेत्र	1. बुरहर सं. 1
	2. तनपुरी भू. ग.
	3. बुरहर सं. 3,
	4. अमलई

ए. सोहागपुर क्षेत्र	5. चाचई
	6. कंगटा
	7. राजेन्द्र ओ. का.
	8. बंगवार
	9. सुभाष इन्क्लाइन
	10. विवेक नगर
	11. नवगांव
	12. धानपुरी ओ. का.
	13. सारदा ओ. का.
	14. अम्लाई ओ. का.
बी. जोहिला	15. बिरसिंह पुर
	16. उमारिया
	17. पाली
	18. नवराजबद (ईस्ट)
	19. नवराजबद (वेस्ट)
	20. पिनोरा कैंप
	21. बिरसिंहपुर 3 और 4
सी. जे. एण्ड के.	22. जमूना 1 और 2
	23. जमूना 3 और 4
	24. जमूना 7 और 8
	25. कोटमा
	26. गोविंदा
	27. भद्रा
	28. जमूना 11/12
	29. मोरा
डी. चिरोमिरी	30. कुरासिया
	31. सोनवानी
	32. चिरोमिरी
	33. एम. सी. पी. एच.

डी. चिरिमिरी	34. वेस्ट चिरीमिरी
	35. नार्थ चिरीमिरी
	36. दुमन हिल
	37. कोरिया
	38. एन. सी. पी. एच. न्यू
	39. कुरासिया ओ. का.
	40. दुमन हिल ओ. का.
	41. कोरिया पेच
	42. वेस्ट चिरीमिरी पैच
	43. चिरीमिरी ओ. का.
ई. बिसरामपुर	44. जयनगर ओ. का.
	45. जयनगर एन. ई.
	46. कुम्दा पुरानी
	47. कुम्दा नई
	48. भटगांव।
	49. बलरामपुर
	50. बिसरामपुर
	51. दुग्गा (कैंप.)
एफ. बैकुंठपुर	52. चुर्चा
	53. चुर्चा (डब्लू)
	54. कटकोना 1 और 2
	55. कटकोना 3 और 4
	56. पांडवपारा
जी. हसदेव	57. एन. जे. के. डी.
	58. एस. जे. के. डी.
	59. डब्लू. जे. के. डी.
	60. डी. सीम
	61. राजनगर
	62. एन. राजनगर

जी. हुसदेव	63. राजनगर 7/8
	64. रामनगर—सी. एल.
	65. झीमर पुरानी
	66. झीमर (बन्द)
	67. एस. झीमर
	68. मलगा
	69. बिजुरी
	70. एस. जे. के. डी. (ओ) (बन्द)
	71. बेहराबांध
	72. पालकीमारा
	73. सोमना इन्क्लाइन
	74. कुरजा
	75. राजनगर ओ. का.
	76. डौला
एच. कोरबा (ईस्ट)	77. बालगी
	78. राजगमर
	70. बांकी
	80. सुराकाचर
	81. सुराकाचर 3 और 4
	82. सुराकाचर 5 और 6
	83, बेलबाडीह
	84. मानिकपुर
आई. कोरबा (वेस्ट)	85. गेवरा
	86. दीपिका
	87. कुसमुंदा
	88. लक्मण
	89. दीपिका (विस्तार)
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	90. झींगुरडीह
	91. धोरधी

	92. जयंत
	93. अमलोहरी
	94, गोरबी "बी"
	95, निगाही
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	96, पाथाखेरा-I
	97, पाथाखेरा-II
	98, सतपुरा-I
	99, सतपुरा-II
	100, शोभापुर
	101, सरनी
	102, रावनवोरा
	103, रावनवोरा खास
	104, ई, टी, सी,
	105, मामोरी
	106, न्यूटन
	107, चांदामेटा
	108. एन/चांदामेटा
	109, महादिओपुरी
	110, गजनदिओ
	111, इकलेहरा
	112, शिवपुरी
	113, चंदा
	114, शिवपुरी-I ओ, का,
	115, शिवपुरी-II ओ, का,
	116, सेथिया ओ, का, प,
	117, विशनपुर ओ, का, प,
	118, मोहन
	119, अम्बारा
	120, सुकरी
	121, झरना/धोरवानी

122, दमुआ

123, राखीकोल

124, नन्दन-I

125, नन्दन-II

126, बांकी

127, अम्बारा ओ, का,

128, घोरावानी ओ, का,

[अनुवाद]

बिहार में मोम उद्योग

*408. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मोम उद्योग कच्चे माल की कमी के कारण संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मोम उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) पैराफिन वैक्स की मांग स्वदेशी उत्पादन से बहुत अधिक है। स्वदेशी उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए सरकार विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की अड़चनों में, जहां तक संभव होता है, समय-समय पर आयात कर रही है।

"प्रदूषित जल का शुद्धिकरण"

4182. डा. रवि मल्लू :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार प्रदूषित जल को शुद्ध करने हेतु विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई जैविक पद्धतियों से परिचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इस विषय पर कोई अनुसंधान कार्य आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में अनियमितताएं

4183. श्री ललित उरांव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जनवरी, 1992 के "हिन्दुस्तान" हिन्दी दैनिक (पटना संस्करण) में "खाद्य निगम में तीन करोड़ का घपला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) समाचार पत्र की रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों की भारतीय खाद्य निगम द्वारा जांच की जा रही है ।

[अनुवाद]

खाद्य और औषधि प्रशासन को सुदृढ़ बनाना

4184. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पूरे देश के खाद्य और औषधि प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई व्यापक योजना शुरू करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को क्या भूमिकाएं सौंपी गई हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में क्या-क्या भूमिकाएं रखी गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) और (ख) सरकार ने केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर खाद्य एवं औषध प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाने शुरू किए हैं । इनमें खाद्य अपमिश्रण निवारण यूनिटों तथा केंद्र में केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन का विस्तार केन्द्री खाद्य एवं औषध औषधालयों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं तथा खाद्य एवं औषध प्रयोगशालाओं में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था शामिल है । राज्यों में औषध निरीक्षणालयों में और ज्यादा स्टाफ देने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों तथा औषध एवं प्रसाधन अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों में, केन्द्रीय सरकार को दी गई भूमिका मुख्य रूप से क्रमः खाद्य एवं औषध के मानकों को प्रतिवादी करना। तथापि, लाइसेंस को जारी करने/ लाइसेंसों का निरस्तीकरण करने, खाद्य एवं औषध आदि की गुणवत्ता की जांच करने के उद्देश्यों के लिए इन अधिनियमों एवं नियमों को लागू करने की बुनियादी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों का संशोधन किया जा रहा है ताकि जैविकों, प्रतिरक्षण जैविकों और अन्त शिरा द्रवों जैसी विनिर्दिष्ट कोटि की औषधों के लिए राज्य सरकार केवल केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ही लाइसेंस जारी करेगी।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से आदिवासियों के लिए कल्याण योजनाएं

4185. **श्री हीरेलाल जाटव :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पठारी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के कल्याण के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मुफ्त रेल यात्रा पास

4186. **श्री राम लखन सिंह यादव :**

क्या रेल मंत्री 30 जुलाई 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1012 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1991 से अब तक श्रेणीवार कितने मुफ्त पास जारी किए गए हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जुलाई 1991 से 15-3-1992 तक जारी किये गये मानार्थ कार्ड पासों की वर्जावार संख्या नीचे दी गई है :

वातानुकूल पहला दर्जा	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
3	54	8

करनाल रेलवे स्टेशन पर बुक स्टालों का आवंटन

4187. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर रेलवे के करनाल रेलवे स्टेशन पर बुक स्टालों के आवंटन के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां। एक आवेदक ने करनाल स्टेशन पर बुक स्टाल ठेके का अन्तिम रूप दिए जाने में अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया था।

(ग) से (ङ) जी हां। इस सम्बन्ध में की गई जांच से पता चलता है कि ठेके के आबंटन को अन्तिम रूप देने में कुछ विलम्ब हुआ था। लेकिन यह मूलतः प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब था। जांच से यह भी पता चला है कि बुक स्टाल का आवंटन नियमानुसार किया गया था और जो सही था।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मुख से पुनर्जलीकरण चिकित्सा पद्धति

4188 श्री माग्ये गोबधन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख से पुनर्जलीकरण की पद्धति के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) पिछले स्तर पर इस योजना का क्या प्रभाव रहा है;

(ग) उड़ीसा में इस योजना के कार्यान्वयन से पूर्व दस्त का बीमारी के परिणामस्वरूप शिशु की रुग्णता और मृत्यु दर क्या थी और अब यह कितना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थन) : (क) राष्ट्रीय मुखसंजीव पुनर्जलपूरण चिकित्सा योजना के तहत भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा 4 लाख चिकित्सा और परा-चिकित्सा कर्मचारियों तथा 30,000 प्राइवेट चिकित्सकों को अलग-अलग प्रशिक्षित किया जा चुका है। मेडिकल कालेजों में 39 अतिसार प्रशिक्षण और उपचार एकक स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1986-87 से 1990-91 के मध्य 80.4 लाख रुपये के मूल्य के मुखसंजीव पुनर्जलपूरण नमक की आपूर्ति सभी राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों को की गई है। अतिसार को रोकथाम के लिए सघन संचार कार्यक्रम चलाया गया है तथा घर में ही उपलब्ध घोलों एवं मुखसंजीव पुनर्जलपूरण नमक का प्रयोग भी किया गया है।

(ख) 1989 और 1991 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अतिसार के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 42% माताओं ने तथा शहरी क्षेत्रों में 49% माताओं ने और अधिक तरल पदार्थों का प्रयोग किया एवं अतिसार होने के दौरान 68 प्रतिशत तक माताओं ने अपने बच्चों के स्तन-पान कराना जारी रखा।

(ग) भारत के महापंजीयक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा में अनुमानित शिशु-मृत्यु-दर 1985 में 46.2 से घटकर 1988 में 37.2 हो गई। तथापि, शिशु मृत्यु और रुग्णता दर के सिलसिले में विस्तृत रोगवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्राइवेट अस्पतालों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों का उपचार

4189. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों/पेंशन भोगियों विधवाओं को सरकारी अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालों में उपचार करवाने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सुविधा के और विस्तार करने का तथा इसे कर्मचारियों/पेंशन प्राप्तकर्ताओं/विधवाओं को उनकी इच्छा पर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञों की सलाह पर अथवा जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यरत है उससे संबंधित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के ऊपर निदेशक के अनुमोदन से सरकार/नगर निगम के अस्पतालों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत मान्यताप्राप्त प्राइवेट अस्पतालों से उपचार प्राप्त करने की अनुमति सभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के हिताधिकारियों (सरकारी कर्मचारियों/पेन्शनभोगियों/विधवाओं) को प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के हिताधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्राइवेट अस्पतालों से उपचार की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

ताजमहल का रखरखाव

4190. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान ताजमहल के रख-रखाव और इसकी मरम्मत पर कितना धन खर्च किया गया ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : ताजमहल के रखरखाव और संरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ व्यय निम्नानुसार :

1988-89	रु.	33·00
1989-90	रु.	10.78
1990-91	रु.	29.90

[अनुवाद]

मुम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियों के लिए सीजन टिकट

4191. श्री राम नाईक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम/मध्य रेलवे का विचार यात्रियों की सुविधा के लिए मुम्बई उपनगरीय रेलगाड़ियों के लिए छः महीने का सीजन टिकट जारी करने और बोरीवली में टिकट खिड़की के बंद होने का समय कम करने का है;

(ख) क्या सरकार का रविवार तथा छुट्टियों के दिनों में यात्रियों को शीघ्रता से टिकट दिलाने के लिए चल टिकट बिक्रेताओं को नियुक्त करने का भी विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) बम्बई उपनगरीय खंडों पर रविवार और अवकाश के दिनों में चल बुकिंग लिपिकों द्वारा टिकट बेचने की योजना पहले से ही विद्यमान है।

(ग) भीड़भाड़ वाले यातयात की निकासी के लिये विशेष खिड़कियों पर कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश रेलवे पर 61 और पश्चिम रेलवे पर 100 चल बुकिंग लिपिक पहले ही तैनात किये गये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सम्बलपुर डिवीजन

4192 श्री मृत्युंजय नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर (उड़ीसा) में रेलवे डिवीजन के निर्माण हेतु अब तक कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) उक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1149.72 लाख रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में 31-3-92 तक प्रत्याशित खर्च 917.08 लाख रुपये है और 1992 की अवधि के लिए 232.64 लाख रुपये की शेष राशि की व्यवस्था की गई है।

(ग) 31-3-1993 तक इस निर्माण कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है, यद्यपि सम्बलपुर में रेलवे मंडल 31-3-1990 से काम कर रहा है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र

4193. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को सरकार द्वारा कुल कितनी अनुग्रह सहायता दी गई है;

(ख) वर्ष 1987.88 से लेकर इस केन्द्र को कुल कितनी आय प्राप्त हुई है;

(ग) इस केन्द्र द्वारा वर्ष 1987-88 से खर्च की गई कुल राशि का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(घ) इस केन्द्र द्वारा वर्ष 1987-88 से वर्ष-वार शुरू किये गये सांस्कृतिक परियोजनाओं और कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) इन पर वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदानों का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

(i) केन्द्र का आरम्भिक व्यय वहन करने के लिए 00.25 करोड़ रुपए का परिचालन अनुदान ।

(ii) कोर्पस के लिए 25.00 करोड़ रुपये का अक्षय अनुदान । इस धन के निवेश से प्राप्त होने वाली आय का प्रयोग प्रशासनिक व्यय और साथ ही इसके शैक्षिक कार्यक्रमों का व्यय वहन करने के लिए किया जाना है ।

(iii) केन्द्र को भवन-परियोजना के लिए 13.55 करोड़ रुपए ।

(ख) कोर्पस निधि के ब्याज और दान से प्राप्त होने वाली केन्द्र को वर्ष वार आय निम्न प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
(1) 1987-88	294.67
(2) 1988-89	381.05
(3) 1989-90	429·21
(4) 1990-91	444.62
(5) 1991-92	320.74

(29-2-92 तक)

(ग) वर्षवार व्यय निम्न प्रकार है :—

		भवन परियोजना पर
(1) 1987-88	5.45	40.98
(2) 1898-89	44.·6	134.14
(3) 1989-90	251.69	172.33

(4) 1990-91	12.62	369 27
(5) 1991-92	134.23	319.42

(29-2-92 तक)

(च) एक विवरण संलग्न है ।

(छ) विभिन्न कार्यकलापों पर होने वाला व्यय निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

1987-88	40.98
1988-89	134.14
1989-90	172.33
1990-91	369.27
1991-92	319.42

(फरवरी, 1992 तक)

विवरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में चार शैक्षिक प्रभाग हैं, अर्थात् (1) कला निधि, (2) कला कोश, (3) जनपद संपदा और (4) कला दर्शन तथा सूत्रधार नामक एक प्रमुख प्रकाशकीय प्रभाग ।

प्रत्येक शैक्षिक प्रभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

कला निधि :

सन्दर्भ पुस्तकालय :

संदर्भ पुस्तकालया का कार्य 1986 में शुरू हुआ । 1991 तक, पुस्तकालय ने दुर्लभ मुद्रित सामग्री के 80,000 खंड अधिगृहीत किए । इसमें भारतीय और विदेशी संग्रहों से भारतीय मूल की अप्रकाशित पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश प्रतियों का संग्रह है । आज इसमें सूक्ष्म रूप में 20 लाख फोलियो हैं ।

इसके पास सैकड़ों हजारों स्लाइडों से भी अधिक भारतीय कला और एशियाई कला आदि का स्लाइड संग्रह है ।

कला निधि के एक प्रभाग ने अप्रकाशित पांडुलिपियों के सूची-पत्रों के आंकड़ा-आधार का एक संगणीकृत सूची-पत्र एवं कई अन्य आंकड़ा-आधार तैयार किए हैं । हाल ही में, इसने प्रायोगिक आधार पर एक बहुमाध्यम प्रणाली की स्थापना की है । मानविकियों और कलाओं के क्षेत्र में सूचना

प्रणालियों का नेटवर्क तैयार करने के लिए यूनेस्को द्वारा इस केन्द्र को क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है ।

कला निधि का तीसरा प्रभाग अभिलेखीय सामग्री एकत्रित करता है । इसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा दीनदयाल फोटोग्राफिक संग्रह, 2वीं शताब्दी के आरम्भ के संगीत के नटराज संग्रह और स्लाइडों के लांस डेन संग्रह का अधिग्रहण है ।

कला कोश

इस प्रभाग के 1988-1992 तक के अनुसंधान और प्रकाशन निम्नलिखित हैं :—

कलातत्वकोष (तकनीकी शब्दों का शब्दकोश)

कलातत्वकोष शृंखला

कलातत्वकोष खंड I तथा II

कलाचूलशास्त्र शृंखला

मात्रलक्षणम् खंड I

दत्तिलाम खंड II

श्री हस्तमुक्तावली खंड III

श्री कवि कर्ण के पाल, खंड IV, V, VI और VII

बृहद्दसी, खंड VIII

कला समालोचना शृंखला

राम लीजेन्डस एंड रामरिलीफ्स इन इन्डोनेशिया खंड I

दी थाउजेन्ड—आर्मड अवलोकितेश्वर खंड II

आनन्द कुमारस्वामी के चुनिंदा पत्र खंड III

ए. के. कुमारस्वामी द्वारा "व्हाट इज सिविलाइजेशन" ?

ए. के. कुमारस्वामी द्वारा "टाइम एंड एटर्निटी"

एलिस बोनर द्वारा प्रिंसीपिल्स आफ कम्पोजीशन इन हिन्दू स्कल्पचर"

हुमैन नसर द्वारा इस्लामिक आर्ट एंड स्पिरिचुएलिटी ।

जे. एम. मालविले द्वारा रचित टाइम्स एण्ड एटर्नल चेंज ।

रोमां रोला के चुनिंदा पत्र ।

टेम्परालिटी एंड लोजिकल स्ट्रक्चर : एक भारतीय परिपेक्ष्य ।

सृष्टि: इटस् फिलोसोफीकल एन्टेलमेंट

प्रभाग ने 5 सेमिनारें तथा 2 कार्यशालायें आयोजित की हैं, जो कलाओं के लिए एक अवधारणात्मक ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से यूनेस्को द्वारा प्रायोजित की गई हैं।

जनपद संपदा

जनपद संपदा लोक तथा आदिवासी संस्कृति एवं प्रागैतिहासिक कला एवं क्षेत्रीय अध्ययन से सम्बन्धित हैं। प्रभाग ने आदिवासी कला के दुर्लभ रूपों को एकत्रित तथा प्रलेखित किया है। इसने दो वीडियो प्रलेखन भी पूरे कर लिए हैं—एक लाड हरोबा पर तथा दूसरा उत्तर-पूर्वी भारत गांजार पर। इसने अनेक अज्ञात रूपों की स्लाइडें भी एकत्रित की हैं।

इसने ग्रामीण तथा आदिवासी कलाओं का जीवन शैली के रूप में अध्ययन करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में 10 क्षेत्रीय परियोजनायें भी आरम्भ की हैं।

इसने भारत के विशेष क्षेत्रों जैसे तंजावुर इत्यादि के बहु-विषयक अध्ययन भी शुरू किए हैं। वर्ष 1987-1992 के बीच प्रभाग ने एक दर्जन से भी अधिक सेमिनारें तथा कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इसने पहली बार आदिवासी साहित्य की प्रदर्शनी आयोजित की है तथा आदिवासी संगीत का एक संग्रह तैयार किया है। इसके दो सेमिनार यूनेस्को द्वारा प्रायोजित किये गये—एक कई सांस्कृतिक जीवन शैलियों के आदान-प्रदान से संबंधित अध्ययनों पर तथा दूसरा कला के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ पद्धतियों के प्रयोग पर।

भारत तथा विदेशों में प्रागैतिहासिक शैल कला के अध्ययन के लिए इसका एक विशेष कार्यक्रम है। इसने भीमबेटिका तथा अन्य प्रागैतिहासिक शैल कला स्थलों का प्रलेखन किया है तथा अनेक ग्रन्थ सूचियां तैयार की हैं। इसने कठपुतली कला के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया है। इसने वर्ष 1991 में पारंपरिक कठपुतली कला के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।

इसके प्रकाशनों में निम्नलिखित शामिल हैं :

रावारी—कच्छ का एक चरागाही समुदाय।

कठपुतली थियेटर के लिए सौंदर्य की तलाश में

प्राचीन विश्व में शैल कला

कला दर्शन

यह प्रभाग एकल एकीकृत विषय पर सेमिनारें तथा प्रदर्शनियां आयोजित करता है। वर्ष 1986—1991 के बीच निम्नलिखित पर सेमिनार तथा प्रदर्शनियां आयोजित की गईं तथा प्रकाशन निकाले गये—

अंतरिक्ष की अवधारणायें : एक सेमिनार तथा एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। 20 देशों से 65 व्यक्तियों ने भाग लिया। "अंतरिक्ष की अवधारणायें :—प्राचीन तथा आधुनिक" नामक एक खंड प्रकाशित किया गया है। वर्ष 1988 में, आकारा (लक्षन कला) के विषय पर एक प्रदर्शनी, एक सेमिनार, कार्यशालायें तथा व्याख्यान आयोजित किये गए। भारत तथा विदेशों के 61

व्यक्तियों ने भाग लिया। वर्ष 1990 में, टाइम (काल) के विषय पर एक प्रदर्शनी, एक सेमिनार तथा अनेक प्रारंभिक सेमिनारें आयोजित किये गए। इसमें वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, कला-इतिहासकारों आदि ने भाग लिया। भारत तथा विदेशों से 66 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। नवंबर, 1991 में, भारत तथा चीन की गुफा कला पर एक प्रदर्शनी, एक सेमिनार तथा कार्यशालायें आयोजित की गयी। तथा दुनहुआंग (चीन) गुफाओं की भित्तियों की प्रतिकृतियों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। भारत, चीन, रूस, फ्रांस से 22 प्रतिनिधियों ने सेमिनार में भाग लिया।

अंतरिक्ष, आकाश तथा टाइम पर ग्रन्थ सूचियों के अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के संग्रहों पर आधारित पिक्चर पोस्टकार्डों के निम्नलिखित सेट निकाले गये हैं :

भारतीय कबूतर तथा फाख्ताएं

हिमालय पर्वतों से दृश्य

मंजुबेटका के शैल रंगचित्र

ब्रूनर के रंग चित्र

भारतीय कबूतर तथा फाख्तायें

स्वर्ग के पक्षी

केलिको रंगचित्र तथा मुद्रण

भारत में प्राचीन वास्तुकला

दुनहुआंग ग्रोट्टोज की कला

बिहार में संस्कृत विद्यालय

4195 श्री भोगेन्द्र झा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने संस्कृत विद्यालय/महाविद्यालय हैं;

(ख) उनमें से कितने विद्यालयों/महाविद्यालयों को बोर्डों/विश्वविद्यालयों की मान्यता प्राप्त है और कितने विद्यालय/महाविद्यालय पांच वर्षों से अधिक समय से परीक्षाओं का आयोजन करते आ रहे हैं; और

(ग) सरकार ने देश में, विशेषकर बिहार में संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) मन्त्रालय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने देश में बिहार सहित अन्य राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए विशेष सहायता की योजना के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं जिनमें

स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, तिरुपति और नई दिल्ली के दो समाविश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, मौखिक वैदिक परम्परा का संरक्षण, एवं अखिल भारतीय वक्तृता कौशल प्रतियोगिता तथा संस्कृत शिक्षा के विकास को वित्तीय सहायता योजना शामिल है।

[हिन्दी]

रेल परिवहन संस्थान में हिन्दी माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम

4195. डा. साक्षीजी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल परिवहन संस्थान द्वारा किये जाने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रम को हिन्दी माध्यम में शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अश्विनीकुमार) : (क) से (ग) रेल परिवहन संस्थान रेलवे कार्यपालकों, कर्मचारियों और अन्य व्यावसायिक व्यक्तियों का एक गैर सरकारी, अलाभप्रद निकाय है जिसे सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है और यह परिवहन, विशेष कर रेल परिवहन से सम्बन्धित विषय के अध्ययन और अनुसंधान को समर्पित है। सोसायटी को ऐसा कोई निदेश जारी करना सम्भव नहीं है कि इस संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में हिन्दी माध्यम लागू किया जाये।

[अनुवाद]

मस्तिष्क ज्वर के कारण मौतें

श्री ए. चार्ल्स :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मस्तिष्क ज्वर के कारण देश में वर्षों से हो रही मौतों की संख्या में वृद्धि होने के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी के कारण कितनी मौतों के समाचार मिले हैं;

(ग) क्या अधिकांश सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में मस्तिष्क ज्वर के टीके उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस बीमारी की रोकथाम करने और पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. जाडा देवी सिंदार्थ) : (क) उपलब्ध आंकड़ों से मेनिन्जाइटिस से हुई मौतों की संख्या में वृद्धि होने का संकेत नहीं मिलता है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सक्रिय रोगक्षमता के विकसित होने में समय लगने के कारण मेजिन्जाइटिस की महामारी में वेक्सीन की सीमित भूमिका होती है। यही नहीं, मेनिंगालोकल मेनिन्जाइटिस में जन टीकाकरण लागत सार्थक नहीं है और इसकी सिफारिश नहीं की जाती है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसलिए समुचित कार्यवाई करना राज्य सरकारों का काम है। तथापि, मेनिन्जाइटिस प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिए सामान्यतया निम्नलिखित कदम उठाये जाने होते हैं : —

1. रोगियों का शुरू में ही निदान और उपचार।

2. रोगवाहकों का पता लगने पर उन्हें रसाय-चिकित्सा रोकथाम प्रदान की जानी चाहिए।

3. विशेषतौर पर स्कूलों में सम्पर्क की रसायचिकित्सा से रोकथाम।

4. अधिक भीड़ भाड़ को कम करने के लिये पर्यावरणिक स्थितियों में सुधार।

5. अधिक जोखिम वाले लोगों को टीका लगाना।

नवयुग विद्यालय

4198. **श्री गुरुदास कामत :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नवयुग विद्यालयों को 10+2 स्तर के नवयुग विद्यालयों में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने विद्यालयों को परिवर्तित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) इस वर्ष आठवें दर्जे तक के नवयुग स्कूलों का 10+2 के दर्जे में बदलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा अनुदान आयोग

4199. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति एक चिकित्सा अनुदान आयोग गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सिद्धांत रूप से स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा आयोग गठित करने का निर्णय किया गया है। स्वास्थ्य विज्ञानों के सभी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने और उसका समन्वय करने के लिए वह सभी सम्बन्धितों से परामर्श करके कदम उठाना, इस आयोग की सामान्य भूमिका होगी।

योग्य शिक्षकों की कमी

4200. श्री पी. एम. सईद :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन में योग्य शिक्षकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने दमन में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) दमन और दीव प्रशासन के अनुसार स्कूलों में नामांकन में वृद्धि के कारण सेकेण्डरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों (विज्ञान विषय) के पदों की कमी है। तथापि, दमन में शिक्षकों के मौजूदा पद रिक्त नहीं हैं।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति

4201. श्री मदन लाल खुराना :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति से कर्मचारियों/पेंशन प्राप्तकर्ताओं को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिली है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चिकित्सा प्रभार प्रतिपूर्ति नीति के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति लेने का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसकी सभी कमियों को दूर करने के लिए इसकी समीक्षा करने का है;

(ङ) सरकार के पास लंबित पड़े चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की संख्या कितनी है, ये कब से लंबित पड़े हुए हैं और इनको निपटाने में हुई देरी के क्या कारण हैं; और

(च) चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी कितने झूठे मामले पकड़े गए हैं तथा ऐसे दावों को निपटाने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यदि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई लाभभोगी उक्त क्षेत्र में संबंधित सरकारी विशेषज्ञों की पूर्व अनुमति से राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के किसी अस्पताल से उपचार प्राप्त करता है तो चिकित्सीय खर्चों का पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाती है।

(घ) ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रहा है।

(ङ) 20 फरवरी, 1992 तक सरकार के पास 2690 बिल लंबित पड़े हुए हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है। इस विलंब का कारण कुछ दावों का अपूर्ण होना है। कुछ मामलों में गैर-मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों से उपचार प्राप्त किया गया है और कुछ मामलों में पेंशनभोगियों के पास केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विधिमान्य कार्ड नहीं था। हाल ही में, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं के कारण दावों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

(च) ऐसे किसी दावे का पता नहीं लगा है।

चैनपुर (बिहार) में उपरि पुल

4202 श्री बुधनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोमा-बरकाकाना सेक्शन में चैनपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए उपरि पुल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किये जाने और नियमानुसार ऐसे कार्यों का लागत वहन करने के लिए विधिवत सहमत होने पर ही रेलें ऐसे ऊपरी पुलों के निर्माण की योजना बनाती हैं।

रेलवे सम्पत्ति को क्षति

[अनुवाद]

4203. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय बिहार में "आर्थिक नाकेबन्दी" से रेल सम्पत्ति को भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी रेल सम्पत्ति की क्षति होने का अनुमान है; और

(ग) भविष्य में रेल सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) 2.3 1992 से 6.3.1992 तक "अखिल झारखंड छात्र यूनियन" द्वारा किए गए आन्दोलन के कारण रेल संपत्ति को 11,000 रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भेद्य स्थलों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की यथावश्यक सुरक्षा की जा रही है, रेल पथ पर गश्त लगायी जा रही है तथा गाड़ियों से पहले पायलट इंजन चलाए जा रहे हैं और उनका मार्गरक्षण किया जा रहा है । चूंकि यह एक कानून और व्यवस्था की समस्या है इसलिए स्थिति से निपटने तथा रेल सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त न होने देने के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क भी बनाए रखा जा रहा है ।

बांकुरा दामोदर रेल लाइन

4204. श्री सुबुन्धु खां :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पश्चिम बंगाल में बांकुरा दामोदर रेल लाइन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ है; और

(ख) इस मार्ग को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार हुई हानि इस प्रकार है :—

1988-89	1,04,27,000 रुपये
1989-90	1,17,21,000 रुपये
1990-91	1,13,78,000 रुपये

(ख) सेवाओं को और अधिक कुशल और किफायती बनाने के लिए एक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया गया था और परिचालन व्यय को कम करना तथा लाइन को अर्थक्षम बनाना संभव नहीं पाया गया है ।

खड़गपुर डिवीजन में रेलवे प्रयोक्ता समिति

4205. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़कपुर डिवीजन में फिलहाल कोई रेलवे प्रयोक्ता समिति कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) खड़गपुर मंडल की मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति 1.4.92 से 31.3.94 तक दो वर्ष की अवधि के लिए गठित की गई है।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार है :—

(i) स्थानीय चैम्बर ऑफ कामर्स/ट्रेड एसोसिएशनों, औद्योगिक और कृषि संगठनों के प्रतिनिधि.....6

(ii) पंजीकृत यात्री एसोसिएशन.....2

(iii) संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधि..... प्रत्येक का।
(राज्य सरकार से नामांकन की प्रतीक्षा की जा रही है)

(iv) संबंधित राज्य विधान सभा के प्रतिनिधि प्रत्येक का।
(राज्य सरकार से नामांकन की प्रतीक्षा की जा रही है)

(v) संसद सदस्य : 2) 1 लोक सभा से
1 राज्य सभा से)
(संसदीय कार्य मंत्रालय से नामांकन की प्रतीक्षा की जा रही है)

(vi) उपभोक्ता संरक्षण संगठन के प्रतिनिधि..... 1 (नामांकन की प्रतीक्षा है)

(vii) महाप्रबंधक द्वारा नामांकित.....1

(viii) विशेष हित" श्रेणी के तहत मंत्री द्वारा नामांकन .....

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कार्यरत स्वयं सेवी संगठन

4206. श्री उदय बर्मन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अनक्षरता उन्मूलन हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन्होंने अपने अनक्षरता उन्मूलन अभियान सम्बन्धी लक्ष्य-प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ग) प्रत्येक संगठन के लक्ष्य तथा क्रमशक्ति की निगरानी करने की क्या प्रणाली है; और

(घ) प्रत्येक संगठन की उपलब्धता की क्या स्थिति है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) संस्वीकृत तीनों पूर्ण साक्षरता परियोजनाओं से सम्बन्धित तीनों की तीनों स्वैच्छिक एजेंसियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	कार्य क्षेत्र	परियोजना की अवधि	शामिल किए गए निरक्षरों की संख्या
1. ग्राम स्वराज्य परिषद, रंगिया, जिला कामरूप	रंगिया ब्लाक	2 वर्ष	24,000
2. मोरी गांव महिला महफिल मोरी गांव, असम	मयांग	1 वर्ष	38,000
3. बरखेतड़ी उन्नयन समिति असम	बरखेतड़ी	2 वर्ष	23,000

(ख) क्रम संख्या 1 और 2 की स्वैच्छिक एजेंसियों ने परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में सूचना भेज दी हैं । क्रम संख्या 3 की स्वैच्छिक एजेंसी की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

(ग) कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली विकसित की जा चुकी है और इसे देश में असम सहित सभी स्वैच्छिक एजेंसियों को परिचालित किया जा रहा है । तथापि स्वैच्छिक एजेंसियों ने अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं ।

(घ) क्रम संख्या 1 और 2 की स्वैच्छिक एजेंसियों ने हाल ही में अध्ययन शिक्षण सामग्री की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है । क्रम संख्या 3 की स्वैच्छिक एजेंसी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

डाक्टरों की मांगों सम्बन्धी समिति

4207. श्री प्रद्योत डेका :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 25 फरवरी, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक्टरों की मांगों की जांच कर रही अधिकारियों की समिति कब नियुक्त की गयी थी;

(ख) समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(घ) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) इस समिति की नियुक्ति के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किये गए हैं। वैसे, जैसा कि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री द्वारा निर्णय लिया गया है, सदस्यों के रूप में स्वास्थ्य सेवा अपर महानिदेशक और तत्कालीन उपसचिव (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा) के साथ अपर सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक समिति ने 16 दिसम्बर, 1991 से सेवारत डाक्टर संगठनों की संयुक्त कार्यवाही परिषद के प्रतिनिधियों को सुनना आरम्भ कर दिया।

(ग) और (घ) इस समिति को सभी वर्गों के सेवारत डाक्टरों की शिकायतों की जांच-पड़ताल करनी थी। इस समिति ने सेवारत डाक्टर संगठन की संयुक्त कार्यवाही परिषद, विशेषज्ञ संघों के प्रतिनिधियों और डा. बी. पी. मलिक और अन्य (उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका संख्या 683/90 में याचिकाकर्त्ता) के साथ कई बैठकें की थीं। इस समिति ने 16 मार्च, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

"वन भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग"

4208. श्री. राम कापसे :

श्री शंकर सिंह बाघेला :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1990 के दौरान वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए किए गये उपयोग के सम्बन्ध में कोई जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) कैलेण्डर वर्ष 1990 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विभिन्न वनेतर प्रयोजनों के लिए 1,38,551.33 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति प्रदान की गई। इसमें मध्य प्रदेश में 1980 के पहले के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए 1,03,873.658 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग भी शामिल है। इस प्रकार वर्ष 1990 के दौरान, मध्य प्रदेश में अवैध कब्जों को नियं-

मित करने के लिए उपयोग में लाई गई वन भूमि को छोड़कर, 34,677.672 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाया गया जो सामान्यत: बहुत अधिक नहीं है कैलेण्डर वर्ष 1990 के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदित किये गये उन प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं जिनमें 500 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को उपयोग में लाया जाना शामिल है। सभी प्रस्तावों को उचित जांच और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से गुण-दोष के आधार पर अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कैलेण्डर वर्ष 1990 के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदित उन प्रस्तावों के ब्यौरे, जिनमें 500 हे. से अधिक वन भूमि को उपयोग में लाया जाना शामिल है :

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अन्तर्निहित वन क्षेत्र (हे. में)	अनुमोदित होने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश मे अवैध कब्जो को नियमित करना	1,03,873.65	5.7.90 और 6.7.90
2.	मध्य प्रदेश	—वही—		
3.	पश्चिम बंगाल	नदी तटों से बोल्डरों का संग्रहण	5,751.00	22.5.90
4.	हिमाचल प्रदेश	कोल पन-विद्युत परियोजना	954.69	11.6.90
5.	बिहार	कोयल कारो एच ई पी	865.00	6.7.90
6.	उत्तर प्रदेश	दुधी चूना खेरिस कास्ट प्रोजेक्ट (उत्तरी कोल फील्ड्स लि.)	1,305.00	31.7.90
7.	उड़ीसा	सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना	1,166.07	7.8.90
8.	मध्य प्रदेश	सागर जिले में फील्ड फायरिंग रेंज	12,267.65	7.8.90

1	2	3	4	5
9.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर जिले में राजघाट बांध	626.07	14 9.90
10.	मध्य प्रदेश	गुना जिले में राजघाट बांध	1,085.23	14.9.90
11.	उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा जिले में तिपोली नहर	574.00	17.9.90
			1,28,468.36 (ए)	

केन्द्रीय माल गोदाम

4210. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख नगरों में विभिन्न माल गोदामों के स्थान पर एक केन्द्रीय माल गोदाम स्थापित करने का है;

(ख) यदि, हां तो तत्सम्बन्धी, स्थान-वार, ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केवल वर्तमान माल गोदामों को भीड़-भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों से बाहर सिफ्ट करने के लिए महत्वपूर्ण शहरों में नये माल गोदामों के निर्माण की योजना बनाई जाती है।

गुंटूर-तेनाली रेल लाइन पर फ्लाई ओवर का निर्माण

4211. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंटूर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर गुंटूर-तेनाली रेलवे लाइन पर फ्लाई ओवर निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किये जाने और नियमानुसार इन कार्यों की लागत वहन करने की विधिवत सहमति देने पर ही रेलें ऐसे निर्माण कार्यों का शुरू करने की योजना बनाती हैं।

[हिन्दी]

चीनी का मूल्य

4212. श्रीमती शीला गौतम :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में खुले बाजार में चीनी के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खुले बाजार में उपलब्ध चीनी के मूल्य को अपेक्षा कम मूल्य पर आयातित चीनी के उपलब्ध होने के बावजूद चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो मूल्य में इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान खुले बाजार में चीनी की कीमतों में कोई अभूतपूर्व वृद्धि नहीं हुई है जो कि सितम्बर, 1991 की तुलना में मार्च 1992 (16 मार्च, 1992 तक) के महीनो के दौरान देश के चार प्रमुख बाजारों में प्रचलित चीनी की थोक कीमतों की निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाएगा :

प्रमुख बाजार	(रु./प्रति क्विंटल) (एस-30 ग्रेड) खुले बाजार में चीनी की थोक कीमतों का स्तर	
	सितम्बर, 1991	मार्च, 1992 (16.3.92 तक)
1. दिल्ली	910-925	880-890
2. बम्बई	840-860	850-870
3. कलकत्ता	935	890-900
4. मद्रास	793-838	838-843

(ख), (ग) व (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा

4213. श्री अम्मा जोशी :

श्रीमती दीपिका एच. ठोपीवाला :

श्रीमती कृष्णेंद्र कौर (दीपा) :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) इस समय किन-किन राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा जारी है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान उक्त कार्यक्रम पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवंटित की जाने वाली राशि में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धी सभी कार्यक्रम सभी राज्यों/संघशासित प्रशासनों में कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को जारी की गई राज्यवार अनुदान राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-83 के लिए आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	733.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.43
3.	असम	261.36
4.	बिहार	232.35
5.	गोआ	—
6.	गुजरात	231.23
7.	हरियाणा	948
8.	हिमाचल प्रदेश	31.18
9.	जम्मू व कश्मीर	32.00
10.	कर्नाटक	575.97
11.	केरल	21.68
12.	मध्य प्रदेश	435.50
13.	महाराष्ट्र	503. 28
14.	मेघालय	12.01

1	2	3
15.	मणिपुर	22.28
16.	मिजोरम	4.15
17.	नागालैंड	17.72
18.	उड़ीसा	681.35
19.	पंजाब	96.31
20.	राजस्थान	457.76
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	699.13
23.	त्रिपुरा	7.55
24.	उत्तर प्रदेश	492.01
25.	पश्चिम बंगाल	1171.11
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	8.43
27.	चण्डीगढ़	11.47
28.	दादरा और नागर हवेली	3.29
29.	दमन व दीव	0.27
30.	दिल्ली	55.16
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	11.61
		6828.03

विधवाओं को अनुग्रह आधार पर पेंशन

4214. प्रो. (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मण :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्य निधि सुविधाओं सहित सेवा निवृत्ति होने वाले रेल कर्मचारियों की विधवाओं को अनुग्रह आधार पर पेंशन देती है;

(ख) क्या ऐसी विधवाओं को मुफ्त पास सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शासित और 1.1.1986 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए मृत रेल कर्मचारियों की विधवाएं और आश्रित बच्चे 1.1986 से या मृत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से, जो भी बाद में हो, प्रति माह 150 रुपये की अनुग्रह पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं । 1.1.1986 से देय अनुग्रह पेंशन, 1.1.1986 से पूर्व सेवा के दौरान मरे अंशदयी भविष्य निधि हिताधिकारियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों को भी अनुमेय है । बहरहाल, उपर्युक्त भुगतान, संगत नियमों और आदेशों में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के पूरा करने पर निर्भर करता है ।

(ख) और (ग) जी हां । योजना के अनुसार मृत रेल कर्मचारियों की विधवाएं मानार्थ पासों के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों । पेंशन पर सेवा निवृत्त हुए रेल कर्मचारियों की विधवाओं और अंशदयी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों की विधवाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं है ।

नागपुर डीजल शेड

[हिन्दी]

4215. श्री मोहन लाल झिकराम :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर डीजल शेड का विस्तार करने के लिए वर्ष 1989 से कितनी धनराशि दी जा चुकी है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान इस डीजल शेड में कितने डीजल इंजनों की मरम्मत की गई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने प्रति इंजन के हिसाब से कितने कर्मचारियों की स्वीकृति दी है और इस समय कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) इस डीजल शेड में अपेक्षित कर्मचारी कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नागपुर क्षेत्र में मोतीबाग में छोटी लाइन के डीजल शेड का विस्तार कार्य 1990-91 में शुरू किया गया और अभी तक इस संबंध में 14 लाख रुपए दे दिये गये हैं,

(ख) नागपुर डीजल शेड में छोटी लाइन के 58 रेल इंजनों को खड़ा किया जाता है, बहरहाल, डीजल इंजनों की ओवरहालिंग डीजल शेड में नहीं की जाती है,

(ग) मानदण्ड के अनुसार सीधे अनुसरण कार्य के लिए प्रति इंजन लगभग 7.5 व्यक्ति स्वीकृत किए गए हैं जबकि नागपुर शेड में इस समय प्रति रेल रेल इंजन 7.3 व्यक्तियों की ही व्यवस्था है,

(घ) मानदण्ड पूरे करने के लिए अतिरिक्त पदों को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव किया गया है।

डालीगंज (लखनऊ) में उपरि पुल

4216. श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लखनऊ, उत्तर प्रदेश में डालीगंज फाटक पर उपरि पुल का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जाने और नियमानुसार इन कार्यों की विधिवत लागत वहन करने के लिए सहमत होने पर ही रेलें ऐसे ऊपरी पुलों के निर्माण की योजना बनाती हैं।

चीनी उद्योग में रुग्णता

[अनुवाद]

4217. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को पिछले दो महीनों के दौरान चीनी की और अधिक मात्रा जारी करने के संबंध में राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ और भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या चीनी की खुली बिक्री से चीनी मिलों की वसूली काफी कम हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार चीनी उद्योग की रुग्णता को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान खुली बिक्री की चीनी की और अधिक मात्रा जारी करने के संबंध में राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ और भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन से खाद्य मंत्रालय में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ मास के दौरान देश के चार प्रमुख बाजारों में खुली बिक्री की चीनी की थोक कीमतों के स्तर में कोई विशेष कमी देखने में नहीं आई है जोकि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगा :—

(रुपए प्रति क्विंटल)
(एस-30 ग्रेड)

	दिल्ली	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास
जनवरी 92	850-875	820-858	860-880	808-858
फरवरी 92	870-888	850-870	900	843-858
मार्च 92 (16 मार्च, 92 तक)	880-890	850-870	890-900	838-843

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

4218. **श्री मुहोराम सेकिया :**

श्री सन्तोष कुमार गंगवार ।

श्री उदय प्रताप सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष छूट देकर प्रवेश दिए जाने के प्रश्न की जांच करने के लिए चन्दूलाल चन्द्राकर समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) । (क) और (ख) शासी बोर्ड ने श्री चन्दूलाल चन्द्राकर, सांसद और तत्कालीन शासी बोर्ड के सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया ताकि केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के दाखिले के संबंध में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जा सके :—

(I) विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को, विशा निर्देशों में ढील देकर दाखिला देने की शक्ति प्रदान करना ।

(II) विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए आवंटित 20 सीटों की संख्या में वृद्धि करना ताकि रिसर्च एनलिसिस विंग के कर्मचारियों को शामिल किया जा सके ।

(III) टाट इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई के कर्मचारियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालय कोलाबा बम्बई में कुछ सीटें आरक्षित करना ।

(IV) विशेष छूट के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयो में दाखिला देने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष को शक्ति प्रदान करना ।

(ग) से (ङ) संगठन को दिनांक 2.8.1988 का अध्यक्ष का आदेश प्राप्त हुआ कि व्यापक सामाजिक विचारणीय मुद्दों के मामले में ही दाखिले में विशेष छूट दी जानी चाहिए। विशेष छूट के आधार पर दाखिला देने के निर्णय को उत्तरवर्ती अध्यक्ष द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

पत्रकारों को रेल पास

[हिन्दी]

4219. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विख्यात पत्रकारों को निःशुल्क रेल पास जारी करने हेतु क्या मानदंड हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान अभी तक प्रत्येक राज्य में कुल कितने विख्यात पत्रकारों को रेल पास जारी किए गए हैं

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय मानार्थ कार्ड पास जारी करने के संबंध में है। प्रत्यायित पत्रकारों को ऐसे मानार्थ कार्ड पास जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लक्ष्मीकान्तपुर-नामखाना बज बज लाइन

4220. श्री राधिका रंजन प्रमाणिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मीकान्तपुर-नामखाना और बज बज-नामखाना रेल लाइनें बिछाने का कार्य किस वर्ष शुरू किया गया;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितने किलोमीटर लाइनें बिछाई जा चुकी हैं;

(ग) कितने किलोमीटर लाइन बिछाने का कार्य अभी बाकी है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस लाइन को नामखाना से बक्खाली तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लक्ष्मीकान्तपुर-नामखाना रेलवे लाइन का निर्माण कार्य 1987 में आरम्भ किया गया था।

(ख) इस परियोजना पर 31.3.92 तक 16.76 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। आशा की जाती है कि इस परियोजना का 9 कि. मी. 31.3.92 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) इस निर्माण कार्य की वर्तमान स्वीकृत लागत 39.16 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, शेष 38 कि. मी. लाइन को पूरा करने के लिए 22.40 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत पड़ेगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कोचिंग संस्थायें

4221. डा. सी. सिलवेरा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा दिल्ली प्रशासन के अधीन मुक्त विद्यालय और पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय जैसे कुछ संस्थान क्रमश: माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर वैकल्पिक विषय के रूप में गणित की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान संस्थानों का बोझ हल्का करने के लिए दिल्ली में ऐसे और अधिक संस्थान स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खुला स्कूल, जो एक स्वायत्त संगठन है, दूरस्थ शिक्षण प्रणालियों द्वारा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम चलाता है और अपनी परीक्षायें आयोजित करता है। पत्राचार विद्यालय नामक संस्था जो दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण में है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्ययन स्कीम के अनुसार पत्राचार पाठ्यक्रम चलाती है। राष्ट्रीय खुला स्कूल और पत्राचार विद्यालय दोनों के छात्रों के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित ऐच्छिक विषय है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय खुला स्कूल और पत्राचार विद्यालय दिल्ली के अपने विद्यार्थियों की आवश्यकतायें पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

रामागुडम से लाक्कूर तक रेल सम्पर्क

4222. श्री दत्तात्रेय बडाक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामागुंडम से लातूर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए काफी समय पूर्व सर्वेक्षण कराया गया था;

(ख) क्या इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कांगड़ा घाटी में रेल फाटक/उपरि पुल

422. श्री डी. डी. खनोरिया :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर रेलवे में कांगड़ा घाटी में व्यस्त रेलवे क्रासिंग पर रेल फाटक/उपारपुलों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उक्त स्थानों पर कितने रेल फाटकों/उपरि पुलों का निर्माण किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से कांगड़ा घाटी में 12 स्थानों पर समपारों की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये स्थान हैं :

(1) हरसर बेहरी-नागणी लिंक रोड (2) चर अरेट के समीप (3) दौलतपुर-जलार रोड पर (4) नगरोटा-बरवां के समीप (5) पठानकोट जोगन्दर नगर खंड पर कि. मी. 17/42 पर (6) गांव बासा-बखोरा के समीप (7) रादा के गांव के समीप (8) बरिया के समीप खुडवत गांव में (9) मासून गांव के समीप (10) पठान कोट जोगिन्दर नगर लाइन पर 136/4 कि. मी. पर (11) तलाड़ा गांव के समीप (12) सुमेव-मुंडेला-दौलतपुर रोड पर।

हिमाचल प्रदेश सरकार से ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में संस्कृत विश्वविद्यालय को सहायता

4224. प्रो. के. वी. थामस :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल स्थित कालडी में संस्कृत विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि की सहायता दी गई; और

(ख) यह किस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के के दौरान भारत सरकार ने कालडी में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केरल राज्य सरकार को 1.00 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया।

हिन्दी[

रोग प्रतिरक्षण टीकों के कारण मौतें

4225. श्री राम टहल चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रोग प्रतिरक्षण टीके के प्रतिकूल प्रभाव के कारण राज्यवार प्रतिवर्ष कितने बच्चों की मृत्यु हुई; और

(ख) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी, के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान टीकों के कारण मरने वाले बच्चों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमके अन्तर्गत हर वर्ष 2 करोड़ 50 लाख गर्भवती महिलाओं और 2 करोड़ 20 लाख शिशुओं को रोग प्रतिरक्षित किया जाएगा। यद्यपि रोग प्रतिरक्षण एक सुरक्षित क्रिया विधि है फिर भी रोग प्रतिरक्षण के बाद बहुत ही थोड़े से मामलों में कुछ प्रतिकूल घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। वैसे टीकों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करके, चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के प्रतिरक्षण, उपकरणों की आपूर्ति करके और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पूरी तकनीकी सहायता देकर प्रतिरक्षण के कारण परिहार्य मौतों के खतरे को कम करने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं। उपयुक्त तापमानों पर टीकों के रख-रखाव के लिए देश भर में एक कोल्डचेन प्रणाली स्थापित की गई है। प्रत्येक रोग प्रतिरक्षण के लिए विसंक्रमित सिरिंजों और सुइयों के उपयोग पर जोर दिया गया है। इन सिरिंजों और सुइयों को उपयुक्त रूप से विसंक्रमित करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

रोग प्रतिरक्षण के पश्चात हुई किसी मृत्यु को 48 घंटों के भीतर एक चिकित्सीय दल द्वारा जांच-बीन किये जाने की आवश्यकता होती है। जांच दल की रिपोर्टों के आधार पर आवश्यक उपचारात्मक और अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

विवरण

मृत बच्चों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य	1989	1990	1991
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	3	1

1	2	3	4	5
2.	असम	0	1	5
3.	गुजरात	0	2	0
4.	हरियाणा	0	1	1
5.	हिमाचल प्रदेश	3	1	0
6.	मध्य प्रदेश	0	9	0
7.	महाराष्ट्र	0	1	0
8.	मिजोरम	0	0	0
9.	उड़ीसा	2	1	0
10.	राजस्थान	1	0	0
11.	सिक्किम	1	1	0
12.	तमिलनाडु	2	0	2
13.	उत्तर प्रदेश	4	0	1
14.	पश्चिम बंगाल	0	1	0
15.	कर्नाटक	0	0	2
16.	केरल	0	0	1
		12	21	13

[अनुवाद]

सियालदाह डिविजन में ग्रुप "डी के अमिकों को रोजगार

4226. **श्री आयनल अबेदिन :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदाह डिविजन के अन्तर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों में ग्रुप "डी" के अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो स्टेशन-वार कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है; और

(ग) इनकी भर्ती हेतु क्या मानदंड रखे गये थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में स्कूल भवन के निर्माण हेतु सहायता

4227. **श्री के. मुरलीधरन :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, वालुस्सेरी के भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां तो दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक उपलब्ध कराने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

रेलवे सैलून का उपयोग

4228. प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में जोन-वार कितने सैलून हैं और उनसे कितनी बोगियां जुड़ी हैं;

(ख) इन सैलूनों के रखरखाव और उन्हें चलाने पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या दैनिक यात्रियों के उपयोग के लिए इन सैलूनों को यात्री गाड़ियों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारत के राष्ट्रपति के उपयोग के लिए केवल एक युग्म सैलून है। इसके अलावा, भारतीय रेलों पर 31.3.1991 की स्थिति के अनुसार 752 निरीक्षण यान (332 बोगियां, 406 चौपहिया तथा 14 छः पहिया) हैं। रेलवे वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है :—

निरीक्षण यानों की अनुरक्षण लागत का रिकार्ड अलग से नहीं रखा जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) निरीक्षण यानों को मरम्मत तथा अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए समग्र कोचिंग बेड़े का भाग समझा जाता है तथा इन निरीक्षण यानों को साधारण सवारी डिब्बों में बदलना न तो व्यावहारिक है और न ही वांछनीय।

विवरण

31.3.1991 को प्रत्येक रेलवे पर निरीक्षण यानों की संख्या

रेलवे	बड़ी लाइन			मीटर लाइन			
	बोगी	चौपहिया	जोड़	बोगी	चौपहिया	छःपहिया	जोड़
मध्य	15	73	88	—	—	—	—
पूर्व	29	62	91	—	—	—	—
उत्तर	56	37	93	13	13	—	26
पूर्वोत्तर	10	5	15	29	17	13	59
पूर्वोत्तर सीमा	4	3	7	32	10	1	43
दक्षिण	15	11	26	28	10	—	38
दक्षिण मध्य रेलवे	9	19	28	14	21	—	35
दक्षिण पूर्व रेलवे	33	69	102	—	—	—	—
पश्चिम	20	35	55	15	21	—	46
जोड़	191	314	505	141	92	14	247

[हिन्दी]

पटना में उपनगरीय रेल सेवा

4229. श्री विजय कुमार यादव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना रेलवे स्टेशन की विकास परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार यहां कोई उपनगरीय रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पटना जंक्शन के विकास और आधुनिकीकरण का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है इस योजना के अन्तर्गत 216.07 लाख रुपये की लागत से निम्नलिखित कार्य पूरे हो चुके हैं :—

1. प्लेटफार्म नं. 2 का विस्तार।
2. अतिरिक्त विश्राम कक्षों की व्यवस्था।
3. केन्द्रीय जल शीतक की व्यवस्था।
4. तीसरे ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था।
5. तीसरे ऊपरी पैदल पुल पर सायबान का विस्तार।
6. डाउन प्लेटफार्म लाइन सं. 1 पर सवारी डिब्बों में पानी भरने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था।
7. तीसरे ऊपरी पैदल पुल का परिचालन क्षेत्र के दक्षिणी छोर तक विस्तार।
8. कोटा-पत्थरों से प्लेटफार्म सतह और बेंडिंग स्टालों की मरम्मत।
9 दक्षिणी पहुंच बुकिंग कार्यालय में सुधार।
10. प्लेटफार्म शेड की मरम्मत।
11. पीने के पानी की सप्लाई-व्यवस्था में सुधार।
12. परिचालय क्षेत्र के पूर्वी मार्ग को सुन्दर बनाना।
13. प्लेटफार्म नं. 1 से 4 की रेल-पथ सतह की मरम्मत।
14. प्लेटफार्म. 2 और 3 पर मस्तगी डामर बिछाना।
15. ऊपरी पैदल पुल, प्लेटफार्म और कारलाइट फ्लोरिंग फाइबर ग्लास छोटों, आदि की मरम्मत।
16. ऊपरी पैदल पुल के मुख्य प्रवेश द्वार, स्टेशन अधीक्षक कक्ष, दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय और अल्पाहार गृह की मरम्मत और नवीकरण।
17. प्रतीक्षालय के फर्निचर को बदलना :

उपर्युक्त कार्यों के अलावा, 60.88 लाख रुपये की लागत से दक्षिण की ओर स्टेशन इमारत के विस्तार का कार्य भी शुरू किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की पिराई

4230. श्रीमती सरोज दुबे :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में सभी चीनी मिलों द्वारा गन्ने के कुल उत्पादन के कितने प्रतिशत भाग का पिराई हो रही है;

(ख) क्या यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ग) यदि हां, तो कितना; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) 1990-91 चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान उत्तर प्रदेश का चीनी फैक्ट्रियों ने 50.9 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत का तुलना में उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले गन्ने के 31·6 प्रतिशत का पिराई की।

(घ) चीनी फैक्टरियां ज्यादा मात्रा में गन्ने की पिराई कर सकें, इसके लिए सरकार ने 1991-92 के चालू मौसम के दौरान एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी जिसके तहत 1-10-91 से 15-11-91 तक की अवधि के दौरान पेराई किए गए गन्ने से उत्पादित चीनी पर 55 प्रतिशत के सामान्य खुली बिक्री कोटे की तुलना में 72% खुली बिक्री कोटा मंजूर किया गया है।

[अनुवाद]

अंकतालिकाओं और प्रमाणपत्रों का वितरण

4231. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के छात्रों को केन्द्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड से काफी लम्बे समय से अपनी अंकतालिकाएं और प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छात्रों विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को अंकतालिकाएं शीघ्र भेजने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अखिल भारतीय माध्यमिक (कक्षा X) और अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक (कक्षा XII) परीक्षा की अंकतालिकाएं सम्बन्धित छात्रों को, परीक्षा परिणाम घोषित होने के सात से आठ दिनों के भीतर उनके स्कूलों द्वारा दी जाती है । व्यक्तिगत उम्मीदवारों के मामले में अंकतालिकाएं परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद पंजीकृत डाक से सम्बन्धित उम्मीदवारों को भेजी जाती है । तथापि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छात्रों को उच्चतर माध्यमिक पूरक परीक्षा, 1990 का अंकतालिकाएं भेजने में कुछ देर हुई ।

[हिन्दी]

[उत्तर प्रदेश में रेल पुल

4232. श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा ।

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे के अन्तर्गत रेल पुलों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने पुलों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान मरम्मत-कार्य पर कितनी धन राशि खर्च की गई है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन पुलों का मरम्मत कार्य शुरू हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 8926 अदद ।

(ख) 2 अदद ।

(ग) 4.09 करोड़ रुपये ।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान 12 पुलों अर्थात मुगलसराय-इलाहाबाद खंड पर 3 अदद, लखनऊ-मुगलसराय खंड पर 3 अदद, लखनऊ-मुरादाबाद खंड पर 2 अदद तथा लखनऊ-कानपुर, इलाहाबाद-फैजाबाद, बरेली-चंदौसी और इलाहाबाद-अमरेली-चिल्किया शाखा लाइनों पर एक-एक पुल का पुनः-स्थापन कार्य पूरा किया गया है ।

लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

4233. श्री मुमताज अंसारी ।

श्री राजेश कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) और अधिक लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठों की स्थापना करने और वर्तमान प्रकोष्ठ को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इन प्रकोष्ठों को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और रेलवे स्टाफ द्वारा इनमें से कितनी शिकायतों पर पूरी तरह कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक नई कार्य संस्कृति और नीति बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पर्याप्त संख्या में जन शिकायत निवारण कक्ष पहले ही कारगर ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) 1991 के दौरान क्षेत्रवार प्राप्त तथा निपटायी गयी शिकायतों का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
मध्य	4184	4112
पूर्व	1759	1754
उत्तर	5080	5080
पूर्वोत्तर	1608	1601
पूर्वोत्तर सीमा	447	440
दक्षिण	2000	1993
दक्षिण मध्य	1629	1615
दक्षिणपूर्व	3085	3107
पश्चिम	3346	3339
जोड़ :	23138	23010

(ग) यह एक निरन्तर और सतत प्रक्रिया है।

(घ) रेलों में कार्य संस्कृति में सुधार लाने के लिए किए गये उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(i) गहन निगरानी रखने के लिए उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनके बारे में जनता से शिकायतें प्राप्त होने की संभावना होती है;

(ii) यात्री सेवाओं में सुधार लाने के लिए विशिष्ट प्रयास किए जाते हैं। यात्री सुविधाओं के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि की गई है;

(iii) स्टेशन, मंडल और क्षेत्रीय स्तरों पर सेवा सुधार दल गठित किए गए हैं;

(iv) यात्री आरक्षण का उत्तरोत्तर संगणकीकरण किया जा रहा है। 1992-93 तक 77 प्रतिशत आरक्षण कम्प्यूटरों से किया जाने लगेगा।

(v) खानपान की गुणवत्ता में सुधार लाया जा रहा है;

(vi) कर्षण, भाड़ा परिकलन, यात्री आरक्षण, वस्तु सूची प्रबन्ध, चल स्टाक प्रबन्ध के क्षेत्रों और परिचालन सम्बन्धी नीतियों में प्रायोगिकाय आधिनव लागू किए जा रहे है।

(vii) परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग करने के लिए, बाजार के रुख के अनुरूप विपणन नीतियां अपनाई जा रही हैं;

(viii) जनता से सीधे सम्पर्क में आने वाले कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें उन्हें शिष्टाचार की भाषा और जन-व्यवहार में कुशलता का बोध कराया जाता है।

[अनुवाद]

क्षय-रोग-रोधी कार्यक्रम

4234. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टुबरकुलोसिस एसोसिएशन आफ इण्डिया ने क्षय-रोग-रोधी गहन कार्यक्रम चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारतीय क्षय-रोग-संघ एक स्वयसेवी संगठन है जो क्षय-रोग नियंत्रण सम्बन्धी कार्यकलाप चला रहा है। भारतीय क्षय रोग संघ ने 24 फरवरी, 1992 को दिल्ली में एक गहन क्षयरोग रोधी कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय क्षयरोग संघ की, रोगियों विशेषतौर से गन्दी बस्तियों में रोगियों का पता लगाने, स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी प्रयासों और इस रोग तथा इसके नियत्रण के बारे में समाज की जागरूकता में सुधार लाने सम्बन्धी कार्यकलापों मे तेजी लाने की योजना है।

"क्षतिपूरक वृक्षारोपण"

4235. श्री गिरधारी भार्गव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों, को विकासीत परियोजनाओं क्षेत्रों में क्षतिपूरक के वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का राज्यवार कार्य निष्पादन क्या रहा है;

(ग) क्या सरकार ने क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में की गई प्रगति की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) जी, हां।

(ख) से (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत 1991 के अन्त तक स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार देश में 3.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वनरोपण किया जाना था जबकि 1991 की वर्षा ऋतु तक 0.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वनरोपण किया गया है। क्षतिपूरक वनरोपण की राज्यवार प्रगति की राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों के नोडल अधिकारियों के साथ पुनरीक्षा की गई है और प्रगति के ब्यौरे अनुबन्ध में दिए गए हैं।

अपेक्षित क्षतिपूरक वनरोपण/वास्तव में किए गए क्षतिपूरक वनरोपण के राज्यवार ब्यौरो को दिखाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	अपेक्षित क्षतिपूरक वनरोपण	वास्तव में किया गया वनरोपण
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12464	2015
2.	अरुणाचल प्रदेश	824	300
3.	असम	916	165
4.	बिहार	2940	60
5.	गोवा	120	93
6.	गुजरात	15463	5717
7.	हरियाणा	280	64
8.	हिमाचल प्रदेश	4753	2142
9.	जम्मू और कश्मीर	1425	288
10.	कर्नाटक	8705	8637
11.	केरल	723	108
12.	मध्य प्रदेश	226319	36016
13.	महाराष्ट्र	31975	16481

1	2	3	4
14.	मणिपुर	नगण्य	—
15.	मेघालय	245	140
16.	मिजोरम	—	—
17.	नगालैंड	13550	4421
18.	पंजाब	76	136
19.	राजस्थान	4025	551
20.	सिक्किम	213	567
21.	तमिलनाडु	588	111
22.	त्रिपुरा	219	185
23.	उत्तर प्रदेश	13831	5390
24.	पश्चिम बंगाल	4359	357
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3467	2026
26.	दादरा और नागर हवेली	—	262
27.	दमन और दीव	—	—
	सकल योग	347480	86252

[हिन्दी]

गुजरात में संग्रहालयों के लिए धनराशि का आवंटन

4236. श्री दिलीपभाई संघानी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पुरातात्विक संगहालय कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) 1991-92 के दौरान इन संग्रहालयों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार धनराशि आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) गुजरात में केवल एक पुरातत्व संग्रहालय है, जो लोथल, जिला अहमदाबाद में स्थित है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियन्त्रण में है।

(ख) इस संग्रहालय के रखरखाव और विकास के लिए वर्ष 1991-92 हेतु 4,38,000/-रु. की राशि आवंटित की गई थी।

(ग) और (घ) मोथल संग्रहालय के लिए वर्ष 1992-93 हेतु 3,94,000/-रु का बजट आवण्टन निर्धारित किया गया है।

कुष्ठ रोग गृहों में सुविधाएं

4237. श्री राम बदन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग गृहों में कुष्टरोगियों की उचित देखभाल की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उनमें कुष्ठ रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) उनकी दशा सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाता है। घर पर उपचार करना कार्यक्रम का एक बुनियादी घटक है केवल सक्रिय रूप से बिमार और जटिल रोगियों तथा कुष्ठ अभिक्रिया वाले रोगियों को ही अस्थायी अवधि के लिए अस्पतालों में भर्ती किया जाता है और यह अवधि एक माह के करीब होती है।

नए कुष्ठ गृह खोलने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। भारत सरकार सभी कुष्ठ रोगियों का घर पर इलाज किए जाने को प्रोत्साहित करती है जोकि कारगर भी है और उनके सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा भी देता है। केवल पुराने कुष्ठ गृहों का रख-रखाव ही राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्यों से इन कुष्ठ गृहों में भर्ती कुष्ठ रोगियों की संख्या में कमी होने की खबर मिली है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में नेहरू युवक केन्द्रों को सहायता

4238. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 1991-92 के दौरान उड़ीसा में नेहरू युवक केन्द्रों को कितना वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान बोलनगीर जिले में नेहरू युवक केन्द्र को सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मन्त्री (सुश्री ममता बनर्जी) : (क) उड़ीसा राज्य में स्थित नेहरू युवा केन्द्रों को 1991-92 के दौरान, कार्यक्रमों के लिए 7,17,395 रुपये की राशि दी गई है। इसके अलावा, उड़ीसा के नेहरू युवा केन्द्रों से संबंधित स्थापना व्यय, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवकों की वृत्तिका और प्रशिक्षण के लिए क्रमश: 2,99,898रुपये, 2,37,294रुपएतथा21,462 रुपये की राशि भी दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देना

4239. श्री तेजनारायण सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर चिकित्सा संबंधी योग्यताओं को मान्यता देती है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशों में शिक्षा प्राप्त ऐसे डाक्टरों की सेवाओं का समुचित उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 12 से 14 में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता देने की व्यवस्था की गई है। भारत से बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई स्नातकोत्तर अर्हताओं सहित मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजगीर को बोध गया से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण

4240. श्री राजेश कुमार :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990 के दौरान बोध गया को राजगीर के साथ रेल सेवा से जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भवनों के निर्माण हेतु राज्यों को सहायता

4241. रामनारायण डेरवा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों के भवन तथा प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किस मानदण्ड को अपनाया जाता है;

(ख) क्या उक्त निति के अन्तर्गत 1986-87 के बाद खोले गए नए विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने विद्यालयों में भवन तथा प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह : (क) और (ख) आमतौर पर केन्द्र सरकार स्कूल भवनों के निर्माण और प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती तथापि, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.ई.पी.) के अन्तर्गत गुजरात, और कश्मीर, पंजाब और राजस्थान राज्यों को उपरोक्त प्रयोजना के वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ग) और (घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन प्रस्तावों के लिए जिनमें स्कूल भवनों और प्रयोगशालाओं का निर्माण और स्कूल में सुविधाओं का स्तरोन्नयन सम्मिलित है, राजस्थान सरकार को वर्ष 1991-92 के दौरान 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

[अनुवाद]

"विशाखापटनम् में सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण यंत्र"

4242. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, दि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ने वहि-

स्राव और उत्सर्जन मानकों का पालन करने के लिए अपने सभी प्रमुख प्रक्रमों में प्रदूषण नियंत्रण उपाय कर लिए हैं। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने सल्फर डाई आक्साइड उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए डबल कनवर्सन डबल एबजार्वशन तथा उसके बाद टेल-एण्ड स्क्रबर प्रक्रिया स्थापित कर ली है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के पास सल्फरडाई-आक्साइड उत्सर्जनों के लिए निर्धारित मानकों को छोड़कर अन्य सभी निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए अपने सभी प्रक्रमों में आवश्यक उपकरण हैं। इस इकाई ने इस मानक का 1992-93 तक अनुपालन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एकलाखी-बेलूरघाट रेल लाइन

4243. **श्री सुव्रत मुखर्जी :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकलाखी-बेलूरघाट रेल लाइन बिछाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी तक केवल इक्लाखी और और गाजोल के बीच मिट्टी संबंधी काम ही किया गया है।

(ख) 3,000 रुपए।

(ग) 1,000 रुपए।

(घ) परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

"वन रक्षकों को अग्नेयास्त्र"

4244. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुरक्षा हेतु वन रक्षकों को अग्नेयास्त्र देने का है;

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों में ये शस्त्र दिये जाते हैं उनके नाम सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) "जैवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए आधार भूत ढांचे का विकास" नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का सभी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को यातायात और संचार उपकरणों के अतिरिक्त, शस्त्र उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

बिहार का आर्थिक और भौगोलिक अध्ययन

4245. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय से बिहार की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति पर विदेशी सहायता से एक शोध पत्र तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कार्य में क्या प्रगति हुई है और इसका प्रकाशन कब तक उपलब्ध होने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में बिहार के विश्वविद्यालयों या बिहार अनुसंधान और विकास परिषद से सलाह ली गई है;

(घ) यदि हां, तो उनसे क्या सलाह प्राप्त हुई; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता

4246. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संलग्न ऐच्छिक संगठनों के नामों का, राज्य-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक संगठन को 1989 से अब तक प्रत्येक कार्यक्रम हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ओलचिकी लिपि

4247. श्री कृष्णा मराण्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संथाल, हो, मुण्डा, उरांव जनजातियों की भाषा लिपि ओलचिकी है;

(ख) क्या सरकार का विचार संथाल, हो, मुण्डा, उरांव जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए ओलाचकी लिपि को मान्यता प्रदान करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, (के. मा. भा. सं.), मैसूर के अनुसार ओलचिकी मात्र संथाली भाषा की एक लिपि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है और पश्चिम बंगाल ने 1979 से इसे मान्यता दे दी है।

(ख) केन्द्र य सरकार द्वारा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के लिए लिपियों को मान्यता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। लिपि का विकल्प इस राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र के प्रशासन पर छोड़ दिया गया है, जहां भाषा प्रयोग में लाई जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हसन और होल नरसीपुर स्टेशनों पर विश्राम कक्ष

4248. श्री जी. माडेगौडा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हसन और होल नरसीपुर रेलवे स्टेशनों पर कितनी विश्राम-कक्ष हैं;

(ख) क्या यह विश्राम कक्ष यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ग) क्या इन स्टेशनों पर कुछ और विश्राम कक्षों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हासन रेलवे स्टेशन पर दो बिस्तर वाला एक विश्राम कक्ष है। होलनरसीपुर रेलवे स्टेशन पर कोई विश्राम कक्ष नहीं है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पुनर्रोजगार

4249. श्री पी. जी. नारायणन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अपने सेवानिवृत्त अध्यापकों को पुनर्नियुक्त करने का अधिकार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विधान पारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक, अध्यापक संघों की संयुक्त कार्यवाही समिति ने इसका विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन की योजना के अनुसार, जिसे इस विभाग ने जुलाई, 1988 में परिचालित किया था, शिक्षकों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश दिशानिर्देशों के अनुसरण में विश्वविद्यालय सेवा निवृत शिक्षक को 65 वर्ष की आयु तक पुनः रोजगार दे सकता है।

सेवानिवृत शिक्षकों के पुनः रोजगार के लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने अपनी सांवि-धियों/अध्यादेश में प्रावधान किए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना

4250. श्री शशि प्रकाश :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार, उत्तर प्रदेश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इलाहाबाद में चैल में एक पूर्ण रूप से विकसित महिला महाविद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु आठवीं योजना में कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु ताकि वे विकास प्रक्रिया में लाभ भोगी बन सकें, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं। विश्व. अनु. आयोग नये कालेज स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान नहीं करता। कालेजों की स्थापना सामान्यत: राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/निजी न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वि. अ. आ. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने पात्र महिला कालेजों के लिए आठवीं योजना में सामान्य विकास के वास्ते सहायता प्रदान करने सम्बन्धी मानदण्डों में निम्नप्रकार छूट दी है :—

— न्यूनतम छात्र-नामांकन में अन्य कालेजों के लिए 250 की तुलना में महिला कालेजों के लिए 150 तक की छूट दी गई है।

— अन्य कालेजों के लिए 10 की तुलना में महिला कालेजों के लिए शिक्षकों की न्यूनतम संख्या केवल 5 आवश्यक है।

— आयोग लड़कों के छात्रावासों के लिए 75% की तुलना में महिला छात्रावास के लिए 100% सहायता प्रदान करता है।

"ओपन हार्ट सर्जरी" सुविधायें

4.51. श्री गंगाधर सानीपल्ली :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधाओं वाले अस्पतालों का राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्रीमती डी.के. तारा देवी सिद्धार्थ): उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 43 अस्पताल/संस्थायें हैं जिनमें ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधायें हैं। ऐसे अस्पतालों/संस्थाओं का राज्यवार विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधाओं वाले अस्पतालों/संस्थाओं की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अस्पतालसंस्था का नाम
1	2	3
1.	दिल्ली	1. गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल।
		2. सफदरजंग अस्पताल।

1	2	3
		3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।
		4. बत्रा अस्पताल ।
		5. नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट ।
		6. एस्कार्ट हार्ट केयर सेन्टर ।
2.	तमिलनाडु	1. दक्षिणी रेलवे मुख्यालय अस्पताल, पेराम्बूर, मद्रास ।
		2. क्रिश्चियन मेडीकल कालेज और अस्पताल, वेल्लोर ।
		3. अपोलो अस्पताल, मद्रास ।
		4. मद्रास जनरल अस्पताल, मद्रास ।
3.	महाराष्ट्र	1. के. ई. एम. अस्पताल, बम्बई ।
		2. जसलोक अस्पताल, बम्बई ।
		3. बम्बई अस्पताल, बम्बई ।
		4. अपोलो अस्पताल बम्बई ।
		5. नानावती अस्पताल, बम्बई ।
		6. ब्रीच कैण्डी अस्पताल, बम्बई ।
		7. नायर अस्पताल, बम्बई ।
		8. हिन्दूजा नेशनल हास्पिटल, बम्बई ।
		9. औंध चेस्ट हास्पिटल, पुणे ।
		10. कबी हॉल, पुणे ।
		11. के. ई. एम. वाडिया अस्पताल, पुणे ।
		12. कमांड हास्पिटल, पुणे ।
		13. सुसेन जनरल अस्पताल, पुणे ।
		14. देशपांडे अस्पताल, नागपुर ।
		15. वानलैस अस्पताल, मिराज, जिला सांगली ।
		16. सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज अस्पताल, पुणे ।
4.	केरल	1. श्री चित्र-तिरुनल इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलाजी, तिरुवनन्तपुरम ।
		2. मेडिकल कालेज, तिरुवनन्तपुरम ।

1	2	3
		3. मेडिकल कालेज, कालिकट ।
5.	कर्नाटक	1. कस्तूरबा अस्पताल, मनिपाल ।
6.	मध्य प्रदेश	1. डी. चंतराम अस्पताल, इन्दौर ।
7.	उड़ीसा	1. एस. सी. बी. मेडिकल कालेज अस्पताल कटक ।
8.	राजस्थान	1. एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर ।
9.	गुजरात	1. सेठ बी. एम. जनरल अस्पताल अहमदाबाद ।
		2. महावीर न्यास अस्पताल, सूरत ।
10.	चण्डीगढ़	1. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ ।
11.	पश्चिम बंगाल	1. एस. एस. एम. एम. अस्पताल, कलकत्ता ।
		2. मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता ।
		3. एन आर एस मेडिकल कालेज अस्पताल, कलकत्ता ।
		4. गांधी स्मृति अस्पताल, कल्याणी, नदिया ।
		5. बिरला हार्ट इंस्टिट्यूट, कलकत्ता ।
12.	उत्तर प्रदेश	1. जी. एस. वी एम. मेडिकल कालेज, कानपुर ।
		2. लक्ष्मीपत सिंहानिया इंस्टिट्यूट आफ कार्डियोलाजी, कानपुर ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में वित्तीय संकट

4252. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अब तक के चरतम वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं कि शैक्षिक कार्य की अधिक हानि न हो ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय का सारा अनुरक्षण तथा विकास सम्बन्धी व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केंद्रीय

सरकार द्वारा वहन किया जाता है । विश्वविद्यालय की योजनेतर निधियां इसकी वित्त समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा निधियों की उपलब्धता पर वार्षिक रूप से आवंटित की जाती हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने वर्ष 1990-91 में दिल्ली विश्वविद्यालय को योजनेतर अनुदान के रूप में 2408.37 लाख रुपए की राशि मुक्त की है तथा वर्ष 1991-92 के दौरान विश्वविद्यालय को अब तक 2501.41 लाख रु. की राशि मुक्त की गई है ।

योजनागत निधियां, वि. अनु. आ. द्वारा, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत विकास सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच करने के बाद ही पांच वर्षीय आधार पर मुक्त की जाती हैं । वि. अनु. आ. ने सूचित किया है कि सातवीं योजना के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय को 799.00 लाख रु. की राशि आवंटित की गई थी । दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आठवीं योजना प्रस्तावों की विस्तृत जांच के बाद, वि. अनु. आ. ने अब तक विश्वविद्यालय को विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 1285.00 लाख रु. की राशि आवंटित की है ।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने अपने आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए कदम भी उठाये हैं जिनमें परीक्षाओं तथा अन्य सेवाओं के लिए शुल्कों में वृद्धि शामिल है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित, सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को आयोग के उपलब्ध संसाधनों के अन्दर पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक कार्यकलापों को धक्का न लगे ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरि-पुल

4253. श्री एम. रमन्ना राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरिपुलों का निर्माण करने सम्बन्धी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17 पर उपरि पुलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण कार्य तभी अनुमोदित किया जाता है जब उनके लिए भूतल परिवहन मन्त्रालय और रेलों के बीच पहले तय किए गए नियमों के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के आधार पर निर्माण की लागत वहन करने की विधिवत सहमति देने के साथ, प्रस्ताव प्रायोजित किए जायं ।

बहरहाल, नई लाइनों पर ऊपरी/निचले पुलों के निर्माण की लागत पूर्णतः रेलों द्वारा वहन की जाती है ।

(ख) और (ग) लागत में भागीदारी के आधार पर शेरूवण्णूर-मंगलोर पर पाल्लपुरम के निकट एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य प्रारंभिक चरण में है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17, रोहा और मंगलोर के बीच प्रस्तावित कोकण लाइन को 17 स्थानों पर काटता है। उन स्थानों पर रेलवे की ओर से ऊपरी/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था की जाएगी। जहां तक बडगरा के निकट रेल लाइन को काटने का सम्बन्ध है, इस कार्य के लिए कार्यक्रम, राज्य सरकार द्वारा नक्शों और अनुमानों को अनुमोदित कर दिये जाने के बाद बनाया जायेगा। जहां तक मंगलोर-शेरूवण्णूर खंड पर शेष 10 स्थानों पर लाइन को काटने का सम्बन्ध है, उनके बारे में राज्य सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रक्त बैंक

4254. श्री संदीपन भगवान थोरात :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे रक्त बैंकों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन रक्त बैंकों के प्रभावी कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ)। (क) देश में 1018 रक्त बैंक कार्य कर रहे हैं। राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) देश में रक्त बैंकिंग पद्धति के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की योजना के अधीन राज्य सरकारों, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित कार्यकलापों को शुरू करने के लिए क्रमिक रूप में सहायता प्रदान की जा रही है :

I. जांच सुविधाओं की स्थापना करना।

II. रक्त बैंकों में आवश्यक उपकरण स्थापित करना।

III. भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई और सुदृढ़ की गई संस्थाओं में कार्मिक शक्ति का प्रशिक्षण।

विवरण

राज्यों संघ राज्यक्षेत्रों का नाम	रक्त बैंकों की कुल सं.
1 2	3
1. असम	6
2. आंध्र प्रदेश	88
3. बिहार	79
4. गुजरात	32

1 2	3
5. हरियाणा	15
6. हिमाचल प्रदेश	7
7. जम्मू व कश्मीर	10
8. कर्नाटक	57
9. मध्य प्रदेश	74
10. महाराष्ट्र	148
11. केरल	47
12. मणिपुर	5
13. मेघालय	5
14. उड़ीसा	43
15. पंजाब	29
16. राजस्थान	20
17. सिक्किम	1
18. तमिलनाडु	121
19. त्रिपुरा	5
20. उत्तर प्रदेश	97
21. पश्चिम बंगाल	88
22. चंडीगढ़	2
23. दिल्ली	26
24. गोवा दमण व द्वीप	5
25. पांडिचेरी	3
26. मिजोरम	1
27. नागालैंड	3
28. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
29. दादरा व नागर हवेली	0
30. अरुणाचल प्रदेश	0
31. लक्षद्वीप	0
योग	1018

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया गया शैक्षिक सत्र

4255. श्री आनन्द अहिरवार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक सत्र अपनाया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : विश्व. अनु आयोग ने शैक्षिक वर्ष 1990-91 से विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वयन के लिए जुलाई, 1989 में एक मॉडल शैक्षिक कैलेण्डर परिचालित किया था। मॉडल शैक्षिक कैलेण्डर में अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक वर्ष अध्यापन के न्यूनतम 180 दिन प्रवेश की अन्तिम तिथि, परीक्षाएं पूरी तथा परिणाम घोषित करने की अन्तिम तारीख दी गई है। विश्व. अनु आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य अधिनियम में शैक्षिक घटनाओं का इसी प्रकार का अनुसूची है, जो सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जा रही है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

4250. डा. (श्रीमती) पद्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति के योग्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के (वर्ग ग तथा घ के) अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों की वर्तमान संख्या क्या है और वे कब से पदोन्नति के योग्य हैं;

(ख) इनमें से कितने कर्मचारियों को यथासमय पदोन्नति दी गई है; और

(ग) अन्य कर्मचारियों को यथासमय पदोन्नति नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डा.के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) किसी रिक्त के होने पर पदोन्नति के लिए पात्रता का ध्यान रखा जाता है चूंकि इस समय अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों की श्रेणी "ग" और "घ" समूह की कोई पद रिक्त नहीं है, अतः केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नियमों के अधीन पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों की संख्या का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुम्बई में लोकल रेल गाड़ियों के संचालन को बंद करना

4257. श्री यशवंतराव पाटिल :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में पिछले महीने लोकल गाड़ियों को बंद किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितनी गाड़ियां रद्द की गई और इनसे सरकार को कितना घाटा हुआ; और

(ग) भविष्य में रेल सम्पत्ति को अगजनी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,

(ख) 1200 उपनगरीय गाड़ियां रद्द की गयी थीं जिसके कारण 47.5 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई,

(ग) कानून और व्यवस्था की स्थिति को सम्हालने और रेल सम्पत्ति की क्षति की रोक-थाम के लिए राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है,

गुजरात में जनजातियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सहायता

4258. श्री चन्दुलाल चन्द्राकर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 के दौरान गुजरात में जनजातियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत कितनी राशि प्रदान की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी के. तारादेवी सिद्धार्थ): संविधान के अधीन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय सेक्टर में प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान गुजरात को आदिवासी उप-योजना के लिए 85.86 लाख रुपये की रकम आबंटित की गई थी।

[अनुवाद]

डाक्टरों द्वारा नकली दवाइयों का निर्माण

4259. श्री उदय प्रताप सिंह :

श्री राम सागर :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री हरिन पाठक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, और मोदी अस्पतालों में चर्म विशेषज्ञों तथा सहायक प्रोफेसरों द्वारा नकली दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है तथा इन्हें मरीजों को दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ङ) सरकार को रोगियों को कुछेक औषधों का नुस्खा लिखने तथा उनको केवल विशेष दुकानों से खरीदने के लिए उन्हें सलाह देने में संबंधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा अन्य अस्पतालों के कुछेक डाक्टरों तथा-कथित संलिप्तता और साकेत, नई दिल्ली में रहने वाले एक डाक्टर द्वारा इन औषधों का विनिर्माण करने के संबंध में दिनांक 9.3.92 तथा 13.3.92 के इण्डियन एक्सप्रेस में छपे आरोपों के बारे में जानकारी है। प्राथमिक जांच-पड़ताल तथा प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संबंधित डाक्टरों को 20.3.92 से निलम्बित कर दिया गया है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि वह सूचित किए गए घोटाले की शीघ्र जांच पड़ताल करे।

रजिस्ट्रारों की नियुक्ति

4260. श्री प्रतापराव बो. भोंसले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकरशाहों को विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रारों के तौर पर नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विद्यमान परम्परा में परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को चालू वर्ष के दौरान ही क्रियान्वित किया जाएगा।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रारों के पदों पर नियुक्तियां विश्वविद्यालयों द्वारा अपने अधिनियमों और कानून के अधीन निर्धारित नियमों के अनुसार स्वयं ही की जाती हैं। मौजूदा नियमों के अधीन वह व्यक्ति जिसने स्नातकोत्तर डिग्री कम से कम 55% अंकों से प्राप्त की है तथा 15 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव रखता है जिसमें से 8 वर्ष का अनुभव उप रजिस्ट्रार अथवा समकक्ष पद पर होना चाहिए, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्ति के लिए भी पात्र है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

करौली (सवाई माधोपुर) को रेल लाइन से जोड़ना

4261. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सवाई माधोपुर जिले में करौली को रेल लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी अस्पतालों में संक्रमण

4262. श्री जीवन शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1992 के ट्रिब्यून में "हाई इन्फैक्शन रे एट गवर्नमेंट हास्पिटल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में स्थित सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में संक्रमण तथा अन्य रोगों की रोकथाम के लिए उठाए गए विशेष कदमों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) गवर्नमेंट राजिन्द्र अस्पताल द्वारा सूचित किया गया है कि इस समाचार में बताए गए सभी मामलों में रोगियों को अस्पताल में दाखिल होने से पहले अस्पताल के बाहर ही संक्रमण हुआ था।

(ग) सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में संक्रमण और अन्य रोगों को फैलने से रोकने के लिए सामान्य सफाई और पर्यावरणिक स्वच्छता के अपेक्षित मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाते हैं। संदूषित पर्यावरणिक स्रोतों को समाप्त करने के लिए आई. सी. यू. और सी. सी. यू. जैसी स्थाई जगहों पर लेमिनार फ्लो वेंटिलेशन और हवा के पदों की व्यवस्था करने जैसे उपयुक्त विसंक्रामक और संक्रमण रहित उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, छोटी अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र में रासायनिक विसंक्रमण और उपकरणों को आटोक्लेविंग सहित सभी आक्रामक क्रियाविधियों के दौरान ऐसपोसिज के कड़े उपाय किए जाते हैं अर्थात गाऊन, मास्क, हैड कवर, दस्तानों, डिस्पोजेबल मदों का इस्तेमाल और ट्रैफिक पर प्रतिबन्ध लगाना।

अनेक सरकारी अस्पतालों में संक्रमण की घटनाओं और व्याप्तता का अनुवीक्षण करने और अस्पताल प्राधिकारियों को अस्पतालीय संक्रमण समस्या पर सलाह देने के लिए एक अस्पतालीय संक्रमण नियंत्रण समिति भी है।

यात्री यातायात की आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता

4263. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्री यातायात पर हो रहे वित्तीय घाटे के लिए उत्तरदायी कारकों को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों से कोई गहन अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) लाभ अर्जित करने वाली दस शीर्षस्थ सुपर फास्ट यात्री गाडियों के नाम क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राजस्व अर्जन का गाडीवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है ।

[हिन्दी]

दिल्ली-मुम्बई ए. सी. एक्सप्रेस को कोटा स्टेशन पर रोकना

4264. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा के औद्योगिक महत्व को देखते हुए यहां पर दिल्ली मुम्बई ए. सी. एक्सप्रेस को रोकने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 2951/2952 नई दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रेस पहले ही कोटा स्टेशन पर ठहरती है ।

[अनुवाद]

राजस्थान में केन्द्र द्वारा प्रायोजित टीकाकरण कार्यक्रम

4265. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां केन्द्र द्वारा प्रयोजित टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार कर इसे लागू किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस राज्य के कुछ अन्य जिलों में भी टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार कर इसे लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस राज्य के समस्त जिलों को कब तक सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ)। (क) से (घ) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जो एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित परिवार कल्याण कार्यक्रम है, 1978-86 में देश के 31 जिलों को लेकर इस चरणबद्ध ढंग से शुरू किया गया, जिसमें से दो जिले (अर्थात कोटा और भरतपुर) राजस्थान के थे। 1989-90 तक देश के सभी जिलों, जिसमें राजस्थान के सभी जिले शामिल हैं, को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है। इस प्रकार राजस्थान के सभी जिलों के अब व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर कर दिया गया है।

केरल के नवोदय विद्यालयों में छात्रों को भोजन की सप्लाई

4265. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के नवोदय विद्यालयों में छात्रों को निम्नस्तर का भोजन दिये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) नवोदय विद्यालय समिति ने सूचना दी है कि कुछ अभिभावकों ने मूल्य वृद्धि होने के कारण बोर्डिंग खर्च बढ़ाने का अनुरोध किया था। समिति ने अक्तूबर, 1991 में प्रति छात्र मेस खर्च बढ़ा दिया है।

[हिन्दी]

हटिया-वाराणसी रेलगाड़ी को पुन: चलाना

4267. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के दौरान निलम्बित की गई हटिया-वाराणसी रेलगाड़ी को अभी तक नहीं चलाया गया है;

(ख) क्या सरकार का हटिया-वाराणसी रेलगाड़ी को पुन: चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गाड़ी पुन: नहीं चलाई गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कम लोकप्रिय होने के कारण ।

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि

4268. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष चावल, गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

खाद्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान चावल, गेहू और अन्य खाद्यान्नों के थोक मूल्यों के सूचकांकों में अन्तर की प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

मद	15.2.92	16.2.91
	16.2.92	16.2.91
चावल	+ 30.1	+ 15.2
गेहूँ	+ 17.3	+ 46.8
ज्वार	+ 62.6	+ 16.0
बाजरा	+ 83.9	+ 14.8
मक्का	+ 40.7	+ 31.1
जौ	+ 18.8	+ 41.9
रागी	+ 35.0	+ 3.4

(ख) खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण खरीफ के अनाजों के उत्पादन में गिरावट, न्यूनतम समर्थन मूल्यों/वसूली मूल्यों में वृद्धि, केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में सामान्य मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति, आदि होना है ।

(ग) मूल्यों पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के गेहूँ और चावल के मासिक आवंटनों में वृद्धि कर दी थी और खुली बिक्री के लिए गेहूँ और चावल की अतिरिक्त मात्राएं निर्मुक्त की थीं तथा एक मिलियन मीटरीटन गेहूँ का आयात करने का भी निर्णय किया है ।

स्टेशनों पर स्टालों का ठेका

4269. डा. परशुराम गंगवार :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन रेलवे स्टेशनों पर चाय, पान-बीड़ी और अन्य स्टालों के लिए ठेके पर स्थान देने का विचार है जहां यह अभी उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो बरेली डिवीजन के ऐसे स्टेशनों का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केवल उन्हीं चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर खान-पान वेंडिंग सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है जहां ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने का औचित्य पाया जाता है ।

(ख) बरेली नाम का कोई रेल मंडल नहीं है । बहरहाल, बरेली एक स्टेशन है तथा इस स्टेशन पर मौजूदा खान-पान/वेंडिंग सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं ।

[अनुवाद]

बाल कल्याण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन

4270. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष न्यूयार्क में बाल कल्याण हेतु हुए विश्व शिखर सम्मेलन में निश्चित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) बाल कल्याण हेतु चालू योजना में कौन से प्रमुख लक्ष्य निश्चित किए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य तथा खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (सुश्री ममता बैनर्जी) : (क) से (ग) जी, हां ।

विश्व शिखर सम्मेलन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय बाल कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया है । इस कार्य दल में सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं । विश्व शिखर सम्मेलन में निश्चित किए गए लक्ष्यों के आधार पर कार्य दल ने राष्ट्रीय बाल कार्यवाही कार्यक्रम का एक प्रारूप तयार किया है जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार, मातृ स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था तथा मल व्ययन के उन्नत सफाई के साधन उपलब्ध कराने आदि के विषय शामिल किए गए हैं ।

मद्रास और पांडिचेरी के मध्य एक्सप्रेस गाड़ी

4271. श्री राममूर्ती तिंडिवनम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और पांडिचेरी मध्य विल्लुपुरम से गुजरने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस गाड़ी को पुन: कब से चालू किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) यातायात का औचित्य कम होने के कारण ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में रद्द की गई रेलगाड़ियां

4272. श्री ओकांत जेना :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान रद्द की गई रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ख) रेलगाड़ियों को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन्हें पुन: चलाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 2 एन जी/3 एन जी नोमाडा-गुनुपुर पैसेंजर

(ख) गाड़ियों की कम लोकप्रियता ।

(ग) जी नहीं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्कूलों/कालेजों और छात्रावासों का निर्माण

4273. श्री शंकरराव काले ।

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्कूलों/कालेजों और छात्रावासों के लिए भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में महिलाओं के स्कूलों के लिए भवनों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना अवधि के दौरान विकास सहायता के एक भाग के रूप में महिलाओं के कालेजों को, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेज भी शामिल हैं, कक्षाओं, पुस्तकालयों, महिलाओं के लिए छात्रावासों, शिक्षक छात्रावासों आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु शत-प्रतिशत अनुदान

दिया जाता है और महिलाओं के कालेजों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों को छात्र नामांकन और शिक्षक संख्या की पात्रता की शर्तों में छूट देते हुए अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग दिवा देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास भवन के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता योजना के अधीन काम-काजी महिलाओं के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई सहायता की राशि भूमि की लागत का 50% तथा भवन निर्माण की लागत का 75% है बने-बनाये भवन की खरीद हेतु भी प्रावधान मौजूद है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों पर भी लागू होती है बशर्ते कि वहां कम से कम 20 कामकाजी महिलाओं को छात्रावास की आवश्यकता हो।

देश में खेल होस्टल

4274. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेल होस्टलों की संख्या कितनी है और ये कब से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये होस्टल युवा खिलाड़ियों और एथलीटों का प्रदर्शन सुधारने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किये गये हैं; और

(ग) इससे किस सीमा तक उद्देश्य पूरा हो सकता है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (सुश्री ममता बनर्जी) : (क) खेल छात्रावास योजना के प्रारम्भ अर्थात 1986 से इस समय तक देश भर में भारतीय खेल प्राधिकरण के 17 खेल छात्रावास कार्य कर रहे हैं। खेल छात्रावासों की स्थापना की तिथियों तथा उनमें शामिल विद्याओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां।

योजना का लक्ष्य आंशिक रूप से प्राप्त हुआ है चूंकि खेल छात्रावास योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उन्होंने विविध स्तरों पर व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में 60 स्वर्ण, 47 रजत और 54 कांस्य पदक विभिन्न विद्याओं में जीते हैं।

विवरण

क्रम सं.	छात्रावास का नाम	स्थापना की तिथि	शामिल की गई खेल विद्याएं
1	2	3	4
	दक्षिण क्षेत्र		
1.	बंगलौर	16.4.1986	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, फुटबाल, हाकी, तैराकी, और जूडो

1	2	3	4
2.	सिकन्दराबाद	1.11.1987	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, वॉलीबाल, जिम्नास्टिक, फुटबाल, लान टेनिस
3.	मद्रास	20.6.1991	एथलेटिक्स, फुटबाल, हाकी, मुक्केबाजी
4.	कालीकट	7.9.1991	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वालीबाल
	उत्तरी क्षेत्र		
1.	भिवानी	11.11.1986	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वालीबाल, कुश्ती
2.	चंडीगढ़ (बालिका)	1.6.1989	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, वालीबाल, हाकी, टेबल टेनिस, लान टेनिस
3.	बिलासपुर	31.3.1987	एटलेटिक्स और वालीबाल
	उत्तर पूर्व क्षेत्र		
1.	गुवाहाटी	30.3.1987	एथलेटिक्स और फुटबाल
2.	डीमापुर	10.7.1987	वालीबाल और फुटबाल
3.	इम्फाल	21.11 1987	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, साइकिलंग, जिमनास्टिक, हाकी, तैराकी, टेबल टेनिस
	पश्चिमी क्षेत्र		
1.	कांदीवाली (बम्बई)	1.9.1989	एथलेटिक्स, वालीबाल, कुश्ती और हाकी
2.	गोवा	1.6.1987	एथलेटिक्स, वालीबाल, फुटबाल, तैराकी
3.	गांधीनगर	31.3.1987	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, हाकी, तैराकी, कुश्ती

1	2	3	4
	पूर्वी क्षेत्र		
1.	कटक	26.3.1987	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, वालीबाल, फुटबाल, जिम्नास्टिक्स, कुश्ती
2.	कलकत्ता	23.1.1989	एथलेटिक्स, फुटबाल जिम्नास्टिक्स, हाकी और तीरंदाजी
3.	सिलीगुडी	1.5.1990	एथलेटिक्स और फुटबाल
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	अलवर	29.1.1987	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, वालीबाल और कुश्ती

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को विदेशों से सहायता

4275. श्री राम विलास पासवान :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा वर्ष 1991 के अन्त तक वर्षवार विदेशों से कितनी सहायता प्राप्त की;

(ख) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से निरन्तर प्रतिभा-पलायन हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से अनुमानित कितने बुत्तक प्रति वर्ष पलायन करते हैं;

(घ) सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक विद्यार्थी पर औसतन कितना खर्च किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार निरन्तर प्रतिभा पलायन और विद्यार्थियों पर होने वाले भारी खर्चे और इससे देश को होने वाले लाभ को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की उपयुक्तता की समीक्षा करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विदेशों में स्थित संस्थाओं के साथ शिक्षण कार्यक्रमों पर आधारित परियोजना के लिए विदेशी सहायता को छोड़कर कोई भी वार्षिक विदेशी सहायता भा. प्रौ. संस्थानों द्वारा प्राप्त नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1986 की भा. प्रौ. सं. की समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20% स्नातक विदेश जाते हैं।

(घ) भा प्रौ सं. के निदेशकों द्वारा अनुमानित प्रति छात्र औसत व्यय वर्ष 1989-90 के लिए अवर स्नातकों के लिए 52,000/- रु. स्नातकोत्तर छात्रों के लिये 77,000/- रु. और पी. एच. डी. के छात्रों के लिये 98,000/- रु. है।

(ङ) और (च) वर्ष 1986 में भा. प्रौ. संस्थानों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करते समय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की समीक्षा-समिति ने देश की तकनीकी-आर्थिक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार और बहुत अधिक दक्षता प्राप्त जनशक्ति के प्रशिक्षण के मूलभूत लक्ष्यों को पूरा करने में भा. प्रौ. सं. द्वारा किए गए योगदानों की सराहना की है। भा. प्रौ. संस्थानों की उपलब्धियां निवेश के अनुरूप हैं।

जनजाति क्षेत्रों में डाक्टरों की तैनाती

4276. श्री के. प्रधानी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डाक्टर शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं के तथा उचित संचार सेवाओं के अभाव में जनजाति क्षेत्रों में जाने में अनिच्छा प्रकट कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का इन डाक्टरों को वहां जाकर काम करने के लिए आकर्षित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का जनजातियों के हितों के लिए डाक्टरों की इस समस्या को कैसे सुलझाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) स्वास्थ्य संविधान के अन्तर्गत एक राज्य विषय है। डाक्टरों की भर्ती और तैनाती राज्य सरकारों के नियंत्रण में आती है। डाक्टरों की भर्ती और तैनाती राज्य सरकारों के नियंत्रण में आती है। डाक्टरों को आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए 8वें और 9वें वित्त आयोगों ने आधारभूत ढांचे से संबंधित सुविधाओं का सृजन करने, आवासीय यूनिटों आदि के लिए क्रमशः 35 40 करोड़ रुपये और 1.95 रुपये का भुगतान किया।

[हिन्दी]

हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का वाल्व बदलने संबंधी सुविधा

4277. कुमारी उमा भारती :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का वल्व बदलने की सुविधा कहां-कहां उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का इस सुविधा को कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों में भी उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ प्रमुख अस्पताल/संस्थाएं, जहां हृदय रोगियों में वाल्वों के प्रतिस्थापन की सुविधा उपलब्ध है, वे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली; आल इंडिया हार्ट फाउंडेशन, नई दिल्ली; सेठ जी. एस. एण्ड के. ई. एम. अस्पताल, बम्बई; श्री चित्र तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लूर आदि ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) चूंकि संविधान के तहत "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, इसलिए पर्याप्त चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं सुलभ कराने के लिए सबद्ध राज्य सरकारें ही जिम्मेदार हैं ।

[अनुवाद]

घटिया होमियोपैथी औषधियां

4278. श्री के. वी. तंग्कावालू :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नकली और घटिया होमियोपैथी औषधियों की बाढ़ आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, देशी तथा आयातित दोनों प्रकार की होमियोपैथिक औषधों के निर्धारित मानकों के अनुसार न होने के कई दृष्टान्त सरकार के ध्यान में आए हैं ।

होमियोपैथिक औषधों की गुणवत्ता मे सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(I) होमियोपैथिक औषधों के निर्माण और बिक्री को 1969 में औषध और प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 के दायरे में लाया गया है ।

(II) होमियोपैथिक औषधों के मानक निर्धारित करने और परीक्षण करने के लिए होमियोपैथिक भेषज संहिता प्रयोगशाला स्थापित की गई है । प्रयोगशाला को नवीनतम उपस्करों से और सुदृढ़ करने के लिए कार्यवाई की जा रही है ।

(III) सरकार द्वारा गठित होमियोपैथिक भेषज संहिता समिति ने 606 औषधों के मानक निर्धारित किए गए हैं और ये भारतीय होमियोपैथिक भेषज संहिता में प्रकाशित किए गए हैं । 104 और औषधों के मानक प्रकाशित किए जा रहे हैं ।

(IV) भारत के औषध नियंत्रक द्वारा घटिया औषधों के पाए जाने पर औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्यों के औषध नियंत्रकों को अनुदेश जारी किए जाते हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

4279. श्रीमती वासवा राजेश्वरी ।

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम के संबंध में विशेषकर सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. ताराकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम आरम्भ (1951-52) से ही शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम रहा है।

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राज्यों को रिलीज की गई सहायता की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान रिलीज की गई धन राशि

लाख रुपए

राज्य		1990-91	1991-92 (फरवरी, 92)
2		3	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3917.58	4787.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	88.67	102.62
3.	असम	1219-87	1602.49
4.	बिहार	4373.24	4372.85
5.	गोवा	92.38	96.76
6.	गुजरात	2664.96	2838.86

1	2	3	4
7.	हरियाणा	1121.51	1276.38
8.	हिमाचल प्रदेश	1166.39	1536.99
9.	जम्मू और कश्मीर	865.96	1092.93
10.	कर्नाटक	3047.79	2768.62
11.	केरल	3253.11	1520.97
12.	मध्य प्रदेश	3934.70	4258.11
13.	महाराष्ट्र	6929-88	5764.45
14.	मणिपुर	215.61	258.82
15.	मेघालय	203.76	177.74
16.	मिजोरम	93.52	114.09
17.	नागालैंड	100.96	127.34
18.	उड़ीसा	2528.58	3247.13
19.	पंजाब	1291.34	1653.21
20.	राजस्थान	2659.75	3293.78
21.	सिक्किम	87.91	106.52
22.	तमिलनाडु	3568.79	4715.40
23.	त्रिपुरा	194.68	210.77
24.	उत्तर प्रदेश	13327.83	8952.07
25.	पश्चिम बंगाल	5151.52	5788.83

'भारत को खोज' भ्रमण योजना

4280. श्री रविराय :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों के विद्यालय-स्तर के बच्चों के लिए एक 'भारत की खोज' भ्रमण योजना आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इसके कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(क) भ्रमण का प्रयोजन आनवासी भारतीय बच्चों और उनकी मातृभूमि के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक सामंजस्य स्थापित करना है।

(ग) प्रस्तावित भ्रमण जून, 1992 के अन्तिम सप्ताह से शुरू होने की सम्भावना है।

अनिवार्य परिवार नियोजन लागू करना

4281. श्री जे. चोक्काराव :

श्री के. राममूर्ति टिंडिवनम :

श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार जनसंख्या विस्फोट नियंत्रण के साधन के रूप में अनुत्साहन खोज रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ देश परिवार नियोजन के लिए आम आदमी को प्रोत्साहित करने हेतु दण्डस्वरूप आयकर लगा रहे हैं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कटौती कर रहे हैं; और

(ग) क्या जनसंख्या नियंत्रण हेतु स्थाई उपाय के रूप में अनिवार्य परिवार नियोजन लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को परिवार नियोजन के लिए आम आदमी को प्रेरित करने के लिए दण्ड-स्वरूप आय कर लगाने और अन्य देशों में अनिवार्य पदार्थों इत्यादि की आपूर्ति में कटौती करने की जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं।

प्रधानाचार्यों के साथ बैठक

4282. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा निदेशक दिल्ली के सीनियर सेकेन्ड्री स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ निश्चित समयांतराल में बैठकें करते रहते हैं जिनमें उप-प्रधानाचार्यों, विशेषकर सीनियर सेकेन्ड्री स्कूलों के प्रधानाचार्यों के अभाव काम करने वाले उप-प्रधानाचार्यों को आमंत्रित नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या शिक्षा के वृहत्तर हित में बेहतर ताल-मेल के लिए उप-प्रधानाचार्यों को भी इन बैठकों में आमंत्रित करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विभिन्न जिलों के सरकारी सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों तथा समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए सरकारी उच्च पदाधिकारियों द्वारा ऐसी बैठकें प्रतिवर्ष एक बार आयोजित की जाती हैं। दिल्ली प्रशासन प्रिंसिपल तथा वाइस प्रिंसिपल दोनों को ही इनमें आमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए ये बैठकें आयोजित की जाती है, स्कूल के प्रमुख की भागीदारी से वह उद्देश्य पूरा हो जाता है।

चीनी उद्योग में घाटा

4283. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शतप्रतिशत क्षमता का उपयोग किए जाने के बावजूद चीनी उद्योग को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान अब तक उद्योग में भारी घाटा हुआ है;

(ख) इन वर्षों के दौरान इस उद्योग ने कितनी क्षमता का उपयोग किया और इसे अनुमानत: कितना घाटा उठाना पड़ा;

(ग) देश में चीनी उत्पादन की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(घ) उक्त घाटे के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (घ) चीनी फैक्ट्रियों के वित्तीय परिणाम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में अलग-अलग होते हैं। चीनी फैक्ट्रियों की लाभप्रदता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे संस्थापित क्षमता, पेराई किये गये गन्ने की मात्रा, प्लांट एवं मशीनरी की स्थिति, तकनीकी एवं प्रबंधकीय दक्षता तथा गन्ने से चीनी का प्राप्ति प्रतिशत एवं पिराई की अवधि आदि। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उठाये गये घाटे, यदि कोई हो, का विवरण संकलित नहीं किया जाता है।

1990-91 मौसम के दौरान क्षमता उपयोगिता 102.3 प्रतिशत थी। 15.2.92 को वर्तमान चीनी उत्पादन क्षमता लगभग 100 लाख टन है। 1991-92 मौसम के लिये क्षमता उपयोगिता की जानकारी मौसम की समाप्ति के बाद पता चल पायेगी।

(ङ) सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं जिनमें लेवी चीनी व खुली बिक्री चीनी का अनुपात 45 : 55 ही जारी रखना, जल्दी तथा देर तक पिराई अवधियों के दौरान किये गए उत्पादन पर उच्चतर खुली बिक्री के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना, गन्ना विकास योजनाओं तथा आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए रियायती ब्याज दरों पर चीनी विकास निधि से ऋण प्रदान करना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

राजमहल, बिहार में कैंसर तथा सिलकोसिस अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

4284. श्री साईमन भगत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र सरकार द्वारा बिहार के संथाल परगना तथा छोटा नागपुर जिलों में कितने स्वास्थ्य संगठनों/अस्पतालों तथा विभिन्न चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में जनजातीय और पिछड़े लोगों के लिए चिकित्सा सुविधायें ना के बराबर हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार साहिबगंज जिले में राजमहल पहाड़ी में एक आधुनिक अस्पताल स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार राजमहल क्षेत्र की कोयला तथा अन्य खानों में काम करने वाले जनजातीय लोगों तथा श्रमिकों के इलाज के लिए एक कैंसर तथा सिलकोसिस अनुसंधान केंद्र खोलने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) चूंकि संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, इसलिए इस क्षेत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अस्पताल/चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र नहीं खोला गया है।

(ख) आदिवासी जनसंख्या को विशेष सुविधायें देने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय उपयोजना चल रही है। भारत सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के मानदंडों को शिथिल करके 5,000 जनसंख्या पर एक उपकेंद्र और 10,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के सामान्य मानदंडों के मुकाबले जनजातीय क्षेत्रों में क्रमश: 3000 जनसंख्या पर एक उपकेंद्र और 20,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर दिया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) संविधान के अन्तर्गत स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और अस्पताल खोलना राज्य सरकार के नियंत्रण में आता है।

(च) से (ज) इस मन्त्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

वृद्ध नागरिकों को यात्रा रियायतें

4285. श्री सो. पो. मुदाल गिरियप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वृद्ध नागरिक संघों से और अधिक यात्रा रियायतें देने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) मांग, बिना किसी दूरी प्रतिबंध के सभी दर्जों में 58 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को रेल यात्रा में रियायत देने के सम्बन्ध में है।

(ग) संसाधनों की तंगी और साधन-सामग्रियों की लागतों में वृद्धि के कारण और अधिक रियायत देने के सम्बन्ध में वृद्ध नागरिकों के अनुरोध को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

पुनलूर तथा कोट्टारकरा स्टेशनों से आरक्षण कोटा

4286. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल एक्सप्रेस, जयन्ती जनता तथा राजकोट एक्सप्रेस के लिए केरल में पुनलूर तथा कोट्टारकरा से आरक्षण कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गाड़ी सं. 2625 तिरुवनंतपुरम-नई दिल्ली-केरल एक्सप्रेस, 1082 केप-बम्बई वी. टी. जयन्ती एक्सप्रेस और 2604 तिरुवनंतपुरम-राजकोट एक्सप्रेस गाड़ियों में पुनलूर और कोट्टारकारा स्टेशनों के लिये प्रत्येक में दूसरे दर्जे की दो-दो शायिकाओं का कोटा पहले से ही उपलब्ध है। आरक्षित स्थान की सीमित उपलब्धता और मौजूदा कोटा धारी स्टेशनों पर कोटे का पूर्ण उपयोग होने के कारण इन स्टेशनों पर अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

रतनपुर और जमालपुर के बीच सुरंग

4287. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतनपुर और जमालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच सुरंग से गुजरने वाली रेल लाइन पर कार्य कब आरम्भ किया गया था और कब पूरा किया गया;

(ख) अभियंताओं ने इस सुरंग का कितना जीवनकाल निर्धारित किया है, और

(ग) क्या यह सुरंग रेलगाड़ियों के यातायात के लिये सुरक्षित है और यदि नहीं, तो इसे सुरक्षित बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सुरंग के साथ-साथ लाइन का निर्माण कार्य 1856 में शुरू किया गया था और इसे 1861 मे पूरा कर लिया गया था।

(ख) सुरग की हालत संतोषजनक है इसलिए इसका कोई निश्चित जीवनकाल निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) जी हां।

स्थानीय रेलगाड़ियों में यात्री डिब्बे

4288. श्री हाराधन राय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अधिकांश स्थानीय रेलगाड़ियों में जीर्ण-क्षीण यात्री डिब्बे लगे हुए हैं;

(ख) क्या इन यात्री डिब्बों में प्रकाश, पंखे और पेय जल जैसी जन सुविधाओं का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन यात्री डिब्बों को बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों को बाध्य होकर, स्थानीय गाड़ियों में कुछ गतायु सवारी डिब्बे लगाने पड़ते हैं क्योंकि धन की तंगी तथा निर्माण क्षमता के अभाव के कारण सभी गतायु सवारी डिब्बों को बदल पाना व्यावहारिक नहीं है। भारतीय रेलों को मजबूरन पुराने और कभी-कभी गतायु डिब्बे भी सेवा में बनाये रखने पड़ते हैं बहरहाल, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे सवारी संरक्षा सम्बन्धी सभी अपेक्षायें पूरी करें।

(ख) भारतीय रेलें हर संभव प्रयास करती है कि, जहां तक हो सके, यात्री सुविधा समिति द्वारा यथा-सस्तुत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। बहरहाल, समाज-विरोधी तत्वों द्वारा चुराई गई फिटिंगों, आदि की कमी को पूरा कर पाना कभी-कभी कठिन हो जाता है। कम दूरी की जगह-जगह रुकने वाली स्थानीय गाड़ियों मे पेयजल की व्यवस्था नहीं की जाती। यात्रीजन स्टेशनों पर उपलब्ध पेयजल की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) से (ङ) पुराने सवारी डिब्बों के बदले नये सवारी डिब्बे लगाना एक सतत् प्रक्रिया है और जब भी नये सवारी डिब्बे उपलब्ध होगे, पुराने सवारी डिब्बों को बदल दिया जाएगा।

"सांप की खाल से बनी वस्तुओं का व्यापार"

4289. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सांप की खाल तथा इससे बनी वस्तुओं का देश के भीतर व्यापार करने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किसी विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और ऐसी कितनी फर्में हैं जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान ये लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1971 की धारा 49 के तहत सांप की खालों और सांपों की खालों से बनाई गई वस्तुओं, जिनको अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के भाग-2 में शामिल किया गया है, के देश के भीतर व्यापार की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल भूमि में वन रोपण

4290 श्री भगवान शंकर रावत :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे भूमि पर वनरोपण योजना के अन्तर्गत अब तक कितने पौधे लगाये जा चुके हैं;

(ख) इन पौधों के रखरखाव के लिए क्या व्यवस्था की गई है और प्रतिवर्ष इस पर शीर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ग) इन वृक्षों से रेलवे को कितनी वार्षिक आय होती है;

(घ) इन में से कौन-कौन से तथा कितने फलदार वृक्ष लगाये गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खाली पड़ी रेलवे भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)। (क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में रेल कर्मचारियों के लिये "मुफ्त कार्ड पास"

4291. श्रीराम नाईक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के रेल कर्मचारियों ने अपने घर से कार्यालय तक यात्रा के लिए "मुफ्त कार्ड पास" जारी किए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसे पासों को देने के सम्बन्ध में वर्तमान पद्धति को जारी रखा जा रहा है और नए मामलों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

रेल कर्मचारियों की बहाली

4292. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या रेल मन्त्री 25 फरवरी, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें 1 अप्रैल, 1980 से सेवा से बर-खास्त निकाल दिया गया था;

(ख) कितने लोगों की अपीलों के पक्ष मे निर्णय दिया गया था;

(ग) कितने लोगों को न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप बहाल किया गया था;

(घ) बाकी बचे कर्मचारियों की संवर्गवार तथा कार्यवार संख्या कितनी है;

(ङ) बचे हुए लोगों में से कितने लोग सेवा निवृत्त की आयु तक पहुंच गए हैं;

(च) इस अवधि मे मर गए लोगों की संख्या कितनी है; और

(छ) बचे हुए कर्मचारियों को किस प्रकार की तथा कितनी आर्थिक राहत देने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ट्रेड यूनियन आंदोलनों में भाग लेने के कारण रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमों के नियम 14 (ii) के तहत 1.4.1980 से और उसके बाद 667 रेल कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त/हटाया गया था।

(ख) उपयुक्त (क) में उल्लिखित कर्मचारियों में से 24 कर्मचारियों की अपीलों पुनरीक्षा याचिकाओं पर अनुकूल निर्णय लिया गया था।

(ग) 294

(घ) 349 क्षेत्रीय रेलों से ग्रेड वार तथा कार्यवार (पदनाम) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) 66

(च) 14

(छ) यह मामला विचाराधीन है।

गेहूं की खरीद

4293. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 और 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्न की क्या स्थिति थी; और

(ख) 1991-92 के दौरान खाद्यान्न की खरीद के लिए राज्य-वार कितना धन आवंटित किया गया और वास्तव में कितना धन दिया गया ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) 1.4.1991 और 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति (यथा उपलब्ध) निम्नानुसार है :—

(लाख मीटरी टन में)

	गेहूं	चावल	मोटे अनाज	जोड़
1.4.1991	56.42	101.73	0.01	158.19
1.3.1992	31.14	92.86	नगण्य	124.00

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए नकदी ऋण सीमा समग्र रूप से निर्धारित की जाती है और वसूली के लिये क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर वे समय-समय पर इस धनराशि का उपयोग करते हैं। वर्ष 1991-92 के लिए क्षेत्रवार लेखे अभी संकलित नहीं किए गए हैं।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम का कार्यालय गोदाम

4294. डा. कार्तिकेश्वर पात्र।

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा के उन जिलों में जहां भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय/गोदाम नहीं हैं; वहां पर भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय/गोदाम खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के पास जिला मयूरभंज (बारीपाड़ा) को छोड़कर उड़ीसा के सभी जिलों में अपने कार्यालय/गोदाम हैं। निगम की इस जिले में भी बड़ायहाड़ में एक गोदाम का निर्माण करने की योजना है।

दांत प्रत्यारोपित करना

4295. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे विश्व के विशेषज्ञ नकली दांतों के उपयोग के बजाय दांत प्रत्यारोपित करने की सिफारिश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों तथा जनता को सरकारी अस्पतालों में उचित दरों पर नकली दांत लगाने दात प्रत्यारोपित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ङ) इस विषय पर विशेषज्ञों की भिन्न-भिन्न राय है क्योंकि जहां परम्परागत नकली दांतों के मुकाबले दांत प्रत्यारोपण के विशेष लाभ हैं, वहां उनकी प्रत्येक मामले में जरूरत नही होती क्योकि उपयुक्त रूप से गढ़े गए नकली दांतों को काफी अच्छी तरह से बैठाया जा सकता है, वे अच्छी तरह से कार्य करते हैं और सुन्दर होते हैं । इस देश में दांतों के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया आरंभिक अवस्था में है । दांत प्रत्योरोपण की तकनीक अधिक महंगी होने के अलावा, इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति उपलब्ध नही है । इस समय सरकारी अस्पतालों में अथवा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियो के लिए नकली दांत/दान्त प्रत्यारोपण की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

4296. डा. लाल बहादुर रावल :

श्री राजबीर सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के सम्बन्ध में आदेश किए हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ । राजभाषा

कार्यान्वयन समिति के गठन के सम्बन्ध में आदेश राजभाषा विभाग द्वारा 7.2.77 और 24.5.89 को जारी किए गए हैं। ये आदेश उक्त विभाग द्वारा प्रकाशित 1991-92 के वार्षिक कार्यक्रम में भी विद्यमान हैं जिसे सभी मंत्रालयों/विभागों को वितरित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यभार के अधीन चारों विभागों में हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

शिक्षा विभाग	—7
संस्कृति विभाग	—3
युवा कार्य तथा खेल विभाग	—5
महिला एवं बाल विकास विभाग	—7

[अनुवाद]

"अन्तर्राष्ट्रीय जल न्यायाधिकरण के समक्ष भारतीय जल प्रदूषण के मामले"

4297. श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय।

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय, तमिलनाडु सरकार तथा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, कोच्ची का इस महीने एम्सटेर्डम में अंतर्राष्ट्रीय जल न्यायाधिकरण के समक्ष जल प्रदूषण के कुछ मामलों के सम्बन्ध में उपस्थित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का ब्योरा क्या है; और

(ग) जल संसाधनों के उपयोग सम्बन्धी कमियों को दूर करने और परिस्थिति की सुरक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चर्मशोधन कारखानों सहित उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार ने पहले से ही कई कदम उठाये हैं। उठाए गए मुख्य कदम इस प्रकार हैं :—

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किये गये हैं।

(2) उद्योगों के लिए स्थान निर्धारण और उनके संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

(3) बहिस्रावों और उत्सर्जनों को निर्धारित मानकों के भीतर रखने के लिए उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की मंजूरी की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

(4) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

(5) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(6) परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

(7) साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह को सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

मैसूर स्टेशन पर आरक्षण कोटा

4298. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर से चलने वाली लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के लिए मैसूर स्टेशन पर आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चूंकि बैंगलूर से चलने वाली गाडियों के लिए मैसूर स्टेशन पर उपलब्ध कोटे का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है; इस लिए इस स्टेशन पर अतिरिक्त कोटे की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि मैसूर स्थित आटो टैक्सट टर्मिनल के माध्यम से भी कोटे के अलावा आरक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं जो बैंगलूर की कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली से जुड़ा है।

"कर्नाटक में सड़क निर्माण के लिए सहायता"

4299. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में वन्यजीवन सुधार परियोजना के अन्तर्गत नागरहोल और हुंसुर के बीच दो लेन वाली दोहरी सड़क का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सड़क के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है, और

(घ) उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जीवमंडल रिजर्वों में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता", "बाघ परियोजना", "हाथी परियोजना" और जीवनमंडल रिजर्व" की स्कीमों के तहत प्रदान की जाती है। कर्नाटक राज्य सरकार को संदर्भाधीन परियोजना के लिए इनमें से किसी भी स्कीम के तहत सहायता नहीं दी गई।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रवृत्ति

4300. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष कुल कितनी राशि की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, और

(ख) राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कला संकाय के कितने छात्रों को गत वर्षों के दौरान जूनियर रिसर्च फैलोशिप प्रदान की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्ति की योजना के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। वि. अ. आ. द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षावृत्ति के रूप में निम्नलिखित राशि प्रदान की है :—

1988-89	451 लाख रु.
1989-90	1092 लाख रु.
1990-91	866 लाख रु.

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय को शिक्षावृत्ति का निर्धारित कोटा आवंटित किया जाता है। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों को, उन बचे हुए उम्मीदवारों के समायोजन के लिए जिन्होंने उस वर्ष में राष्ट्रीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, अतिरिक्त शिक्षावृत्तियां भी प्रदान की जाती है। वि. अ. आ. द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान जूनियर अनुसंधान शिक्षावृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित है :

	1988-89	1989-90	1990-91
उत्तर प्रदेश	590	677	646
मध्य प्रदेश	54	55	40
राजस्थान	110	118	117

[अनुवाद]

"चरागाह वर्धन वृक्षारोपण"

4301. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को चरागाह-वर्धन वृक्षारोपण के लिए सहायता दी है, और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने क्षेत्र में इस प्रकार वृक्षारोपण किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिल्वी चरागाह विकास स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 से 1989-90 की अवधि के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता और इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर बन्द कर दी गई है और इसके आवश्यक घटकों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित ईंधन लकड़ी और चारा प्रयोजनाओं की स्कीम में मिला दिया गया है।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिल्वी चरागाह विकास स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता तथा शामिल क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे।

राज्य का नाम	दी गई धनराशि (लाख रु.)	शामिल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
अरुणाचल प्रदेश	3.00	240
गुजरात	7.38	290
हिमाचल प्रदेश	10.00	615
कर्नाटक	64.77	1228
मिजोरम	0.78	62
उड़ीसा	17.72	1505
पंजाब	20.63	1650
राजस्थान	137.31	7017
सिक्किम	1.50	72
उत्तर प्रदेश	26.00	875
पश्चिम बंगाल	49.05	3690

नडियाद-कपडवंज-मोडासा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4302. श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाडियाद-कपडवंज-मोडासा रेल लाइन को अब तक कितनी दूरी तक बड़ी रेल लाइन में बदल दिया गया है;

(ख) यह समूची परियोजना कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) इस परियोजना पर 1 मार्च, 1992 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है, और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नडियाद-कपड़वंज-मोडासा परियोजना का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(I)	नडियाद-कपड़वंज आमान परिवर्तन	45 कि. मी.
(II)	कपड़वंज-मोडासा नई लाइन	60 कि. मी.
	कुल	105 कि. मी.

आमान परिवर्तन वाले भाग को 1992-93 के दौरान खोल दिए जाने का लक्ष्य है। नई लाइन का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) 31.12.91 को 8.38 करोड़ रु.।

(घ) 5.01 करोड़ रु.।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवकों को मुफ्त यात्रा सुविधा

4303. श्री ललित उरांव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार के लिए आने वाले बेरोजगार युवकों को रेलगाड़ियों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का है, और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुम्बई-भुसावल यात्री रेलगाड़ी

4304. श्री राम नाईक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-भुसावल यात्री रेलगाड़ी मनमाड तक ही चलाई जाती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भुसावल जाने वाले यात्रियों को इसके कारण भारी असुविधा होती है;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों की सुविधा के लिए इस रेलगाड़ी को सीधे भुसावल तक चलाने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) मनमाड-औरंगाबाद मीटर लाइन खंड का बड़ा लाइन में आमान परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में गाड़ी सेवाओं का पुनर्गठन किया गया है। पहले बंबई और भुसावल के बीच चलने वाली 1351/1352 पैसेंजर गाड़ी का मनमाड तथा भुसावल के बीच चालन समाप्त करके इसे फरवरी, 1992 से औरंगाबाद तक बढ़ा दिया गया है।

वैकल्पिक उपाय के रूप में यात्रियों की सुविधा के लिए फरवरी, 92 से 1381/1382 मनमाड-भुसावल शटल शुरू की गई है। यह गाड़ी मनमाड में 1351/1352 बंबई-मनमाड-औरंगाबाद पैसेंजर गाड़ी को दूसरी दिशाओं में भेज देती है। इसे देखते हुए इस गाड़ी को पुन. मनमाड और भुसावल के बीच चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में वर्कशाप

4305. श्री नवल किशोर राय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने रेल वर्कशाप हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्कशाप की कितनी क्षमता है;

(ग) क्या 1992-93 के दौरान इन वर्कशापों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दो।

(ख) और (घ) जमालपुर कारखाना : इस कारखाने में मुख्यत: बड़ी लाइन के 9 भाप रेल इंजनों और 6 डीजल रेल इंजनों की दर से हर माह भाप और डीजल रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल काम किया जाता है । जमालपुर कारखाने के आधुनिकीकरण की परियोजना, जो प्रगति पर है, के अन्तर्गत डीजल रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(घ)समस्तीपुर कारखाना : इस कारखाने चौपहिया यूनिटों के हिसाब से प्रति माह मीटर लाइन के 50 माल डिब्बों की आवधिक ओवरहाल और चौपहिया यूनिटों के हिसाब से प्रति वर्ष मीटर लाइन के 200 माल डिब्बों के निर्माण का काम किया जाता है । 1992-93 के दौरान समस्तीपुर कारखाने के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सांसदों की सिफारिश पर आरक्षण

4306. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षण के सम्बन्ध में सांसदों द्वारा अग्रेषित आवेदनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत 6 माह के दौरान सांसदों द्वारा अग्रेषित किए गए उक्त आवेदनों का माह-वार ब्योरा क्या है;

(ग) ऐसे अस्वीकृत आवेदनों की संख्या क्या है, और

(घ) सांसदों द्वारा अग्रेषित आवेदनों को प्राथमिकता देने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) आपात कोटे से शादि-कार्यों/छोटे रिलीज करने के लिए, संसद सदस्यों तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुरोधों को, यात्रियों की पद-प्रतिष्ठा तथा सरकारी ड्यूटी, निधन, बीमारी आदि अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यथोचित प्राथमिकता दी जाती है । बहरहाल कभी-कभी जब मांग उपलब्ध स्थान से अधिक हो जाती है, तब सभी अनुरोधों को स्वीकार कर पाना संभव नहीं होता । चूंकि बहुत बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं और उन पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाई की जाती है, इसलिए इस संबंध में अलग से कोई ब्योरा नहीं रखा जाता है ।

उत्तर प्रदेश में हाल्ट-स्टेशन

4307. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में हाल्ट-स्टेशन बनाने संबंधी कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं, और

(ख) स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्योरा तथा अस्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 80।

(ख) 80 प्रस्तावों में से केवल तीन अर्थात माधोगंज और अटवा कुरसठ स्टेशनों के बीच मौंतरा, गोयल और खेड़ी टाउन स्टेशनों के बीच बादीपुर सानी और गहमर और भदोरा स्टेशनों के बीच कराहिया को अनुमोदित किया गया था। शेष 77 को अस्वीकार कर दिया गया था।

रेलगाड़ियों में मार्ग में ही शायिकाओं/सीटों की सुविधा उपलब्ध कराना

4308. श्री राम टहल चौधरी :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कम्प्यूटरीकरण किए जाने के बावजूद रेलवे निरीक्षण स्टाफ और कंडक्टर/गार्ड प्रमुख रेलगाड़ियों में अधिक पैसा लेकर मार्ग में ही शायिकाओं/सीटों की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कदाचारों के लिए कितने अधिकारी जिम्मेदार पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या इन कदाचारों को दूर करने के लिए ऐसी कोई सुस्पष्ट दोषरहित प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है ताकि प्रतीक्षा सूची में दर्ज जरूरतमंद व्यक्तियों को शायिकायें/सीटें उपलब्ध कराई जा सकें, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुछ मामले नोटिस में आये हैं।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान, विभिन्न कदाचारों के लिए लगभग 5089 पदाधिकारियों को जिम्मेवार पाया गया था। इनमें से 1353 पदाधिकारियों के विरुद्ध बड़े दण्ड के आरोप पत्र के अन्तर्गत तथा 3756 पदाधिकारियों के विरुद्ध छोटे दंड के आरोप पत्र के अन्तर्गत कार्यवाई की गई थी।

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर. ए. सी. तथा प्रतिक्षा-सूची में रखे गये यात्रियों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार सीटें तथा शायिकायें आवंटित की जाएं, अक्सर जांच की जाती है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अनधिकृत यात्री आरक्षित डिब्बों में यात्रा न करें और ऐसे कदाचारों पर कड़ी नजर रखी जाती है। ऐसे कार्यकलापों में लिप्त पाये गए कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगितायें

4309. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992 के दौरान भारत में अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगितायें आयोजित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मन्त्री (सुश्री ममता बनर्जी) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत में 1992 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगितायें आयोजित करने के लिए सरकार ने अब तक राष्ट्रीय खेल संघों के निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकृति दी है :—

1. तीसरी गुडरिक अन्तर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता 5-16 जनवरी 1992, कलकत्ता में ।
2. राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल टूर्नामेंट 11-22 जनवरी 1992, जमशेदपुर बिहार में ।
3. छठी इन्दिरा गांधी मेमोरियल अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप हाकी टूर्नामेंट 11-19 जनवरी 1992, दिल्ली में ।
4. अन्तर्राष्ट्रीय गोल्फ टीम चैम्पियनशिप 20-28 जनवरी 1992, बम्बई में ।
5. छठी एशियाई महिला स्क्वैस चैम्पियनशिप 26 से 31 जनवरी 1992, बम्बई में ।
6. पैंतीसवीं अन्तर्राष्ट्रीय मोटर रेस मीट 9 और 16 फरवरी 1992, मद्रास में ।
7. एशियाई जूनियर टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 17-23 फरवरी 1992, जयपुर में ।
8. पांचवीं एशियाई जूनियर जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप 1-5 मार्च 1992, नई दिल्ली में ।
9. एशियाई पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप मार्च 1992 के दौरान जमशेदपुर में ।
10. एक दिवसीय घुड़सवारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 14-15 मार्च 1992, भोपाल में ।
11. 1992 भारतीय ओपन गोल्फ अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 26-29 मार्च 1992, कलकत्ता में ।
12. सातवीं एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 20-26 अप्रैल 1992, नई में ।

विश्व बैंक सहायता

4310. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है, और

(ग) इसे किस प्रयोजन के लिए उपयोग मे लाया जाएगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी हां, विश्व बैंक ने 300 मिलियन डालर की एक परियोजना का मूल्यांकन किया है जो अनिवार्यतः चल स्टाक का आधुनिकीकरण और पैडोन्नयन के लिए है।

गुजरात में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों को किराए पर लेना

4311. श्री दिलीप भाई संघानी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गुजरात में कितने गोदाम किराए पर लिए गये हैं, और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इन गोदामों के किराये पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों को किराय पर लेना और खाली करना एक सतत प्रक्रिया है। फरवरी, 1992 के अन्त में भारतीय खाद्य निगम के पास गुजरात में किराये पर लिए गए गोदामों की संख्या 17 थी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अप्रैल, 1991 से फरवरी, 1992, तक की अवधि के दौरान गुजरात में किराये पर लिए गए गोदामों पर लगभग 1.74 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई था।

[अनुवाद]

मुम्बई में गुरावली में स्टेशन

4312. प्रो. राम कापसे :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई-नासिक रेलवे लाइन पर गुरावली मे रेलवे स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध मे कोई संभावना सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकाले हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) टिटवाला और खदावली स्टेशनों के बीच गुरावली मे एक हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की पहले ही जांच की गई है। यह वित्तीय और परिचालनिक दोनों की दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

गेहूं का आयात

4313. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देशवार और वर्षवार कितने गेहूं का आयात किया गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य क्या है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश-वार कितना गेहूं निर्यात किया गया, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका मूल्य क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) 1988-89 के दौरान जहाज तक निष्प्रभार आधार पर 101 से 139.50 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के बीच मूल्यों पर संयुक्त राज्य अमेरिका से 20.11 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात किया गया था। 1989-90 और 1990-91 के दौरान गेहूं का कोई आयात नहीं किया गया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1989-89 से 1990-91) के दौरान भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से गेहूं के निर्यात के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	देश	मात्रा (लाख मीटरी टन में)	मूल्य (अनुमानतः)
1988-89	वियतनाम	0.13 (जिन्स उधार)	269.97 लाख रुपए
	सेंकेलेस	0.01 (उपहार)	23.00 लाख रुपए
1989-90	वियतनाम	0.12 (जिन्स उधार)	242.02 लाख रुपए
1990-91	जोर्डन	0.89	115 डालर पी. एम. टी./
	डी. पी. आर.		सी. एन. एफ.
	कोरिया	0.48	118.50 डालर पी. एम. टी.
	डी. पी. आर.		डी. एन. एफ.
	कोरिया	0.28	92 डालर पी. एम. टी./
			एफ. ओ. बी.
	सूडान	0. 6	94 डालर. पी एम. टी./
			एफ. ओ. बी.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सहायता

4314. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकारें स्वीकृत धनराशि का उचित उपयोग करे, और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) 1989-90 और 1990-91 के लिए परिव्यय सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रों में प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1989-90				1990-91			
		रा. म. उ. का. (ग्रामीण)		रा. म. उ. का. (शहरी)		रा. म. उ. का. (ग्रामीण)		रा. म. उ. का. (शहरी)	
		नकद	वस्तुगत	नकद	वस्तुगत	नकद	वस्तुगत	नकद	वस्तुगत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"क" राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	194.34	103.18	13.00	29.50	96.50	442.12	7.56	30 81
2.	अरुणाचल प्रदेश	135.85	33.93	—	—	6.45	43.02	—	—
3.	असम	206.37	63.57	—	—	30.60	378.89	—	—
4.	बिहार	109.88	540.44	8.12	2.83	1.50	475.54	5.00	3.46
5.	गुजरात	134.08	362.51	10.12	18.92	14.25	453.01	9.79	21.96
6.	गोवा	2.01	1.04	—	—	0.32	1.23	—	—
7.	हरियाणा	63.07	39.07	8.781	3.99	59.50	14.02	5.77	9 56
8.	हिमाचल प्रदेश	0.20	88.30	—	—	0.40	40.22	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	0.20	32.12	4.91	0.34	—	109.68	5.29	1.33
10.	कर्नाटक	112.93	215.08	11.32	19.94	71.63	72.83	5.00	25.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	मध्य प्रदेश	253.18	1250.40	27.25	18.99	234.40	623.82	34.57	9.11
12.	केरल	0.50	39.53	—	—	1.00	13.19	—	—
13.	महाराष्ट्र	246.50	420.77	46.79	41.71	143.50	729.19	11.90	39.24
14.	मणिपुर	56.71	26.50	5.64	0.23	2.45	32.67	5.85	1.30
15.	मेघालय	33.34	51.29	—	—	1.87	17.1	—	—
16.	मिजोरम	23.65	23.74	—	—	22.60	37.44	—	—
17.	नगालैंड	27.35	27.27	4.31	0.19	21.21	27.30	10.82	0.58
18.	उड़ीसा	267 59	109.77	8.96	3.16	1114.00	151.40	16.71	2.30
19.	पंजाब	31.05	418.88	54.46	5.32	5.60	563.98	29.76	6.75
20.	राजस्थान	13.75	911.98	34.90	—	5.70	400.63	22.56	—
21.	सिक्किम	19.60	0.06	—	—	1.85	0.26	—	—
22.	तमिलनाडु	17.93	39.72	2.25	11.90	6.50	33.35	1.99	6.93
23.	त्रिपुरा	58.59	4.98	4.87	0.86	25.56	11.72	10.18	0.64
24.	उत्तर प्रदेश	119.94	714.50	38.07	28. 66	10-00	767.54	10.69	25.46
25.	पश्चिम बंगाल	72.76	200.40	—	3.55	11.50	422.00	—	6.47
	योग "क"	2202.52		283.68		979.29		223.84	
	राज्य		5759 03		189.79		5953.19		191.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संघ राज्य क्षेत्र (ख)									
विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्र "ख"									
26.	पांडिचेरी	1.44	0.77	—	—	1.10	1.15	—	—
योग "ख" विधान मण्डलों सहित		1.44	0 77	—	—	1.10	1.15	—	—
"ग" बिना विधानमंडलों वाले संघराज्यक्षेत्र									
27.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	33.50	7 49	—	—	57.09	12.27	—	—
28.	चंडीगढ़	1.50	1.66	18 00	2.58	1.50	1.65	18.00	3.64
29.	दादरा और नगर हवेली	1.70	9.11	—	—	2.40	9.01	—	—
30.	दमण व द्वीप	1.52	0.01	—	—	1.83	0.24	—	—
31.	दिल्ली	2.15	56.27	—	17.95	2.15	31.71	—	28.87
32.	लक्षद्वीप	0.90	—	—	—	1.25	0.05	—	—
योग "ग" बिना विधान मण्डलों वाले		41.27	75.14	18.00	20.53	46.22	53.93	18.00	32.51
कुल योग "क"+"ख"+"ग"		2245.23	5834.94	301.68	210.32	926.61	6008.27	241.84	223.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्थापना प्रभार	42.50	—	—	—	47.62	—	—	—
प्रचार व्यय	9.3	—	—	—	5.66	—	—	—
रा. म. उ. का. को अनुसंधान योजना	207.50	—	—	—	206.61	—	—	—
	2514.55				1186.50			
						6008.27		
				7194.77				

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सहायता

लाख रुपये में

क्रम संख्या	राज्य/क्षेत्र	1989-90 में भुगतान की गई			1990-91 में भुगतान की गई		
		नकद	वस्तुगत	कुल	नकद	वस्तुगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	175.00	138.92	313.92	206.00	48.56	254.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.10	.00	5.10	9.00	.28	9.28
3.	असम	29.00	·00	29.00	20.00	3.77	23.77
4.	बिहार	52.50	47.34	99.84	132.75	22 99	155.73
5.	गोवा	·00	.00	·00	.50	.63	1.13
6.	गुजरात	32. 0	34 63	67.13	32.00	10 38	42.38
7.	हरियाणा	2 40	.54	2.94	8.00	·63	8.63
8.	हिमाचल प्रदेश	7.00	.45	7.45	7.00	1.22	8.22
9.	जम्मू व कश्मीर	2.50	1.09	3.59	4.50	.99	5.49
10.	कर्नाटक	125.00	21.28	146.28	105.15	17.81	122.96
11.	केरल	70.00	2.87	72.87	77.75	2.56	80.31
12.	मध्य प्रदेश	123.00	.55	123 55	140.50	61.58	202.08
13.	महाराष्ट्र	30.00	35.63	65.63	28.75	27.93	56.68
14.	मणिपुर	6.60	.00	6.60	2.00	.36	2.36
15.	मेघालय	3.50	.00	3.50	5.00	.38	5.38
16.	मिजोरम	3 50	.00	3.50	5.00	.38	5.38
17.	नागालैंड	7.00	.00	7.00	3.00	.51	3.51
18.	उड़ीसा	80.00	16.10	96.10	115.00	44 09	159.09
19.	पंजाब	8.00	1.19	9.19	8.00	.74	8.74
20.	राजस्थान	23.00	4.68	27.68	29.00	4.59	33.59
21.	सिक्किम	12.00	.20	12.20	15.00	.38	15.38
22.	तमिलनाडु	113.85	15.90	129.75	123.00	84.21	207.21

1	2	3	4	5	6	3	8
23.	त्रिपुरा	26 00	1·53	27.53	19.10	2.76	21.86
24.	उत्तर प्रदेश	12[illegible].00	66.98	186.98	165 00	20.79	185.79
25.	पश्चिम बंगाल	90 00	41.3[illegible]	131.[illegible]0	90.05	29 63	119.63
26	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.00	.00	7.00	7.50	.62	8.12
27.	चण्डीगढ़	.50	.00	·50	.50	.58	1.08
28.	दादरा और नागर हवेली	1.00	.00	1.00	.50	.37	.87
29.	दमण व द्वीप	1.00	.00	1.00	1.00	1.16	2.16
30.	दिल्ली	·50	.00	.50	·50	.12	.62
31.	लक्षद्वीप	1.00	.00	1.00	1.00	.25	1.25
32.	पांडिचेरी	.00	.00	.0[illegible]	.5	.12	5.12
	योग	1,158.45	431.18	[illegible],5[illegible]9.[illegible]3	1,367.00	391.37	1,758.37
							467.17
	केन्द्रीय क्षेत्र जिला बहुऔषध			412.55			
	उपचारसोपेसायटीज को सीधा भुगतान किया गया						
	कुल योग				2,002.18		2,[illegible]25.54

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को की गई क्षय रोग रोधी औषधों की आपूर्ति पर हुआ व्यय :

क्रम संख्या	राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	56.74	76.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.99	9.31
3.	असम	28.87	39.57
4.	बिहार	87.54	63.96

1	2	3	4
5.	गोवा	2.28	4.23
6.	गुजरात	77.46	68.61
7.	हरियाणा	30.80	37.55
8.	हिमाचल प्रदेश	21.41	32.70
9.	जम्मू व कश्मीर	21.58	11.90
10.	कर्नाटक	45.05	64.43
11.	केरल	35.94	48.39
12.	मध्य प्रदेश	90.08	73.14
13.	महाराष्ट्र	135.79	187.66
14.	मणिपुर	6.53	8.84
15.	मेघालय	5.54	5.54
16.	मिजोरम	2.88	2.43
17.	नागालैंड	4.56	2.89
18.	उड़ीसा	31.04	34.77
19.	पंजाब	20.32	26.26
20.	राजस्थान	51.65	42.01
21.	सिक्किम	1.34	12.48
22.	तमिलनाडु	84.83	80.05
23.	त्रिपुरा	4.09	7.11
24.	उत्तर प्रदेश	143.53	143.55
25.	पश्चिम बंगाल	95.93	102.39
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1.45	2.79
27.	चंडीगढ़	1.30	3.06
28.	दादरा और नागर हवेली	0.69	0.27
29.	दमण व दीव	0.52	0.16
30.	दिल्ली	68.63	60.34

1	2	3	4
31.	लक्षद्वीप	0.40	0.45
32.	पांडिचेरी	4 96	3.58
	योग	1168.99	1247.60

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

1989-90 और 1990-91 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन मुहैया की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	38.32	53.96
2.	अरुणा प्रदेश	1.45	0.35
3.	असम	18.74	16.96
4.	बिहार	17.78	48.49
5.	गोवा	3 13	9.11
6.	गुजरात	19.64	24.32
7.	हरियाणा	10.73	9.59
8.	हिमाचल प्रदेश	5.60	10.22
9.	जम्मू व कश्मीर	6.10	9.00
10.	कर्नाटक	51.65	39.83
11.	केरल	27.41	12.52
12.	मध्य प्रदेश	72.07	44.39
13.	महाराष्ट्र	43.21	40.97
14.	मणिपुर	4.48	11.55
15.	मेघालय	3.55	2.98
16.	मिजोरम	3.13	31.5
17.	नागालैंड	1.34	6.63
18.	उड़ीसा	26 21	29.16
19.	पंजाब	17,11	12.73

1	2	3	4
20.	मध्यप्रदेश	26.46	16.37
21.	सिक्किम	4.62	2.92
22.	तमिलनाडु	19.71	13.24
23.	त्रिपुरा	1.97	6.85
24.	उत्तर प्रदेश	98.78	63.95
25.	पश्चिम बंगाल	41.81	38.91
26.	पांडिचेरी	2.00	3.00
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.85	0.17
28.	दादरा और नगर हवेली	0.35	0.59
29.	चंडीगढ़	0.20	1.02
30.	दमण व दीव	0.73	2.97
31.	दिल्ली	1.30	8.83
32.	लक्षद्वीप	0.17	0.17
	योग	570.60	567.93

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को दी गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

		1989-90			1990-91		
		नकद	वस्तुगत	योग	नकद	वस्तुगत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4489.14	787.73	5817.97	3917.58	580.61	4498.19
2.	असम	1068.06	96.89	1158.95	1889.87	500.08	1389.95
3.	बिहार	3348.05	498.10	3834.18	4373.84	681.80	4994.94
4.	गुजरात	8051.44	555.36	8606.80	8664.96	487.63	3158.59
5.	हरियाणा	861.03	886.81	1147.84	1181.81	859.84	1300.75
6.	हिमाचल प्रदेश	459.76	90.97	550.73	1166.38	63.81	1889.60
7.	जम्मू व कश्मीर	480.11	116.95	537.06	865.86	73.15	939.01
8.	कर्नाटक	3468.37	384.58	3846.89	3647.79	447.60	4094.45
9.	केरल	8367.88	337.88	8704.60	3853.11	859.89	3518.96
10.	मध्य प्रदेश	3818.67	408.77	4887.44	3934.70	988.19	4857.89
11.	महाराष्ट्र	2877.44	938.75	4810.19	6889.88	893.39	7883.87
12.	मणिपुर	805.65	87.70	813.35	815.61	88.31	837.78
13.	मेघालय	131.89	14.98	146.81	803.76	14.38	818.08
14.	नागालैंड	98.78	9.00	101.78	100.86	16.88	117.84
15.	उड़ीसा	8508.60	318.51	5818.11	8588.58	385.85	8914.40

16.	पंजाब	1351.09	876. 7	1685.56	1891.39	854.84	1546.18
17.	राजस्थान	8361.04	488.41	8783·48	8659.75	580.73	3180.48
18.	सिक्किम	83.95	4.85	88.80	87.91	11.10	104 01
19.	तमिलनाडु	8936.08	618.78	3548.73	3588.79	435.70	4004.58
20.	त्रिपुरा	817.70	18.18	835.88	194.68	84.74	819.54
21.	उत्तर प्रदेश	7540.81	1448.98	8803.84	1338.03	1597.87	14988.70
22.	पश्चिम बंगाल	5463.69	441.39	5905.08	51051.58	9090.63	5748.15
23.	अरुणाचल प्रदेश	87.45	14.44	71.69	78.87	31.99	110.86
24.	गोवा	88 88	11.43	100.71	98.38	15.66	108 04
25.	मिजोरम	76.38	10.89	66.67	93.58	9.89	103 41
26.	पांडिचेरी	47.74	5.18	58.66	45.81	6.60	51.81
		30434.76	5131.97	35866.73	37508.11	8485 68	48988.16

हटिया अमृतसर एक्सप्रेस की समय-सारणी में परिवर्तन

4315. श्री ललित उरांव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हटिया-अमृतसर एक्सप्रस की समय-सारणी में परिवर्तन किये जाने के कारण उस क्षेत्र (बिहार राज्य) के यात्रियों की कठिनाइयां बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, क्या गाड़ी के संशोधित समय में परिवर्तवर्तन करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 8101/8101/8102 हटिया-अमृतसर एक्सप्रेस की समय सारणी मे परिवर्तन करने से, गाड़ी का यात्रा समय एक दिशा मे 3 घंटे 55 मिनट और दूसरी दिशा में 6 घंटे कम हुआ है।

(ख) कुछ यात्रियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और जिनमें कुछ स्टेशनों की स्थानीय कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है।

(ग) विचार किया गया लेकिन यात्रियों के समग्र हित में औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

4316. श्री ललित उरांव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की गत दो वर्षों के दौरान अलग-अलग कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं; और

(ग) इस समिति द्वारा उनके मन्त्रालय में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) तीन

(ग) इस समिति की बैठकों में की गई सिफारिशों में देवनागरी में टाइपराइटरों, वर्ड प्रोसेसरों और कम्प्यूटरों जैसी तांत्रिक सुविधाओं के उपयोग का बढ़ावा देना; टिप्पण एवं प्रारूपण में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग राजभाषा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन, राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त

करने के प्रयास; हिन्दी और अंग्रेजी में पत्राचार के पृथक रिकार्डों का रख रखाव; समय समय पर कार्यशालाओं के माध्यम से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना; हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टाइपिंग में कर्मचारियों को प्रशिक्षण और उनकी सेवाओं का अधिकतम उपयोग करना शामिल है ।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का निर्यात

4317. कुमारी पुष्पादेवी सिंह :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान खाद्यान्नों का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल से निर्यात हेतु गेहूं और चावल का कुल कितनी मात्रा में आबंटन किया गया; और

(ग) किन किन देशों को चावल और गेहूं का निर्यात किया जा रहा है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) बासमति चावल का निर्यात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के अधीन किया जाता है । 1992-93 के दौरान गैर-बासमति चावल और गेहूं का निर्यात करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

ब्रह्मपुत्र मेल और नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस का पाठशाला स्टेशन पर रोकना

4318. श्री प्रबीन देका :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों और अन्य संगठनों ने ब्रह्मपुत्र मेल और नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस को पाठशाला स्टेशन पर रोकने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इसकी जांच की गई थी लेकिन वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

अस्पताल और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलना

4319. श्री प्रबीन देका :

श्री मृत्युन्जय नायक ।

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मरीजों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए देश में और अधिक संख्या में अस्पताल तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का है;

(ख) यदि हां तो चालू वर्ष के दौरान देश में किन किन स्थानों पर हस्पताल तथा औषधालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कोई नया अस्पताल खोलने का प्रस्ताव नहीं है। औषधालयों के स्थान के बारे में निर्णय आठवीं योजना के परिव्यय को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद लिया जाएगा।

(ग) ऊपर (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय के डब्ल्यू यू एस सेंटर में तथा कथित धोखाधड़ी

43 0. श्री सुखदास कामत :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के डब्ल्यू. यू. एस. हेल्थ सेंटर में धोखाधड़ी का पता चला है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्य कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डब्ल्यू. यू. एस. स्वास्थ्य केन्द्र के निवर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य केन्द्र के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध दवाइयों आदि की खरीद में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कुछ आरोप लगाए है। विश्वविद्यालय इस मामले की जांच कर रहा है।

रेलगाड़ियों में प्राथमिक उपचार की सुविधायें

43?1. श्री गंगाधरा सामीपल्ली :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक रेलगाड़ी में पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या आपातकालीन मामलों में से निपटने के लिए रेलगाड़ियों के चालक दलों को कोई विशिष्ट प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यात्री गाड़ियों में प्राथमिक चिकित्सा बाक्स में अन्तर्वस्तुओ को पहले ही संशोधित और अद्यतन कर दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) आपातकाल में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करने/प्रदान करने के लिए सभी यात्री गाड़ियों के गार्डों को प्राथमिक चिकित्सा बाक्स उपलब्ध कराये जाते हैं, गाड़ी में ड्राइवर और गार्ड जैसे कर्मियों को आपात स्थितियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों में पाठ्यक्रमों के दौरान प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके अतिरिक्त उन्हें रेलवे अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों में भी प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम सेंट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा निर्धारित किया जाता है।

मणिपुर में एड्स से संक्रमित बच्चे

श्री गुरुदास कामत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में बड़ी संख्या में बच्चे एड्स रोग से पीड़ित पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस रोग से कितने शिशु/बच्चे पीड़ित हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डॉ के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) मणिपुर राज्य में कार्य कर रहे निगरानी केन्द्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1-2-92 की स्थिति के अनुसार जांचे गये नमूनों की कुल संख्या 8231 थी, जिसमें से 1428 नमूनों को सीरा पाजिटिव पाया गया था। 12 वर्ष की आयु के बच्चों मेंकोई एच. आई. वी सीरा-पाजिटिव की सूचना नहीं मिली। एच. आई. वी संक्रमित व्यक्तियों का आयुवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मणिपुर में एच आई वी रोगियों की सीरम सम्बन्धी निगरानी (पहली फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार)

जांचे गए नमूने	8.231
सीरा पाजिटिव	1.428
दर प्रति हजार	1.734

	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4
0-12	—	—	—

1	2	3	4
18-20	310	17	327
21-30	935	36	969
31-40	118	1	119
41 और इससे ऊपर	12	1	13
योग	1,373	55	1,428

निरोध (कंडोम) का आयात

4323. श्री गुरुदास कामत :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निरोध का आयात करना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बड़ोदरा डिवीजन में रेलवे स्टेशन

4324. श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के बड़ोदरा डिवीजन में रेलवे स्टेशनों की आर्थिक व्यावहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस डिवीजन में अलाभप्रद रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन स्टेशनों को अर्थसक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केवल हाल्ट स्टेशनों के लिए।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अलाभप्रद हाल्ट स्टेशनों पर कम लोकप्रिय गाड़ियों के ठहराव समाप्त करने जैसे किए गए उपायों के बावजूद सभी हाल्ट स्टेशनों को अर्थसक्षम बनाना संभव नहीं है।

विवरण

(ख) पश्चिम रेलवे द्वारा चल वर्ष की गई समीक्षा के आधार पर 109 हाल्ट स्टेशनों में से 85 हाल्ट अलाभप्रद पाए गए थे। इन अलाभप्रद हाल्ट स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं—

1. कुदसाद
2. चावज
3. वेलाछा
4. डावेल
5. डभाऊ
6. विरोल
7. सुन्दरना
8. झरोवा
9. यावरपुर
10. घुमठ
11. कक्षमदेवसू उपरियाला
12. अम्बा
13. नाथपुरा
14. अम्बुसर सिटी
15. वड़वाना
16. कोरा
17. वासण इयावा
18. विरोचन नगर
19. अभिवक्षा सेड़
20. लोटाना
21. वहेड़िया रोड
22. काली तलावड़ी
23. साढला
24. घनश्याम गढ रोड
25. सोलड़ी
26. देवालिया
27. वेजलपुर
28. कंथारिया
29. थान
30. ट्रालसमद
31. दयादरा
32. वालुनाड
33. टानछा
34. असनेरा
35. साहियार
36. मागनाद
37. कोटेश्वर
38. टुंडाज
39. कक्षाजन
40. नांदरखा
41. खांडिया
42. सोंधनली
43. उपरियाला
44. भैंयासर
45. चितलदर
46. डामलाई
47. झाबपुर

48. गोराडिया	67. तुलसीगाम
59. गम्भीरपुरा	68. मालताज
50. मांजरोल	79. विश्रामपुर
51. तारवा	70. विरोल
52. भरथली	71 भानेर
53. मंडी	72. पोरडा भाटेरा
54. कुराल	73. तोरना
55. भायली	74. पावागढ़
56. अतलादरा	75. बामनकुवा
57. कुंडेला	76. घांटा
58. फरतीकुई	77. डाघल इनाम
69. जाबुगांव	78. गुमानदेव
60. अमतोली	79. अविधा
61. अजवा	80. उमाला
62. व्यंकटपुरा	81 जूना राजूवाडिया
63. मवाल ढेंक	82. अनलेटा
64. पांडुमेदास	83. सांढिया
65. देआर रोड	84. खुनवाड
66. वेजपुर	85. संजाली

भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों का खपाया जाना

4325. श्री मोहन सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में वर्षवार, जोन-वार तथा श्रेणीवार खाद्य विभाग से स्थानांतरित हुए और विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और सामान्य श्रेणी के कितने कर्मचारी खपाए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में वर्ष-वार, जोन-वार, क्षेत्र-वार तथा संवर्गवार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और सामान्य श्रेणी के कितने कर्मचारी नियमित किए गए, और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम में वर्षवार, जोन, क्षेत्र तथा संवर्ग-वार स्वीकृत किए गए पदों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य विभाग से स्थानान्तरण पर आये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणी के किसी भी कर्मचारी को खपाया नहीं गया है। भारतीय खाद्य निगम में पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-1 के 29 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था। इन अधिकारियों का वर्ष वार और जोनवार अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण

वर्ष	मुख्यालय	उत्तरी जोन	दक्षिणी जोन	पूर्वी जोन	पश्चिमी जोन	उत्तर-पूर्वी सीमा जोन
1989	1	3	1	—	—	1
1990	3	6	—	2	—	1
1991	1	2	6	2	—	—
1992	—	—	2	—	—	—

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य श्रेणी के किसी भी कर्मचारी को भारतीय खाद्य निगम में नियमित नहीं किया गया है।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1989, 1990 और 1991 के वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम में जोनवार, क्षेत्रवार और संवर्गवार स्वीकृत पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तरी जोन

क्र. सं.	संवर्ग	दिल्ली	जम्मू और कश्मीर	हिमाचल प्रदेश	हरियाणा	राजस्थान	पंजाब
	वर्ष : 1989						
1	सामान्य	—	—	2	—	—	—
2.	लेखा	1	1	1	—	—	—
3.	गुण नियंत्रण	—	—	—	—	—	—
4.	संचलन	—	—	—	2	3	2
5.	डिपो	—	—	—	—	—	—
6.	विधि	—	—	—	—	—	—
7.	विविध	—	—	—	—	—	—
	जोड़	1	1	3	2	3	2

दक्षिणी जोन

	आंध्र प्रदेश	तमिलनाडु	कर्नाटक	केरल
वर्ष 1989				
1. सामान्य	—	—	—	—
2. लेखा	—	—	1	—
3. गुण नियंत्रण	—	—	—	—
4. संचलन	2	3	2	3
5. डिपो	—	—	—	—
6. विधि	—	—	—	—
7. विविध	—	—	—	—
जोड़	2	3	3	3

	पूर्वी जोन		एन. ई. एफ. जोन	
	मुख्यालय	उड़ीसा क्षेत्र	जोनल कार्यालय एन. ई. एफ.	एन. ई. एफ. क्षेत्र
1. सामान्य	2	—	29	—
2. लेखा	2	1	4	1
3. गुण नियंत्रण	—	—	—	—
4. संचलन	—	—	—	—
5. डिपो	—	—	1	—
6. विधि	—	—	1	—
7. विविध	—	—	—	—
जोड़	4	1	35	1

	उत्तरी जोन			दक्षिणी जोन	पूर्वी जोन	
	जोनल कार्यालय उत्तरी	पंजाब	उत्तर प्रदेश	बी.एम. (पी.ओ.) विभाग	कर्नाटक	पश्चिम बंगाल
	1	2	3	4	5	6
वर्ष 1990						
1. सामान्य	1	—	—	2	—	—

	1	2	3	4	5	6
2. लेखा	1	1	1	1	—	1
3. गुण नियंत्रण	—	—	—	5	—	—
4. संचलन	—	1	—	—	—	—
5. डिपो	—	—	—	—	—	—
6. विधि	—	—	—	—	—	—
7. विविध	—	—	—	1	4	—
जोड़	2	2	1	9	4	1

क्र. सं.	संवर्ग	मुख्यालय	जोनल कार्यालय (एन. ई. एफ.)
वर्ष 1990			
1.	सामान्य	—	17
2.	लेखा	1	17
3.	गुण नियंत्रण	—	—
4.	संचलन	—	2
5.	डिपो	—	—
6.	विधि	—	—
7.	विविध	1	1
जोड़		2	37

		उत्तरी जोन		दक्षिणी जोन	पूर्वी जोन		मुख्यालय
		जोनल कार्यालय (उत्तरी)	पंजाब	उत्तर प्रदेश	आंध्र प्रदेश क्षेत्र	बिहार	
		1	2	3	4	5	6
1.	सामान्य	—	1	40	2	15	—
2.	लेखा	—	—	8	—	3	—
3.	गुण नियंत्रण	—	—	—	—	—	—
4.	संचलन	—	—	—	—	—	—

		1	2	3	4	5	6
5.	डिपो	—	—	—	—	—	—
6.	विधि	1	—	—	—	—	—
7.	विविध	—	—	—	1	—	2
	जोड़	1	1	48	3	18	3

क्र. सं.	संवर्ग वर्ष 1991	एन. ई एफ. जोन जोनल कार्यालय (एन. ई. एफ.) असम	एन. ई. एफ. क्षेत्र
1.	सामान्य	38	38	13
2.	लेखा	3	6	3
3.	गुण नियंत्रण	2	5	—
4.	संचलन	2	3	—
5.	डिपो	—	68	34
6.	विधि	—	—	—
7.	विविध	—	—	—
	जोड़	44	120	50

वर्ष	उ. जोन	द. जोन	पू. जोन	एन ई एफ जोन	मुख्यालय	जोड़
1989	12	11	1	36	11	64
1990	5	13	1	37	2	58
1991	50	3	18	214	3	288
कुल जोड	67	27	20	287	9	410

टिप्पणी : निगम के पश्चिमी जोन में कोई पद सृजित नहीं किया गया है।

संकेत अन्य

उ. जोन	—	उत्तरी जोन
द. जोन	—	दक्षिणी जोन
पू. जोन	—	पूर्वी जोन
एन. ई. एफ. जोन	—	उत्तर-पूर्वी सीमा जोन

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के बकाया खाली पद

4326. श्री मोहन सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम में विशेष भर्ती अभियान (1989-91) के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए सीधी भर्ती तथा पदोन्नति (जोन-वार, क्षेत्र वार, संवर्गवार और श्रेणीवार) पता लगाये गए खाली पड़े बकाया पदों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने 1989-91 के दौरान दक्षिण जोन में पदोन्नति हेतु खाली पड़े बकाया पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम को इस सम्बंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के खाली पड़े बकाया पदों को भरने हेतु कोई समय सूची निर्धारित की गई है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

सफदरजंग अस्पताल में अस्थि रोग विभाग

4327. श्री मदन लाल खुराना :

श्री जोवन शर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अस्थि रोग संस्थान, सफदरजंग अस्पताल में रोगियों के उपचार के लिए आधुनिक उपकरण और अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) गत वर्ष के डाक्टरों की लापरवाही के कारण सफदरजंग अस्पताल के अस्थि रोग विभाग में कितने रोगियों की मृत्यु हो गई है;

(घ) क्या सफदरजंग अस्पताल के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना स्कंध में अस्थि शल्य चिकित्सक है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विकलांग विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल में विकलांग रोगियों के इलाज के लिए आधुनिक उपकरण और अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं।

(ग) अस्पताल की मृत्युदर पुनरीक्षा समिति के निष्कर्षों के अनुसार विकलांग विज्ञान विभाग में डाक्टरों की लापरवाही से 1990-91 के दौरान कोई मृत्यु नहीं हुई।

(घ) से (च) प्रत्येक विभाग में उसकी आवश्यकतानुसार पद स्वीकृत किए जाते हैं। सफदरजंग अस्पताल के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना स्कन्ध के लिए विकलांग विज्ञान शल्य चिकित्सक का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बाल भवन

4328. श्रीमती सरोज दुबे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5 वर्ष से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने हेतु बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा किन-किन स्थानों पर बाल भवन चलाए जा रहे हैं, और

(ख) दिल्ली में गंदी बस्तियों और पिछड़ी पुनर्वास बस्तियों के बच्चों के लिए बाल भवन अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष के दौरान कितने चल बाल भवनों की स्थापना की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा केवल दिल्ली के ही विभिन्न भागों में बाल भवन केन्द्र चलाए जा रहे हैं। इन बाल केन्द्रों के स्थानों के नाम व पते संलग्न विवरण में हैं।

(ख) इस वर्ष के दौरान किन्हीं चल बाल भवनों की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, भारतीय बाल भवन सोसायटी, नई दिल्ली का एक चल वैन है जिसे दिल्ली की गंदी बस्तियों और पिछड़ी पुनर्वास बस्तियों के बच्चों के लिए बाल भवन अभियान को प्रोत्साहित करने के वास्ते प्रयोग किया जाता है।

विवरण

क्रम सं.	बाल केन्द्रों के स्थानों के नाम	पता
1	2	3
1.	कृष्ण नगर	एम. सी. प्राथमिक स्कूल (पुराना भवन) ई. ब्लाक निकट बस स्टैंड, कृष्ण नगर, नई दिल्ली
2.	मंडावली	ग्रामीण महिला सिलाई संघ, मंडावली, फजल पुर, नई दिल्ली-92

1	2	3
3.	झिलमिल कालोनी	समुदाय केन्द्र, झिलमिल कालोनी, (निकट रामलीला मैदान) विवेक विहार, शाहदरा, दिल्ली-110032
4.	बलबीर नगर	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, राठी मिल्स के पीछे, बलबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
5.	मयूर विहार	राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल (दिल्ली प्रशा.) पाकेट-सी, मयूर विहार (निकट पैन बस स्टैंड) दिल्ली-91
6.	भजन पुरा	एम. सी. प्राथमिक स्कूल निकट पानी टंकी, भजन पुरा, शाहदरा
7.	गीता कालोनी	समुदाय केन्द्र, निकट टोंगा टैक्सी स्टैंड मोल चौक, गीता कालोनी, दिल्ली-31
8.	ताहिर पुर	एम. सी. प्राथमिक स्कूल (निकट दिलशाद गार्डन) ताहिर पुर गांव, दिल्ला-32
9.	शकर पुर	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, स्कूल ब्लाक, (निकट फ्लाई ओवर ब्रिज) शकर पुर दिल्ली-92
10.	मानसरोवर पार्क	एम. सी. प्राथमिक स्कूल (निकट सुपर बाजार एवं यदर डेयरी) मानसरोवर पार्क, दिल्ली-32
11.	गांधी भवन	गांधी भवन, 32, छात्र मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय
12.	हरिजन सेवक संघ	गांधी आश्रम, किंग्जवे कैम्प (निकट डका चौक) दिल्ली।
13.	डका गांव	एम. सी. प्राथमिक स्कूल डका गांव (निकट डका चौक) दिल्ली।
15.	पश्चिमी पटेल नगर	एम. सी. प्राथमिक स्कूल संख्या-3 पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली
16.	मुल्तानी ढांढा	समुदाय केन्द्र, गली नं. 6, मुल्तानी ढांढा पहाड़ गंज, नई दिल्ली
17.	रेवत पुरी	समुदाय सेवा सदन, भवन वाचनालय रेवत पुरी कैंचीज वाच, नई दिल्ली।

1	2	3
18.	जनक पुरी	एम सी प्राथमिक स्कूल, सं. 3/ए. स्कूल ब्लाक जनकपुरी, नई दिल्ली
19.	रामजस रोड	एम. सी. प्राथमिक स्कूल रामजस लेन, रामजस रोड, नई दिल्ली
20.	बाबा खड़क सिंह मार्ग	डी. आई. जेड. एरिया, सेक्टर-4 बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली
21.	ग्राम कुटीर भवन	कीर्ति नगर
22.	नया राजेन्द्र नगर	बापू आदर्श विद्यालय, ब्लाक आर नया राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली
23.	पूसा रोड	एम. सी. प्राथमिक स्कूल पूसा लेन, पूसा रोड नई दिल्ली
24.	उत्तम नगर	राजकीय बालिका उच्चतर स्कूल, संख्या, 2, उत्तम नगर, दिल्ली।
25.	बालिका गृह	जेल रोड निकट हरि नगर नई दिल्ली।
26.	बाल निकेतन	निर्मल छाया कांपलेक्स, जेल रोड' निकट हरिनगर डिपो, नई दिल्ली
27.	जहांगीरपुरी	एम. सी. माडल स्कूल, आई. ब्लाक निकट कार्नर, जहांगीरपुरी दिल्ली-33
28.	अशोक विहार	एम. सी. माडल स्कूल, एच. ब्लाक, फेज-1, निकट रामलीला मैदान, अशोक विहार
29.	लारेंस रोड	एम. सी. माडल स्कूल, सी-7 निकट गुरुद्वारा, लारेंस रोड
30.	वजीरपुर	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जे. जे. कालोनी, वजीरपुर 115 डी. टी. सी. बस स्टाप
31.	शालीमार बाग	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, बी. टी. ब्लाक, निकट सिंघलपुर पानी टंकी, शालीमार बाग
32.	रानी बाग	एम. सी. बालिका प्राथमिक स्कूल, निकट एम. टी. सी. शोरूम रानीबाग

1	2	3
33.	मंगोलपुरी	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, जे ब्लाक निकट इन्दिरा पार्क, मंगोलपुरी
34.	नांगलोई	बाल सहयोग भवन, डिस्पेन्सरी नं. 2, ई. ब्लाक, नांगलोई
35.	सी. आर. पी. एफ.	कल्याण केन्द्र, सी. आर. पी. एफ. झड़ौदा कलां, निकट नजफगढ़, दिल्ली
36.	रोहिणी सेक्टर-7	राजकीय सह-शिक्षा माध्यमिक स्कूल. रोहिणी सेक्टर-7, नाहरपुर दिल्ली
37.	पल्ला गांव	ग्रामीण महिला सिलाई संघ (पल्ला) पल्ला गांव
38.	आदर्श नगर	एम. सी. माडल स्कूल, निकट केवल पार्क, आदर्श नगर, दिल्ली
39.	मजलिस पार्क	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, गली नं. 11, मजलिस पार्क, दिल्ली
40.	हुमायूं पुर	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, हुमायूं पुर गांव, नई दिल्ली
41.	बराड स्क्वायर	बार सेमेटरी रोड, मिड टाउन कैंटोनमेंट मिडिल स्कूल, अरी एनक्लेव
42.	सरोजनी नगर	भारत सेवक समाज, सरोजनी नगर मार्किट नई दिल्ली
43.	आर. के. पी. सेक्टर-III	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, आर. के. पी. सेक्टर-III, नई दिल्ली
44.	देव समाज स्कूल	देव समाज माडल स्कूल, सुखदेव विहार, मुलोवड़ ओखला, नई दिल्ली
45.	मोलर बंद	ग्रामीण महिला संघ सिलाई स्कूल, गांव मोलरबंद, बदरपुर, नई दिल्ली।
46	लाजपत नगर-II	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, लाजपत नगर-II-सी, नई दिल्ली।
47.	देव समाज स्कूल नेहरू नगर	देव समाज नेहरू नगर, स्कूल सं. 1, निकट डी. ए. वी. पोस्ट ग्र जुएट कालेज, नेहरू नगर।

1	2	3
48.	शाहपुर जाट	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, शाहपुर जाट गांव, नई दिल्ली
49.	आर. के. पी. सेक्टर-V	एम. सी. प्राथमिक स्कूल सेक्टर-V, आर. के. पुरम, नई दिल्ली।
50.	साकेत	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, पुष्प विहार कालोनी, मालवीय नगर एक्सटेंशन-2, साकेत नई दिल्ली-17
51.	कालका जी "के" ब्लाक	एम. सी. प्राथमिक स्कूल, निकट सब्जी मंडी, "के" ब्लाक, कालकाजी, नई दिल्ली
52.	किदवई नगर	राजकीय सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सं. 1, किदवई नगर पूर्वी, नई दिल्ली।

[अनुवाद]

बालिका-सम्बन्धी राष्ट्रीय बैठक

4329. श्री प्रतापराव बी. भोंसले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में बालिका संबंधी राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस बैठक के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या बालिका विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के कुषा कार्य तथा खेल और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मन्त्री (सुश्री ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) दक्षेस बालिका वर्ष 1990 मनाये जाने के भाग के रूप में, वर्ष 1990-91 के दौरान "बालिका और परिवार" पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्य अनुसंधान परियोजना चलाई गई ताकि देश के विभिन्न भागों में बालिकाओं का पारिस्थितिक विश्लेषण किया जा सके। 14 राज्यों में 22 विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महिला अध्ययन केन्द्रों द्वारा यह अध्ययन किया गया जिसमें 13,000 बालिकाओं और उनकी माताओं को कवर किया गया। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, "बालिका और परिवार" पर एक बैठक 15.3.90 को आयोजित की गई ताकि संवेदनशील कार्य क्षेत्र का पता लगाने के लिए अन्तरिम निष्कर्षों की चर्चा करके उनका विश्लेषण किया जा सके।

(ग) से (ङ) बैठक में दक्षेष बालिका दशक 1991-2000 ई. कार्य योजना के लिए महत्व-पूर्ण निविष्टियों तथा अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीतिगत उपायों का पता लगाने और उन्हें मूर्त रूप देने के लिए सभी सुसंगत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

अस्पतालों में रोग निदान सम्बन्धी आधुनिक मशीनें

4330. श्री प्रतापराव बी. भोसले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में न्यूक्लियर मैगनेटिक रिसोनेन्स इमेजिंग और मैगनेटिक रिसोनेन्स सपेक्ट्रोस्कोमी मशीनें उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन उपकरणों से क्या लाभ प्राप्त होंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के अन्य प्रमुख सरकारी अस्पतालों में इसी तरह के उपकरण उपलब्ध कराने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती जी. के. तारादेवी सिद्धार्थन) : (क) जी, हां।

(ख) क्लिनिकल प्रयोजनों के लिए मैसर्स सीमन्स, जर्मनी के माडल संख्या 63/84 एक्स. पी. 2 टी. और मैसर्स बुकर स्वेक्ट्रोस्पिन ए. जी. के माडल संख्या 47/40 बुकर बायोस्पेक का चयन किया गया है। इनसे होने वाले कुल फायदे इस प्रकार होंगे :

(I) रोगियो में मस्तिष्क, हृदय, जिगर आदि के रोग निदान और क्लिनिकल रोगियों के उपचार को सुविधाजनक बनाने के लिए,

(II) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा के इस अग्रिम क्षेत्र में उन्नत शिक्षा/अनुसंधान के लिए और समस्त विश्व में हो रही प्रगति और नवीनतम विकासों के साथ-साथ चलने के लिए,

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

ललित कला अकादमी के लिए भूमि

4331. श्री राम नाईक :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ललित कला अकादमी ने महाराष्ट्र सरकार से मुम्बई में उपयुक्त भूमि आवंटित करने हेतु निवेदन किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) औपचारिक रूप से कोई अनुरोध नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल एक्सप्रेस के साथ लगने वाले डिब्बों की संख्या बढ़ाना

4332. प्रो. के. वी. थामस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केरल एक्सप्रेस के साथ लगने वाले डिब्बों की संख्या हाल ही में घटा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रेलगाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ाने सम्बन्धी अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) जांच की गई है लेकिन परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं माना गया ।

आगरा स्टेशन पर यात्री रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा

4333. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टून्डला स्टेशन, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट और राजा की मंडी स्टेशनों से देश के पूर्वी भागों की ओर जाने वाली यात्री रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण का कोटा निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन यात्री गाड़ियों के नाम क्या हैं तथा इन स्टेशनों पर कितना आरक्षण कोटा निर्धारित किये जाने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस समय टून्डला से हावड़ा की ओर जाने के लिए 2312 डाउन गाड़ी के लिए आगरा कैंन्ट स्टेशन पर आरक्षण कोटा उपलब्ध है । आरक्षित स्थान की सीमित उपलब्धता और प्रारम्भिक तथा अन्य स्टेशनों पर इसका पूरा

उपयोग होने के कारण इस समय हावड़ा की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिए इन स्टेशनों पर कोई फ्रांट स्टेशन कोटा आबंटित करना व्यावहारिक नहीं है। इच्छुक यात्री आगरा कैंट स्टेशन पर उपलब्ध आटो टेलस सुविधा के माध्यम से नई दिल्ली को संदेश भेजकर टूण्डला से आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

केरल जाने वाली रेलगाड़ियों के डिब्बे बदलना

4334. प्रो. के. वी. थामस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल जाने वाली रेलगाड़ियों में कुछ यात्री डिब्बों में वर्षा के दौरान पानी टपकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन टपकने वाले डिब्बों को बदला जाएगा;

(ग) क्या केरल में अनेक यात्री गाड़ियां विलम्ब से चल रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कभी-कभी यात्री गाड़ियां मुख्यतः दुर्घटनाओं, खतरे की जंजीर खींचे जाने, आंदोलनों और उपस्कर की खराबियों के कारण विलंब से चलती हैं।

(घ) गाड़ियों के समय पालन पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का भण्डार

4335. श्री बाऊ दयाल जोशी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्यों में सुरक्षित रखे गये खाद्यान्न भंडारों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस समय, गोदामवार कितनी मात्रा में सुरक्षित भंडार पड़ा हुआ है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) केन्द्रीय पूल में भंडारित गेहूं और चावल का स्टाक किसी राज्य विशेष के लिए आरक्षित नहीं किया जाता है। 1989 से 1992 के वर्षों के दौरान पहली जनवरी की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल में भारतीय

खाद्य निगम द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में भंडारित चावल और गेहूं का स्टाक निम्नानुसार था :—

(लाख मीटरी टन में)

	पंजाब	हरियाणा	राजस्थान
1.1.89	20.94	4.92	3.78
1.1.90	28.27	7.27	4.20
1.1.91	41.92	11.66	9.23
1.1.92	45.53	9.67	3.68

1 2. 1992 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल में चावल और गेहूं का अनुमानित स्टाक क्रमश: 91.97 लाख मीटरी टन और 42.04 लाख मीटरी टन था।

अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता

4336. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1991-92 के दौरान अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को राज्यवार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : चूंकि संविधान के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य और अस्पताल आदि राज्यों को विषय है, इसलिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अस्पतालों के आधुनिकी करण के लिए वित्तीय सहायता नहीं देती है। तथापि, केन्द्र सरकार मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग, क्षयरोग, दृष्टि-हीनता आदि के उन्मूलन नियंत्रण कार्य में राज्यों की सहायता करती है।

नेहरू युवक केन्द्र

4337. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर नेहरू युवक केन्द्र चल रहे हैं, ये केन्द्र कब से चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों से इनके लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और इनका प्रयोजन क्या था तथा इनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) इन केन्द्रों में गत तीन वर्षों से चल रही गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन केन्द्रों की उपयोगिता का मूल्यांकन किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो इस मूल्यांकन के क्या निष्कर्ष हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मंत्री (सुश्री ममता बनर्जी) : (क) उन स्थानों के नाम जहां युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जब से प्रत्येक केन्द्र कार्य कर रहा है वह तिथि इस समय उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है तथा बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को आबंटित धनराशि और किए गए खर्च को संकलित किया जा रहा है और बाद में सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) संगठन के केन्द्र, गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। उनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्य शिविर, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कार्यकलाप और युवा क्लबों को बढ़ावा देना शामिल हैं। केन्द्र, प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ साम्प्रदायिक अशान्ति के समय भी योगदान देते हैं।

(घ) केन्द्रों की योजनाओं का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

(ङ) योजना आयोग की रिपोर्ट में कार्यक्रमों का मूल्यांकन सामान्यतः पक्ष में किया गया है तथा विशेष तौर पर कहा गया है कि केन्द्रों के कार्यक्रमों ने पर्यावरण, राष्ट्रीय मूल्यों और मुद्दों, विकास कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बारे में ग्रामीण युवाओं में जागरूकता उत्पन्न की है। रिपोर्ट में धनराशि के नियमित प्रवाह और विकास विभागों के साथ पर्याप्त सम्पर्कों को सुनिश्चित करने के लिए मकैनिजम के विकास की आवश्यकता का सुझाव भी दिया गया है।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां नेहरू युवा केन्द्र कार्यरत हैं

आन्ध्र प्रदेश

1. अनंतपुर
2. विजयवाड़ा
3. चित्तूर
4. कुड्डापाह
5. गुन्टूर
6. ककोनाडा
7. करीमनगर
8. खम्मम
9. कुरनूल
10. महबूबनगर
11. निजामाबाद
12. नेल्लोर
13. श्रीकाकुलम
14. विशाखापट्नम
15. अदिलाबाद
16. विजोनगरम
17. नेलोर
18. वरंगल
19. हैदराबाद
20. नालगोंडा
21. पश्चिमी गोदावरी
22. प्रकासम
23. रंगारेड्डी

असम

1. डिब्रूगढ़
2. डिफू
3. धुब्री
4. कामरूप
5. उत्तरी लखीमपुर
6. नौगांव
7. कछार
8. तेजपुर
9. उत्तरी कछार हिल्स
10. करीमगंज
11. बारपेटा
12. गोल पारा

बिहार

1. बेतिया
2. भागलपुर
3. भोजपुर
4. सारन
5. दरभंगा
6. धनबाद
7. कटिहार
8. रांची
9. मुंगेर
10. मुजफ्फरपुर
11. मोतीहारी
12. नालन्दा
13. डाल्टनगंज (पलामू)
14. गया
15. पटना
16. पुनिया
17. रोहतास
18. सहरसा
19. समस्तीपुर
20. गिरीडीह
21. गोपालगंज
22. बेगुसराय
23. वैशाली
24. साहेबगंज
25. गोंड्डा
26. देवगढ़
27. माधेपुरा
28. मधुबनी
29. दुमका
30. सिंहभूम
31. सिवान
32. सीतामढ़ी
33. हजारीबाग
34. औरंगाबाद
35. गुमला
36. नवादा
37. लोहारडागा
38. खगडिया
39. जहानाबाद

गुजरात

1. भरूच
2. नाडियाड (केडा)
3. कच्छ
4. गोधरा
5. साबरकांठा
6. जूनागढ़
7. मेहसाना
8. सुरेन्द्र नगर
9. जामनगर
10. वलसाड
11. सूरत
12. अहमदाबाद
13. बड़ोदा
14. डांगस
15. अमरेली
16. पालनपुर
17. राजकोट

हरियाणा

1. अम्बाला सिटी
2. भिवानी
3. गुड़गांव
4. करनाल
5. सिरसा
6. कुरुक्षेत्र
7. रोहतक
8. फरीदाबाद
9. सोनीपत
10. जींद
11. हिसार
12. महेन्द्रगढ़

हिमाचल प्रदेश

1. बिलासपुर
2. चम्बा
3. कांगड़ा
4. हमीरपुर
5. किन्नौर
6. कुल्लू
7. केलोंग
8. मण्डी
9. नाहन
10. सोलन
11. शिमला
12. ऊना

जम्मू और कश्मीर

1. कथुआ
2. अनतनाग
3. बारामूला
4. डोडा
5. जम्मू
6. पुलवामा
7. पुंछ
8. राजोरी
9. श्रीनगर
10. उधमपुर

कर्नाटक

1. बीजापुर
2. बेलगांव
3. बिदर
4. चिकमंगलूर
5. गुलबर्गा
6. हुबली

7. मार्थ कनारा
8. कोडागु
9. कोलार
10. मंगलोर
11. मनड्डया
12. मैसुर
13. रायचूर
14. चित्रदुर्गा

केरल

1. एल्लेप्पी
2. कैन्नूर
3. थोडुपुझा (इडुक्की)
4. कांझीकोडे
5. मल्ला पुरम
6. पालघाट
7. त्रिवेन्द्रम
8. त्रिचुर
9. कासरगोड
10. किलोन

मध्य प्रदेश

1. बेतुल
2. छतरपुर
3. दतिया
4. देवास
5. धार
6. दुर्ग
7. ग्वालियर
8. होशियाबाद
9. इन्दौर
10. जबलपुर
11. रायगढ़
12. झबुआ
13. बस्तर
14. रतलाम
15. सिहोरे
16. शाजापुर
17. शिवपुर
18. गुना
19. छिन्दवाड़ा
20. मोरेना
21. खंडवा
22. बिलासपुर
23. भिंड
24. राजगढ़ (बायोरा)
25. सीवा
26. शाहडूल
27. रायपुर
28. रायसेन
29. मण्डला
30. उज्जैन
31. मुरेना
32. नरसिंहपुर
33. खरगोन (उत्तरी निमर)
34. बालाघाट
35. भोपाल
36. सागर

37. विदिशा
38. सिद्धी
39. टीकमगढ़
40. पन्ना
41. मंडसौर
42. सतना
43. सरगुजा
44. राजानंदगांव
45. सिओनी

महाराष्ट्र

1. औरंगाबाद
2. अलीबाग
3. भंडारा
4. कोल्हापुर
5. शोलापुर
6. थाने
7. जलगांव
8. नानडेड
9. यवतमाल
10. अमरावती
11. गढ़चिरोली
12. जलना
13. बुलधाना
14. सतारा
15. नासिक
16. परभानी
17. उस्मानाबाद
18. धुले
19. रत्नागिरि
20. लातूर
21. अकोला
22. चन्द्रापुर

मणिपुर

1. चुराचन्दपुर
2. इम्फाल
3. सेनापति
4. तामिगलोंग
5. उखरूल
6. ऊबल
7. चन्देल
8. बिशनपुर

मेघालय

1. जोवाई
2. पश्चिम गोरो हिल्स (तूरा)
3. शिलांग

नागालैंड

1. कोहिमा
2. मोकोकचुंग
3. जुनहेबोटो
4. तुयेनसांग
5. बोखा
6. फेक

उड़ीसा

1. बालासोर
2. लालागिरि
3. मयूरभुंज

4. गंजम
5. कालाहांडी
6. बेनकनाल
7. कियोनझार
8. कोरापुट
9. फूलबनी
10. पुरी
11. सम्भलपुर
12. सुन्दरगढ़

पंजाब

1. अमृतसर
2. भटिन्डा
3. फरीदकोट
4. फीरोजपुर
5. गुरदासपुर
6. होशियारपुर
7. जलन्धर
8. कपूरथला
9. लुधियाना
10. पटियाला
11. रोपड़
12. संगरूर

राजस्थान

1. अजमेर
2. बांसवाड़ा
3. बाड़मेर
4. भरतपुर
5. भीलवाड़ा
6. बीकानेर
7. चूरी
8. चित्तौड़गढ़
9. चूरु
10. डूगरपुर
11. जयपुर
12. जैसलमेर
13. जोधपुर
14. जालोर
15. सवाई माधोपुर
16. सिरोही
17. टोंक
18. उदयपुर
19. अलवर
20. कोटा
21. पाली
22. धौलपुर
23. नागौर
24. सीकर
25. झुंझनू
26. झालवाड़
27. श्री गंगानगर

सिक्किम

1. गंगटोक
2. नामची

तमिलनाडु

1. कोयम्बटूर
2. कुड्डालोर

3. धरमपुरी
4. मदुरै
5. पुडुकोट्टई
6. सलेम
7. शिवगंगा
8. तिरुचिरापल्ली
9. तंजावूर
10. तिरुनेलवेली
11. नीलगिरी
12. वेल्लोर
13. वेल्लोर
14. कन्या कुमारी
15. मद्रास
16. ईरोड
17. दिन्दीगुल (अम्ना डि.)
18. रामनाथपुरम
19. चिदम्बरानर

त्रिपुरा

1. अगरतला
2. नार्थ त्रिपुरा
3. साउथ त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

1. अल्मोड़ा
2. इलाहाबाद
3. अलीगढ़
4. प्रतापगढ़
5. आजमगढ़
6. बदायूं
7. बांदा
8. बिजनौर
9. चमोली
10. देहरादून
11. देवरिया
12. फर्रुखाबाद
13. फतेहपुर
14. फैजाबाद
15. गाजीपुर
16. गोरखपुर
17. हमीरपुर
18. झांसी
19. लखीमपुर खेड़ी
20. मथुरा
21. मेरठ
22. मुजफ्फर नगर
23. मुरादाबाद
24. नैनीताल
25. मिर्जापुर
26. पौड़ी गढ़वाल
27. पिथौरागढ़
28. राय बरेली
29. रामपुर
30. सीतापुर
31. सहारनपुर
32. उन्नाव
33. उत्तर काशी
34. वाराणसी

35. सुल्तानपुर
36. ललितपुर
37. एटा
38. आगरा
39. टिहरी गढ़वाल
40. बुलन्दशहर
41. शाहजहांपुर
42. बहराइच
43. जौनपुर
44. बरेली
45. पीलीभीत
46. मैनपुरी
47. लखनऊ
48. गोंडा
49. बाराबंकी
50. बलिया
51. कानपुर (देहात)
52. बुढाना
53. आलान
54. गाजियाबाद
55. हरदोई
56. बस्ती

पं बंगाल

1. 24 परगना (नार्थ)
2. बरदवान
3. मुर्शिदाबाद
4. दार्जिलिंग
5. डायमण्ड हार्बर
6. जलपाईगुड़ी
7. मिदनापुर
8. पुरुलिया
9. कलकत्ता
10. कुच बिहार
11. वेस्ट दिनाजपुर
12. बंकुरा
13. बिरभूम
14. हुगली
15. नादिया
16. हावड़ा
17. मालदा

अरुणाचल प्रदेश

1. सियांग
2. लोअर सुबानसिरी
3. दपोरिजो

अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह

1. निकोबार
2. पोर्ट ब्लेयर

चण्डीगढ़

1. चण्डीगढ़

दिल्ली

1. अलीपुर
2. महरोली
3. नांगलोई

गोवा दमन और दीव

1. दमन
2. पणजी
3. दीव

लक्षद्वीप	मिजोरम
1. कवारत्ती	1. ऐजल
पांडिचेरी	2. लंगलेई
1. पांडिचेरी	दादर व नागर हवेली
	1. दादर व नागर हवेली

[अनुवाद]

निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस में रसोई यान

4338. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री जी. एम. सी. बालयोगी ।

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन-विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस और निजामुद्दीन-हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस में रसोई यान की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इन गाड़ियों में रसोई यान की व्यवस्था करने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है क्योंकि मार्गवर्ती स्थैतिक इकाइयों के माध्यम से इस समय की जा रही व्यवस्था यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है ।

जौनपुर स्टेशन पर बाकी सुविधाएं

4339. श्री अर्जुन सिंह यादव ।

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या जौनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं पर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त रेलवे स्टेशन के रख-रखाव पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) उक्त रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) । (क) जी हां ।

(ख) रेलें अनुरक्षण पर होने वाले खर्च का ब्यौरा स्टेशनवार नहीं रखती है।

(ग) जोनपुर स्टेशन पर पांच प्लेटफार्मों, प्लेटफार्म पर सायबानों, 45 बेंचों/सीटों, 32 पानी की टोंटियां, 6 स्नान घर, महिलाओं तथा पुरुषों, प्रत्येक के लिये 6 शौचालय, पुरुषों के लिए 8 मूत्रालय तथा महिलाओं के लिए 3 मूत्रालय, महिलाओं और पुरुषों के लिए ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षा कक्ष, महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रतीक्षालय, वेंडिंग स्टाल, वेंडिंग ट्रालियों, 6 बुकिंग खिड़कियों, पूछताछ एवं आरक्षण कार्यालय, सभी प्लेटफर्मों को मिलने वाली पैदल पुल, पहुँच मार्ग, परिचालन क्षेत्र, बुक स्टाल, साइकिल स्टैंड, जल शीतल और प्लेटफार्मों पर छायादार पेड़ों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। स्टेशन पर बिजली भी लगी हुई है। इस स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यातायात के वर्तमान स्तर के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार ये सुविधाएं पर्याप्त हैं,

विल्लुपुरम जंक्शन पर यात्री सुविधाएं

43340. श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम।

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या तमिलनाडु में विल्लुपुरम जंक्शन पर यात्रियों के लिए पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं बहुत असंतोषजनक है;

(ख) क्या वहां अत्यधिक भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए इस जंक्शन पर पर्याप्त पीने का पानी, शौचालय जैसी सुविधाएं और प्रतीक्षा-गृहों आदि की व्यवस्था करने की कोई योजना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) इस स्टेशन पर पानी के 41 नलों, 2 जल-शीतकों, 15 शौचालयों तथा पर्याप्त स्थान वाले प्रतीक्षालय की व्यवस्था की गई है। इस स्टेशन पर सम्हाले जाने वाले यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए ये सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सुविधाएं

4341. श्री गंगाधरा सानीपल्ली :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वर्ष कितनी महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान उचित स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के अभाव में मृत्यु हो जाती है; और

(ख) सरकार ने उन्हें गर्भावस्था तथा शिशु जन्म के दौरान व्यवस्था की देखभाल करने तथा विद्यमान स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में, शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) भारत के महापंजीयक द्वारा प्रतिवर्ष जैव सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं अनुमानों के लिए रमूना पंजीयन प्रक्रिया अपनाई जाती है जिनमें जन्म दर और शिशु मृत्यु दर के अनुमान भी शामिल हैं। इस प्रक्रिया में मातृ मृत्यु दर के अनुमान नहीं लिए जाते हैं।

(ख) महिलाओं को गर्भावस्था परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने और मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करने के बारे में जानकारी देने के लिए कदम उठाए गए हैं। इनमें फिल्म तैयार करना तथा उन्हें ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड यूनिटों द्वारा दिखाए जाने के लिए वितरित करना, कम उम्र में विवाह के हानिकारक प्रभावों और प्रसवपूर्व, प्रसव, प्रसवोत्तर परिचर्या, टेटनस से रोगप्रतिरक्षण, स्तनपान और जन्म में अन्तर रखने के लाभों के बारे में टी वी स्पाट्स, प्रचार ढांचे के फील्ड स्टाफ तथा स्वास्थ्य परिचर्या के बुनियादी ढांचे के माध्यम से मुद्रित साहित्य वितरित करना तथा पारस्परिक संचार कार्य शामिल हैं। महिला प्रतिनिधि समूह गैर सरकारी संगठन और स्वैच्छिक एजेंसियां भी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए परा-चिकित्सा कर्मचारियों को सहायता प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

टाटा-चण्डीगढ़ रेलगाड़ी में लातेहार स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा

4342. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातेहार स्टेशन के लिए चलने वाली टाटा-चण्डीगढ़ रेलगाड़ी में दो सीटों के आरक्षण कोटा को बहाल करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस आरक्षण कोटे को बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं, बहरहाल 1.5.92 से इस स्टेशन पर बरकाकाना-अमृतसर कोच में दूसरे दर्जे की 2 सीटों का कोटा आवंटित किया जा रहा है,

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में चंदवा-तोरी स्टेशन पर ऊपरी पुल

4343. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू जिले में चांदवा-तोरी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे लाइन पर ऊपरि पुल निर्माण की मांग कई वर्षों से लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार का विचार उक्त पुल का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा ऊपरी पुल के निर्माण के लिए ठोस प्रस्ताव प्राप्त

किए जाने और नियमानुसार लागत वहन करने की विधिवत सहमति होने पर ही रेलें इस मामले में कार्रवाई कर सकती हैं।

बिहार में स्मारक

4344. श्री राम डहन चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिले-वार पुरातत्विक महत्व के कौन-कौन स्मारक हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष उनके रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या उनमें से कुछ स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) बिहार में पुरातात्विक महत्व के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की जिला-वार सूची सलग्न विवरण में है।

(ख) बिहार में स्मारकों के रख-रखाव और संरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ व्यय निम्नानुसार है।

1988-89	रु. 23,95,927.00
1989-90	रु. 23,18,802.00
1990-91	रु. 23,67,143.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव और संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

बिहार राज्य

क्र. सं.	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	1	3
	औरंगाबाद जिला	
1.	अमोरगढ़	अमोर खास का मकबरा

1	2	3
	भागलपुर जिला	
2.	अन्तिचक, माधोरामपुर और ओचीउप	विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल
3.	कोलागोंग	शैल मन्दिर
4.	माधोरामपुर	पठारघाट पहाड़ा पर बेटेश्वर गुफा के निकटस्थ पातालपुरी गुफा और लेख
5.	पठारघाट	शैल प्रतिमाएं
	पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिले	
6.	चंकी	ध्वस्त गढ़ी, चंकी गढ़
7.	लौरिया अरेराज	अशोक स्तंभ, जो लौर स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध हैं।
8.	लौरिया	अशोक स्तंभ
9.	—अधोपरि—	वैदिक अंत्येष्टि—टीले
10.	मड़िया	नन्दगढ़ स्थित किले का अवशेष
11.	—अधोपरि—	नन्दगढ़ स्थित ध्वस्त गढ़ी
12.	—अधोभूमि—	वैदिक अंत्येष्टि—टीले
13.	पकरी	वैदिक अंत्येष्टि—टीले
14.	रामपुर्वा	अशोक स्तंभ
15.	सागरडाह	किले के खंडहर
16.	सोहगौरा टेउर	बौद्ध स्तूप
	दरभंगा जिला	
17.	पचखी	स्थानीय रूप से "राजा बली का गढ़" के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन किला या गढ़ के अवशेष
	गया जिला	
19.	बाराबर और नागार्जुना पहाड़ियां	गोपी गुफा

1	2	3
20.	बारबर और नागार्जुन पहाड़ियां	कर्णचौपड़ गुफा
20.	—यथोपरि—	लोमस ऋषि गुफा
21.	—यथोपरि—	सुदामा गुफा
22.	—यथोपरि—	वादा ठोका गुफा
23.	—यथोपरि—	वापीयाका गुफा
24.	—यथोपरि—	विश्व झोपा गुफा
25.	बेन्जन	प्राचीन बौद्ध प्रतिमा और मूर्तियां, जो एक शेड के नीचे संग्रहीत हैं।
26.	गुलेरी	प्राचीन बौद्ध प्रतिम और अन्य प्रतिमाएं तथा मूर्तियां, जो एक शेड के नीचे संग्रहीत हैं।
27.	बिशनपुर-सर्वान हसरा और जगदीशपुर	घाटा में प्राचीन टीले, जो हसरा कोल के नाम से प्रसिद्ध हैं।
28.	—यथोपरि—	पहाड़ी पर प्राचीन टीले, जो सोवनाव के नाम से प्रसिद्ध हैं।
29.	कुरासराय	की आडोल पहाड़ी की कुछ चट्टानों और शिला खंडों के दक्षिणी और पूर्वी सिरों पर उत्कीर्ण की हुई विभिन्न हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां
30.	—यथोपरि—	की आडोल पहाड़ी के दक्षिण-पूर्वी किनारे से 12 फुट की दूरी पर पड़े अलग-अलग गोल शिलाखंड के अग्रभाग पर उत्कीर्ण की गई विभिन्न हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां।
31.	—यथोपरि—	की आडोल पहाड़ी की कुछ चट्टानों के उत्तरी और पूर्वी अग्रभागों पर उत्कीर्ण की गई विभिन्न हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां
32.	—यथोपरि—	की आडोल पहाड़ी के पूर्व में एक आयताकार एकाकी शिलाखंड के हर ओर चार हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियां।

1	2	3
33.	विशुनपुर-सर्वान हसरा और जगदीशपुर	समस्त प्राचीन अवशेष, जिन पर बुद्ध की एक विशाल मूर्ति, कुछेक बिखरी मूर्तियाँ और बलुवा पत्थर के तेरह खम्भे हैं।
34.	कुर्कीहार	वह क्षेत्र, जो साधारणतया गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है।
35.	लाट	प्राचीन एकाश्म स्तंभ, जो लाट के नाम से प्रसिद्ध हैं।
36.	बकरौर बीच मेहेर	प्रचीन स्तूप और अन्य अवशेष, जो स्थानीय रूप से सुजातागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हैं।
	मुजफ्फरपुर जिला	
37.	बसाढ़	राजा वैसल का गढ़ के नाम से प्रसिद्ध ढाला।
38.	हाजीपुर	जमा मस्जिद
39.	कोल्हुआ	अशोक स्तंभ
40.	हरपुर-बसन्त और चक्रमद्दास गांव	खोद कर निकाले गए स्तूप के अवशेष
	पटना जिला	
41.	बिहार	परकोटों और टीले के अवशेष, जो 'किल्ला' के रूप में प्रसिद्ध पुराने किले में साधारणतया 'रानी का महल' के नाम प्रसिद्ध हैं।
42.	—यथोपरि—	मालिक इब्राहिम बेया का मकबरा
43.	बुलन्दीपुर	बाग, जो 'बुलन्दी बाग' के नाम से प्रसिद्ध है।
44.	छोटी पहाड़ी	टीला या स्तूप, तो छोटी पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है।
45.	घोड़ा कटोरा	प्राचीन अवशेष, जो गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है।
46.	कुम्राहार	अशोक के प्रासाद का अनुमानित स्थल
47.	महल्ला सन्दलपुर	लकड़ी की नीवों और प्राचीन मौर्यकालीन दीवारों के अवशेष

1	2	3
48.	मनेर	तालाब
49.	—यथोपरि—	शाह मखदूम, दौलत मनेरी और इब्राहीम खान के मकबरे
50.	नालन्दा (बड़गांव)	समस्त टीले, संरचनाएं और इमारतें, जो अधिसूचित क्षेत्र के अन्दर हैं।
51.	पहाड़ी डीह	टीले, जो पांच स्तूप या 'पंच पहाड़ी' के नाम से प्रसिद्ध हैं।
52.	पटना	1. स्नान-ताल 2. मीर अशरफ की जुम्मा मस्जिद 3. पक्का कुआं
53.	गांव अहियापुर मनेर (राजस्व एकक सं. 34)	प्राचीन टीला और ईंटों का व्यस्त रास्ता
54.	गांव मनेर (रा. ए. सं. 7)	—यथोपरि—
55.	राजगीर	1. इन क्षेत्रों के अन्दर की समस्त प्राचीन संरचना और अन्य स्मारक या अवशेष, जो दीवारों से घिरे हैं। 2. समस्त प्राचीन संरचनाएं और समस्त कृत्रिम गुफाएं एवं टीले, जिनमें प्राचीन अवशेष हैं, जो प्राचीन और नवीन राजगृह के नाम से प्रसिद्ध, दो पुराने नगरों से आधे मील की दूरी के अन्दर स्थित हैं। 3. प्राचीन और नवीन राजगृह के नाम से प्रसिद्ध दो प्राचीन नगरों की दीवारें
		रांची जिला
56.	हंसा	असुर स्थल
57.	कठारटोला	—यथोपरि—
58.	लोकपट्टा	प्राचीन प्रस्तर-मंदिर जिसमें एक छोटा शिवलिंग है

1	2	3
59.	चुन्तीटाला	असुर स्थल
60.	छुंबला	—यथोपरि—
61.	सारीदकेल	—यथोपरि—
		सहरसा जिला
62.	बनगांव और महेशी	प्राचीन टीला, जो स्थानीय रूप से "गोला-बाहक" के नाम से प्रसिद्ध है
		संथाल परगना जिला
63,	अजाबी मुकीमपुर	बारादरी इमारतों के खंडहर, जिनमें संभवत: भूमिगत कोठारयां और रास्ते हैं।
64.	हजफ	जुम्मा मस्जिद
		सारना जिला
65.	मांझी	(1) समस्त प्राचीन इमारतें और अन्य स्मारक या अवशेष तथा कृत्रिद गुफाएं और टीले, जिनमें पूर्वोक्त प्राचीन मांझी शहर का सीमाओं के अन्दर प्राचीन अवशेष हैं।
		(2)प्राचीन मांझी शहर के अवशेष
		शाहबाद जिला
66.	शाहिकपुर	चन्दन शहीद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख
67.	बक्सर	प्राचीन टीला
68.	कोटा	1. उत्कीर्णित चट्टान जिसमें नागरी लिपि में छह पंक्तियों का उत्कीर्ण लेख है, जो संवत् 1225 की है, जो ताराचांदी मंदिर के निकटस्थ गुफा में बने शैलाश्रय में है।
		2. सं. 1 के सामने ऊपर वर्णित उसी आश्रय में इससे पूर्व की नागरी तिथि का लिपि में लिखे उत्कीर्ण लेख की दो अन्य पंक्तियां।
		3. शैलाश्रय के ऊपर तीन पंक्तियों का अरबी लिपी में अन्य शिलालेख जिसमें प्रारम्भ में ही स्पष्ट रूप में दायां हाथ खुदा है।

1	2	3
69.	मलिक सराय	बख्तयार खान का मकबरा
70.	पौरा	मुंडेश्वरी का मन्दिर
71.	रोहतासगढ़	रोहतासगढ़ किला
72.	सासाराम	हसन शूरशाह का मकबरा
73.	—यथोपरि—	1. शेरशाह का मकबरा
		2. तालाब
		3. इसकी दीवारें
		4. घाट
		5. पार्श्व की छतरियां, उत्तरी प्रवेश-द्वार और बीथिकाएं।
		6. शेरशाह के मकबरे के पश्चिम में प्रवेश-द्वार (दिल्ली दरवाजा)
	सिंहभूम जिला	
74.	बेनीसागर	1. बेनीसागर तालाब
		2. उपर्युक्त तालाब के दक्षिण-पूर्व किनारे पर मन्दिर और मूर्तियों के पुराने अवशेष
75.	सेमम	पुराने किले का स्थल
76.	ईंटागढ़	प्राचीन टीला
	सारण जिला	
77.	जीरा देई	स्व. डा. राजेन्द्र प्रसाद का पैतृक मकान।

बिहार के लिये वेगन

3345. श्री ललित उराँव

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान बिहार के क्षेत्रों/मंडलों में कितने वगनों की आवश्यकता थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन्हें कितने वैगन उपलब्ध कराये गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बिहार राज्य को सेवित करने वाले धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, मालदा, हावड़ा, आसनसोल, सोनपुर, समस्तीपुर, आंद्रा और चक्रधरपुर मंडलों में 1990 और 1991 के दौरान जितने माल डिब्बों की मांग की गई थी उनकी तथा लादे गए मालडिब्बों की संख्या नीचे की तालिका में दी गई है।—

	1990		1991	
	मांग	लदान	मांग	लदान
ब. ला.	3621958	3615168	3692066	3686418
मी. ला.	40774	40600	58786	58619

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर स्टालों का आवंटन

4346. श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मंजूर किए गए स्टालों की वर्षवार तथा जोन-वार संख्या क्या है;

(ख) अनुसूचित जातियों/जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैनिकों को इनमें से आवंटित किए गए स्टालों की संख्या क्या है;

(ग) क्या ऐसे मामलों में युद्ध के दौरान हुई विधवाओं तथा दंगे से पीड़ित लोगों को किए जाने वाले आवंटन में कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार, केवल व्यावसायिक/प्रतिष्ठित खान-पान, प्रबन्धकों को खान-पान/बेंडिंग लाइसेंस आवंटित किए जायेंगे। बहरहाल, छोटे और मांगवर्ती स्टेशनों के मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी.

[हिन्दी]

कुष्ठ रोगियों के लिए [illegible]

4347. श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में हुए रोग-प्रतिरक्षय संबंधी अपने अध्ययन में यह चेतावनी दी है कि कुष्ठ रोगियों के उपचार हेतु प्रयोग में लाए जा रहे इन्जेक्शनों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी नहीं। कुष्ठ रोग के उपचार में किसी इन्जेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलना

4348. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटी रेल लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) कर्नाटक में क्षेत्रीय रेलवे की छोटी रेल लाइन की कुल लम्बाई कितनी है;

(ग) इस राज्य में उन रेल लाइनों के नाम क्या है, जिन्हें छोटी रेल लाइन से बड़ी रेल लाईन में बदलने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, और

(घ) इनमें से कितनी लम्बाई की रेल लाइनों को वर्ष 1992-93 के दौरान छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदले जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 31.03. 1991 को 23,419.23 मार्ग किलोमीटर।

(ख) 31.03. 1991 को 2,259.84 किलोमीटर।

(ग) (I) बेंगलूर हुबली

(II) चिकजाजूर-रायदुर्ग

(III) बेंगलूर-मैसूर

(IV) बेंगलूर-येलहंका

(घ) 348 किलोमीटर,

प्रदूषण नियंत्रण पुरस्कार

4349. डा. सी. सिलवेरा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई पुरस्कार दिए गए है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन देने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) : जी हां। चार औद्योगिक इकाइयों, अर्थात (I) मैसर्स भोपाल पेस्टिसाइड्स प्रा. लि. भोपाल (मध्य प्रदेश), (II) मैसर्स गुजरात अम्बूजा सीमेंटस लि., कोडिनार (गुजरात), (III) मैसर्स श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, कोटा, (राजस्थान) तथा (IV) मैसर्स श्री रयालसीमा अल्कलीज एण्ड एलाइड कैमिकल्स लि. कुरनूल (आन्ध्र प्रदेश) को प्रदूषण नियंत्रण में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिए गए है।

(ग) और (घ) मौजूदा स्कीम के अनुसार, हर वर्ष 15 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें 10 पुरस्कार बड़े और मंझोले उद्योगों तथा 5 पुरस्कार लघु उद्योगों को दिए जाएंगे।

प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने वाले उद्योगों को तीव्र मूल्यह्रास, सीमा और उत्पादन शुल्क में छूट के जरिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। लघु उद्योगों के समूहों के साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने में सहायता देने तथा बड़े और मझोले उद्योगों को प्रदूषण उपशमन उपकरण लगाने के लिए रियायती दरों पर ऋण देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक स्कीम शुरू की गई है। प्रदूषण नियंत्रण की प्रणालियां स्थापित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहनों की सिफारिश करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है।

पुनर्गठन पाठ्यक्रम पर व्यय

4350. डा. सुधीर राय :

क्या मानव संशाधन विकास मन्त्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुनर्गठित पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए कितना खर्च किया,

(ख) क्या वर्दवान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले उन सभी कालेजों को खर्च की पूरी राशि का भुगतान किया गया है जिन्होंने पुनर्गठन पाठ्यक्रम शुरू किया था, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनानुसार, सातवीं योजना के दौरान पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना की योजना के कार्यान्वयन पर 342.43 लाख रु. का व्यय किया गया था।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनानुसार, वर्दवान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 12 कालेजों को व्यय की प्रगति के आधार पर 1.00 से 2.75 लाख रु. के बीच धनराशि प्रदान की गई है। शेष अनुदान पहले से मुक्त किए गए अनुदान के सम्बन्ध में उपयोगिता

प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर अथवा कार्यान्वयन रिपोर्ट के प्राप्त होने के उपरांत, जैसी स्थिति हो, प्रदान किए जायेंगे। दो कालेजों का कोई अनुदान नहीं दिया गया है, क्योंकि उनसे कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

देश में विश्वविद्यालयवत् विश्वविद्यालय

4351. डा. सुधीर राव :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्वविद्यालयवत् विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयवत् विश्वविद्यालयों में अध्यापकों को नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है; और

(ग) इन विश्वविद्यालयों के वैधानिक गठन का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) देश में 31 सम विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) विश्व. अनु. आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार अधिकतर समविश्वविद्यालय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत सोसाइटियां हैं। उनके कर्मचारियों तथा अध्यापकों की नौकरी की सुरक्षा, उपनियमों के प्रावधानों तथा इस प्रकार के संस्थानों को स्थापित करने के दस्तावेज में अनेक संगत प्रावधानों द्वारा अभिशासित की जाती है. अधिकतर सम विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध ढांचा, सब मिलाकर, उसी पद्धति पर है जैसाकि परंपरागत विश्वविद्यालयों का हैं।

राज्यों में इन्डोर स्टेडियम बनाने के लिए वित्तीय सहायता

4352. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे/मध्यम आकार का इन्डोर स्टेडियम बनाने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (सुश्री ममता बनर्जी) : (क) तथा (ख) राज्यों में इन्डोर स्टेडियमों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि उनका न्यूनतम आकार 20 मी. × 12 मी. × 7 मीटर हो

"राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान" की योजना के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ लागत की 50% की दर से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि यह सहायता 5.00 लाख

रुपये से अधिक न हो। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह सहायता बढ़ाकर लागत भी 75% तक कर दी गई है बशर्ते कि यह 12.50 लाख रुपये से अधिक न हो।

"हरियाणा में वनरोपण परियोजनायें"

4353. श्री भूपेन्द्र सिंह हूडडा।

(क) क्या हरियाणा में राज्य सरकार के सहयोग से वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) इसके लिए, जिला-वार तथा योजनावार, क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया गया है तथा इस सम्बन्ध में कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. आर. रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) हरियाणा में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) हरियाणा में वनीकरण और वृक्षारोपण की सभी स्कीमों और कार्यकलापों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के 1 79 लाख हेक्टेयर के कुल लक्ष्य की तुलना में राज्य के सभी जिलों की उपलब्धि 1.59 लाख हेक्टेयर रही।

विवरण

केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वियनाधीन हैं।—

1. समेकित परती भूमि विकास स्कीम—यह शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है और जन सहभागिता के साथ ग्राम/सूक्ष्म जलागम स्तरीय योजनाओं पर आधारित भूमि प्रबन्ध और परती भूमि विकास के समेकित दृष्टिकोण पर लक्षित है।

यह स्कीम हरियाणा में 1990-91 में 163.50 लाख रुपये के केन्द्रीय अनुदान से कार्यान्वित की गई थी। 3300 हैक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में राज्य की उपलब्धि 3600 हैक्टेयर रही है।

2. ईंधन लकड़ी और चारा परियोजनाओं की स्कीम—यह 50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भू-अवक्रमण को रोकने और ईंधन और चारे की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए वृक्षारोपण, कृषि वानिकी, सिल्वी चारागाह विकास, बागवानी, मृदा और जल संरक्षण जैसे कार्यकलापों को संगठित करके पता लगाए गए जलाशयों के समेकित विकास को बढ़ावा देना है।

यह स्कीम हरियाणा में 1990-91 से कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य को 222.63 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान दिया गया था। 7410 हैक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में राज्य की उपलब्धि 7253 लाख हैक्टेयर रही है।

3. हवाई बीजारोपण स्कीम—शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस स्कीम का उद्देश्य कठिन और दुर्गम क्षेत्रों का तेजी से और पर्याप्त कम लागत पर पुनर्वनस्पीकरण करना है।

अरावली पहाड़ियों में वर्ष 1990-91 के दौरान 6.50 लाख रुपये की लागत से हवाई बीजारोपण कार्य किया गया था। राज्य ने 1500 हैक्टेयर के पूर्ण वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया है।

4. लघु वनोपज के वृक्षारोपण की स्कीम—शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस स्कीम में लघु वनोपज, फलदार वृक्षों और औषधीय पौधों का रोपण किया जाता है जिसका उद्देश्य आदिवासी और अन्य क्षेत्रों, विशेषतया जो वनों के आसपास हैं, को लाभ पहुंचाना है।

यह स्कीम हरियाणा में 1990-91 के दौरान आरम्भ की गई थी। 1000 हैक्टेयर क्षेत्र पर कार्य किये जाने के लिए 40.00 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान अवमुक्त किया गया था। तथापि, राज्य ने पूरे अनुदान का उपयोग करके 623 हैक्टेयर भूमि पर ही कार्य पूरा किया है।

5. जन-पौधशाला स्कीम—(शत प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित) स्कीम का उद्देश्य जन क्षेत्र में पौध उत्पादन को बढ़ावा देकर इस कार्य को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है।

वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य ने विकेंद्रित जन-पौधशालाओं में 862.85 लाख पौध उगाई है जबकि लक्ष्य 900 लाख पौध उगाने का था।

6. मरुस्थल विकास कार्यक्रम—शत प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित इस स्कीम का लक्ष्य भिवानी, महेन्द्रगढ़, हिसार और सिरसा जिलों में रेत के टिब्बों को आगे बढ़ने से रोकना है।

वर्ष 1990-91 के दौरान 4007 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था जिसकी तुलना में राज्य को उपलब्धि 3317 हैक्टेयर रही।

7. सूखा प्रवण क्षेत्रों के कार्यक्रम—शत प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित इस स्कीम के अन्तर्गत रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और सिरसा सूखा प्रवण जिलों में ईंधन/चारे के वृक्षों का रोपण शामिल है।

वर्ष 1990-91 के दौरान 503 हैक्टेयर के लक्ष्य की तुलना में 616 हैक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण कार्य किया गया।

8. जवाहर रोजगार योजना—यह योजना मूलतः शत प्रतिशत केंद्रीय अनुदान से ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए है। वनीकरण कार्यकलापों में परिव्यय का लगभग 70 प्रतिशत मजदूरी के रूप में दिया जाता है।

खेलकूद संबंधी विशेष क्षेत्र परियोजना

4354. श्री भूपेन्द्रसिंह हुड्डा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलकूद के सम्बन्ध में हाल ही में शुरू की गई विशेष क्षेत्र परियोजना की उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या इस योजना का आगे विस्तार करने के लिए किन्हीं नये क्षेत्रों और कुश्ती जैसे अन्य खेलों को इसमें सम्मिलित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला बाल विकास विभागों) में राज्य मन्त्री (सुश्री ममता बनर्जी) : (क) विशेष क्षेत्र खेल परियोजना 1985 में शुरू की गई थी। इस तारीख तक, 383 खिलाड़ी 16 खेल विधाओं में वर्ष भर प्रशिक्षण लेते रहे हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उप जूनियर तथा जूनियर प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षणार्थियों का प्रदर्शन कुछ विधाओं में संतोषजनक रहा है तथा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कुल 185 स्वर्ण, 166 रजत और 114 कांस्य पदक विभिन्न विधाओं में जीते गये हैं।

(ख) और (ग) कुश्ती विधा को पहले ही शामिल कर लिया गया है। सम्बन्धित राज्य सरकारों, राष्ट्रीय संघों के परामर्श से नए क्षेत्रों अर्थात भारोत्तोलन (महिला) में प्रतिभा का पता लगाना योजना के समेकित लाभ के लिए कार्यक्रम का भाग है।

साक्षर केरलम प्रोजेक्ट

4355. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ग) साक्षर केरलम परियोजना के कार्यान्वयन से (पूर्ण साक्षरता अभियान; जो 18-4-91 को हुए समारोह में समाप्त हुआ केरल राज्य का शैक्षिक (साक्षरता, शिक्षा) स्तर 93·64 प्रतिशत रहा।

6 से 60 आयुवर्ग के 22.83 लाख निरक्षरों का नामांकन 16.47 लाख था। साक्षर केरलम परियोजना की सम्भित औपचारिक लेखा परीक्षा से, प्रति शिक्षार्थी लागत 34 रुपये आई।

विभिन्न पूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए, प्रति शिक्षार्थी लागत 70 रुपए रखी गई।

(ग) मार्च, 1992 तक 88 पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं स्वीकृत की गई (जिसमें केरल, गोआ राज्य तथा संघशासित प्रदेश पांडिचेरी शामिल हैं) ये परियोजनाए विभिन्न राज्यों की हैं तथा इसको पूर्ण जिले या जिले के कुछ भाग से शामिल किया गया है।

नए प्रस्तावों को भी प्राप्त होने उन पर पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ करने के लिए की गई तैयारी की स्थिति का अध्ययन करने तथा प्रस्तावित नीति का निरीक्षण करने के बाद ही विचार किया जाएगा। प्रत्येक पूर्ण साक्षरता अभियान के बजट को, केन्द्र और राज्य सरकारों के 2:1 के अनुपात से स्वीकृति दी गई है।

बेकार घोषित किए गए बैगनों का निपटान

4356. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर और पश्चिम रेलवे में बेकार घोषित किए गए वैगनों की संख्या का वर्षवार और डिवीजनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बेकार वेगनों का निपटान कैसे किया जा रहा है और बेकार पड़े तथा प्रयोगाधीन वेगनों की संख्या का अलग-अलग ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास शिप-बुकिंग यार्डों के सामान उक्त रेलवे के डिवीजनों में, अपने अपने वेगन-ब्रेकिंग (तोड़क) यार्ड हैं;

(घ) यदि हां, तो डिवीजनवार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ङ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में कोई नया वेगन ब्रेकिंग (तोड़क) यार्ड स्थापित करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नकारा घोषित किए गए माल डिब्बों की संख्या।

उत्तर रेलवे

मंडल/कारखाना	88-89	89-90	90-91	91-92 (फरवरी92 तक)
इलाहाबाद	62	39	59	53
मुरादाबाद	10	16	64	28
लखनऊ	—	—	79	124
फिरोजपुर	142	147	184	116
अम्बाला	18	7	31	28
दिल्ली	85	28	56	57
आलम बाग (डब्ल्यू)	903	818	479	427
जगाधरी	1370	1719	1410	1328
बीकानेर (डब्ल्यू एस)	250	223	290	182
जोधपुर (डब्ल्यू)	534	422	648	489
जोड़	3374	3432	3300	2832

पश्चिम रेलवे

पश्चिम रेलवे पर माल डिब्बे कारखाना प्रभारियों द्वारा ही नकारा घोषित किये जाते हैं (जिनमें मंडलों द्वारा संतुत माल डिब्बे भी शामिल होते हैं) तथा इनसे संबंधित ब्योरा नीचे दिया गया है :

88-89	89-90	9091-91	9192 (जनवरी 92 तक)
1125	1885	2684	1299

(ख) इन नकारा घोषित किए गये डिब्बों का निपटान नीलामी/निविदा के माध्यम से बिक्री द्वारा किया जा रहा है, उत्तर तथा पश्चिम रेलों पर बेकार तथा निष्क्रिय डिब्बों (जिनको नकारा घोषित किया जाना है) की संख्या क्रमशः 143 तथा 360 है, किसी डब्बे को नकारा घोषित कर दिए जाने के बाद उसे इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) माल डिब्बा ब्रेकिंग यार्ड, कारखानों/भंडार डिपुओं के निकट ही होते हैं, उत्तर रेलवे पर ब्रेकिंग यार्ड जगाधरी, लखनऊ, बीकानेर व जोधपुर में तथा पश्चिम रेलवे पर कोटा, मदार व भक्ति नगर में हैं।

(ङ) जी नहीं।

एड्स की रोकथाम हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता

4358. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान एड्स की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त की गई वित्तीय सहायता की धनराशि क्या है;

(ख) इस सहायता का उपयोग, राज्यवार, किस प्रकार किया गया है;

(ग) राज्यवार उपलब्धियां क्या हैं, और

(घ) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और उस पर निगरानी रखने के लिए कितने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एड्स केन्द्र स्थापित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ)। (क) एड्स निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन का योगदान इस प्रकार था :—

(आंकड़े अमेरिकी डालर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
दिल्ली	—	—	142,424
महाराष्ट्र	—	—	445,424
मणिपुर	—	—	62,856
तमिलनाडु	—	—	286,903
पश्चिम बंगाल	—	—	367,412

(ख) उपर्युक्त चार राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को दी गई सहायता का उपयोग

निम्नलिखित के लिए किया गया है । (1) प्रारम्भिक कार्यक्रम गतिविधियों के लिए आपूर्तियां और उपकरण की खरीद (2) रुटेट एड्स फोकल प्वाइंट यूनिटों की स्थापना (3) प्रहरी निगरानी कार्यकलापों की सहायता और (4) एच आई संक्रमण के निदिष्ट शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यकलापों को सहायता ।

(ग) इन सभी चार राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली ने एड्स फोकल प्वाइन्ट की स्थापना कर ली है तथा प्रारम्भिक आपूर्तियां तथा उपकरण खरीदे हैं । प्रहरी निगरानी कार्यकलाप निश्चित कर लिए गए हैं और अब उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है । इन राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली ने शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यकलाप शुरू किये हैं । महाराष्ट्र एवं मणिपुर राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली ने उपलब्ध धन के अनुसार कार्यक्रम के कार्य चयन का कार्य पूरा कर लिया है । तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल एम टी पी में निर्विष्ट अपने कार्यकलाप 5-6 माह की अवधि में पूरा करेंगे ।

(घ) भारत सरकार ने देश के विभिन्न शहरों और विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 29 आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र पहले ही स्थापित किए हैं जो देश के चार महानगरों—बम्बई में 10 कलकत्ता में 7 मद्रास में 5 तथा दिल्ली में 7 हैं । इसके अतिरिक्त 37 और आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र भी हैं । देश में 67 निगरानी केन्द्र हैं जहां एच आई वी परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को व्यावहारिक रूप से कवर करने के लिए एच आई वी परीक्षण सुविधाओं वाले 52 और केन्द्र खोले जाने हैं ।

एड्स रोगियों के नैदानिक उपचार के लिए देश के विभिन्न राज्यों में 13 मेडिकल कालेज/अस्पतालों का चयन किया गया है ।

बंगलौर को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करना

4359. श्रीमती चन्द्र प्रभा असं :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलौर को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का विनिश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उसके निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) किस समय तक इस कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) दिसंबर, 1991 तक 52.45 लाख रुपए ।

(ग) 5.00 लाख रुपए ।

(घ) 1993-94 के दौरान निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने की आशा की जाती है, बशर्ते कि धन उपलब्ध होता रहे ।

पोलियो के मामले

4360. श्री वी. प्रताप राव भोंसले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो के मामले की संख्या के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में पोलियो के मामलों की राज्यवार संख्या क्या है, और

(घ) भारत में पोलियो का उन्मूलन करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जनवरी, 1992 में प्रकाशित साप्ताहिक एपिडेमियोलाजिकल रिकार्ड नं 3 के अनुसार विकासशील देशों में घातक पोलियोमाइलिटिस के रोगियों की वार्षिक अनुमानित संख्या लगभग 120,000 है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम से इस रोग के लगभग 440,000 रोगियों की हर वर्ष रोकथाम की जा रही है।

(ग) वर्ष 1991 के दौरान पोलियो के रोगियों की राज्यवार संख्या का एक विवरण संलग्न है।

केन्द्रीय सरकार वेक्सीनों की पर्याप्त आपूर्ति, शीत भंडारण व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उपस्कर और वेक्सीनों को ले जाने तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करके जिलों में रोग प्रतिरक्षण कवरेज स्तर को तेजी से बढ़ाने के काम में राज्य प्राधिकारियों को सहायता प्रदान कर रही है। सतत उच्च रोगप्रतिरक्षण कवरेज स्तरों वाले राज्यों में प्रकोप को रोकने के तात्कालिक उपाय और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में बचे खुचे कार्य आरम्भ किए गए हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	1991 के दौरान सूचित पोलियो रोगियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	225
2.	असम	19
3.	बिहार	349
4.	गुजरात	341

1	2	3
5.	हरियाणा	111
6.	हिमाचल प्रदेश	3
7.	जम्मू व कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	101
9.	केरल	40
10.	मध्य प्रदेश	530
11.	महाराष्ट्र	332
12.	मेघालय	1
13.	नागालैंड	4
14.	उड़ीसा	34
15.	पंजाब	78
16.	राजस्थान	410
17.	तमिलनाडु	82
18.	उत्तर प्रदेश	1313
19.	पश्चिम बंगाल	942
20.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1
21.	दादरा व नगर हवेली	1
22.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	407
23.	गोवा	3
24.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	8
25.	अरुणाचल प्रदेश	4
	कुल :	5483

"बाघों के अस्थि-पंजर"

4361. श्री गुरुदास कामत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के न्यायालिक (फोरेन्सिक) विभाग में बाघों के अस्थि-पंजर गत अनेक वर्षों से पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे बाघों की खालों के व्यापार में न्यायालयिक विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, और

(घ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय मेंराज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्य वन्य-जीव वार्डन ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के फोरेन्सिक विभाग में न तो बाघ के कोई अस्थिपंजर पड़े हैं और न ही फोरेन्सिक विभाग के कर्मचारी ऐसे बाघों की खालों के व्यापार में शामिल हैं।

चीनी क्षेत्र

4362. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजन से कुछ चीनी क्षेत्र बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे क्षेत्रों की स्थापना के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(घ) राजस्थान किस चीनी क्षेत्र में आता है, और

(ङ) लेवी चीनी का कारखाना बाह्य मूल्य कितना है और उसमें कारखाने के लाभ का अनुमानित अंश कितना है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा चीनी क्षेत्रों की कुल संख्या 18 है।

(ग) चीनी क्षेत्रों की स्थापना मुख्य रूप से कृषि जलवायु परिस्थितियों तथा लागत एवं मूल्य पर विभिन्न विशेषज्ञ निकायों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

(घ) राजस्थान अपने आप में एक क्षेत्र है।

(ङ) लेवी चीनी की कारखाना बाह्य कीमतें सांविधिक न्यूनतम गन्ना कीमत, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा सिफारिश की गई रूपान्तरण लागत तथा प्रतिफल पर आधारित हैं। इसके आधार पर लेवी चीनी की एक फैक्ट्री औसत कीमत (समस्त भारत) 1991-92 मौसम के दौरान एस-30 ग्रेड के लिए 579.88 रुपए प्रति क्विंटल थी जिसमें 7.79 रुपए क्विंटल की एक्विटी पर रिटर्न शामिल है।

"राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की योजनाएं"

4363. श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या राजस्थान तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों की हालत सुधारने संबंधी राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की अनेक योजनायें कठिनाइयों का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राजस्थान सरकार और अन्य राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को योजना-वार कितनी राशि आवंटित की गई;

(घ) अब तक जिला-वार प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं, और

(ङ) इन राज्यों के लिए विशेष विकास योजनाएं, यदि हों, का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री रंगराजन कुमारमंगलम):(क)(ख) और(ङ)राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की राजस्थान और अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही स्कीमें निम्न प्रकार हैं :

(1) समेकित परती भूमि विकास प्रायोजनाओं की स्कीम ।

(2) क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी चारा परियोजना स्कीम ।

(3) विकेन्द्रित वन पौधशालाओं की स्कीम ।

(4) सीमान्त धन (मार्जिन मनी) सहायता स्कीम ।

(5) औषधीय वृक्षों सहित लघु वनोपज उगाने की स्कीम ।

(6) बीज विकास स्कीम ।

(7) हवाई बीजारोपण स्कीम ।

(8) अनुदान सहायता स्कीम ।

सभी स्कीमें सातवीं योजनावधि के दौरान शुरू की गई थी जो कि लोकप्रिय हो गई है। इन स्कीमों का कुल परिव्यय वर्ष 1989-90 में 68.05 करोड़ रुपए से वर्ष 1990-91 में 85 करोड़ रुपए और वर्ष 1991-92 में 131.01 करोड़ रुपए तक हो गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान धनराशि का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। स्कीमों के अधीन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर ही वास्तविक उपलब्धियां ज्ञात हो सकेंगी।

विवरण

विवरण, जिसमें राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड को केन्द्र क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किया गया स्कीम वार आवंटन बताया गया है ।

(लाख रुपयों में)

क्रम. सं.	राज्य संघ शा. प्रदेश	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी चारा परियोजना स्कीम		लघुवनोपज की स्कीम		बीज विकास स्कीम		हवाई बीजारोपण स्कीम	
		3990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	आन्ध्र प्रदेश	124.450	250.000	30.000	—	5.000	20.000	12.000	—
2-	अरुणाचल प्रदेश	14.310	40.000	4.820	—	—	—	—	—
3.	असम	80.610	120.000	4.750	21.000	—	10.000	—	—
4-	बिहार	192.210	250.000	47.185	95.000	7.000	10.000	—	—
5-	गोवा	1.230	5.000	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	93.080	160.000	20.000	22.000	5.000	20.000	—	—
7-	हरियाणा	222.630	250.000	40.000	—	10.000	20.000	6.500	—
8-	हिमाचल प्रदेश	45.000	140.000	—	—	25.900	10.000	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	जम्मू और कश्मीर	—	60.00	—	—	16.550	20.000	—	—
10.	कर्नाटक	85 000	325.000	—	—	15.000	25.000	8.450	10.000
11.	केरल	—	50.000	—	—	6.350	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	85.000	240.000	23.000	23.000	—	15.000	14.380	20.000
13.	महाराष्ट्र	45.000	250.000	—	—	11.880	10.000	—	—
14.	मणिपुर	60.000	200.000	20.000	31.000	—	10.000	—	—
15.	मेघालय	9,170	60.000	51.150	64-000	—	10.000	14-500	—
16.	मिजोरम	69.400	280.000	12.400	11.000	10.600	15.000	14.500	—
17.	नगालैंड	—	30.000	5.000	—	—	10.000	—	—
18.	उड़ीसा	225.000	275.000	60.000	45.000	13.160	15.000	—	—
19.	पंजाब	108.240	175.000	—	—	7.070	10.000	—	—
20.	राजस्थान	201.250	320.000	37.500	23.000	14.250	15.000	19.750	15.000
21.	सिक्किम	37.480	60.000	16.500	—	—	10.000	—	—
22.	तमिलनाडु	50.710	120.00	—	—	6.000	20.000	104.650.	90.000
23.	त्रिपुरा	20.000	60.000	9.000	—	—	—	—	—

24- उत्तर प्रदेश	162.000	350.000	—	—	17.040	20.000	—	—
25- पश्चिम बंगाल	104.700	140.000	60.750	65.000	—	15.000	9.750	25.000
26. दिल्ली	10.000	—	—	—	—	—	—	—
योग	2047.440	4320.000	441.995	400.000	170.800	310.000	197.460	160.000

विवरण

(लाख रुपए में)

		विकेन्द्रित वन पौधशाला स्कीम		सीमान्त वन विकास		समेकित परती भूमि विकास परियोजना की स्कीम		स्वैच्छिक एजेन्सियों के लिए अनुदान सहायता स्कीम	
क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	आंध्र प्रदेश	39.000	200.000	40.000	—	56.000	131.880	30.370	28.970
2-	अरुणाचल प्रदेश	9.950	14.000	—	—	4.710	11.860	—	4.000
3	असम	18.100	3.530	—	—	—	—	1.450	1.349
4-	बिहार	50.000	60.000	—	—	—	79.640	62.650	53.380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-	गोवा	—	—	—	—	5.000	—	—	
6-	गुजरात	177.870	363.000	—	—	55.000	38.000	35.490	10.549
7-	हरियाणा	405.000	455.000	—	—	163.500	333.210	41.650	35.468
8-	हिमाचल प्रदेश	22.500	56.000	—	—	214.240	275.950	—	—
9-	जम्मू और कश्मीर	9.000	—	—	—	115.780	167.520	4.430	9.588
10.	कर्नाटक	150.000	100.000	25 000	9.765	—	115 850	7.040	1.292
11-	केरल	17.250	22.130	—	—	—	56.500	2.160	1.754
12-	मध्य प्रदेश	302.300	227 220	—	132.000	240.640	287.420	7.190	5.607
13-	महाराष्ट्र	235.910	584.500	—	—	19.480	—	43.540	32.233
14-	मणिपुर	4.050	9.800	—	—	54.00	89.000	24.410	24.382
15-	मेघालय	9.000	31.110	—	—	114.560	77.380	—	—
16-	मिजोरम	33.150	43.400	—	—	66.500	75.300	—	—
17.	नागालैंड	4.500	31.260	—	—	—	183.330	—	—
18-	उड़ीसा	22.500	—	—	—	51.000	47.000	26.150	30.651
19.	पंजाब	33.750	50.000	—	—	180.009	185.000	—	

20. राजस्थान	93.620	75.000	—	—	234.890	593.590	33.980	26.505
21- सिक्किम	3.940	3.500	—	—	121.230	181.030	—	—
22- तमिलनाडु	70.000	70.000	—	—	187.000	53.450	35.670	43.790
23- त्रिपुरा	7.510	10.000	—	—	40.000	10.000	—	—
24. उत्तर प्रदेश	67.500	149.800	—	—	307 040	371.060	34.720	51.633
25- पश्चिम बंगाल	112.500	175.000	—	—	146.900	298.070	31.460	45.395
26- दिल्ली	—	—	—	—	—	—	19.140	27.235
योग	1900.000	2744.250	65.000	141.765	2381.970	3662.820	441.500	439.524

दिल्ली में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का कार्य निष्पादन

4364. श्री जीवन शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 1990-91 की परीक्षाओं में राजधानी के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के घटिया निष्पादन के मामले की जांच करने के लिए कोई पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों के निष्पादन और घटिया निष्पादन के लिए उनके उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कोई अध्ययन कराया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने 1990-91 की परीक्षाओं में सैकण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार के उपाय भी सुझाने के उद्देश्य से एक अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए एक वरिष्ठ परामर्शदाता नियुक्त किया है। अध्ययन के विषय क्षेत्र में शिक्षकों का कार्य-निष्पादन सम्मिलित है।

केरल में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

4365. श्री के. मुरलीधरन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रद्द की गई रेलगाड़ियों की संख्या व नाम क्या है;

(ख) रद्द की गई केरल को जाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या व नाम क्या हैं; और

(ग) उन्हें रद्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन रेलगाडियों को पुनः कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) केरल सहित अन्य राज्यों को सेवित करने वाली 6365/6366 तिरूचिरापल्ली-कोचीन एक्सप्रेस, 8689/8690 बोकारो स्टील सिटी-अल्लेप्पी एक्सप्रेस (मद्रास-अलेप्पी खंड पर), 7489/7490 वाराणसी-कोचीन एक्सप्रेस (साप्ताहिक), 6017/6018 जम्मू-तवी-कन्याकुमारी हिमसागर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) तथा 6687/6688 जम्मू तवी-मंगलौर नवयुग एक्सप्रेस (साप्ताहिक) गाड़ियों को व्यस्त अवधि में माल यातायात को सम्हालने के लिए डीजल रेल इंजनों को बनाये रखने के उद्देश्य से अस्थायी तौर पर रद्द किया गया है। इन्हें अप्रैल, 1992 में पुनः शुरू कर दिया जायेगा।

"वृक्षारोपण कार्यक्रम"

4366. डा. रवि मल्लू :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिशू कल्चर (ऊतक संवर्धन) की कई प्रौद्योगिकी का वनों की कटाई पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1960 से सामान्य और टिशू कल्चर (ऊतक संवर्धन) दोनों विधियों से कितने-कितने पेड़ लगाए गए और दोनों में से प्रत्येक विधि के कितने-कितने पेड़ जीवित रहे;

(घ) क्या वृक्षारोपण कार्यक्रमों ने देश में कोई वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उपग्रह सर्वेक्षण सहित किये गये मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) तन्तु संवर्धन एक नयी प्रौद्योगिकी है जिसका अभी भी देश में परीक्षण किया जा रहा है। गत तीन वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए पौध का उत्पादन करने के लिए प्रायोगिक पौध इकाइयों (पायलट प्लांट यूनिटों) के रूप में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू की है। क्षेत्र की अवस्थाओं के अन्तर्गत इनका अभी व्यापक स्तर पर परीक्षण किया जाना है।

(ग) और (घ) वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यक्रम, जोकि सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, के अन्तर्गत वर्ष 1960 से 1990 तक वनीकरण किया गया कुल क्षेत्र 16.7 मिलियन हैक्टर था, जिसमें से 8.88 मिलियन हैक्टर क्षेत्र में सातवीं योजनावधि (1985-90) के दौरान कार्य पूरा किया गया। गत दो वर्षों के दौरान लगभग 15,000 तन्तु संवर्धित पौध, क्षेत्र परीक्षणों के लिए ली गई है।

(ङ) वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है' जिनको इस उद्देश्य के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था है। विभिन्न राज्यों में चलाए गए सामाजिक वानिकी कार्यकलापों के अध्ययन एवं मूल्यांकन से पता चलता है कि इन कार्यकलापों के जरिए बायोमास के उत्पादन में, रोजगार के अवसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी के स्रोतों में वृद्धि हुई है, निजी भूमि पर फार्म वानिकी/कृषि वानिकी को बढ़ावा मिला है, वानिकी कार्यकलापों में महिलाओं और स्वैच्छिक एजेंसियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

कुछ औषधियों पर से प्रतिबन्ध हटाना

4367. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ औषधियों पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटा लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती जी. के. तारादेवी सिठार्थ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दाखिला

4368. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए दाखिले में आरक्षण योजना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा आपत्ति के बावजूद भी कोर्ट ने इस प्रस्ताव की पुनः पुष्टि की है;

(घ) क्या सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता देती है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय पर ध्यान दिया है जिसमें अल्पसंख्यक संस्थानों को संबंधित समुदाय के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने हेतु स्वीकृति दी गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के न्यायालय ने 20-8-89 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कक्षा XI, डिग्री पाठ्यक्रमों निष्णात पाठ्यक्रमों तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मुसलमान छात्रों के लिए योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए तैयबजी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का संकल्प पारित किया है। यह संकल्प चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 जिसमें यह प्रावधान है कि यह विश्वविद्यालय दोनों लिंगों के सभी व्यक्तियों तथा सभी जातियों, धर्मों मतों और वर्गों के लिए होगा, की धारा 8 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं था, अतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13 (6) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को इस संकल्प को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण-बताओ नोटिस का जवाब विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षिक संस्थाओं, अल्पसंख्यकों की संस्थाओं में दाखिला से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के आशय की जांच की जा रही है।

अली सरदार जाफरी समिति की सिफारिशें

4369 श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू सम्बन्धी गुजराल समिति रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बारे में अली सरदार जाफरी समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) उर्दू की प्रोन्नति के लिए जाफरी समिति (अली सरदार जाफरी समिति) की सिफारिशों के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए समिति की रिपोर्ट 29 जुलाई, 1992 को लोक सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

(ख) और (ग) सरकार को इस मामले में अभी निर्णय लेना है।

[हिन्दी]

रेलवे पास

4370. श्री राम टहल चौधरी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निःशुल्क यात्रा के रेलवे पास किन नियमों के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं और इन्हें जारी करने संबंधी मानदण्ड क्या हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जोन में ऐसे कितने पास जारी किये गये ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :(क) सम्भवतः आशा मानार्थ कार्ड पास प्रदान करने के संबंध में है जो गैर-रेलवे व्यक्तियों/संगठनों को जारी किए जाते हैं। रेल मन्त्रालय द्वारा ऐसे कार्ड पास उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों/संगठनों को प्रदान किए जाते हैं जो अखिल भारतीय स्वरूप की सामाजिक-सांस्कृतिक, खेलकूद और संक्षणक गतिविधियों के प्रति समर्पित होते हैं। ये पास मार्ग निर्देशों और प्रत्येक मामले के औचित्य गुणदोष के आधार पर जारी किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1989, 1990, 1991) के दौरान कुल 272 मानार्थ कार्ड पास जारी किए गए हैं जो सामान्यतः सभी क्षेत्रीय रेलों पर उपलब्ध हैं।

रोजगारोन्मुखी शिक्षा

4371. श्री राम टहल चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए उठाए गये कदमों का ब्योरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनानुसार, आयोग के पास एक योजना है जिसके अधीन कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रथम डिग्री स्तर पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनको कार्य, क्षेत्र तथा व्यावहारिक अनुभव और उत्पादकता से जोड़ा जा सके। वि. अ. आ. ने +2 स्तर पर व्यावसायिक विचारधारा को जारी रखने हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम निर्धारित

करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की भी नियुक्ति की है। उपर्युक्त के अलावा वि.प्र.प्रा. कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रोनिकी, गृह विज्ञान, प्रबंध और जन संचार प्रसारण में पहले से ही सहायता दे रहा है, जिससे छात्रों को व्यावसायिक क्षमताएं प्राप्त होती हैं।

[अनुवाद]

"नेशनल लैंड यूज एण्ड वेस्टलैंड डेवलेपमेंट काउंसिल"

4372. श्री के. वी. तंगकाबालू :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परती भूमि के विकास के लिए नेशनल लैंड यूज एण्ड वेस्टलैंड डेवलमेंट काऊंसिल की स्थापना करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) देश में परती भूमि के उपयोग के लिए अब तक प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) समुचित भूमि उपयोग और परती भूमि विकास के दोहरे उद्देश्यों पर समुचित बल देने के विचार से मई, 1985 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद की स्थापना की गई थी। परिषद, देश के भू-संसाधनों के कुशल और वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित मुद्दों के लिए एक उच्च नीति आयोजना और समन्वय एजेन्सी है। यह परिषद, पर्यावरण और वन मंत्रालय में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड और कृषि मंत्रालय में राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड के कार्यों की देखरेख करती है।

(ग) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 में की गई थी और उसे जन-सहभागिता को लेकर वनीकरण और वृक्षारोपण के वृहत् कार्यक्रम के माध्यम से परती भूमि का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। बोर्ड, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों की अनुवीक्षा और समन्वय के लिए केन्द्र स्तर पर प्रमुख एजेन्सी भी है।

देश में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान तथा वर्ष 1990-91 की राज्य वार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(हैक्टेयर क्षेत्र)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवीं योजना (1985-90)	निजि भूमि पर रोपण हेतु पौध	1990-91* क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	727579.50	1612.00	21600.00

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	31276.50	1.79	5516.00
3.	असम	115107.00	18.47	24754.00**
4.	बिहार	666970.50	242.15	37081.00
5.	गोवा	16879.00	24·50	1349.90
6.	गुजरात	740605.50	2356.36	48585.00
7.	हरियाणा	159346 50	224.30	40094.00
8.	हिमाचल प्रदेश	164760.00	135.57	25370.00
9.	जम्मू और कश्मीर	113306.00	112.45	15773.25
10.	कर्नाटक	666984.50	763.16	30199.00
11.	केरल	3108 7.50	164.11	5974.84
12.	मध्य प्रदेश	992115.00	464.40	75042.00
13.	महाराष्ट्र	858193.00	1188.86	12 955.35
14.	मणिपुर	44162.50	24.00	9450.00
15.	मेघालय	57067.00	25.333	6650.00**
16.	मिजोरम	102777.50	183 50	8250.00
17.	नागालैंड	82675.00	105.00	15412.00
18.	उड़ीसा	552234.50	191.96	58401.70
19.	पंजाब	132301.00	143.18	9950.00
20.	राजस्थान	284945.00	399.11	52147.00
21.	सिक्किम	30045.50	8.40	4275.00
22.	तमिलनाडु	429243.50	215.10	42493.00
23.	त्रिपुरा	63356.50	63.00	10950.00
24.	उत्तर प्रदेश	1189689.00	3122.84	61083.62
25.	पश्चिम बंगाल	303404.00	847.00	19796.00
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	26585.50	3.98	3122.25
27.	चण्डीगढ़	727.50	0.07	177.00

1	2	3	4	5
28.	दादरा और नगर हवेली	8349.50	3.82	868.00
29.	दमण व दीप	202.00	0.67	40.00**
30.	दिल्ली	10749.50	45.65	1660.00
31.	लक्षद्वीप	296.50	2.85	42.00
32.	पांडिचेरी	2777.00	1.17	65.80**
		8885539.50	12693.76	759127.41

* अन्तिम

** वर्ष 1990-91 से लक्ष्यों और उपलब्धियों को दो पैरामीटरों नामत: (क) निजी भूमि पर रोपण हेतु "पौध वितरण' और (ख) वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि का "सम्मिलित क्षेत्र" के आधार पर प्राप्त किया जा रहा है।

[हिन्दी]

कचीगुडा-जयपुर एक्सप्रेस को नई दिल्ली तक बढ़ाना

4373. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कचीगुडा-जयपुर एक्सप्रेस को नई दिल्ली तक बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

देश में खेल होस्टल

4274. श्री हरीश नारायण प्रभु झाड्ये :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खेल होस्टलों की संख्या कितनी है और ये कब से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये होस्टल युवा खिलाड़ियों और एथलीटों का प्रदर्शन सुधारने हेतु उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किए गए हैं; और

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मंत्री (सुश्री ममता बनर्जी) : (क) खेल छात्रावास योजना के प्रारंभ अर्थात् 1986 से इस समय तक देशभर में भारतीय खेल प्राधिकरण के 17 खेल छात्रावास कार्य कर रहे हैं। खेल छात्रावासों की स्थापना की तिथियों तथा उनमें शामिल विद्याओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां।

योजना का लक्ष्य आंशिक रूप से प्राप्त हुआ है चूंकि खेल छात्रावास योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। उन्होंने विविध स्तरों पर व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में 60 स्वर्ण, 47 रजत और 54 कांस्य पदक विभिन्न विद्यालयों में जीते हैं।

विवरण

क्र.सं.	छात्रावास का नाम	स्थापना की तिथि	शामिल की गई खेल विद्याएं
1	2	3	4
	दक्षिण क्षेत्र		
1.	बंगलौर	16.4.1986	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, फुटबाल, हाकी, तैराकी, और जूडो
2.	सिकन्दराबाद	1.11.1987	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, वॉलीबाल, जिम्नास्टिक्स, फुटबाल लॉन टेनिस
3.	मद्रास	20 6.1991	एथलेटिक्स, फुटबाल, हाकी, मुक्केबाजी,
4.	कालीकट	7.9.1991	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉलीबाल
	उत्तरी क्षेत्र		
1.	भिवानी	11.11.1986	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वॉलीबाल कुश्ती,
2.	चण्डीगढ़ (बालिका)	1.6.1989	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, वॉलीबाल, हाकी, लेबल टेनिस, लॉन टेनिस
3.	बिलासपुर	31.3.1987	एथलेटिक्स और वॉलीबाल

1	2	3	4
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र		
1.	गुवाहाटी	30-3-1987	एथलेटिक्स और फुटबाल
2.	दीमापुर	10-7-1987	वॉलीबाल और फुटबाल
3.	इम्फाल	21-11-1987	एथलेटिक्स, बैडमिंटन, साइक्लिंग, जिम्नास्टिक्स, हाकी, तैराकी टेबल टेनिस,
	पश्चिमी क्षेत्र		
1.	कांदीवली (बम्बई)	1-9-1989	एथलेटिक्स, वालीबाल, कुश्ती और हाकी
2.	गोआ	1-6-1987	एथलेटिक्स, वालीबाल, फुटबाल, तैराकी
3.	गांधीनगर	31-3-1987	एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, हाकी, तैराकी, कुश्ती,
	पूर्वी क्षेत्र		
1.	कटक	26-3-1987	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, वालीबाल, फुटबाल, जिम्नास्टिक्स, कुश्ती
2.	कलकत्ता	23-1-1989	एथलेटिक्स, फुटबाल, जिम्नास्टिक्स, हाकी और तीरंदाजी
3.	सिलीगुड़ी	1-5-1990	एथलेटिक्स और फुटबाल
	केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	अलवर	29-1-1987	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, बांसीबाल और कुश्ती

[अनुवाद]

औषधियों की खरीद के लिए कर्नाटक को केन्द्रीय सहायता

4375. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गरीब ग्रेसिव रोगियों के लिए औषधियां खरीदने हेतु राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करती है, और

(ख) यदि हां, तो 1991-92 में इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि रखी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के तारा देवी सिठार्थ) : (क) और (ख) सरकारी अस्पतालों में कैंसर रोगियों का उपचार निःशुल्क या रोगियों की वित्तीय स्थिति के आधार पर रियायती दरों पर किया जाता है। तथापि, इस मन्त्रालय के पास कैंसर रोगियों को औषधों की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों को औषधों की खरीद करने हेतु वित्तीय सहायता देने की कोई योजना नहीं है।

बीमारियों के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

4376. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें और सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) सरकार का इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिठार्थ) : (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (एस. ई. ए. आर. ओ.) से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में बीमारियों के सम्बन्ध में हाल ही में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, वे आठवीं विश्व स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट के लिए कट्टी समरीज तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों से पत्र

4377. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों के दौरान उन्हें संसद सदस्यों से कितने पत्र/अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने पत्रों/अभ्यावेदनों/ज्ञापनों को 15 दिन के भीतर पावती भेज दी गई;

(ग) उनमें से कितनों का अन्तिम रूप से उत्तर नहीं दिया गया, और

(घ) उनको 15 दिनों के भीतर पावती और तीन महीनों के भीतर अन्तिम उत्तर न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) 26 जून, 1991 से 20 मार्च, 1992 की अवधि में ऐसे 1810 पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) 1389।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

4378. श्री रामलखन सिंह यादव :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री पी. एम. सईद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जौनपुर, सलेमपुर के प्रमुख स्टेशनों और भटनी-वाराणसी सेक्शन पर तथा अमरोहा के साथ लगने वाले स्टेशनों पर यात्री सुविधायें अपर्याप्त हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सामान प्रभार

4379. श्री अवध कुमार पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 16 जनवरी, 1992 से पार्सल दरों की तुलना में सामान प्रभार में 30 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या निम्न श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को कम सामान बिना प्रभार ले जाने की छूट है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है, और

(ग) ऐसा निर्णय लेने और विशेषत: सामान्य रूप से वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन)। (क) सामान की दरें, सामान्य पार्सल दरों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक निर्धारित की गई हैं जो पहले 10 प्रतिशत थी। यह वृद्धि लगभग 18 प्रतिशत है।

(ख) सामान की दरों में वृद्धि के कारण किसी दर्जे में मुफ्त में सामान ले जाने के लिए कोई छूट नहीं है।

(ग) सामान की दरों में वृद्धि इसलिए की गई है ताकि सामान के रूप में वस्तुओं की

सुविधा और यात्रियों के निजी सामान को रखने के लिए प्रेक्षयानों में उपलब्ध सीमित स्थान को घेरने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जा सके।

सकरी-हसनपुर रेल लाइन

4380. श्री भोवेन्द्र झा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सकरी-हसनपुर नई रेल लाइन के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस रेल लाइन के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह अनुमोदित कार्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंदेल-कटवा रेल लाइन को दोहरा करना

4381. डा. सुधीर राय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में बंदेल और कटवा के बीच स्थित रेल लाइन को दोहरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कितने समय में पूरा करने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी। बहरहाल, इस खंड पर यातायात सुविधा सम्बन्धी कुछ निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

बंदेल-कटवा सेक्शन का विद्युतीकरण

4382. डा. सुधीर राय :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में बंदेल-कटवा सेक्शन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बंडेल-कटवा खंड का विद्युतीकरण आरम्भ करने का प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिया गया है।

(ख) और (ग) योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने पर समय सूची निर्धारित की जाएगी।

जाली कम्पनियों द्वारा औषधियों का निर्माण

4383. श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-लाईसेंसशुदा जाली कम्पनियां भी औषधियों का निर्माण कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी कम्पनियों का पता लगाया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) बैध लाइसेंस के बिना औषधों का विनिर्माण करना औषध तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 (ग) के अन्तर्गत एक अपराध है। यदि कोई व्यक्ति/कंपनी बिना लाइसेंस के औषधों का निर्माण करती हुई पाई जाती है तो उसके खिलाफ राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाती है। जब कभी बिना लाइसेंस के औषधों का विनिर्माण करने वाली कंपनी का कोई मामला प्रकाश में आता है तो उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

4384. डा. श्री. सिलवेरा।

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुरस्कार पाने वाली महिलाओं के चयन के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई अन्य कार्यक्रम है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मंत्री (सुश्री ममता बनर्जी) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को महिलाओं के लिए कोई राष्ट्रीय पुरस्कार शुरु किए जाने के लिए महिला और बाल विकास विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) और (च) महिला विकास निगमों की स्थापना के लिए महिला और बाल विकास विभाग एक योजना कार्यान्वित कर रहा है । इन निगमों का एक कार्य महिलाओं में उद्यम का विकास करना है । विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय भी महिला उद्यमियों के विकास के लिए, निर्यात मंडियों का पता लगाने के लिए निर्यात प्रक्रिया, प्रलेखन इत्यादि के कार्य में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है । भारत के लघु उद्योग विकास बैंक ने "महिला उद्योग निधि योजना" शुरू की है । इस योजना के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को सांकेतिक सहायता दी जाती है । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा महिला उद्यमियों को किराया खरीद आधार पर रियायती दरों पर मशीनरी उपलब्ध कराई जाती है ।

अमरीका द्वारा परिवार नियोजन पुरस्कार

4385. डा. सी. सिलवेरा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका की पापुलेशन क्राइसिस कमेटी ने भारत की अस्सी के दशक के आरंभ से ही परिवार नियोजन के संबंध में अपने लोगों को शिक्षित करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) देश में आरंभ किए गए स्वेच्छा परिवार नियोजन आन्दोलन की गति भविष्य में बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिंढार्य) : (क) और (ख) प्रेस रिपोर्टों (31 जनवरी, 1992 के दि टाइम्स आफ इण्डिया तथा 5 फरवरी, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स) के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के एक गैर-सरकारी संगठन पापुलेशन क्राइसिस कमेटी ने भारत और चार अन्य देशों नामत: थाइलैंड, कोलम्बिया, मोरक्को और केन्या को अपने देशों के लोगों में अस्सी के दशक के आरंभ में परिवार नियोजन का सन्देश कारगर ढंग से पहुंचाने के लिए प्रशंसा का है। तथापि, अभी तक कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) (I) परिवार कल्याण विभाग ने देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को नया बल तथा गतिशीलता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों के साथ विस्तृत परामर्श से एक कार्ययोजना तैयार की है । इस कार्य-योजना को लागू किया जा रहा है ।

(II) जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के सभी पहलुओं और कार्यनीतियों पर विचार करने तथा एक-राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए सिफारिश करने और उपयुक्त कार्यनीतियां तैयार करने एवं समतावादी और बहु-क्षेत्रीय आधार पर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति गठित की गई है ।

(III) जनसंख्या नियंत्रण के काम को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चुना गया है।

[हिन्दी]

मलेरिया और कालाजार का उन्मूलन

4386. श्री राम विलास पासवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1992 के नवभारत टाइम्स में "मलेरिया से हर मिनट दो बच्चे मरते हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) मलेरिया किन क्षेत्रों में अधिक होता है तथा वर्ष 1990-91 में मलेरिया से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(घ) क्या सरकार ने मलेरिया और कालाजार जैसे भयावह रोगों का उन्मूलन करने की कोई योजना बनाया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) सरकार को 24 जनवरी, 1992 के नवभारत टाइम्स में "मलेरिया से हर मिनट दो बच्चे मरते हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार का जानकारी है। यह समाचार विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट पर आधारित है जो विश्व की समग्र स्थिति से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि सम्पूर्ण विश्व में अधिकतर अफ्रीका और सहारा के दक्षिण में मलेरिया के कारण दो बच्चे मरे।

(ग) वन क्षेत्रों, जहां पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में अधिकतर आदिवासी जनसंख्या रहती है, में उपलब्ध सूचना के अनुसार पारयोजना क्षेत्र मलेरिया से अधिक प्रभावित है। 1990 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार मलेरिया के कारण कुल 348 मौत हुई थीं। 1991 के दौरान मलेरिया के कारण 80 मौतों (अनन्तिम) की सूचना दी गई है

(घ) मलेरिया : राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977 में निम्नलिखित उपायों सहित संशोधित कार्ययोजना चलाई गई :

—उपर्युक्त कीटनाशक सहित चनात्मक युक्तिसंगत अवशिष्ट कीटनाशक छिड़काव।

—रोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए पाक्षिक निगरानी।

—ग्रामीण क्षेत्रों में लघु अभियन्त्रिकी संबंधी के माध्यम से जैव पर्यावरणात्मक नियंत्रण संबंधी उपाय और शहरी क्षेत्रों में लार्वा-संबंधी मछली पालन और पर्यावरणिक नियंत्रण।

—स्वास्थ्य शिक्षा आदि के माध्यम से वैयक्तिक सुरक्षा संबंधी उपायों, सामुदायिक सह-

आसिता के बारे में जोर देने के साथ उच्च-मलेरिया-दर वाले क्षेत्रों में विशेष निवेशों को तेज करना।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में कतिपय पेटेंट पैरामीटरों पर आधारित मलेरिया-जनक स्तरीकरण का एक अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास को कर्नाटक में पूरा कर लिया गया है और कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रस्तावित किए जा रहे अन्य उपायों में अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों अर्थात् आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण संबंधी अभियान को तेज कर दिया गया है।

काला आजार—निम्नलिखित कार्यनीतियों के साथ संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं :

—सभी रोगियों का प्रणालीबद्ध तरीके से पता लगाना और उनका सोडियम स्टिबो ग्लुकोनेट, पैंटामिन्डीइन आदि जैसी औषधों से उपचार करना।

—प्रभावित क्षेत्रों में दो-बार डी. डी. टी. का अवशिष्ट कीटनाशक छिड़काव करके वैक्टर नियंत्रण के माध्यम से संचरण की रोकथाम।

—अरुमक्षिका जो कालाजार का वैक्टर है, पैदा होने वाले स्थान को समाप्त करने के लिए घरों अथवा इसके आस-पास के स्थानों में सामान्य सफाई में सुधार।

—स्वास्थ्य शिक्षा और रोग की रोकथाम करने संबंधी कार्यकलापों में तेजी लाना।

—कालाजार के रोगियों के निदान और उपचार में चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण।

शिशुओं और माताओं की मृत्यु दर पर नियंत्रण की योजनाएं

4387. श्री राम विलास पासवान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रसव के समय शिशुओं और माताओं की मृत्यु दर कम करने के लिए कोई स्वास्थ्य योजना प्रारंभ करने का है,

(ख) क्या सरकार ने कमजोर वर्गों के बच्चों में कुपोषकता को रोकने के लिए कोई योजना प्रारंभ की है,

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(घ) उन योजनाओं के क्रियान्वयन से कौन-कौन से सरकारी कार्यालय/संगठन सम्बद्ध हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ) (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कुछ कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। प्रमुख पहलों/कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(ङ) पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, अमरोग और खसरा से शिशुओं को तथा टेटनस से गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए व्यापक रोगप्रतिरक्षण कार्यक्रम ।

(च) पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों में प्रतिरक्षा से होने वाली अन्धता के कारण मौतों को नियंत्रित करने के लिए सुसंगत अन्धतारोधक चिकित्सा कार्यक्रम ।

(ग) माताओं और बच्चों में पोषणिक रक्ताल्पता के विरुद्ध रोगनिरोधन तथा विटामिन "ए" की कमी के कारण बच्चों में दृष्टिहीनता के विरुद्ध रोगनिरोधन ।

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, गेहूं पर आधारित पोषण कार्यक्रम और क्रैच योजना वे योजनाएं हैं जो कमजोर वर्गों के बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

तथापि, सभी योजनाएं राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं ।

साहिबगंज और रांची के बीच सुपरफास्ट गाड़ी

4388. श्री साईमन मरान्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के आदिवासी क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने हेतु साहिबगंज और रांची के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी तथा वाणिज्यिक औचित्य न होने के कारण ।

[अनुवाद]

"पर्यावरण पर सेमिनार"

4388. श्री साईमन मरांडी ।

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पेट्रोलियम उत्पादों और कोयले के उपयोग से पर्यावरणीय सुरक्षा पर किसी सेमिनार का आयोजन करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"उड़ीसा में वृक्षारोपण कार्यक्रम"

4390. श्री श्रीकान्त जेना :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों का जिला-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और जिला-वार, कितने वृक्ष लगाए गए तथा इनमें से कितने बचे रहे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) राज्य प्लान और केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत उड़ीसा के सभी जिला में वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं। :—

(1) सीडा (एस आई डी ए) से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना।

(2) रेंगाली, मंदिरा और मचकुण्डा परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में वनीकरण और मृदा संरक्षण (आर. वी. पी.)

(3) गंजम और फूलबनी जिलों में समेकित जलाशय विकास परियोजनाएं (विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त)

(4) कोरापुट जिले में भारत-डेनमार्क व्यापक जलाशय विकास परियोजना।

(5) हीराकुंड आवाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण।

(6) मचकुंड/सिलाक आवाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण।

(7) ईंधन लकड़ी/चारा परियोजनाओं की स्कीम।

(8) लघु वनोपज स्कीम।

(9) वन पौधशालाओं की स्कीम।

(10) बीज विकास स्कीम।

(11) समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम।

(12) स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान सहायता स्कीम।

(13) सूखा प्रवण क्षेत्रों के कार्यक्रम।

(14) जवाहर रोजगार योजना।

उड़ीसा में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के समग्र लक्ष्य और उपलब्धियां, जिसमें लगाई गई पौध की संख्या भी शामिल है, नीचे दी गई हैं :—

(लाख पौध)
(हैक्टेयर क्षेत्र)

	1988-89 पौध	1989-90 पौध	190-91* पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
लक्ष्य	3000	1600	1575	39750
उपलब्धियां	2762	1686	192	58402

पिछले तीन वर्षों के जिलावार जीवितता दर अध्ययन नहीं किए गए हैं। तथापि, राज्य सरकार की ऐजेंसियां नियमित आधार पर क्षेत्र स्तरीय मूल्यांकन करती हैं।

* वर्ष 1990 के लक्ष्यों को दो घटकों अर्थात् निजी भूमि पर रोपण हेतु 'पौध वितरण' और वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि पर 'वनरोपित क्षेत्र' आधार पर निर्धारित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों की दर

4391. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों की दर बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के रेगिस्तानी और जनजाति बहुल क्षेत्रों में 'उपस्थित लाभवृत्ति योजना' को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध नवीनतम आंक-

सारी के अनुसार 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान I से VIII वीं कक्षाओं में स्कूल छोड़ने की दर संलग्न विवरण में दी गई है। लड़कियों के स्कूल छोड़ने के कुछ मुख्य कारण हैं :—

(I) उनसे अपनी परिवार की आय को पूरक बनाने अथवा अपने अभिभावकों को अन्य प्रकार से सहायता करने की अपेक्षा की जाती है।

(II) लड़कियों को स्कूल भेजने में अभिभावकों की अनिच्छा।

(III) पाठ्यचर्या स्थानीय आवश्यकताओं से संबद्ध नहीं।

(ङ) विभागों को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कक्षा I से VIII में लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	80.08	85.14	77.01
आसाम	70.96	73.20	74.45
बिहार	85.90	84.68	84.18
गुजरात	72.96	67.90	67.69
हरियाणा	52.50	48.30	48.22
हिमाचल प्रदेश	39.75	31.04	34.42
जम्मू व कश्मीर	63.64	57.37	58.51
कर्नाटक	78.29	77.60	72.07
केरल	15.66	18.32	15.00
मध्य प्रदेश	67.46	69.79	66.65
महाराष्ट्र	73.35	72.15	68.01
मणिपुर	77.89	80.51	87.86
मेघालय	69.45	86.87	61.61
नागालैंड	56.82	79.21	55.13
उड़ीसा	69.05	74.05	71.25
पंजाब	69.27	67.73	67.26

1	2	3	4
राजस्थान	71.20	69.83	76.82
सिक्किम	73.57	65.37	60.11
तमिलनाडु	58.72	55.23	53.14
त्रिपुरा	65.50	71.30	75.96
उत्तर प्रदेश	66.70	64.20	63.34
पश्चिम बंगाल	74.46	79.57	76.91
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	41.66	41.27	39.59
अरुणाचल प्रदेश	79.15	75.53	75.91
चंडीगढ़	23.42	16.27	13.01
दादरा व नगर हवेली	81.73	75.00	70.52
दिल्ली	35.68	30.06	24.20
गोवा दमन और दीप	42.00	32.81	* गोवा 27.63
लक्षद्वीप	40.181	46.94	56.82 दमन
मिजोरम	40.82	77.08	42.49 और दीप
पांडिचेरी	33.64	24.29	31.52 27.97
भारत	70.04	70.16	67.55

कक्षा I से VIII तक के लिए

वर्ष के दौरान मध्य स्तर पर स्कूल छोड़ने की दरें = 7 वर्षों से पूर्ववर्ती कक्षा I में नामांकन —कक्षा VIII में वर्ष के दौरान नामांकन / वर्ष ——— × 100 / 7 वर्षों से पूर्ववर्ती कक्षा I में नामांकन

[हिन्दी]

दिल्ली और औरंगाबाद के बीच नई रेलगाड़ी

4392. श्री यशवंत राए पाटिल :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनमाड़-औरंगाबाद रेल लाइन को पूरी तरह से बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर चलाई जाने वाली नई रेलगाड़ियों के क्या नाम हैं।

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली और औरंगाबाद के बीच नई रेलगाड़ी चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) औरंगाबाद-मनमाड-दौंड-पुणे-बम्बई खंड पर बड़ी लाइन की निम्नलिखित सेवाएं पहले ही शुरू की गई/बढ़ाई गई है : –

I. औरंगाबाद-मनमाड-बम्बई स्टेशन

1351/1352 बम्बई-औरंगाबाद पैसेंजर/एक्सप्रेस,

II. औरंगाबाद-मनमाड-दौंड पुणे खंड

1322/1322 पुणे-मनमाड पैसेंजर तथा 1603/1604 दौंड-मनमाड पैसेंजर गाड़ियों को औरंगाबाद तक बढ़ाया गया है,

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी,

रोहा-वसगांव पर सुरंग का निर्माण

4393. श्री यशवन्तराव पाटिल।

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे डिविजन द्वारा रोहा-वसगांव पर किया जा रहा सुरंग का निर्माण कार्य सरकार ने स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सुरंग के निर्माण को सरकार द्वारा कब तक अनुमति दिये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोंकण रेलवे के रोहा-वसगांव खंड पर कोई सुरंग नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"प्रदूषण रोकने के लिए जिला स्तर पर समितियां"

4394. श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु और जल प्रदूषण रोकने के लिए जिला-स्तर पर समितियां गठित की हैं,

(ख) यदि हां, तो जिला वार ऐसी कितनी समितियां गठित की गई हैं,

(ग) इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) सरकार ने इन सिफारिशों के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. आर. रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) रासायनिक दुर्घटनाओं के मामले में संकट प्रबंध के लिए सभी राज्यों में जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। इन समितियों को दुर्घटना के समय रक्षात्मक उपाय एवं संकट से निपटने के लिए प्रबन्ध करने होते हैं। ये समितियां वायु एवं जल प्रदूषण से सीधे संबंधित नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपनगरीय सेवाओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं

4395. श्री राम नाइक :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपनगरीय रेलवे (केन्द्रीय रेलवे तथा पश्चिम रेलवे) द्वारा कितनी अतिरिक्त आय अर्जित की गई;

(ख) क्या इन उपनगरीय सेवाओं के किराए में रियायत दी जाती है;

(ग) क्या इन रेल सेवाओं को अतिरिक्त सुविधाएं दिए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)। (क) बंबई में उपनगरीय रेलों को पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 में 36.26 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) (i) बांद्रा और अन्धेरी के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइनों की व्यवस्था (7.2 कि.मी.)

(ii) मानखुर्द और वेलापुर के बीच विद्युतीकृत दोहरी लाइन बिछाना (18 कि.मी.)

(iii) उपनगरीय यात्रियों की संख्या में सुधार करने के लिए मध्य रेलवे पर बिजली गाड़ियों में सहायक वेतावनी प्रणाली लगवाई जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र

4396. श्री शशि प्रकाश :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या क्या है और इन पर प्रतिवर्ष सरकार द्वारा जिलावार कितनी राशि खर्च की जाती है, और

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में अब तक प्रत्येक जिले में कितने व्यक्तियों का परिवार नियोजन आपरेशन किया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की जिलावार संख्या

		आपरेशन (नसबंदी)	
क्रम सं.	जिला	1990-91	1991-92 (फरवरी, 92 तक)
1	2	3	4
1.	आगरा	8673	7871
2.	अलीगढ़	3720	4126
3.	एटा	9004	4057
4.	फिरोजाबाद	5080	2199
5.	मैनपुरी	5486	4252
6.	मथुरा	2336	2789
7.	इलाहाबाद	12631	13141
4.	प्रतापगढ़	5459	6133
9.	फतेहपुर	4052	4834
10.	बरेली	8368	5543
11.	बदायूं	3455	3827
12.	पीलीभीत	1845	2961

1 2	3	4
13. शाहजहांपुर	3560	4421
14. बांदा	8816	3697
15. हमीरपुर	6862	7732
16. जालौन	3983	5090
17. झांसी	4252	8134
18. ललितपुर	3162	2490
19. बहराइच	10778	3100
20. बाराबंकी	9432	3555
21. फैजाबाद	3687	4080
22. गोंडा	13343	3192
23. सुल्तानपुर	4712	3628
24. चमोली	2449	2510
25. देहरादून	4211	3704
26. पौड़ी गढ़वाल	3049	2762
27. टिहरी गढ़वाल	2787	1697
28. उत्तर काशी	904	309
29. आजमगढ़	4026	3837
30. बस्ती	8949	6171
31. देवरिया	14427	11857
32. गोरखपुर	8979	9007
33. महाराजगंज	6260	4510
34. मऊ	2231	3407
35. सिद्धार्थ नगर	2311	1798
36. इटावा	4711	4371
37. फर्रुखाबाद	13094	5771
38. कानपुर (नगर)	7447	6839
39. कानपुर (देहात)	7943	6932
40. अकबरपुर	5442	3910

1 2	3	4
41. नैनीताल	7782	6800
42. पिथौरागढ़	3505	2750
43. हरदोई	6581	8109
44. खीरी	5520	4125
45. लखनऊ	11314	8162
46. राय बरेली	11509	2488
47. सीतापुर	4871	3643
48. उन्नाव	22281	3528
49. बुलन्दशहर	5776	3904
50. गाजियाबाद	6135	6803
51. हरिद्वार	2167	1740
52. मेरठ	15745	8074
53. मुजफ्फर नगर	10757	7065
54. सहारनपुर	6020	4430
55. बिजनौर	6808	4253
56. मुरादाबाद	14350	3943
57. रामपुर	5582	2933
58. बलिया	5221	5420
59. गाजीपुर	4574	5119
60. जौनपुर	10968	11136
61. मिर्जापुर	3394	5592
62. सोनभद्र	3918	4684
63. वाराणसी	18241	13603
कुल :	4,39,245	3,14,548

नई दिल्ली से दक्षिण राज्यों के लिए राजधानी एक्सप्रेस

4397. श्री कोडडीकुन्नील सुरेश :

श्री के. राममूर्ति टिंडिवनम :

प्रो. के. वी. थामस :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से दक्षिणी राज्यों को राजधानी के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो कब इसे शुरु किया जाएगा। और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वर्ष 1992-93 के दौरान नई दिल्ली तथा सिकन्दराबाद/बेंगलूर के बीच सप्ताह में एक दिन चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है, इस गाड़ी की लोकप्रियता को देखते हुए नई दिल्ली और मद्रास/तिरुवनन्तपुरम के बीच इसी तरह की गाड़ियां चलाने के बारे में विचार किया जाएगा बशर्ते इन गाड़ियों के लिए विशेष किस्म के सवारी डिब्बे तथा अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

दसवां विश्व पुस्तक मेला

4398. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 2.2.1992 से 9.2.1992 तक आयोजित हुए दसवें विश्व पुस्तक मेले को देखने आए व्यक्तियों की संख्या क्या थी ?

(ख) इस मेले में कुल कितना कारोबार हुआ।

(ग) इससे पूर्व आयोजित आठवें और नौवें मेले में आए व्यक्तियों तथा हुए कारोबार सम्बन्धी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं,

(घ) इससे पूर्व के मेलों की तुलना में इस वर्ष के मेले में आये व्यक्तियों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं!

(ङ) क्या इस विश्व पुस्तक मेले में हिन्दी की उपेक्षा की गई है, और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के अनुसार, 1 से 9 फरवरी 1992 को आयोजित विश्व पुस्तक मेले के दौरान 1,71,257 प्रवेश टिकटों की बिक्री की गई थी। इसके अतिरिक्त, न्यास ने 8000 बहुविध प्रवेश पास जारी किए थे और पुस्तकालयाध्यक्षों, शिक्षाविदों आदि को निमंत्रण पत्रों के आधार पर प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

(ख) मेले में भाग लेने वालों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 3,25 करोड़ रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई थीं।

(ग) नौवें और आठवें विश्व पुस्तक मेलों के दौरान बेची गई प्रवेश टिकटों की संख्या क्रमशः

1,47,133 और 1,69,415 थी। कारोबार के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि ग्यारह मेलों में भाग लेने वालों से यह सूचना एकत्र नहीं कर सका था।

(घ) इस वर्ष आयोजित दसवें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आगुन्तकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। इसके विपरीत, पहले मेलों की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। दसवें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले ए हिन्दी की अवहेलना नहीं की गई है। जबकि आठवें और नवें विश्व पुस्तक मेलों में क्रमश. 73 और 101 हिन्दी पुस्तकों के विक्रेताओं ने मेले में भाग लिया, दसवें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में भाग लेने वालों की संख्या 164 तक पहुंच गई थी। इसके अतिरिक्त हिन्दी पुस्तकों के विक्रेताओं, जिन्होंने मेले में भाग लिया, को "हाल आफ नेशनल" में स्थान आवंटित किया गया जो कि प्रगति मैदान में सबसे प्रतिष्ठित हाल है। उनको नए प्रदर्शनी उपकरण भी प्रदान किए गए तथा किराए में भी 50 प्रतिशत की रियायत की गई।

जमालपुर रेल इन्जन कारखाने में सवारी/माल डिब्बों का निर्माण

4399. श्री ब्रह्मानन्द मंडल।

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को प्रति वर्ष कुल कितने सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) इस आवश्यकता की पूर्ति किन माध्यमों से होती है;

(ग) आगामी दशक तक चरणबद्ध तरीके से स्टीम इन्जनों (भाप के इन्जनों) को हटाये जाने को देखते हुए जमालपुर रेल इन्जन कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार रेल के सवारी और माल के डिब्बों की कमी को देखते हुए जमालपुर रेल इन्जन कारखाने में इन डिब्बों का निर्माण करने का है जहां इसके लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 21.960 सवारी डिब्बों तथा 1,50,000 मालडिब्बों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ख) रेलवे क्षेत्र के दो कारखानों अर्थात सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास तथा रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दो कारखानों अर्थात भारत एवं मूवर्स लि. तथा जेस्सप से सवारी डिब्बे, तथा निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र के मालडिब्बा निर्माण यूनिटों से माल डिब्बे।

(ग) भाप रेल इन्जनों की समाप्त करते हुए जमालपुर कारखाने का आधुनिकीकरण शुरू

किया गया है। डीजल रेल इन्जनों की आवधिक ओवरहालिंग के लिए कारखाने की क्षमता का उपयोग निरन्तर बढ़ाया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

[अनुवाद]

राशन के चावल पर से राजसहायता वापस लेना

4420. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राशन के जरिए सप्लाई किये जाने वाले चावल पर से राजसहायता वापस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(ग) इसे वापस लेने से अनुमानत: कितनी धनराशि की बचत होगी;

(घ) क्या सरकार का केरल जैसे कुछ निर्धन राज्यों को राशन के चावल पर दी जाने वाली राजसहायता जारी रखने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण गोस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ) वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद और मुम्बई के बीच नई रेल गाड़ियां

4401. श्री रतिलाल वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई और अहमदाबाद के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाये जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इसकी जांच की गई है लेकिन फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

दिल्ली में डिग्री कालेज और पालिटैक्निक खोलना

4402. श्री धर्मपालसिंह मलिक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के नजफगढ़ में वर्ष 1991-92 के दौरान एक डिग्री कालेज और एक पालिटेक्निक खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली के विद्यमान पालिटेक्निक नजफगढ़ क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। दिल्ली प्रशासन वर्ष 1992-93 के दौरान नजफगढ़ क्षेत्र में एक डिग्री कालेज खोलने की सम्भावना का पता लगा रहा है।

तालचेर-सम्बलपुर लाइन

4403. श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री अर्जुनचरण सेठी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचेर-सम्बलपुर लाइन बिछाने का काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस लाइन के लिए वर्ष 1992-93 के बजट में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने तथा यातायात के लिए खुल जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 12/91 तक 25 प्रतिशत।

(ख) 20.00 करोड़ रुपए।

(ग) मार्च, 94 में पूरा होने की सम्भावना है।

आदिवासी क्षेत्रों में महामारी

4404. श्री भाग्य गोवर्धन :

श्री रवि राय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बहुग्रामाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में हाल ही में फैली महामारी के कारणों की जांच की है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी महामारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धान) : (क) और (ख) जी हां । आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में हाल ही में महामारी के प्रकोप की जांच राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद के विशेषज्ञों के दलों द्वारा की गई । ज्यादातर मामलों में जठरान्त्रशोथ और हैजा महामारी का प्रकोप पेयजल स्रोतों के दूषित होने के कारण पाया गया । कूड़ा करकट, मल की आधिकता और अवपंकन, दयनीय सामाजिक-आर्थिक स्थितियां, व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान जानकारी के अभाव तथा अपर्याप्त स्वास्थ्य शिक्षा के कारण यह समस्या और कष्टदायक हो गई ।

(ग) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए ऐसी महामारियों को रोकथाम के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारें ही जिम्मेदार है । तथापि, जब कभी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान-भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद के तकनीकी दलों ने रोगग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, उन्होंने आवश्यक तदानुसार उपाय करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों को उपयुक्त सुझाव/सिफारिश दी हैं ।

पठानकोट में रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए कोटा

4405. श्री डी. डी. सलोरिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पठानकोट होकर जाने वाली सभी रेल गाड़ियों में पठानकोट के लिये महिलाओं का कोटा आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पठानकोट से गुजरने वाली उन गाड़ियों में जिनमें स्थान आरक्षण की व्यवस्था रहती है, ठहराव की व्यवस्था के साथ आरक्षण कोटे की व्यवस्था पहले से की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

रेल सम्पत्ति को क्षति

4406. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज-विरोधी तत्वों द्वारा पिछले तीन महीनों के दौरान रेल सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति का क्षेत्र-वार ब्योरा क्या है;

(ख) उसके लिये कितने व्यक्तियों का उत्तरदाई पाया गया है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नव. 91, दिस. 31 और जन. 92 अर्थात तीन महीनों के दौरान समाज विरोधी तत्वों द्वारा रेल सम्पत्ति को पहुँचाई गई क्षति का रेलवे वार ब्योरा नीचे दिया गया है:—

क्षेत्रीय रेलें	राशि
	(लाख रुपयों में)
मध्य	8.05
पूर्व	1.50
उत्तर	0.69
पूर्वोत्तर	0.01
पूर्वोत्तर सीमा	कुछ नहीं
दक्षिण	0.78
दक्षिण मध्य	39.45
दक्षिण पूर्व	कुछ नहीं
पश्चिम	1.00

(ख) यह मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का मामला है जिनकी एजेन्सियों को ऐसे अपराध दर्ज करने होते है तथा उनकी जांच-पड़ताल करनी होती है तथा अपराधियों को पकड़ना होता है।

(ग) रेल सम्पत्ति को समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं।

(1) महत्वपूर्ण गाड़ियों का राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा मार्ग रक्षण।

(2) भेद्य स्थलों और महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा करना।

(3) रेलपथ पर गश्त लगाना।

(4) जिन क्षेत्रों में स्थिति बहुत खराब है वहां गाड़ियों से पहले पायलट इन्जन चलाना।

(5) खाली रेलों को प्लेटफार्मों पर लाने से पहले जांच करना।

(6) विध्वंसकों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्ते तैनात करना।

(7) यात्रियों के सामान की अवाप्तक जांच करना।

(8) रेलों और पुलिस प्राधिकारियों के बीच निकट सम्पर्क बनाए रखना।

बयाना जंक्शन का विकास

4407. श्रीमती कुम्भेन्द्र कौर (दौसा) :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में स्थित बयाना जंक्शन पूरी तरह विकसित नहीं किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस स्टेशन के विकास के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है, और

(घ) इस स्टेशन के विकास की भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बयाना जंक्शन रेलवे स्टेटस-पूरी तरह विकसित है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बयाना जंक्शन के विकास के लिए वर्ष-वार आवंटित की गई राशि नीचे दी गई है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

वर्ष	आवंटन
1989-90	0.60
1990-91	4.00
1991-92	6.00

(ग) 0.31 लाख रुपए।

(घ) बयाना जंक्शन पर यातायात की मात्रा के आधार पर मानदंडों के अनुसार पहले ही सभी बुनियादी यात्री सुविधाओं की व्यवस्था है। आगे विकास, जो कि एक सतत प्रक्रिया है, यातायात में अपेक्षित वृद्धि होने पर किया जाएगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज सेवाग्राम (वर्धा) में एम बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में दाखिले में तथाकथित अनियमितताएं

4408. श्री रामचन्द्र धंगारे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम (वर्धा) में एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में दाखिला देने के मामले में किसी प्रकार की अनियमितता सरकारी की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी, जो कि महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा का संचालन करती है, ने सूचित किया है कि सोसायटी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री बी. एस. देशमुख की पुत्री ने एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश मांगा था परन्तु उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि वे नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत प्राप्तांकों की अपेक्षा को पूरा नहीं करती थी। तथापि, उन्होंने पुनर्मूल्यांकन पर आधारित एक अन्य अंक तालिका प्रस्तुत की जिसमें उनके 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक थे। तदनुसार उन्हें दाखिला दिया गया।

बाद में, उस अंक तालिका की प्रमाणिकता के बारे में एक पुलिस केस दायर किया गया और अदालत में भी एक मुकदमा कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया। अदालत में यह साबित किया जा चुका है कि बाद में प्रस्तुत की गई अंक तालिका प्रामाणिक नहीं थी और तदनुसार श्री देशमुख की पुत्री का दाखिला सोसायटी द्वारा रोक दिया गया है। श्री देशमुख, जिन्हें निलंबित कर दिया गया था, ने त्यागपत्र दे दिया है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे को नए यात्री डिब्बे

4409. श्री सुधीर गिरि :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दक्षिण पूर्वी रेलवे को कितने नये यात्री डिब्बे दिए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सातवीं योजना अवधि के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे को कुल 534 नये सवारी डिब्बे आवंटित किए गये थे। इनमें से 212 सवारी डिब्बे परिवर्धन लेखे और 322 सवारी डिब्बे बदलाव लेखे के लिए थे।

[हिन्दी]

तकनीकी स्कूलों/कालेजों में आरक्षण

4410. श्री ब्रह्मानन्द मण्डल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी संस्थानों/कालेजों में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण करने हेतु राज्यों को कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) किन-किन राज्यों में यह व्यवस्था विद्यमान है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनेक राज्यों ने तकनीकी संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किए हैं। ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं।

(अनुवाद)

एशियाई तथा ओलम्पिक खेलों में भारतीय दल का प्रदर्शन

4411. श्री हुमित पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आगामी एशियाई तथा ओलम्पिक खेलों में भारतीय दल के बेहतर प्रदर्शन हेतु किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मंत्री (सुश्री ममता बनर्जी) : आगामी एशियाड तथा ओलम्पिक खेलों में भारतीय दल के बेहतर प्रदर्शन के लिए किए गए उपायों में ओलम्पिक तथा एशियाई दोनों खेलों में निर्धारित की गई खेल-विधाओं में उच्च स्तरीय कोचिंग तथा प्रतियोगिता कार्यक्रम शामिल है। जहां आवश्यक हो राष्ट्रीय संघों और भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन जो कि हमारी राष्ट्रीय टीमों की तैयारी और प्रदर्शन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं, के साथ विचार-विमर्श से इन योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है और इनकी समीक्षा की जाती है। आवश्यकतानुसार भारतीय खेल प्राधिकरण आवश्यक उपस्कर, बुनियादी सहायता तथा विदेशी प्रशिक्षकों की सेवायें उपलब्ध कराता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय

4412. श्री हरीशनारायण प्रभु झांट्ये :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को, शिक्षा उपलब्ध करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क आवासीय स्कूल खोलने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, नवोदय विद्यालय स्कीम के अन्तर्गत प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी पारिवारिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अच्छी कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक विद्यालय की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इन विद्यालयों आवासीय स्कूलों में 75% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। अब तक 280 ऐसे विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं।

आदिवासी क्षेत्रों को चावल की आपूर्ति

4413. श्री वसुदेव आचार्य :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत आने वाले गांव में रहने वाले जनजातीय लोगों को चावल सस्ती दरों पर दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार का विचार समस्त आदिवासी जनसंख्या को सस्ती दरों पर चावल देने के लिए समेकित जनजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों तक इस कार्यक्रम को लागू करने का है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक स्कीम के अधीन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के अधीन कवर किये गये क्षेत्रों में रह रही जनता को विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरित करने के लिए चावल और गेहूँ जारी किये जाते हैं। चावल की विभिन्न किस्मों के लिए निर्धारित किए गए वर्तमान राजसहायताप्राप्त अन्तिम खुदरा मूल्य निम्नानुसार हैं :—

	(रुपये प्रति क्विंटल)
चावल (साधारण)	352
चावल (बढ़िया)	412
चावल (उत्तम)	433

उपर्युक्त स्कीम आदिवासी बहुल राज्यों में भी लागू है।

केरल को सेला चावल की सप्लाई

4414. प्रो. के. वी. थामस :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के निवासी उबले हुए चावल पसन्द करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल को उबले हुए चावल की सप्लाई के अनुपात में वृद्धि करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1991 के दौरान केरल को सार्वजनिक प्रणाली के लिए 11.05 लाख मीटरी टन सेला चावल की आपूर्ति की गई थी जबकि 1990 के दौरान 9.87 लाख मीटरी टन मात्रा की आपूर्ति की गई थी। भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टाक की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों की किस्मवार पसंद के चावल की मांग को पूरा करने के लिए यथासम्भव प्रयास किए जाते हैं।

सरसों तथा वनस्पति तेलों की बिक्री

4415. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फुटकर बिक्री केन्द्रों द्वारा मिलावटी सरसों तथा वनस्पति तेलों की बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने उक्त मिलावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का कार्यान्वयन प्रारम्भिक तौर पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों का कार्य होता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार सरसों के तेल सहित अपमिश्रित खाद्य वनस्पति तेलों की बिक्री के कुछ मामले हुए हैं।

(ग) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे बाजार में बेचे गये खाद्य तेलों की गुणवत्ता पर नजर रखें।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कोयला प्रौद्योगिकियां

4416. श्री वी श्रीनिवास प्रसाद :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र के संरक्षण में मद्रास में पर्यावरण की दृष्टि से युक्तियुक्त कोयला प्रौद्योगिकियों सम्बन्ध में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का कौन-कौन सी सिफारिशों को स्वीकार करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सम्मेलन ने कोयला खनन, उत्पादन और उपयोग, पहले से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन मूल्य नीति जो अन्य बातों के साथ-साथ समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्ग को प्रभावित न करे, खनित भूमि के सुधार में सहायक उपायों, ऊर्जा के किफायती और कुशल उपयोग, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर सूचना के आदान-प्रदान से सम्बन्धित उन प्रौद्योगिकियों के बारे में सामान्य और विशिष्ट सिफारिशें की हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हों। ये सिफारिशें मोटे तौर पर उन्हीं नीतियों पर आधारित हैं जिनका स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पहले ही अनुसरण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय उर्वरक निगम के मुख्यालय से कुछ वस्तुओं को अनधिकृत रूप से हटाया व बेचा जाना

4417. श्री विश्वनाथ शास्त्री।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 के दौरान बाराखम्भा, नई दिल्ली स्थित भारतीय उर्वरक निगम के मुख्यालय से कुछ वस्तुओं को हटाया व बेचा गया था;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. (एफ सी आई) का मुख्यालय बाराखम्भा रोड़, नई दिल्ली में नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्व बर्मा के पेंशनभोगियों को पेंशन लाभ

4418. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सेवाकार बर्मा सरकार के पेंशनभोगियों को जिन्हें 375 रुपये प्रतिमाह तदर्थ अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई थी, 1.6.87 से महंगाई राहत की संशोधित दर को लागू नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उक्त पेंशन भोगियों को समय-समय पर संशोधित आधार पर, ऐसी राहत का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) भूतपूर्व बर्मा पेंशनभोगियों को पेंशन तथा उस पर महंगाई राहत की अदायगी सम्बन्धित महालेखाकारों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत आधार पर की जाती है। महालेखाकारों द्वारा बर्मा पेंशनभोगियों को संशोधित दर पर महंगाई राहत न देने का कोई दृष्टान्त इस मन्त्रालय के ध्यान में नहीं आया है। तथापि 9.3.92 को सरकार द्वारा अनुदेश जारी किए गये हैं जिनमें 1.6.87 से बर्मा पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अनुज्ञेयता दोहराई गई है।

[अनुवाद]

आई आई. टी. मद्रास द्वारा इंडस्ट्रियल फाउंडेशन तथा रिसर्च पार्क की स्थापना

4420 श्री बी. देवराजन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, मद्रास का विचार एक इंडस्ट्रियल फाउंडेशन तथा रिसर्च पार्क स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल की लंबित परियोजनाएं

4421. श्री अनिल बसु :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय के पास लंबित पड़ी परियोजनाओं का ब्योरा क्या है, और

(ख) इन्हें कब तक निपटा दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना हेतु इस समय सरकार के पास कुल 59 प्रस्ताव विचाराधीन हैं। ऐसे विचाराधीन मामलों के ब्योरे तब तक नहीं बताये जाते जब तक उन पर अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं हो जाता।

औद्योगिक स्वीकृतियां देने सम्बन्धी आवेदनों के निपटान हेतु निश्चित समय सीमाएं हैं। आवेदनों को इसी समय सीमा में निपटान सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किये जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें

4422. श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किये थे, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह चटोवार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बिहार में बड़े/मध्यम/लघु/अतिलघु एकक

4423. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 तथा 1990 के दौरान बिहार में स्थापित किये गए बड़े मध्यम, लघु तथा अति लघु उद्योगों की संख्या कितनी है:

(ख) निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में उनकी संख्या कितनी-कितनी है, और

(ग) आशय पत्रों के लिए 1 अप्रैल, 1991 तक लंबित बड़े प्रस्तावों तथा 1991-92 के दौरान प्राप्त हुए और 1 मार्च, 1992 को लंबित प्रस्तावों की संख्या कितनी-कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में किसी राज्य विशेष में स्थापित किए गये उद्योगों सम्बन्धी सूचना तथा निजी और संयुक्त क्षेत्र के बीच उनको ब्यौरे वार जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। किन्तु बिहार में उद्योगों की स्थापनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	औद्योगिक लाइसेन्स (संख्या)	आशय पत्र (संख्या)
1989	5	15
1990	8	11
1991	5	5

उपर्युक्त में से, 1989 में 5 आशय पत्र और 1990 में 1 आशय पत्र बिहार स्टेट

[अनुवाद]

कर्नाटक में उद्योग विहीन जिले

4424. श्री एस. बी. सिद्दनाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग विहीन जिलों की सूची में शामिल किए गए कर्नाटक के जिलों के नाम क्या हैं और इस वर्गीकरण के लिए निर्धारित मापदन्ड क्या है;

(ख) क्या इन जिलों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक एककों को स्थापित कर दिया जाएगा और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी जे. कुरियन) । कर्नाटक में केवल बीदर जिले को ही (उद्योग रहित जिले) की सूची में शामिल किया गया है । जिला उद्योग केन्द्रों (डी. आई.सी.) की कार्यवाही योजना (एक्शन प्लान) 1979-80 के अनुसार जिन जिलों में कोई बड़ा अथवा मध्यम उद्योग नहीं है उनको 'उद्योग रहित' जिलों के रूप में पहचान कर ली गई है।

(ख) से (घ) किसी विशिष्ट जिले/क्षेत्र के औद्योगिकीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । केन्द्र सरकार, जहां कहीं सम्भव होता है, इन क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों में सहायता करती है ।

नई विकास केन्द्र योजना के तहत कर्नाटक को तीन विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं जिनके स्थापना स्थलों की भी घोषणा कर दी गई है जो धारवाड़ हुबली तथा रायचूर में हैं। इन चुनिन्दा केन्द्रों को औद्योगिक विकास हेतु सभी बुनियादी सुविधायें मुहैया कराई जायेंगी । यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित की जाएगी ।

[हिन्दी]

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता

4425. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी को घरेलू स्रोतों से अधिक उन्नत बनाने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता कब तक प्राप्त कर लेने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक तथा लोक शिकायत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) प्रौद्योगिकी के नवीनीकरण तथा उन्नयन के लिए अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी प्रयास एक अनवरत प्रक्रिया है । अन्तरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य जोर अब राष्ट्रीय विकासात्मक उद्देश्यों के लिए

संचार भू-संसाधनों के सुदूर संवेदन से संबंधित सेवाओं के लिए अन्तरिक्ष आंकड़ों का प्रदान करने पर है। प्रचालात्मक भारतीय सुदूर संवेदन (आई. आर. एस) उपग्रहों का सफलतापूर्वक स्वदेशी विकास पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। इस वर्ष एक स्वदेशी इन्सेट उपग्रह का प्रमोचन निर्धारित किया गया है। आई आर. एस श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी. एस. एल. वी.) और इन्सेट श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन के लिये भू-तुल्यकालिक उच्च ग्रह प्रमोचक राकेट (जी. एस. एल. वी.) के स्वदेशी विकास से देश आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेगा। उपर्युक्त कार्यक्रमों से पूर्ण आत्मनिर्भरता लगभग 5-6 वर्ष की अवधि में प्राप्त होने की आशा है।

[अनुवाद]

मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पद

4426. श्री अर्जुन चरण सेठी।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों स्वायत्तशासी संगठनों आदि में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के कुल कितने पद है;

(ख) ऐसे कितने विभाग हैं जहां मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पद या तो खाली पड़े हैं या तदर्थ आधार पर हैं या अस्थाई तौर पर भरे गये हैं; और

(ग) इसका तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी.

[अनुवाद]

नान कुकिंग पिटहैड कोल की कमी

4427. श्री राम नाईक :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फरवरी, 1992 के दौरान नान कुकिंग पिटहैड कोल की कमी रही;

(ख) यदि नां, तो कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) 10 फरवरी, 1992 को कोल इण्डिया के पास संग्रहीत कोयले का कितना भण्डार था;

(घ) यह भण्डार कब से संग्रहीत किया गया था;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बाजार में कितना भन्डार जारी किया गया; और

(च) बाजार में कोयले की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा कोल इन्डिया लिमिटेड को अतिरिक्त भन्डार जारी करने के सम्बन्ध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं ?

कोयला राज्य मंत्री श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) सरकार को फरवरी, 1992 के दौरान अकोकर कोयले की आपूर्ति में हुई कमी के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ·

(ग) और (घ) 10-2-1982 की स्थिति के अनुसार कोल इन्डिया लि. के पास कोयले का कुल 37.97 मि. टन स्टाक था। उक्त स्टाक काफी अवधि के बाद एकत्रित हुआ था ।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. से प्रेषित किए गए कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है:—

	(मि. टन में)
1989-90	170.18
1990-91	179.69
1991-92 (फरवरी, 92 तक)	176.19

(च) अभी हाल ही में पिटहैड स्टाक से 20 मि. टन कोयला जारी किये जाने का एक निर्णय लिया गया है : कोल इंडिया लि. को स्टाक को निम्नलिखित रूप में श्रेणीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं :

(1) रेलवे साइडिंग के 3 कि. मी. के अन्दर कोलियरियों में पड़ा स्टाक;

(2) रेलवे साइडिंग के 3 कि. मी. से अधिक दूरी में पड़ा स्टाक।

(3) कोलियरियों में पिटहैड स्टाक, जो कि तापीय विद्युत गृहों जैसे उपभोक्ताओं के स्थलों से ग्रहीत है।

(4) कोलियरियों में स्टाक जो कि केवल सड़क से संयोजित है ।

श्रेणी 2 और 4 के अन्तर्गत आने वाले स्टाक का विशेष कोयला डम्पों को परिवहन कर दिया जायेगा और उन्हें बिक्री के लिए खोल दिया जायेगा । किन्तु वास्तविक उपभोक्ताओं जैसे, सीमेंट, कागज वस्त्र ग्लास, लाइम, लघु उद्योग और ईट भट्टा उद्योग, आदि उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी । बिक्री कीमत, ग्रेड विशेष के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित की गई कीमत के अनुसार होगी और इस सम्बन्ध में रखरखाव प्रभार, आदि। कोयले के ग्रेड का निर्धारण कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाएगा ।

[हिन्दी]

धार्मिक स्थलों का निर्माण

4428. श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या शहरी विकास मन्त्री 27 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 893 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनधिकृत रूप से धार्मिक स्थलों के निर्माण के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (ग) सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों को दन्डित किया जाना

4429. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जगदीश चन्द्र झाम्ब ए. टी. आर. 1990 (1) सी. ए. टी. 27 के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को देखते हुये ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें दोष सिद्ध किए बिना दन्डित किया गया है और जिन्हें दन्डित करने के लिए ऐसे आवश्यक साक्षी, उपस्थित किए गए हैं, जिनके साक्ष्य के आधार पर कर्मचारियों को दन्डित किया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए है/उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) :

(क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अधिनिर्णय कथित मामले के विशिष्ट तथ्यों तथा परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जिनके मामले इस प्रकार की परिस्थितियों में निपटाये गये थे, की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से संकलित नहीं की गई है, और न ही ऐसा करना आवश्यक है चूंकि जिस पद्धति से विभागीय जांच की जाती, उसका इस विषय पर दिए गए अनुदेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और अनुशासनिक कार्यवाई, बड़ी संख्या में मन्त्रालयों/विभागों तथा उनके फील्ड/संबद्ध कार्यालयों में अलग अलग अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की जाती अपेक्षित है।

अनुवाद]

प्राइवेट पार्टियों को कोयले की सप्लाई

4430. श्री पीयूष तीरकी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड ने कम गुणवत्ता वाले कोयले को हार्ड-कोक में बदलने के लिये बिहार के हजारी बाग जिले में तथा अन्य स्थानों में प्राइवेट पार्टियों को लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पार्टियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें प्रति वर्ष कोयले का कितना कोटा सप्लाई किया गया है;

(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विस्थापित व्यक्तियों को पृथक-पृथक ऐसे कितने-कितने लाइसेन्स दिए गए हैं;

(ङ) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड भविष्य में और ऐसे लाइसेंस जारी करने वाला है;

(च) यदि हां, तो कब से; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (छ) बड़े आकार के कोक ओवन की स्थापना किए जाने सम्बन्धी लाइसेंस उद्योग मन्त्रालय द्वारा प्रत्येक मामले में गुण-वत्ता के आधार पर जारी किए जाते हैं। सेन्ट्रल कोलफिल्ड लि. इस तरह के लाइसेन्स जारी नहीं करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार सेन्ट्रल कोलफिल्ड लि. इससे संयोजित 26 हार्ड कोक यूनिटों को मासिक आधार पर कोयले की आपूर्ति कर रहा है। जनवरी-दिसम्बर, 91 की अवधि के दौरान इन यूनिटों को 7.18 लाख टन संयोजित की तुलना में 6.18 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई है। इन यूनिटों की सूची अनुबन्ध में दी गई है। इस सम्बन्ध में सूचना कि क्या ये यूनिट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, विस्थापित व्यक्तियों आदि के अधीन काश्तरत हैं, उपलब्ध नहीं है।

कोकरी का नाम	ग्रेड/आकार
मैसर्स मेटा कोक कारपोरेशन, नीलसरोय, रामगढ़ कैंट, हजारी बाग	डब्लू-III/एसटीएन/ एसएनके
मैसर्स गिरेन्द्र हार्ड कोक इन्टरप्राइजेज, मरामी हजारी बाग	—तदेव—
मैसर्स श्री बाला जी कोक इन्डस्ट्रीज, भरैचनगर, हजारीबाग	—तदेव...
मैसर्स बजरंगबली हार्ड कोक कं. भरेचनगर, हजारीबाग	—तदेव—
मैसर्स भारत हार्ड कोक मैन्यूफैक, हटिया, रांची	—तदेव—
मैसर्स राजहन्स कोक इन्डस्ट्रीज, रामगढ़ कैंट, हजारीबाग	—तदेव—
मैसर्स हनुमान कोक एंड मिनरल, भरेचनगर, हजारीबाग	—तदेव—
मैसर्स राहुल कोक प्राइवेट लि., रामनगर, वाराणसी	—तदेव—
जोड़	

विवरण

सी. सी. एल. से संयोजित कोकरी यूनिटों द्वारा जनवरी, 91 से दिसम्बर, 91 की अवधि के दौरान उठाया गया कोयला और कोयले से तैयार कोक को दर्शाने वाला विवरणात्मक

कोकरी का नाम	ग्रेड/आकार
मेसर्स भारेचनगर कारबोनीजेशन वर्कर्स, भारेचनगर, हजारीबाग	डब्लू-III-एसटीएम
मेसर्स ओम कोक इन्डस्ट्रीज, भारेचनगर, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स पंचमस इन्डस्ट्रीज, भारेचनगर, हजारीबाग	—तदेव—
मैसर्स अनिल हार्ड कोक इन्डस्ट्रीज, माटेर, हजारीबाग	— तदेव—
मेसर्स दुर्गा कोक कं. भारेचनगर, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स जूपीटर कोक इंडस्ट्रीज, इमोडारी बाजार, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स कृष्णा कोक एंड मिनरलस, सांडी, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स अशोक हार्ड कोक इंडस्ट्रीज, डेमोटांड, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स हीरा कोक इंडस्ट्रीज, डेमोटांडा, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स डरालिया मिनरलस इंडस्ट्रीज, भारेचनगर, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स गोयल उद्योग, मोरांगे, हजारीबाग	—तदेव—
मैसर्स भरेचनगर कोक मेन्युफेक्च. कं. भारेचनगर, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स शिव शक्ति इंडस्ट्रीज, मरारी, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स पवन सोलवेन्ट एंड केमिकल्स, मरार, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स कोल प्रोडक्सन इंडिया, मकरा, पी. ओ. अहरौलपुर, बाकुड़, उत्तर प्रदेश	—तदेव—
मेसर्स रेमको कोक इंडस्ट्रीज, बी-15, इंडस्ट्रीयल एरिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	—तदेव—
मेसर्स गनेश हार्ड कोक कं. भरेचनगर, हजारीबाग	—तदेव—
मेसर्स कान्टीनेंटल कोक एंड मिनरलस, गांव: सांडी, मरार हजारीबाग	—तदेव—

[हिन्दी]

डी. डी. ए. फ्लैटों का आवंटन

4438. श्री देवी प्रसाद मण्डी :

क्या आवास विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में ऐसे व्यक्तियों की कितनी संख्या है जिनके पास अपने घर होने के बावजूद उन्हें डी. डी. ए. फ्लेटों का आवंटन किया गया है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें डी. डी. ए. द्वारा दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर उन्हीं के परिवार के विभिन्न नामों से फ्लेट आवंटित किये गये हैं; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को फ्लेट आवंटित करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (ख) फ्लेट आवंटन के समय इस आशय का एक शपथ पत्र लिया जाता है कि आवेदक के अपने नाम या उसके आश्रित के नाम दिल्ली में कोई अपना मकान नहीं है। सत्यता की पुष्टि में एक शपथ-पत्र स्वीकार किया जाता होता है और दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल शिकायत किए जाने पर ही ऐसे शपथ पत्र की सत्यता की जांच करता है. इस प्रकार के असत्य शपथ पत्रों के ब्यौरे जिनमें अन्ततः यह सिद्ध हो जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन किये जाने के समय किसी आवंटी या उसके आश्रित के पास दिल्ली में कोई अपना फ्लेट था, दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त किये जा रहे हैं और प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

(ग) आवंटन के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवंटी द्वारा दिया जाने वाले शपथ पत्र स्वीकार करना होता है कि उसके अपने नाम पर या उसके किसी आश्रित के नाम पर दिल्ली में कोई मकान नहीं है। इसलिये, दिल्ली विकास प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों को जानबूझकर फ्लेट आवंटित नहीं करता है।

[अनुवाद]

अन्टार्कटिका अभियान

4432. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अन्टार्कटिका महाद्वीप में चल रही गतिविधियों के सम्बन्ध में समझौते किए हैं क्या भारत उनमें से एक है;

(ख) भारत के सम्बन्ध में समझौते की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) इस समय खोज और अनुसन्धान के लिए महाद्वीप का कौन सा क्षेत्र देश के अंतर्गत आता है, और

(घ) वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के मुख्य परिणाम क्या निकले और इसमें क्या उपलब्धि मिली है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) अंटार्कटिक संधि, जिसमें 39 देश सम्मिलित हैं, (विवरण संलग्न-1 में) इन गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अन्वेषण एवं सहयोग को स्वतन्त्रता प्रदान करती है, संधि दलों के बीच सहयोग को अंटार्कटिक संधि परामर्शक बैठकों में औपचारिक रूप दिया जाता है।

(ङ) अंटार्कटिक संधि की प्रमुख विशेषतायें एवं इसकी सिफारिशें संलग्न-2 में दी गई हैं ।

(ग) अंटार्कटिक महाद्वीप, वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए उपलब्ध है, तथा विभिन्न परामर्शक दलों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत अनुसन्धान कार्यक्रम किये जा रहे हैं ।

(घ) भारत ने मैत्री में (70°45 39.4" द., 11°44' 48 6" पू.) एक स्थाई केन्द्र तथा दक्षिण गंगोत्री में (70°05' द.,11°0.0 पू.) आपूर्ति सहित ग्रीष्म आधार कैम्प स्थापित किया है । भारतीय वैज्ञानिकों ने भू-विज्ञान, वायुमण्डल विज्ञान, चुम्बकत्व क्षेत्र, मौसम विज्ञान, जैव विज्ञान, समुद्र विज्ञान पर्यावरणीय शरीर क्रिया विज्ञान एवं इन्जीनियरिंग पहलुओं पर अध्ययन किये हैं, एकत्रित आकड़े एवं सूचना अब तक पांच खन्डों में प्रकाशित की जा चुकी है ।

विवरण

(ग) अंटार्कटिक संधि के अनुसंधान दल

देश	हस्ताक्षर कर्त्ता, अनुसमर्थन की तारीख	संलग्न	परामर्श
1	2	3	4
यूनाइटेड किंगडम	31 मई, 1960		+
दक्षिण अफ्रीका	21 जून, 1960		×
बेलजियम	2 जुलाई, 1960		×
जापान	04 अगस्त, 1960		×
संयुक्त राज्य अमेरिका	18 अगस्त, 1960		×
नार्वे	24 अगस्त, 1960		×
फ्रांस	16 सितम्बर, 1960		×
न्यूजीलैण्ड	01 नवम्बर, 1960		×
यू. एस. एस. आर.	02 नवम्बर, 1960		×
पोलैन्ड		08 जून, 1961	29 जुलाई, 1977
अर्जेन्टीना	23 जून, 1961		×
आस्ट्रेलिया	23 जून, 1961		×
चिली	23 जून, 1961		×
चेकोस्लोवाकिया		14 जून, 1962	×
डेनमार्क		20 मई, 1965	

1	2	3	4
हालैण्ड		30 मार्च, 1967	19 नवम्बर, 1990
रोमानिया		15 सितम्बर, 1971	
जर्मन जनवादी गणराज्य		19 नवम्बर, 1974	05 अक्तूबर, 1987
ब्राजील		16 मई, 1974	12 सितम्बर, 1683
बुल्गारिया		11 सितम्बर, 1978	
संघीय जर्मन गणराज्य		05 फरवरी, 1879	03 मार्च, 1981
उरुग्वे		11 जनवरी, 1990	07 अक्तूबर, 1985
पापुआ न्यू गुआना		16 मार्च, 1881	
इटली		13 मार्च, 1981	05 अक्तूबर, 1987
पेरू		10 अप्रैल, 1981	09 अक्टूबर, 1989
स्पेन		31 मार्च, 1982	21 सितम्बर, 1988
चीन		08 जून, 1983	07 अक्तूबर, 1985
भारत		19 अगस्त, 1983	12 सितम्बर, 1983
हंगरी		17 जनवरी, 1984	
स्वीडन		24 अप्रैल, 1984	21 सितम्बर, 1983
फिनलैण्ड		15 मई, 1984	09 अक्तूबर, 1989
क्यूबा		16 अगस्त, 198-	
द. कोरिया		28 नवम्बर, 1986	09 अक्तूबर, 1989
ग्रीस		08 जनवरी, 1987	
जनवादी कोरिया गणराज्य		21 जनवरी, 1987	
आस्ट्रिया		25 अगस्त, 1987	
इक्वाडोर		15 सितम्बर, 1987	19 नवम्बर, 1990
कनाडा		04 मई, 1988	
कोलम्बिया		31 जनवरी, 1989	
स्वीजरलैण्ड		15 नवम्बर, 1990	
योग	12	28	27

× अंटार्कटिक संधि समावेश की तिथि के अनुसार तैथिक क्रम में

(1) दोनों जर्मनी के एकीकरण हो जाने से यह अनुबन्ध दल नहीं है।

विवरण-दो

अंटार्कटिक संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है:—

* यह संधि 60° दक्षिण अक्षांश के दक्षिण क्षेत्र पर लागू होती है।

* अंटार्कटिक को केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। वैज्ञानिक अन्वेषण की स्वतन्त्रता की सुरक्षा की जाती है, और इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग जारी रहेगा।

* अणु विस्फोट और विकिरण सक्रिय अपशिष्टों के निस्तारण पर प्रतिबन्ध है।

* सभी सरकारी दल हरएक सूचना का आदान प्रदान करेंगे और इस संधि के उद्देश्यों का विस्तार करने के लिए उपाय करेंगे।

* सभी निर्णय समय-समय पर आयोजित की जाने वाली, परामर्शदलों की बैठकों में किए जाते हैं।

* परामर्शक दलों की बैठकों में की गई सिफारिशों के आधार पर संधि के उपबन्धों को जोड़ा जाता है। इनमें अंटार्कटिक के लिए महत्वपूर्ण कई विषयों को शामिल किया जाता है। ये विषय निम्नलिखित से संबंधित होते हैं:—

(1) अंटार्कटिक पर्यावरण की सुरक्षा

(2) पर्यावरणीय आचरण

(3) पर्यावरणीय मानिटरिंग

(4) अंटार्कटिक प्राणिजात और वनस्पति जात की सरक्षण

(5) नए द्वीप

(6) पर्यटन और गैर-सरकारी कार्यालय

(7) अंटार्कटिक बर्फ के प्रयोग

(8) विशेषरूप से सुरक्षित क्षेत्र

(9) विशेष वैज्ञानिक हित के स्थान

(10) एतिहासिक स्थान और स्मारक इत्यादि।

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद

4433. श्री लाल फर्नान्डीज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स सिंगरैनी कोलरीज कम्पनी लिमिटेड, कोठागुडम, जिला खम्मम आन्ध्र प्रदेश तथा कोयला खान कर्मचारी संघ के बीच औद्योगिक विवाद समझौते के विफल होने की जानकारी सहायक श्रम आयुक्त (मध्य) विजयवाड़ा से प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का इस विवाद को निर्णय हेतु भेजने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाडोवार) : (क) से (ग) श्री जी. शंकागिरी राव की अभिकथित अवैध बर्खास्तगी के बारे में मै. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडम, खम्मम जिला, आन्ध्र प्रदेश के प्रबंधतंत्र और कोल माइंस एम्प्लाइज यूनियन के बीच हुए औद्योगिक विवाद को इस मंत्रालय के 4.12 1991 के आदेश सं. एल-22012/261/91-आई आर (सी. II) द्वारा न्याय-निर्णयन के लिए भेज दिया गया है।

नगरों में "लाइट रेल" प्रणाली

4434. श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में मध्यम नगरों में "लाइट रेल" प्रणाली आरम्भ करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चुने गए मध्यम नगरों के नाम क्या हैं तथा इस काम के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) शहरी परिवहन राज्य सूची का विषय है। परिवहन संबंधी अध्ययन इत्यादि के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सहायतार्हेत प्रस्ताव भेजे गये हैं। देश के किसी भी मध्यम वर्ग के शहरों के "लाईट रेल सिस्टम" शुरू करने संबंधी प्रस्ताव किसी भी राज्य सरकार द्वारा नहीं प्राप्त हुए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उद्यमियों का शिविर

4435. श्री जोगेश झा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13-14 फरवरी, 1991 को बिहार के मधुबनी जिले में और 15-16 फरवरी, 1991 को दरभंगा जिले में उद्यमियों का कोई शिविर आयोजित किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) जी, हां। लघु उद्योग सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर के सहयोग से बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रोत्साहन अभियान आयोजित किये गये थे। इन अभियानों का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने की प्रेरणा देना था। मधुबनी में आयोजित शिविर में 700 व्यक्तियों ने भाग लिया जिसमें से 250 व्यक्तियों ने औद्योगिक एकक लगाने में अपनी रुचि दिखाई थी और 140 व्यक्तियों को अनंतिम लघु उद्योग पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। दरभंगा में आयोजित शिविर में 300 व्यक्तियों ने भाग लिया था जिनमें से 150 व्यक्तियों ने औद्योगिक एकक लगाने में अपनी रुचि दिखाई थी और 75 व्यक्तियों को अनंतिम लघु उद्योग पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय लघु उद्योग कार्पोरेशन लिमिटेड

4436. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय लघु उद्योग कार्पोरेशन लिमिटेड में की गई अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच की है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी हां। राष्ट्रीय लघु उद्योग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधकों के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच की गई थी और वे ठीक नहीं निकले।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल के लिए स्वीकृत योजना व्यय

4437. श्री थाइल जान अंजलोज :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार को 1991-92 के लिए कितना योजना व्यय मंजूर किया गया है;

(ख) केरल सरकार का 1991-92 की वार्षिक योजना में कितना अंशदान है; और

(ग) केरल सरकार ने 1991-92 में विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) केरल का 1991-92 का कुल अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 807 करोड़ रुपये है।

(ख) केरल की 1991-92 की वार्षिक योजना के लिए राज्य के अपने संसाधन 25.64 करोड़ रुपए का होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) 1991-92 में राज्य में कुल संभावित योजना व्यय जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित संशोधित परिव्यय आंकड़ों से विदित होता है, 620 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया जाना

4438. डा. लाल बहादुर राजल :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी दिल्ली में विशेषकर नजफगढ़ रोड़ पर 1984 के बाद बड़ी संख्या में अनधिकृत कालोनियां फैल गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कालोनियों को नियमित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन कालोनियों को कब तक नियमित किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा विकास के लिए कार्यक्रम

4439. श्री अमल दत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विकास के कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और

(ख) क्या समय और लागत की दृष्टि से चालू कार्यक्रम मूल योजना के अनुसार है, और

(ग) यदि नहीं, तो दोनों के समय व लागत में कितना अन्तर है और इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं शांतिमय अनुप्रयोग जैसे कि बिजली का उत्पादन, कृषि, उद्योग तथा चिकित्सा के क्षेत्रों में आइसोटोपों का उपयोग, के लिए परमाणु ऊर्जा को काम में लाने के अतिरिक्त विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य करना है।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम प्रारम्भिक योजनाओं जिनमें आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशीकरण पर अधिक जोर दिया गया है, के अनुसार चलाये जा रहे हैं। तथापि, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किए जाने वाले अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रयासों की वजह से विशेष रूप से परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम, समय-समय पर वास्तविक प्रगति, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे आने वाली रुकावटों, कुछ बाहरी देशों द्वारा उपस्कर पर लगाई गई रोक, और आबंटित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखकर पुनः निर्धारित किया जाता है।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 1984 के परमाणु बिजली कार्यक्रम में इस शताब्दी के अन्त तक परमाणु बिजली के उत्पादन की स्थापित क्षमता को 10,000 मेगावाट तक करने की परिकल्पना की गई थी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन मे हुई वास्तविक प्रगति और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में कमी को ध्यान में रखते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग के आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव मे सन 2002 तक परमाणु बिजली की स्थापित क्षमता 7700 मेगावाट तक करने की परिकल्पना की गई है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के सम्बन्ध मे जोकि हमारे परमाणु बिजली कार्यक्रम का दूसरा चरण है, 500 मेगावाट विद्युत क्षमता के प्रोटोटाइप रिएक्टर का डिजाइन विकसित किया गया है और ब्यौरेवार अभियान्त्रिकी का कार्य प्रगति पर है। अनुसंधान और विकास, भारी पानी उत्पादन और ईंधन क्षेत्र में अन्य सहायक कार्यकलापों को संशोधित परमाणु बिजली कार्यक्रम की प्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के स्तर तक कायम रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

कोंकण क्षेत्र में पेय जल समस्या

4440. श्री सुधीर सावन्त।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में पीने के पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के चार जिलों (ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी तथा सिन्धु दुर्ग) में पेयजल की कोई गंभीर समस्या नहीं है क्योंकि 1991 के मानसून के दौरान इन जिलों में संतोषजनक वर्षा हुई थी। तथापि, आगामी गर्मी के महीनों में इस क्षेत्र के कुछ गांवों को पेयजल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। योजना निधियों से खोदे कुओं (डगवैल) एवं बोरवेल का निर्माण, पाइप द्वारा जल सप्लाई की योजनाओं आदि जैसे आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

सॉफ्टवेयर की चोरी

4441. श्री हरीश नारायण प्रभु मांड्ये :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में सभी व्यवसायों और सरकारी कार्यालयों में सॉफ्टवेयरों की चोरी जारी है;

(ख) यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या इससे घरेलू सॉफ्टवेयर बाजार प्रभावित हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो घरेलू बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) से (घ) कापीराइट अधिनियम 1984 द्वारा यथा संशोधित कापीराइट अधिनियम 1957 के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है । एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(i) इस बात का सुनिश्चय करना कि जहां तक सॉफ्टवेयर का सम्बन्ध है, कोपीराइट अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन निष्ठापूर्वक किया जाता है ।

(ii) सॉफ्टवेयर का अध्ययन करने और यथार्थ सॉफ्टवेयर के उपयोग की स्थिति पर निगरानी रखने की दिशा में पहल करना ।

(iii) प्रचलित सॉफ्टवेयर पैकेजों के मूल्य की दृष्टि से प्रयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने से सम्बन्धित कार्रवाई की सिफारिश देना ।

इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की चोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) प्रमुख सरकारी प्रयोगकर्त्ताओं को सलाह दी गई है कि वे (क) कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के लिए अलग-अलग निविदाएं आमन्त्रित करें तथा (ख) केवल लाइसेन्सशुदा सॉफ्टवेयर उत्पादों का ही इस्तेमाल करें ।

(ii) भंडार तथा बिक्री के उद्देश्य से सरकारी विभागों, कम्प्यूटर निर्माताओं और इलेक्ट्रानिकी विभाग में पंजीकृत सॉफ्टवेयर गृहों सहित वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ जी एल) के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के आयात की अनुमति देना ।

(iii) "सॉफ्टवेयर चोरी विरोधी भारतीय परिसंघ" (इनफास्ट) नामक मुनाफा न कमाने वाली एक कम्पनी की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य भारतीय तथा विदेशी सॉफ्टवेयर उत्पादों को चोरी से संरक्षण प्रदान करना है ।

(iv) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने पुलिस

अधिनियमों में समुचित संशोधन करें जिससे 'इनफास्ट' और 'नासकाम' जैसे औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को सॉफ्टवेयर की चोरी रोकने से सम्बन्धित कापीराइट अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों का अनुपालन करवाने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी की हैसियत से कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जा सके।

[अनुवाद]

वेस्टर्न कोलफील्ड्स में दुर्घटनायें

4442. श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स की कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) ऐसी प्रत्येक दुर्घटना में मृतकों की संख्या कितनी है और मृतकों या उनके सम्बन्धियों को कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) ऐसी प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण थे, और

(घ) ऐसी प्रत्येक कोयला खान में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में वर्ष 1990-91 के दौरान 14 दुर्घटनाओं में से 14 मृत्यु की घटनाएं हुईं। इनमें से 7 छत गिर जाने तथा शेष 7 हालेज तथा हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी के कारण हुईं। मृत्यु के प्रत्येक मामले में क्षतिपूर्ति का भुगतान, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कामगार क्षति पूर्ति आयुक्त के पास कोयला कम्पनी द्वारा मृतक कामगार के आश्रितों के लिए जमा कर दिया गया। वर्ष 1990-91 के दौरान क्षतिपूर्ति के रूप में कम्पनी द्वारा कुल 9.62 लाख रुपये की राशि अदा की गई।

(घ) प्रत्येक दुर्घटना की जांच प्रांतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा की गई तथा ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करते हुए मार्ग-निर्देश जारी किये गए। इसके अलावा कोयला कम्पनियों के पास खानों में सुरक्षा का सुव्यवस्थित करने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं—रूफ बोलटिंग प्रणाली को शुरूआत, परिवहन के लिए सड़कों की स्थापना, तथा विद्यमान सड़कों में सुधार और भूमिगत खान से सतह तक संचार नेटवर्क की स्थापना तथा धूल को दबाया जाना।

[अनुवाद]

भारत उदयोग लिमिटेड

4443. श्री प्रबोध डेका :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अब तक मारुति के प्राधिकृत डीलरों के नाम, नियुक्ति की तारीख और वाणिज्यिक क्षेत्र क्या हैं, और

(ख) प्राधिकृत डीलरों की नियुक्ति के लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) असम में मारुति वाहनों के अधिकृत डीलर मेसर्स बिमल आटो एजेन्सी, गुवाहाटी है। इस डीलर को अप्रैल, 1983 में नियुक्त किया गया था। इस डीलर को आवंटित वाणिज्यिक क्षेत्र में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मारुति डीलरों की नियुक्ति के लिए वर्तमान प्रणाली इस प्रकार है :—

1. सार्वजनिक विज्ञापनों द्वारा आकांक्षी पार्टियों से, उन शहरों के लिए, जहां डीलरों की आवश्यकता है, निर्धारित फार्मों पर आवेदन आमंत्रित करना।

2. निम्नलिखित मापदंड के आधार पर सभी वैध आवेदनों की संवीक्षा और मूल्यांकन किया जाना :

   (1) शो-रूम और वर्कशाप बनाने के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं/भूमि की उपलब्धता।

   (2) ऊपर लिखी सुविधाओं का अवस्थिति सम्बन्धी लाभ।

   (3) व्यापार में उम्मीदवार का अनुभव (अधिमान्यतः, मोटरगाड़ी उद्योग में)

   (4) उम्मीदवार की शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यतायें।

   (5) उम्मीदवार की वित्तीय स्थिति।

3. इस कार्य की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों की, साक्षात्कार के बाद एक संक्षिप्त सूची तैयार करना।

4. संक्षिप्त सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों से डीलरशिप प्राप्त करने के लिए मोहरबंद निविदायें मंगवाना, जिनमें मारुति के पास जमा करने वाली राशि का उल्लेख हो।

5. उच्चतम बोलीदाता को डीलरशिप दिया जाना।

[अनुवाद]

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार

4444. श्री ज्ञानेन्द्र शाह :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की भूकम्प प्रभावित टिहरी उत्तरकाशी, जिलों के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मन्त्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) योजना आयोग के पास विशेष रूप से भूकम्प प्रभावित टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी जिलों के बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

दिल्ली से बाहर सरकारी क्वार्टर

4445. श्री मदन लाल खुराना :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से बाहर नगर और टाइप-वार कितने सरकारी आवासीय क्वार्टर हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक नगर में सरकारी कर्मचारियों की संख्या और प्रत्येक वर्ग में क्वार्टरों की संख्या का क्या अनुपात है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त नगरों में तथा उन नगरों में जहां क्वार्टरों का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है और अधिक क्वार्टर निर्माण करने का है, यदि हां, तो नगर-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐसा कोई प्रावधान है जहां नई जगह तैनात होने पर सरकारी आवास न मिलने की स्थिति में, पिछली तैनाती की जगह वाले सरकारी आवास को बनाये रखा जा सके, और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का नियमों में ऐसा कोई प्रावधान करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) यथा उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-II में दी जाती है।

(ग) यथा उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-III में दी जाती है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार के मामलों में सरकारी आवास को रखने की अनुमति एक सीमित अवधि के लिए दी जाती है। इस सीमित अवधि से अधिक सरकारी आवास को रखने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, चूंकि इस प्रकार की छूट, भिन्न स्थानों पर मात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए साधारण पूल में पहले से ही आवास की विद्यमान कमी को और अवसर बना देगी।

विवरण-I

भाग (क) में दिल्ली से बाहर शहर और टाइपवार सरकारी रिहायशी मकानों को दर्शाने वाला विवरण ।

शहर	टाईप-I	टाईप-II	टाईप-III	टाईप-IV	टाईप-V	टाईप-VI	टाईप-VII
बम्बई	3139	3341	1091	532	192	89	—
कलकत्ता	1562	1978	1110	139	137	103	—
मद्रास	450	824	332	327	86	16	—
शिमला	370	241	88	29	24	5	4
नागपुर	216	627	245	126	55	12	1
फरीदाबाद	390	704	200	140	52	16	—
गाजियाबाद	176	304	132	—	—	—	—
चंडीगढ़	441	664	304	32	4	2	—
लखनऊ	128	168	112	48	—	—	—
बंगलौर	284	280	154	84	26	—	—
हैदराबाद	152	225	160	32	36	—	—
शिलांग	20	32	24	8	—	—	—
इन्दौर	144	115	14	14	11	—	—
इम्फाल	16	28	24	4	—	—	—
कोहिमा	8	16	40	—	—	—	—
अगरतला	30	10	6	—	—	—	—
भोपाल	32	52	60	14	8	—	—
कोचीन	32	112	64	24	4	—	—
कानपुर	121	145	90	30	4	—	—
इलाहाबाद	66	234	108	18	3	—	—

विवरण-II

मांग की तुलना में मकानों की संख्या का अनुपात (अर्थात %) x

शहर	टाईप-I	टाईप-II	टाईप-III	टाईप-IV	टाईप-V	टाईप-VI	टाईप-VII
2	2	3	4	5	6	7	8
बम्बई	80	18	13	18	24	39	—

1	2	3	4	5	6	7	7
कलकत्ता	74	54	51	30	29	100	—
मद्रास	61	55	27	95	25	80	—
शिमला	64	25	10	25	75	100	100
नागपुर	65	71	53	85	71	92	100
फरीदाबाद	79	82	60	—	—	—	—
गाजियाबाद	78	82	60	—	—	—	—
चंडीगढ़	29	23	23	37	4	40	—
बंगलौर	53	25	20	42	20	—	—
कोचीन	53	93	100	100	100	—	—

*सीमित संख्या में आमन्त्रित किए गए आवेदनपत्रों के आधार पर।

विवरण-III

शहर	टाईप-I	टाईप-II	टाईप-III	टाईप-IV	टाईप-V
बम्बई					
—मलाड़	400	400	400	200	—
—न्यू बाम्बे	150	300	400	112	59
कलकत्ता	128	816	432	48	—
नागपुर	—	64	—	—	—
फरीदाबाद	92	128	128	—	—
मद्रास	—	54	102	—	—
चंडीगढ़	199	430	134	53	26
कोचीन	—	4	4	—	—

श्रीनगर, शिमला, राजकोट आदि, जैसे स्थानों पर नये/अतिरिक्त विद्यालयी भवन, निर्माणाधीन हैं/निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

एफ. एफ. सी. का तुलिया एलक

4446. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन को हल्दिया एक को औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड/ब्यूरो को भेजने का फैसला किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अनुसार, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन (एच एफ सी), जो कि एक रुग्ण कम्पनी है, को औद्योगिक और वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड से सम्पर्क रखना अपेक्षित है। हल्दिया उर्वरक कम्पलैक्स एच एफ सी की एक परियोजना है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार द्वारा लाभांश

4447. डा. सी. सिलवेरा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से सुपर बाजार कोआपरेटिव स्टोर अपने सदस्यों को लाभांश दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना-कितना प्रतिशत लाभांश दिया गया;

(ग) क्या बढ़े हुए लाभ को ध्यान में रखते हुए सरकार लाभांश की दर बढ़ाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) सुपर बाजार ने अपने अंशधारकों को 1983-84 से 1989-90 तक 6% वार्षिक की दर से लाभांश घोषित किया है।

(ग) से (ङ) सुपर बाजार की उप विधि 32 (बी) (1) में प्रावधान है कि "शेयरों पर अधिक से अधिक 6% वार्षिक की दर से लाभांश का भुगतान किया जा सकता है।" इस समय यह लाभांश स्टोर के पास संबंधित वित्तीय वर्ष में उपलब्ध निपटान योग्य अधिशेष के आधार पर घोषित किया जाता है।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

4448. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या योजना आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु कुछ दिशा निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप देते समय विभिन्न एजेंसियों, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों से विचार-विमर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (घ) विभिन्न राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखने के बाद तथा जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रलय, कल्याण मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग को परामर्श करके योजना आयोग ने परियोजना लागत के 30 प्रतिशत या इससे अधिक पर वर्तमान व्यय स्तर वाली तथा जिनकी वित्त व्यवस्था विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य योजनाओं से की जानी है। ऐसी गैर-अनुमादित बड़ी और मझौली सिंचाई हेतु कतिपय दिशा निर्देश फरवरी, 1992 में जारी कर दिया हैं। इन दिशा निर्देशों को नीचे दिया गया है।

विवरण

1. राज्य सरकारों जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के गठन के क्रम में एक बहुविद्यीय निकाय का गठन करेंगे। यह निकाय सभी गैर-अनुमोदित परियोजनाओं की जांच करेगा और (केन्द्रीय जल आयोग) (सी डब्ल्यू सी) की टिप्पणियों जिनका कि अनुपालन किया जाना बाकी है, को ध्यान में रखते हुए) इस प्रकार की परियोजनाओं की उपादेयता संबंधी अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करेगा ताकि वह परियोजना की मंजूरी हेतु इस विषय को केन्द्र में आगे तकनीकी सलाहकार समिति के साथ उठा सके।

2. सभी चालू गैर-अनुमोदित बड़ी और मझौली सिंचाई स्कीमें जिनके लिए (केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए) कतिपय तकनीकी प्रेक्षण अनुपालन हेतु राज्य सरकार के पास बकाया है, परियोजना रिपोर्टें राज्य सरकार के केन्द्रीय डिजाइन संगठन (सी डी ओ) द्वारा तैयार की जाएगी तथा जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय जल आयोग की बकाया अभ्युक्तियों को केन्द्रीय डिजाइन संगठन के ध्यान में लाते हुए एक मुख्य इंजीनियर द्वारा की जाएगी। बदले में केन्द्रीय डिजाइन संगठन केन्द्रीय जल आयोग के प्रेक्षणों के अनुपालन को सत्यापित करेगा तथा मंजूरी हेतु या अन्यथा परियोजना को आगे की कार्यवाही के संदर्भ में समुचित रूप से सलाह देगा।

3. अन्तर-राज्यीय निहितार्थों वाली परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना है :—

(क) नदी घाटी-परियोजना के मामले में जिनके आबंटन का विवाद किसी अधिकरण/अदालत के फैसले के अधीन हो, मंजूरी के लिए अधिकरण/अदालत के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी, और

(ख) नदी घाटी परियोजना के ऐसे मामले में जिनका जल-आवंटन पहले ही किसी अधिकरण/अदालत द्वारा अथवा अन्तर-राज्यीय समझौते के द्वारा निश्चित किया जा चुका है और यदि जल संसाधन मन्त्रालय/केन्द्रीय जल आयोग की राय में जल आयोग से निर्धारित आवंटन सीमा का अतिक्रमण होता है तो इस मामले को राज्य सरकार के पास वापस भेजा जाएगा। जल ससाधन मन्त्रालय/केन्द्रीय जल आयोग के प्रेक्षणों के बावजूद यदि राज्य सरकार परियोजना के लिए जल की उपलब्धता पर संतुष्ट हो और यह महसूस करे कि यह अधिकरण के निर्णय अथवा अन्तर-राज्यीय समझौते के भीतर है तो उसे इस आशय का विशिष्ट अनुमोदन जल ससाधन मंत्रालय को देना चाहिए। जल संसाधन मंत्रालय बदले मे केस-दर-केस आधार पर एक गोपनीय रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत करेगा जो तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर अन्तिम मजूरी पत्र तैयार करेगा।

[अनुवाद]

असम में ग्रामीण विकास परियोजनाएं

4449. श्री उद्धव बर्मन।

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हाल ही में असम सरकार से राज्य में ग्रामीण विकास परियोजनाएं प्रारम्भ करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग)असम के लिए वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान इसके विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु पृथक-पृथक कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) असम के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु निधियों का निम्न प्रकार आवंटन किया गया है :—

	केन्द्रीय आवंटन (लाख रुपये में)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.)	707.03
ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)	16.00
जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)	4091.67

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	1491.00
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	71.00

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 1992-93 हेतु निधियों के आवंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

कारखाना अधिनियम में संशोधन

+

4450. श्री एम आर. कादम्बूर जनार्दनन :

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कारखाना अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कारखाने की परिभाषा बदल कर श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह चटोवार) : (क) से (घ) मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

कोयले पर कर

4451. श्री राम विलास पासवान :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला तथा कोयला-उत्पादों पर कर निर्धारित करने व निर्णय करने का अधिकार किसे है;

(ख) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का अधिकार क्षेत्र सीमित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए संगमा) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं सूची की संघ सरकार की सूची की प्रविष्ट 54 के अन्तर्गत खानों के विनियमन तथा खनिजों को विकसित किए जाने की शक्ति संघ सरकार में निहित है। तदनुसार कोयले पर रायल्टी का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा एम. एम. आर. डी. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अन्तर्गत

किया जाता है। रायल्टी की दरों में ऊपरी ओर संशोधन 3 वर्षों में एक बार किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादित कोयले तथा उसके प्रेषण पर और कोक के उत्पादन तथा प्रेषण पर उत्पादक शुल्क सी. एम. (सी एण्ड डी) अधिनियम, 1974 की धारा 6 के अन्तर्गत लगाया जाता है। उक्त अधिनियम की शर्तों के अधीन वर्तमान में 10 रु. प्रति टन की अधिकतम सीमा रखी गई जिसके अन्तर्गत उत्पाद शुल्क की दरें निर्धारित की जा सकती हैं।

राज्य सरकारें, राज्यों के विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कोयले पर विभिन्न उपकर लगा रही थीं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने उपर्युक्त कानूनों के कुछ उपबंधों को अभाव्य घोषित कर दिया है और उस सीमा तक उपकरों के संग्रहण के कार्य पर रोक लग गयी है। कुछ अन्य राज्यों द्वारा पास किए गए उपकर अधिनियम, विभिन्न न्यायालयों के विचाराधीन है।

कुछ अन्य कर भी जैसे कि बिक्री कर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे हैं। अन्तर-राज्यीय बिक्री कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर के मामले में भी राज्यों को आक्षिप्त किया गया है।

[अनुवाद]

आरोहिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त बकाया पदों को भरना

+

4452. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री बी एल. शर्मा प्रेम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में अपनाई गई पद्धति की भांति विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित बकाया पदों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान शुरू करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों को क और ख श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण देने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

हल्के परिवहन विमान

4453. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर स्थित राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला में हल्के परिवहन विमान के नमूने बनाने पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) हल्के परिवहन विमानों को वाणिज्यिक एयर टैक्सियों के रूप में कब तक प्रयोग में लाए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) नवम्बर, 1989 से जब संभाव्यता अध्ययन प्रारम्भ किया गया था तब से हल्के परिवहन वायुयान (एलटीए) के नमूनों के उत्पादन पर पूर्व-निवेश व्यय 75 लाख रुपए किया गया है।

(ख) नमूनों के परीक्षण और वायु में चलने के प्रमाणीकरण के पश्चात ही सेवाओं में एलटीए के संचालन का प्रश्न उठेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

4454. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है और वे किस कैडर के है; और

(ख) इन अधिकारियों में सबसे अधिक अधिकारी तथा सबसे कम अधिकारी किस-किस कैडर के है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) पहली मार्च, 1992 को केन्द्रीय सचिवालय, दिल्ली में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या 473 थी।

संवर्ग	1.3.1992 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	27
असम मेघालय	22
बिहार	31
गुजरात	19
हरियाणा	19
हिमाचल प्रदेश	13
जम्मू व कश्मीर	16
कर्नाटक	22
केरल	22
मध्य प्रदेश	40

महाराष्ट्र	31
मणिपुर त्रिपुरा	12
नागालैंड	4
उड़ीसा	25
पंजाब	17
राजस्थान	24
सिक्किम	1
तमिलनाडु	23
उत्तर प्रदेश	49
पश्चिम बंगाल	28
संघ राज्य क्षेत्र	28
	473

(ख) उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा राज्य संवर्ग है, का केन्द्र सरकार दिल्ली में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। सिक्किम, जो सबसे छोटा राज्य संवर्ग है, का केन्द्र सरकार दिल्ली में सबसे कम प्रतिनिधित्व है।

[हिन्दी]

अप्रयुक्त ऋण का कथित भुगतान

4455. श्री नीतीश कुमार:

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इन्डिया लिमिटेड अप्रयुक्त ऋण पर करोड़ों रुपयों का भुगतान कर रहा है जैसा कि 6 फरवरी, 1992 को 'द टेलीग्राफ' समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपनी बचनबद्धता के अनुसार गत तीन वर्षों में, विश्व बैंक को प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) उसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा विश्व बैंक के प्रस्ताव के अनुसार ऋण का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त समस्या को हल करने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (च) यह समाचार मद ई. को. लि. की सोनपुर बाजारी ओपनकास्ट परियोजना से सम्बन्धित है। कोयला खान और गुणवत्ता सुधार परियोजना सोनपुर बाजारी-जिसका एक घटक है, के लिए ऋण समझौते की शर्तों में अब तक 7.32 करोड़ रुपए की राशि की वचनबद्धता प्रभारों के रूप में अदायगी कर दी गई है। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण विलम्ब हुआ है। पश्चिमी बंगाल की सरकार से दीर्घकालीन पत्राचार और विचार विमर्श किये जाने के बाद भूमि अधिग्रहण की समस्या अब लग-भग निपट गई है, केवल उन गांवों के पुनर्वास के कार्य को छोड़े, जिनके स्थानातरण कार्य को अभी पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार के कार्यालय उपकरण और सांविधिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

4456. श्री मोहन शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार द्वारा खरीदे गए वस्तुओं के मामले में गम्भीर अनियमितताएं सामने आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्य-वाही की गई है;

(ग) क्या भण्डार द्वारा बैलेन्स शीट में बिक्री और लाभ बढ़ाकर दिखाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ङ) क्या उप-नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय भण्डार को अपनी कार्यालय उपकरण, फैक्स मशीनों, कम्प्यूटरों और फर्नीचरों इत्यादि की बिक्री और खरीद का अधिकार नहीं है;

(च) यदि हां, तो इन उप-नियमों का उल्लंघन करने के क्या कारण है;

(छ) क्या भण्डार की सांविधिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रतियों को सभा पटल पर रखा गया है, और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय भन्डार द्वारा सामग्री की खरीद के मामले में गम्भीर अनियमितताओं से संबंधित किसी विशेष मामले का सांविधिक लेखा परीक्षकों की मुख्य रिपोर्टों में उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि वर्ष 1990-91 की अपनी रिपोर्टों में लेखा परीक्षकों ने मसाले तथा दालों की खरीद से संबं-धित क्रय आदेशों पर की गई आपूर्ति की देख रेख के बारे में सामान्य टिप्पणियां ही की है। लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, क्रय आदेशों पर की गई आपूर्तियों की देखरेख संबंधी कार्य प्रणाली को सरल और कारगर बना दिया है और अब यह कार्य एक क्रमबद्ध आधार पर केन्द्रीय भन्डार के वरिष्ट अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने यह उल्लेख किया है कि मार्च 1991 में 47.41 लाख रुपए की बिक्री का हिसाब लगाया गया है जबकि संबंधित सामग्री का वास्तविक वितरण 31-3-91 के बाद ही किया गया था और इस राशि के कारण बिक्री बढ़ गई है और तदनुसार लाभ 3.31 लाख (लगभग) अधिक दर्ज किया गया है। वर्ष 1889-90 के लिए भी सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा ऐसा ही टिप्पणी की गई थी। निदेशकों के बोर्ड तथा प्रतिनिधियों के निकाय एवं जनवरी, 1991 में हुई केन्द्रीय भण्डार की वार्षिक आम बैठक में इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित की गई है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रति वर्ष मार्च महीने में की गई बिक्री जिसके लिए सामग्री की आपूर्ति मई तक की जाती है, वह इसी वर्ष के लेखों में शामिल की जाए। मार्च, 1991 में की गई 47.41 लाख रुपए की बिक्री आनुषंगिक ऐसे समान से सम्बन्धित है जिनकी आपूर्ति मई तक की गई है और इसीलिए निर्धारित नीति के अनुसार इस राशि को वर्ष 1990-91 के लेखों में ही डालना होगा।

(ङ) और (च) केन्द्रीय भण्डार को कार्यालय उपस्कर, फैक्स मशीनों, कम्प्यूटर, फर्नीचर इत्यादि की खरीद-फरोख्त का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(छ) और (ज) केन्द्रीय भण्डार के परीक्षित लेखों को सांविधिक अपेक्षा के अनुसार संसद के सभा पटल पर रखा जाता है।

[हिन्दी]

पोलिस्टर धागे का मूल्य

4458. श्री राम बदन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई-अगस्त, 1991 में पोलिएस्टर धागे की कीमतों में लगभग 30% की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य कारण रुपए का अवमूल्यन है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क), (ख) और (ग) पोलिएस्टर धागे की कीमतों पर कोई कानूनी कीमत नियंत्रण नहीं है। बाजार कीमतें समय-समय पर विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित की जाती हैं। कीमतों में परिवर्तन बाजार की स्थितियों पर आधारित होता है।

[हिन्दी]

उर्वरकों का आयात/निर्यात

4459 श्री धर्मपालसिंह मलिक :

क्या प्रधानमन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक के आयात/निर्यात हेतु विदेशों के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों के साथ ऐसे समझौते किए गए हैं ;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्र. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) उर्वरकों का आयात खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. के माध्यम से सारसंग्रहित किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान एम. एम. टी. सी. ने जोर्डन, पश्चिम जर्मनी, जी. डी. आर., फ्रांस, कनाडा, यू. एस. एस. आर., हालैंड, रोमानिया, यू. के. जापान, यू. एस. ए, मेक्सिको, चेकोस्लोवाकिया, नार्वे आदि जैसे देशों के अनेक आपूर्तिकर्ताओं के साथ उर्वरकों के आयात के लिए ठेकों को अन्तिम रूप दिया है।

वास्तव में उर्वरकों का आयात होने के कारण, भारत सामान्यत: उर्वरकों का निर्यात नहीं करता। तथापि नेपाल को उसकी अत्यावश्यक मांग को पूरा करने के लिए 1991 में 10,000 टन डी. ए. पी. तथा 20,000 टन यूरिया की आपूर्ति क्रमश: पाइराइट्स फार्मर्ट्स एण्ड केमिकल्स लि. तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा की गई थी ।

[अनुवाद]

वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग

4460. श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग के कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त किये हैं,

(ख) अब तक इनमें से कितने प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई;

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति कब तक दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (घ) 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुच्छेद 39(ख) तथा (घ) में निहित निर्णय के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश और तकनीकी सहयोग के स्वत: अनुमोदन के लिए 16 सितम्बर, 1991 के बाद ही आवेदन प्राप्त करने आरम्भ किए थे ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14.3.1992 तक प्राप्त किए गए आवेदनों की कुल संख्या 505 है। 14.3.1992 की स्थिति के अनुसार इनमें से 365 का अनुमोदन कर दिया गया है, 90 आवेदन संबंधित आवेदकों को वापिस कर दिए गए हैं चूंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक को दिये गये अधिकारों के भीतर नहीं आते थे, जबकि शेष 50 आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है । भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा आवेदनों का निपटान करने की सामान्य अवधि दो सप्ताह है और जिन 5० आवेदनों पर कार्यवाही हो रही है उनमें से कोई भी दो सप्ताह से अधिक अवधि से लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली में शव वाहनों की कमी

4461. श्री पी. एम. सईद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में कुछ शव वाहनों की कमी है;

(ख) क्या राजधानी में कुछ शव वाहन बिना परमिट के चल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या में शव वाहन है। जब कभी आवश्यक होता है इस बेड़े में वृद्धि की जाती है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन के परिवहन विभाग ने सूचित किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन मात्र शवों को ले जाने और शवों के साथ शोक मनाने वालों को ले जाने के लिए उपयोग में लाने हेतु किसी भी परिवहन वाहन के लिये किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी

4462. श्री विजय कुमार यादव :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 49प्रतिशत इक्विटियों के निवेश को कम करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो निवेश कम करने से अब तक कुल कितनी राशि जुटाई गई है तथा योजना को और आगे लागू किये जाने से कितनी राशि और जुटाए जाने की आशा है; और

(ग) इस राशि का उपयोग किस प्रकार से करने का विचार है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) सरकार ने अधिकांश शेयरधारिता अपने पास रखते हुए चुनींदा मामलों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निर्गमित पूंजी की 20% से अधिक राशि निकाल लेने का निर्णय किया है।

(ख) सरकार ने अब तक सरकारी क्षेत्र के 30 चुनींदा उपक्रमों के लगभग 8 शेयर निकाल

कर 3038 करोड़ रुपए जुटाय है। जैसा कि 1992-93 के बजट में घोषणा की गई थी, वर्ष 1992-93 के बजट में घोषणा की गई थी, वर्ष 1992-93 के दौरान क्षेत्र के शेयरों की बिक्री करके 3500 करोड़ रुपए और जुटाए जाएंगे।

(ग) विकास के लिए गैर मुद्रास्फीति संसाधन जुटाने तथा राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष के लिये संसाधन प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के शेयरों की बिक्री की जा रही है जिसका इस्तेमाल उन कामगारों को सहायता देने सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के लिए किया जा सकता है जो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन से प्रभावित होंगे।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र से आय

4463. श्री विजय नवल पाटील :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र की आय में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो यह कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि क्षेत्र की आय में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन से उपाय किये जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। कृषि क्षेत्र में (1980-81 की कीमतों पर) अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद में 1987-88 से 1990-91 25.90% की वृद्धि हुई जबकि उसी अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 22.72% की वृद्धि रिकार्ड की गई। (अनुबंध-1)

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं योजना (1992-97) के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों को रखा जा रहा है। कृषि को बागवानी, पशुपालन, मुर्गीपालन, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन आदि कृषि पर आधारित ग्रामीण कार्यकलापों का तेज करने की विविधता के द्वारा कृषि क्षेत्र से आय में वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

विवरण

अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित वृद्धि ×

1980-81 की कीमतों पर स. घ. उ. (करोड़ रु.)

वर्ष	कृषि	अन्य क्षेत्र	जोड़
1	2	3	4
1987-88	49258	120947	170205

1	2	3	4
1988-89	37949	130060	188009
1989-90	59481	139848	199329
1990-91**	62048	148429	210477

*स्रोत : केन्द्रीय सांख्यकी संगठन

**तुरन्त अनुमान

[अनुवाद]

दिल्ली में सड़कों की मरम्मत के लिए दिशा निर्देश

4464. श्रीमती बिल कुमारी मण्डारी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली छावनी बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसी दिल्ली की विभिन्न एजेन्सियों के लिए दिल्ली की क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए क्या दिशानिर्देश है;

(ख) क्या इन दिशा निर्देशों में भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मरम्मत करने का प्रावधान है;

(ग) क्या इन दिशा निर्देशों के महानगर टेलीफोन निगम लि., दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन उपक्रम जैसी कतिपय सरकारी एजेंसियों द्वारा खुदाई द्वारा क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत मरम्मत करने की व्यवस्था है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हस्तशिल्प, लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा

4465. कुमारी उमा भारती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हस्तशिल्प, लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) लघु उद्योगों, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व प्रधानतया राज्य सरकारों का होता है। फिर भी केन्द्र सरकार लघु उद्योगों में उत्पादनार्थ मदों के आरक्षण, रियायती ऋण, विपणन सहायता, सरकारी खरीद और प्रशिक्षण आदि जैसे संवर्धनात्मक कार्यों द्वारा उनके (राज्य सरकारों के) प्रयासों में सहायता देती है। लोक सभा में दिनांक 6.8.1991 को लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने के लिए घोषित किए गये नीतिगत उपायों का उद्देश्य इन उद्योगों को अधिक जीव्य बनाना तथा उनके विकास को गति प्रदान करना है।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

4466. श्री दिलीप सिंह भूरिया।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों को प्रतिवर्ष दस करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हो रहा है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार गैर-सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई गई है अथवा मार्गनिर्देश तैयार किये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के नाम, जिन्होंने वर्ष 1990-91 के दौरान 10 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा उठाया है, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) से (घ) फिलहाल सरकार का केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम का निजीकरण करने का कोई विचार नहीं है। बहरहाल, यदि कामगार इच्छुक हों, तो सरकार, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को कामगारों की सहकारी समितियों के माध्यम से चलाने के लिये प्रस्तावों पर विचार करने के लिये तैयार है।

विवरण

1. इंडियन आयल कॉर्प सहोल कंपनी लि.
2. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
3. भारत गोल्ड माइन्स लि.
4. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि.
5. भारत कोकिंग कोल लि.
6. कोल इंडिया लि.

7. साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
8. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
9. भारतीय उर्वरक निगम लि.
10. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.
11. पारादीप फास्फेट्स लि.
12. इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
13. हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.
14. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
15. इलैक्ट्रानिक्स कारपो. आफ इंडिया लि.
16. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
17. कोचीन शिपयार्ड लि.
18. भारतीय साइकिल निगम लि.
19. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
20. भारतीय राष्ट्रीय वाईसाइकिल निगम लि.
21. स्कूटर्स इंडिया लि.
22. भारत आप्टैल्मिक ग्लास लि.
23. सीमेंट कारपो. आफ इंडिया
24. हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.
25. नागालैंड पल्प एंड पेपर कं. लि.
26. नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.
27. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.
28. टेनरी एंड फुटवियर कारपो. आफ इंडिया लि.
29. भारतीय टायर निगम लि.
30. ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.
31. एल्गिन मिल्स कंपनी लि.
32. नेटेका (गुजरात) लि.
33. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.
34. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
35. नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.
36. नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.
37. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा) लि.
38. दिल्ली परिवहन निगम
39. इंडियन एयरलाइन्स
40. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
41. वाकुकृत
42. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
43. भारतीय सड़क निर्माण निगम लि.
44. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
45. इंजीयरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
46. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.
47. भारतीय होटल निगम लि.
48. भारतीय निर्यात ऋण प्रत्याभूत निगम लि.

[अनुवाद]

कोयले की खपत में कमी के प्रस्तावित उद्योग

4467. श्री गंगाधरा सामीपल्ली :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में औद्योगिक उपभोक्ता कोयले की सप्लाई में कमी से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल कन्ज्यूमर्स एसोसिएशन आफ इंडिया ने प्रभावित कोर सेक्टर, सीमेंट फैक्टरियों और अन्य अनिवार्य उपभोक्ताओं को पर्याप्त कोयले की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कार्यवाई करने की मांग की है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कोयले की कमी से पैदा हुए संकट को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज लि. कम्पनी से अप्रैल से जनवरी, 1992 की अवधि के दौरान गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कोयले का प्रेषण 51.84 मिलियन टन किया गया जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 45.72 मिलियन टन प्रेषण किया गया था। किन्तु औद्योगिक उपभोक्ता कोयले की आपूर्ति में कुछ कमी होने के विचार व्यक्त कर सकते हैं। चूंकि महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को रेल द्वारा मुख्यत: विद्युत उपभोक्ताओं को कोयले के संचलन में प्राथमिकता दी गई थी।

(ग) और (घ) विभिन्न संघों से जिसमें भारतीय कोयला उपभोक्ता संघ शामिल है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा गैरमहत्वपूर्ण क्षेत्रों दोनों के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कोयला कम्पनियों को सभी उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीमेंट उद्योग को कोयले के संचलन के संबंध में निगरानी दैनिक आधार पर उच्च स्तर पर रखी जाती है, जिसमें विद्युत और इस्पात क्षेत्र शामिल हैं। गैरमहत्वपूर्ण क्षेत्रों के उद्योगों के सम्बन्ध में कोयला कम्पनियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे कोयले के संयोजक मात्रा के न्यूनतम 50% मात्रा की आपूर्ति उक्त क्षेत्रों को रेल अथवा सड़क द्वारा करें।

राज्यों में विकास केन्द्र

4568. श्री पी. सी. थामस :

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास केन्द्रों के लिए चुने गये स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों को चुनने में सरकार ने क्या माप दंड अपनाया है;

(ग) सरकार ने इन विकास केन्द्रों के विकास के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की है, और

(घ) इन केन्द्रों की ओर नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ख) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए जून, 1988 में विकास केन्द्रों की एक योजना की घोषणा की थी। सरकार इस योजना के तहत 70 विकास केन्द्र विकसित करेगी, इनमें से 64 विकास केन्द्रों के स्थापना स्थलों का पता लगा लिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गई है। इन विकास केन्द्रों के नाम एवं स्थापना स्थल अनुबन्ध में दिए गए हैं। इस नई योजना के तहत विकास केन्द्रों के चयन हेतु अपनाये गए मानदंड इस प्रकार हैं : स्थापना स्थल शहरों से दूर हो, जिला/उप-मंडल मुख्यालयों के नजदीक हों और राष्ट्रीय/राज्य मार्गों, रेल शीर्षों, बिजली, जल-आपूर्ति, दूरसंचार, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के दायरे के भीतर हों।

राज्य सरकारों को अब तक 24 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

इन विकास केन्द्रों को विशेषतः बिजली, पानी, दूरसंचार तथा बैंकिंग इत्यादि सम्बन्धी बुनियादी सुविधाएं दी जायेंगी ताकि ये केन्द्र उद्योगों को आकर्षित कर सकें।

दिनांक 25.3.92 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4567 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

आवंटित विकास केन्द्रों की संख्या —70

चयनित विकास केन्द्रों की संख्या—64

विकास केन्द्र का नाम	जिला
आंध्र प्रदेश (4)	
1. हिंदपुर	अनंतपुर
2. खम्माम (वेमसूर मंडल)	खम्माम
3. अंगोले	प्रकासम
4. विजयानगरम बोबिली	विजयानगरम
असम (3)	
5. बक्सावंद	नौगांव
6. रंगजूली	गोलपाड़ा
बिहार (6)	
7. भागलपुर	भागलपुर
8. हजारीबाग	हजारीबाग
9. आसोरिया	औरंगाबाद
10. मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
11. पूर्णिया कस्बा	पूर्णिया

गोवा (1)

12. इलेक्ट्रोनिकस्टिटो — बरुवा प्लेटयू

गुजरात (3)

13. गांधी धाम — कच्छ

14. साबरमती — साबरकांठा

15. वागरा — भड़ौच

हरियाणा (2)

16. बावल — महेन्द्रगढ़

17. जुलाना — जींद

हिमाचल प्रदेश (1)

18. कांगड़ा — कांगड़ा

जम्मू और कश्मीर (2)

19. गंदेबाल — श्रीनगर

20. सम्बा — जम्मू

कर्नाटक (3)

21. धारवाड़ — धारवाड़

22. गिल्लेसूगर — रायचूर

23. हसन — हसन

केरल (2)

24. शेरटल्लाई — एल्लेप्पी

25. तेल्लीचेरी — कन्नानोर

मध्य प्रदेश (6)

26. बीरई — दुर्ग

27. चैनपुरा — गुना

28. चिरौंगो — भिण्ड

29. सेंड़ा — धार

30. सतलापुर — रायसेन

31. सिलतारा — रायपुर

महाराष्ट्र (5)	
32. अकोला	अकोला
33. चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
34. धुले	धुले
35. नांदेड़	नांदेड़
36. रत्नागिरि	रत्नागिरि
मणिपुर (1)	
37. कंगलाटोंगीब	सेनापति
नागालैंड (1)	
38. दीमापुर	कोहिमा
उड़ीसा (4)	
39. छत्रपुर	गंजम
40. चिपलिमा	सम्बलपुर
41. चौधवाद	कटक
पांडिचेरी (1)	
42. कदायकल	पांडिचेरी
पंजाब (2)	
43. भटिंडा	भटिंडा
44. पठानकोट	गुरदासपुर
राजस्थान (5)	
45. आकरोड	सिरोही
46- भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
47. बीकानेर	बीकानिर
48. झालावाड़	झालावाड़
49. जोधपुर	जोधपुर
तमिलनाडु (3)	
50. सलेम	सेलियार
51. तंजावुर	तंजापुर
52. तिरुनेल्वेली (गंगाईकोन्डन नागुर ब्लाक)	तिरुनेल्वेलि-कट्टाबोमन

त्रिपुरा (1)

53. चम्पामुरा-जोगिन्दरनगर मुले नगर	पश्चिम त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश (8)

54. बचोली बुजुर्ग	झांसी
55. बनथारा	शाहजहांपुर
56. चौधरपुर	मुरादाबाद
57. दिबियापुर	इटावा
58. खुर्जा	बुलन्दशहर
59. मुंगरा-सथारिया	जौनपुर
60. सहजनवा	गोरखपुर
61. शिवराजपुर-पदमपुर	पौड़ी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल (3)

62. दुबराजपुर	बीरभूम
63. जलपायगुड़ी	जलपायगुड़ी
64. मालदा	मालदा

xxप्रत्येक राज्य के सामने दर्शाये गये कोष्ठकों में आंकड़े उस राज्य के लिए आवंटित विकास केन्द्रों की संख्या बताते हैं ।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधों का आयात

4468. डा. असीम बाला ।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत किन-किन जीवन रक्षक औषधों में आत्म निर्भर है,

(ख) कौन-कौन सी जीवन रक्षक औषधों का आयात किया जा रहा है तथा वे आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है,

(ग) कितने क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्रों के पास पर्याप्त जीवन रक्षक औषध हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को यह औषध सुलभ करने के लिए आठवीं योजना में क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख)

आवश्यक प्रपुंज औषधों के संबंध में मांग का तकरीबन 70 प्रतिशत और सूत्रयोगों की तकरीबन सम्पूर्ण मांग को पूरा करने में स्वदेशी उत्पादन सक्षम है । कुछ महत्वपूर्ण औषधों जिनका आयात किया जा रहा है, वे हैं-विटामिन-ए देक्सामीथासोन, फ्यूराजोलिडोन वीरापामिल, डाई प्रिडानोल, ट्रेपोटिडाइन आदि और इनका स्विटजरलैंड, जर्मनी, चीन, स्पेन, इटली, आदि से आयात किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य प्राधिकारियों द्वारा दवाईयों की खरीद योजना आयोग द्वारा उनको सीधे ही आवंटित की गई धनराशियों से राज्य के क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी आवश्यकतानुसार की जाती है और यह कि 8 वीं योजना के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के शहरों का विकास

4467. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने शहरों के विकास हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इन शहरों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) लघु तथा मध्यम वर्ग के नगरों के एकीकृत विकास की योजना के अधीन वर्ष 1991-92 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित 14 नगरों को शामिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अक्तूबर, 1991 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था :—

नगर (जिला) का नाम	
1. बुलधाना (बुलधाना)	8. उपराद (नागपुर)
2. हिंगोली (परभानी)	9. चिखली (बुलधाना)
3. चालीस गांव (जलगांव)	10. मचौरा (जलगांव)
4. सावनेर (नागपुर)	11. डौंड (पुणे)
5. अच्छलपुर (अमरावती)	12. गंगाखेड़ (परभानी)
6. महेद (रायगढ़)	13. कोपरगांव (अहमदनगर)
7. तसगांव (सांगली)	14. गढ़गिलाज (कोल्हापुर)

(ग) भारत सरकार ने वित्तीय में वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान अभी तक राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता क्रम में इंगित प्रथम तीन नगरों अर्थात बुलधाना, हिंगोली और चालीस गांव प्रत्येक के लिए 25.00 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं ।

[अनुवाद]

आयुध सहकारी आवास सोसाइटी

4470. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या सहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के (विकसित नजूल भूमि व्ययन) नियम समूह आवास सोसाइटी के सदस्यों को आवंटित फ्लैटों पर भी लागू होते हैं;

(ख) क्या आयुध सहकारी आवास सोसाइटी के मामले में इन नियमों का पालन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण, सामूहिक आवास समितियों को इसके सदस्यों के लिए रिहायशी एककों के निर्माणार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि की बिक्री) नियमावली, 1981 के नियम 24 के साथ पठित नियम 6 (VI) के प्रावधानों के अनुसार भूमि आवंटित करता है। दिल्ली सहकारी समिति नियमावली, 1973 के नियम 97 के अधीन पंजीयक, सहकारी समितियां, दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिनांक 31.5.84 के निदेशों के अनुसार सदस्यों को व्यक्तिगत रिहायशी एककों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) आर्डनेन्स को-आपरेटिव हाउसिंग के 119 सदस्यों को फ्लैटों का आवंटन उपर्युक्त भाग 'क' के उत्तर में उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार किया गया है।

[अनुवाद]

पत्रकारों के वेतन में संशोधन

4471. श्री रवि राय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई जीवन यापन लागत को देखते हुए पत्रकारों ने अपने वेतन के पुनरीक्षा की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने श्रम जीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने की भी मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चाटीवार) : (क) से (घ) मजदूरी को संशोधित करने तथा श्रम जीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने के बारे में समाचार पत्र कर्मचारियों के विभिन्न एसोसिएशनों तथा संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्रम जीवी पत्रकार अधिनियम के अधीन बकाया पंचाट को चुनौती देने वाली अनेक रिट

याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में लम्बित हैं अतः इस समय पत्रकारों के लिए नया वेतन बोर्ड गठित न करने का निर्णय लिया गया है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4472. श्री मोहन लाल झिकराम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में कार्यरत वर्तमान अधिकारियों/कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनकी संख्या निर्धारित कोटे के अनुसार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनका आरक्षित कोटा भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगम) : (क) बी. एच. ई. एल. के भोपाल स्थित संयंत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार है :—

पदनाम	कुल संख्या
1. कार्यपालक	165
2. पर्यवेक्षक	171
3. लिपिक वर्गीय स्टाफ	195
4. कारीगर	1313
5. अन्य	1388
योग	3232

(ख) जी नहीं।

(ग) गत तीन वर्षों से, कुल स्वीकृत रिक्तियों में से, 50 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों में से भरी जा रही हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

4473. श्री राम नारायण डेरवा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ख) उन अधिकारियों की संख्या क्या है जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है और इसका वर्षवार ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उर्वरक इकाइयों का कार्य निष्पादन

+

4474. श्री वी. कृष्ण राव :

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र की उर्वरक इकाइयां, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की तुलना में अच्छा कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां अपनी स्थापित क्षमता को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) अप्रैल 1991 से फरवरी 1992 की अवधि के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नाइट्रोजनी उर्वरक एककों की औसतन क्षमता उपयोगिता क्रमशः 682 % और 1081 % थी। फास्फेटिक उर्वरकों के लिए यह क्रमशः 94.1% और 90.8 % थी।

(ख) दो बीमार कम्पनियों जिनके नाम फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन हैं, के एककों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य एकक पर्याप्त डिजाइन क्षमता उपयोगिता पर तथा कुछ अपनी स्थापित क्षमता से भी अधिक पर कार्य कर सकने में समर्थ हैं।

(ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के एककों की कम क्षमता उपयोगिता के प्रमुख कारण डिजाइन कमियां, संयंत्रों का पुरानापन, बिजली समस्या, उपस्कर खराबियां, देश में कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रथमबार परीक्षण, कुछ एककों के मामले में कच्चे मालों की कमी, तथा श्रमिक समस्यायें हैं।

(घ) किये गये/किये जा रहे उपायों में से कुछ निम्नानुसार हैं :—

(1) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. के सभी एककों तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. तालचर एकक में कैप्टिव पावर संयंत्र लगाया गया है,

(2) आवश्यक इनपुटों की व्यवस्था में सहयोग दिया जा रहा है,

(3) उपस्करों का बदलना/नवीकरण,

(4) निवारक एवं भविष्य सूचक रखरखाव द्वारा सक्षमता निगरानी,

(5) आपरेटरों एवं तकनीशियनों का प्रशिक्षण।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

4475. श्री सुधीर गिरि।

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के संचयी घाटे को माफ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाये गये तरीकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए संभावित कितनी राशि की आवश्यकता होगी।

उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) से (ग) संशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार सरकारी क्षेत्र के ही रुग्ण औद्योगिक एककों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजा जाता है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल जांच करने के बाद सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों के संचित घाटों को बट्टे खाते डालने के प्रश्न पर विचार कर सकता है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान

+

4476. श्री महेश कनोडिया :

श्री बलाग्रेव बडाक :

श्रीमती कुम्भेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कम्प्यूटर पाठ्यक्रम चलाने हेतु निजी क्षेत्र के कितने कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिकतम शुल्क, न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं आदि के बारे में इन संस्थानों के लिए मोटे तौर पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) भारत सरकार इलेक्ट्रानिकी विभाग के दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिए घोषित मान्यता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत 'ओ' (आरम्भिक) स्तर के पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 212 निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को अन्तिम रूप से मान्यता दी गई है । इनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त, 'ग' (स्नातकोत्तर) स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए भी उड़ीसा में एक संस्थान को मान्यता प्रदान की गई है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करने के लिए पहले ही जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार संस्थानों को अपनी मूल संरचनात्मक सुविधाओं आदि के आधार पर उचित शुल्क प्रसारित करने चाहिए ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

"ओ" स्तर के मान्यता प्राप्त संस्थान

क्रम स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्थानों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	चंडीगढ (संघ राज्य क्षेत्र)	3
3.	गुजरात	7
4.	हरियाणा	1
5.	कर्नाटक	16
6.	केरल	38
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1
8.	महाराष्ट्र	30
9.	मध्य प्रदेश	6
10.	तमिलनाडु	34
11.	पंजाब	1

1	2	3
12.	उड़ीसा	6
13.	राजस्थान	2
14.	बिहार	1
15.	गोवा	1
16.	उत्तर प्रदेश	14
17.	पश्चिम बंगाल	15
18.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	14
	कुल	212

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग

4477. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात भारतीय उद्योगों के साथ सहयोग करने वाले निवेशकों तथा कंपनियों का ब्योरा क्या है तथा सहयोग हेतु रखी गई शर्तें क्या हैं,

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन सहयोगों के फलस्वरूप देश में कितनी विदेशी मुद्रा आई है,

(ग) क्या ऐसे सहयोगों से देश में नये रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्ताव संबंधी ब्योरे अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम, सहयोग का स्वरूप, विनिर्माण की मदें, भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने मासिक समाचार पत्र के परिशिष्ट के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है। नीति संबंधी मामले के रूप में, अलग-अलग मामलों में किये गये अनुमोदनों संबंधी शर्तों के बारे में विशिष्ट सूचना जनहित में प्रकट नहीं की जाती है।

(ख) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों में भारतीय कंपनियों में इक्विटी के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की परिकल्पना करते हुए विदेशी पूंजी निवेश की कुल धनराशि 29 फरवरी, 1992 तक 1100 करोड़ रु. से अधिक थी।

(ग) जी, हां।

(घ) इन प्रस्तावों की रोजगार संभावना संबंधी ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर

4478. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजी न लगाने की योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के एककों के शेयरों के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में निर्णय कर लिया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार शेयरों की बिक्री की सार्वजनिक घोषणा करने से पहले भारतीय तुल्यूरेटीज और एक्सचेंज बोर्ड से संपर्क करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इनके तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. कुंजन) : (क) जी, हां,। सरकारी क्षेत्र के एककों में से अब तक निकाले गए शेयरों का मूल्यांकन, पूंजी नियम नियंत्रण के मार्गनिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठना।

[हिन्दी]

निजीकरण की प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोटा

+

4479. श्री मेघलाल मीणा :

श्री राम निहोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के निजीकरण की प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा आरक्षित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी के चुनन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में गंदी बस्तियों का सुधार

4480. श्री राम टहल चौधरी :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गंदी बस्तियों में सुधार करने हेतु विशेष सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान गंदी बस्तियों में सुधार करने हेतु बिहार को कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया ?

शहरी विकास राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था के रूप में स्लम सुधार मुख्यतः राज्य क्षेत्र की शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा स्लम सुधार के लिए गत दो वर्षों के दौरान 320.00 लाख रुपये की कुल राशि नियन्त्रित की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा प्रबोधित शहरी मूलभूत सेवा/निधनों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजनाएं पास-पड़ोस समितियों की स्थापना करके निम्न आय पास-पड़ोस में सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था करती है और 19-9-90 तथा 1990-91 के दौरान बिहार सरकार को 176.95 लाख रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी।

सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक को आवंटित योजना राशि

4481. श्री वी. धनंजय कुमार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक को कुल कितनी योजना राशि का नियतन किया गया,

(ख) योजना नियतन राशि के उपयोग किए जाने का ब्योरा क्या है, और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक की प्रस्तावित योजना नियतन राशि क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के प्रारूप के अनुसार सातवीं योजना के मुख्य क्षेत्र और कर्नाटक के सहमति प्राप्त परिव्यय तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

कर्नाटक की आठवीं योजना के लिए योजना आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 11000 करोड़ रु. के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

विवरण

सातवीं योजना (1985-90) कर्नाटक का सहायता परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम. सं.	मुख्य क्षेत्र	सहमति प्राप्त परिव्यय	व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	300.00	353.60
2.	ग्रामीण विकास	171.00	374.75
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	0.10
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	740.00	776.70
5.	ऊर्जा	801.00	828.90
6.	माई एण्ड एम	247.00	340.58
7.	परिवहन	243.00	219.59
8.	संचार		
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	4.00	3.83
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	29.00	24.71
11.	सामाजिक सेवाएं	932.00	1121.11
12.	सामान्य सेवाएं	108.00	51.41
कुल जोड़		3575.00	4045.36*

* जेड पी एस सहित 38.96 करोड़ रुपए के खर्च न किए गये अवशेष को मिलाकर

[अनुवाद]

मारुती में आयातित संघटक

4482. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1	2	3
12.	उड़ीसा	6
13.	राजस्थान	2
14.	बिहार	1
15.	गोवा	1
16.	उत्तर प्रदेश	14
17.	पश्चिम बंगाल	15
18.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	14
	कुल	212

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग

4477. श्री आर. वनुवकोडी आदित्यन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात भारतीय उद्योगों के साथ सहयोग करने वाले निवेशकों तथा कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा सहयोग हेतु उनके क्या शर्तें क्या हैं,

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन सहयोगों के फलस्वरूप देश में कितनी विदेशी मुद्रा आई है,

(ग) क्या ऐसे सहयोगों से देश में नये रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, इसके ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन):(क) स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्ताव संबंधी ब्यौरे अर्थात् भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता का नाम, सहयोग का स्वरूप, विनिर्माण की मदें, भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा अपने साप्ताहिक समाचार पत्र के परिशिष्ट के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है । नीति संबंधी मामले के रूप में, अलग-अलग मामलों में किये गये सहयोगकर्ता संबंधी शर्तों के ब्यौरे विशिष्ट सूचना जनहित में प्रकट नहीं की जाती है ।

(ख) नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों में भारतीय कंपनियों में इक्विटी के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की परिकल्पना करते हुए विदेशी पूंजी निवेश की कुल धनराशि 29 फरवरी, 1992 तक 1100 करोड़ रु. से अधिक थी ।

(ग) जी, हां।

(घ) इन प्रस्तावों की रोजगार सम्भावना संबंधी ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर

4478. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजी न लगाने की योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के एककों के शेयरों के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में निर्णय कर लिया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार शेयरों की बिक्री की सार्वजनिक घोषणा करने से पहले भारतीय सुक्यूरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड से संपर्क करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इनके तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के एककों में से अब तक निकाले गए शेयरों का मूल्यांकन, पूंजी निर्गम नियन्त्रण के मार्गनिर्देशों के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

निजीकरण की प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोटा

+

4479. श्री भेरूलाल मीणा।

श्री राम निहोर राय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के निजीकरण की प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा आरक्षित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में गंदी बस्तियों का सुधार

4480. श्री राम टहल चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गन्दी बस्तियों में सुधार करने हेतु विशेष सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान गंदी बस्तियों में सुधार करने हेतु बिहार को कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया ?

शहरी विकास राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था के रूप में स्लम सुधार मुख्यत: राज्य क्षेत्र की शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत किया जाता है। बिहार सरकार द्वारा स्लम सुधार के लिए गत दो वर्षों के दौरान 320.00 लाख रुपये की कुल राशि निर्गमित की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित शहरी मूलभूत सेवा/निवेशों के लिए शहरी मूलभूत सेवा योजनाएं पास-पड़ोस समितियों की स्थापना करके निम्न आय पास-पड़ोस में सामाजिक सुविधाओं की व्यवस्था करती है और 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान बिहार सरकार को 176.95 लाख रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी।

सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक को आवंटित योजना राशि

4481. श्री वी. धनंजय कुमार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक को कुल कितनी योजना राशि का नियतन किया गया,

(ख) योजना नियतन राशि के उपयोग किए जाने का ब्यौरा क्या है, और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक को प्रस्तावित योजना नियतन राशि क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन के संबंधित के राज्य मंत्री (श्री हनुमंत राव) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के आकार के संबंध में सातवीं योजना के मुख्य क्षेत्रों वार कर्नाटक के सहमति प्राप्त परिव्यय तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

कर्नाटक की आठवीं योजना के लिए योजना आबंटनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 11000 करोड़ रु. के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

विवरण

सातवीं योजना (1985-90) कर्नाटक का सहायता परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	मुख्य क्षेत्र	सहमति प्राप्त परिव्यय	व्यय
1.	कृषि एवं सम्बद्ध विकासकार्य	300.00	353.60
2.	ग्रामीण विकास	171.00	374.75
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	9.10
4.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	740.00	770.70
5.	ऊर्जा	801.00	828.90
6.	माई एण्ड एम	247.00	349.68
7.	परिवहन	343.00	219.59
8.	संचार		
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	4.00	3.83
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	29.00	24.71
11.	सामाजिक सेवाएं	932.00	1121.11
12.	सामान्य सेवाएं	108.00	51.51
	कुल जोड़	3575.00	4095.36*

*शेष पी एस सहित 38.96 करोड़ रुपए के खर्च न किए गये अवशेष को मिलाकर

[अनुवाद]

मार्केटी में आयातित संयंत्र

4992. श्री जी. लोकनाथेश्वर राव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने मारुति संघटकों के स्वदेशीकरण के बारे में क्या समझौता किया है और मारुती संघटकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा व्यय किये जाने की अंतिम तारीख क्या है; और

(ख) सम्भवत: किस तारीख से मारुति संघटकों के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो. के. कुंजन) : (क) और (ख) अनुमोदित चरण-बद्ध विनर्माण कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1992-93 के लिए मारुति वाहनों के समेकित औसत स्वदेशी-करण का का लक्ष्य निम्न प्रकार है :—

मारुति-800	92.50%
ओमनी	92.50%
जिप्सी	75.50%
मारुति-1000	78.00% (विचाराधीन)

कम्पनी के, अधिकतम स्वदेशीकरण के प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कच्चे-माल पर आधारित उद्योग

4483. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या प्रधान मन्त्री 26 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय क्षेत्रों के उन उद्योगों के नाम और स्थलों का ब्यौरा क्या है जो इन क्षेत्रों में ही उत्पादित कच्चे माल पर आधारित हैं, और

(ख) इन क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में कच्चे माल को भेजने से प्रत्येक वर्ष अनुमानत: कितने राजस्व की प्राप्ति होती है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रमिकों के लिए भवन निर्माण कोष

4484. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रमिकों के लिए भवन निर्माण कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका लेखा-परीक्षण कब से किये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह चाटीवार) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एक परिवार-एक रोजगार-योजना

4485. श्री एम. कृष्णस्वामी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक परिवार-एक रोजगार योजना को लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो पहली अप्रैल, 1992 से शुरू होगी, का मुख्य लक्ष्य रोजगार होगा। विकास कार्यनीति 10 वर्ष की अवधि में लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। इसमें औसतन 1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार पैदा करने की अपेक्षा होगी जो उच्च आर्थिक विकास दर के साथ-साथ, लोगों और विशेष रोजगार सम्भावनाओं वाले क्रियाकलापों पर जोर देकर की जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश कम करना

4486. श्री एस. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन उद्योगों में निवेश न करना तय किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को प्रति वर्ष हुए लाभ और घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निवेश न करने की योजना को केवल जनता को शेयरों की बिक्री तक सीमित रखने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य सहित ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के गत तीन वर्ष के लाभ तथा हानि का ब्यौरा जिनमें से हाल ही में सरकार ने अपने शेयर निकाल लिए हैं, विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार का कुछ चुनिंदा उद्यमों में भी अपने शेयरों का एक भाग सम्बद्ध प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के पक्ष में निकालने का विचार है। इसका ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	शुद्ध लाभ		
		1990-91	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5
1.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	24469	19046	30240
2.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	8405	7049	2999
3.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	7194	15687	1892
4.	नेवेली लिग्नाईट कारपो. लि.	9524	9261	7732
5.	भारत पेट्रोलियम कारपो. लि.	12781	12257	10433
6.	बोंगाईगांव रिफायनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	4850	2899	2192
7.	कोचीन रिफायनरीज लि.	6084	6876	4156
8.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.	12014	20026	17390
9.	मद्रास रिफायनरी लि.	5055	5023	5128
10.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	2361	301	772
11.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	2974	1160	490
12.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	4076	4881	6995
13.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	3197	2954	1731
14.	इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपो. लि.	5725	8124	8956
15.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	3694	12033	9100
16.	एच्.यू. वूले एण्ड कम्पनी लि.	520	352	308
17.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.	3425	8211	2431

1	2	3	4	5
18.	एच एम टी लि.	1415	481	469
19.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	232	661	2002
20.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.	3607	2948	2757
21.	भारत अर्थ मूवर्स लि.	4614	4601	4330
22.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मेन्युफैक्चरिंग	198	663	640
23.	सी एम सी लि.	678	85	7
24.	भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.	7728	4194	3205
25.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	2313	3171	2438
26.	ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	1477	935	1404
27.	भारतीय नौवहन निगम लि.	9525	10110	5453
28.	इण्डियन रेलवे कन्सट्रक्शन कम्पनी लि.	897	1788	1377
29.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	9580	19229	25218
30.	विदेश संचार निगम लिमिटेड	7858	7201	6422

एच. एम. टी. लिमिटेड द्वारा आटोमेटिक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों का निर्माण

4487. **श्री जी.माडे गौड़ा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच. एम. टी. लिमिटेड आटोमेटिक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में स्विटजरलैंड की किसी कम्पनी के साथ कोई सहयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी मशीनों का निर्माण किया गया है;

(घ) उनमें से कितनी देश के अन्दर और कितनी विदेशों में सप्लाई की गई हैं;

(ङ) इन से वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई, और

(च) क्या इनकी उत्पादन क्षमता में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) एच. एम. टी. ने स्विटजरलैंड के मेसर्स इन्टरफोंडा के साथ सहयोग किया था।

(ग) 411 मशीनें, श्रीमान।

(घ) एच. एम. टी. ने 100 मशीनें देश में और 311 मशीनें विदेश में बेची हैं।

(ङ) वर्ष 1990-91 के दौरान, एच. एम. टी. ने 1013 लाख रु. की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी।

(च) जी, नहीं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विकास केन्द्र

4488. श्री महेंद्र सिंह कुमार ठाकुर :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में कुछ नए औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है और नये औद्योगिक विकास केन्द्रों हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है, और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किये जाने वाले नये औद्योगिक विकास केन्द्रों की संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) नई विकास केन्द्र योजना के अधीन मध्य प्रदेश को 6 विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं, जो निम्नलिखित है :

क्र. सं.	विकास केन्द्र का नाम	जिला
1.	बोराई	दुर्ग
2.	चैनपुरा	गुना
3.	घिरौंगी	भिंड
4.	खेड़ा	धार
5.	सतलापुर	रायसेन
6.	सिलतारा	रायपुर

इस योजना के अधीन विकास केन्द्रों के चयन के लिए अपनाये जाने वाले मानदण्ड ये हैं,

स्थापना स्थल शहरों से दूर होने चाहिए, जिलों/उपमंडलीय मुख्यालयों के निकट होने चाहिए तथा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों, रेल-मार्गों, बिजली, पानी की आपूर्ति, दूर संचार, स्वास्थ्य और शैक्षिक संस्थाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्रियान्वित की जाएगी।

[हिन्दी]

उद्योगों में छूट

4489. : श्री रामपूजन पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-90, 1990-91 और 1991-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए क्या-क्या विभिन्न छूट दी,

(ख) उक्त अवधि के दौरान बन्द हो गए भारी उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) उनसे ऋण राशि की वसूली करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. पी. के. कुरियन) : (क) वर्ष 1989-91 में लाइसेन्स-मुक्त पंजीकरण और छूट प्राप्त उद्योगों के पंजीकरण की दो योजनाएं चल रही थी, जिनके तहत नए उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस लेने की छूट की व्यवस्था थी। वर्तमान औद्योगिक नीति के अधीन केवल 18 उद्योगों के लिए लाइसेन्स लेना पड़ता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 1989 और 1990 के दौरान लोहा और इस्पात, भारी इन्जीनियरी मशीनरी (बैद्युत मशीनरी के अलावा) और भारी इन्जीनियरी विद्युत मशीनरी क्षेत्रों में 8 रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एकक बंद बताए गए थे। इन एककों के राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

राज्य का नाम	लोहा और इस्पात एककों की संख्या		बैद्युत के अलावा भारी इन्जीनियरी मशीनरी एककों की संख्या		भारी इन्जीनियरी बैद्युत मशीनरी एककों की संख्या	
	1989	1990	1989	1990	1989	1990
पश्चिम बंगाल	01	—	—	—	—	—
महाराष्ट्र	01	01	01	—	—	—
गुजरात	01	01	—	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश	02	—	—	...	—	—
योग	05	02	01	—	—	—

(ग) और (घ) पता लगाए गए सभी रुग्ण एककों के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा जीव्यता अध्ययन किए जाते हैं । जिन एककों को सही अर्थों में वाणिज्यिक दृष्टि से जीवक्षम पाया जाता है, उन्हें पुनर्जीवित करने के बारे में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा विचार किया जाता है। सम्भावित जीव्य गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एककों के लिये तैयार किए गए पुनःस्थापना पैकेज के अधीन बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बकाया राशि को चरणबद्ध रूप से, उपयुक्त पुनः निर्धारित समयसारणी, जो 10 वर्ष से अधिक नहीं होती, में वसूल किया जाता है । जहां एककों को अजीव्य समझा जाता है, उन मामलों में ईकाया राशि की वसूलों के लिये बैंक और वित्तीय संस्थान सामान्यतया पहले याद दिलाने हेतु नोटिस जारी करते हैं । अजीव्य-एककों से बकाया राशि की वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाही में ये शामिल हैं:— मुकदमें दायर करना, स्टाक को बेचना, बिक्री कार्रवाइयों की उपयुक्त बनाना, एक-मुश्त आधार में निपटारा करने के लिए समझौता करना इत्यादि ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए अनुदान

4490. डा. छत्रपालसिंह :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आने वाली नगरपालिकाओं तथा नगर निगम को दी जा रही ऋण राशि के अन्तर्गत अनुदान देने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो कितनी अनुदान-राशि देने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त क के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड स्व-सहायतित परियोजनाओं के लिए विकासक एजेन्सियों को केवल ऋण सहायता मुहैया करता है । इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए अनुदान मुहैया कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान इन्सेटीसाइट्स लि. को घाटा

4491. प्रो के वी थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइट्स लि. को मुद्रित वर्ष हुए कुल घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन यूनिटों को अर्थक्षम बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है:—

(रु. लाख में)

	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 31 12.1991 तक (अनुमानित)
दिल्ली	(+)84.95	(—)34.46	(—)246. 3	(—)193.64
उद्योगमंडल	(+)98.12	(+)38.21	(—)60.01	(—)60.73
रसायनी विपणन, एच.ओ. और आर. एण्ड डी. काम्पलेक्स सहित अन्य	(—)97.96	(—)261.64	(—)393.21	(—)317.89
	(—)48.95	(+)97.10	(—)239.15	(—)50.79
लाभ(+) हानि(—)	(+)36.16	(—)160.79	(—)938.70	(—)623.05

(ख) एच. आई. एल. ने अपने यूनिटों को अर्थक्षम बनाने और आधुनिक बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं:—

(1) कच्चे माल की कार्यक्षमता और ऊर्जा उपयोग को इष्टतम बनाकर और कम्पनी के संसाधनों को प्रेरित करके उत्पादिकता में सुधार लाना ।

(2) दोनों स्ट्रीमों को सक्रिय बनाकर इन्डोसुल्फान संयंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करके, और हिल्दान तथा बाजार में स्वीकृत उत्पादों के उत्पादन को दुगुना करके एग्रो-केमिकल्स सेक्टर में वृद्धि करके ।

(3) कम्पनी के उत्पाद-मिक्स ग्लासतोव पर फास्फेमिडेन और कारबाक्सिन जैसे उत्पादों के निर्माण के लिए बुटाक्लोर संयंत्र के दो स्ट्रीमों में से एक को बदलकर, सुधार लाकर ।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों को अर्थक्षम बनाना

4492. श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए किसी नई योजना को अन्तिम रूप दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने और रुग्ण लघु उद्योगों के पुनरुज्जीवन के प्रबंधों की समीक्षा करने तथा लघु उद्योगों से संबंधित अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए आर.बी.आई. के दि. 9.12.91 के आपन के तहत एक समिति गठित की गई है। इस समिति द्वारा 30.6.1992 तक रिपोर्ट भेजे जाने की आशा है।

पांचवीं स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत फ्लैटों का आवंटन

4493. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण की पांचवी स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कितने आवंटन रद्द किए गए तथा कितने पुनर्आवंटन किए गए;

(ख) कितने मामलों में अनियमितताओं का पता लगने के बावजूद पुनर्आवंटन नहीं किया गया; और

(ग) ऐसे मामलों में सहानुभूतिपूर्वक निपटाने हेतु फ्लैटों का पुनर्आवंटन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) आवंटन शर्तों तथा स्वबन्धनों के अधीन आवंटियों द्वारा भुगतान न किये जाने/दस्तावेज जमा न किए जाने के कारण 12 आवंटन निरस्त किए गए थे और पांचवीं स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान चार पुनः आवंटन किए गए हैं। 9 मामले प्रक्रियाधीन हैं।

[हिन्दी]

लघु क्षेत्र उद्योगों की अचल परिसम्पत्तियों में निवेश सीमा

4494. श्री राजवीर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 की आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा संयंत्र और मशीनों की अचल परिस्थितियों में निवेश हेतु सीमा में कोई वृद्धि की गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालयमें राज्य मन्त्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस सं. 167-आई. टी. सी. (पी. एण्ड)-90-93 दिनांक 24.6.91 के तहत आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश

4495. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या क्या है,

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में कितना पूंजी-निवेश किया गया है और अब तक इन उपक्रमों को कितनी हानि हुई है,

(ग) क्या सरकार ने हानि में चल रहे इन उपक्रमों को गैर सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए कोई नीति तैयार की है! और

(घ) ऐसे कितने उपक्रमों का गैर-सरकारीकरण किया जाएगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) 31.3.1991 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की राज्यवार सूची 5.3.1992 को संसद में प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-I में संलग्नक-III (पृष्ट संख्या वि. 214 से वि. 221) में दी गई है।

(ख) 31-3-1991 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम में किए गए पूंजीनिवेश का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खन्ड-I में विवरण-16 (पृष्ठ संख्या वि. 92 से वि. 100 तक) में दिया गया है। 31.3.1991 को सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों का कुल संचित घाटा15353.97 करोड़ रु. था।

(ग) और (घ) फिलहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम का निजीकरण किए जाने की कोई नीति नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकरण

4496. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्यकरण का संचालन किया जाता है और सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के संबंध में विशेष मासिक रिपोर्ट पस्तुत की जाती है,

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जो घाटे में चल रहे हैं और नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर उनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं,

(ग) उनके कार्य निष्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) 5 मार्च, 1992 को संसद में प्रस्तुत किए गए सर्वेक्षण 1990-91 के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान 109 उद्यमों ने घाटा उठाया है। इनके घाटों के मुख्य कारण हैं- कम उत्पा-

दक्षता, क्षमता का कम उपयोग, अतिरिक्त जनशक्ति, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराना संयंत्र तथा मशीनरी, आदेशों की कमी आदि ।

(ग) उनके कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा, 5.3.1992 को संसद में प्रस्तुत किए गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-I में पृष्ठ संख्या 165 पर दिया गया है ।

अनुवाद]

आगामी तीस वर्षों में अत्यधिक वर्षा

4497. डा. आर. मल्लू :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में अत्यधिक वर्षा होने की सम्भावना है, और

(ख) सरकार ने उस कारण होने वाली क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) ऐसी कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, जिसके द्वारा 30 वर्ष की अवधि में होने वाली अतिरिक्त अथवा कम वर्षा की मात्रा का पूर्वानुमान लगाया जा सके।

भारत की वर्षा की यह विशेषता है कि उसमें वर्ष प्रति वर्ष काफी भिन्नतायें देखी गई हैं और उसकी कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है । इस प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए कुछ सांख्यिकीय अध्ययन किए गए हैं, लेकिन उनके असंदिग्ध निष्कर्ष नहीं निकले हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

राज्यों को पेंकिंग उद्योग के लिए लाइसेन्स

4498. श्री श्रीकांत जेना :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंकिंग उद्योग के लिए कुछ लाईसेन्स केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार का कब तक उन कदमों को राज्य-वार लाइसेन्स जारी करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) नई औद्योगिक नीति के अधीन

18 उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची के अलावा लाइसेंसीकरण को समाप्त कर दिया गया है। उद्योग (विकास तथा विनियमन, अधीन 1951 के पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए कोई लाइसेन्स लेना जरूरी नहीं है, जबकि यह मद इन 18 उद्योगों की किसी श्रेणी में आती हो।

[अनुवाद]

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकान

4499. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की राज्य-वार कुल संख्या क्या है,

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान मकानों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है,

(ग) क्या वर्तमान मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का उक्त योजना के अन्तर्गत निर्माण किए जाने वाले मकानों के लिए धन में वृद्धि करने का विचार है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी वेंकट स्वामी) : (क) चालू वर्ष के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अब तक निर्मित मकानों की राज्यवार सूचित कुल संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान मकानों के निर्माण हेतु अब तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) से (ङ) इन्दिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना नामक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम की एक उप-योजना है। इन्दिरा आवास योजना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 6 प्रतिशत संसाधन निर्धारित किए जाते हैं। बाद के वर्षों में भी, निधियों के आवंटन को इसी स्तर पर रखा जाएगा।

विवरण

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान निर्मित मकानों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निर्मित मकानों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8940
2.	अरुणाचल प्रदेश	60

1	2	3
3.	असम	1089
4.	बिहार	12610
5.	गोवा	35
6.	गुजरात	4574
7.	हरियाणा	478
8.	हिमाचल प्रदेश	289
9.	जम्मू व कश्मीर	348
10.	कर्नाटक	4454
11.	केरल	3493
12.	मध्य प्रदेश	37114
13.	महाराष्ट्र	3000
14.	मणिपुर	73
15.	मेघालय	188
16.	मिजोरम	79
17.	नागालैंड	684
18.	उड़ीसा	10965
19.	पंजाब	465
20.	राजस्थान	11420
21.	सिक्किम	103
22.	तमिलनाडु	37099
23.	त्रिपुरा	175
24.	उत्तर प्रदेश	4007
25.	पश्चिम बंगाल	2404
2 .	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
27.	दादरा व नगर हवेली	15
28.	दमन व द्वीप	7
29.	लक्कद्वीप	0
30.	पांडिचेरी	22
	योग :	148862

[अनुवाद]

भारत प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा बहुउद्देशीय मीडिया कम्प्यूटर का विकास

+

4500. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

डा. ए. के. पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास एक बहुउद्देशीय मीडिया कम्प्यूटर का विकास करने में लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके अन्तिम प्रदर्शन को अनुमानित समयावधि सहित अब तक इसमें क्या प्रगति की गई है;

(ग) क्या ऐसी कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के बोलने अथवा लिखने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और आगे कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस कम्प्यूटर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कब से आरंभ किए जाने की संभावना है और उस पर कितनी लागत आगत आयेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वरोजगार योजना

4501. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कितने युवकों को रोजगार प्रदान किया गया है,

(ख) क्या इस योजना की समीक्षा की गई है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसकी समीक्षा कब तक हो सकेगी।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मन्त्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) विभिन्न राज्यों में शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना के तहत वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 वर्ष के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) शिक्षित युवा बेरोजगारों (एमईवीयूवाई) को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने तथा स्कीम के कार्यचालन एवं प्रभाव का पता लगाने तथा कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए परिवर्तन /उपायों का सुझाव देने हेतु जनवरी, 1989 में तत्कालीन अपर-सचिव एवं विकास आयुक्त (एस एस आई) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया था : इस कार्यदल की सिफारिशों पर विचार किया गया तथा एक संशोधित योजना, बैंकिंग प्रभाग, भारतीय इन एजेंसियों को परिचालित की गई। इन एजेंसियों से प्राप्त की गई समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित योजना मसौदा तैयार किया गया तथा मंत्रीमंडल सचिवालय को भेजा गया है। संशोधित योजना का अभी मंत्रिमंडलय द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

विवरण

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार दिलाने के लिए योजना के अधीन बैंकों द्वारा स्वीकृति प्रार्थना-पत्रों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	स्वीकृति के दौरान प्रार्थना पत्रों की संख्या		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14291	7404	8047
2.	असम	5378	3141	4067
3.	बिहार	19669	9177	11545
4.	गुजरात	4552	5084	2419
5.	हरियाणा	4651	2418	2545
6.	हिमाचल प्रदेश	1340	769	870
7.	जम्मू व कश्मीर	962	223	236
8.	कर्नाटक	10585	6010	5415
9.	केरल	14846	8430	6249
10.	मध्य प्रदेश	14154	7936	6751
11.	महाराष्ट्र	14326	8210	9027
12.	मणिपुर	1500	749	750
13.	मेघालय	34	90	24
14.	नागालैंड	153	57	57
15.	उड़ीसा	8016	4347	4578
16.	पंजाब	14472	7690	7453
17.	राजस्थान	9204	5127	5330
18.	सिक्किम	23	17	28
19.	तमिलनाडु	17175	8692	8015

1	2	3	4	5
20.	त्रिपुरा	527	183	602
21.	उत्तर प्रदेश	24373	13749	13201
22.	पं. बंगाल	10330	6412	4198
23.	अण्डमान व निकोबार	54	20	23
24.	अरुणाचल प्रदेश	59	16	22
25.	चण्डीगढ़	201	90	127
26.	दादर व नगर हवेली	39	26	20
27.	गोवा	242	124	199
28.	मिज़ोरम	321	109	136
29.	पांडिचेरी	473	230	305
30.	लक्षद्वीप	8	20	12
31.	दमन व द्वीव	—	12	12
	जोड़	2,91,958	1,06,561	1,01,163

[अनुवाद]

लघु तथा मध्यम दर्जे के शहरों के विकास संबंधी योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए उड़ीसा के शहर

+

4502. डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

श्री बापू हरि क्षीरे :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लघु और मध्यम दर्जे के शहरों के समन्वित विकास संबंधी योजना, अब तक कितने तथा कौन-कौन से शहरों में कार्यान्वित की जा चुकी है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : लघु तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये संघटक रिहायशी क्षेत्रों, यातायात और परिवहन, बाज़ार और मंडियों तथा औद्योगिक क्षेत्र का विकास व कम लागत की स्वच्छता आदि हैं और ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नगरों के नाम और उन नगरों को दी गई केन्द्रीय सहायता क्रमश: विवरण—I, II तथा III में दर्शाई गई है।

विवरण-I

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/शहर	1988-89 में रिलिज			1988-89 में रिलिज		
		आई. डी. एस. एम. टी.	एन. सी. एस.	योग	आई. डी. एम. टी.	एन. सी. एस.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	उड़ीसा						
1.	क्योंझार	—	—	—	8·000	0.500	8.500
2.	बारी पाड़ा	7.450	0.550	8.000	—	—	—
3.	बोलनगीर	25.000	—	25.000	—	—	—
4.	पारादीप	18.000	—	18.000	—	—	—
5.	कोरापुठ	20.000	—	20.000	—	—	—
6.	फूलबनी	—	—	—	29.750	—	29.750
7.	भवानी-पटना	—	—	—	29.750	—	29.750
8.	केन्द्रपाडा	—	—	—	—	—	—
9.	अंगुल	—	—	—	—	—	—
10.	जयपुर रोड़	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	बरगढ़	—	—	—	—	—	—
12.	[illegible]	—	—	—	—	—	—
13.	बोधगढ़ पुर	—	—	—	—	—	—
	योग ।	70.450	0.550	71.000	67.500	0.500	68.000

आई. डी. एस. टी. =छोटे तथा तथा मध्यम दर्जे के कस्बों का एकीकृत विकास एल. सी. एस.=कम लागत की स्वच्छता

क्र. सं.	राज्य/शहर	1989-90 में रिलीज			सफल बोली		
		आई. डी. एस. एम. टी.	एम. सी. एस.	योग	आई. डी. एस. एम. टी.	एम. सी. एस.	योग
1	2	9	10	11	12	13	14
	उड़ीसा						
1.	बर्लोझार	8.000	—	8.000	16.000	0.500	16.500
2.	बासीपाड़ा	—	—	—	7.450	0.550	8.000
3.	बोलगीर	1.000	—	1.000	26.000	—	26.000
4.	पारादीप	18.000	—	18.000	36.000	—	36.000

5.	कोटापुतली	20.000	—	20.000	40.000	—	40.000
6.	फूलबनी	—	—	—	29.750	—	29.750
7.	भवानी-पटना	11.250	—	11.250	41.000	—	41.000
8.	केन्द्रपाडा	10.000	—	10.000	10.000	—	10.000
9.	संबलपुर	25.000	—	25.000	25.000	—	25.000
10.	जयपुर रोड	25.000	—	25 000	25.000	—	25.000
11.	बरगढ़	25.000	—	25.000	25.000	—	25.000
12.	राया गड्डा	15.000	—	15.000	15.000	—	15.000
13.	गोपाल पुर	20.000	—	20.000	20.000	—	20.000
	योग :	178.250	—	178·250	316.200	1.050	317.250

5 अप्रैल 1974 (चैत्र)

विधान सभा

विवरण-II

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/शहर	1988-89 में रिलिज			1989-90 में रिलिज		
		आई. डी. एस. एम. डी.	एल. सी. एस.	योग	आई. डी. एस. एम. टी.	एल. सी. एस.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	मध्य प्रदेश						
1.	बिलासपुर	1.000	—	1.000	—	—	—
2.	खुजराहों	—	—	—	16.730	—	16.730
3.		—	—	—	—	—	—
4.	इटारसी	1.000	—	1 000	—	—	—
5.	रीवा	1.000	—	1.000	—	—	—
6.	कटनी	15.000	—	15.000	—	—	—
7.	बुहारपन पुर	1.000	—	1.000	—	—	—
8.	मोरवा	16.000	—	16.000	—	—	—
9.	बुहंर गढ	5.000	—	5.000	—	—	—
10.	राजनन्द गांव	7.000	—	7.000	—	—	—

11.	बाला हाट	2.000	—	2.000	—	—	—
12.	छिन्दवाड़ा	3.500	—	3.500	—	—	—
13.	हरदा	2 000	—	2.000	—	—	—
14.	बेतूल	2.000	—	2.000	—	—	—
15.	पूना	25.000	—	25.000	—	—	—
16.	सीधी	8.000	—	8.000	—	—	—
17.	होसंगाबाद	—	—	—	24.000	—	24.000
18.	नरसिंहवाड़ा	—	—	—	23.000	—	23.000
		—	—	—	—	—	—
20.	नागपुर कंटोन्मेंट	15.000	—	15.000	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
22.	वरुड़ोल	—	—	—	25 000	—	25.000
		—	—	—	—	—	—
25.	बालाघाट	2400	18.20	25.820	—	—	—
26.	चांदा	—	—	—	10.000	—	10.000
27.	भिलाई दुर्ग	—	—	—	29.750	—	19.750
28.	रायपुर	—	—	—	29.750	—	29.750

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	[illegible]	—	—	—	24.000	—	24.000
30.	बेतुल	—	—	—	—	—	—
31.	बोबहुरना गंज	—	—	—	—	—	—
32.	सीमच	—	—	—	—	—	—
33.	सिरव	—	—	—	—	—	—
34.	समोह	—	—	—	—	—	—
35.	सहोई	—	—	—	—	—	—
36.	सिरोंज	—	—	—	—	—	—
37.	पन्ना	—	—	—	—	—	—
	योग :	128.500	1,820	130.320	182.230	—	166.230

क्र. सं.	राज्य/शहर	1990-91 में रिलिज			सकल योग		
		आई. डी. एस. एम, टी,	एस. सी. एस,	योग	आई. डी. एस. एम, टी,	एस. सी. एस,	योग
1	2	9	10	11	12	13	14
	मध्य प्रदेश						
1.	[illegible] पुर	—	—	—	1.000	—	1.000
2.	खजराहो	—	—	—	16.730	—	16.730
		—	—	—	—	—	—
4.	इटारसी	—	—	—	1.000	—	1.000
5.	रीवा	—	—	—	1.000	—	1.000
6.	[illegible]	—	—	—	15.000	—	15.000
7.	[illegible] पुर	—	—	—	1.000	—	1.000
8.	[illegible]	—	—	—	16.000	—	16.000
9.	[illegible] गढ	—	—	—	5.000	—	5.000
10.	राजनन्द गांव	—	—	—	7.000	—	7.000
11.	बालाघाट	—	—	—	2.000	—	2.000
12.	[illegible] पाड़ा	—	—	—	3.500	—	3.500

1	2	9	10	11	12	13	14
13.	हरदा	—	—	—	2.000	—	2.000
14.	बेलहन	—	—	—	2.000	—	2.000
15-	गूना	—	—	—	15.000	—	25.000
16.	सीधी	—	—	—	8.000	—	8.000
17.	होसंगाबाद	—	—	—	24.000	—	24.000
18.	पचरवाडा	—	—	—	23.000	—	23.000
		—	—	—	—	—	—
20.	अमरकंटक	—	—	—	15.000	—	15.000
		—	—	—	—	—	—
22.	शहडोल	—	—	—	25.000	—	25.000
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
25.	जगदीश पुर	—	—	—	24.000	1.820	25.820
26.	रतलाम	—	—	—	10.000	—	10.000
27.	जिलाई दुर्ग	—	—	—	29.750	—	29.750
28.	सतना	—	—	—	29.750	—	29.750

29.	खजर पुर	—	—	—	24.000	—	24.000
30.	बदल	15.000	—	15.000	15.000	—	15.000
31.	मोदकुल्ला गंज	25.000	—	25.000	25.000	—	25.000
32.	[illegible]	27.000	—	27.500	27.500	—	27.500
33.	सिरड	27.000	—	27.500	27.500	—	27.500
34.	बलोह	27.000	—	27.500	27.500	—	27.500
35.	बहोरी	25.000	—	25.000	25.000	—	25.000
36.	बिदोखा	10.000	—	10.000	10.000	—	10.000
37.	पल्ला	27.500	—	27.500	27.500	—	27 500
	योग [illegible]	185.000	—	185.000	495.700	1.820	472,550

[illegible]

1 5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

349

विवरण-III

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/शहर	1988-89 में रिलिज			1988-89 में रिलिज		
		आई. डी. एस. एम. टी.	एल. सी. एस.	योग	आई. डी. एम. टी.	एल. सी. एस.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
	महाराष्ट्र						
1.	मनमाड	2.250	—	2.250	2.250	—	2.250
2.	बरसी	0.505	—	0.505	—	—	—
3.	परलीवेजनाथ	2.000	—	2.000	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
7.	काटोल	2.720	—	2.720	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
10.	कामठी	—	—	—	—	—	—

| | | |

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	तुलजा पुर	—	—	—	13.000	—	13.000
29.	बरवा	—	6.000	6.000	13.040	—	13.400
30.	इतम पुरी	—	1.610	1.610	—	—	—
31.	पुलाव	—	—	—	25.375	—	25.375
32.	करड	25.000	—	25.000	—	—	—
33.	विड	20 000	2.340	22·340	—	—	—
34.	चन्द्र पुर	—	—	—	29.750	—	29.750
35.	गडिची रोली	—	—	—	—	—	—
36.	गोंडिया	—	—	—	—	—	—
37.	चोपड़ा	—	—	—	—	—	—
38.	डेम गांव	—	—	—	—	—	—
39.	नरखेड	—	—	—	—	—	—
40.	नलका पुर	—	—	—	—	—	—
41.	नन्दुरबार	—	—	—	—	—	—
42.	पैथन	—	—	—	—	—	—
	योग :	100.685	9,950	110,635	122.:65	2.690	125.255

विवरण-III

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/शहर	1989-90 में रिलीज			कुल योग		
		आई. डी. एस. एम. टी.	एस. सी. एस.	योग	आई. डी. एस. एम. टी.	एस. सी. एस.	योग
1	2	9	10	11	12	13	14
	महाराष्ट्र						
1.	मनमाड	—	—	—	4.500	—	4.500
2.	बरसी	—	—	—	0.505	—	0.505
3.	परलीवैजनाथ	0.500	—	0.500	2.500	—	2.500
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
7.	काटोल	—	—	—	2.720	—	2.720
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
10.	काम्पटी	6.310	—	6.310	6.310	—	6.310
11.	कोनवाल	13.000	—	13.000	13.000	—	13.000
		—	—	—	—	—	—

1	2	9	10	11	12	13	14
		—	—	—	—	—	—
14.	हिंगनघाट	—	—	—	2.800	—	2.800
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
18.	दिग्रस	—	—	—	8.560	—	8.560
		—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
21.	इस्लाम पुर	—	—	—	11.000	—	11.000
		—	—	—	—	—	—
23.	धन्वार पुर	5.000	—	5.000	9.000	—	9.000
24.	रामटेक	—	—	—	22.000	—	22.000
25.	सिलारेर	—	—	—	26.000	2.690	28.690
		—	—	—	—	—	—
27.	वर्धा	—	—	—	13.000	—	13.000
28.	तुलजा पुर	—	—	—	13.000	—	13.000

29.	बरवा	—	—	—	13.040	6.000	19.040	
30.	बबेल कुर्मी	—	—	—	—	1.610	1.610	
31.	पुखान	—	—	—	25.375	—	25.375	
32.	करड़	1.000	—	1.000	26.000	—	26.000	
33.	चिड़	—	—	—	20.000	2 340	22.340	
34.	चक्र कुर्म	—	—	—	29.750	—	29.750	
35.	गहिलोतोली	27.500	—	27.500	27.500	—	27.500	
36.	बोकिया	22.000	—	22.000	22.000	—	22.000	
37.	चोपरा	15.000	—	15.000	15.000	—	15.000	
38.	क्षेम गोंड	27.500	—	27.500	27.500	—	27 500	
39.	नरवेद	27.500	—	27.500	27.500	—	27.500	
40.	कलका कुर	27.500	—	27.500	27.500	—	27.500	
41.	मधुरवार	27.500	—	27.500	27.500	—	27.500	
42.	पैक्स	18.000	—	18.000	18.000	—	18.000	
	योग :	218.310	—	218.310	441.560	12 640	454.200	

[अनुवाद]

+ सरकारी आवास को किराये पर देना

4503. श्री अर्जुन सिंह यादव ।

डा. सी. सिलवेरा ।

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिसंख्य सरकारी कर्मचारियों ने उन्हें आवंटित सरकारी आवासों को अधिक दरों पर किराये पर दे रखा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवंटितियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या ऐसे अधिक मामलों का पता लगाने के लिए कोई गहन सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकारी आवंटिती अन्य व्यक्तियों के साथ इन आवासों में रह रहे हैं तथा उनसे काफी किराया वसूल कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई गहन अध्ययन किया गया है और ऊंचे किराये पर अपने साथ किराएदार रखने वाले आवंटितियों को सजा दी गई है, और

(च) आवास की सहभागिता के नियमों का क्या ब्यौरा है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकारी आवासों की उप-किराएदारी के बारे में शिकायतें तथा सूचना सम्पदा निदेशालय में समय-समय पर प्राप्त होती रहती है । यह सभी इस प्रकार की सूचना/शिकायतें प्राप्त होती हैं, निरीक्षण के लिए अधिकारियों के दलों को भेजकर जांच-पड़ताल कराई जाती है । यह एक सतत प्रक्रिया है । इस प्रकार के निरीक्षण अब भी प्रगति में हैं । 11.1.1991 से 22.3 1992 तक की अवधि के दौरान 465 मामलों की जांच-पड़ताल की गई है तथा आवंटन नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है ।

(घ) से (च) आवंटन नियमों के एस. आर. 317-20 में आवास की सहभागिता सम्बन्धी नियमों का प्रावधान है । इन नियमों के उद्धरण संलग्न हैं । यदि कोई आवंटिति आवंटन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे सरकारी आवास की सहभागिता से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए सामान्यतया वंचित किया जाता है ।

विवरण

(1) कोई अधिकारी अपने को आवंटित निवास-स्थान या उससे संलग्न उपग्रहों गैरजों और अस्तबलों का सहभोग इन नियमों के अधीन निवास स्थान के आवंटन के पात्र केन्द्रीय सरकार के

कर्मचारियों के साथ ही करेगा। सेवक निवासों (या क्वार्टरों), उपग्रहों, गेरजों और अस्तबलों का उपयोग केवल उचित प्रयोजनों के लिए, जिनके अन्तर्गत आवंटिती के सेवकों का निवास भी है, या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनका सम्पदा निदेशक अनुज्ञा दें।

बशर्ते कि अधिकारी सहभागी तथा उसके परिवार के पूरे विवरण तथा क्वार्टर में रहने वाले अधिकारी तथा इसके परिवार के पूर्ण विवरण की सूचना सम्पदा निदेशक द्वारा यथा निर्धारित प्रपत्र में देते हुए सम्पदा निदेशक को पूर्व सूचना भेजेगा।

2 **

3. या अधिकारी अपने निवास-स्थान का सहभोग करे या उसे किसी को दे वह ऐसा अपनी ओछिम और उत्तरदायित्व पर करेगा और उस निवास स्थान की बाबत देय कोई अनुज्ञप्ति फीस देने के लिए और ऐसे किसी नुकसान के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदाई बना रहेगा जो निवास-स्थान को या उसकी सीमाओं या भूमियों को या सरकार द्वारा उसमें की गई सेवा व्यवस्थाओं को पहुंचे और जो उचित टूट-फूट के अतिरिक्त हो।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा विकास कार्य

4504. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सी. ए. पी ए. आर. टी. द्वारा ग्रामीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश के हरदोई तथा लखीमपुर खीरी में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सांसदों तथा विधायकों से भी कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं यदि हां तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है, और

(ग) उक्त निकाय द्वारा, इन जिलों की स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रदान की गई आर्थिक एवं तकनीकी मदद का विवरण क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने हैंडपम्प लगाने, स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने स्वच्छ पेयजल के बारे में जन-जागरूकता शिविर लगाने तथा महिलाओं को आय-सृजन की सुविधायें मुहैया कराने के क्षेत्रों में चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले में 4 परियोजनायें तथा लखीमपुर खीरी जिले में एक परियोजना स्वीकृत की है।

(ख) जब कभी किसी सांसद अथवा विधायक से कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो उस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाई की जाती है।

(ग) हरदोई जिले में जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई, उनका ब्यौरा इस प्रकार है—अपर्णम सेवा संस्थान, सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान तथा शक्ति साधना

संस्थान। हरदोई जिले में परियोजनाओं के लिए कुल 4,94,713 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। लखीमपुर खीरी जिले में 5,04,500/- रुपए की लागत से धनना खास कलीम खानखेड़ा गोलगकरण नाव के पक्ष में हैंडपम्प लगाने की एक परियोजना स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण

+

4505. श्री अवतार सिंह भड़ाना :

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकरिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा अब तक दिल्ली के कितने शहरीकृत गाँवों में सामुदायिक केन्द्र बनाए गए हैं, और

(ख) उनमें बच्चों और महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई मूलभूत सुविधाओं का ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. जयपालरेड्डी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करना

4506. श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उन कुछ उपक्रमों/औद्योगिक इकाइयों/संयुक्त उद्यमों को, जो घाटे में चल रहे हैं तथा लाभप्रद भी नहीं हैं, बन्द करने अथवा इनका निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रम/औद्योगिक इकाइयों और संयुक्त उद्यमों का राज्य-वार ब्योरा क्या है जिनके बन्द होने अथवा जिनका निजीकरण होने की सम्भावना है;

(ग) उक्त उद्योगों को बन्द हो जाने के कारण कितने कर्मचारियों अथवा मजदूरों के प्रभावित होने की संभावना है, और

(घ) प्रभावित कर्मचारियों/मजदूरों के पुनर्वास हेतु कौन-कौन सी योजनाओं पर विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) से (घ) संशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को विशेष अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, उनके (कंपनियों के) लिए उपयुक्त पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के पास भेजा जाएगा। ऐसे उद्यमों तथा इनमें कार्यरत कामगारों की संख्या का

तीस सितम्बर, 1991 में सभी संसद सदस्यों को परिचालित, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की स्थिति पर निबन्ध (मोनोग्राफ) के खंड-I में दिया गया है तथा इससे जो कार्यक्रम प्रस्तावित होंगे, उनके बारे में प्रोजेक्टवार तथा वित्तीय ब्यौरे अलग से विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

कोयले का आयात

4507. श्री जगमीत सिंह ।

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बढ़िया किस्म के कोयले की अनुपलब्धता के कारण कोयले का आयात करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो देश में इस प्रकार के बढ़िया किस्म के कोयले की प्रोसत वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का विचार देश में बढ़िया किस्म के कोयले को उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से कोयले के आयात में कितनी कमी आने की संभावना है ?

कोयला राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) भारतीय कोयला संसाधन उच्च राख की मात्रा वाले तत्वों तथा निम्न गुणवत्ता के स्वरूप के हैं । अच्छे ग्रेड के कोयले के भंडारों का अंश-कथन लगभग 25% है और वाकि मुख्यत: बिहार-बंगाल तथा सेन्ट्रल इंडिया के कोयला क्षेत्रों में पाया जाता है । यद्यपि अन्य औद्योगिक उपभोक्ता उपलब्ध देशीय ग्रेड के कोयले के लिए आयातित कच्चालोह उपकरण का-समायोजन करने में समर्थ रहे हैं किन्तु इस्पात संयंत्र कोक के उत्पादन के लिए कोकिंग कोयले में निम्न राख तत्व चाहते हैं । इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष धुले कोककर कोयले की लगभग 20 मिलियन टन प्रोसत आवश्यकता में से इस्पात संयंत्रों द्वारा उच्च राख वाले देशीय कोयले के साथ मिश्रण किए जाने के लिए निम्न राख वाले आयातित कोयले की लगभग कुल आवश्यकताओं का 25 प्रतिशत कोककर कोयला आयात किया जाता है ।

(ग) से (ङ) कोककर कोयले की देशीय उपलब्धता के सम्बन्ध में, अन्य बातों के अलावा, उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) विद्यमान खानों को पुनर्संठन करके तथा नई खानें विकसित करके अधिक कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि;

(2) कोककर कोयले के संसाधनों का सुदृढ़ीकरण, जो कि गुणवत्ता की दृष्टि से वर्ष 1984-85 में अधिकारियों से असंयोजित कर दिये गये थे;

(3) दो नई वाशरियों को चालू किया जाना विद्यमान धुलाई क्षमता में वृद्धि किए जाने के लिए एक मधुबंद एवं एक केडला में;

(4) एलतेकर समिति की सिफारिशों को लागू करके विद्यमान कोकिंग कोयला वाशरियों में संशोधित किया जाना ताकि क्षमता उपयोगिता तथा धुले कोककर कोयले की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके;

(5) मेघालय एवं असम में कोककर कोयला खानों को विनिर्दिष्ट किया जा रहा है ताकि कम राख वाले कोककर कोयले को बड़ी मात्रा में उपलब्ध किया जा सके।

इन उपायों का क्रियान्वयन किए जाने से इस्पात संयंत्रों द्वारा कोककर कोयले के आयात में क्रमागी रूप से कमी किए जाने की संभावना है।

(हिन्दी)

परमाणु ऊर्जा पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र

4508. प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु ऊर्जा पर आधारित ताप विद्युत संयन्त्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उनमें कितना पूंजी निवेश किया गया है तथा प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या कुछ परमाणु विद्युत संयन्त्र उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) परमाणु बिजलीघर के मामले में प्राथमिक ताप ऊर्जा जहां रिएक्टर में रखे गये यूरेनियम ईंधन से प्राप्त होता है वहां परम्परागत किस्म के ताप बिजलीघरों के मामले में यह ऊर्जा कोयले का तेल या गैस से प्राप्त की जाती है।

स्थापित किए जा चुके और काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों के बारे में विवरण निम्नानुसार है :

	मौजूदा पुनर्नियोजित क्षमता मेगावाट में	संस्वीकृत/नवीनतम अनुमानित पूंजीगत लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3
तारापुर—1 तथा 2	2×160	92.99
रावतभाटा—1	100	73.27

1	2	3
राजस्थान—2	200	102·54
मद्रास—1	220	118.83
मद्रास—2	220	127.04
नरोरा—1 तथा 2	2x220	645+100 मेगावाट क्षमता के निर्माण के दौरान लगने वाला ब्याज (अनुमोदनाधीन)

(ग) और (घ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट की दक्षिणी एंड-शील्ड में हल्के पानी के रिसाव की समस्या थी जिसे काफी प्रयास करके रिसाव के स्थान को अभियांत्रिक तरीके से बंद करके हल किया गया। इस मरम्मत के बाद, इस यूनिट के विद्युत स्तर को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने वर्ष 1987 से 100 मेगावाट के स्तर तक सीमित कर दिया था। इस यूनिट की क्षमता को कम करके 1 जनवरी, 1989 से 100 मेगावाट निर्धारित कर दिया गया है।

मद्रास परमाणु बिजलीघर को अपने दोनों यूनिटों के मामले में टरबाइन ब्लेडों और माडरेटर इनलेट मेनीफोल्डो के खराब होने और एक यूनिट में जेनरेटर ट्रांसफार्मर के खराब होने संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। टरबाइन ब्लेड की खराबी को ठीक किया गया और आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं। जनरेटर ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। माडरेटर इनलेट मेनीफोल्डों सम्बन्धी समस्या का समाधान एक अन्तरिम हल करके किया गया और प्रत्येक यूनिट 175 मेगावाट तक के सीमित प्रचलनात्मक विद्युत स्तर पर काम कर रहा है। यूनिट के विद्युत स्तर में और वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए एक यूनिट मे अतिरिक्त उपस्कर लगाया जा रहा है और उससे सम्बन्धित विश्लेषण किए जा रहे हैं ताकि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड आगे कार्रवाई करने के सम्बन्ध में उसकी पुनरीक्षा कर सके और निर्णय ले सके।

[अनुवाद]

निवेशकों की कठिनाइयां

4509. डा. कृपा सिन्धु भोई :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश सम्बन्धी विनियमनों और उदारीकरण की लाइसेंस से मुक्त रखने के कारण भावी निवेशकों को आधारभूत मंत्रालयों मे बड़ी कठिनाइयां हो रही हैं,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला भण्डार

4610. डा. महादीपक सिंह।

श्री नीतीश कुमार।

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ने हाल ही में देश में कोयला भण्डारों की उपलब्धता के बारे में नवीनतम जानकारी एकत्र की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुमानतः कितना कोयला उपलब्ध होने की सम्भावना है;

(ग) प्रत्येक कोयला क्षेत्र में कितना कोयला उपलब्ध है और इन कोयला क्षेत्रों के नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर देश की मांग के अनुसार कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उक्त कोयले का गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई योजना तैयार की है, और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितनी पूंजी निवेश किए जाने की सम्भावना है तथा इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. समा) : (क) कोयले के भण्डारों की जांच किए जाने के लिए विस्तृत समन्वेषण का गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय खान आयोजना और डिजाइन संस्थान लि. भू-गर्भीय अनुसंधान की नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रहा है, जो कि भू-भौतिकी सर्वेक्षण, भू-भौतिकी आंकलन लाग की व्याख्या, दूरस्थ स्थानों का संकेत देने कम्प्यूटर सहायता प्राप्त आंकड़ा बैंक के प्रयोग पर आधारित है।

(ख) और (ग) भारतीय भू-सर्वेक्षण देश के विभिन्न भागों में कोयले के भण्डारों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय समन्वेषण का पूरा करने की जिम्मेदारी रखता है। भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा की गई प्रति वर्ष की भू-गर्भीय रिपोर्ट के आधार पर सम्भावित ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किया जाता है और खान आयोजना उद्देश्य से कोयले के भण्डारों का पता लगाने के लिए खनिज अन्वेषण निगम लि. और राज्य सरकार के अन्वेषण एजेन्सियों की मदद से सी. एम. पी. डी. आई. एस. विस्तृत समन्वेषण काम शुरू करता है। 1-1-1992 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित कोयला भंडारों की कोयले की क्षेत्रवार स्थिति नीचे दी गई है:—

(0.9 मी. और उसके ऊपर की मोटाई की सीमों और 1,200 मी. गहराई तक की सीमें)

(मात्रा मिलियन टन में)

	कोयला क्षेत्र	प्रमाभित	विनिर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल					
1.	रानीगंज	8855.19	10596.86	7792.95	27245.00
2.	बरजोरा	71.00	—	—	71.00
3.	दामरा-पानागढ़	—	751.86	—	751.86
4.	देवचा बेसिन	—	2064.31	—	2064.31
5.	दार्जिलिंग	—	—	15.00	15.00
उप जोड़ पश्चिम बंगाल		8926.19	13413.03	7807:95	30147.17
बिहार					
6.	झरिया	139,69.12	5447.88	—	19417.00
7.	ईस्ट बोकारो	2182.83	3281.78	80.91	5545.52
8.	वेस्ट बोकारो	3002.99	1561.66	34.42	4599.07
9.	रामगढ़	367.76	545.15	58.05	970.96
10.	नार्थ करनपुरा	4508.67	6314.56	2755.57	13578.90
11.	साउथ करनपुरा	231170	172'.52	1938.98	5674.20
12.	बोरंगा	8.78	1691.90	433.23	2133.91
13.	हुटार	109.96	107.38	32 48	249.82
14.	डाल्टनगंज	83.86	60.10	—	143.96
15.	देवगढ़	326.24	73.60	—	399.84
16.	राजमहल	1912.88	7288 38	1543.97	10685.23
	उप जोड़ बिहार	28784.79	28035.91	6577.61	63398.31
	मध्य प्रदेश				
17.	जोहिला	136.87	104.09	70.00	310.96
18.	उमरिया	57.52	—	—	57,52

1	2	3	4	5	6
19.	पेंच कन्हान तवा	1079.15	409.00	467.70	1955.85
20.	पाबाखेरा	160.25	82.12	123.00	365.37
21.	गुरगुन्डा	—	47.39	—	47.39
22.	मोहपानी	7.83	—	—	7.83
23.	सोहागपुर	800.09	1446.23	37.92	2284.24
24.	सिंगरौली	3950.09	1290.90	3965.83	9265.83
		(662.21)	(4.00.00)	—	(1062.21)
25.	सोवहाट	66.78	128.50	—	225.28
26.	ओलमिली	211.68	55.42	—	267 10
27.	चिरमिरी	320.33	10.83	31.00	362.16
28.	विश्रामपुर	361.77	180.00	—	541.87
29.	लखनपुर	220.93	30.05	—	250.98
30.	हसदेव-अरान्द	—	3209.48	1111.30	4320.78
31.	सोनदुरगढ़	—	279.21	—	279.21
32.	कोरबा	2066,07	4917.10	1787,55	8760.72
33.	मंड रायगढ़	101.19	6858.56	2172.91	9132.72
34.	तातापानी-रामकोला	—	970.88	166.17	1137.05
	उप जोड़ मध्य प्रदेश	9571.36	20019.76	9922 94	39514 06
		*(662.21)	*(400·00)		*(1062.21
	महाराष्ट्र				
35.	चांद-वर्धा	1922.14	730.69	1587.36	4240.19
36.	कम्पटी	806.94	245.28	220.00	1372.22
37.	उमरेर	85.16	—	—	85.10
38.	बन्धर	64.52	135.48	—	200.00
39.	नान्द	—	10 00	40.00	50.00
40.	मकरधोकरा	29.00	93.00	—	122 00
41.	बोखरा	10.00	—	20.00	30 00
	उप जोड़ महाराष्ट्र	2917.70	1214.45	1967.36	60.99.51

1	2	3	4	5	6
	उड़ीसा				
42.	ईब घाटी	1754.39	10005.98	9054.30	20814 67
43.	तलचर	3199 63	11344.62	9829.40	24373.65
	उप जोड़ उड़ीसा	4954.02	21350 60	18883.70	45188.32
	आंध्र प्रदेश				
44.	गोदावरी घाटी	5726.11	1242 09	3842.55	10810.75
	उप जोड़ आंध्र प्रदेश	5726.11	1242.09	3842.55	10810.75
45.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	257.03	149.29	458.46	864.78
	जोड़	61137.20	85425.13	49460.57	196022.90

(ब) और (ङ) वर्तमान की दीर्घकालिक परियोजनाओं के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना (अर्थात् 1992-1997) के अन्त तक देश में लगभग 306 मि. टन कोयले का उत्पादन होने की सम्भावना है। यह उत्पादन मौजूदा खानों,/परियोजनाओं के पुर्नगठन, चालू परियोजनाओं के उत्पादन से प्राप्त कर लिया जाएगा। संभवतः, कोयले के क्षेत्र में 11860 करोड़ रुपए के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(1) प्रर्याप्त कोयला रखरखाव संयंत्रों की व्यवस्था।

(2) खनन के समय पर कोयले से पत्थरों को अलग करना।

(3) परिष्कृत संयंत्रों की स्थापना।

* कोष्ठक में आंकड़े सिंगरौली कोयला क्षेत्र के यू. पी. क्षेत्र के भण्डार हैं और जिन्हें कुल भण्डारों में शामिल करके मध्य प्रदेश के अन्तर्गत दिखाया गया है।

[अनुवाद]

कोकिंग कोयले की मांग

4511. श्री भाग्ये गोवर्धन।

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोकिंग कोयले का उत्पादन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान कोकिंग कोयले के आयात पर क्रमशः कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई, और

(ग) क्या स्वदेशी कोकिंग कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई अनुसंधान और विकास कार्य किया गया है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कोकिंग कोयले के बड़े भंडार झरिया कोयला क्षेत्र में उपलब्ध हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में भू-खनन, प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक ढांचा सम्बन्धी बड़ी समस्यायें विद्यमान हैं जैसे, आंशिक रूप से उत्खनन की गई पुरानी भूमिगत खानें, आगों का होना तथा समीप के क्षेत्रों में से जल भरी खानें, ग्रामों, टाउनशिप तथा अन्य निर्मित ढांचे और नालें तथा नदिका, जिनका स्थानान्तरण अपेक्षित है अथवा उनका संरक्षण जो कि झरिया कोयला क्षेत्र में कोकिंग कोयला खानों के तेजी से विकास किए जाने के मामले में आड़े आ रहे हैं। किन्तु परम्परिक रूप में भारतीय कोकिंग कोयले के भंडारों की गुणवत्ता निम्न श्रेणी की है, अतः मिश्रण किए जाने के प्रयोजन से कम राख वाले कोकिंग कोयले का आयात किया जाना अपेक्षित है।

(ख) इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है।

वर्ष	अनुमानित कीमत (एफ. ओ. बी. कीमत के आधार पर) (अमरीकी मिलियन डालर में)
1988-89	227
1989-90	243
1990-91	310
1991-92 (अप्रैल-फरवरी)	294

(ग) एक विशेषज्ञ समिति (एल्तेकर समिति) की वर्ष 1985 में धुले हुए धातुकर्मी कोकिंग कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की दृष्टि भी विद्यमान वाशरियों का अध्ययन किए जाने के लिए स्थापना की गई। इसकी सिफारिशों के अनुसार बी. सी. सी. एल. तथा सी. सी. एल. की विद्यमान वाशरियों को 17+0.5% राख वाले धुले कोयले का सुनिश्चय किए जाने के लिए कच्चे कोयले के फीड्ड सम्बन्धी गुणवत्ता पेरामीटरों का पूरा किए जाने के लिए संशोधित किया जा रहा है।

रोजगार सृजन

4512. श्री प्रफुल पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान निर्धारित पूंजी निवेश द्वारा 24.5 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्योरा क्या है, और

(ग) क्या ऐसे रोजगार-सृजन हेतु अपेक्षित कच्चे माल तथा ऋण की व्यवस्था की जा रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) सरकार "शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वरोजगार योजना" के नाम से एक योजना पहले ही कार्यान्वित कर रही है। उक्त योजना के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान 12.5 लाख व्यक्तियों को सामान्यित करने का लक्ष्य रखा गया है।

लघु क्षेत्र में उत्पादन की वार्षिक औसत वृद्धि के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20.5 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) लघु, अतिलघु तथा ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन व सुदृढ़ीकरण के लिए 6 अगस्त, 1991 को संसद में रखे गए नीतिगत उपायों में मानदंड के आधार पर पर्याप्त रूप से ऋण देने और लघु क्षेत्र के कार्यकुशल संचालन हेतु इसकी डिलीवरी की गुणवत्ता दोनों पर बल दिया गया है। इसके अलावा, अति लघु/लघु एककों को स्वदेशी तथा आयातित दोनों प्रकार के पर्याप्त व उचित कच्चे माल के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के विकास में कमी

4513. श्री के. तुलसिऐया वांडायार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान लघु उद्योगों के विकास में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लघु उद्योगों की सहायता करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं, और;

(घ) देश में इस समय पंजीकृत लघु उद्योगों की कुल संख्या कितनी है और उनके द्वारा कुल कितना वार्षिक कारोबार किया जाता है तथा उनके द्वारा किए जाने वाले निर्यात की वार्षिक औसतता कितना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) लघु उद्योगों के विकास में गिरावट के मुख्य कारण ऋण दबाव, विदेशी मुद्रा की बाधाएं, मांग में मन्दी, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्यशील पूंजी पर ब्याज की उच्च दर और कच्चे माल खासतौर पर आयातित कच्चे माल की कमी है।

(ग) लघु क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार ने जो उपाय किए हैं वे इस प्रकार हैं। लघु तकनीकी एककों को जरूरत पर आधारित ऋण उपलब्ध कराना, ऋण की जरूरत तथा लघु क्षेत्र

में सरलता पर ध्यान देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति की स्थापना, आयात प्रतिबंधों में ढील, बैंक ऋण की ब्याज दर को 20% के स्थान पर 19% करके ब्याज दर में 1% की कमी एस एस आर 38.5% के स्थान पर 30% करके इसमें 8.5% की कमी की गई है।

(घ) 1990 के अन्त की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग विकास संगठन के कार्यक्षेत्र में आने वाले तथा विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग निदेशालयों में स्थाई आधार पर पंजीकृत लघु एककों की कुल संख्या 13,78,480 थी।

1990-91 के दौरान लघु क्षेत्र (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों प्रकार के एकक) में चालू मूल्यों पर 155340 करोड़ रु. का कुल अनुमानित उत्पादन हुआ था।

नवीनतम वर्ष 1989-90, जिसके सही आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान देश के कुल निर्यात में लघु क्षेत्र द्वारा किए गए प्रत्यक्ष निर्यात का प्रतिशत लगभग 28% था।

[अनुवाद]

कोयले का मूल्य

4514. प्रो. अशोक आनंदराव देशमुख :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड के घाटे को कम करने के लिए कोयले के मूल्यों में वृद्धि कर दी है;

(ख) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड को हो रहे घाटे का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस उपक्रम को लाभप्रद बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) कोयले की उत्पादन लागत को पूरा किए जाने के लिए दिनांक 28-12-91 से कोयले की कीमतों में संशोधन कर दिया गया है।

(ख) और (ग) औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरो ने हाल ही में उद्योग के लिए अन्य नीतिगत उपाय किए जाने तथा उपयुक्त कीमतों की सिफारिश किए जाने की दृष्टि से कोल इंडिया लि. का एक विस्तृत अध्ययन किया है।

(घ) कोल इंडिया लि. में लागत को कम किए जाने के संबन्ध में उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(1) अमलक्षित आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू कामगारों की पुनः तैनाती और प्राकृतिक रूप में फिजूलखर्ची के कारण रिक्त पदों के एवज में नए कर्मचारियों को भर्ती पर रोक लगाई जाना शामिल है।

(2) जनसंख्या में वृद्धि पर स्वैच्छिक सेवा सेवा-निवृत्ति योजना के जरिये नियंत्रण।

(3) "आल मैन-आल-जाब" की संकल्पना की प्रायोगिक आधार पर प्रयोग में लाया जा रहा है।

(4) पर्याप्त रूप में वर्कशाप-स्पोर्ट, स्पेयर पुर्जों की व्यवस्था में सुधार और उपकरणों की समय पर विस्थापन जैसे उपकरणों की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार।

(5) भूमिगत खानों पर विशेष जोर देकर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि।

(6) कार्यचालन की दक्षता में सुधार लाये जाने के लिए कई सुधार पद्धतियां तथा प्रबंधनीय उपाय अंगीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता

4515. श्री [illegible] लाल कश्यप :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को 1990-91 और 1991-92 में प्रदान की जाने वाली केन्द्रीय सहायता की पूर्ण राशि नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या वर्ष 1992-93 की सहायता राशि सहित रोकी गई सहायता राशि को दिए जाने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) 1990-91 के दौरान आवंटित तथा देय राशि हेतु समायोजित फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता (निवल) जारी की गई थी। वार्षिक योजना 1991-92 के दौरान अब तक 967.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जबकि 10-11.13 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य की वार्षिक योजना 1991-92 पर अनन्तिम व्यय के ब्यौरों के प्राप्त होने के बाद ही शेष राशि जारी करने पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

आरक्षण की प्रतिशतता

4516. डा. (श्रीमती) पदमा :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की वर्तमान प्रतिशतता क्या है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 1981 की जनगणना को ध्यान में क्यों नहीं रखा है, और

(ग) क्या सरकार का विचार आरक्षण की प्रतिशतता के लिए वर्ष 1981 की जनगणना कार्यान्वित करने का है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अखिल भारतीय आधार पर समूह "क" तथा "ख" पदों पर सीधी भर्ती से सम्बन्धित आरक्षण प्रतिशतता 1961 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। 1971 की जनगणना के बाद इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था क्योंकि 1971 की जनगणना में परिलक्षित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के कारण निर्धारित आरक्षण प्रतिशतता में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, चूंकि 1981 की जनगणना के आंकड़ों में असम राज्य के आंकड़े शामिल नहीं थे अतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय जनसंख्या विवरण स्पष्ट नहीं हो सका था। अतः आरक्षण प्रतिशतता की समीक्षा नहीं की गई थी।

स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित समूह "ग" तथा "घ" पदों में सीधी भर्ती से संबंधित आरक्षण प्रतिशतता जो कि पहले 1971 की जनगणना पर आधारित थी। 1991 की जनगणना में दर्शाये गये जनसंख्या विवरण को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षा की गई थी और इस सम्बन्ध में 1985 और 1986 में संशोधित आदेश जारी किए गये थे जिनमें आरक्षण प्रतिशतता नए सिरे से निर्धारित की गई थी।

[हिन्दी]

चित्रा कोयला खान (बिहार) में श्रमिक

4517. श्री साईमन मरांडी :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्रा कोयला खान, दुमका, बिहार में श्रमिकों की संख्या क्या है और उनमें से जनजातीय तथा अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के सभी विस्थापित परिवारों को यहां रोजगार दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी है जिनके एक भी सदस्य को रोजगार नहीं दिया गया है, और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ङ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4518. श्री बारे लाल जाटव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में उपक्रम घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार से उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी के. थुंगन) : (क) से (ङ) मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पंजीकृत कार्यालयों वाले पांच उद्यमों में से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यमों, नामतः नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लि. तथा साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि. गत तीन वर्षों से निरन्तर घाटा उठाते आ रहे हैं जबकि नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लि. रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम में यथा परिभाषित रुग्णता के विचार क्षेत्र में आता है और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लि. को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजा जाना अपेक्षित है। बाद में उल्लिखित उद्यम विशेष के सम्बन्ध में उसके कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये सम्बद्ध प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग अथवा उद्यम के प्रबन्धन द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जानी है। किये गये कुछ उपचारी उपायों में आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का समुन्नयन, उत्पाद-मिश्र में सुधार करना, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय पुनर्गठन आदि शामिल हैं। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का सम्बन्ध है, जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार और सम्बद्ध प्रबन्धकों जिनके अधिकार क्षेत्र में यह उद्यम आता है—द्वारा उपचारी उपाय किये जाने अपेक्षित हैं।

[अनुवाद]

नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में छोटी खान

4519. डा. पी. वल्लल पेरुमाल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में प्रथम और द्वितीय खानों से जुड़ी हुई एक छोटी खान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

राजस्थान में श्रमिक दिवसों की हानि

4520. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत वर्ष हड़तालों और तालाबन्दी के कारण कितने श्रमिक दिवसों की हानि हुई;

(ख) यूनिट-वार उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां हड़ताल और तालाबन्दी हुई;

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में सामंजस्य बनाये रखने के लिए कोई कदम उठाये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह चाटीवार) : (क) राजस्थान सरकार के अनुसार वर्ष 1991 के दौरान हड़तालों तथा तालाबंदियों के कारण क्रमश: 561,562 और 75, 499 श्रम दिवसों की हानि हुई थी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने बताया है कि औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति पर औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र निगरानी रखता है और निवारक मध्यस्थता और समझौते के माध्यम से औद्योगिक विवादों को निपटाने और काम बंदी को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास करता है । 1991 के दौरान इस तंत्र द्वारा 2900 औद्योगिक विवादों को निपटाया गया और 1528 विवादों को न्याय-निर्णय के लिए भेजा गया है ।

विवरण

उन औद्योगिक इकाइयों के नाम और अवस्थिति जहां 1991 के दौरान हड़तालें और तालाबंदियां हुई ।

(क) हड़तालें

1. इलैक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जयपुर

2. ग्लोबस स्टील लि., अलवर

3. बेल पी. डब्ल्यू सर्वेज-2, जोधपुर

4. श्री सीमेंट लि., ब्यावर, अजमेर
5. नगर परिषद, ब्यावर
6. बनवाड़ा टेक्सटाइल मिल, बांसवाड़ा
7. मन्नालाल प्रेम राज खत्री, बीड़ी निर्माता सवाई माधोपुर
8. जयपुर सिन्टेक्स लि., अलवर
9. नगर पालिका, सूरतगढ़
10 राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि., बांसवाड़ा
11. ईंट निर्माता, नोहर एरिया, श्री गंगा नगर।
12. सोलन सीमेंट लक्ष्मणगढ़. सीकर
13. के. पोली प्लास्टिकस, उदयपुर
14. माही बजाज सागर, प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा
15. प्लास्टिक चुन्दी एसोसिएशन, चुरी बाजार, पाली
16. राजस्थान टेक्सटाइल मिल्ज, भवानी बाड़ी, कोटा।
17. पाड़ीवाल टेडिंग कं., जयपुर
18. हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास, जयपुर
19. राजस्थान सेन्ट्रल स्टोर, जयपुर
20. नगर परिषद उदयपुर
21. जे. सी. टी मिल्ज लि., श्री गंगा नगर
22. समस्त पावर लूम, अजमेर
23. कोल्ड स्टोल कारपोरेशन, अलवर
24. मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्ज लि. भीलवाड़ा
25. भारत उद्योग लि. भरतपुर
26. इमामी फूड प्राइवेट लि., शहाजहांपुर
27. कैपस्टन मोटर्स, जयपुर
28. जय मन्दिर सिनेमा, ब्यावर
29. महालक्ष्मी मिल्ज ब्यावर
30. बिरला शिल्प शाला, पिलानी, सीकर
31. सिरोही सीमेंट प्राइवेट लि.
32. नगर पालिका, श्री माधोपुर, सीकर

33. राजस्थान एक्सपो लेदर मिडलैंड लि. अलवर
34. बांसवाड़ा सिनटेक्स मिल
35. सांची इंजिनियर्स जयपुर
36. अरावली इम्प्लीमेंट्स प्रा. लि.
37. ओरिएन्ट एक्रीलिक लि. भिवाड़ी, अलवर
38. विकास हाई बोड्स लि., भिवाड़ी, अलवर
39. उदीपुर सीमेंट, उदयपुर
40. नगर पालिका, हिंडोन
41. लक्ष्मी मंदिर सिनेमा, जयपुर
42. राजस्थान एक्सप्लोसिव केमिकल्स, धोलपुर
43. उदयपुर पेट्रो सिन्थेटिक्स, उदयपुर
44. गायत्री सिन्थेटिक्स, भीलवाड़ा
45. मार्डन इन्सुलेटर लिमिटेड, आबू रोड, सिरोही
46. केसरिया इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., सदाड़ी, उदयपुर
47. भीलवाड़ा स्पीनर्स लि., भीलवाड़ा
48. लैंताश टाइल्स लि. भिवाड़ी, अलवर
49. राजस्थान एलॉय एंड स्टील प्रा. लि., जयपुर
50. हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स लि. (जोरवाड़ा) जयपुर.
51. राजस्थान सिन्थेटिक्स लि., वी. के. आई., जयपुर
52. ओम मारबल प्रा. लि., आबू रोड
53. टेलरिंग संस्थान, (15) भीलवाड़ा
54. समस्थ वर्धन संस्थान, ब्यावर, अजमेर
55. तिलम संघ राजस्थान, कोटा
56. नगर परिषद, जोधपुर
57. ब्रदर्स फोरमा प्रा. लि.
58. प्रकाश इन्डस्ट्रीज एंड आयल मिल, भरतपुर
59. निरोज रेस्तरां, जयपुर
60. राजस्थान मेकेनिकल वर्क्स, जयपुर
61. जे. के. टायर, ककरोली, राजसमंद

62. जेको प्लास्टर लि., भिवाड़ी, अलवर

63. सिंघवी वूलेन इन्डस्ट्री प्रा. लि., अजमेर

64. आदित्य मिल्स, किशनगढ़, अजमेर

65. अनिल स्टील, कनकपुरा, जयपुर

66. उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर

67. रिलायन्स क्रिमॉटैक्स इन्डस्ट्रीज, उदयपुर

68. राज दर्शन होटल, उदयपुर

(ख) सम्भावित

1. अनिल स्टील, कनकपुरा, जयपुर

2. जय सजिकल लि., निवाड़ी, अलवर

3. बजाज सीमेंट, डकोक उदयपुर

4. कावन सिरेमिक्स लि., अलवर

5. विकास वूलेन मिल्स लि., अलवर

6. विनोत उद्योग सूबेर, उदयपुर

7. नेशनल इंजीनियरिंग इनडस्ट्री, गुम्सी डोंक

8. चिगार सिगरेट प्रा. लि., भरतपुर

9. क्लोराकेम इन्डस्ट्रीज इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा

[अनुवाद]

कम्प्यूटर पर काम करने वाले सक्षम व्यक्तियों की कमी

4521. श्री मुकुल वासनिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम्प्यूटर पर काम करने वाले सक्षम व्यक्तियों की कमी है, और,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) यद्यपि कम्प्यूटरो मे क्षमता को दृष्टि से निम्न/मध्यम स्तर पर जनशक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उच्चतर स्तर पर कम्प्यूटर जनशक्ति की कमी है ।

(ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने वर्ष 1983 में कम्प्यूटरों के लिए जनशक्ति विकास का एक कार्यक्रम शुरू किया । इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप मे, इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर संयुक्त रूप में नए संस्थानों में

विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटर पाठ्यक्रम शुरू किये। कम्प्यूटर जनशक्ति के तेजी से विकास में एक मुख्य बाधा अध्यापकों की कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए, इलेक्ट्रोनिकी विभाग ने निम्नलिखित योजनायें शुरू की हैं :—

(i) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(ii) कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निष्णात के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम;

(iii) क्रोस माइग्रेशन योजना;

(iv) सतत् शिक्षण योजना।

भारत सरकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग के दिनांक 16 अगस्त, 1990 के संकल्प के जरिए एक योजना की भी घोषणा की है, जिसके अन्तर्गत निर्धारित गुणवत्ता तथा सेवा सम्बन्धी मानकों को पूरा करने वाले निजी क्षेत्र के कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों अर्थात ओ (आधरभूत), क (उन्नत डिप्लोमा), ख (स्नातक) तथा ग (स्नातकोत्तर) स्तर के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय निवेश

4522. श्रीमती शीला गौतम :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का वर्ष 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय निवेश प्रस्ताव सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समूचे देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार और क्रियान्वित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा का निजीकरण

4523. श्री दाऊदयाल जोशी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घाटे पर चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का निजी करण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम कब से घाटे पर चल रहा है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस घाटे के लिए उत्तरदायी कारक अपरिहार्य थे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) और (ख) किलहाम, इन्स्ट्रमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) आई. एन. के. ने, जिसने वाणिज्यिक उत्पादन 1967 से प्रारम्भ किया था, 1990-91 तक कोई प्रचालन हानि नहीं उठाई है। कम्पनी के वर्ष 1991-92 के लिए प्रचालनात्मक परिणाम, वर्ष के लेखे पूरे होने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

[हिन्दी]

गुजरात में उद्योग विहीन जिले

4524. श्री काशीराम राणा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें उद्योग विहीन जिलों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो ये औद्योगिक एकक कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) गुजरात में डांग को उद्योग रहित जिला घोषित किया गया है।

(ख) से (घ) किसी क्षेत्र का औद्योगीकरण करना मुख्यतया सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार जहां संभव होता है, राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है।

विकास केन्द्र योजना के तहत गुजरात को तीन विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं, जिनके स्थापना-स्थलों के रूप में गांधीधाम (जिला कच्छ), पालमपुर (जिला बनासकांठा) और वागरा (जिला भड़ोच) का पता लगाया गया है। चुने गये विकास केन्द्रों को औद्योगिक विकास के लिए सभी बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाएगी।

[अनुवाद]

नारियल जटा उद्योग सम्बन्धी कृषिक बल

4525. श्री के मुरलीधरन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) नारियल जटा उद्योग की प्रगति के अध्ययन करने के लिए गठित कृषिक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है, और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान नारियल जटा उद्योग के विस्तार के लिए कितनी धनराशि नियत करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) केवल राज्य योजना बोर्ड द्वारा गठित नारियल-जटा उद्योग के विशेष कृषिक बल द्वारा दिये गये सुझाव इस प्रकार हैं :—

(1) हुस्क तथा फाइबर की पर्याप्त उपलब्धता बढ़ाने हेतु उपाय;

(2) कताई क्षेत्र में श्रम उत्पादकता बढ़ाने और यार्न की गुणवत्ता के बारे में कार्यक्रम;

(3) नारियल जटा सहकारी समितियों को और अधिक कुशल तथा आर्थिक रूप से जीव्य-क्षम बनाने हेतु उपाय;

(4) विनिर्माण क्षेत्र में सुधार हेतु उपाय;

(5) निर्यात संवर्धन और आंतरिक बाजार का विकास, और

(6) अनुसंधान तथा विकास के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र ।

कॉयर बोर्ड को अपने विभिन्न कार्य-कलापों को जारी रखने के लिए बजट अनुमान 1992-93 (योजनागत तथा योजनेतर दोनों) के तहत 671 लाख रु. का प्रस्ताव किया गया है । इसके अलावा 1992-93 वर्ष के लिए नारियल जटा उद्योग की सहकारीकरण योजना के तहत 100 लाख रु. की रकम का भी सुझाव दिया गया है ।

[अनुवाद]

लिग्नाइट संसाधनों का दोहन

4526. श्री के. राममूर्ति टिंडिवनम :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु स्थित जयकोंडम के लिग्नाइट संसाधनों का दोहन करने हेतु संयुक्त क्षेत्र की विद्युत उत्पादक कम्पनी की सहायता से कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कार्य को कब तक शुरु करने की सम्भावना है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु के जयकोन्डम क्षेत्र मे लिग्नाइट के भन्डारो का दोहन किए जाने के लिए कोई योजना विन्यासित नहीं की है । किन्तु, सैद्धान्तिक रूप में, केन्द्रीय सरकार को जयकोन्डम क्षेत्र में लिग्नाइट

के भण्डारों का दोहन किए जाने, नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के बाह्य पट्टाधारी क्षेत्र में राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा विद्युत का उत्पादन किए जाने सम्बन्धी अनापत्ति की सूचना प्रेषित कर दी गई है।

[अनुवाद]

कोयला भन्डारों से कोयले की सप्लाई

4527. श्री संदीपान भगवान घोरात :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा देश में औद्योगिक इकाइयों हेतु वितरण के लिए कितने कोयला भन्डारों से कोयला सप्लाई किया जाता है;

(ख) इन भन्डारों से पिछले तीन वर्षों के दौरान सप्लाई की गई कोयले की मात्रा का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला भन्डार की मांग के आधार पर प्रत्येक कोयला भन्डार को सप्लाई की गई मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ और कोयला भन्डारों को स्थापित करने का विचार है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आवेदकों को उक्त कोयला भन्डारों को आवंटित न करने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार उनके अन्तर्गत प्रचलन में विद्यमान स्टाकयार्डों की संख्या 47 है। पिछले तीन वर्षों में वर्ष के दौरान 1989-90, 1990-91 और 1991-92(दिसम्बर1991 तक)उक्त प्रत्येक स्टाकयार्ड द्वारा कोयले की प्राप्ति सहित स्टाकयार्ड के स्थान के संबंध में और 3 वर्षों की इसी अवधि के दौरान प्रत्येक स्टाकयार्ड द्वारा प्रेषित किए गए कोयले का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्तमान स्टाकयार्ड नीति के अनुसार अब नये स्टाकयार्डों के प्रबन्धन तथा उनकी स्थापना की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों के पास निहित है। कोयला कम्पनियां इन स्टाकयार्डों को कोयले का प्रेषण किए जाने की पेशकश राज्य सरकारों द्वारा उक्त स्टाकयार्डों के पक्ष में मुहैया किए गए प्रयोजनों के अनुसार करेंगी। यह राज्य सरकारों के लिए है कि वे कोयले के स्टाकयार्डों की आवश्यकता का मूल्यांकन करें, उनकी व्यवस्था करें और उनके मामले में कोयले के संचलन का प्रायोजन भी करें।

विवरण

(टन में)

राज्य	स्थान	प्राप्ति			प्रेषण		
		89-90	90-91	91-92 (दिसम्बर तक)	88-90	90-91	91-92 (दिसम्बर तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
प. बं.	1. हावड़ा	21,776	5,869	शून्य	24,057	8,302	—
	2. शिवपुरचर	59,634	52,583	46,333	58,196	52,089	45,080
	3. मालदा	7,542	1,225	शून्य	6,778	1,140	10
	4. झारग्राम	14,769	18,156	16,604	14,086	19,806	14,980
	5. वर्द्धमान	15,302	10,459	9,888	16,155	12,744	10,710
	6. सेरामपुर	2,766	4,343	5,042	2,563	5,239	5,523
	7. कलना	4,515	5,948	7,159	4,459	5,886	7,286
	8. उलुबेरिया	62,030	49,265	51,285	62,659	47,275	50,094
	9. हावड़ा औद्योगिक (शालीमार)	29,617	46,126	40,800	34,311	44,668	39,528
	10. कल्याणी	18,119	14,972	10,484	20,798	17,303	11,863
	11. जलपाई-गुड़ी	16	शून्य	शून्य	32	52	—

12. कटवा	6,257	6,933	6,370	6,937	6,743	6 693
13. कैनिंग	8,299	2,590	शून्य	7,349	1,520	84
14. न्यू जलपाईगुड़ी	10,277	3,745	शून्य	10,536	3,382	1,934
15. 24 परगना (एस)	27,521	शून्य	शून्य	29,877	—	—
16. 24 परगना (एस)-1	21,247	15,620	5,752	22,904	15'323	5,473
17. 24-परगना (एस)-II	33,512	8,633	4,078	37,634	8,728	2,757
18. हुगली औद्योगिक-I	32,289	28,577	13,637	35,534	28,296	11,271
19. हुगली औद्योगिक-II	17,871	24,925	33,644	17,938	26,550	36,319
20- डानकुनी	39,637	34,921	17,430	44,622	37,778	14,680
21- चेतला	13,041	7,246	5,930	13,042	7,178	5,959
यू. पी.						
22. वाराणसी	5,642	शून्य	4,693	2,886	2,886	2,334
23. गोरखपुर	1,930	शून्य	शून्य	1,527	2,421	270
24. फिरोजाबाद	10,593	3,475	5,952	9,879	4,647	4,043

1	2	3	4	5	6	7	8
	25. कानपुर	1,914	3,616	158	1,997	3,357	1,518
	26. गाजियाबाद	41,282	25,281	21,833	11,160	28,853	23,568
	27. गाजियाबाद-II	11.141	20,227	10,339	12,719	20,480	18,806
	28. सहारनपुर	9,607	15,060	7,561	11,107	14,936	5,993
	29. खुरेजा	4,375	3,934	7,765	7,970	3,941	6,933
पंजाब	30. अमृतसर	5846	7956	2861	8922	4691	6125
हरियाणा	31- बल्लभगढ़	चालू नहीं		6910	—	—	5529
म. प्र.	32. इन्दौर	32053	32053	15330	33071	31252	14577
	33. भोपाल	6380	15785	12218	5647	16002	10717
	24. कटनी	8562	19698	17132	6342	20687	13367
	35. रायपुर	14810	3343	48613	11762	5662	42807
बिहार	36. हजारीबाग	50918	55278	12591	45926	57604	12730
	37. राँची	33415	39298	25434	20422	30957	27945
	38. कटिहार	चालू नहीं	2138	शून्य	चालू नहीं	955	56
उड़ीसा	39. बेरहमपुर	34121	43362	19358	33147	39541	22418

	40. राजपैला	चालू नहीं	1148	शून्य	चालू नहीं	130	410
	41. मद्रास	वही	2880	1114	तदैव	928	1793
	42. संबलपुर	वही	3000	1064	तदैव	—	718
आ. प्र.	43. तनतनेमच	6804	3803	3630	12188	3770	3087
दिल्ली	44. तुगभद्रावाद	14964	18368	16068	9988	18848	18463
कु. टी.							
महाराष्ट्र	45. कल्याणि	12029	22158	6155	13776	20312	5236
मैसूरनाड	46. मद्रास	7454	64157	9754	6915	20275	9935
	47. कोयंबतुर	चालू नहीं		1781	चालू नहीं	—	1712

[अनुवाद]

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का गठन

4528. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का गठन पिछली बार कब किया गया था,

(ख) इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा अब तक प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो पी जे कुरियन) : (क) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का गठन वर्ष 1970 में किया गया था।

(ख) ब्यूरो में एक अध्यक्ष होता है और तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं । महानिदेशक (तकनीकी विकास) तथा उद्योग मन्त्रालय के आर्थिक सलाहकार इन ब्यूरो के पदेन सदस्य होते हैं।

(ग) ब्यूरो ने 686 रिपोर्टें प्रस्तुत की है।

[हिन्दी]

तेन्दु पत्तों के अधिक मूल्य के कारण बीड़ी की फैक्टरियां बन्द होना

4529. श्री सुरजभानु सोलंकी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश द्वारा अन्य राज्यों को तेंदू के पत्तों की सप्लाई अधिक मूल्य में किए जाने के कारण बीड़ी की बिक्री कम हो गई है और इसके परिणामस्वरूप बीड़ी की विभिन्न फैक्टरियां बन्द हो रही हैं तथा लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।

(ख) क्या सरकार ने इसके पुनर्रोजगार के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का बन्द पड़ी बीड़ी फैक्टरियों को पुनः खोलने के लिए तेंदू पत्तों के मूल्यों में कमी लाने का विचार है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह चामलिंग)। (क) इस बात का कोई प्रमाण

नहीं है कि तेन्दु पत्ता की ऊंची कीमतों से बीड़ी की बिक्री पर प्रभाव पड़ा है और न ही इस कारण से बीड़ी कारखानों के बन्द होने की कोई सूचना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेन्दु पत्तों का मूल्य निर्धारण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों की राजधानियों का विकास

4530. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों की राजधानियों के विकास के लिए राज्यों को धन देने का है, और

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान राजस्थान की राजधानी जयपुर के विकास के लिए राजस्थान सरकार को कितना केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा और नागालैंड जैसे कतिपय पूर्वोत्तर राज्यों को राज्य राजधानी परियोजनाओं के लिए जाँच कार्य और उपयुक्त घटकों का सिफारिश करने के लिए गृह मन्त्रालय में एक समिति गठित की गई है।

(ख) उपयुक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

4531. श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

4532. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकारियों के कार्यकरण के बारे में क्या दृष्टिकोण है;

(ख) उपभोक्ताओं के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए कोई से कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या व्यापारियों को उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति शिक्षित करने हेतु कोई कार्यक्रम चलाने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन-अहमद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठित कर ली हैं। देश भर में 28 राज्य आयोगों तथा 300 जिला मंचों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत काम करना आरम्भ कर दिया है। यह तंत्र उपभोक्ता शिकायतों पर कारगर प्रतितोष प्रदान कर रहा है।

(ख) सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू किया है, जो 1.7.1987 से प्रभावी हो चुका है। तब से लोगों को इस अधिनियम के बारे में जानकारी देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा साहित्य का प्रकाशन, जो निःशुल्क वितरित किया जाता है, करना शामिल है। दूरदर्शन एक पाक्षिक कार्यक्रम "संरक्षण उपभोक्ता का" प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में उपयोगी सूचना प्रसारित की जा रही है। दूरदर्शन/आकाशवाणी समय-समय पर इस विषय पर विशेष कार्यक्रम चलाते हैं। इसके अलावा, कुछ श्रव्य-दृश्य सामग्री भी तैयार की गई है, जो राज्यों को वितरित की गई है।

(ग) और (घ) व्यापारियों तथा विनिर्माताओं की एसोसिएशनों को केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। यद्यपि व्यापारियों के लिए अलग से कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं, तथापि जब भी उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित अधिवेशनों आयोजित की जाती हैं तो उनमें उन्हें शामिल किया जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में भागवतुला धर्मार्थ न्यास द्वारा प्रौद्योगिकियों का विकास

4533. श्री नवल किशोर राय :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागवतुला धर्मार्थ न्यास, विशाखापत्तनम के ग्रामीण क्षेत्र में "एडेडो स्टिचिंग, डेप बीडिंग, बढ़ईगिरी वेल्डिंग, मुर्गी-पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और अन्तरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों की आय पर इनके क्या प्रभाव होंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसे समान उद्यमों को बढ़ावा देने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) स्वयंसेवी संगठनों को लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) जो कि इस मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वाययशासी धर्मार्थ न्यास को उल्लिखित किन्हीं गतिविधियों हेतु कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है ।

(ग) और (घ) कापार्ट ने भागवतुला धर्मार्थ न्यास को इन क्षेत्रों में 4 परियोजनायें स्वीकृत की हैं (1) आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाना (2) स्वच्छ पेयजल की सप्लाई (3) समन्वित खेती तथा नमक का उत्पादन और (4) बैलगाड़ी का डिजाइन तैयार करना और प्रचार करना ।

[अनुवाद]

कोयला उत्पादन

4534. श्री के. पी. रेड्डया यादव :

श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष कोकिंग कोयले का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) उत्पादन और मांग के बीच कितना अन्तर रहा;

(ग) प्रत्येक वर्ष कोकिंग कोयले के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई, और

(घ) कोकिंग कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) समेकित उपक्रम संबंधों के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

(मि. टन)

वर्ष	धुला कोककर कोयला		
	अनुमानित	उत्पादन	अन्तराल
1988-89	16·10	11.79	4.31
1989-90	15.31	11.12	4.19
1990-91	16.08	11.19	4.89

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	अनुमानित कीमत (एफ. ओ. बी. के मूल्यों के आधार पर) (मिलियन अमरीकी डालर)
1988-89	227
1989-90	243
1990-91	310

(घ) अन्य बातों के अलावा कोककर कोयले की देशीय उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) मौजूदा खानों के पुनर्गठन और नई खानों के विकास के द्वारा कच्चे कोककर कोयले उपलब्धता में वृद्धि किया जाना ।

(2) गुणवत्ता को देखते हुए 1984-85 वाशरियों से असंयोजित कोककर कोयले के स्रोतों की पुनः स्थापना किया जाना ।

(3) मौजूदा धुलाई क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए दो नई वाशरियों, मधुबंध और केंडला में प्रत्येक, को चालू करना ।

(4) एलतेकर समिति की सिफारिशों के अनुपालन से मौजूदा कोककर कोयला वाशरियों को संशोधित करना ताकि क्षमता उपयोगिता और धुले कोककर कोयले की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके ।

(5) मेघालय और असम में कोककर कोयला खानों का पता लगाया गया है ताकि कम राख वाले कोककर कोयले को अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके ।

इन उठाए गये कदमों के क्रियान्वयन से इस्पात संयंत्रों द्वारा कोककर कोयले के आयात में संभवतः धीरे-धीरे कमी आ जाने की संभावना है ।

[हिन्दी]

राजस्थान में आवास योजनाएं

4535. श्री कुंजी लाल ।

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति और वित्तीय सहायता हेतु कुछ आवास योजनायें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजनाओं को स्वीकृति दे दी है, और

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक योजना को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता हेतु राजस्थान सरकार से कोई शहरी आवास योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, औद्योगिक नगर भिवाड़ी में स्कूल औषधालय, वाणिज्यिक परिसर, स्टेडियम, बस टर्मिनल आदि जैसी अन्य मूलभूत सुविधाओं सहित विभिन्न आकार के 7391 भूखण्डों के विकासार्थ एक एकीकृत विकासी योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) योजना बोर्ड को अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा 3652 लाख रु. की अनुमानित लागत की परियोजना अनुमोदित तथा स्वीकृत की गई थी जिसमें से 1632 लाख रु. 4 वर्ष की अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा उपलब्ध किये जायेंगे।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी के बारे में समाचार

4536. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री पीयूष तोरकी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं के साथ कथित धोखाधड़ी किए जाने की ओर आकर्षित किया गया है जैसाकि दिनांक 13 जनवरी, 1991 के जनसत्ता में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन चल रही गैर-सरकारी हार्ड कोक भट्ठियों की संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) उक्त भट्ठियों को चलाने वाली कम्पनियों के नाम और उनका ब्यौरा क्या है तथा गैर-सरकारी भट्ठियां चलाने के ठेके किन-किन शर्तों पर दिए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) भा. को. को. लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न कोलियरियों विभिन्न ग्रेडों के कोयले को और विभिन्न सीमों से भा. को. को. लि. के हार्ड कोक ओवन/कोक संयंत्रों को आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार भा. को. को. लि. में चलाये जा रहे सभी हार्ड कोक ओवनों में डब्ल्यू-I ग्रेड के कोयले से कोयले का मिश्रित ग्रेड इकट्ठा किया जाता है। तदनुसार सभी हार्ड को प्रेषणों पर समान रूप से हार्ड कोक की रायल्टी दी जाती है और इस सम्बन्ध में भा. को. को. लि. के अधीन चलाए जा रहे प्राइवेट कोक ओवन, जिसमें प्रमुख ट्रेडर्स शामिल हैं, के साथ कोई विभेद नहीं किया जाता है।

प्रमुख ट्रेडर्स ही हार्ड कोक के एक प्राइवेट फर्म है, जो कि भा. को-को. लि. के अधीन कार्य कर रही है। निम्नलिखित शर्तों के अधीन संविदा दी गई है :—

(1) पिट हैड के ग्रेड मूल्य पर भा. को. को. लि. द्वारा हार्ड कोक के निर्माताओं को कच्चे कोयले की आपूर्ति की जाएगी।

(2) इस प्रकार प्राइवेट पार्टियों द्वारा निर्मित किया गया हार्ड कोक भा. को. को. लि. द्वारा बेचा जाएगा।

(3) भा. को. को. लि. को हार्ड कोक की बिक्री मूल्य पर 6.1 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होगा।

(4) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कोयले की कीमत और कमीशन, हार्ड कोक की हुई बिक्री से वसूल किया जाएगा।

[हिन्दी]

सरिता विहार में फ्लेट के बढ़े हुए मूल्य

4537. श्री वी. एस. शर्मा "प्रेम" :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय।

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) पांचवीं स्वचित्त पोषी योजना के अन्तर्गत सरिता विहार में तृतीय श्रेणी के फ्लेटों की, जिनका ड्रा जनवरी, 1991 में निकाला गया था, मूल लागत कितनी है;

(ख) भूमि की कीमत में बढ़ोतरी के नाम पर फ्लैट धारकों से मूल लागत से कई गुना राशि मांगे जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसके विरुद्ध फ्लैट धारकों और संसद सदस्यों से कितने प्रतिवेदन मिले हैं और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) स्वचित्त पोषित फ्लैटों के आबंटन जनवरी, 1991 में कोई ड्रा आयोजित नहीं किया गया था।

(ख) विकास प्रभारों, भूमि सुरक्षा, वृद्धित सुधारजे आदि की लागत में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप भूमि की लागत में हुई बढ़ोतरी के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है।

(ग) फ्लैटों की लागत में वृद्धि के विरुद्ध प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता। फ्लैटों की लागत में वृद्धि के कारण उपर्युक्त अंश (ख) के उत्तर में दिए गये हैं।

[अनुवाद]

भूमि विवाद से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में एक न्यायाधिकरण का गठन

4538. श्री रामनिहोर राम।

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के दक्षिण क्षेत्र में भूमि विवादों को निपटाने के लिए हाल ही में एक न्यायाधिकरण गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों को निपटाया गया है;

(ग) इस न्यायाधिकरण के पास इस समय कितने मामले लम्बित पड़े हैं, और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन मामलों को निपटाने हेतु न्यायाधिकरण को क्या विशेष निर्देश जारी किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

अनुबन्ध

हरियाणा के शहरों में पेयजल की सप्लाई

4539. श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार से शहरों में पेयजल की भारी कमी विश्व बैंक की सहायता से दूर करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. [illegible]) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों द्वारा परिवहन राज सहायता की मांग

4540. श्री [illegible] :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परिवहन राज सहायता योजना हेतु वार्षिक क्या मांग है और पांच तीन वर्षों के दौरान इनसे कितने दावे प्राप्त हुए और राज्य/संघ क्षेत्र-वार उनके दावों के लिए इस अवधि के दौरान कितनी राज सहायता जारी की गई है, और

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितनी बकाया राशि संचित है और सरकार का इस शेष राशियों को कब तक जारी करने का विचार है ?

उत्तर मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान प्राप्त दावों और राज्यवार प्रतिपूर्ति की गई राशि सम्बन्धी ब्यौरे विवरण

क्रमश: विवरण-I और II में दिये गए हैं। लंबित पड़े प्रतिपूर्ति के दावे विवरण-II में दिए गए हैं। ज्योंही धनराशि उपलब्ध होगी इन दावों में से पात्र दावों की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

विवरण-I

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1989-90	1990-91	1991-92 (20 मार्च 1992 तक)
1.	असम	1188.09	1090.47	182.11
2.	हिमाचल प्रदेश	443.74	617.27	285.74
3.	जम्मू व कश्मीर	149.31	273.31	211.31
4.	मणिपुर	6.57	45.74	—
5.	मेघालय	36.75	65.21	—
6.	नागालैंड	—	326.57	200.00
7.	सिक्किम	120.95	47.13	196.76
8.	त्रिपुरा	31.25	26.28	25.42
9.	उत्तर प्रदेश	103.44	106.21	100.91
10.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	144.95	124.05	279.15
12.	अरुणा प्रदेश	218.68	257.13	—
13.	मिजोरम	24.92	—	—
14.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—
	योग	2468.55	2979.47	1481.40

विवरण-II

परिवहन राजसहायता योजना के तहत की गई राज्यवार प्रतिपूर्ति की राशि

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1989-90	1990-91	1991-92 20 मार्च 1992 तक
1	2	3	4	5
1.	असम	126.86	1604.90	513.98

1	2	3	4	5
2.	हिमाचल प्रदेश	660.00	513.04	30.80
3.	जम्मू और कश्मीर	136.72	252.84	71.34
4.	मणिपुर	1.28	16.78	—
5.	त्रिपुरा	26.52	57.86	—
6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.95	152.51	57.81
7.	अरुणाचल प्रदेश	15.70	212.71	—
8.	उत्तर प्रदेश	84.60	106.94	18.58
9.	सिक्किम	99.12	66.64	52.33
10.	मेघालय	38.74	20.27	—
11.	नागालैंड	223.51	217.32	205.73
12.	मिजोरम	—	23.58	—
13.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
14.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—
	योग :	1500.00	3275.39	950 57

विवरण-III

20 मार्च, 1992 को परिवहन राजसहायता योजना के तहत राज्यवार संवित पड़े दावों के विवरण।

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	राशि (रुपये करोड़ में)
1	2	3
1.	असम	1.99
2.	हिमाचल प्रदेश	3.96
3.	जम्मू और कश्मीर	1.48
4.	मणिपुर	0.34
5.	नागालैंड	3.31
6.	मेघालय	0.22
7.	सिक्किम	1.44

1	1	3
8.	उत्तर प्रदेश	1.18
9.	पश्चिम बंगाल	—
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.79
11.	अरुणाचल प्रदेश	3.31
12.	लक्षद्वीप	—
13.	त्रिपुरा	0.25
14.	मिजोरम	0.26
	योग :	20.53

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश सूखा प्रवण क्षेत्र, प्राधिकरण

4541. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सूखा ग्रस्त क्षेत्र प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण का कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने 1028.17 करोड़ रुपये का कुल लागत से एक प्रायोजित परियोजना के रूप में अनंतपुर जिले के लिए एक सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया है, जिसमे सूखाग्रस्त क्षेत्र का प्रशासन 406.20 करोड रुपए बनता है। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमो के कार्यान्वयन हेतु तंत्र (मशीनरी)तथा विभिन्न कार्यक्रमो के संसाधन जुटाने के बारे में निर्णय राज्य सरकार को ही लेना है। चूंकि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए वर्ष 1992-93 हेतु वार्षिक आवंटन को 1991-92 के स्तर पर ही रखा गया है अतः अनंतपुर जिले के लिए मानदण्डो के तहत अनुमेय राशि से अधिक निधियों का आवंटन करना संभव नही होगा तथा प्रस्तावित प्राधिकरण के प्रशासन के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के वार्षिक आवंटन का 10 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक निधियां उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बेलंगीर की शहरी जल आपूर्ति योजना

4542. श्री भरत चन्द्र पटनायक :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा में बोलंगीर की शहरी जल आपूर्ति योजना का वित्त पोषण करने का विचार है;

(ख) यदि हां तो क्या "हुडको" ने अब तक परियोजना का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि, उड़ीसा सरकार ने बोलंगीर सहित बहुत से नगरों में जल आपूर्ति स्कीमों के संवर्धन के लिए हुडको से ऋण सहायता मांगी है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग से हुडको द्वारा कुछ प्रश्नों के बारे में मांगे गए स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद नहीं भेजे गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधिकया के अनुसार हुडको ऋण सहायता के लिए नगरों पर विचार किया जाना है।

[अनुवाद]

कामकाजी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए होस्टल

4543. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्य कर रही महिलाओं एवं पुरुषों के लिए नये होस्टलों का निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दिल्ली में 31 दिसम्बर, 1993 तक काम काजी महिलाओं के होस्टल में निवास करने के लिए दिए गए विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) पटौदी हाउस में एक साधारण पुल होस्टल और काम काजी महिलाओं के कस्तूरबा गांधी मार्ग के होस्टल के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में लागू भवन निर्माण विनियमों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) 20 आवेदन पत्र।

[अनुवाद]

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकरण

4544. श्री हरिन पाठक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में ऐसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पता लगाया

है जिनका कार्यकरण गत तीन वर्षों के दौरान सन्तोषजनक नहीं रहा है अथवा जो घाटे पर चल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में स्थित पंजीकृत कार्यालयों वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यमों में से एक नामतः नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (गुजरात) लिमिटेड गत तीन वर्षों के दौरान निरन्तर घाटा उठाता रहा है। उद्यम विशेष के संबंध में इसके कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय अथवा उद्यमके प्रबंधक द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। उठाये गये कुछ कदम हैं आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का समुन्नयन, उत्पाद मिश्र में सुधार करना, उत्तम का वित्तीय तथा प्रबन्धकीय पुनर्गठन करना आदि। इस उद्यम को संशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजा जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

नई औद्योगिक नीति की आलोचना

4545. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी नई औद्योगिक नीति की व्यापक आलोचना की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो नई औद्योगिक नीति की आलोचना की मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या सरकार का नई औद्योगिक नीति को पुनरीक्षा करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी जे कुरियन) : (क) से (घ) जुलाई, 1991 में नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद, संसद तथा प्रेस में इस पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। नयी नीति के पक्ष में व्यापक रूप से मतैक्यता रही है। अभी तक नई नीति के प्रति प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही है। अतः नयी नीति की फिर से समीक्षा करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूरों की छंटनी

4546. श्री रतिलाल वर्मा

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कार्यरत मजदूरों की छंटनी करने की अनुमति देने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार को मजदूरों की छंटनी करने की कोई मांग या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) से (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधान सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर सरकारी क्षेत्र के एककों पर समान रूप से लागू होते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में कतिपय परिस्थितियों में कामगारों की छंटनी के लिये आवश्यक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही यह किया जा सकता है। सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैसर्स खनिज गवेषण लिमिटेड ने विभिन्न परियोजनाओं में कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है। मैसर्स पारादीप फास्फेट लिमिटेड, भुवनेश्वर, उड़ीसा तथा मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखपत्तनम, आन्ध्र प्रदेश ने क्रमशः 70 तथा 35 कामगारों की छंटनी करने के लिए राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारियों से अनुमति मांगी है।

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम का उल्लंघन

4547. श्री चित्त बसु :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान योजना आयोग के एक ग्रुप के गहन अध्ययन की ओर दिलाया गया है जिसने मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम का गम्भीर रूप से उल्लंघन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जाति के कल्याण और विकास के लिए गठित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में कुछ राज्यों द्वारा बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के कुछ उल्लंघन के बारे में कुछ टिप्पणियां की है। बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 197- के अधीन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वासित करने का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करें। इस संबंध में हुई प्रगति को मासिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से मानिटर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायित कृषि पर आधारित उद्योग

4548. श्री ब्रह्मारेड्डी वेंकटेश्वरलू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग आंध्र प्रदेश में कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायित उद्योगों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने इन उद्योगों को कितनी धनराशि दी है और क्या यह वसूली समय सारणी के अनुसार हुई थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) के. वी. आई. सी. आन्ध्र प्रदेश सहित देश में कृषि पर आधारित ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय सहायता दे रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, आंध्र प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकलाप के अन्तर्गत कृषि पर आधारित निम्नलिखित उद्योग प्रायोजित किये गये हैं :—

1. मधुमक्खी पालन
2. खानी तेल
3. गन्ने से गुड़ तथा खांडसारी
7. ताड़ गुड
5. अनाज तथा दाल प्रसंस्करण उद्योग
6. वन्य पौधों व फलों का एकत्रीकरण
7. फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण
8. कंयर के अलावा फायबर

1990-91 के दौरान आंध्र प्रदेश में उक्त उद्योगों हेतु के. वी. आई. सी. ने 494.20 लाख रुपये की निधियां वितरित कीं।

[अनुवाद]

भूमिगत कोयला क्षेत्रों में अग्नि शमनकार्य

4549. श्री प्रतापराव जी. भोंसले :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कोयला पट्टी में भूमिगत कोयला क्षेत्रों में अग्निशमन कार्यों हेतु विश्व बैंक से धनराशि देने का अनुरोध किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की कोयला खानों में लगी आगों पर नियन्त्रण करने के लिए अमरीका से कोयला खानों के विशेषज्ञों के एक दल को आमंत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या इन उपायों का उद्देश्य आठवें पंचवर्षीय योजना में चल रही कोयला खानों का कोयला उत्पादन पूरा करना है,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) झरिया कोयला क्षेत्र में आगों पर नियन्त्रण पाने/उन्हें बुझाने के लिए संभाव्य वित्तीय पोषण प्रदान किए जाने का एक प्रस्ताव विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था। मिशन मिशन के दौरे के दौरान, विश्व बैंक के दल ने सबसे पहले झरिया की आगों का निदान किए जाने सम्बन्धी अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा।

(ग) से (छ) सरकार ने देश की कोयला खानों में आगों पर काबू पाने के लिए अमरीका से किसी विशेषज्ञ दल को आमंत्रित नहीं किया है। यद्यपि चार खनन इन्जीनियरों का एक दल नवम्बर 1991 के दौरान अमरीका भेजा गया ताकि झरिया कोयला क्षेत्रों में मौजूदा आगों को पूर्णतया बुझाने का उचित प्रौद्योगिकी का पता लगाया जा सके। दल ने निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों का पता लगाया है जिन्हें झरिया कोयला क्षेत्रों की आगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(1) तापीय मलबे और कोयले के उत्खनन के परिणामस्वरूप लगी आग को बुझाने के लिए बलीय प्रवाहन का प्रयोग करना।

(2) उच्च तापीय परिस्थितियों के अन्तर्गत ड्रिलिंग करना।

(3) बोर होल्स के जरिए फोम्स का इन्फ्यूजन।

(4) क्षेत्र को सुदृढ़ीकृत करने और कूप को सिमेंट किए जाने के लिए विस्तृत स्वरूप की अर्थ-स्लरी।

उपर्युक्त प्रौद्योगिकियों के आधार पर आगों पर प्रभावी रूप से काबू पाने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा एक विस्तृत कार्य आयोजना तैयार की गई है।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

4550. श्रीमती कुन्तेन्द्र कौर (दीपा):

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दे रही है,

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उन क्षेत्रों में स्वदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) 24 जुलाई 1991 को संसद के दोनो सदनों में रखे गए औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में भारत के अन्दर प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत पहल सम्बन्धी उपायों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है, आशा है कि इससे तकनीकों जी अंतरण होगा, विपणन विशेषज्ञता आयेगी, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों का पदार्पण होगा तथा निर्यात संवर्धन के लिए नई,नई संभावनायें जन्म लेंगी ।

नई औद्योगिक नीति में उन विशिष्ट उपायों का भी उल्लेख हैं जिनसे औद्योगिक क्षेत्र में स्वदेशी पूंजी विवेश के भी बढ़ने की आशा की जा सकती है । इन उपायों में औद्योगिक लाइसेंसों की समाप्ति, एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अधीन निवेश पर लगी पाबंदी को हटाना तथा तकनोलोजी अंतरण, पूंजीगत सामान व कच्चे माल आदि के आयात हेतु नीति और प्रक्रियाओं को बनाना शामिल है ।

[हिन्दी]

राज्यों के भूमि सम्बन्धी रिकार्डों के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग

4551. श्री राम सागर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों को भूमि सम्बन्धी रिकार्डों के अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण रख-रखाव हेतु कम्प्यूटरो के प्रयोग के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटराकरण की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए 19 राज्यों में प्रत्येक को 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है ।

[अनुवाद]

रोजगार के अवसरों का सृजन

4552.. श्री ललित उरांव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कोई समेकित योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) से (ग) दिल्ली की परिधि के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए मजदूरी रोजगार के प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं क्योंकि दिल्ली में विभिन्न योजना और गैर-योजना कार्य किए जा रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन ने ग्रामीण गांवों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें विकसित करने के लिए 'ग्रामीण गांवों का समन्वित विकास' नामक एक योजना का प्रस्ताव किया है। योजना जिसका 1992-93 में प्रस्तावित परिव्यय 4.16 करोड़ रु. है, में विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है जैसे घरेलू उद्योग, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, सामुदायिक आवास सुविधाएं, वनोरोपण, वाणिज्यक केन्द्र और आधारभूत ढांचा सुविधाएं।

[अनुवाद]

केरल के कोट्टायम तथा एरणाकुलम जिलों में जल की सप्लाई

4553. श्री पी. सी. आनंद :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक या विदेशी एजेन्सियों की सहायता से केरल के कोट्टायम तथा एरणाकुलम जिलों में जल की सप्लाई हेतु कौन-कौन सी योजनाएं शुरु की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं का कार्य किस अवस्था में हैं और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, और

(ग) भविष्य में शुरु की जाने वाली योजनाएं कौन सी हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) केरल सरकार द्वारा अग्रेषित की गई सूचना के अनुसार विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केरल जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना के तहत कोट्टायम तथा एरनाकुलम जिलों में आरम्भ की गई जल आपूर्ति स्कीमों के पूरे हुए कार्य का प्रतिशत और पूरा होने की प्रत्याशित तारीख इस प्रकार है।—

स्कीम का नाम	पूरे हुए कार्य का%	पूरा होने की प्रत्याशित तारीख
कोट्टायम उप-नगर पंचायत	80	दिसम्बर, 1994
पूर्वकुन्नम तथा निकटस्थ पंचायतें	87	जून, 1992
वृहत्तर कोचीन विकास क्षेत्र	63	मार्च, 1994

(ग) कोट्टायम जिले के लिए कोई अतिरिक्त प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एर्नाकुलम जिले में विश्व बैंक सहायता के लिए एक पृथक परियोजना के तहत् कोचीन निगम के लिए जल आपूर्ति सुधार का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

कोयला आवंटन को युक्तिसंगत बनाना

4554. श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कोयले का आवंटन युक्तिसंगत बनाने का है,

(ख) यदि हां, तो क्या गैर सरकारी क्षेत्र में छोटी और मझोले आकार की इकाइयों को कोयले की सप्लाई करने वाली बड़ी योजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है,

(ग) यदि हां, तो क्या समस्याओं को हल करने के लिए 23 दिसम्बर, 1991 को कोयला प्रतिनिधियों और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई बैठक हुई थी,

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उनके अनुरोध से सहमत नहीं हुई,

(ङ) यदि हां, तो क्या कोयले के आवंटन को युक्तिसंगत बनाने की योजना में कोई परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (च) उपभोक्ताओं को अधिकतम संतोषप्रदता प्रदान किए जाने के लिए मांग और आपूर्ति का परिवर्तन पद्धति में समायोजन किए जाने के प्रयोजन से कोयले की वितरण नीति की समय-समय पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता होती है। ऐसी समीक्षाएं अपेक्षानुसार की जाती हैं और ऐसी समीक्षाओं को किए जाने के सम्बन्ध में किसी समय सीमा का और समीक्षाओं के परिणामस्वरूप हुए परिवर्तनों का उल्लेख किया जाना सम्भव नहीं है। कोयले की वितरण नीति में सुधार किए जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर बैठकों में विभिन्न कोयला उपभोक्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। उपभोक्ताओं के साथ ऐसी ही एक बैठक दिनांक 23.12.1991 को की गई थी। इस बैठक में व्यक्त किए गए विचारों को नोट कर लिया गया है।

[अनुवाद]

सीमेंट कम्पनियों द्वारा संघ बनाया जाना

4555. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 फरवरी, 1992 को फाईनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर में उल्लेख हुआ

सीमेंट कम्पनियों पर संघ बनाने का और अपनी उत्पादन क्षमता का केवल 50 प्रतिशत ही उपयोग करने का आरोप लगाया गया है,

(ख) तत्संबंधी तथ्य क्या है,

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं कि व्हाइट सीमेंट का निर्माण करने वाली कंपनियों की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) एम. आर. टी. पी. आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है ।

(घ) सफेद सीमेंट एक लाइसेंस मुक्त मद है तथा इसके उत्पादन का निर्धारण मांग की स्थिति से किया जाता है ।

1992-93 के बजट में सफेद सीमेंट पर मूल उत्पाद शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 35% कर दिया गया है ।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास दर

4556. श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 1991 और 31 मार्च, 1992 के बीच औद्योगिक उत्पादन की कुल विकास दर कितनी रही,

(ख) किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों में विकास दर ऊंची रही,

(ग) किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों में विकास दर कम रही, और

(घ) सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान औद्योगिक विकास दर में सुधार के लिए क्या उपाय किये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कूरियन) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीक संगठन द्वारा यथा संकलित औद्योगिक उत्पादन के नवीनतम सूचकांक के अनुसार, अप्रैल-नवंबर, 1990 की तुलना में अप्रैल-नवंबर 1991 के दौरान समग्र विकास दर -0.8 प्रतिशत थी ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) औद्योगिक नीति के संबंध में सरकार ने एक वक्तव्य दिया है जिसे 24 जुलाई, 1991 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था । नयी औद्योगिक नीति का लक्ष्य सरकारीतंत्र के कारण होने वाले विलंबों को दूर करके और नियंत्रणों में कमी करके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना है । केन्द्रीय बजट 1992-93 में घोषित अनेक नीति सम्बन्धी उपाय औद्योगिक विकास में वृद्धि

करने की दृष्टि से किये गये हैं। इस प्रकार, रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता, पूंजीगत मालों पर शुल्क की कमी और संक्षिप्त मेगेटिव सूची को छोड़कर अन्य मदों के संबंध में आयात लाइसेंस को समाप्त करने जैसे उपायों से कच्चा माल/उपकरण आदि आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे जबकि कानूनी ऋण शोधन अनुपात में कमी तथा ब्याज दर में कमी जैसे उपायों से औद्योगिक विकास के लिए कम लागत पर आसानी से धन सुलभ हो सकेगा।

विवरण

कोड ग्रुप	उद्योग ग्रुप	वजन	विकास दर प्रतिशत अप्रैल-नवम्बर, 1991/ अप्रैल-नवम्बर, 1990
1	2	3	4
20—21	खाद्य उत्पादों के विनिर्माता	5.327	1.5
22	मदिरा, तंबाकू तथा तंबाकू-उत्पाद विनिर्माता	1.571	9.3
23	सूती वस्त्र विनिर्माता	12.309	2.6
25	जूट, हेम्प तथा मेस्टा वस्त्र विनिर्माता	1.998	1.8
26	वस्त्र उत्पाद विनिर्माता-अन्य	0.817	-2.9
27	काष्ठ तथा काष्ठ उत्पाद विनिर्माता	0.448	-1.5
28	कागज तथा कागज उत्पाद विनिर्माता	3.325	5.6
29	चमड़ा तथा पशुलोम उत्पाद विनिर्माता	0.489	-5.2
30.	रबड़ प्लास्टिक इत्यादि विनिर्माता	4.000	-2.4
31	रसायन तथा रसायन उत्पाद विनिर्माता	12.513	1
32	गैरधातु खनिज उत्पाद विनिर्माता	2.999	8.6
33	मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग	9.802	7.9
34	धातु उत्पाद विनिर्माता	2.288	-1.6
35	गैर-विद्युत मशीनरी विनिर्माता	6.240	-2.8
36	विद्युत मशीनरी विनिर्माता	5.779	-18.2
37	परिवहन उपकरण विनिर्माता	6.386	-3.1
38	अन्य विनिर्माणकारी उद्योग विनिर्माता	0.905	-18.9

1	2	3	4
प्रभाग			
III	विनिर्माण	77.107	-2.6
I	खनन तथा खदान	11.464	-1
II	विद्युत अनिश्चण	11.429	9.2
	सामान्य सूचकांक	100.000	-0.7

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (अनंतिम)

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में भूमिगत जल-निकासी योजनाएं

4557. श्री धर्मलिंगम :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न नगर पालिकाओं में भूमिगत जल-निकासी योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

नागार्जुन सागर परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

4558. श्री धर्मलिंगम :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन सागर से हैदराबाद के लिए पेयजल लाने की परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता की मांग की गई है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यह परियोजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से जनवरी, 1992 में प्राप्त संशोधित परियोजना अभिनिर्धारण रिपोर्ट के अनुसार नागार्जुन सागर से हैदराबाद तक जल लाने के लिए परियोजना की अनुमानित लागत 640 करोड़ रुपये है। परियोजना विश्व बैंक को अभी प्रस्तुत की जानी है तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार से और स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

[अनुवाद]

वाहनों का उत्पादन

4560. श्री बापू हरि चौरे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रकार के वाहनों का विनिर्माण किया जाता है,

(ख) क्या सरकार द्वारा किसी प्रकार का गुणवत्ता नियंत्रण किया जाता है,

(ग) क्या उनकी उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य में बहुत ही अधिक अन्तर है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) देश में लगभग सभी प्रकार के ऑटोमोटिव वाहनों का विनिर्माण किया जा रहा है।

(ख) विनिर्मित वाहनों से मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप होने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) तथा (घ) ऑटोमोटिव वाहनों के मूल्यों पर कोई सैक्टरिक नियंत्रण नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में निगमों को बंद किया जाना

4561. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को राज्य के 20 निगमों को बन्द करने या उनका निजीकरण करने के संबंध में संस्तुति की है, और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) राज्य सरकार ने राज्य के किसी निगम को बंद करने अथवा इसका निजीकरण करने की औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) से कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. में कमीशन एजेंट

4462 श्री मल्लूलाल नायक :

क्या प्रधान मंत्री दिनांक 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं. 24 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन)। (क) से (ग) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स ने जानकारी प्रस्तुत कर दी है। सदन के पटल पर रखे जाने के लिए इस पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर द्वारा उत्पादन

4563. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रस्तावों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (पो. के. चुंगन) : (क) से (घ) दुर्गापुर स्थित भारत आप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड के उत्पादन को आधुनिकीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापन आदि के द्वारा बढ़ाने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। अभी कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लॉट बेचे जाना

4564. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या शहरी विकास मंत्री 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न संगठन बिना बेचे दिए जाने के संबंध में जानकारी एकत्र की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस में विलम्ब होने के कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चूंकि जांच किए जाने वाले रिकार्ड की मात्रा काफी अधिक है इसलिए यह मामला अभी जांचाधीन है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में "कोल वाशरीज" की स्थापना

4565. श्री पीयूष तीरकी :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कोल वाशरीज" स्थापित करने तथा उसमें पूंजी निवेश करने के लिए निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान निजी क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली "कोल वाशरीज" की संख्या का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन "कोल वाशरीज" की स्थापना में कोल इंडिया लि. की ओर से प्रस्तावित सहायता व प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए संगमा) : (क) से (ग) वर्तमान में कोल इंडिया लि. के प्रचालन के अन्तगत 15 वाशरियां है और 5 और वाशरियां, जिसमें हाल ही में स्वीकृत 1 वाशरी शामिल है, निर्माण के विभिन्न चरणों के अधीन है। कोयला मंत्रालय ने भी निजी पार्टी को वाशरियां, में निवेश किए जाने के लिए आमंत्रित नहीं किया है जिनकी कि कोल इंडिया लि. तथा सि. को. क्ष. लि. द्वारा भावयष में स्थापना की जानी है।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर में चेयरमैन पद पर भर्ती

4566. श्री पी. सी. थामस :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक और रसायन, ट्रावनकोर लिमिटेड केरल में चेयरमैन का पद कब से रिक्त पड़ा है; और

(ख) इस पद को को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि- (फैक्ट) के अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक का पद 24 मार्च, 1990 से रिक्त पड़ा है।

(ख) इस पद के लिये लोक उद्यम चयन बोर्ड ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राज्यों में विकास केन्द्र

4567. श्री पी. सी. थामस ।

श्री मुकुल वासनिक ।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास केन्द्रों के लिए चुने गए स्थानों का राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) इन केन्द्रों को चुनने में सरकार ने क्या मापदंड अपनाया है,

(ग) सरकार ने इन विकास केन्द्रों के विकास के लिए अब तक कितनी धन राशि जारी की है, और

(घ) इन केन्द्रों की ओर नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) से (घ) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जून, 1988 में विकास केन्द्रों की एक योजना की घोषणा की थी । सरकार इस योजना के तहत 70 विकास केन्द्र विकसित करेगी, इनमें से 64 विकास केन्द्रों के स्थापना-स्थलों का पता लगा लिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गयी है । इन विकास केन्द्रों के नाम एवं स्थापना-स्थल संलग्न विवरण में दिए गए हैं । इस नयी योजना के तहत विकास केन्द्रों के चयन हेतु अपनाये गये मानदण्ड इस प्रकार हैं : स्थापन-स्थल शहरों से दूर हों, जिला/उप-मंडल मुख्यालयों के नजदीक हों और राष्ट्रीय/राज्य मार्गों, रेल स्टेशनों, बिजली, जल-आपूर्ति, दूरसंचार, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के दायरे के भीतर हों ।

राज्य सरकारों को अब तक 24 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है ।

इन विकास केन्द्रों को विशेषत: बिजली, पानी, दूरसंचार तथा बैंकिंग इत्यादि संबंधी बुनियादी सुविधाएं दी जायेंगी ताकि ये केन्द्र उद्योगों को आकर्षित कर सकें ।

विवरण

आबंटित विकास केन्द्रों की संख्या—70

चयनित विकास केन्द्रों की संख्या—54

	विकास केन्द्र का नाम	जिला
आंध्र प्रदेश (4)		
1.	हिंदपुर	अनंतपुर
2.	खम्माम (वेमलूर मंडल)	खम्माम
3.	अंनोले	प्रकाशम
4.	विजयानगरम बोब्बिली	विजयानगरम

असम (3)

5.	जखलाबंद	नौगांव
6.	रंगजुली	गोलपाड़ा

बिहार (6)

7.	भागलपुर	भागलपुर
8.	हजारीबाग	हजारीबाग
9.	औरंगाबाद	औरंगाबाद
10.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
11.	पूर्णिया कस्बा	पूर्णिया

गोवा (1)

12.	[illegible]	[illegible]

गुजरात (3)

13.	[illegible]	[illegible]
14.	पालनपुर	बनासकंठा
15.	डाहरा	भड़ौच

हरियाणा (2)

16.	बावल	महेन्द्रगढ़
17.	जुलाना	जींद

हिमाचल प्रदेश (1)

18.	कांगड़ा	कांगड़ा

जम्मू और कश्मीर (2)

19.	गंदेरबाल	श्रीनगर
20.	सम्बा	जम्मू

कर्नाटक (3)

21.	धारवाड़	धारवाड़
21.	गिल्लेसुगुर	रायचूर
23.	हुबली	हुबली

केरल (2)

24.	केरटल्लाई	एर्नेप्पी
25.	तेल्लीचेरी	कन्नानोर

मध्य प्रदेश (6)

26.	बोराई	दुर्ग
27.	चैनपुरा	गुना
28.	छिरौंगी	भिण्ड
29.	छेड़ा	धार
30.	सतंलापुर	रायसेन
31.	सिलतांत्त	जयपुर

महाराष्ट्र (5)

32.	अकोला	अकोला
33.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
34.	धुले	धुले
35.	नांदेड़	नांदेड़
36.	रत्नागिरि	रत्नागिरि

मणिपुर (1)

37.	फंरनाटोंगबि	सेनापति

नागालैंड (1)

38.	दीमापुर	कोहिमा

उड़ीसा (4)

39.	छत्रपुर	गंजम
40.	छिपलिमा	सम्बलपुर
41.	चौधवार	कटक

पांडिचेरी (1)

42.	करायकल	पांडिचेरी

पंजाब (2)

43.	भटिंडा	भटिंडा
44.	पठानकोट	गुरदासपुर

राजस्थान (5)

45.	आबुरोड़	सिरोही
46.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
47.	बीकानेर	बीकानेर
48.	झालावाड़	झालावाड़
49.	धौलपुर	धौलपुर

तमिलनाडु (3)

50.	इरोड़	पेरियार
51.	माइलादुथुराई पूम्पुहार	तंजावुर
52.	तिरुनेल्वेली (गंगाईकोन्डन तालुक ब्लाक)	तिरुनेल्वेलि-कट्टाबोमन

त्रिपुरा (1)

53.	चम्मामुरा-जोगिन्दरनगर मुले नगर	पश्चिम त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश (8)

54.	बबीना बुजुर्ग	झांसी
55.	बनवारा	शाहजहांपुर
56.	बोचरपुर	मुरादाबाद
57.	बिबियापुर	इटावा
58.	खुर्जा	बुलन्दशहर
59.	मुंगरा-सपारिया	जौनपुर
60.	सहजनवा	गोरखपुर
61.	शिवराजपुर-पदमपुर	पौड़ी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल (3)

62.	दुबराजपुर	बीरभूम
63.	जलपायगुड़ी	जलपायगुड़ी
64.	मालदा	मालदा

** प्रत्येक राज्य के सामने दर्शाये गये कोष्ठकों में आंकड़े उस राज्य के लिए आवंटित विकास केन्द्रों की संख्या बताते हैं।

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्ति पर

4568. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी विभाग प्रतिनियुक्ति पदों का विज्ञापन रोजगार समाचार पत्र में नहीं देते हैं लेकिन परिपत्र जारी करते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रतिनियुक्ति पद के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सभी प्रतिनियुक्ति पद रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से परिचालित किए जायें जिससे ऐसे प्रतिनियुक्ति पदों में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को मौका मिल सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 3 अक्तूबर, 1989 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-14017/7/89-स्था. (आर. आर.) के द्वारा अनुदेश जारी किए हैं कि प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा पदों को भरने के लिए रिक्ति का परिपत्र अनिवार्यः रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जाना चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को इस अनुदेश का पालन करना होता है। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, विभाग के लिए इस बात की जांच करना व्यवहार्य नहीं है कि क्या इस नीति को क्रियान्वित किया जा रहा है। जब कोई विशिष्ट प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

सांसदों द्वारा मन्त्रिपरिषद को भेजे गये पत्र

4569. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1991 से लेकर आज तक प्रधान मंत्री को कितने पत्र प्राप्त हुए और उन्होंने कितने पत्रों का उत्तर दिया;

(ख) कितने पत्रों के उत्तर लंबित पड़े हैं और बाकी पत्रों के उत्तर न दिए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) बाकी पत्रों के उत्तर दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ख) प्रधान मंत्री को 1.7.1991 से 29.2.1992 तक सांसदों से 6412 पत्र प्राप्त हुए। इनमें से प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा 1477 पत्रों पर कार्रवाई करना अपेक्षित था। उनमें से 839 पत्र निपटा दिए गए तथा 638 लंबित पड़े हैं। लंबित मामलों को निपटाने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों तथा संबंधित व्यक्तियों से जानकारी मांगी गई है।

इसके अतिरिक्त, कुछ पत्र इस प्रकार के होते हैं जो पूरी तरह से नेमी प्रकृति के होते हैं तथा उन पर कोई विशेष कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं होता है। तथापि, ऐसे सभी मामलों में प्रधान

मंत्री द्वारा संबंधित सांसदों को पावतियां भेज दी जाती हैं। सांसदों के उन सभी पत्रों को जिन पर अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित होता है, उन्हें उनकी जांच-पड़ताल करने तथा संबंधित सांसदों को उपयुक्त उत्तर देने के लिए भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी के साथ सहयोग

4570. श्री अवध कुमार पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेफ्रिजरेटरों, वाशिंग मशीनों तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश में पालमपुर में एक कारखाना स्थापित करने हेतु गोदरेज और बोईसी मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी तथा अमरीका की मेसर्स जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के बीच होने वाले सहयोग को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारखाना कब तक स्थापित किये जाने और चालू किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री प्रो (पी. जे. कुरियन) : (क) से (ग) सरकार ने मालनपुर (मध्य प्रदेश) में एक नए एकक में रेफ्रिजरेटरों, कम्प्रेसरों, वाशिंग मशीनों तथा अन्य व्हाइट गुड्स के विनिर्माण के लिए मै. गोदरेज एंड बोईसी मैन्युफेक्चरिंग कं. लि. बम्बई तथा अमरीका की मै. जनरल इलेक्ट्रिक के बीच अभी हाल में संयुक्त उद्यम संबंधी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नई कं. में मै. जनरल इलेक्ट्रिक की इक्विटी 40% तक होगी तथा शेष 60% इक्विटी मै. गोदरेज एंड बोईसी मैन्युफेक्चरिंग कं. लि. की होगी, मै. गोदरेज एंड बोइसी ने सूचना दी है कि कारखाने को पूरा होने में लगभग 24 महीने का समय लगेगा।

[हिन्दी]

आविष्कारों के पेटेन्ट की संभावनाओं सम्बन्धी समिति

4571. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए आविष्कारों के पेटेन्ट की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब इस विषय में जांच पड़ताल पूरी कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) नई जैव प्रौद्योगिकी में विकास तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से उनकी सम्बद्धता हाल ही में पैदा हुई है तथा यह अभी विकसित हो रही है। समिति ने विकासशील एवं विकसित देशों में जैव प्रौद्योगिकीय आविष्कारों के विशिष्ट संदर्भ में मौजूदा जानकारी का मूल्यांकन किया है। इस अध्ययन से पता चला है कि देशों के बीच पेटेन्ट करने के सीमा क्षेत्र का स्वरूप भिन्न-भिन्न है तथा इसमें मुख्यतः सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल शामिल है। जैव-प्रौद्योगिकीय प्रगति से पेटेंट करने का प्रक्रियाओं एवं उत्पादों की संभावना पैदा हुई है। भारतीय पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में जीवक सजीव उत्पादों एवं सामग्री की एकस्वयोग्यता शामिल नहीं है। समिति ने भारत में जैव प्रौद्योगिकी में संतोषजनक एकस्वकारी प्रावधान विकसित करने के उद्देश्य से जीवन रूपों से संबंधित आविष्कारों के विषय में देश में सार्वजनिक हित के विभिन्न समूहों एवं औद्योगिक संस्थाओं के विचार प्राप्त किये हैं। समिति का कार्य चालू है।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में डाकू उन्मूलन योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण

4572. श्रीमती सुमित्रा महाजन।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से डाकू उन्मूलन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984 तथा वर्ष 1985 के दौरान क्रमशः पहले चरण में 14 सड़कों तथा दूसरे चरण में 61 सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है, और

(ख) इस समय इन्हें वित्तीय मंजूरी दिए जाने के मामले की क्या स्थिति है और राज्य के सम्पूर्ण अनुमानित खर्चों को स्वीकृति देने में कितना समय लगने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) और (ख) दस्युग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार की योजना रिपोर्ट में पहले चरण में 14 सड़कों के निर्माण तथा दूसरे चरण में 61 सड़कों के निर्माण के अनुमान शामिल किये गये थे। इनमें से, राज्य सरकार द्वारा नीचे गये प्रस्तावों के अनुसार 14 सड़कों जिनमें दूसरे चरण की एक सड़क भी शामिल है, को 1985-86 तथा 1986-87 में अनुमोदित कर दिया गया था। सभी निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार से 10 अन्य सड़कों के निर्माण के लिए भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पहले से स्वीकृत कार्यों की असंतोषजनक प्रगति तथा राज्य सरकार से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की वजह से 10 सड़कों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन नहीं दिया जा सका। इस योजना को 1992-93 में राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना

4573. श्रीमती सुमित्रा महाजन।

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के विकास केन्द्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति हेतु लागत अनुमान (119.00 करोड़ रुपए, वर्ष 1983) प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उन अनुमानों को वित्तीय स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो ये स्वीकृति कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच. पटेल) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से सड़कों के निर्माण के लिए 119.22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक मास्टर प्लान 1983 में प्राप्त हुई थी। उस समय राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। 1983-84 में राज्य सरकार ने निम्नलिखित 3 निर्माण-कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजे थे जिन्हें भारत सरकार, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था :

(लाख रुपए में)

	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृत लागत
1.	अचंकमर-कियोंची मार्ग	192.27
2.	मदवास-कुशमी मार्ग पर 6 पुल तथा पहुँच सड़कें	170.04
3.	मदवास-कुशमी-रंडा-आदुरा मार्ग	46.35

[अनुवाद]

पूंजी निवेश कम करने सम्बन्धी प्रक्रिया

4574. श्री विजय एन. पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अंशधारिता को कम करने के लिए कोई प्रक्रिया तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश कम करने से कितनी धन-राशि उपलब्ध होगी;

(ग) पूंजी निवेश कम करने के कारण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अंशधारिता पाने के लिए संस्थागत एवं व्यक्तिगत पूंजी-निवेशकों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी;

(घ) क्या सरकार ने इन इक्विटियों को पाने तथा विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में व्यापार के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए हैं, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंबम) : (क) जी हां। सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अपनी शेयरधारिता की पूंजी निकालने सम्बन्धी प्रक्रिया तैयार की है।

(ख) सरकार ने 1991-92 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के जरिए 3038 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

(ग) पूंजी निकालने का कार्य बोली लगाने की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए लाटों (बंडलों) के रूप में किया गया था तथा इसमें सरकारी क्षेत्र के वित्तीय/पूंजी निवेश सम्बन्धी संस्थाओं, साझा कोषों तथा व्यापारिक बैंकों ने भाग लिया था।

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के शेयरों के बारे में देश के सभी प्रमुख शेयर बाजारों को सूचना दी जा रही है।

[अनुवाद]

देय राशि के शीघ्र भुगतान सम्बन्धी अधिनियम

4575. श्री आर. सुरेंद्र रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू सत्र के दौरान देय राशि के शीघ्र भुगतान सम्बन्धी अधिनियम को पुनःस्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा कितने लघु एककों को शीघ्र भुगतान नहीं किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें मजबूत बनाने हेतु 6.8.1991 को संसद में जो नीति सम्बन्धी उपाय घोषित किए गए थे उनमें सरकार ने ऐसा कानून बनाने की परिकल्पना की है जिससे लघु उद्योगों के बिलों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। वित्त मंत्रालय के परामर्श से उक्त कानून की प्रधान बातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सरकार यथाशीघ्र तत्संबंधी एक विधेयक पेश करने के बारे में सोच रही है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा यह सूचना नहीं रखी जाती है।

कोयला खानिकों के लिए कल्याण कोष

4576. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानिकों के लिए स्थापित कल्याण कोष का नियंत्रण कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों मे कल्याण कोष से कितनी राशि मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में खर्च की गई, और

(ग) पिछले तीन वर्षों में राज्य के खदान मजदूरों से कितनी राशि वसूल की गई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना त्रित की एकत्रा रहा हैऔर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

[अनुवाद]

सांभर साल्ट्स लिमिटेड

4577. श्री विजय नवल पाटिल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सांभर साल्टस लिमिटेड जो हिन्दुस्तान साल्ट्स की एक सहायक कंपनी है, उत्पादन और लाभ में गिरावट प्रदर्शित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में क्या सुधारात्मक कदमों पर विचार किया गया है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने सांभर साल्ट्स लिमिटेड की सदस्यता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. थुंगन)। (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सांभर साल्ट्स लिमिटेड में राजस्थान सरकार के 40% इक्विटी शेयर हैं तथा इसके साथ ही कंपनी के मेमारेन्डम आफ एसोसिएशन एवं उसके संगम अनुच्छेदो के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में, राज्य सरकार द्वारा नामित दो निदेशक हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

तकनीकी विकास सलाहकार दल

4578. श्री वसुदेव आचार्य :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार तकनीकी विकास (प्रबंध समर्थन अनुभाग) महा-निदेशालय के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दलों का गठन करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रौद्योगिकी के प्रभाव के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय में 1986 से प्रौद्योगिकी विकास सलाहाकार दलों की स्थापना की जा रही है। वर्ष 1986 से 1990 के दौरान चौदह प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल गठित किए गए। वर्ष 1991-92 के दौरान ऐसे अठारह दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक दल की अवधि एक वर्ष की होती है।

अठारह प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दलों के नामों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1991-91 के दौरान तकनीकी विकास महानिदेशालय में गठित 18 प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दलों की सूची।

1. उपकरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति सम्बन्धी प्रौद्योगिकी सलाहकार दल।
2. चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति सम्बन्धी प्रौद्योगिकी सलाहकार दल।
3. रिकंबिनेंट डी. एन. ए. आधारित उत्पादों पर प्रौद्योगिकी सलाहकार दल।
4. विद्युत उद्योग सम्बन्धी प्रौद्योगिकी सलाहकार दल।
5. रबड़-सामान उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति सम्बन्धी प्रौद्योगिकी सलाहकार दल।
6. मोटरगाड़ी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति सम्बन्धी प्रौद्योगिकी सलाहकार दल।
7. आटोमेशन उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति सम्बन्धी प्रौद्योगिकी सलाहकार दल।
8. निर्माण उपकरण उद्योग सहित अर्थ मूविंग मशीनरी सम्बन्धी प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।
9. पैकेजिंग तथा पैकिंग सामग्री में प्रौद्योगिक प्रवृत्ति सम्बन्धी प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।
10. औद्योगिक प्रयोग के लिए फोटोनिक्स/लेजर टेक्नालाजी पर प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।
11. फ्लेक्सिबल मैन्युफेक्चरिंग सिस्टम तथा रोबोटिक्स पर प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।
12. औद्योगिक मशीनरी क्षेत्र में प्रौद्योगिक प्रवृत्ति सम्बन्धी प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।
13. जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत उद्योग पर प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।
14. प्रदूषण नियंत्रण में नई-नई प्रौद्योगिकियों पर प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।
15. सामग्री प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवृत्तियों पर प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।
16. औषधि कल्प उत्पादों पर प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।

17. अलौह-धातुओं पर प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।

18. व्यावसायिक इलेक्ट्रोनिक्स के लिए तकनालाजी पर प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल।

[अनुवाद]

तकनीकी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश

4579. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन ने सुझाव दिया है कि विदेशी पूंजी निवेश को केवल उच्च तकनीकी क्षेत्रों में प्रोत्साहन देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो संगठन द्वारा किए गए अन्य सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों की जांच की है, और

(घ) यदि हां, तो इनमें से किन-किन सुझावों को स्वीकार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य सुझावों में पर्याप्त और समय पर वित्त की उपलब्धता, श्रमिकों सम्बन्धी कानूनों को सरल बनाना, पंजीकरण की नीति को समाप्त करना तथा लघु उद्यमों के गठन को नियन्त्रित करने वाले कानूनों और विनियमों को बदलना शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) नई औद्योगिक नीति के अधीन उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों में पूंजी निवेश के प्रस्ताव स्वत: अनुमति के पात्र नहीं हैं बल्कि इनके लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। लघु एककों के पंजीकरण की प्रणाली को समाप्त करना संभव नहीं समझा गया है। अन्य सुझावों के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के साथ बातचीत की गई है।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों को मिश्रित करना

4580. श्री आर. सुरेंद्र रेड्डी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार निजी क्षेत्र के मिल मालिकों को छोटे उपभोक्ता पैकेटों में बेचने के लिए, विभिन्न खाद्य तेलों को मिश्रित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है, और

(ग) बाजार में विभिन्न तेलों के मूल्यों में विद्यमान असंगति को समाप्त करने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में अंतिम अधिसूचना स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के 7 फरवरी, 1992 के सा. का. नि. 91 (अ) द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है।

(ग) खाद्य तेलों के मिश्रण की अनुमति देना, बाजार में विभिन्न तेलों के मूल्यों में चल रहे अन्तर को दूर करने के लिए किए गए उपायों में से एक है।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सहायता

4581. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य के पहाड़ों के निकटवर्ती कुछ जिलों को पहाड़ी क्षेत्र घोषित करके कई सुविधायें प्रदान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं;

(ग) महाराष्ट्र के ऐसे जिलों के नाम क्या हैं जहां ये सुविधाएं दी गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य जिलों को भी पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे जिलों के नाम क्या हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज)। (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन द्वारा आवेदन

4582. श्री परशराम भरद्वाज :

श्री अवध कुमार पटेल।

श्री सुबोध चन्द्र वर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन ने हाल ही में केन्द्र सरकार को एक आवेदन दिया है जिसमें गैस पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि के दुरुपयोग की शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) मुआवजे की राशि के शीघ्र वितरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 3 अतिरिक्त आयुक्तों और 5 उपायुक्तों की नियुक्ति करके अधिनिर्णय की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर अपेक्षित संख्या में शेष न्यायिक अधिकारियों द्वारा कार्य ग्रहण किए जाने की आशा है। सरकार ने कल्याण आयुक्त के कार्यालय के लिए पूर्व में पहले ही सृजित 280 पदों के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 609 पदों को स्वीकृत किया है। राज्य सरकार ने उप-आयुक्तों और अतिरिक्त आयुक्तों को 25 कार्यालय भवन सौंप दिए हैं। जल्दी ही 15 अतिरिक्त भवनों के सौंपे जाने की आशा है। सरकार का औद्योगिक दुर्घटना (कार्यों का पंजीकरण और प्रक्रिया) योजना, 1985 के अन्तर्गत अपेक्षित निर्देशात्मक मार्ग दर्शी सिद्धान्त जारी करने का विचार है। कल्याण आयुक्त का जो अधिसूचना जारी करती है वे आमंत्रित करने का प्रस्ताव है। कल्याण आयुक्त को एक करोड़ रुपए की राशि फर्नीचर और अन्य कार्यालय उपस्कर खरीदने के लिए स्वीकृत की गई है।

[अनुवाद]

इफको द्वारा उत्पादित उर्वरकों का वितरण

4583. श्री पी. सी. थामस :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफको द्वारा उत्पादित उर्वरक सभी राज्यों में वितरित किए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इफको ने उर्वरकों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया और उससे कितना लाभ अर्जित किया;

(ग) क्या इस बीच इफको के निदेशक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया, और

(घ) यदि हां, तो इसका पुनर्गठन कब तक किए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं। इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको) द्वारा उत्पादित उर्वरक को केवल उन्हीं राज्यों में वितरित किया जाता है जिनके लिए इसे कृषि मन्त्रालय से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अध्यधीन आवंटन प्राप्त होता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इफको द्वारा उत्पादित विभिन्न उर्वरकों की कुल मात्रा तथा उन वर्षों के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	उत्पादन (लाख टन में)	शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)
1987-89 (21 माह)	34.86	20.00

1	2	3
1989-90	24.28	55.91
1990-91	25.35	108.11

(ग) बोर्ड का बढ़ाया गया कार्यकाल 31.3.1992 को समाप्त होगा।

(घ) 28 मार्च 1992 को होने वाले इकट्ठों को लोक सभा के चुनाव के पूरे होने के तुरन्त बाद बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा।

खादी और ग्रामोद्योग

4584. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्री चेतन पी. एस. कोल्हूर :

क्या ग्रामीण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में खादी और ग्रामोद्योग विकास के लिए राज्यवार कितनी राशि जारी की गई;

(ख) इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा क्या मानदंड अपनाया गया है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों को धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में वर्ष 1991-92 के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। 1990-91 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए के. वी. आई. सी. द्वारा विभिन्न राज्यों को जारी की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) के. वी. आई. सी. खादी और ग्रामोद्योग की भिन्न-भिन्न योजनाओं के लिए के. वी. आई. सी. द्वारा तैयार की गई सहायता प्रणाली के आधार पर वित्तीय सहायता देता है। जारी की गई राशि की मात्रा, बजट चर्चा के समय सीधे सहायता पाने वाले प्रत्येक संस्थान और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए मंजूर कार्यक्रम के आकार एवं पिछले वर्षों के कार्य-निष्पादन तथा ओक कार्यक्रम शुरू कर सकने की क्षमता पर निर्भर करती है। सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के पश्चात प्रस्ताव स्थाई वित्त समिति के अनुमोदन के लिए उनके समक्ष रखे जाते हैं। स्थाई वित्त समिति के अनुमोदन के बाद ही धनराशि जारी की जाती है।

(ग) सीधे सहायता पाने वाले संस्थानों और खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के साथ के. वी. आई. सी. द्वारा व्यापक बजट चर्चा की जा रही है। इसके पश्चात सरकार से के. वी. आई. सी. को आवंटन प्राप्त होते ही धनराशियों के राज्यवार आवंटन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

1990-91 के दौरान के. वी. आई. सी. द्वारा धनराशि के राज्यवार वितरण का विवरण।

(रु.लाख में)

क्रम सं.	राज्य और संघ शासित क्षेत्र	खादी और ग्रामोद्योग	
		अनुदान	ऋण
1	1	3	4
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	184.39	1,303.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	30.10	56.94
4.	बिहार	483.52	448.61
5.	गोवा	0.24	30.25
6.	गुजरात	687.14	298.96
7.	हरियाणा	141.26	426.84
8.	हिमाचल प्रदेश	120.90	217.71
9.	जम्मू और कश्मीर	26.86	120.09
10.	कर्नाटक	238.62	682.35
11.	केरल	175.44	750.41
12.	मध्य प्रदेश	85.14	165.13
13.	महाराष्ट्र	342.23	780.06
14.	मणिपुर	58.23	175.55
15.	मेघालय	16.99	37.12
16.	मिजोरम	43.73	100.69
17.	नागालैंड	20.40	33.72
18.	उड़ीसा	43.99	348.10
19.	पंजाब	242.02	380.91
20.	राजस्थान	441.82	408.82
21.	सिक्किम	15.79	36.63

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु	897.22	1330.12
23.	त्रिपुरा	2.37	6.91
24.	उत्तर प्रदेश	1179.80	2029.42
25.	पश्चिमी बंगाल	113.86	513 46
	संघ शासित क्षेत्र		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	3.09	20.85
27.	चंडीगढ़	.02	11.80
28.	दादर और नगर हवेली	—	—
29.	दिल्ली	137.63	59.96
30.	दमन और दीव	—	—
31.	पांडीचेरी	0.30	14.78
	योग	6333.10	10789.68

[अनुवाद]

विकास केन्द्र

4585. श्रीमती महेंद्र कुमारी :

श्री अन्ना जोशी :

श्रीमती रीता वर्मा :

श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 के दौरान विभिन्न राज्यों में खोले गये विभिन्न विकास केन्द्र राज्यवार कहां-कहां स्थित हैं, और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों पर विकास केन्द्र खोले जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) तथा (ख) सरकार ने जून, 1988 में विकास केन्द्र योजना की घोषणा की थी जिसके अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरे देश में सत्तर विकास केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है। अब तक 64 विकास केन्द्रों के स्थापना-स्थलों का पता लगा लिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गई है, जिसके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आवंटित विकास केन्द्रों की संख्या—70

चयनित विकास केन्द्रों की संख्या—64

विकास केन्द्र का नाम	जिला
आंध्र प्रदेश (4)	
1. हिंदपुर	अनंतपुर
2. खम्माम (वेमसूर मंडल)	खम्माम
3. अंगोले	प्रकासम
4. विजयानगरम बोबिली	विजयानगरम
असम (2)	
5. जखला बंद	नौगांव
6. रंगजूली	गोलपाड़ा
बिहार (6)	
7. भागलपुर	भागलपुर
8. हजारीबाग	हजारीबाग
9. बालोरिया	पोरंगाबाद
10. मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
11. पूर्णिया कस्बा	पूर्णिया
गोवा (1)	
12. इलेक्ट्रोनिकसिटी	[illegible]
गुजरात (3)	
13. पांधी धाम	कच्छ
14. [illegible]	बनासकांठा
15. बागरा	भड़ौच
हरियाणा (2)	
16. [illegible]	महेन्द्रगढ़
17. [illegible]	रोहतक

हिमाचल प्रदेश (1)		
18.	कांगड़ा	कांगड़ा
जम्मू और कश्मीर (2)		
19.	गंदेरबाल	श्रीनगर
20.	सम्बा	जम्मू
कर्नाटक (3)		
21.	धारवाड़	धारवाड़
21.	गिल्लेसुगुंर	रायचूर
23.	हसन	हसन
केरल (2)		
24.	केरटल्लाई	एलेप्पी
25.	तेल्लीचेरी	कन्नानोर
मध्य प्रदेश (6)		
26.	बीरासी	दुर्ग
27.	चैनपुरा	गुना
28.	भिरोंगी	भिण्ड
29.	खेड़ा	खाचरोद
30.	सतलापुर	रायसेन
31.	सिलतारा	रायपुर
महाराष्ट्र (5)		
32.	अकोला	अकोला
33.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
34.	धुले	धुले
35.	नांदेड़	नांदेड़
36.	रत्नागिरि	रत्नागिरि
मणिपुर (1)		
37.	कंरलाटोंगबि	सेनापति
नागालैंड (1)		
38.	दीमापुर	कोहिमा

उड़ीसा (4)		
39.	छत्रपुर	गंजम
40.	बिपलिमा	सम्बलपुर
41.	चौधवार	कटक
पांडिचेरी (1)		
42.	करायकल	पांडिचेरी
पंजाब (2)		
43.	भटिंडा	भटिंडा
44.	पठानकोट	गुरदासपुर
राजस्थान (5)		
45.	आबुरोड़	सिरोही
46.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
47.	बीकानेर	बीकानेर
48.	झालावाड़	झालावाड़
49.	धौलपुर	धौलपुर
तमिलनाडु (3)		
50.	इरोड़	पेरियार
51.	माइलादुथुराई पूम्पुहार	तंजावुर
52.	तिरुनेल्वेली (गंगाईकोण्डन सालुव ब्लाक)	तिरुनेल्वेलि-कट्टाबोमन
त्रिपुरा (1)		
53.	चम्पामुरा-जोगिन्दरनगर मुख्य नगर	पश्चिम त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश (8)		
54.	बबीना बुजुर्ग	झांसी
55.	बनवारा	शाहजहांपुर
56.	चौमरपुर	मुरादाबाद
57.	बिधियापुर	इटावा
58.	खुर्जा	बुलन्दशहर
59.	मुंगरा-सवारिया	जौनपुर
60.	सहजनवा	गोरखपुर
61.	शिवराजपुर-पदमपुर	पौड़ी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल (3)		
62.	दुबराजपुर	बीरभूम
63.	जलपायगुड़ी	जलपायगुड़ी
64.	मालदा	मालदा

** प्रत्येक राज्य के सामने दर्शाये गये कोष्ठकों में आंकड़े उस राज्य के लिए आवंटित विकास केन्द्रों की संख्या बताते हैं।

[अनुवाद]

खुले मुहाने की खानों के लिए खनन कम्पनी

4587. डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज ने के. आर. यू. पी. नामक खुले मुहाने की खानों में खनन करने सम्बन्धी दूसरी कम्पनी के कार्य को प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) उसकी अनुमानित लागत कितनी है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए संगमा) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का इस सम्बन्ध में संदर्भ शायद सि. को. कं. लि. की रामागुंडम ओपन कास्ट-II परियोजना से है। रामागुंडम ओपन कास्ट-II परियोजना के संशोधित लागत अनुमान, जो कि 554.22 करोड़ रुपए रखे गए हैं, उन्हें हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना जर्मनी की द्विपक्षीय सहायता के अन्तर्गत टर्न के आधार पर निष्पादित की जानी है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत परियोजनाएं

4588. डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार ने कोयले की व्यवस्था हेतु कितनी ताप विद्युत परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) इसके लिए कोयले की कितनी मात्रा की आवश्यकता है;

(ग) उससे कितने मेगावाट बिजली पैदा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना को मंजूर करने का है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश की

निम्नलिखित योजनाओं/तापीय विद्युत गृहों के लिए कोयले के संयोजन किए जाने पर सहमति हुई है:—

(1) मुदुनुर चरण-I (2×210 मे. वा.)

(2) मुदुनुर चरण-II (2×210 मे. वा.)

(3) विशाखापट्टनम टी. पी. एस. (2×500 मे. वा.)

(4) विजयवाड़ा चरण III (2+210 मे. वा.)

इनके अलावा, कोयला मंत्रालय में निम्नलिखित नई योजनाओं को कोयले का संयोजन दिए जाने के सम्बन्ध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं:—

(1) मानगुरु एस. टी. पी. एस. (एम. टी. पी. सी.) (2×500मे.वा.)

(2) कोठागुंडम टी.पी.एस. विस्तार चरणV (2×210 मे. वा.)

(3) रामागुंडम (विस्तार) चरण-II 2×210 मे. वा.

(4) कृष्णापट्टनम डी. पी. एस.—2×500 मे. वा.

उपरोक्त इन नई चार योजनाओं के लिए अस्थाई रूप में 13.00 कि. ट. की आवश्यकता होगी। मानुगुरु एम. टी. पी. एस. के लिए कोयले का औचित्यपूर्ण आवंटित स्रोत सि. को. कं. लि. का मानुगुरु क्षेत्र है। सि. को. कं. लि. में कठिन मांग उपलब्धता की स्थिति और कोयले की अनुपलब्धता होने के कारण विद्युत गृह के लिए कोयले का संयोजन दिए जाने के संबंध में सहमति देना सम्भव नहीं हो सकेगा। अन्य तीन योजनाओं के सम्बन्ध में कोयले का संयोजन किए जाने का सवाल, अन्य प्रस्तावों तथा उक्त प्रस्तावों की परस्पर प्राथमिकताओं की तुलना में योजना आयोग द्वारा अन्य आगत पैरामीटरों और इसकी व्यवहार्य समय अवधि की निश्चितता तथा स्वीकृति हो जाने के बाद ही पैदा होगा।

[हिन्दी]

योजना आयोग द्वारा भेजे गए शिष्ट मंडल

4589. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग ने बीते दो वर्षों के दौरान कितने शिष्ट मंडलों को विदेश भेजा।

(ख) इन शिष्ट मंडलों ने किन-किन देशों की यात्राएं की;

(ग) प्रत्येक शिष्टमंडल पर कितनी धनराशि खर्च हुई, और

(घ) इससे क्या परिणाम निकले ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीएच. आर. भयहाज):

(क) तीन।

(ख) दो भूटान तथा एक जापान ।

(1) जापान, 1,74,400/- रुपए और

(2) भूटान क्रमश: 72,576/- रुपए और
1,34,240 रुपए/-

जापान : जापान और भारत के बीच 1992 में राजनयिक सम्बन्धों की 40वीं वर्षगांठ पर आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में घनिष्ट सहयोग और आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए भी विचार विमर्श ।

भूटान : भूटान के महामहिम सम्राट और भूटान सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के पश्चात भूटान की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारतीय सहायता का वचन दिया गया ।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिक

4590. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई नया प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह चाटीवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा रायल्टी का भुगतान

4591. श्री हरीराम राम :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने "ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए रायल्टी और वास्तविक किराए के रूप में कितने धन की मांग की है और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने मांग की तुलना में कितनी राशि उपलब्ध कराई है;

(ख) क्या उक्त देय राशियों के भुगतान में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसमें कमी आने के क्या कारण हैं और

(घ) सरकार द्वारा उन देशों को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

कोयला मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे यथा सम्भव उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र

4592. श्री राधिका रंजन प्रमाणिक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी क्षेत्र में कोई परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) :
(क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

(ग) पूर्वी विद्युत क्षेत्र में कोयले के साधन उपलब्ध होने के कारण, उस क्षेत्र में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की प्राथमिकता अपेक्षाकृत कम है।

[अनुवाद]

आवास गतिविधियां

4593. श्रीमती वासवाराजेश्वरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के विचार से आवास गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार और कुछ सहकारी आवास ग्रुपों ने आवास गतिविधियों के नए क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) कब तक वे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देंगे ?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :(क) योजना आयोग ने सूचित किया है कि उसने आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगार आदि को प्रोत्साहित करने में आवास की भूमिका को मान्यता दी है और इसे भोजन तथा कपड़े के बाद मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया है।

(क) से (घ) आवास राज्य का विषय है और आवास योजनायें स्थापित करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इस संबंध में कुछ सहकारी समितियों के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय उद्योगों का प्रभाव

4594. श्री एम. वी. वी. एस मूर्ति :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति का नए उद्योग स्थापित करने पर क्या प्रभाव पड़ा है,

(ख) क्या सरकार ने नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से कोई पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने का निजी क्षेत्र पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या इसके परिणामस्वरूप कोई निजी उपक्रम बन्द किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी जे कुरियन) : (क) से (ग) नई औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्यों मे से एक उद्देश्य देश म औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना और औद्योगिक क्षेत्र मे विदेशी एव घरलू पूंजी निवेश को बढ़ावा देना है। नई नीति के समग्र प्रभाव का अनुमान लगा पाना अभी सम्भव नही है। तथापि, नई नीति की घोषणा के बाद फरवरी, 1992 के अन्त तक उद्यमियों ने औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु 4100 ज्ञापन दर्ज किए हैं। जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण की कोई आवश्यकता नही है। इस अवधि के दौरान, कुल अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश का राशि 1,140 करोड़ रु. से अधिक है जो पहले की इसी अवधि मे अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश की राशि का लगभग 14 गुना है।

उक्त नई नीति के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम बन्द नहीं किया गया है। बल्कि जैसा कि औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, सरकार उन सरकारी उद्यमों को सुदृढ़ करेगी जो आरक्षित क्षेत्र अथवा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आते हैं अथवा जिन्हें या समुचित लाभ कमा रहे हैं।

दिल्ली में अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर रोक

4596. श्री अवध कुमार पटेल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर रोक है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में मुख्तयार नामों के माध्यम से सम्पत्ति का बड़े पैमाने पर हस्तांतरण हो रहा है जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर काला धन उत्पन्न हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो हस्तांतरण में सुधार लाने तथा कराधान के उद्देश्य से तथा काले धन को सफेद होने से रोकने के लिए स्वामित्व की सही स्थिति का पता लगाने के लिए यदि कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तो क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली में अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण मुख्तारनामे के आधार पर होता है।

(ग) रिहायशी सम्पत्तियों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की एक स्कीम सरकार द्वारा पहले ही घोषित की जा चुकी है ।

[हिन्दी]

कोयला होने से प्रभावित सड़कें

4597. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोयला ढोने के कारण प्रभावित सड़कों को पक्का तथा चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव लम्बे समय से सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) राज्य सरकार से मूल रूप में प्रस्ताव वर्ष 1982 में प्राप्त हुए थे। इस सम्बन्ध में अद्यतन ब्यौरा मई, 1986 में प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार को यह सूचित किया गया था कि इस तथ्य को देखते हुए कि राज्य सड़कों का निर्माण कार्य मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें, अपने आंतरिक संसाधनों से निधि जुटाने के अलावा सम्बद्ध राज्य में उत्पादित कोयले पर लगाए गए सेस कर तथा रायल्टी के रूप में काफी राजस्व का संग्रहण करती है, अतः वे स्वयं ही सड़कों का निर्माण किए जाने के लिए निधि प्राप्त करने का प्रयास करें जिसमें कोयला क्षेत्रों में स्थित सड़कें भी शामिल हैं।

माल-भाड़ा में सब्सिडी खत्म करने की नीति

4598. श्री तेज नारायण सिंह ।

श्री मुमताज अन्सारी ।

श्रीमती शीला गौतम ।

श्री राजेश कुमार :

क्या योजना और कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या देश में वित्तीय संस्थानों तथा उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के स्वीकृत उद्देश्य को पूरा करने में माल भाड़ा समानता लाने की नीति विफल रही है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) (ख) और (ग) भाड़ा समकरण स्कीम को लागू करने का मूल औचित्य कच्चे माल के प्रमुख स्रोतों तथा उत्पादन केन्द्रों से दूर स्थित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिले। इस नीति से प्रारम्भिक वर्षों में इस लक्ष्य को पूरा किया गया। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर नियुक्त की गई विभिन्न समितियों ने इस नीति की समीक्षा की तथा यह पाया कि क्षेत्रीय विकास के सन्दर्भ में इस नीति के लाभकारी प्रभाव वास्तविक परिवहन लागतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न हुए असंतुलन की तुलना में अधिक था तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं जैसे कि उपयुक्त राजकोषीय और साख नीतियां, आवश्यक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था, परिवहन के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया तथा भाड़ा समकरण को अधिकांश मदों में क्रमशः चरणबद्ध किया है। इन समीक्षा समितियों द्वारा सुझाए गए अन्य तरीकों पर अधिकतर निर्भर रहा गया। इन नीतियों के साथ-साथ सरकार उद्योग लगाने हेतु निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से देश के पिछड़े क्षेत्रों में उच्च स्तर की आधारभूत संरचना के विकास हेतु ग्रोथ सैंटर स्कीम को कार्यान्वित कर रही है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं

4599. श्री तेज नारायण सिंह :

श्री मुमताज अंसारी :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री प्रबीन डेका :

श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कौन-कौन सी योजनाएं प्रायोजित तथा निरीक्षित की गई हैं;

(ख) कुछ परियोजनाओं के निर्धारित समय के पीछे रह जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है, तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायता से केरल की जल आपूर्ति योजना

4600. श्री चापिल अंजलोस :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा रही केरल की प्रत्येक जल आपूर्ति परियोजना का संक्षिप्त व्यय कितना है और इन योजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के कार्य में विलम्ब हो रहा है, और

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) केरल सरकार द्वारा अग्रेषित की गई सूचना के अनुसार विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केरल जल आपूर्ति तथा स्वच्छता की चालू परियोजना के तहत जल आपूर्ति स्कीमों की संशोधित लागत इस प्रकार है।—

स्कीम का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
(I) पुर्थोकुन्ज	4.48
(II) वृहत्तर कोचीन विकास क्षे)	27.735
(III) कोट्टायम	7.002
(IV) अड्डूर	6.616
(V) किलोन	20.688
(VI) छियारा	5.722
VII) विलाप्पील	1.628

परियोजना 31.3.94 तक पूर्ण करने के लिए नियत है।

(ख) और (ग) पूर्ववर्ती कार्यक्रम का पालन मुख्यत: प्रतिरूप प्रक्रिया निधियों (काउन्टर पार्ट रुपी फण्डस) की कमी और कम प्रतिभूति प्रतिसंवत्ता के कारण नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का निर्माण

4601. श्री मदनलाल खुराना :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय आवासीय इकाइयों की संख्या कितनी कम है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह कमी कितनी हो जाने का अनुमान है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित फ्लेटों के आवंटन का वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उसका कितने फ्लैटों का निर्माण करने का लक्ष्य है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) दिल्ली में आवासीय एककों की कमी के सम्बन्ध में फिलहाल कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है. तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न वचनबद्धताओं और प्राथमिकता परियोजना स्थलों से झुग्गी परिवारों के स्थानान्तरण को ध्यान में रखते हुए 1990-95 के दौरान 8.25 लाख रिहायशी एककों की मांग का अनुमान लगाया है ।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रों के प्रयासों के माध्यम से 1990-95 के दौरान 7.5 लाख अतिरिक्त रिहायशी एककों की व्यवस्था के लिए योजनाएं प्रतिपादित की हैं ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के वर्षवार आवंटन के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

क्रम सं.	वर्ष	आवंटित फ्लैटों की कुल संख्या
1.	1988-89	32,147
2.	1989-90	25,445
3.	1990-91	15,092

इसके अतिरिक्त, विशेष आवासीय पंजीकरण स्कीम, 1985 के तहत् स्वयं विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 1356 फ्लैटों का निर्माण/आवंटन किया गया था ।

* आवंटित एककों की संख्या में वे फ्लैट भी शामिल हैं जिनका निर्माण कार्य पिछले वर्षों में आरम्भ किया गया और जो संगत वर्षों में आवंटित हेतु उपलब्ध थे ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1.4.92 से प्रारम्भ होने की आशा है । आगामी तीन वर्षों के दौरान फ्लैटों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यक्रम इस प्रकार है:—

क्र. सं.	वर्ष	फ्लैटों के निर्माण हेतु लक्ष्य
1	2	3
1.	1992-93	26,000

1	2	3
2.	1993-94	26,500
3.	1994-95	36,000
		योग : 88,500

आठवीं योजना के बकाया वर्षों के लिए लक्ष्य अभी तय किए जाने हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक उत्पादन

4602. श्री मदन लाल खुराना :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कितना औद्योगिक उत्पादन हुआ और औद्योगिक विकास की दर क्या रही,

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है,

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक उत्पादन को अनुमानित दर क्या है,

(घ) औद्योगिक विकास दर तथा औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं, और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षों अर्थात 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान समग्र विकास दर क्रमशः 8.7%, 8.6% और 8.5% थी।

(ख) और (ग) नवम्बर, 1991 तक उपलब्ध नवीनतम सूचना के आधार पर अप्रैल-नवम्बर, 1991 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में समग्र औद्योगिक विकास दर (—) 0.8% थी।

(घ) इसके कई कारण हैं—मूलभूत संरचना सम्बन्धी बाधाएं, विदेशी मुद्रा संबंधी बाधाओं के कारण कच्चे माल विशेषकर आयातित कच्चे माल की कमी, ऋण की कमी, बाजार में मांग में गिरावट इत्यादि।

(ङ) सरकार ने औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है जिसे 24 जुलाई 1991 को लोक सभा में रखा गया था। नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य नियंत्रकों में ढील देकर और नौकरशाही देरियों को समाप्त करके औद्योगिक उत्पादन में सुधार करना है। 1992-93 के केन्द्रीय बजट में घोषित कई नीति सम्बन्धी उपायों का मकसद औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना है। अतः

रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता तथा पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क में कमी और संक्षिप्त नगेटिव सूची को छोड़कर अन्य मदों के सम्बन्ध में आयात लाइसेंस को समाप्त करने जैसे उपायों से कच्चा माल, उपकरण आदि आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे जबकि कानूनी ऋण शोधन अनुपात में कमी तथा ब्याज दर में कमी जैसे उपायों से औद्योगिक विकास के लिए कम लागत पर आसानी से धन सुलभ होगा।

[अनुवाद]

सुपरकंडक्टिविटी अनुसंधान

4603. श्री राधिका रंजन प्रमाणिक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर स्थित इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस ने सुपरकंडक्टिविटी के अनुसंधान में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं,

(ख) सुपरकंडक्टिविटी का किन-किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है, और

(ग) सुपरकंडक्टिविटी के अनुसंधान में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और यह अनुसंधान कब से चल रहा है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलोर ने अतिचालकों की अनेक नई श्रृंखलाओं को तथा अभिलक्षण की नवीन विधियों की भी खोज की है। इसमें से कुछ अतिचालकों की असाधारण संरचनात्मक विशेषताएं हैं जिन्होंने विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। इंस्टीट्यूट ने अतिचालकता के मूलभूत पहलुओं पर भी बहुत कार्य किया है। इंस्टीट्यूट में उच्च-तापमान अतिचालकता के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान जोर-शोर से चल रहा है

(ख) प्रयोगशाला अनुसंधान में उपयोग के लिए उच्च क्षेत्र चुम्बकों, चिकित्सा संबंधित और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च-प्रवणता चुम्बकीय अयस्क पृथक्करण, कमजोर चुम्बकीय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए स्क्विड संवेदकों, प्राथमिक वोल्टेज मानकों, अन्य संवेदकों, इलेक्ट्रानिकी/विद्युतीय और माइक्रोवेव अनुप्रयोगों, बिजली पैदा करने तथा भंडारण आदि के लिए अतिचालकता प्रौद्योगिकी उत्पादों को उपयोग में लाया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम में अतिचालकता पर अनुसंधान वित्तीय वर्ष 1988-89 में आरम्भ किया गया था।

1988-91 की अवधि में राष्ट्रीय अतिचालकता कार्यक्रम के अधीन 34 संस्थानों को लगभग 33 (तैंतीस) करोड़ रुपये दिए गए।

[अनुवाद]

फाइबर प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां

4604. श्री राधिका रंजन प्रमाणिक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला, बंगलोर द्वारा कार्बन फाइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राप्त की गई नवीनतम उपलब्धियां क्या है;

(ख) इस समय कार्बन फाइबर का आयात किस देश से किया जाता है और इस प्रयोगनार्थ अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) देश में इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने के भावी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, (एनएएल) बंगलूर में कार्बन फाइबर मिश्रत सामग्री का प्रयोग करके निम्नांकित घटकों का विकास किया गया है :

— मिग 21 वायुयान के लिए रडार

— डोओ 228 वायुयान के लिए रडार

एन ए एल में एक उन्नत कंपोजिट प्रौद्योगिकी सुविधा भी स्थापित की गई है।

(ख) लगभग 25 लाख रुपए की अनुमानित लागत का एन ए एल ने फ्रांस से कार्बन फाइबर आयात किया है।

(ग) कार्बन फाइबर मिश्रित सामग्री का उपयोग कर एन ए एल की योजना इन्हें विकसित करने की है : (I) हल्के कोम्बैट (लड़ाकू) वायुयान के लिए रडार, (II) हल्के कोम्बैट (लड़ाकू) वायुयान के लिए फिन।

वैज्ञानिकी तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् (सी एस आइ आर) के एक अन्य संस्थान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन पी एल) की योजना पारंपरिक सामर्थ्य तथा विकृति वाले उच्च निष्पादकता कार्बन फाइबर विकसित करने की है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा खनन

4605. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री चित्त बसु :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयला खनन कार्य को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने के लिए कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से(ग) वर्तमान में कोयले का खनन कार्य, केवल गृहीत खनन तथा लोह एवं इस्पात उद्योग के लिए खनन कार्य और ऐसे छुट-पुट क्षेत्रों में खनन कार्य, जोकि आर्थिक विकास के लिए उपयोगी नहीं है और जिनमें रेल परिवहन अपेक्षित नहीं है, को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है ।

कोयले/लिग्नाइट के खनन कार्य में निजी क्षेत्र को भागीदारी दिए जाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

[अनुवाद]

अपचालित कोयले की पूर्ति

4606. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण की दृष्टि से सरकार ने सभी नई कोयला खानों को अपचयित कोयले की पूर्ति करने का निर्देश दिया है;

(ख) सरकार द्वारा जिन नई कोयला खानों का पता लगाया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार का कोयला ताप विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) (क) से (घ) सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष समिति ने यह सिफारिश की थी कि कोयला क्षेत्रों से 1000 कि. मी. से अधिक दूरी पर स्थित तापीय विद्युत गृहों में परिष्कृत कोयले का प्रयोग किया जाए । इस समिति की राय में ऐसी दूरी वाले विद्युत गृहों द्वारा परिष्कृत कोयले का प्रयोग किया जाना निम्नलिखित के संबंध में लाभकारी रहेगा कम परिवहन लागत, उच्च उत्पादन और बेहतर संयंत्र निष्पादन आदि । तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि पावर ग्रेड कोयले के लिए पिट्हेड कोयला परिष्करण संयंत्र स्थापित किया जाय । ऐसे दो संयंत्र एक सी. सी. एल. पिपरवार में और दूसरा एन. सी. एल. बीना में निर्माणाधीन है । एक ऐसा ही अन्य संयंत्र उड़ीसा में तालचेर कोयला क्षेत्र की कलिंगा ओ. का. प. खान के लिए स्वीकृत किया गया है ।

चूंकि परिष्कृत कोयले में राख की मात्रा कच्चे कोयले की तुलना में कम होती है, अतः विद्युत संयंत्रों द्वारा राख की कम मात्रा की कम देखरेख की जाएगी और इस तरह से प्रदूषण भी कम होगा।

[हिन्दी]

मारुति उद्योग लिमिटेड से कारों का गायब होना

4607. श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड में कुछ कारें गायब पायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में की गई जांच का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत चालित कारें

4608. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन के अभाव को ध्यान में रखते हुए विद्युत चालित कारों के निर्माण को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) सरकार वैकल्पिक परम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर आधारित पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देती है जिसमें फोटो-वोल्टेक बिजली तथा वैद्युत बिजली शामिल है क्योंकि इससे जीवाश्म ईंधन का संरक्षण होगा। बैटरी चालित विद्युत कारों के विनिर्माण हेतु अनुभवों को स्वीकृति दी जा रही है।

[अनुवाद]

कोयला परिशोधनशालाएं

4609. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में धुले कोयला खानों की संख्या और अभी तक इन परिशोधनशालाओं के लिए आवंटित राशि कितनी है;

(ख) क्या देश में कोयले की मांग बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा कोई नई कोयला खान चालू करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 31.12.1991 स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरौनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में चालू अनुमोदित कोयला खनन परियोजनाओं की संख्या 235 है। इन परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों में क्रियान्वयन किए जाने और उक्त परियोजनाओं पर किए गये व्यय की राशि लगभग 5500 करोड़ रुपये रही है।

(ख) योजना आयोग ने वर्ष 1996-97 में देश में कच्चे कोयले की अस्थायी तौर पर 309.20 मि. टन होने का अनुमान लगाया है (जिसमें 7.70 मि. टन मिडलिंग्स शामिल नहीं है) जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान कच्चे कोयले की मांग 254.50 मि. टन थी।

(ग) कोयले की बढ़ती हुई मांग को नई कोयला खानों को खोले जाने के द्वारा, विद्यमान कोयला खानों से अधिकतम उत्पादन करके, पिट-हैड स्टाक, आदि से कोयले की निकासी करके पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने चार नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है अर्थात अनन्ता ओ सी पी) 4 मि. टन प्र. वर्ष) सा. ई. को. लि., ऊकनी ओ सी पी (1.10 मि. टन प्रति वर्ष), वे. को. लि· लखनपुर ओ सी पी (5.0 मि. टन प्रति वर्ष) सा. ई. को. लि. तथा कलिंगा एकीकृत-खान.सह-परिष्करण, परियोजना, सा. ई. को. लि. (8 मि. टन प्रति वर्ष कच्चा कोयला)। आठवीं पंचवर्षीय योजना, को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। किन्तु, कुछ अन्त महत्वपूर्ण परियोजनएं, जिन्हें आठवीं योजना-अवधि के दौरान विकसित किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, उनका नाम नीचे दिया गया है :—

परियोजना	कंपनी
1. दुधिचुआ विस्तार	एन.सी.एल.
2. बाकुलिया-भूमिगत	ई.सी.एल.
3. समलेश्वरी	एस.ई.सी.एल.
4. झारखंड-ओपन कास्ट	सी.सी.एल.
5. मेडावस्सी खान	एक.सी.सी.एल.
6. जिने खान II	एव.सी.एल.
7. पारेज-ओपन कास्ट	सी.सी.एल.

8. के. डी. हेसालंग विस्तार	सी.सी.एल
9. बोन्डागांव-ओपन कास्ट	डब्लयू. सी. एल.
10. मुगोली-ओपन कास्ट	डब्लयू सी.एल.
11. टोपा पुनर्गठन	सी.सी.एल.
12. पद्मावती खानी-भूमिगत	एस.सी.सी.एल.
13. कथारा-भूमिगत	सी.सी.एल
14. टावा-भूमिगत	डब्लयू.सी.एल·
15 कारो—I ओपन कास्ट	सी.सी.एल.
16. अशोक-ओपन कास्ट	सी.सी.एल.
17. दिपका-ओपन कास्ट (विस्तार)	एस.ई.सी.एल.
18. ब्लॉक "बी" ओ सी पी.	एन.सी.एल.
19. मुराईडीह-ओपन कास्ट	बी.सी.सी.एल.
20. कावेरी-ओपन कास्ट	सी.सी.एल.

परियोजनाओं के निवेश संबंधी निर्णय, अन्य बातों के अलावा, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता वित्तीय संसाधन, कोयला उत्पादन किए जाने की संभावनाएं, पर्यावरण तथा वन-सम्बन्धी अनुमोदन, आदि पर निर्भर करता है ।

[हिन्दी]

पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

4610. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति सम्बन्धी प्रक्रिया को उदार बना दिया है,

(ख) यदि हां तो नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत कथित योजना के अधीन उद्योग रहित पिछड़े, आदिवासी, ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए प्राथमिकता दिये जाने की संभावना है,

(ग) यदि हां तो किन-किन उद्योगों को और किन किन क्षेत्रों में प्राथमिकता दिये जाने की संभावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) । (क) से (घ) जुलाई, 1991 में

घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत 18 उद्योगों की एक छोटी सूची को छोड़कर, जिनके लिए लाइसेंस अब भी जरूरी है शेष उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं। कोई भी उद्यमी अपनी परियोजना को कहीं भी लगाने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि वह स्थान सरकार की स्थापना-स्थल सम्बन्धी नीति के अनुरूप हो।

[हिन्दी]

दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी

4611. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री पीयूष तीरकी।

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कारखानों में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह चटोवार) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, कारखाना निरीक्षण/श्रम निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों के दौरान दिल्ली में कुछ कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम और बोनस संदाय अधिनियम आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाये गये।

(ख) वर्ष 1990 और 1991 के कैलेण्डर वर्ष के दौरान कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनिय, और बोनस, संदाय अधिनियम आदि जैसे श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के कथित उल्लंघन की 20,888 शिकायतें श्रम विभाग दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुई थीं।

(ग) इन शिकायतों की जांच दिल्ली प्रशासन के कारखाना निरीक्षकों/श्रम निरीक्षकों द्वारा की गई। 1990 और 1991 के दौरान श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत कुल 3944 प्रबंधकों/नियोक्ताओं पर अभियोजन दायर किए गए।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण को सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए योजना

4612. श्री जीवन शर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों/सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए फ्लैटों का आवंटन करने हेतु आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है और इनमें से कितने व्यक्ति अभी भी आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) शेष व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन कब तक किये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) से (ग) सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित विशेष पंजीकरण स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्र. सं.	स्कीम का नाम	पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या
1.	रिटायर्ड पर्सन्स स्कीम 1972	834
2.	रिटायर्ड पर्सन्स स्कीम, 1982	3440
3.	रिटायर्ड पर्सन्स स्कीम, 1985	4370
4.	एस. एफ. एस. फार रिटायर्ड/रिटायरिंग पर्सनस, 1981 (1983 में विस्तारित)	3242

पात्र पाए गए सभी पंजीकृतों को पहले ही फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

श्रमिक कर्मचारी कदाचार

4613. श्री जीवन शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर. बी. पटेल बनाम अहमदाबाद नगर निगम के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार नियोजक के लिए कदाचार निर्धारित करना आवश्यक है ताकि श्रमिक/कर्मचारी अपनी कमियां जान सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कदाचार को परिभाषित करने के लिए आचरण नियमों की पर्याप्त रूप से व्याख्या की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

आरक्षित रिक्त पदों का भरा जाना

4614. श्री छेदी पासवान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में 1 मार्च, 1992 को प्रत्येक श्रेणी में रिक्त पदों की संख्या क्या थी;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितना कितनी थी;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) इन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) से (घ) विभिन्न श्रेणियों के पदों में कुल रिक्तियों की संख्या का निर्धारण, उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के हिस्से को ध्यान रखते हुए इस सम्बन्ध में निर्धारित रोस्टर तथा जारी किए गए सम्बंधित अनुदेशों के अनुसार मंत्रालयों विभागों द्वारा स्वयं किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में समूह "क", "ख", "ग", तथा "घ" पदों में हुई रिक्तियों से संबंधित सूचना को इस मंत्रालय में केन्द्रीकृत रूप से मानीटर नहीं किया जाता।

पदों के प्रत्येक समूह में विभिन्न श्रेणियों की रिक्तियों को भरने का काम लगातार चलता रहता है तथा प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का इन रिक्तियों को भरने का अपना निश्चित समय कार्यक्रम होता है। भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक श्रेणी में बकाया आरक्षित रिक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है तथा विशेष भर्ती अभियान चलाने सहित इन पदों को भरने के लिए कदम उठाए जाते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए 1989 से 2 विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं। इस समय ऐसा तीसरा विशेष भर्ती अभियान चल रहा है। समूह "ग" तथा "घ" पदों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिए भी विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

[हिन्दी]

यूरिया का उत्पादन लक्ष्य

4615. श्री छेदी पासवान :

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकट स्वरलू।

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) अभी देश में सल्फेट पोटाश, कुमको, यूरिया और डाइ-अमोनिया का राज्यवार उत्पादन और मांग कितनी है;

(ख) क्या सरकार का इन उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा किन किन जगहों पर नये यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) देश में खरीफ 1991 के लिए अमोनियम सल्फेट (एएस) यूरिया और डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी) तथा रबी 1991 में यूरिया और डीएपी के सम्बन्ध में राज्यवार उत्पादन (अप्रैल 1991 से फरवरी, 1992) और अनुमानित मांग संलग्न विवरण पत्र में दर्शायी गयी है। रबी 1991 के लिए अमोनियम सल्फेट अथवा कुमको यूरिया के लिए मांग का अलग से कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) पुराने एककों के आधुनिकीकरण और पुनर्वास के अलावा काकीनाडा गड्डेपन, शाहजहांपुर और बबराला में अतिरिक्त नये यूरिया संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विजयपुर, आंवला और जगदीशपुर के वर्तमान यूरिया संयंत्रों के विस्तार के लिए भी प्रस्ताव है जो कि गैस की उपलब्धता के अध्यधीन है। तथापि, आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

इस समय देश में अमोनियम सल्फेट (ए एस), यूरिया तथा डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का राज्यवार उत्पादन अनुमानित मांग

(000 टन)

राज्य का नाम	उत्पादन अप्रैल-91 से फरवरी 92 तक			अनुमानित मांग				
	अमोनियम सल्फेट	यूरिया	डी ए पी	अमोनियम सल्फेट	खरीफ 1991 यूरिया	डी ए पी	रबी 1991-92 यूरिया	डी ए पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	13.00	172.3	322.0	55.00	793.89	319·75	993.00	187.00
कर्नाटक	—	235.6	143.4	26.00	350.14	236.30	254.08	105,00
केरल	108.9	185.8	41.1	12.00	75.00	17.37	49.11	3.00
पांडिचेरी	—	—	—	07.6	9,24	2,76	11,80	2.20
तमिलनाडु	—	761.3	431.5	22.00	2.50.00	68.90	477.45	105.50
अण्डमान निकोबार	—	—	—	—	0.37	0.45	0.20	0.20
गुजरात (कम्को यूरिया सहित	275.6	2981.2	796.5	89.92	330.00	185.33	408.67	198.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	42.9	832.0	—	9.00	519.00	180.00	410.00	225.00
महाराष्ट्र	—	1450.7	—	30.50	850.00	208.95	450.00	145.00
राजस्थान	—	333.6	—	1.45	200.00	130.00	305.00	150.00
गोवा	—	357.4	174.5	—	2.78	1.30	2.10	0.70
दमन और दीव	—	—	—	—	0.20	0.13	0.60	0.40
दादर और नागर हवेली	—	—	—	0.10	0.80	0.75	0.70	0.60
हरियाणा	—	410.8	—	—	360.00	75.00	539.60	225.00
पंजाब	—	777.3	—	5.00	800.00	118.00	918.20	500.00
उत्तर प्रदेश	—	2509.4	—	20.00	1450.00	151.00	2071.20	525.00
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	22.70	1.00	23.00	2.00
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	57.51	20.62	34.00	15.00
दिल्ली	—	—	—	—	7.40	1.80	15.00	4.40
चंडीगढ़	—	—	—	—	0.77	—	0.50	0.20
बिहार	26.0	249.0	—	28.00	456.00	72.00	463.50	152.50
उड़ीसा	9.4	103.1	620.3	10.33	165.30	24.40	75.00	20.00

पश्चिम बंगाल	11.6	93.5	143.8	19.49	254.62	74.70	520.00	175.00
आसाम	0.3	237.8	—	0.40	30.00	10.00	23.63	8.16
त्रिपुरा	—	—	—	—	10.00	3.00	9.60	2.00
मणिपुर	—	—	—	—	13.00	8.00	4.00	3.94
मेघालय	—	—	—	2.94	0.63	0.67	2.64	1.17
नागालैंड	—	—	—	—	1.12	0.50	0.45	0.20
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	0.25	0.10	0.09	0.09
सिक्किम	—	—	—	—	1.30	0.80	0.80	0.80
मिजोरम	—	—	—	—	0.15	1.00	0.33	0.20
टी बोर्ड (एनई)	—	—	—	5.00	22.60	—	32.00	—

[हिन्दी]

पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल लिमिटेड में भर्ती

4616. श्री छेदी पासवान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पायराइट्स फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, सिंहपुर में उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की हाल ही में की गई नियुक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे की तुलना में अभी भी रिक्त पदों की संख्या और उनके नाम क्या क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन रिक्तियों को भरने का है;

(घ) यदि हां, तो ये कब तक भरी जाएंगी; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) पहली जनवरी, 1990 से पाइराइटस फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पी पी सी एस) द्वारा भर्ती किए गए अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ग	अ.जा.	अ.ज.जा.
(1) इंजीनियरिंग स्नातक	16	2
(2) प्रबंध प्रशिक्षणार्थी (निष्पणन)	—	1
(3) कनिष्ठ अधिकारी (लेखा)	1	—
(4) तकनीकीशियन/वरिष्ठ तकनीशियन	2	—
(5) तकनीकी व्यवसाय में प्रशिक्षणार्थी	16	1
(6) डिप्लोमा प्रशिक्षणार्थी	2	—
(7) प्रशिक्षण क्षेत्रीय प्रतिनिधि	2	—
योग	39	4

(ख) अ. जा-/अ.ज.जा. के कोटे के साथ रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

पद	अ.जा.	अ.ज जा.
(1) प्रबंध प्रशिक्षणार्थी (इंजीनियरी)	1	4
(2) प्रबंध प्रशिक्षणार्थी (कार्मिक और प्रशासन)	—	1
(3) प्रबंध प्राशिक्षणार्थी (वित्तीय)	—	1
(4) प्रबंध प्रशिक्षणार्थी (चिकित्सा)	1	—
(5) फोरमैन (इंजीनियरिंग)	3	3
(6) कनिष्ठ अधिकारी (लेखा और वित्त)	2	1
(7) औ. प्र. सं. प्रशिक्षणार्थी	—	5
(8) ओवरसियर (सिविल)	1	—
(9) कम्पाउंडर	1	—
(10) सहायक सुरक्षा निरीक्षक/सुरक्षा निरीक्षक	1	2
(11) अध्यापक	1	—
(12) कम्प्यूटर प्रचालक	1	—
(13) चौकीदार	1	5
योग :	12	23

(ग) और (घ) अपेक्षित योग्यताओं तथा अनुभव को पूरा करने वाले उपयुक्त अ.ज. अ.ज. जा. के उम्मीदवारों की उपलब्धि की शर्तें के अध्यधीन, पी पी सी एल इन रिक्तियों को अप्रैल, 1992 तक भरने के प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में कोयला परियोजनायें

4617. श्री छेदी पासवान :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक शुरू किए गए कोयला परियोजनाओं के नाम क्या हैं और केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में आरंभ किए जाने वाली परियजनाओं के नाम क्या हैं, और

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

कोयला मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) कोयला परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों पर निवेश किए जाने से संबंधित निर्णय लेने के अतिरिक्त सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान बिहार की दो परियोजनाओं अर्थात राजमहल ओ. का. प. (विस्तार) ई. को. लि. (10.5 मि. ट. प्रतिवर्ष) और पिपरवार एकीकृत खान-सह-परिष्कृत परियोजना, से. को. लि. (4.5 मि. ट. प्रतिवर्ष कच्चा कोयला) को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन अधीन है। इसके साथ ही सरकार ने बिहार में 13 नई कोयला खनन परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्रवाई योजनाओं को भी मंजूरी दी है जो अभी 80.72 करोड़ रु. के निवेश से कार्यान्वयन के अधीन है।

इन परियोजनाओं को मंजूरी मिल जाने और पूरी होने के बाद उनसे लगभग 51 मिलियन टन प्रतिवर्ष अतिरिक्त उत्पादन का योगदान मिलेगा, जिससे लगभग 1800 करोड़ रु. का पूंजीगत निवेश होने की संभावना है।

वर्तमान में बिहार की तीन कोकिंग कोयला परियोजनाएं मूल्यांकन तथा समीक्षा के अगले चरण में है अर्थात पारेज ओपेनकास्ट, झारखंड ओपेनकास्ट और तोपा पुनर्गठन। परियोजनाओं पर निवेश सम्बन्धी निर्णय, अन्य बातों के अलावा, पर्यावरणीय/वन सम्बन्धी अनुमोदन, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा निधियों की उपलब्धता, आदि पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4618. श्री मोहन रावले :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो मारुति उद्योग लिमिटेड में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अनेक अवसरों पर मारुति उद्योग लिमिटेड के चेयरमैन सह प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए उद्योग मंत्रालय से अनुमति मांगी है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उक्त अनुमति दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह अनुमति कब दी जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. के. चुंबन) : (क) से (च) एक परिवहन संविदा तथा एयर कंडीशनरों की खरीद के बारे में सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं जो अभी विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पदों को भरना

4619. डा. असीम बाला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने पदों को भरा गया है,

(ख) राज्यवार और वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार के और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों (अर्थात् प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने पद, अभी भी रिक्त पड़े हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) तथा (ख) बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान, 1989 तथा 1990 द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । पिछले दो वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरी गई रिक्तियों की कुल संख्या से संबंधित सूचना मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है ।

(ग) 31.3.91 की स्थिति के अनुसार पिछली बकाया रिक्तियों तथा विभिन्न विभागों द्वारा यथा सूचित विशेष भर्ती अभियान के परिणाम स्वरूप अब तक जारी किए गए नियुक्ति प्रस्ताव निम्न प्रकार है :

	पिछली बकाया (अस्थायी)	जारी किए गए नियुक्ति
संघ सरकार	16,362	4,512
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	12,149	4,963

विवरण

1989 तथा 1990 में आयोजित विशेष भर्ती अभियान में भरी गई रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

	1989 अनु. जाति/अनु. जनजाति	1990 अनु. जाति/अनु. जनजाति
संघ सरकार	31253	19879
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	8125	6316

ऐसी सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती है ।

[अनुवाद]

आईडीपीएल द्वारा आपूर्ति आदेश प्राप्त करने के लिए कथित कमीशन का भुगतान

4620. डा. असीम बाला :

श्री हरिन पाठक :

क्या प्रधान मन्त्री 28 अगस्त, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आईडीपीएल द्वारा आदेश प्राप्त करने के लिए कथित कमीशन का भुगतान के बारे में सरकारी उपक्रम विभाग द्वारा मांग पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और ये जांच कब तक पूरी किए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) सरकारी उद्यम विभाग ने सम्बद्ध मुद्दों की जांच अभी पूरी नहीं की है। इस जांच में ऐसे मामलों में मार्गदर्शी कपरेखाओं के निर्धारण की आवश्यकता सहित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना शामिल होगा। अतः इसमें कुछ और समय लग सकता है।

[अनुवाद]

एच. एम. टी. को हानि/लाभ

4621. प्रो. के. वी. थामस :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. की विभिन्न इकाइयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हुई हानि और लाभ का इकाई वार ब्योरा क्या है, और

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. की विभिन्न इकाइयों का वर्ष 1992-93 के दौरान इकाई वार प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. की विभिन्न इकाइयों को वर्ष 1988-89, और 1990-91 के दौरान हुए लाभ और हानि का ब्योरा विवरण में संलग्न है।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों का वर्ष 1992-93 के दौरान प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रमों का ब्योरा इस प्रकार है :—

(लाखों रुपयों में)

इकाई	
बड़ी कारखाना, बंगलौर	1021

बड़ी कारखाना, तुमकर	1200
बड़ी केस प्रभाग, बंगलौर	988
ट्रैक्टर प्रभाग, पिंजौर	1359

विवरण

एकक	(1988-89)	(1989-90)	(1990-91)
एच. एम. टी. I और II बंगलौर	—11	—583	—564
एच. एम. टी. III पिंजौर	—17	76	134
एच. एम. टी.-4 कलमसेरी	30	280	265
एच. एम. टी.-5 हैदराबाद	—490	184	118
एच. एम. टी.-6 अजमेर	—439	—701	—444
होरोलोजिकल मशीनरी बंगलौर	173	126	120
सी. एन. सी. प्रणाली, बंगलौर	119	311	520
बड़ी कारखाना I और II बंगलौर	525	502	146
बड़ी कारखाना III श्रीनगर	—9	—237	—487*
बड़ी कारखाना-4 तुमकर	849	1054	782
बड़ी कारखाना-5 रानीबाग	—224	—359	—644
बड़ी केस प्रभाग बंगलौर	100	100	32
मिनीयेचर बैटरी प्रभाग गुवाहाटी	14	41	46
ट्रैक्टर प्रभाग पिंजौर	940	1475	2249
डेयरी मशीनरी, औरंगाबाद	शून्य (0)	—4	शून्य (0)
लेम्प प्रभाग हैदराबाद	—1075	—749	—639

*इस घाटे को देखते हुए वर्ष 1990-91 में सरकार द्वारा 500 लाख रुपये की सहायता दी गई ताकि इसके प्रचालनों को स्थिर रखा जा सके और बड़ी कारखाना-III, श्रीनगर के प्रवासी कर्मचारियों को भुगतान किया जा सके क्योंकि इस इकाई ने काश्मीर घाटी में कठिन और अशांत परिस्थितियों में प्रचलन किया।

[अनुवाद]

दिल्ली के लिए आवंटन

4622. श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) योजना आयोग द्वारा दिल्ली के लिए वर्ष 1992-93 हेतु कितनी राशि आवंटित करने को स्वीकृति दी गई है और इसमें से कितनी राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु निर्धारित की गई है;

(ख) क्या योजना आयोग का दिल्ली की विभिन्न चालू विकासीय योजनाओं को पूरा करने के लिए इसके लिए विशेष धनराशि निर्धारित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मन्त्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) दिल्ली की वार्षिक योजना 1992-93 के लिए 920 करोड़ रु. के परिव्यय पर सहमति हुई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निधियों के अंशदान के लिए । करोड़ रु. भी शामिल है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए परिव्यय शीर्ष/उप शीर्ष वार अनुमोदित किए जाते हैं न कि स्कीमवार। स्कीमवार आवंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली प्रशासन सहित द्वारा स्वयं किए जाते हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार में अधिकारियों की संख्या

4623. श्री एच. डी. देवगौड़ा :

श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1.1.90, 1.1.91 तथा 1.1.92 को केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक तथा उप-सचिव पद के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) यदि इसमें कोई बड़ा परिवर्तन किया गया है तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) 1.1.92 को उक्त पदों के समकक्ष परन्तु जिनके पदनाम नहीं हैं जैसे विभिन्न बोर्डों के चेयरमैन अथवा सदस्य और सम्बद्ध कार्यालयों के प्रमुखों के अतिरिक्त पदों की संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माग्रेड अल्वा) : (क) दिनांक 1.1.90, 1.1.91 तथा 1.1.92 को संघ सरकार में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक तथा उप-सचिव तथा समकक्ष पद के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

	पदों के विभिन्न स्तर				
	सचिव	अपर सचिव	संयुक्त सचिव	निदेशक	उप-सचिव
1.1.1990 की स्थिति के अनुसार	112	106	394	390	518
1.1.1991 की स्थिति के अनुसार	124	103	411	369	525
1.1.1992 की स्थिति के अनुसार	125	99	373	344	496

(ख) विभिन्न मंत्रालयों में कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर पदों को सृजित/समाप्त किया गया था।

(ग) दिनांक 1.1.92 की स्थिति के अनुसार, सचिव, अपर सचिव आदि के समकक्ष पद जिनका सचिवालयी पदनाम नहीं है की संख्या इस प्रकार है :—

सचिव स्तर	44
अपर सचिव स्तर	29
संयुक्त सचिव स्तर	138
निदेशक स्तर	119
उप-सचिव स्तर	184

[अनुवाद]

लोक शिकायतें

4624. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक शिकायत विभाग के निदेशकों को पिछले वर्ष सरकारी विभागों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) प्रत्येक विभाग के विरुद्ध कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) शिकायतें किस प्रकार की हैं और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) 1991 के दौरान, लोक शिकायत निदेशालय को 4077 शिकायतें प्राप्त हुईं जो उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले विभागों से संबंधित थीं। इन शिकायतों का विभाग-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

बैंकिंग	687
बीमा	463
रेलवे	1584
डाक	391
दूर संचार	551
नागर विमानन	54
भूतल परिवहन	61
शहरी विकास	286
योग	4077

(ग) मुख्य शिकायतें, रेलवे के संबंध में मुआवजा दावा, डाक की डिलीवरी में विलंब और रजिस्टर्ड पत्रों के खोए जाने, टेलीफोन की खराबी दूर करने में विलंब और टेलीफोन के अधिक बिलों, बैंकों से धोखेबाजी से धन निकाले जाने, बीमा प्रीमियमों का त्रुटिपूर्ण आकलन और बीमा दावों के निपटाने में विलंब, एजेन्टों के आचरण और सम्पत्ति के नामांतरण तथा सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की अदायगियों के निपटान में विलंब के बारे में होती हैं।

निदेशालय द्वारा जांच हेतु लिए गए बहुत से मामले शिकायतकर्त्ताओं के सन्तोष के अनुसार निपटाये जा चुके हैं। जिन मामलों में कर्मचारी अपने कर्तव्यों में लापरवाह पाये जाते हैं, सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली नगर निगम के लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों को देय बकाया धनराशि

4625. श्री राम जेठमलानी :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न भवन निर्माण ठेकेदारों की धनराशि देय है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) नगर निगम ने सूचित किया है कि 15.3.92 की स्थिति के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं तथा ठेकेदारों के बिलों की कुल बकाया राशि 3855 लाख रुपए है। इसमें से 1505 लाख रुपए की योजना राशि 31.3.92 से पहले चुकता की जाएगी। बकाया 2350 लाख रुपए का जहां तक सम्बन्ध है, 31.3.92 तक जितना संभव हो सके चुकता किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु साधन और स्रोत अनुदान के लिए दिल्ली प्रशासन/गृह मंत्रालय से पहले ही प्रस्ताव किया है ताकि देनदारियों को चुकता किया जा सके।

[हिन्दी]

सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण

4626. श्री राम जतन :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ।

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1992 के दौरान राजधानी में कुछ सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए कौन-कौन से स्थान तय किए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) संबंधित संगठनों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के मध्यम श्रेणी के शहरों के विकास संबंधी रिपोर्ट

4627. श्री ओकान्त जेना :

श्री अर्जुनसिंह यादव :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में मध्यम श्रेणी के शहरों के विकास सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क), (ख) तथा (ग) यद्यपि निधियों के उपयोग सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, कार्य की वास्तविक प्रगति संबंधी पूर्ण रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के संबंध में निधियों के रिलीज दर्शाने वाला एक विवरण क्रमश: संलग्न विवरण-i और ii में दिया गया है पहले रिलीज की गई निधियों के उपयोग की मात्रा के सम्बन्ध में सूचना के आधार पर निधियां रिलीज की जाती है ।

विवरण-I

(रुपए लाख में)

		छठी योजना कुल रिलीज	सातवीं योजना कुल रिलीज	1990-91 कुल रिलीज	योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	उड़ीसा				
	छठी योजना				
	1. पुरी	37.000	3.000	—	40.000
	2. सम्बलपुर	37.500	—	—	37.500
3.	बालासोर	40.000	—	—	40.000
4.	राऊरकेला	40.000	—	—	40.000
5.	जैपोर	28.000	12.000	—	40.000
6.	धनकनाल	30.000	10.000	—	40.000
	योग	212.500	25.000	—	237.500
	सातवीं योजना				
7.	क्योझार	—	46.500	8.000	54.500
8.	बारीपाडा	—	46.000	—	46.000
9.	बोलनगीर	—	45.000	1.000	46.000
10.	पारादीप	—	18.000	18.000	36.000
11.	कोरापुट	—	20.000	20.000	40.000
12.	फूलबनी	—	39.750	—	29.750
13.	भवानी पटना	—	29.750	11.250	41.000
	योग	—	235.000	58.250	293.250
	आठवी योजना				
14.	केन्द्रपाड़ा	—	—	40.000	40.000
15.	अंगुल	—	—	25.000	25.000

1	2	3	4	5	6
16.	जालपुर रोड	—	—	25.000	25.000
17.	बारगढ़	—	—	25.000	25.000
18.	रायगडा	—	—	15.000	15.000
19.	गोपालपुर	—	—	20.000	20.000
	योग	—	—	120.000	120 000

1991-92 के दौरान अदरक के सम्बन्ध में 20 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण-II

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/नगर	छठी योजना कुल रिलीज	सातवीं योजना कुल रिलीज	1990-91 कुल रिलीज	सकल योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	उत्तर प्रदेश				
	छठी योजना				
1.	बीजपुर	20.550	21.250	—	41.800
2.	फतेहपुर	21.000	20.600	—	41.600
3.	आजमगढ़	23.000	16.000	—	39.000
4.	हाथरस	10.000	29.000	—	39.000
5.	बांदा	22.000	8.500	—	30.500
6.	बाराबंकी	23.000	16.000	1.000	40.000
7.	रायबरेली	35.000	5.000	—	40.000
8.	अमरोहा	19.000	17.000	—	36.000
9.	झांसी	21.500	18.000	—	39.500
10.	बलिया	30.500	9.500	—	40.000
11.	महोबा	8.200	9.330	—	17.530
12.	कानपुर	7.000	5.000	—	22.000
13.	बांदीपुर	17.600	13.000	—	38.600

1	1	3	4	5	6
14.	सीतापुर	31.200	13.000	—	44·200
15.	मैनपुरी	25.000	14.000	—	39·000
16.	हरदोई	28.500	10.500	—	39.000
17-	बिजनौर	20·750	16.000	—	36.750
18.	उरई	28.830	15.000	—	43.830
19.	देवरिया	28.500	10.500	—	39.000
20.	बदायूं	13.000	22.500	—	5.500
21.	अमेठी	6.000	33.000	—	39.000
22.	फाजीपुर	10.000	29.000	—	39.000
23.	पडरौना	17.000	22.000	—	39.000
	योग	467.130	391.680	1.000	859.810
	सातवीं योजना				
24.	सुलतानपुर	—	53.000	—	53.000
25.	बिसवान	—	33.250	—	53.250
26.	शामली	—	30.000	—	30.000
27-	बदोही	—	25.500	—	25.500
28.	मोनाथाभजन	—	25.900	—	25.900
29.	सांविला	—	27.000	—	27.000
30.	पीलीभीत	—	15.000	—	15.000
31.	बहराईच	—	25.550	—	25.550
32.	ललितपुर	—	29.300	—	29.300
33.	मिर्जापुर	—	28.800	—	28.800
34.	ईटावा	—	20.000	24.000	44.000
35.	सम्भल	—	20.000	—	20.000
36.	हल्द्वानी	—	17.000	—	17.000
	योग	—	350.300	24 000	374.300

1	2	3	4	5	6
	आठवीं योजना				
37.	लखीमपुर	—	—	27.500	27.500
38.	सिकन्दरा राव	—	—	10.000	10.000
39.	कांच	—	—	27.500	27.500
40.	कैराना	—	—	27.500	27.500
41.	मोदी नगर	—	—	25.000	25.000
42.	जलेसर	—	—	15.000	15.000
43.	मौरव्या	—	—	4.000	4.000
44.	खड़की	—	—	18.000	18.000
45.	घोंडा	—	—	19 000	19.000
	योग			17-.:00	173.500
	सकल योग	467.130	741.980	198.5(0	1407.610

वर्ष 1991-92 के दौरान कोसाकला और सिकन्दराबाद के सम्बन्ध में क्रमश: 20 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है ।

[हिन्दी]

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा को दी जा रही सहायता में कटौती

4628. श्री श्रीकांत जेना :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों में निराशाजनक परिणाम दिखाने के कारण उड़ीसा राज्य को दी जा रही केन्द्रीय सहायता में कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी कटौती की गई;

(ग) किन-किन कार्यक्रमों के लिए यह कटौती की गई, और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा को कार्यक्रमों में निराशाजनक परिणाम दिखाने के कारण केन्द्रीय सहायता में कोई कटौती नहीं की गई है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

राज्यों में आदर्श गांव

4629. श्री हरिकेवल प्रसाद ।

श्री अर्जुनसिंह यादव ।

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खादी व ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से कुछ आदर्श गांव स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु किन-किन स्थानों का राज्य-वार/संघ शासित क्षेत्र-वार चयन किया गया है, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) जी. नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली धनराशि

4630. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान नेहरू रोजगार योजना के लिए निर्धारित राशि में कटौती करने का है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकासमंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष (1991-92) के लिए नेहरू रोजगार योजना के निमित्त नियतन को वार्षिक कटौती के फलस्वरूप 113 करोड़ रुपए से घटाकर 102 करोड़ रुपए किया है । अगले वित्तीय वर्ष (1992-93) के लिए नियतन लगभग 71 करोड़ रुपए है ।

नियतन, उपर्युक्त योजना के लिए योजना संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है ।

[अनुवाद]

मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम

4631. डा. लक्ष्मीनारायण पांडे :

श्री वी. एन. शर्मा प्रेम-१

श्री फूलचंद वर्मा ।

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज ने दिल्ली मेट्रो ट्यूब रेल सिस्टम के बजाय मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के निर्माण की पेशकश की है,

(ख) क्या नई दिल्ली नगर निगम ने प्रस्तावित दिल्ली मैट्रो ट्यूब रेलवे पर आपत्ति की है और रेल इंडिया टैक्निकल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की परियोजना को मंजूरी नहीं दी है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी आपत्तियों के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) राइट्स द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन में 184.5 कि. मी. की कुल दूरी के लिए एम. आर. टी. एस. की व्यवस्था की अनुशंसा की गई है जिसमें 27 कि. मी. का मेट्रो ट्यूब रेल सिस्टम भी शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा सौर पैनल आरम्भ किया जाना

4632. डा. लक्ष्मीनारायण पांडे :

डा. ए. के. पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बाजार में 10 कि. मी. लम्बी सौर पैनल आरम्भ करने का दावा किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या प्रगति हुई है,

(ग) वर्तमान सौर पैनल द्वारा उत्पादित ऊर्जा की प्रति इकाई लागत कितनी है और यह जल विद्युत और ताप विद्युत की तुलना में कितनी है,

(घ) क्या सौर प्रणाली प्रकाश प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद है, और

(ङ) सौर प्रणाली के माध्यम से 40 वाट के बल्ब द्वारा शहर की गलियों को प्रकाशित करने पर आई लागत जल विद्युत प्रणाली की तुलना में कितनी है ?

प्रधानमन्त्री श्री (पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली ट्यूब रेलवे

4613. डा. लक्ष्मीनारायण पांडे :

श्री बी. एल. शर्मा प्रेम।

श्री फूलचंद शर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के वाणिज्यिक क्षेत्र में कनाट प्लेस में निर्मित मौजूदा और निर्माणाधीन भूमिगत मार्गों को प्रस्तावित दिल्ली ट्यूब रेलवे के लिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इन्जीनियरिंग सर्विसेज लि. द्वारा तोड़ा/ढका जा रहा है,

(ख) क्या उक्त तथ्य को देखते हुए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा जन्तर-मन्तर के स्मारकों, टाउन हाल, जयसिंह रोड, संसद मार्ग जंक्शन आदि के अधिस्तर पर 3 टियर के फ्लाई ओवर के निर्माणार्थ स्वीकृत/अनुमोदित योजनाओं को छोड़ देगा, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कर्मचारियों द्वारा धरना

4634. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 6 मार्च, 1992 के धरने को रोकने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ और भारत सरकार के बीच हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : यूनियन को चर्चा के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियां प्रशासनिक रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती हैं। यह भी निर्णय हुआ था कि यूनियन की मांगें राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेजी जायेंगी कि उक्त मामले पर उनके द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

4635. श्री अकुंश सिंह यादव :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की प्रतिशतता अन्य राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का प्रतिशत क्या रहा है, और

(ग) उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय पूंजी निवेश में वृद्धि करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. के. चुंगन) : (क) से (ग) 31.3.1991 को उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में 10229.26 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश किया गया है जो सभी राज्यों में किए गए कुल पूंजीनिवेश का 7.9% है। 31.3.91 तक की स्थिति के अनुसार पूंजीनिवेश की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य पांचवे स्थान पर आता है। राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजीनिवेश संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना

4636. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पक्की सड़कों से अभी जोड़ने हेतु देश में राज्य-वार गांवों की संख्या कितनी है;

(घ) इन गांवों को कब तक पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में, आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई समयबद्ध कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (उत्तममाई एच. पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण सड़कों सहित सड़कों का निर्माण करना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य का विषय है तथा इसके लिए निधियां राज्य योजना/बजट में उपलब्ध कराई जा रही हैं ·

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) चूंकि यह राज्य का विषय है, अत: केन्द्र सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसलिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बताया जा सकता है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		सातवीं योजना तक 1000 तथा इससे अधिक की ग्रामीण जनसंख्या वर्ग में अभी पक्की सड़कों से जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2286

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	13
3.	असम	40
4.	बिहार	6188
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	406
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	70
9.	जम्मू व कश्मीर	134
10.	कर्नाटक	2202
11.	केरल	—
12.	मध्य प्रदेश	2080
13.	महाराष्ट्र	864
14.	मणिपुर	—
15.	मेघालय	—
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	16
18.	उड़ीसा	1034
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	1147
21.	सिक्किम	9
22.	तमिलनाडु	561
23.	त्रिपुरा	83
24.	उत्तर प्रदेश	5360
25.	पश्चिम बंगाल	4022
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—
27.	चंडीगढ़	—
28.	दादरा व नगर हवेली	4

1	2	3
29.	दमन व दीव	—
30.	दिल्ली	—
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	—

[हिन्दी]

सीमेंट उद्योग द्वारा उत्पादन

4537. श्री अगमोल सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस शताब्दी के अन्त तक सीमेंट की अनुमानित मांग कितनी होगी,

(ख) क्या इस समय देश में सीमेंट का उत्पादन इस अनुमान से बहुत कम है,

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान सीमेंट का अनुमानित: कितना उत्पादन हुआ और इसमें से सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा कितना उत्पादन किया गया, और

(घ) सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग को क्या सहायता सुविधाएं तथा प्रोत्साहन दिये जाने की संभवना है ताकि सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि की जा सके और अनुमानित मांग पूरी की जा सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : (क) अनुमान है कि देश में सीमेंट की मांग चालू वर्ष की 54 मिलियन मी. टन से बढ़कर 8 वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 1996-97 में 80 मिलियन मी. टन हो जायेगी ।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के लिए 55 मिलियन मी. टन सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें 12% विकास दर की परिकल्पना की गयी है । प्रथम 8 महीनों (अप्रैल-नवम्बर, 1991) के दौरान प्राप्त किया गया वास्तविक उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) सरकार की नीति सीमेंट का उत्पादन अधिकतम करने और इसकी उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों को न्यूनतम करने की है । इस उद्देश्य के लिए इस उद्योग को आधार भूत सहायता खासतौर पर कोयले, बिजली तथा कोयले व सीमेंट की ढुलाई के लिए रेल डिब्बा की उपलब्धता की कड़ी निगरानी की जा रही है और जहां जरूरी होता है वहां उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

विवरण

(लाख मी. टनों में)

क्षेत्र	क्षमता (अप्रैल से नवम्बर, 91)	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1	2	3	4
सरकारी क्षेत्र			
सी. सी. आई.	28.32	20.88	19.92

1	2	3	4
सी. सी. आई. के अतिरिक्त	34.80	20.24	12.41
सरकारी क्षेत्र का कुल उत्पादन	63.12	41.12	32.33
निजी क्षेत्र	306.32	29[illegible].92	291.39
बड़े सीमेंट संयंत्रों का कुल उत्पादन	379.44	334.03	323.72
मिनी तथा व्हाइट	32.80	19.27	21.55
कुल योग	412.24	353.30	345.27

[हिन्दी]

"हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" अजमेर द्वारा उत्पादन

4638 प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में "हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" फैक्टरी, अजमेर (राजस्थान) में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कम्पनी को कितना लाभ/हानि हुई है

(ग) पहले लाभ और घाटे के क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) :(क) वित्तीय वर्ष 1988-89, 989-90 तथा 1990-91 के दौरान, एच. एम. टी.—6 अजमेर (राजस्थान) का उत्पादन निम्न प्रकार है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	उत्पादन
1988-89	1180
1989-90	1265
1990-91	1829

(ख) कम्पनी द्वारा अर्जित किया गया कर पूर्व लाभ, नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	लाभ
1988-89	615
1989-90	581
1990-91	1558

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान को कोयले की आपूर्ति

4639. प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान को किन-किन स्थानों से और कितनी मात्रा में कोयला की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या राजस्थान को उनकी आवश्यकतानुसार कोयला नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों से राज्य को कोयला न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कोयले के बढ़ते दामों को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) राजस्थान में विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था कोल इंडिया लि. की निम्नलिखित सहायक कंपनियों से की जाती है :—

1. नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.
2. भारत कोकिंग कोल लि.
3. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
4. सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.
5. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
6. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

आपूर्ति किए गए कोयले का ग्रेड उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत रूप में आवश्यकताओं और संयोजनों पर निर्भर करता है।

पिछले तीन वर्षों के अन्दर निम्नलिखित रूप में कोयले की आपूर्ति की गई :—

(आंकड़े हजार टनों में)

राज्य	वर्ष	विद्युत	सीमेंट	उर्वरक	कागज	वस्त्र/रेयन	साफ्ट कोक	हार्ड कोक	अन्य
राजस्थान	1988-89	831	1077	296	—	65	3	4	380
	1989-90	1599	1097	336	—	77	1	7	792
	1990-91	1467	1065	254	—	162	1	6	895

(ख) से (घ) उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लि. द्वारा संयोजनों/प्रायोजनों के आधार पर और कोयले तथा रेल वैगनों की उपलब्धता के अनुसार समीप के युक्तसंगत स्रोत से की जाती है। महत्वपूर्ण क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के कारण गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति में कुछ कमी रही है। किन्तु कोयला मंत्रालय ने सभी कोयला कम्पनियों को इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को संयोजित कोयले की मात्रा के न्यूनतम 50% मात्रा की आपूर्ति करें। इससे सम्पूर्ण देश में उपभोक्ताओं को कोयले की उपलब्धता में सुधार आएगा, जिसमें राजस्थान के उपभोक्ता भी शामिल हैं।

(ङ) कोयले के उत्पादन में कमी लाए जाने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल है :—

(1) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू कामगारों की पुनः तैनाती और प्राकृतिक रूप से फिजूलखर्ची के कारण रिक्त पदों के एवज में नए कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाया जाना शामिल है।

(2) श्रमशक्ति में वृद्धि पर स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के जरिए नियंत्रण।

(3) "माल मैन-माल जांच" की संकल्पना को प्रायोगिक आधार पर प्रयोग में लाया जा रहा है।

(4) पर्याप्त रूप में वर्कशाप-स्पोर्ट, स्पेयर पुर्जों की व्यवस्था में सुधार और उपकरणों को समय पर विस्थापन करके उपकरणों की उपयोगिता तथा उपलब्धता में सुधार।

(5) भूमिगत खानों पर विशेष जोर देकर उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि।

(6) कार्यचालन की दक्षता में सुधार लाए जाने के लिए कई सुधार पद्धतियां तथा प्रबंधनीय उपाय अंगीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा परिवहन राज सहायता की मांग

4640. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परिवहन राज सहायता योजना हेतु वार्षिक क्या मांग है और गत तीन वर्षों के दौरान इनसे कितने दावे प्राप्त हुए और राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार उनके दावों के लिए इस अवधि के दौरान कितनी राज सहायता जारी की गई; और

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कितनी बकाया राशि संचित है और सरकार का इन शेष राशियों को कब तक जारी करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 से

1991-92 के दौरान प्राप्त दावों और राज्यवार प्रतिपूर्ति की गई राशि संबंधी दो विवरण क्रमशः विवरण-I और II में दिये गये हैं। लंबित पड़े प्रतिपूर्ति के दावे विवरण-III में दिए गए हैं। ज्योंही धनराशि उपलब्ध होगी इन दावों में से पात्र दावों की प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।

विवरण-I

प्राप्त दावे

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1989-90	1990-91	1991-92 (20 मार्च, 1992 तक)
1.	असम	1188.09	1090.47	182.11
2.	हिमाचल प्रदेश	443.74	617.27	285.74
3.	जम्मू और कश्मीर	149.31	273.31	211.31
4.	मणिपुर	6.57	45.74	—
5	मेघालय	36.75	65.31	—
6.	नागालैंड	—	326.57	—
7.	सिक्किम	120.95	47.13	200.00
8.	त्रिपुरा	31.25	26.28	196.76
9.	उत्तर प्रदेश	103.44	106.21	100.91
10.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	144.95	124.05	279.15
12.	अरुणाचल प्रदेश	218.68	257.13	—
13.	मिजोरम	24.82	—	—
14.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—
	योग :—	2468.55	2979.47	1481.40

विवरण-II

परिवहन राजसहायता योजना के तहत की गई राज्यवार प्रतिपूर्ति की राशि

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	1989-90	1990-91	1991-92 (20 मार्च, 1992 तक)
1	2	3	4	5
1.	असम	126.86	1604.90	513.98

1	2	3	4	5
2.	हिमाचल प्रदेश	660.00	513.04	30.80
3.	जम्मू और कश्मीर	136.72	252.84	71.34
4.	मणिपुर	1.28	16.78	—
5.	त्रिपुरा	26.52	57.86	—
6.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.95	152.61	57.81
7.	अरुणाचल प्रदेश	15.70	212.71	—
8.	उत्तर प्रदेश	84.60	106.94	18.58
9.	सिक्किम	99.12	66.64	52.33
10.	मेघालय	38.74	50.27	—
11.	नागालैंड	223.51	217.32	205.78
12.	मिजोरम	—	23.58	—
13.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
13.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—
	योग :	1500.00	3275.39	950 57

विवरण-III

20 मार्च, 1992 को परिवहन राजसहायत योजना के तहत राज्यवार लंबित पड़े दावों के विवरण

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	राशि (रुपये करोड़ में)
1	2	3
1.	असम	1.99
2.	हिमाचल प्रदेश	3.96
3.	जम्मू और कश्मीर	1.48
4.	मणिपुर	0.34
5.	नागालैंड	3.31
6.	मेघालय	0.22
7.	सिक्किम	1.44

1	2	3
8.	उत्तर प्रदेश	1.18
9.	पश्चिम बंगाल	—
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.79
11.	अरुणाचल प्रदेश	3.79
12.	लक्षद्वीप	—
13.	त्रिपुरा	0.25
14.	मिजोरम	0.26
	योग :	20.53

एच. एसिड उत्पादक एकक

4641. डा. रवि मल्लू :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्ग निर्देश हेतु पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रसायनों की सूची को स्वीकार कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) प्रत्येक राज्य में एच. एसिड उत्पादक कारखानें कहां कहां स्थित हैं और उनकी स्थापित क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन कितना रहा, और

(घ) क्या एच. एसिड एककों, जिन्हें राजस्थान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था अब गुजरात के बड़ौदा में स्थानांतरित हो गये हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राजस्थान में इन एककों से हुई क्षति का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) अधिकांश यूनिटें गुजरात में केन्द्रित है। राजस्थान स्थित यूनिटें पहले ही बन्द कर दी गई है। एच. एसिड की कुल अधिष्ठापित क्षमता 25 000 टी पी ए है और उत्पाद 15,000 से 18,000 टी पी ए के बीच है। स्थान सहित यूनिटों की सूची संलग्न है। अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बारे में यूनिटवार जानकारी भारत सरकार द्वारा मानीटर नहीं की जाती है।

(घ) राजस्थान स्थित यूनिटें अप्रैल, 1989 से बन्द कर दी गई बताई जाती है और यूनिटें विघटित की जा रही है तथा राज्य से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थान्तरित की जा रही है। किन्तु किसी भी यूनिट ने गुजरात में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमति हेतु भारत सरकार से अभी तक सम्पर्क नहीं किया है। क्षेत्र में केवल भू-जल संदूषित हुआ है।

विवरण

एकक का नाम	स्थान
1. मे. अरुण डास्टक इंडस्ट्रीज	अहमदाबाद
2. मे. महा केम. इंडस्ट्रीज	अहमदाबाद
3 मे. शिव इंडस्ट्रीज	अहमदाबाद
4. मे. श्रीरेन्ग केमिकल्स	अहमदाबाद
5. मे. एस आर इन्टरमिडएट्स प्रा. लि.	अहमदाबाद
6. मे. ऐशवारिया केमिकल्स प्रा. लि.	अहमदाबाद
7. मे. अनिल डाई-केम इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	अहमदाबाद
8. मे. एसोसिएटिड केमिकल एण्ड इन्टरमिडिएट्स प्रा. लि.	अहमदाबाद
9. मे. डिनटेक्स डाइ-केमिकल इंडस्ट्रीज	अहमदाबाद
10. मे. मिलेन इंटरमिडिएट्स प्रा. लि.	अहमदाबाद
11. मे. राहुल डाइ-केम इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	अहमदाबाद
12. मे. ऐल उद्योग	अहमदाबाद
13. मे. विवेक डाइ-केमि इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	अहमदाबाद
14. मे. विवेक डाइ-केम इंडस्ट्रीज	अहमदाबाद
15. मे. वाई के एम इंटरमिडिएट्स प्रा. लि.	अहमदाबाद
16. मे ओजो कलर केमिकल इंड.	बडोदा
17. मे. पाटिडार डाइ-केम प्रा. लि.	जूनागढ़
18. मे. एलकेमि. इंड.	बलसाड
19. मे. शक्ति केमि. इंड.	वापी
20. मे. स्केन ओर्गेनिक प्रा. लि.	बम्बई
21. मे. श्री गिनिराज डाइस एण्ड इंटरमिडिएट्स प्रा. लि.	थाणे
22. मे. परसुराम ओर्गेनिक प्रा. लि.	बम्बई
23. मे. रोस मुरारका फाइनान्स लि.	बम्बई
24. मे. रोसेस्टर इंडिया इन्टरप्राइजिज लि.	पुणे
25. मे. अतुल प्रोडक्ट्स लि.	अहमदाबाद
26 मे. बोडिया केमिकल्स प्रा. लि.	रतलाम
27. मे. मारडिया केमिकल्स लि.	अहमदाबाद

28. मे. मालवा वनस्पति एण्ड केमिकल्स कं. लि.	इन्दौर
29. मे. साजन इरफेक्स (प्रा.) लि.	रतलाम
30. मे. जिनाइथ केमिकल्स	बम्बई
31. मे. जलान ट्रेडिंग क. प्रा. लि.	बम्बई
32. मे. अमल रसायन लि.	बलसाड
33. मे. राठी डाइ-केमि. प्रा. लि.	पुणे

[अनुवाद]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कार्यों की जांच

4643. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कार्यों की जांच की गयी है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) घटिया कच्चे माल की खरीद और प्रयोग के बारे में कुछ शिकायतों और अत्यधिक खर्च के बारे में आरोपों की जांच की गई है। यह पाया गया है कि कंपनी ने किसी घटिया कच्चे माल का प्रयोग नहीं किया था।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

4644. श्री राज नाईक :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए कोई कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उक्त कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशों की भी जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों का मूल्यांकन करने तथा इस पर विचार करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में बनाये गये समयबद्ध कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) कंज्यूमर गाइडेंस सोसायटी आफ इंडिया ने 12 से 14 फरवरी, 1992 तक यवतमाल में मूलभूत उपभोक्ता शिक्षा के संबंध में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजना किया था।

(ग) से (च) उक्त सोसायटी से प्राप्त सूचना के अनुसार, उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

4645. श्री ब्रह्मानन्द मण्डल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के बारे में जनता को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) इस कानूनी सेवा को देश के सभी भागों में तेजी से न पहुँचाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किए गए कुछ प्रमावी निर्णयों का दूरदर्शन पर प्रसारण करने का है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सरकार ने जनता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के संबंध में जानकारी देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा साहित्य का प्रकाशन करना, जो निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, शामिल है। दूरदर्शन एक पाक्षिक कार्यक्रम "संरक्षण उपभोक्ता का" प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर उपयोगी सूचना प्रसारित की जाती है। दूरदर्शन/आकाशवाणी समय-समय पर इस विषय पर विशेष कार्यक्रम चलाते हैं। इसके अलावा, कुछ श्रव्य-दृश्य सामग्री भी तैयारी की गई है, जो राज्यों को वितरित की गई है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 28 राज्य आयोगों तथा 360 जिला मंत्रों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। कुछ राज्यों ने प्रतिवाद एजेंसियों के कार्य न करने का कारण वित्तीय बाधाएं तथा उपयुक्त व्यक्तियों का उपलब्ध न होना सूचित किया है।

(ग) अधिनियम के तहत दिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में सूचना मंत्रालय की मासिक "उपभोक्ता जागरण" में नियमित रूप से प्रकाशित होती है और विभिन्न समाचार-पत्रों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकाओं में भी इनका प्रकाशन होता है। दूरदर्शन से भी ऐसे कार्यक्रम टेलीकास्ट करने के लिए सम्पर्क किया गया है। जिनमें इन में से कुछ निर्णयों के बारे में भी प्रकाश डाला जाएगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं के लिमित धन का अन्यत्र प्रयोग

4647. श्रीमती बासवा राजेश्वरी :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सिंचाई परियोजना हेतु आवंटित धनराशि को राज्य में अन्य परियोजनाओं के विकास में लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) उक्त राज्य को सिंचाई प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है, और

(ङ) राज्य सरकार ने अब तक वस्तुत: कितनी राशि का उपयोग किया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) कर्नाटक की वार्षिक योजना 1991-92 में सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए आवंटित कुल धनराशि 248.43 करोड़ रु. है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दिसम्बर 1991 के अंत तक उपयोग में लाई गई वास्तविक राशि 163.52 करोड़ रु. थी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में तेज हवाओं वाले तटीय क्षेत्रों पर ज्वार-विद्युत

4648. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

श्री आर. धनुष्कोडी आदित्यन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जैसे तेज हवाओं वाले तटीय क्षेत्रों में ज्वार विद्युत का उपयोग करने के अनुसंधान में सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में इस गैर परम्परागत ऊर्जा का उत्पादन करने का विचार किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) :

(क) और (ख) त्रिवेन्द्रम के निकट विझिजम में एक 150 किलोवाट का तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था और अक्तूबर, 1991 में, समुद्री तरंगों से विद्युत उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया था। यह प्रारम्भिक संयत्र है तथा इसमें आगे और परिष्करण के लिए परीक्षण जारी है।

(ग) और (घ) जी नहीं, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भरतपुर को चम्बल नदी से पानी की सप्लाई

4649. श्रीमती कुलेन्द्र कौर (धौपा) :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के भरतपुर जिले को चम्बल नदी से पेयजल की सप्लाई में वृद्धि के बारे में प्रस्तावित योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति दिये जाने और इस पर कार्य आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना भरतपुर, बूंदी, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर के 5 जिलों में 308 बस्तियों (जिनमें भरतपुर जिले के आंशिक रूप से कवर किए गए 21 गांव शामिल हैं) और 2 कस्बों को 34.950 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर क्षेत्राय/पाइप द्वारा जल सप्लाई/पम्प और ढंके परियोजनाओं की मार्फत पेयजल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए है। परियोजना प्रस्ताव को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त करने के लिए फरवरी, 1992 में वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को भेजा गया था।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियां

4650. श्री जीवन शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) कुछ स्वास्थ्य क्षेत्रों में कुछ ब्रांडों के सूत्रयोग जिनके चिकित्सीय समतुल्य साधारणतः उपलब्ध थे, को छोड़कर, जनवरी को छोड़कर किसी औषध की जान बूझ कमी सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

ज्यों ही इस प्रकार की किसी कमी की रिपोर्ट आती है तो संबंधित कंपनियों को कमी वाले क्षेत्र में स्टाक भेजने की सलाह दी जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों को पुनः चालू करना

4651. श्री राममूर्ती टिडिवनाम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एकक की सभी देनदारियों को माफ करते हुए उन्हें सहकारी श्रमिकों की समितियों को सौंप कर उन्हें पुनः चालू करने की योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) कुछ श्रमिक संघों के विशिष्ट त्रिपक्षीय समिति की 20.1.1992 को आयोजित बैठक में कामगारों की सहकारी समितियों के गठन का सुझाव दिया है। यदि कामगार इच्छुक हों तो, सरकार, सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को कामगारों की सहकारी समितियों के जरिए चलाये जाने सम्बन्धी अर्थक्षम प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार है। बहरहाल, कामगारों की सहकारी समितियों के विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर इस सम्बन्ध में कंपनी-वार ब्यौरा तैयार किया जाना है।

मध्याह्न 12.00

(व्यवधान)

राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी हमने नोटिस दिया था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हम राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर गृह मन्त्री के आज ही वक्तव्य की मांग करते हैं। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण मामला है। चूंकि प्रधान मन्त्री यहां उपस्थित हैं, इसलिए उन्हें जवाब देना चाहिए··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक बोलिएगा तो उसका हल निकल जाएगा। यदि एक साथ बोलेंगे तो नहीं निकलेगा। मिनिस्टर साहब कुछ बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वह सुनें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : जहां तक राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद का प्रश्न है, इस मामले में मैंने गृह मंत्री से पहले ही बात कर ली है। वह लोक सभा में आज किसी भी समय, संभवतः आज दोपहर बाद अपना वक्तव्य देंगे।···(व्यवधान) जब गृह मंत्री आज वक्तव्य देने वाले हैं तो प्रधान मंत्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : महोदय, एक बहुत ही गंभीर मामला है। गृह मंत्री को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना ही चाहिए।···(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं कह रहा हूं कि वह आज अपना वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : प्रधान मन्त्री को जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस वक्तव्य पर कोई चर्चा होगी ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठ जायें। यदि आप इस मामले को एक-एक करके उठायेंगे तो मैं निर्णय कर सकूंगा। यदि आप सभी एक साथ बोलेंगे तो मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि···

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। आप मेरी बात तो पहले सुनलें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रधान मंत्री को अवश्य ही जवाब देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : प्रश्न काल में आपने हम सबसे कहा था कि आप हमें अनुमति देंगे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी मुझे भी कुछ कहने दें। कम से कम आप मेरी बात तो सुनिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपनी बात बारी-बारी से कहेंगे तो हम इसके बारे में कुछ निर्णय ले सकेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय। अगर आप सब बोलेंगे तो उसका जवाब कौन देगा और उसको रेगुलेट कैसे करेंगे ?

आप इसमें इन्ट्रेस्टेड हैं ऐसी छोटी छोटी चीज में···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जायें···

श्री राम विलास पासवान। अध्यक्ष जी, हमने नोटिस दिया है···

श्री बाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, जब तथ्यों का पता चल गया है तो दूध का दूध और पानी का पानी का पता चलेगा···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं तो मैं हरेक पार्टी के एक सदस्य को मौका दूंगा और भा. ज. पा. भी इसका समुचित उत्तर देने की स्थिति में होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसे शुरू करने की अनुमति दे सकता हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे ही बोलने में इंट्रेस्टेड हैं तो आप ऐसे ही बोलिए। हाउस में अगर एक के बाद एक बोलिए तो कुछ हो सकता है···

[अनुवाद]

कृपया मुझे नियंत्रण करने दें। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। परन्तु मुझे नियंत्रण तो करने दें। कृपया आप सभी एक साथ खड़े न हों। इस तरह मैं नियंत्रण नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से मैं कोई मदद नहीं कर सकता। अब तो एक ही रास्ता बचा है।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रश्न काल के बाद एक बजे तक व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। यह विनिर्माण सदा के लिए है। आगे आप कभी इस समय के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठायें।

अब आपके सामने दो रास्ते हैं। या तो आप बोलें और फिर जवाब दिया जाएगा या फिर श्री आडवाणी जी को बोलने दें और उसके बाद···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब बिना नोटिस दिए कोई भी बोलना शुरू करता है तब यही होता है कि आप सभी एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बैठ जाऊंगा और आप इस तरह से बोलकर संतुष्ट हो लें। यदि एक ही समय में बोलकर आप सभी को संतोष होता है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि आडवाणी जी को बोलने दें, आप भी बोलें और फिर मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी) : महोदय, आप मुझे मौका देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हां मैं आपको मौका दूंगा।

अब आडवाणी जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का अनुमोदन करूंगा कि संसद के लिखित और अलिखित नियम यह कहते हैं कि संसद में उन्हीं विषयों पर चर्चा होगी, जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार उत्तरदाई है और इसीलिए यहां पर कम से कम मेरा तो उत्तर देने का अधिकार नहीं है। उत्तर दे सकता हूं, लेकिन उत्तर देने का अधिकार और उत्तर देने का दायित्व संसद की हर चर्चा में सरकार का ही है। परसों इस विषय को मेरे कुछ साथियों ने यहां उठाया था और उस समय जो स्पष्टीकरण मुझे देना था, वह मैंने दे दिया, जितनी जानकारी मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की थी, लेकिन आज मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल नहीं है, इस समय केन्द्रीय सरकार का सवाल है और केन्द्रीय सरकार इस समय इस सदन के प्रति जवाबदेह है कि कल और परसों में जो बयान उन्होंने दिए हैं, वह किस आधार पर दिए हैं। अभी तक तो कमसे कम जानकारी नहीं है क्योंकि कल दिन भर दूसरे सदन में बहुत कुछ मांग होती रही लेकिन शाम तक सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था और सरकार के पास उत्तर नहीं है इसीलिए विपक्ष की जो आवाज उठी थी और विपक्ष में बहुत सारे लोग थे जो मेरे दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, वे भी इतने दुखी हुए, इतने क्षुब्ध हुए कि उस सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आज संसदीय कार्य मन्त्री ने घोषणा की है कि गृह मन्त्री किसी न किसी समय पर आकर यहां जवाब देंगे। मैं तो उम्मीद करता था कि गृह मंत्री आकर बताएंगे, एक बजे या दो बजे जवाब देंगे, किसी ट किसी प्रकार से जवाब देंगे, उसका उदाहरण तो प्रस्तुत हो गया। क्या उसका रिपिटीशन करना है ?... (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : किसी न किसी समय मैंने इसलिए कहा, टाइम तो मैं दे सकता हूं लेकिन उनका बिजनेस दूसरे हाउस मे चल रहा है। जैसे ही उनका बिजनेस दूसरे हाउस में खत्म होगा वे इधर आ जाएंगे।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, सवाल यह है कि अयोध्या में इस समय जो परिवार रहे हैं, उसमें कोई चीज कानून के खिलाफ हो रही है, कोई चीज संविधान के खिलाफ हो रही है तो केन्द्रीय सरकार को हमको सूचना देनी चाहिए। मैं इस समय उस दूसरे सदन में जो बात हुई उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैंने अखबार में जो कुछ कहा है, उसके आधार पर कहता हूं कि इन पिछले आठ महीनों में कभी ऐसा नहीं हुआ जब परसों गृह मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया गया जिसमें कहा गया कि गृह मन्त्री को और केन्द्रीय सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार को बरखास्त करने के लिए धारा 356 का प्रयोग करना पड़ सकता है। मैं यह तो जानता हूं कि कोई भी सरकार, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो, चाहे आंध्र की सरकार हो, पश्चिम बंगाल की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, संविधान के खिलाफ काम करती है या वहां पर संवैधानिक व्यवस्था टूट जाती है तो यह केवल अधिकार नहीं है, केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि अपने अधिकारों का प्रयोग कर धारा 356 के अंतर्गत, इतना मैं संविधान का जानकार समझता हूं। लेकिन मैं किसी गृह मन्त्री से इस प्रकार की भाषा की अपेक्षा नहीं करता हूं कि अगर तमिलनाडु की सरकार या अगर पश्चिम बंगाल की सरकार केन्द्रीय निर्देशों की अवहेलना करेगी तो हम धारा 356 का प्रयोग करके, उसको बरखास्त कर देंगे। अब ऐसी बात है कि पहले तो आपने कोई निर्देश नहीं दिया, इस आप स्वीकार करते हैं कि हमने कोई निर्देश नहीं दिया, फिर कहां प्रश्न आया कि कोई सरकार उन निर्देशों की अवहेलना करेगी तो आप धारा 356 का प्रयोग करेंगे। निर्देश कब दिए जा सकते हैं, कब नहीं दिए जा सकते, इस सम्बन्ध में संविधान में स्पष्ट रूप से व्यवस्था है, प्रावधान है। यदि कोई सरकार उसका पालन नहीं करती तो आपका अधिकार है हां, लेकिन जिस समय आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वह गृह मन्त्री इस बात का प्रमाणित करता है कि वह अपने पद के लिए सर्वथा अयोग्य है, कोई जवाब देने में यदि ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। यह मसला ऐसा है, जिसको लेकर कभी-कभी देश में तनाव भी पैदा होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में विशेषकर, इस समय पूर्ण शान्ति है, किसी प्रकार का तनाव नहीं है। इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि आप कोई अयोध्या चले जाएं और जाकर सारी स्थिति को देखें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके बोलने से आपके ही मेम्बर को डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मुझे विश्वास है कि सरकारी पार्टी में और मेरे विपक्ष के साथियों में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो यह मानेंगे कि यह समस्या जितनी जटिल है, उस समस्या की जटिलता को हम और उलझाते हैं अगर हम बिना कारण ऐसे भाषण करते हैं, ऐसे वक्तव्य देते हैं जिससे उत्तेजना पैदा होती है। अगर मेरी सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से कोई ऐसी बात की गई होती, जिसका जानकारी सरकार को होती कि इन्होंने एक आश्वासन दिया था कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट में यह मामला गया था, जब अधिग्रहण किया गया, 2.77 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उससे कुछ महीने पहले, उसके खिलाफ एक रिट याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुई कि यह अधिग्रहण अवैध है, कानून के खिलाफ है। वहां पर बहस हुई। बहस होने के बाद कोर्ट ने निर्णय दिया कि अधिग्रहण तो वैध है लेकिन कोर्ट ने

उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगाई। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार यह अधिग्रहण कर सकती है, यह अधिग्रहण वैध है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को हम निर्देश देते हैं कि वे इस भूमि का हस्तांतरण न करें, यहां पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा न करें।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि हम इन पाबंदियों का पालन करेंगे, जिस उन्होंने फिर से रिपोर्ट किया, नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल की मीटिंग में, उसे फिर से रिपोर्ट किया। उससे भी आगे बढ़कर, एक बात और कही कि आखिर यह जो सारा विवाद है, वह विवाद पास की भूमि के कारण नहीं है, जो अधिग्रहण की गई है। वह विवाद है उस ढांचे के कारण, जहां आज राम की मूर्ति विराजमान है, उसके ऊपर जो ढांचा है और जिसके बारे में बाबरी मस्जिद के लोगों का आग्रह है कि यह उन्हें मिलना चाहिए जबकि राम जन्मभूमि के मन्दिर के समर्थक लोगों का कहना है कि यह राम का जन्म स्थान है, इसलिए यहां पर राम की मूर्ति बनी रहेगी। फिर भी, सरकार ने कहा कि विवाद है और वह विवाद हाई कोर्ट में है, इसलिए हम आश्वासन देते हैं कि इस ढांचे की रक्षा करेंगे। शायद इस सदन को जानकारी नहीं होगी कि जिस आधार को लेकर इतनी सारी बातें कही गईं, केन्द्र सरकार ने उस आश्वासन के बाद, अपनी एक एयरपटस की टीम उत्तर प्रदेश भेजी। वह टीम अयोध्या गई और उसने वहां जाकर, सब देखकर, यहां आकर केन्द्र सरकार को कहा कि हमें लगता है कि उसकी सुरक्षा उत्तर प्रदेश की सरकार तो कर रही है लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए, अगर एक दीवार बना दी जाए, मेसनरी वाल बना दी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए उस मेसनरी वाल को बनाने का निर्देश, एक प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया। जिसको लेकर यहां इतना ज्यादा शोर किया जा रहा है। मैं तथ्य रख रहा हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं इसलिए फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मेरी पार्टी और उ. प्र. की सरकार किसी तनाव पैदा किए हुए, बिना किसी कानून का उल्लंघन किए हुए, अपने जनादेश का पालन करना चाहती है। आखिर, आज तक जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, खास करके 1977 के बाद, हर एक पार्टी अपना विस्तृत घोषणापत्र तैयार करती है, विस्तृत घोषणापत्र प्रस्तुत करती है कि हम अगर सरकार में आएंगे, तो क्या-क्या कुछ करेंगे, यह सब कुछ उसमें वर्णन होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि हर चुनाव एक विषय पर केन्द्रित हो जाता है। 1977 का चुनाव इमरजेंसी पर केन्द्रित हो गया। 1980 का चुनाव जनता पार्टी के झगड़े-पार्टी पर केन्द्रित हो गया, 1984 का चुनाव श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या पर केन्द्रित हो गया और 1989 का चुनाव बोफोर्स के मामले पर केन्द्रित हो गया, उसी प्रकार से 1991 का चुनाव अयोध्या के राम जन्म स्थान पर केन्द्रित हो गया। हम केन्द्रीय सरकार में नहीं आते, लोकसभा में हमको बहुमत नहीं मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को इस विषय को लेकर के बहुमत मिला है और इस जनादेश के कानूनी ढांचे पर पालन के लिए, बिना कटुता के पालन करने के लिए, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उसमें कानून का उल्लंघन होता है, संविधान का उल्लंघन होता है, तो केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है, उसका परिणाम क्या होता है, यह आप सोच लीजिए, मैं कुछ नहीं कहता हूं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज अयोध्या में राम मन्दिर बनना चाहिए, यहां पर ऐसा सोचने वालों की संख्या भारी, बहुमत में नहीं, अल्पमत में होगी, लेकिन आम जनता का भारी बहुमत इसी के ऊपर है।

अध्यक्ष महोदय, इस समय मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि केन्द्रीय सरकार को केन्द्र और राज्य सम्बन्धों के बारे में जितनी सावधानी बरतनी चाहिए, वह नहीं बरत रही है। इस प्रकार से इतने हल्के ढंग से धारा 356 का प्रयोग करने की धमकी देना, मैं समझता हूं कि अशोभनीय है, गैर-जिम्मेदाराना काम है और गृह मन्त्री को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, मैं और भी बता सकता हूं। सदन में यह कहना कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे जवाब नहीं दे रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझे 11 बजे तक जवाब नहीं दिया है, मेरे पास लिखित प्रमाण है कि गृह मन्त्रालय में कल प्रातः 9 बजकर 40 मिनट पर वह चिट्ठी पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर उसके बावजूद इस प्रकार के गलत बयान देना यह बिल्कुल गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है।

जिस सदन में ये मामले उठते हैं, उठते तो उठ ही रहे होंगे, लेकिन मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार संकीर्ण राजनीति पर काम कर रही है। एक तरफ तो संविधान की अक्षरशः पालना करना, उस ढांचे की रक्षा करना, वहां पर तनाव न पैदा करना, वहां पर जो आम नागरिक है, वह शांति के साथ, सुख के साथ रह सके, इसकी गारन्टी देना और साथ-साथ जो जनादेश उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला है, उसका संवैधानिक ढंग से और कानूनी ढंग से विनम्रता पूर्वक पालन करना, यह उसका लक्ष्य है और उस लक्ष्य को अगर राकेश का कोई कर कोशिश करेगा, तो जनता उसे माफ नहीं करेगी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, अयोध्या विवाद का कोई राम मंदिर या मस्जिद का मामला मैं नहीं मानता हूं। मैं इसको संविधान की धाराओं के अन्तर्गत उठा रहा हूं। वहां मस्जिद वगैरह, मन्दिर वगैरह, यह मामला नहीं है। प्रश्न यह है कि संवैधानिक दायित्व, जो संसद के ऊपर है, भारत सरकार के ऊपर है और जो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है, उस संवैधानिक दायित्व का सरकार पालन कर रही है या नहीं। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है और संविधान के खिलाफ काम कर रही है। इसीलिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदस्यों को अपनी बातें कहने दें। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से सभा में जवाब भी आएगा। अतः हर एक पर हम उत्तेजित न हों।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : इस देश में मन्दिर टूटे, मस्जिद टूटे, गुरुद्वारा टूटा या चर्च टूटे, उससे आम नागरिकों के मन में क्षोभ होना स्वाभाविक है। यह हमारा अखबार नहीं है, आज के सारे अखबार यहां तक कि जनसत्ता को भी पढ़िए। संकट मोचन मंदिर टूट गया। यह लिखा हुआ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिगविजयसिंह : महोदय यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमने आडवाणी जी को बड़े ध्यान से सुना है। हमने उनके भाषण में कोई बाधा नहीं डाली है।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : इनको मन्दिर की चिन्ता कब से होने लगी।.....(व्यवधान) कश्मीर में 400 मंदिर टूटे।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगह पर बैठें। मुझे आपकी मदद करने दें।

[हिन्दी]

मैं आपके मेम्बर को मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। हर आदमी यदि अपनी जगह से बोलने की कोशिश करे और हाउस को कन्ट्रोल करने की कोशिश करेगा तो हाउस कन्ट्रोल नहीं होगा। अपना-अपना जगह पर बैठकर अपने मेम्बर की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं असल में आप उनके काम में रुकावट डाल रहे हैं...।

(व्यवधान)

मैं विनती कर रहा हूं कि बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है। हर बार पर यहां पर ऐवी-डेंस नहीं दिया जा सकता है। आडवाणी साहब ने अपना केस अच्छे ढंग से रख दिया है। उनको अपना केस रखने दीजिए बाकी गवमेंट से जो रिसपांस आता है वह देख .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप उनको सुनिए, अगर कुछ गलत है और बताना चाहें तो मैं आपको चांस दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, पालिटिकल पार्टी को मैंडेट मिलता है और आड-वाणी साहब ने कहा कि उनका पार्टी के मानपस्टो में दूसरा कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही बात थी और वह थी मंदिर बनाने की यानी कि दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं था, सिवाय मन्दिर बनाने का कार्यक्रम था। आपको मन्दिर बनाने का आदेश मिला है और आप मन्दिर बनाइए लेकिन देश को तोड़ने का आदेश आपको नहीं मिला है। मंदिर बनाना और देश को तोड़ना दोनों दो चीज है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देश को तोड़ने की कारवाई हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंदिर बनाने का निर्णय अपने हाथ में नहीं लिया है, उसने मंदिर बनाने का निर्णय विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के हाथ में दिया है। विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने घोषणा की है कि वे मस्जिद को तोड़ेंगे। जिस संस्था के हाथ में आपने मंदिर बनाने का काम सौंपा है वह कहता है कि वह मस्जिद को तोड़ेगे, उसका मतलब है कि वह संस्था

मंदिर को तोड़ में बनाएगी मस्जिद को पहले तोड़ेंगे। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसमें तत्काल हस्तक्षेप करें। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप में एक पार्टी बन गई है। इसलिए मैं आपसे बार-बार मांग करता हूं कि भारत सरकार नक्शे को अपने हाथ में ले, उसे दिखाये कि किस जगह में क्या बनेगा? अभी इंटिग्रेशन नेशनल कौंसिल का हवाला दिया गया। इतने दिनों तक तो यह मामला नहीं उठा, अब क्यों उठ रहा है? इसका मतलब है कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज राम-विरोधी और राष्ट्रद्रोही हो गई और एक बालिटिक्स पार्टी राष्ट्र-भक्त और राम-भक्त हो गई। यह इस देश में चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार अपने हाथ में मंदिर बनाने का काम ले और देखे कि संविधान के मुताबिक कोई गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ भारत सरकार यहां से एक टीम भेजे। मैं फिर यह जोर लगाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार और बी. जे. पी. की जो मिलीभगत है, इसलिए पर्दाफाश हो गया है। कांग्रेस ने शिलान्यास यहां करवाया था, उसका क्रेडिट नहीं जुटा पा रही है। हमारी सरकार ने धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर सरकार को कुर्बानी देने का काम किया। आप देश को टूटने से रोकें। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है तो जो सरकार असंवैधानिक कार्य करेगी उस सरकार को जाना चाहिए। जो सरकार संविधान की मर्यादा और धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं करवा सकती, उस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। आप अपने हाथ में इस मामले को लीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर जनता को विश्वास नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल संवैधानिक बारीकियों या केन्द्र और राज्य के बीच संबंधित संवैधानिक अधिकारों के पता लगाने के प्रश्न से ही संबंधित नहीं है। यह मामला और अधिक मौलिक महत्व का है।

यह मामला देश और देश के लोगों की एकता और अखण्डता को बनाए रखने का है। हमने यह मामला पहले भी उठाया था क्योंकि हमने पाया कि उस क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं जिनके स्वरूप के बारे में लोगों को पूरी तरह पता नहीं है, इनके बारे में न्यायिक कार्यवाहियां चल रही हैं और न्यायालय के आदेशों द्वारा रोक लगाई गई है। अब इसे लागू किया गया या नहीं, इसके बारे में हमें सिवाय उन लोगों से जोकि तथ्यों को उजागर करने के बजाय उन्हें छिपाना चाहते हैं, किसी से कुछ पता नहीं चल रहा है।

श्री आडवाणी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी को अयोध्या में मन्दिर बनाने के लिए जनादेश मिला है। परन्तु वे मन्दिरों को बनाने के बजाय तोड़ रहे हैं। वे जनादेश का पालन किस प्रकार कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हमने यहां यह पाया कि वहां पर एक पर्यटन काम्पलैक्स बनाने की योजना है। मुझे नहीं पता कि लोग ऐसा क्यों चाहेंगे कि मन्दिरों को तोड़कर पर्यटन काम्पलैक्स बनाया जाए। लोग अयोध्या में मन्दिरों को देखने और दर्शन करने जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वे किस प्रकार के पर्यटकों को ध्यान में रखकर इन मन्दिरों को तोड़ रहे हैं।

हमने निर्माण स्थल की आयोजना प्रस्तुत करने को कहा। भा. ज. पा. के नेता की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया, हालांकि मैंने महसूस किया कि वे यहां पर अपनी सरकार और उत्तर

प्रदेश सरकार की ओर से बोल रहे हैं। परन्तु निर्माण स्थल की आयोजना कहां तक है ? हमें नहीं पता। इस पर्यटन काम्पलैक्स का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। सब कुछ रहस्यमय है।

क्या उत्तर प्रदेश में भा. ज. पा. सरकार एक संसदीय शिष्टमंडल को वहां जाकर यह निरीक्षण करने की अनुमति देगी कि वहां क्या गतिविधियां चल रही हैं क्योंकि हम इसके लिए कहते आए हैं, किन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है कह रहे हैं (व्यवधान)

विश्व हिन्दू परिषद (वि. हि. प.) तथाकथित कटटरपंथी संगठनों ने कहा है कि किसी विपक्ष के सदस्य को वहां नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की चुनौती दी है।

हमने इस मामले को इसीलिए उठाया है क्योंकि यह एक ऐसा गंभीर मामला है जहां एक उपासना स्थल को एक दूसरे समुदाय के उपासना स्थल का निर्माण करने के लिए तोड़े जाने का खतरा है जबकि अल्पसंख्यक समुदाय को भी अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करने का पूरा-पूरा अधिकार है। उनको अपने धार्मिक स्थलों को ठीक प्रकार सुरक्षित रखने का अधिकार है। वे अडग हैं। सभी सही दिशा में सोचने वाले, धर्म निरपेक्ष विचारधारा वाले लोग अडग हैं। अत: हमने यह मामला इसलिए उठाया है क्योंकि हमें लगा कि केन्द्रीय सरकार भी इस मामले में टालमटोल कर रही है। इसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट है। इसमें अनमने कार्यवाही की जा रही है।

अत: हम कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार को इस बारे में पूर्ण वक्तव्य देना ही चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि भारत के उस भाग में क्या हो रहा है क्योंकि उस राज्य की सरकार लोगों से तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रही है। अत: यह आवश्यक है कि न्यायायिक व्यवस्था को कायम रखा जाए। लोगों को इस बात से पूरी तरह संतुष्ट करना चाहिए कि इसे कायम रखा जा रहा है और इस देश में न्यायिक आदेश को घुमाफिराकर पेश करने के लिए कोई छल कपट नहीं किया जा रहा है : यह केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि न्यायिक आदेशों का खुले-आम या गुप्त रूप से उल्लंघन न किया जाए।

अत: हम इस मामले पर सरकार से पूर्ण वक्तव्य की मांग करते हैं।

हम चाहते हैं कि सही तथ्यों का पता लगाया जाए और यदि आवश्यक हो तो सर्वदलीय संसदीय शिष्टमंडल द्वारा इनका पता लगाया जाए। (व्यवधान)

हमें एक बात याद रखनी चाहिए। तथाकथित जनादेश के आधार पर इस देश की शांति और लोगों के बीच साम्प्रदायिक सौहार्द्र को भंग नहीं होने देना चाहिए। यदि जनादेश की बात कही जाती है, तो भा. ज. पा. को केवल 31% मत प्राप्त हुए हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : जनमत संग्रह करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आडवाणी जी कहते हैं कि वही एक मात्र मुद्दा है। मैं भी श्री राम विलास पासवान से सहमत हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं श्री राम विलास पासवान को नजरअन्दाज कर सकता हूँ पर सोमनाथ चटर्जी को नहीं। सब लोग यह देख सकते हैं कि 1989 में भी हमारे पास किसानों के कल्याण सहित सभी मुद्दों की पूरी सूची थी। परन्तु मैं कहता हूं कि बोफोर्स ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। यह एक प्रमुख मुद्दा बन गया था। इसका यह मतलब यह नहीं है कि यही एकमात्र मुद्दा है। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में आपको भूमिहीन श्रमिकों के बारे में कोई बात नहीं की गई है। आप केवल बोफोर्स के बारे में ही चिन्तित हैं। यह अन्यायपूर्ण होगा। इसी प्रकार मैं श्री सोमनाथ जी से अपेक्षा करूंगा कि जो कुछ भी मैंने कहा है, वे उस पर निष्पक्ष रूप से विचार करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भा. ज. पा. द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों में, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। मैं निजी रूप से उनका सम्मान करता हूं जबकि वे गलत दलों में हैं (व्यवधान) अतः अपने चुनाव घोषणापत्र में उनके द्वारा उठाए अनेक मुद्दों में से श्री लाल कृष्ण आडवाणी के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सारे देश के लिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके उत्तर प्रदेश सहित सारे देश के लिए। परन्तु उत्तर प्रदेश में केवल इस प्रमुख मुद्दे के पक्ष में केवल 31% मत ही डाले गए थे अतः बहुमत ने उस मुद्दे सहित उसके विरुद्ध मत डाले हैं। अतः यह पूरी तरह स्पष्ट है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी के अनुसार चुनाव प्रचार की प्रक्रिया द्वारा मन्दिर बनाने का प्रश्न केन्द्रीय महत्व का मुद्दा बन गया है। परन्तु इस मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया गया है और बहुमत ने इसके विरुद्ध मत डाले हैं।

श्री राम कापसे (ठाणे) : लोगों ने अपना जनादेश दे दिया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः इस दलील पर इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। फिर भी मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी से अपील करूंगा कि वे यह देखें कि इस देश में लोग विभाजित न हों। यह देश विभाजित न हो। हमारे देश में गंभीर समस्याएं हैं। यह सरकार देश के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस देश का क्या होगा, हमें नहीं पता। लोग अधिक से अधिक गरीब और कमजोर होते जा रहे हैं। हमने जो नया मसौदा देखा है, उसके होने के बावजूद गंभीर आर्थिक संकट मौजूद है। अतः यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वे यहीं और अभी यह घोषणा करें कि वे यह खतरनाक रास्ता छोड़ देंगे और वे यहां पर यह घोषणा करेंगे कि इस देश में अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अन्यथा इस सभा को अपने अधिकारों का उपयोग करना पड़ेगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त दुःख का विषय है कि यह विषय बारबार इस सदन के सामने पहले भी आया और आज फिर यह विषय अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण वातावरण में हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें संविधान की धाराओं का उल्लेख किया गया अगर राज्य और केन्द्र सरकार की सीमाओं का इसमें विवेचन किया गया तो मामला और उलझेगा। यह बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले भी इस सदन

क कई बार कहा है और मुझे याद है, जब नेशनल इंटिग्रेशन काउन्सिल की मीटिंग हुई थी, उसमें भी आडवाणी जी ने यही भाषण दिया था। उस समय आडवाणी जी से मैंने निवेदन किया था, आपको जनादेश मिला है मंदिर बनाने के लिए, पांच वर्ष का समय है, छः महीने-साल भर इसको स्थगित कीजिए और बातचीत से कोई रास्ता निकालिए, इतनी जल्दी क्या है। देश में अनेक समस्याएं हैं। देश टूटने के कगार पर है। हालत बिगड़ जाएगी, लेकिन उसमें मैंने यह भी कहा था अपने प्रधान मन्त्री जी से, कि आडवाणी जी को जनादेश है, तो एक जनादेश आपको भी मिला हुआ है। मान लीजिए—आडवाणी जी हमारे निवेदन को स्वीकार न करें, अपने जनादेश को तुरंत पालन करने के लिए कटिबद्ध हों, एक दिन का इन्तजार न करें, तो आपको भी अपना मन साफ करना चाहिए कि आपको जनादेश क्या मिला हुआ है। लेकिन उस समय हमारी बात नहीं सुनी गई। मैं आडवाणी जी की तारीफ किए बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी जो बात है, मैंने साफ तौर से कह दी। प्रधान मन्त्री जी तुम्हारी बात नहीं सुनते तो मैं क्या करूं। मैं तो मन्दिर बनाऊंगा, अदालत का जो फैसला हुआ है, अदालत में जाऊंगा उसके विरुद्ध निर्देश लूंगा। बार-बार अदालत की बात होती है, अदालत में क्या मामला जाएगा ? अगर अदालत के सामने जाएगा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण कर सकती है या नहीं, तो अदालत फैसला देगी कि अधिग्रहण कर सकती है। अगर राज्य सरकार के सामने किसी दीवार का बनाने का सवाल आएगा, तो उस पर अदालत उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं देगी, लेकिन सवाल यह है कि यह मामला जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है या नहीं। यदि एक बहुत बड़ा वर्ग, उसके मन में अंदेशा है उसके मन में शंका है, डर है, उसमें उनके जज्बातों का ख्याल किया जाएगा या नहीं····· (व्यवधान)···सवाल यह है, मैं उसका जवाब नहीं देता हूं। आडवाणी जी भी मजबूर हैं, क्योंकि आडवाणी जी को जनादेश मिला है राम मन्दिर बनाने के लिए। उस तरफ दो तरह के लोग हैं। आडवाणी जी को राम की जरूरत थी ··(व्यवधान)·· आडवाणी जी को राम की जरूरत थी, पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए, लेकिन उधर बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, जो पार्लियामेंट में आए हैं, राम तक पहुंचने के लिए।···(व्यवधान)···वे केवल मन्दिर बनाने के लिए आये हैं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनको अर्थ नीति से कोई मतलब नहीं है। आडवाणी जी उनके दबाव में हैं, यह बात वे स्वीकार करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग समन्वयवाली राजनीति चाहता है। अर्थ नीति को भी उसमें जोड़ना चाहता है, सामाजिक समता का भी सवाल उसमें लाना चाहता है, गांधी जी को भी याद करना चाहता है, स्वदेशी और स्वावलंबन को भी चाहता है, लेकिन यह बात सही है, इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है, इसमें आपकी मर्यादा ही बढ़ेगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल राम को ही जानते हैं, वहीं तक उनकी राजनीति सन्निहित है, उससे आगे न उन्होंने देखा है, न उससे पीछे उन्होंने देखा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जोशी, ऐसा नहीं करें। अब सभा में बार-बार व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा नहीं करना है। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी यह बात ठीक नहीं है। देखिए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, आप बिना वजह विरोध कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या राम की केवल इनकी ही जिम्मेदारी है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए एक बात ध्यान में रखिए। जिनको उनका मत पसन्द है, उनकी भी मदद करनी है, जिनको उनका मत पसन्द नहीं है, उनकी भी मदद करनी है, उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि कुछ माननीय सदस्यों को मेरे किसी वाक्य से दुःख पहुँचा है, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। वे राममय नहीं हैं, यह कहना चाहता हूं, केवल राम का नाम लेते हैं, राम से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, अगर इससे उनको संतोष होता है तो मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह निवेदन कर रहा था कि यह एक राजनीति की विकृति है, जिस विकृति से हमको और आपको जूझना है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार का इसमें रुख क्या है, भारत सरकार को अपने रुख को बताना होगा। हम यह नहीं कहते कि धारा 356 लागू करो, धारा 35 कोई ऐसे ही राह चलते नहीं लग जाती है, मैं आडवाणी जी की यह बात मानता हूं। गृह मन्त्री जी को धारा 356 की बात करनी थी तो इस धारा को लागू करने के बाद करनी चाहिए, बिना आधार के बयान देना सही नहीं है। अगर यह बात सही है कि आडवाणी जी ने यह कहा है कि साढ़े 9 बज उनके पास सूचना आ गई थी और दूसरे सदन में उन्होंने यह कहा कि हमको सूचना नहीं मिली थी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब आप कुछ कह रहे होते हैं, तो मुझे आपके कथन को खंडन करने और कुछ कहने से रुकना होता है। पर मैं समझता हूँ कि मुझे इसके लिए माफ कर दिया जाएगा। पर

उन्होंने सभा में क्या कहा है, इस बारे में सही शब्दों का पता चलना बाकी है। ऐसा पता चलने के बाद ही हम टिप्पणी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : मैं नहीं जानता, आडवाणी जी कुछ कह रहे थे, इस आधार पर मैं कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : इनकी बातों में न आइए।

श्री चन्द्र शेखर : मैं साधारणत: किसी की बातों में नहीं आता हूं। मैं अपनी ही बात कहता हूं। लेकिन आडवाणी जी की बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। विचारों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आडवाणी जी जब इस सदन में कोई बात कहते हैं तो उसको गम्भीरता से लेना मेरा कर्तव्य है और मैं समझता हूं कि यदि वह बात सही है तो यह बहुत बड़ी भूल गृह मन्त्री जी से हुई है। उसका निराकरण होना चाहिए, वह बात सही है या नहीं। क्या राज्य और केन्द्र के बीच तनाव पैदा हो, क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन अनावश्यक रूप से केवल अपना वीर भाव दिखाने के लिए तनाव पैदा करना उचित नहीं है। हम देखते हैं सरकार में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। पड़ोसी देशों के साथ जब चर्चा होती है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मन्त्रिमंडल के सदस्य उठ कर सबक सिखाने लगते हैं। बैठे हैं दिल्ली में, बम्बई में और पुणे में, सबक सिखा रहे हैं रावलपिण्डी में और इस्लामाबाद में। मत सिखाइए। इससे कोई बहादुरी प्रकट नहीं होती। इस लिए कदम उठाना हो, कदम उठाइये। लेकिन आडवाणी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो कहा वह सही नहीं है। फैजाबाद, अयोध्या में और उसके आस-पास तनाव है। वह तनाव इस कारण आ हो सकता है, जिसके सम्बन्ध में सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा, लोगों में तरह-तरह की अफवाहें फैल रही हैं। लोग नहीं जानते उस दीवार के अन्दर क्या हो रहा है, क्या मसूबे हैं। क्योंकि आप भी यह मानेंगे कि आपके साथ काम करने वाले बहुत से भाई ऐसे हैं जो रोज ऐसे बयान देते हैं, जो बयान उत्तेजनात्मक हैं, जो बयान लोगों के दर्द को छूते हैं, जो लोगों के जज्बातों को उभारते हैं। ये बातें न हों तो ज्यादा अच्छा है।

मैं अध्यक्ष महोदय, फिर भी आपसे कहूंगा नरसिंह राव, नेता सदन का और नेता विरोधी दल का बहुत मधुर सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध का वे उपयोग करें।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : आपका सम्बन्ध कैसा है ?...(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मेरा बहुत अच्छा सम्बन्ध है।...(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : आप ही की बात कर रहे हैं। इन्होंने वर्ल्ड बैंक के पत्र दिखाए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वोटिंग के समय गायब हो गये।

श्री चन्द्र शेखर : मैं गायब हो गया या न रहा, मैं कोई सर्टीफिकेट नहीं लेना चाहता। नरसिंह राव से मेरा बहुत अच्छा सम्बन्ध है। उनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं। उतनी ही इज्जत करता हूं जितनी मैं आडवाणी जी की करता हूं। इसलिए मैं दोनों के सम्बन्धों को जानता हूं। इसलिए

आप गुस्सा न हों। आप लोग यह कह कर सम्बन्धों को न बिगाड़ें। सम्बन्ध अच्छे हों तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूं ये सम्बन्ध और गहरे हों और इन सम्बन्धों का ये लोग उपयोग करें देश के दो वर्गों के बीच अच्छा सम्बन्ध बनाने में।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि हालत बिगड़ रही है, तेजी से बिगड़ रही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, जिससे भड़काये मन में और बढ़े। लेकिन किसी दिन अयोध्या में ऐसी घटना घट सकती है जिससे सारे देश में तनाव बढ़ेगा। आज भी, अध्यक्ष महोदय, अगर आप अपने पद का और मर्यादा का उपयोग करें तो सदन के नेता और विरोधी पक्ष के नेता को एक जगह बैठा कर सुलह समझौते से, बातचीत से कोई रास्ता निकालने का प्रयास करें। यह कुर्सी, तेजी दिखाने से कोई मतलब नहीं। कितने बहादुर लोग हैं बलिदान देने के लिए, वह मुझे मालूम है। बलिदान देने का समय नहीं है। आपसी सहयोग का समय है। अगर यह वातावरण बना सकें तो अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के नाजुक मसले पर बोलते हुए मुझे बहुत और पीड़ा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं कि यह नाजुक मुद्दा देश की अखंडता एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव और देश के नागरिकों की धार्मिक स्वतन्त्रता से जुड़ा हुआ है। अतः मैं भा.ज.पा. के अपने दोस्तों से अपील करता हूं कि वे कुछ देर तक मेरी बात सुनें। मैं जानता हूं कि यह एक नाजुक मसला है। वे उत्तेजित हो जा सकते हैं, फिर भी मैं उनसे अपील करूंगा कि वे शांति बनाये रखें और मुझे कुछ देर तक सुनें :

आज बाबरी मस्जिद का मामला पूरे देश को उद्वेलित किये हुये है। हालात बहुत खतरनाक हो गये हैं। हर क्षण तनाव बढ़ता ही जा रहा है। आप चाहे लाख कहें कि अयोध्या में शांति है, मैं इसे नहीं मान सकता हूं। पूरे देश में, खास कर उत्तर प्रदेश में क्षण प्रतिक्षण तनाव बढ़ रहा है। विभिन्न स्रोतों से मिली खबरों से हम सभी जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है तथा इसे समझने के लिए किसी विशेष बुद्धि की जरूरत नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार शासन में आई, तो उन्होंने पहला काम ही यही किया कि वे अयोध्या में उसी जगह पर गये, जहां बाबरी मस्जिद है और यह कसम ली कि वे बाबरी मस्जिद को ढाहकर वहां मंदिर बनायेंगे। क्या यह उचित कार्य है ? क्या यह उचित एक धर्मनिरपेक्ष या विवेक पूर्ण कार्य है ? अब वे कह रहे हैं कि वे मस्जिद ढाहने नहीं बल्कि मंदिर बनाने जा रहे हैं। मंदिर बनाये जाने के खिलाफ कोई नहीं है। वे चाहें तो दर्जनों मंदिर बनवा सकते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं। किन्तु जब वे कहते हैं कि हम मस्जिद ढाह कर मंदिर बनाएंगे तो हमें दुःख होता है क्योंकि यह धर्म-निरपेक्षता, न्याय और धार्मिक सहिष्णुता के सारे सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसा हो नहीं सकता है, न ही ऐसा होना चाहिए न ही ऐसा होने देना चाहिए। हम यही कहते हैं। यदि ऐसा करने की कोशिश की जाती है, तो इसका विरोध हम सारी ताकत से करेंगे।

इन दिनों एक दीवार का निर्माण किया जा रहा है। यह सच है और इसमें कोई संदेह नहीं है। 300 गज लंबी और 20 फीट ऊंची दीवार बना दी गई है और वह अभी भी खड़ी है। वह

विवादित स्थल पर है, या अविवादित स्थल पर, इसका सवाल का स्पष्टीकरण होना चाहिए क्योंकि हमें निर्माण स्थल की योजना के बारे में नहीं बताया गया है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने अभी बताया है कि निर्माण स्थल की योजना उन्हें नहीं दी गयी है। जब तक हमें निर्माण स्थली की निर्माण योजना नहीं दी जाती है, हम यही समझेंगे कि यह निर्माण कार्य गैर कानूनी ढंग से विवादित भूमि पर चल रहा है। इस तरह की आशंका और संदेह उचित ही है। हम यहां महसूस करते हैं। श्री आडवाणी जी कहते हैं कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बना दी गयी है।(व्यवधान)कृपया मेरी बात सुनें। श्री आडवाणी जी ने यह कहा है कि उस दीवार को हम कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति के निर्देश पर बनाया जा रहा है। यह सुन कर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या यह सच है ? मैं सरकार से यही प्रश्न करता हूं। सरकार का इसका स्पष्ट उत्तर देना चाहिए क्योंकि इससे सरकार में हमारे विश्वास को झटका लगता है। ...(व्यवधान)...यदि यह सच है कि उस दीवार को सरकार द्वारा नियुक्त समिति के निर्देशानुसार बनवाया जा रहा है, तो फिर सरकार के प्रति हमारा विश्वास कहां रह जायेगा ? इस कदम का स्पष्टीकरण तो देना ही होगा आज गृह मंत्री उत्तर देंगे। उन्हें चाहिए कि वे इसका स्पष्टीकरण करें। यह सच की दीवार बन रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इस बात का स्पष्टीकरण चाहिए कि ऐसा कहां और कैसे हो रहा है। ...(व्यवधान)... हम ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम कुछ खास मुद्दों पर इस सरकार का समर्थन करने कुछ अन्य सिद्धांतों के आधार पर हम इसका विरोध भी करते हैं। सदा हमारी यही सामंजस्यपूर्ण नीति रही है हम कोई भी समझौता नहीं हैं। यदि यह तथ्य प्रमाणित हो जाये कि इस दीवार का निर्माण भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति के निर्देश पर हो रहा है, तो हम अपने समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे। हमारी जानकारी के अनुसार सही बात यह है कि मादर की दीवार कहां बनाई जा रही है। इस दीवार को राम दीवार कहा गया है।

बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् यह दावा कर रहे हैं कि यह मंदिर निर्माण की शुरुआत है। यह नहीं हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि इसके साथ ही साथ मन्दिरों को भी गिराया जा रहा है। यह भी एक सच्चाई है और कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता है क्योंकि जो भी उन्होंने कहा था समाचार पत्रों ने उसकी खबर दी है...(व्यवधान)... मैं यह जरूर कहूंगा कि अदालती फैसले के विरुद्ध यह सब किया जा रहा है दीवार बनाई जा रही है, मन्दिरों को गिराया जा रहा है। यह सब न्यायिक फैसले के खिलाफ है। न्यायिक फैसले और अदालती प्रतिबंध के बावजूद यह सब हो रहा है। अतः यह गैर कानूनी और अनधिकृत है।

दूसरे, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उन्होंने वायदा किया था कि मस्जिद का सुरक्षित रखा जाएगा, अदालती-आदेशों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जायेगा और शांति बनाये रखा जाएगी तथा अदालती फैसले का इज्जत की जाएगी। यह सब कहा गया था पर अब इन सभी का उल्लंघन किया जा रहा है अतः सारे कार्य अनधिकृत और गैर कानूनी हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को शीघ्र एवं प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को निर्देश जारी करने चाहिए। अब चव्हाण जी यह कहेंगे कि मैं टेलेक्स संदेश भेज रहा हूं पर मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। केन्द्र सरकार को निर्देश देने का अधिकार है। वे हाट लाईन पर मुख्य मंत्री या गृह सचिव से संपर्क साध सकते हैं। वे मुख्य मन्त्री को बुला सकते हैं और पूछ सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। और क्यों किया जा रहा है। कुछ नहीं किया

जा रहा है। अपने इस प्रवृत्ति के कारण केन्द्र सरकार छद्मवृत्ति नीति अपना रही है। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और कोई भी व्यावहारिक कदम नहीं उठा रहे हैं। यह बहुत ही खेदजनक बात है।

अतः मैं यह मांग करता हूं कि कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए तथा एक स्पष्ट निर्देश दिया जाना चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को यह कहा जाना चाहिए कि दीवार का निर्माण और मन्दिर के शिलान्यास को रोका जाना चाहिए। यदि इस निर्देश का पालन नहीं किया जाता तो नहीं कहेंगा कि केन्द्र सरकार के संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत कार्रवाई करनी चाहिए पर मैं यह जरूर कहूंगा कि धारा 352 का प्रयोग करते हुए सरकार अयोध्या के इस क्षेत्र विशेष के प्रशासन को अपने हाथों में ले सकती है। इसके प्रशासन को वहां की कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए तथा वहां पर्याप्त सुरक्षाओं के विकास के लिए भी हाथ में लिया जा सकता है (व्यवधान) आज इस देश में ऐसी स्थिति व्याप्त है कि लगता है कि इस देश की शांति भंग होगी और धार्मिक स्वतंत्रता भी खतरे में ... (व्यवधान) देश की अखंडता को बचाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि देश में साम्प्रदायिक सद्भावना बना रहे। अयोध्या में मस्जिद का टूटना देश की अखंडता और धर्म निरपेक्षता को नष्ट कर देगा। अतः मस्जिद के तोड़ने के विचार को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि देश में शांति बनी रहे।

[हिन्दी]

श्री सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद)। स्पीकर साहब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो मिनट लूंगा। मुझे इतना ही कहना है जो दीवार तामीर की जा रही है उसमें तीन सर्वे नम्बर आ रहे हैं। जिसके खिलाफ लखनऊ हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई है और एक पीटिशन भी दाखिल की गई है कंटेम्पट आफ कोर्ट की जिसके लिए 27 तारीख मुकर्रर भी की गई। और एडवोकेट जनरल जवाब नहीं दे सके इसलिए मन्त्रीमंडल मोहलत हासिल की। मेरा कहना यह है कि जो दीवार तामीर की जा रही है वह गैर कानूनी है। अब तक जो दीवार तामीर की गई वहां पर, सरकार की जमीन थी इसलिए इसने खामोशी अख्तियार की। लेकिन अब जिस मुकाम पर तामीर की जा रही है वह सर्वे नम्बर चार के अन्दर दर्ज है। जिसके लिए अदालत ने भी कहा। इसके बावजूद भी दीवार तामीर की जा रही है।

दूसरा सवाल यह आ जाता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह बाजे करना चाहिए की क्या यह केन्द्रीय सरकार की हिदायत पर हो रहा है कि इस तरीके से जो वक्फ की जमीन है उस पर दीवार तामीर करने के लिए कहा है। दोनों इस ताल्लुक से आते हैं। यह मसला इतना खतरनाक होता जा रहा है इतना भी इस्तेमाल नहीं रहा कि मस्जिद की हिफाजत यू.पी. की सरकार करेगी, आप बतायें कि किस तरीके से यू.पी. सरकार कर सकती है? जब आपका खैल खवाल तबाद है जिस महन्त लालदास को हटाया उसने खुद ही यह बयान दिया कि यह मस्जिद को तोड़ने की साजिश के लिए मुझे हटाया है। उसने लखनऊ हाई कोर्ट में बयान दिया। इसके बाद यह कहना कि हम इसका तहफ्फुज करेंगे यह गलत बात है। मैं चाहूंगा कि सेंटर की गवर्नमेंट इस मसले पर सख्त कदम उठाये, खाली जुबानी बातों से हमें खुश करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अमली कदम नहीं उठाते हैं, धमकियां देते हैं अन्दरूनी हालत में मिले हुए हैं यह चीजें चलने वाली नहीं हैं। अगर मस्जिद को नुकसान होगा तो याद रखें कि यह मुल्क भी टूटेगा।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं पहले आखिरी बात से शुरू करता हूं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि अगर मस्जिद टूटेगी तो मुल्क टूटेगा। मैं कह रहा हूं यह बहुत दुखद बात है। न हम मस्जिद जबर्दस्ती तोड़ने देंगे और न ही मुल्क को तोड़ने देंगे ऐसी बातों पर एक बार 1947 में हम भुगत चुके हैं, दुबारा ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि फिर भारत को तोड़ने की धमकी दी जाये। जो बातें हो गई हैं मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। मगर जो भारत सरकार ने पहले कदमों की इस संसद ने पारित किया कि 1947 से पहले जो भी मन्दिर, जो भी तीर्थ स्थान या जो भी ढांचा है उसको नहीं तोड़ा जायेगा, उसमें बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि अलग था, आज सुमित्रा भवन को तोड़ा गया, जैसी की अखबारों में खबर है।

1.00 म.प.

संकट मोचन मन्दिर को तोड़ दिया गया, जैसाकि अखबारों में खबर है। भारत सरकार इस सदन के सामने जवाबदेह है कि उस विधेयक का उल्लघन हो रहा है या नहीं जो इस सदन का पारित हुआ विधेयक है? संकट मोचन मन्दिर के एक महन्त को गिफ्तार किया। उस मन्दिर को जबरदस्ती तोड़ने के लिये यह विधेयक का उल्लंघन है या नहीं ?

अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि चूंकि हम लोगों ने यह विधेयक पारित किया है और उस विधेयक का उल्लंघन हो रहा है या नहीं ? दूसरी बात, आडवाणी जी ने कहा है कि विवाद की जमीन के बाहर में बन रहा है। सारे देश की हालत हम देख रहे हैं। अभी लाखों विस्थापित कश्मीर से आकर जम्मू और दिल्ली में पड़े हुये हैं। हम आशा करते हैं कि उनको वापिस ले जाया जायेगा ताकि देश की हालत संभले और वे अपनी जन्म-भूमि में वापिस जायें। जब ऐसी घड़ी में अयोध्या में आग लगाई जा रही है तो क्या उससे देश की हालत हम बिगाड़ेंगे नहीं ? मगर मैं एक बात अपने सभी मित्रों से कहता हूं कि भले वे आवाज मे कूदें, शरीर से कूदें मगर दिमाग से सोचें। हमारी जो हालत है, अगर पछुआ हवा बह रही है, गांव के पश्चिम में मेरा घर है, अपनी जमीन और पूरा गांव हमसे पूर्व में है तो मैं चाहूंगा कि अपने घर में आग लगा दूंगा, मुझे यह खतिहानी हक होगा भले ही सारा गांव जल जाये। क्या यह मुनासिब होगा ?

अध्यक्ष जी, मैं कोई बात दोहराना नहीं चाह रहा हूं लेकिन यह कहूंगा कि ऐसी आग लगे कि बिना आग लगाये वह घर जल जाये, यह नहीं होना चाहिये और आपके जरिये से सदन से यही अपील करना चाहता हूं। कि मैं आडवाणी जी और सभी मित्रों से, जो चुनकर आये हैं, आशा करता हूं कि देश की फिक्र इनको भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश की फिक्र भी उनको है। सदन से हम आवाज दें कि जो अभी तक हुआ, उसका निर्णय सरकार बयान में देगी और इस सदन की आवाज जाये कि आगे के निर्माण बंद करें। श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि एक सर्वदलीय संसदीय समिति बने जो उस स्थान पर जांच करे। आज यह आवाज जाये कि जहां-जहां अदालत का मामला भले न चले लेकिन जनतंत्र की बात चले और यह लागू हो जाये।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़)। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के बारे में जो आडवाणी जी ने आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूं...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अयोग्य घोषित करने की बात कही है। माननीय गृह मंत्री को माननीय आडवाणी जी से प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य तौर पर लोकसभा में गृह मन्त्री या अन्य मंत्री के वक्तव्य के बाद जो भी उससे उद्भव प्रश्न या सम्भावनायें या शंकायें उत्पन्न होती हैं, उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार इस सदन में नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस सेंसटिट इश्यू के बारे में आप नियम शिथिल करें। माननीय आडवाणी जी ने अपने भाषण में ऐसे कई तथ्य लाने का प्रयास किया है, गुमराह करने का प्रयास किया है जिसमें उन्होंने दीवार बनाने का निर्देश एक्सपर्ट्स कमेटी पर डाल दिया। यदि एक्सपर्ट्स कमेटी दीवार बनाने के लिए कहती है तो डिस्प्यूटेड जमीन में दीवार बनाने के लिए ही कह सकती है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि उन्होंने जो कल बयान दिया, वह सोच-समझकर बयान दिया है। 9 बजकर 20 मिनट पर चपरासी के पास पहुंच गया हो लेकिन यह जरूरी नहीं है कि गृह मंत्री जी के पास पहुँचा हो।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा अनुरोध है कि लोकसभा के वे नियम शिथिल करने का निर्देश दें ताकि गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद हम लोगों को जो शंकायें है, जो प्रश्न उद्भव होते है, उसपर हमें प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब, हमने इस मामले पर लगभग एक घंटा चर्चा की है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खुजराहो) अध्यक्ष जी, मैं इस पर बिना बोले नहीं मानूंगी...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, एक मिनट। जरा चुप तो बैठ जाइये.. इसके तुरंत बाद हम बजट पर भी चर्चा करने जा रहे हैं हम उन वरिष्ठ सदस्यों को सुनना चाहेंगे जिनके बजट के बारे में व्यक्त किए जाने वाले विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप उन्हें सुनना नहीं चाहते तो हम इसे जारी रख सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से हमें दोनों में सन्तुलन बनाए रखना होगा। जब आप सभा में एक विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं तो हम केवल उसी विषय पर ही नहीं टिके रह सकते। हमें देखना है कि अन्य विषय भी महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ तो माननीय मंत्री गण और सदस्य तैयारी करके आए हैं और वे बोलना चाहते हैं। अतः हमें दोनों के बीच सन्तुलन बनाना है। इसी कारण जिसका नियमों में प्रावधान है उसे न करना बुद्धिमानी नहीं होगी। अतः यह एक विषय है। परन्तु सदस्यों के विचारों का सम्मान करते हुए मैं चार या पांच और सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। लेकिन उन्हें अपने विचार दो मिनट के समय में व्यक्त करने होंगे।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष जी, बीजेपी समझती है कि हिन्दुस्तान में हिन्दू वही है जो बीजेपी का मेम्बर है। अगर यही बात है तो क्या आडवाणी जी सर्टिफिकेट देंगे कि इधर

वाले लोग हिन्दू नहीं हैं और अगर हैं तो वहां पर संकटमोचन और हनुमान मंदिर तथा सुमित्रा भवन क्या हिन्दुओं का नहीं है ? बिना सलाह किए, किस के हुक्म से उनको तोड़ा ? इसलिए मैं कहता हूं कि यदि सारे हिन्दुस्तान के हिन्दुओं ने उनको ठेकेदारी दी है कि उनका सार्टिफिकेट दिए बगैर कोई हिन्दू नहीं हो सकता, तो उनका हिन्दू कहा जाना सही बात है।...··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुमारी उमा भारती, श्री नीतीश कुमार, श्री राव और श्री गुरचरण सिंह बोलेंगे। उमा भारती जी हमें देखना है कि आप अन्य सदस्यों से कोई प्रतिक्रिया के बिना इसे एक मिनट में कैसे पूरा करती हैं। हमें देखना है कि आप इसे कैसे करेंगी।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो कुछ कहना चाहती हूं, उसमें मेरा आपसे एक निवेदन जरूर है। मैं एकदम समय की मर्यादा का पालन करना चाहती हूं, लेकिन सदन में बैठे हुए अन्य माननीय सदस्य भी इसका पालन करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि आप अपनी चतुरता और विस्पॉस लिए बगैर भाषण करें।

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस प्रसंग को यहां पर उपस्थित किया गया है, उसमें मुझे सबसे ज्यादा दुखदाई बात जो लगी है कि माननीय चन्द्रशेखर जी ने जो बात कही कि कुछ लोग इस सदन के अन्दर ऐसे भी आए हैं जो कि सिर्फ राम मन्दिर के बारे में ही सोच सकते हैं और इसके अलावा शायद कुछ और नहीं सोच सकते। राजनीति और अर्थनीति के बारे में नहीं सोच सकते। मुझे इस बात का दुख हुआ है कि एक बहुत ही माननीय, गंभीर और विद्वान प्रकृति के नेता किसी के बारे में इस प्रकार का आकलन कैसे कर सकते हैं। मुझे एक बात और उनसे कहनी है कि क्या वे यह सोच रहे हैं कि देशभक्ति वे लोग नहीं कर सकते हैं जो राम का नाम लेते हैं और अगर कोई इस प्रकार का आकलन करना चाहता है तो मैं सदन के बाहर भारत की अर्थनीति तो क्या दुनिया की अर्थनीति के बारे में शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं और वह अपने मन से...(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी हार मान लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब उमा जी को बैठ जाना चाहिए।

कुमारी उमा भारती : मेरा यह कहना है कि इस देश में जो कुछ भी घटा है, आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई, उस समय भी देशभक्ति की प्रेरणा देने के लिए गेरुवे वस्त्रधारी सन्यासियों ने ही महान भूमिका निभाई, यह बात चन्द्रशेखर जी जैसे विद्वान व्यक्ति को भूलनी नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानन्द की प्रेरणा से ही महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस को प्रेरणा मिली थी। इसलिए चन्द्रशेखर जी यह न समझ लें कि खादी कपड़े पहनने वालों ने ही देशभक्ति का ठेका ले रखा है, गेरुआ वस्त्र पहनने वाला कोई भी आदमी अर्थनीति, राजनीति के बारे में चिन्तन कर सकता है। मैं माननीय चन्द्रशेखर जी का एक और भ्रम दूर कर दूं कि मेरे जैसे लोगों को लोकसभा में जो

वोट मिलते हैं वे राम के नाम लेने से नहीं मिलते हैं। मैं वहां मजदूरों के लिए काम करती हूँ, किसानों के लिए काम करती हूँ और इसी तरह से जितने गेरुए वस्त्र पहनने वाले लोग सदन के अन्दर आए हैं, वे इसी तरह से मजदूरों और किसानों के लिए काम करते हैं। आज हमारे चन्द्र शेखर जी, भाड़सा वाले बाबा ही पदयात्रा करना नहीं जानते हैं, वह हम भी जानते हैं। मुझे अफसोस है कि उन्होंने बिना सोचे-समझे हमारा आँकलन कर दिया और हम इस प्रकार का सर्टिफिकेट दे दिया। दूसरा निवेदन यह है कि सदन के अन्दर जो चिंता व्यक्त की गई है कि अयोध्या के अन्दर मन्दिर तोड़ गए, उसमें विश्व हिन्दू परिषद जबरदस्ती से वहां काम कर रही है। और एक प्रकार से विश्व हिन्दू परिषद वहां उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, इस प्रकार की जो चिन्ता राम विलास जी ने यहां व्यक्त की, इस प्रकार की जो चिन्ता मानमोहन सोमनाथ जी ने व्यक्त की और कुछ अन्य यहां उपस्थित लोगों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके बारे में, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ और आपके माध्यम से सारे सदन से निवेदन करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान और कानून के दायरे में जो कुछ कर रही है, उसमें विश्व हिन्दू परिषद भी पूरी तरह से संविधान और कानून की मर्यादा को मानकर चलना चाहती है। यह बात विश्व हिन्दू परिषद के सभी प्रवक्ताओं ने बार-बार कही है। फिर भी, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन अवश्य करना चाहती हूँ कि न तो आज उत्तर प्रदेश में कोई तनाव है न फैजाबाद में कोई तनाव है और न अयोध्या में किसी तरह का तनाव है लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि यहां जिस प्रकार की गलत बयानबाजी हो रही है, उसके कारण कल वहां तनाव पैदा हो जाए। उसकी जिम्मेदारी मानमोहन सोमनाथ जी की होगी, उसकी जिम्मेदारी राम विलास जी की होगी।

इस सदन में बैठे हुए जितने भी राजनैतिक दलों के लोग हैं, मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार की गलतबयानी करके देश के साम्प्रदायिक सद्भाव को मत बिगाड़िए। लाशों के ऊपर वोटों की राजनीति करने की अपनी आदत को बंद कीजिए। देश के बेकसूर लोगों को पहले दंगों की आग में झोंक देना और बाद में राजनीति करके, गलत बयानी करना, यह राजनीति अब इस देश में बन्द कीजिए।

अध्यक्ष जी, आज सुबह मेरी विश्व हिन्दू परिषद के महामंत्री से जो अयोध्या में हैं, बात हुई थी। उन्होंने जो कहा, वह स्पष्टीकरण मैं सदन को देना चाहती हूँ। वहां के जो सांसद श्री विनय कटियार हैं, मैंने उनसे भी आज फोन पर पूछा था कि क्या वहां वास्तव में मन्दिर टूटे हैं। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया···

अध्यक्ष महोदय : वह सब हो जाएगा।

कुमारी उमा भारती : नहीं, वह कहना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि अयोध्या में मन्दिर टूटे हैं, इसलिए मैं स्थिति स्पष्ट करना जरूरी समझती हूँ। कटियार जी से मेरी आज सुबह फोन पर बात हुई थी जब मैंने अखबारों में पढ़ा तो उनसे पूछा कि क्या अयोध्या में मन्दिर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया, उसे भी मैं सदन के सामने रखना चाहती हूँ। यदि आप चाहें तो किसी भी जांच दल को वहां भिजवाकर, सदन की तरफ से, जांच

करा लीजिए। वहां जिस तरह की घटना घटी बताई गई है, वहां कुछ महात्मा लोग अपने आश्रमों में मूर्तियां रखे हुए थे, वे मंदिर नहीं थे। मंदिर का अर्थ होता है कि जहां मूर्तियां रखी जायें उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक मिनट से ज्यादा बोलेंगी तो वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

कुमारी उमा भारती : वे जो मूर्तियां रखे हुए थे, वे असल मूर्तियां नहीं थीं, नकल मूर्तियां थीं। उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। वह मंदिर की परिभाषा में नहीं आता, जो स्थान तोड़े गए हैं। इसलिए जो स्थान वहां तोड़े गए हैं, वह मंदिर की परिभाषा में नहीं आते, मंदिर नहीं कहे जा सकते। उनको तोड़ना, मंदिर तोड़ने की श्रेणी में नहीं आता। अंत में, इतना और स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हम वहां न तो कोई मंदिर तोड़ने के पक्ष में हैं और न कोई मस्जिद तोड़ने के पक्ष में हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी माननीय सदस्य कह रहे हैं वह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।*

[हिन्दी]

श्री हरचन्दसिंह (रोपड़) : जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं यहां पंजाब से आया हूं और पटियाला का रहने वाला हूं। सदन में एक कांटे के मामले से आधक समय से मन्दिर और मस्जिद को लेकर झगड़ा कई सालों से चलता आया है। पंजाब में हिन्दुओं और सिखों के झगड़े की वजह से लाखों मुसलमान पंजाब से निकलकर पाकिस्तान चले गए, वहां लाखों हिन्दू पंजाब में आए। मैं पटियाला जिले से 5 बार इलेक्शन लड़ा हूं और मैं वहां गांव-गांव घूम कर आया हूं। पटियाला जिले में करीब 300 मस्जिदें थीं, जिन्हें सब का डस्ट्राय करके अब गुरुद्वारे बन गये हैं, लेकिन किसी ने आज तक बात नहीं की। फिर आज मन्दिर और मस्जिद का झगड़ा क्यों हो रहा है। वहां से 10 लाख से ज्यादा हिन्दू, पंजाब छोड़कर भारतवर्ष के दूसरे इलाकों में आ गये हैं और हजारों की गिनती में मर चुके हैं। न हिन्द की सरकार और न पंजाब की सरकार कुछ कर पाई है, जिस तरह पंजाब में वे मर रहे हैं। 50-50 आदमी मरते हैं तो सरकार बयान देती है कि सिर्फ 20 आदमी मरे हैं। वहां जिस तरह 50-50 हिन्दू मर रहे हैं, क्या बात है कि उनके बारे में किसी ने आज तक कोई चर्चा नहीं की। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, सरकार से इल्तजा करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर दुआ करता हूं कि वाहगुरु इन्हें सबक दे। मैं भी उसी राम का शिष्य हूं जिन्होंने भीलनी के झूठे बेर खाये थे। मैं भी उसी गुरू का शिष्य हूं, गुरु गोबिन्द सिंह जी का शिष्य हूं जिन्होंने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये सारे परिवार को कुरबान कर दिया था। आप कुरबान हुए थे, बच्चे कुरबान हुए थे, माता कुरबान हुई, पिता कुरबान हुए। वहां हिन्दू और सिखों की कोई लड़ाई नहीं है। महज कुछ आदमी ऐसा प्रचार कर रहे हैं। वहां के हिन्दू, वहां के सिख, वहां के हरिजन, ये तीनों कौमें नरसिंह राव जी को देवतुल्य आदमी समझती हैं। पंजाब में यह चर्चा हो रही थी, (व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए। थोड़ा बोलना है। एक मिनट बोलना है।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह : पंजाब में चर्चा हो रही थी कि नेहरू परिवार के बाद हिन्दुस्तान में कौन राज करेगा, लेकिन बाम पंथ का हिन्दू, सिख और हरिजन कहता है कि नरसिंह राव जो राज चला रहे हैं, वह बेहतरीन है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि पंजाब से जो 10 लाख हिन्दू निकल-कर इधर आ गए हैं, कई हजार लोग मरे हैं और इसी तरह से हिन्दू वहां से भाग रहे हैं; वे वहां हिन्दुओं की आवाज उठाने वाले, हिन्दुओं के लीडर बनने वाले, एक लफ्ज भी उनके बारे में नहीं कह रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब वे जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अब दूसरों को बोलने दीजिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, आप अभी विपक्ष के नेता, श्री आडवाणी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के रूप में जो कुछ बातें सदन में रख रहे थे, वे बहुत गंभीर बातें हैं। अखबार एक निर्वाचन-क्षेत्र सरकार का था, जिसकी चर्चा आडवाणी जी ने की। श्री आडवाणी, विपक्ष के नेता हैं, बहुत गंभीर सांसद हैं, केन्द्र सरकार का अगर कोई डायरेक्टिव था और वह डायरेक्टिव था कि विवादास्पद ढांचे की रक्षा करने के लिए वहां पर चारों तरफ एक पक्का घेराव बनाया जाए, तो केन्द्र सरकार की ओर से उनको सफाई हाउस में आनी चाहिए थी कि वास्तव में ऐसा कोई डायरेक्टिव दिया गया था या नहीं ? अखबार दो-हम लोगों ने पूछा था कि :

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनके द्वारा की गई टिप्पणियों पर आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप अपने विचार दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : नंबर दो, हम लोगों ने पूछा था कि लास्ट प्लान बताया जाए। डेढ़-इंच को बढ़ावा देने के लिए या जिस उद्देश्य से भी इस भूमि का अधिग्रहण करके अवध हिन्दू

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परिषद् को सौंपा गई है या बजरंग दल को सौंपा गई है, उस दृष्टि से वहां उस जगह पर कौनसा स्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहे हैं और तीसरी बात, गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम धारा 356 का इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार से धारा 356 के इस्तेमाल की धमकी देना किसी भी गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। अगर किसी सरकार ने, भारत सरकार के डायरेक्टिव के खिलाफ काम किया है, संविधान के दायरे के बाहर जाकर काम किया है, किसी संवैधानिक निर्देश का उल्लंघन किया है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानून के तहत कारवाई की जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार से खुलेरूप में धारा 356 के प्रयोग की धमकी देना अशोभनीय है।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आडवाणी जी ने कहा है, और जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने धारा 356 की धमकी दी है, उससे मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार धारा 356 को लागू नहीं करना चाहती है, ऐसा कह कर सिर्फ हवाई फायर करना चाहती है। यह बात आज आडवाणी जी की बात और गृह मंत्री जी के हवाई फायर से साफ हो गई है कि इन दोनों के बीच में मंदिर के सवाल पर साठगांठ हो गई है। यही कारण है कि वहां मंदिर तोड़ते चले जा रहे हैं। वहां मंदिर टूटता चला जा रहा है और केन्द्र सरकार को उसकी रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। ऐसा लगता है कि मन्दिर को तोड़ने के बाद वहां पर मस्जिद के ढांचे को ढहाया जाएगा। इन दोनों की साठगांठ से मुझे पूरी आशंका है और अब यह सदन में साफ हो गया है। इसलिए यह बात सरकार स्पष्ट करे। हम यह निश्चितरूप से कहना चाहते हैं कि यह सवाल आज इस देश में उठाकर जैसा वातावरण पैदा करने का प्रयास जानबूझकर किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की औकात नहीं है, चाहे वह कितना ही सैक्रेट मिलन की बात कहती रहे, वहां पर मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दे। अगर ऐसा होता तो मैं यहां यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस देश का धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाला ताकत, करोड़ों की संख्या में मस्जिद को बचाने के लिए वहां जाने को तैयार है। इनकी हिम्मत नहीं है कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दें। केन्द्र तो मुसलमानों की भावनाओं का लाभ उठाने के लिए हवाई फायर कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिन्दुओं के सेंटीमेंट्स के साथ खिलवाड़ करने के लिए भा. ज. पा. द्वारा यह नाटक किया जा रहा है। श्री नरसिंह राव, आडवाणी जी का क्या संबंध है जिसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने अभी खुलासा किया है। साठ-गांठ के तहत सरकार की आर्थिक नीतियों पर जो चोट हो रही है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस विवाद को नए सिरे से खड़ा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाडेट (विजयवाड़ा) : मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने विपक्ष के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को सुना है। उनका आदर करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के लोगों ने उनको जनादेश नहीं दिया है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी उनको जनादेश नहीं दिया है। यह केवल उन लोगों के वोट बटने से हुआ जो कि इस जनादेश के विरुद्ध थे कि किसी तरह भा. ज. पा. सत्ता में आ सकी, यह केवल इसी तथ्य के कारण है कि वे उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गए।

हमारे संविधान का स्वरूप धर्म-निरपेक्ष है जो कि हम सब पर लागू होता है यदि हम

अपनी राजनैतिक पार्टी के घोषणा पत्र में कुछ भी कहें। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, हमारे संविधान के धर्म-निरपेक्ष स्वरूप को नष्ट करने के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए। पहले भी लोग अयोध्या और फैजाबाद में शांति से रह रहे थे। केवल श्री लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद ही भा. ज. पा., आर. एस. एस. और वि. हि. प. ने अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण का कार्य प्राप्त किया उसके बाद स्थिति बहुत बिगड़ गये और सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ गया।

मामला जबकि न्यायालय में लंबित पड़ा है, तो वे जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। न्यायालय के निर्णय के बाद बाद आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप चाहे कुछ भी करें इससे निश्चित तौर पर उपद्रव होंगे और सांप्रदायिक सौहार्द में टकराव पैदा होगा। मैं भा. ज. पा. के अपने मित्रों से अपील करता हूं कि वे निर्माण के वर्तमान कार्य को छोड़ दें जिसका कि इस देश के असंख्य लोगों ने स्वागत नहीं किया है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले को स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय : अब वे इसे स्पष्ट करने जा रहे हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडेड : सरकार को इस विशेष मामले के संबंध में स्पष्ट करना चाहिए कि आपने दीवार के निर्माण की इजाजत दे दी है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इस प्रकार के निर्माण को बंद करे जो कानूनी रूप से अवैध है और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा है।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : मैं संक्षेप में एक संक्षिप्त और रचनात्मक बात करूंगा और आपके निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कम समय लूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बजट पर चर्चा करना नहीं चाहते तो मैं इसकी इजाजत दे सकता हूँ।

श्री इन्द्र जीत : पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद ने अपनी पहली बैठक में फैसला किया था कि राष्ट्रीय एकता परिषद या इसका एक दल अयोध्या का दौरा करे। दुर्भाग्य से इस प्रस्ताव पर सभी की सहमति के बावजूद इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं पुरजोर आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद के प्रस्ताव, बल्कि निर्णय को बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वित किया जाए। तब भा. ज. पा. सरकार द्वारा और आज श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए। एक बार हम अयोध्या जाने में सक्षम हो जाते हैं तो काफी गर्मागर्मी दूर हो जाएगी और सच्चाई का पता चल जाएगा। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रीय एकता परिषद के एक दल को भेजने के इस विशेष प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जाए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। मैं आपको इजाजत दे रहा था। यहां तक कि छोटे दलों को भी इजाजत दे दी गई थी, लेकिन हर समय इस प्रकार का दबाव डालना उचित नहीं है। तब मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज को इजाजत दे दी होती। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया ?

श्री आर. एल. भालन्दीय (मुजफ्फरपुर) : मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते तो यदि अन्य चाहें तो इस विषय पर पूरा दिन चर्चा कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। मैं अपने वचन का पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बिना कुछ बोले हम आपके विचार जानते हैं क्योंकि आप अभी बोलकर हटे हैं।

श्री चित्त बसु : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री चित्त बसु : मैं केवल भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का पालन करें।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : (सहरसा) अध्यक्ष महोदय, देश नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे गंभीर विषय पर हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। आप विशेष व्यक्तियों के लिए अपनी कलिंग को बार-बार बदलते हैं, यह अच्छा नहीं है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। अन्य मामले भी हैं जिन पर चर्चा की जाती है। मेरे पास जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मैं उन्हें आज की बजाय कल लूंगा। लेकिन हम उन्हें कल लेंगे। मेरे विचार से श्री चन्द्र शेखर दोपहर बाद बोलेंगे और अन्य सदस्य भी हैं जो कि इन सभी मुद्दों पर बोलना चाहते हैं। बजट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहीं कुछ हो रहा है। यदि आपका ध्यान अधिक मामलों से हटे तो आप अन्य मामलों पर भी चर्चा कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु : मैं भारत सरकार से अनुरोध करता चाहता हूं—विशेषकर रेल के प्रभारी मंत्री और गृह मंत्री से—कि वह अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वाहन करे। मेरे पास स्पष्ट करने के लिए समय नहीं है लेकिन संविधान की प्रस्तावना कहती है···

अध्यक्ष महोदय : हम सभी प्रस्तावना को जानते हैं। आप सिद्धान्तों पर मत जाइए। हम सबने प्रस्तावना का लाखों बार अध्ययन किया है।

श्री चित्त बसु : संविधान की प्रस्तावना कहती है कि राज्य के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को बनाये रखा जाना चाहिए और यहां इस धर्म निरपेक्षता को खतरा पहुंचाया गया है और यह धर्म निरपेक्ष प्रजातंत्रता की एकता, अखंडता और सुरक्षा का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 256 में भी प्रावधान है कि भारत सरकार इन सभी बातों के संबन्ध में राज्य सरकार को उसके उत्तरदायित्वों के निर्वाहन के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

[अनुवाद]

मैं भारत सरकार से केवल यही अनुरोध करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करे कि धर्म निरपेक्षता की रक्षा की जाये और प्रजातंत्र की रक्षा हो।

एक माननीय सदस्य : ऐसा कब तक चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपके क्रोध से सहमत हूं।

श्री चित्त बसु : उन्हें देखना चाहिए कि राज्य में गड़बड़ी फैलाने के लिए कुछ ऐसा न किया जाये जिससे कि राज्य की एकता और अखंडता को खतरा हो।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं दो ही बातें कहना चाहता हूं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके भाषण की बहुत सी प्रतिक्रियाएं होंगी। मुझे इसका डर है।

डा. कार्तिकेश्वर बाता (बालासोर) : कृपया हमें भी कुछ कहने की इजाजत दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप गृह मन्त्री जी को निर्देश करने जा रहे हैं तो उन्होंने जो 356 की बात बाहर की, इस बारे में हम यह मानते हैं कि अगर उन्होंने यह बात कहते वक्त अयोध्या की जो स्थिति है, उसको मद्देनजर रखकर कुछ कहते होता तो ज्यादा अच्छा होता। वह दो चीजों का खुलासा करें और जब तक वह अपना बयान दें तो बतायें कि क्या गवर्नर की कोई रिपोर्ट आई है ? अगर 356 का अमल करना है तो गवर्नर की रिपोर्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। चूंकि संविधान केन्द्र सरकार को अधिकार देता है, ऐसी परिस्थिति होने पर जांच की रिपोर्ट यहां आनी चाहिए। 356 का मामला एक दृष्टि से एमरजेंसी का मामला बन जाता है, ये एमरजेन्सी बलात्मिज हैं और हम एमरजेन्सी के भुक्तभोगी हैं इसलिए मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं गृहमन्त्री जी से बहुत स्पष्ट बातें चाहूंगा। यहां जितनी भी चर्चा हुई, उस बहस में आडवाणी जी ने एक बात स्पष्ट की कि कानून का मतलब हम मानते हैं न्यायालय और संविधान का मतलब भी हम मानते हैं न्यायालय हम इसके बाहर कोई खोज नहीं करेंगे। उन्होंने ये शब्द एक बार नहीं अनेक बार किये हैं। उनके मुंह से ये शब्द आने के बाद फिर वहां से जो कोई जानकारी जिस किसी को व्यक्तिगत तौर पर हासिल करने में कामयाबी मिली हो तो वह जानकारी इस सदन में आने के बाद हम इस वक्त निष्कर्ष में आने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए हम गृह मन्त्री से इन तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी चाहेंगे, मगर तथ्यों के साथ हम सबसे अधिक अपेक्षा करेंगे कि 356 के मामले पर गवर्नर की रिपोर्ट सदन में पेश करनी

चाहिए। अगर वह न हो तो फिर उनके विभाग ने जो रिपोर्ट तैयार की हो या जो जांच की हो, वह रिपोर्ट यहां पेश होनी चाहिए वरना हम यह मानेंगे कि सरकार के मन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो देश के हित में नहीं हैं। मैं विपक्ष से इतनी ही अपील करूंगा क्योंकि कांग्रेस वालों से कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, लेकिन विपक्ष से इतनी अपेक्षा करूंगा कि सरकार द्वारा ऐसा कोई भी कदम उठाने पर अपनी आवाज को मिलाने का काम न करें जिसमें 356 के नाम से देश में फिर आपातकाल की परिस्थिति फिर एक बार निर्माण हो सके।

श्री गुलाम नबी आजाद : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा है कि माननीय मिनिस्टर साहब आज शाम से पहले-पहले यहां लोक सभा में बहुत डिटेल्ड, काम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट देंगे। विशेष रूप से जो टीचर्स के बारे में चर्चा की है, कैसे बनाई गई, किसको इजाजत से बनाई गई, कहां तक बनाई गई, उसके बीच में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में क्या बातचीत हुई है, मुझे पूरी आशा है कि होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट में वह बात रहेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने विरोधी दल के नेता और बाकी हमारे साथी, मित्र, जिन्होंने यहां भाषण किये, उनके विचार बड़े ध्यान से सुने। मैं उनके विचारों का आदर करते हुए यह तमाम पाइण्टस, जो आपने यहां रखे, उसके बाद ही लंच आवर में माननीय गृह मन्त्री से उनके बारे में चर्चा करूंगा ताकि वह जिस वक्त यह स्टेटमेंट यहां दें तो उसको आपके सामने रखें।

मैं इस वक्त केवल एक ही बात का उल्लेख यहां करना चाहता हूं, यहां कुछ साथियों ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने इस सेंसिटिव मामले की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल से जब से यह सरकार आई है, यह नई सरकार आई है, पूरा ध्यान केन्द्रीय सरकार का इस तरफ लगा। यहां तक कि नेशनल इण्टीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग भी तुरन्त बुलाई गई। उसके अलावा भी हमने हमेशा ध्यान दिया। मैं इससे सहमत हूं कि जितने हमारे इस तरफ के साथी इस मामले को सुलझाने के लिए सम्पर्क हैं, उतनी ही हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी और सरकार भी इस मामले के लिए आम सहमति से या अदालत के जरिए कोई अन्तिम फैसले के लिए इच्छुक है।

इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि, हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं, उस वक्त भी चर्चा होती है, इलेक्शन के पहले और बाद में भी हर सभा में इसकी चर्चा होती है, जो माननीय विपक्ष के नेता जी ने फरमाया, उन्होंने फरमाया कि शायद सदन के अन्दर मंदिर बनाने के पक्ष में ज्यादा लोग हों न हों लेकिन बाहर इसके पक्ष में बहुत हैं। मैं एक बात इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूं, अपनी सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से कि हम मंदिर बनाने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं, कोई भी मंदिर बनाने के खिलाफ नहीं है। केवल अगर हमको आपत्ति है या ऑब्जेक्शन है तो मंदिर को तोड़कर या मस्जिद के किसी हिस्से को तोड़कर या डिस्प्यूटेड एरिया को तोड़कर अगर मंदिर बनाया जाय, उसमें आपत्ति है, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आम चर्चा यह होती है कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोग मंदिर बनाने के खिलाफ हैं। हम बिल्कुल मंदिर बनाने के खिलाफ नहीं हैं, मंदिर बनना चाहिए, आलीशान मंदिर बनना चाहिए लेकिन जहां 85 करोड़ हिन्दू मुसलमान इस देश में को-एग्जिस्ट कर सकते हैं, वहां इस देश के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद भी को-एग्जिस्ट करना चाहिए।

(अनुवाद)

सभापति महोदय : हमने एक बहुत ही विश्वसनीय और अच्छी चर्चा की। विवरण बाद में आएगा।

मुझे कहना है कि अन्य सदस्यों ने भी बहुत अच्छी प्रकार से सहयोग दिया। उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये जिन पर वे चर्चा करना चाहते थे। मैं उन्हें किसी समय और ले लूंगा।

मेरे विचार से सभा पटल पर रखे गये पत्रों और अन्य बातों के बाद हम मध्यान्ह भोजन के लिए जाएंगे और उसके बाद हम बजट पर चर्चा के लिए यहां आएंगे।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें। श्री आजाद।

---

1. 33 म. प.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड और शिक्षा विभाग के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन; हैदराबाद विश्वविद्यालय अधि के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण :

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1584/92]

(2) हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1585/92]

(4) सरदार वल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरिंग तथा तकनीकी कालेज, सूरत के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-1586/92]

(6) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-1587/92]

(8) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-1588/92]

लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री कमल नाथ की ओर से मैं लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत लोक दायित्व बीमा (संशोधन) नियम, 1992, जो 6 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 87 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-1584/92]

हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालयमें रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.-1590/92]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो पी. जे. कुरियन) : श्रीमती मारग्रेट अल्वा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1992 जो 25 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 33 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1992 जो 25 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा. का. नि. मे प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1992 जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 40 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1992 जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 41 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.- 1591/92]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लिमिटेड पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो. पी. जे. कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समेकित विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1592/92]

कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा चिन्ता मोहन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) कृषक भारती सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 1593/92]

(3) (एक) भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 1594/92]

(5) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड और रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया : देखिए संख्या एल. टी. 1595/92]

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-1596/92]

(ख) (एक) फाइराईट्स, फासफेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड, रोहतास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फाइराईट्स फासफेट्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड, रोहतास का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1597/92]

टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चो. के. चुंबन) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कानपुर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1598/92]

(3) इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-1599/92]

(4) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-1600/92]

(5) मारुति उद्योग लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया : देखिए संख्या एल. टी.-1601/92]

(6) भारत यंत्र निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया : देखिए संख्या एल. टी.-1602/92]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 75 वें सत्र में स्वीकृत अभिसमय सिफारिश पर की गई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में विवरण

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : मैं जून, 1988 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 75 वें सत्र में स्वीकृत अभिसमय और सिफारिश पर की गयी अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1603/92]

———

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है;

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग(रेल) विधेयक 1992 को, जिसे लोक सभा द्वारा 17 मार्च 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1992 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 1992 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।'.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.35 म.प.

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

नियम ३७७ के अधीन मामले

1.36 अ.प.

(एक) कोचीन हिमानपत्तन का शीघ्र विस्तार करने के उपाय करने की मांग

श्री सावित्री लक्ष्मणन (मुकुंदपुरम्) : महोदय, यह पता चला है कि कोचिन हवाई अड्डे के विस्तार पर भारत काफी सक्रियतापूर्वक विचार कर रहा है। यह भी खबर है कि हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने वर्तमान कोचीन हवाई अड्डों के आसपास इसके विस्तार के लिए सुयोग्य भूमि के

लिए सर्वेक्षण किया है। इसके लिए चुने गये पांच क्षेत्रों में अलुवा के निकट नेदुमपसरी जो कि, एर्णाकुलम जिले में है को हवाई अड्डे के प्राधिकारियों द्वारा कोचीन हवाई अड्डे के विस्तार के के लिए सबसे सुयोग्य स्थल माना गया है।

इस स्थिति में, मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि सरकार इस विस्तार सम्बन्धी कार्य को शीघ्र शुरू करने के लिए केन्द्रीय सरकार संबद्ध अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे। नेदुमपसरी, निकट-स्थ स्थान है तथा अलुवा के निकट है और एक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। एफ. ए. सी टी टी ई. एल सी.. टी. टी सी. प्रिमियर टायर्स, प्रिमियर केबल्स, ट्रावन कोरेरियन आदि सभी इस क्षेत्र के काफी निकट स्थित हैं।

(दो) महेन्द्रगिरि उड़ीसा में जैविक विविधताओं का परिरक्षण और संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : महोदय, मन्हेंद्रगिरि पर्वतीय श्रृंखला देश की सबसे पुरानी पारिस्थितिकीय श्रृंखला है। यह पर्वत माला जनजातिक प्रजातियों मूल जनजातियों, पुरातत्वीय और ऐतिहासिक स्मारकों का एक अनोखी पर्वतमाला है। अपनी वन्य जीवों के समूह में यह पर्वत श्रृंखला उत्तरी हिमालय और दक्षिणी प्रायद्वीप के बीच परिवर्ती क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। जो विभिन्न जनजातिक प्रजातियों के लिए एक अच्छा स्थान है; यह विभिन्न जंगली जानवरों जैसे हाथी, चीता, बाघ, लकड़बग्घा, भेड़िया, भालू, जंगली भालू, चीतल हिरण, आदि के रहने का एक प्राकृतिक स्थान है; हाथियों की संख्या कुल मिलाकर लगभग 40 है। अतः एक हाथी विहार स्थल बनाए जाने पर विचार करना चाहिए।

पूर्वी घाट में 9 प्रमुख पहाड़ियों में से तीन इस माला में है। ये हैं सिंगराज (1,516 मी.), मन्हेंद्रगिरि (1501 मी.) और देवगिरि (1382 मी.) जहां तक पारिस्थितिकीय संपदा का सवाल है, ये तीन पर्वत एक स्वर्णिम त्रिकोण बनाते हैं, आई. यू सी एन. रेड डाटा पुस्तक में बहुत से ऐसे पौधों और जानवरों को 'संकटग्रस्त' इनके अस्तित्व को खतरा, 'असुरक्षित' और 'दुर्लभ' प्रजातियों के रूप में वर्णित किया गया है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि मन्हेंद्रगिरि, सिंगराज देवगिरि पर्वतमाला में एक 'बायोस्फियर रिजर्व' बनाया जाये, ताकि इन्हें प्रागैतिहासिक समय के अनुरूप फिर से महेन्द्रगिरि पर्वतमाला में विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति और जीव जन्तु है; साल प्रजाति जो उड़ीसा की वनस्पति का गौरव है वह बहुत तेजी से समाप्त होती जा रही है। बहुत सी प्रजातियों, जो विशेष क्षेत्री हैं और हिमालय तथा प्रायद्वीप किस्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं, का क्षय हो रहा है।

1.39 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

यह उचित होगा कि इस पर्वतमाला के वनस्पति और जीवजन्तुओं के बारे में तेजी से एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

अन्त: मैं केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन करता है कि वह मन्हेंद्रगिरि की अनोखी पारि-

स्थिति की व्यवस्था में जैविक विविधताओं को परिरक्षण और संरक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिये एक वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय उद्यान हाथी आरक्षित स्थल बायोस्फियर रिजर्व की घोषणा करके राज्य सरकार के साथ तालमेल रखे।

(तीन) प्रताप नगर रेलवे स्टेशन, बड़ौदा, गुजरात के समीप रेलवे फाटक को पुनः खोलने की मांग

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला (बड़ौदा): महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहती हूं कि जो लोग प्रतापनगर रेलवे स्टेशन और दलेश्वर के निकट रेलवे कालोनी में रह रहे हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे फाटक को बन्द कर दिया गया है।

दलेश्वर क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 30,000 है। दलेश्वर गांव में बहुत सी आवासीय समितियां बनी हुई हैं और गांव में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस क्षेत्र के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत का जरूरत का सामान खरीदने के लिए सोमाघड़ा, और छाण्डेराव बाजारों पर निर्भर करते हैं। बहुत से स्कूल और अस्पताल आर. बी. देसाई मार्ग पर स्थित हैं। इस रेलवे फाटक के बन्द करने के कारण उनको एक पुल के ऊपर से जाना पड़ता है जोकि बहुत दूर है।

राज्य परिवहन को मण्डवी पहुँचने के लिए काफी लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है जिससे अधिक ईंधन खर्च होता है, समय बर्बाद होता है और यह महंगा भी पड़ता है।

इसको देखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करती हूं कि वह बड़ौदा में योगिनि अस्पताल के निकट स्थित रेलवे फाटक खोलने के लिए शीघ्र कदम उठाये।

(चार) जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज और मीरगंज में चीनी मिलों की स्थापना की मांग

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बरेली जनपद के नवाबगंज व मीरगंज स्थानों पर चीनी मिल लगाए जाने की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है, बरेली जनपद के कृषकों की मुख्य फसल गन्ना है। जनपद में प्रतिवर्ष चार लाख क्विंटल गन्ने की पैदावार होती है तथा वर्तमान में कार्यरत चार मिलें मात्र एक लाख क्विंटल गन्ना क्रय करती हैं। इस कारण बरेली का किसान आर्थिक रूप से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। उक्त स्थानों पर चीनी मिल लगाए जाने हेतु मैंने कई बार लिखा है तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इन स्थानों पर चीनी मिल लगाए जाने हेतु संस्तुति की है तथा केन्द्र के द्वारा कई बार अवगत कराया गया है कि शीघ्र ही निर्णय लिया जाना है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उक्त दोनों स्थानों पर चीनी मिल लगाए जाने की अतिशीघ्र घोषणा की जाए।

(पांच) भुवनेश्वर उड़ीसा में दूरदर्शन के दूसरे चैनल की स्थापना की मांग

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, भुवनेश्वर में टी. वी. स्टूडियो कम्पलेक्स को पूरा करने में जो देरी हुई है उससे विभिन्न अच्छे कार्यक्रमों के निर्माण में गम्भीर कठिनाइयां आया हैं। दूरदर्शन केन्द्र कटक में स्टूडियो की सीमित सुविधाओं को देखते हुए शाम के कार्यक्रम 6.00 बजे शुरू होते हैं। जो कि निर्धारित समय से आधा घन्टे देरी से शुरू होते हैं। भुवनेश्वर स्टूडियो के लिए उपकरण, जो कि पहले ही आ चुके हैं, को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाना चाहिए, ताकि कार्यक्रमों का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके और भुवनेश्वर में मो. वी. वैन उपलब्ध कराई जाये उड़ीसा ही देश का एक मात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य की राजधानी में आकाशवाणी और दूरदर्शन का केन्द्र नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि भुवनेश्वर में दूसरा चैनल शुरू किया जाये और साथ ही साथ सम्बलपुर मे सहायक टी. वी. स्टूडियो की व्यवस्था का जाये।

(छ) तमिलनाडु में कुड्डालोर पत्तन, का एक बड़े पत्तन के रूप में विकास करने की मांग।

श्री पी. पी कालियपेरुमल (कुड्डालोर) : महोदय, कुड्डालोर पत्तन, जोकि एक छोटा पत्तन है, कुड्डालोर, दक्षिण अरकाट जिला, तमिलनाडु मे स्थित है। यह 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। यह एक खुला सड़क से लगा पत्तन है। इसके घाट के निकट रेलवे साइडिंग की सुविधा है जिसमे रेलवे द्वारा सामान के लाने ले जाने में सुविधा होती है। उर्वरक, गेंहू, चावल, सीमेन्ट, चावल की भूसी, गाल बल्लारी प्याज, कोयला, रबड़ और अन्य सामान कुछ ऐसा महत्वपूर्ण समान है जिनका लाना ले जाना इस पत्तन पर होता है। यह नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. से लगभग 30 कि. मी. पूर्व में स्थित है।

इस पत्तन का कोयले को मेट्टूर तापीय विद्युत केन्द्र तक ले जाने के लिए लाभदायक तरीके से उपयोग किया जा सकता है। यदि इस पत्तन का विकास करके इसका उपयोग कोयले के आयात के लिए किया जाए तो कोयले को रेलवे द्वारा कुड्डालोर से मेट्टूर ले जाया सकता है। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ने कुड्डालोर में एक तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने संबंधी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि., बंगलोर ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के सहयोग से एक गर्म ब्रिक्वाटिड लौह संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिसकी वार्षिक क्षमता 0-75 मिलियन टन प्रति वर्ष होगा और जिसकी 546 करोड़ रु. की निवेश होगा जोकि कुड्डालोर पत्तन स्थापित होगा। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह कुड्डालोर लघु पत्तन को एक बड़े पत्तन में विकसित कर।

(सात) छोटे व्यापारियों की रक्षा के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को संशोधित करने की मांग

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : छोटे व्यापारी खाद्य सामग्री अथवा घी में

विक्रेताओं और कभी कभी निर्माताओं से भी खरीदते हैं। अक्सर खाद्य सामग्रियों में मिलावट या तो थोक विक्रेताओं अथवा निर्माताओं द्वारा की जाती है। साधारणत: फुटकर व्यापारी उनके द्वारा जाने वाली खाद्य वस्तुओं में मिलावट नहीं करते हैं। फिर भी छोटे फुटकर व्यापारी ही पकड़े जाते हैं। खाद्य विभाग का जाँच तंत्र का ध्यान थोक विक्रेताओं और निर्माताओं की ओर नहीं जाता है। छोटे फुटकर व्यापारी जिनकी आय अनिश्चित होती है वे अक्सर मुश्किल से ही जीविका अर्जन करते हैं उन्हें खाद्य सामग्री बेचने के लिए जेलों में भेज दिया जाता है जिनमें अक्सर उनके द्वारा मिलावट नहीं की गई होती है, लेकिन थोक विक्रेता और निर्माता जो वास्तव में खाद्य सामग्री में मिलावट करते हैं उन्हें दंड नहीं दिया जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन में एक धारणा यह है। कि यह कानून केवल छोटे आदमियों के ही खिलाफ कार्य करता है। जबकि धनी और आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यक्ति इसकी पकड़ से बाहर है। इसके अतिरिक्त, छोटे व्यापारियों के लिये यह कानून बहुत कठोर है क्योंकि इसमें कैसे कम से कम सजा जेल में भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे कुछ मामलों की जांच करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने सरकार को सलाह दी है कि वे इन पहलुओं की जांच की और अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 332 के अन्तर्गत अर्थ दंड को छोड़कर सारभूत कारावास की सजा को माफ करने की अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करें। मैं केन्द्रीय सरकार से छोटे व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस अधिनियम में उचित संशोधन लाने के लिए अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2-45 बजे पुनः समवेत होती।

1.47 अ. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 अ. प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.45 अ. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.48 अ. प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय-पीठासीन हुए)

सामान्य (बजट) १९९२-९३सामान्य चर्चा जारी

लेखानुदानों की मांगे (सामान्य) १९९२-९३ जारी

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) १९९१-९२ जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ए. चालसं अपना भाषण जारी रखें।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम्) : उपाध्यक्ष महोदय, एक अन्य दिन जब मैंने अपना भाषण शुरू किया था तो मैंने इस सभा को ध्यान एक मुख्य दैनिक मे प्रकाशित कार्टून की ओर दिलाया था जिसमे एक सज्जन पुरुष आवधक लेन्स मे से यह देखने का प्रयास कर रहा है कि क्या बजट का विरोध करने के लिए कोई खामी नजर आ रही है। मैंने कुछ उन टिप्पणियो का भी उल्लेख किया था जो प्रकाशित हुई थी और मैं उन्हें दोहराना नही चाहता। लेकिन एक मुख्य टिप्पणी जो की गई थी। वह यह थी कि "ठीक है कि इस देश के विचारशील लोग दलगत भावनाओ से कुछ ऊपर उठकर बजट का समर्थन करेंगे।" मैं समझ सकता हू कि हमारे माननीय समपर्या मित्र बजट का विरोध करेंगे क्योंकि वे सही दिशा मे नहीं सोच सकते है परन्तु उनके सोचने का तरीका उल्टा है मुझे आश्चर्य है कि राष्ट्रीय मोर्चे, और भा.ज.पा. के अन्य घटक बजट का समर्थन करने के लिए आगे क्यों नहीं आते है। इसलिए, समग्र निष्कर्ष यह है कि मुझे क्षमा कर जो लोग इस बजट का समर्थन नही करते वे सही दिशा में विचार करने वालो की श्रेणी मे नही आते है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बालपुर) : अपने कोई अन्य प्रमाण पत्र दिए जाने की आशंका थी।

श्री ए. चार्ल्स। बजट की कुछ मुख्य बातें आपके ध्यान मे लाने से पहले मुझे दो मुख्य आलोचनाओ जो विरोधी दल द्वारा बजट के विरुद्ध की गई है, के बारे मे उल्लेख करने का अनुमति दी जाए। वास्तव मे, बजट पर चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से शुरु हो गई थी। वास्तव मे राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में धन्यवाद प्रस्ताव पर सारी चर्चा बजट चर्चा थी। उन्होंने मुख्य दो आलोचनाए की थी। एक यह कि हमने देश के आर्थिक प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है। दूसरा यह कि बजट विश्व बैंक मे तयार किया गया था और बजट पहले ही पता लग गया था।

इस संदर्भ में, मैं 31 मार्च, 1987 को लोकसभा में हुई चर्चा से उद्धरण देता हूं। मैं समझता हूं कि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, श्री वी. पी. सिंह अभी भी राष्ट्रीय मोर्चे के नेता है। मैं नहीं जानता कि कितने घटक उनके साथ है। एक जन मोर्चा है, दूसरा जनता पार्टी है। यदि हम तमिलनाडु मे किसी साधारण से होटल मे जाते है और 'डोसा' के लिए कहते है, तो तत्काल बेरा पूछता है 'सादा' अथवा 'विशेष'। 'सादा' साधारण है और 'विशेष' मे कुछ अधिक घी और विशेष चीजें होगी। इसीलिए जनता दल मे 'साधारण' जनता है, जनता से अलग हुए और सभी अंश इसमे है कुछ भी हो, इन सभी अंशो के नेता भू. पू. प्रधान मन्त्री श्री वी. पी. सिंह है। दिनांक 31 मार्च, 1987 को आठवी लोकसभा में लम्बी चर्चा हुई थी। श्री राजीव गांधी के तत्कालीन मन्त्रिमंडल में श्री वी. पी. सिंह दूसरे नम्बर पर थे। वह एक चमकते सितारे के समान थे।

हम मानते है कि वह बड़े राजा थे। दुर्भाग्यवश हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी का उनमे पूर्ण विश्वास था। एक दिन, माननीय श्री वाजपेयी ने हमारे माननीय वित्त मंत्री को सलाह दी थी कि उनको मोटी चमड़ी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जब अचानक राजनीति मे आए थे तो वे इतने गम्भीर, सज्जन और मासूम व्यक्ति थे, कि उनकी चमड़ी कभी भी मोटी नही हो पाई। इसलिए उन्होंने सबका विश्वास किया। तत्कालीन वित्त मंत्री ने दो बजट प्रस्तुत किए। इनमें काले धन का उजागर करने के लिए प्रयास किया गया

था। तत्कालीन वित्त मंत्री पर कोई दबाव नहीं था। मुझे अब भी याद है, हमारे माननीय वित्त, श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक विशेष प्रश्न उठाया था, क्या उनके कालाधन को उजागर करने के प्रभाव में किसी स्तर पर प्रधान मन्त्री ने कोई हस्तक्षेप किया है ? तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी.पी. सिंह ने स्पष्ट उत्तर दिया था कि माननीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने कभी भी उनके काला धन उजागर करने के कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से उन्होंने अपनी समझ से, फेयरफैक्स एजेंसी नियुक्त की थी। मैं 31 मार्च, 1987 को सभा में हुई चर्चा से उद्धरण दे रहा हूं। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी का आदर करता हूं और मैं उनके भाषण से उद्धरण कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे आशा है कि यह संशोधित पाठ है।

श्री ए. चार्ल्स : उन्होंने कहा:—

> "अब यह स्वीकार किया गया है कि भारत सरकार ने सरकार के कुछ कार्यों के लिए विदेशी जांच एजेंसी नियुक्त की हैं।"

तत्पश्चात, उन्होंने यह भी कहा :

> "मैं इस प्रकार की एजेन्सियों के चयन पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त करता हूं और इस मामले के लिए देश से एक ऐसी एजेन्सी, जो विविध प्रकार के साधनों सरकारी और व्यवस्था के माध्यम से अस्थिर करने की क्षमता रखती है, विशेषकर हमारे जैसे अल्प देशों में सर्वविदित है। मैं जानना चाहूंगा कि एजेन्सी को नियुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा किस स्तर पर लिया गया। क्या यह नौकरशाही सचिव स्तर पर लिया गया, या क्या यह मन्त्री स्तर पर लिया गया या क्या यह प्रधानमंत्री स्तर पर लिया गया। ऐसा लगता है कि श्री वी. पी. सिंह ने अमरीकी संस्था की सहायता ली थी, यह उन्होंने अपनी ही एजेंसी के माध्यम से किया होगा।"

तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वी. पी. सिंह ने कहा :

"मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, इसमें कोई शक नहीं है।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह आपके साथ थे।

श्री ए. चार्ल्स : अब वह आपके नेता हैं। (व्यवधान) श्री सोमनाथ चटर्जी के स्तर के नेता उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है। मैं न्यायमूर्ति नटराजन की रिपोर्ट के पृष्ठ 261 से उद्धृत करता हूं:—

> "11 मई, 1987 के सप्ताह के 'वाशिंगटन बिजनेस जर्नल' में प्रकाशित साक्षात्कार में ऐसा बताया जाता है कि श्री हर्शमैन ने यह कहा कि उनके लगभग सभी कर्मचारी सरकार सी. आई. ए. एफ. बी. आई., आई. आर. एस. मिलिटरी इन्टेलिजेन्स और पुलिस से हैं।

और फेयरफैक्स ग्रुप के सभी कर्मचारी लाइसेंसधारी जांचकर्ता होते हैं, यहां तक कि सचिव भी। यह एजेन्सी जिसमें पूरी तरह से सी. आई. ए. के कर्मचारी हैं, का चयन आर्थिक अपराधों की जांच करने के लिए किया गया था। इसलिए मैं उपर्युक्त को उद्धृत कर रहा हूं।

मैं फिर पृष्ठ 250 से उद्धृत करता हूं, 'उपयुक्त बातें.....'

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप मेरे भाषण को पढ़कर अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : परन्तु समस्या यह है कि आप अभी तक वामपंथी विचारधारा हैं।

मैं पृष्ठ 289 से दो और वाक्यों को उद्धृत करता हूं।

"अन्तिम शब्द आयोग द्वारा अन्तिम अध्याय को समाप्त किए जाने से पहले कहे जाने की आवश्यकता है। संगत अध्याय में प्रकाश में लाए गए अशांत और क्षुब्ध कारक बातों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। इन बातों से दुःखद स्थिति का पता चलता है। कथित मौखिक स्वीकृति के बारे में कोई लिखित रिकार्ड नहीं है।'(व्यवधान)

"इन बातों से दुःखद स्थिति का पता चलता है। कथित मौखिक स्वीकृति के बारे में कोई लिखित रिकार्ड नहीं है या वी. पी. सिंह के कार्यकाल के दौरान किसी विदेशी जासूसी एजेन्सी के कथित रूप से कार्य करने के बारे में और इस संबंध में सारे रिकार्ड काफी बाद में सामने आए थे जबकि कुछ विवाद के खड़े होने के बाद उन्हें वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में भेज दिया गया।"

मैं यह सब इसलिए उद्धृत कर रहा हूं, क्योंकि वह अभी अभी राष्ट्रीय मोर्चा के नेता हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया है। पिछले सप्ताह में अपने चुनाव क्षेत्र त्रिवेन्द्रम में था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मार्क्सवादी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता एक प्रकार का प्रचार कर रहे थे। उनके पास साइकिल और मेगाफोन था। अपने प्रचार के दौरान वे जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, वे इस प्रकार हैं- आई. एम. एफ., आई. बी. आर. डी., आई. डी. ए. और ए. टी. टी. आदि। मुझे आश्चर्य हुआ है। किसी को नहीं पता कि यह क्या है? उन्हें यह बताया गया कि वे बड़े राक्षस हैं और यह हमारे देश को हड़पने आए हैं। सौभाग्यवश, विपक्ष के पास. क्लीन और नाम है। डंकल, कार्ल्स, बिल्स और प्रेसटन। आप हमेशा उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

मैं शुक्रवार को गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर डंकल के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा।

क्या यह पहला मौका है जबकि हमने विश्व बैंक से ऋण लिया है? 1956, 1961, 1966 1969, 1974, 1979, 1980, 1985, और 1990 में। पिछली सरकारों द्वारा भी बड़ी धनराशि का

ऋण लिया गया था। सोना तक गिरवी रखा गया था। सोना बेच दिया गया। श्री चन्द्रशेखर जी यहां पर उपस्थित हैं मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं उन्हें अपने विद्यार्थी जीवन से जानता हूं। मैं उन्हें न्याय के लिए लड़ने वाले युवा तर्क के रूप में पहचानता हूं। वह छवि वह सम्मान मैं आज भी बनाए रखना हूं। फिर भी मैं कहूंगा कि बहुमूल्य स्वर्ण उनके समय में बेचा गया और रक्षित भंडार का गेहूं भी बेचा गया। अंत में बजट प्रस्तुत करने से केवल एक दिन पहले श्री चन्द्रशेखर जी ने एक बड़ा दस्तावेज दिखाते हुए यह कहा कि बजट के बारे में पहले से पता चल गया।

3.00 म. प.

महोदय, मुझे बहुत धक्का लगा। मैंने सोचा कि यह शायद बजट संबंधी पत्र होंगे। एक समाचार यह था कि बजट भाषण आधे घंटे पहले होगा। खैर हम विपक्ष को लगातार मांग के प्रति कृतज्ञ हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि उनके प्रयासों के कारण यह महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित हुआ परंतु इसे जारी नहीं किया जाना था। यह दस्तावेज के पृष्ठ एक पर दिया गया है और मैं उद्धृत करता हूं :

> "इस दस्तावेज को सीमित रूप में परिचालित किया गया है और इनका उपयोग केवल प्राप्त कर्ताओं द्वारा अपने सरकारी कार्य के दौरान ही किया जाना चाहिए। इसकी अंतवस्तु को अन्यत्र विश्व बैंक की अनुमति के बिना आज्ञा नहीं बनाना चाहिए।'

मेरे पास बोलने के लिए बहुत कम समय है। अतः मुझे संक्षेप में अपनी बात कहनी होगी। बात यह है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुआ तय समझौता है। यह धारणा व्यक्त की गई है कि हमने अपने देश को बेच दिया है क्या मैं वामपंथी सदस्यों से जान सकता हूं कि चीन ने कितना ऋण लिया हैं और इसकी क्या शर्तें हैं ? हमने विश्व बैंक से बातचीत की है। उन्होंने बजट के बारे में पहले से पता चल जाने के बारे में भी बात की है। मेरे लिए यह बहुत ही आश्चर्य-जनक समाचार है। इस सम्बन्ध में मैं पृष्ठ 31 पर इस दस्तावेज के अंतिम वक्तव्य के पैरा को उद्धृत करना चाहूंगा।

> ···विभिन्न मन्त्रालयों जिनसे एस. ए. एल., एस. ए. सी. कार्यक्रम संबंधित हैं, के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त इसको पुनरीक्षा सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिशों पर अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।" और 1992-93 के बजट में उनको शामिल किया जाना ··केवल 1992-93 का बजट शब्दों से यह मान लिया गया है कि बजट के बारे में पहले से पता चल गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है।

महोदय, कोई भी साधारण व्यक्ति यह जानता है कि समितियों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती हैं। हम ज्यादातर राजा चेल्लैया समिति की रिपोर्ट पर निर्भर कर रहे हैं। क्या यह बजट का पहले से पता चल जाना है ? मुझे इस बात पर बहुत खेद है कि सारे देश के सामने एक ऐसी गलत बात कही गई है कि बजट का पहले से पता चल गया है और हमें अपनी आर्थिक

संप्रभुता का समर्पण कर दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि दूसरे पक्ष के कुछ सदस्यों ने पहले ही अपनी बौद्धिक संप्रभुता अपनी वैचारिक संप्रभुता का समर्पण कर दिया है। सारी समस्या यही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि चीन ने किस शर्तों पर ऋण लिया है (व्यवधान) हम जानते हैं कि सोवियत संघ का क्या हुआ। हम समूची घटना से बहुत दुखी हैं। हम इस बात से बहुत दुःखी हैं कि किस प्रकार सोवियत यूनियन जो हमारा बहुत ही कट्टर समर्थक और एक घनिष्ठ मित्र था, केवल आर्थिक समस्याओं के कारण विखण्डित हो गया। परन्तु उस पक्ष की ओर से गोर्बाचोव जैसे महान व्यक्ति के लिए आंसू की एक बूंद भी नहीं बहाई गई। यह बात मैं अपने तहेदिल से कहता हूं कि यह इस शताब्दी के महानतम व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने सारे विश्व की स्वतन्त्रता की रक्षा करने की कोशिश की थी। परन्तु वे त्याग के लिए एक महान व्यक्ति बन गए। दुर्भाग्यवश श्री सोमनाथ चटर्जी अभी भी स्टालिन के युग में हैं। मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। एक छोटी सी कविता है। मैं उसका यहां वर्णन करना चाहूंगा:—

मई में खिली निशापर्यंत वय कुमुदनी

दिन की एक कुमुदिनी निशा कालिक दिव्य सुंदरी जीनो रात्रि भर फिर कुम्हला जाती है। कौमुदी ज्योति यादव प्रकाश पुष्प है। लघु क्षणों में हम मात्र सौंदर्य ही देखते हैं, जीवन समय का विस्तार छोड़ समय के साथ क्षणों में ही पूर्णता को पाती है। गोर्बाचोव सही मायने में वही फूल है। उसका जीवन अनंत काल तक एक तारे की भांति चमकता रहेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

जब हमने कार्यभार सम्भाला तो इस सरकार की आर्थिक दशा क्या थी ? हम विस्तार से जानते हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आधे महीने के आयात के लिए भी पर्याप्त नहीं था। मैं इसकी चर्चा करने नहीं जा रहा हूं कि उसके लिए कौन जिम्मेवार है। हम सभी जिम्मेवार हैं क्योंकि 1980 के आरम्भ से ही समस्यायें आरम्भ हो चुकी थी। हमने उधार लिया। लेकिन व्यापार संतुलन हमेशा बना रहा था। औद्योगिक विकास हो रहा था। जब श्री राजीव गांधी ने सत्ता की बागडोर श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह को सौंपी तो खजाना भरपूर था। इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन उसके बाद परिवर्तन आया।

श्री हरि किशोरसिंह (शिवहर) वित्त मंत्री आपसे सहमत नहीं होंगे।

श्री ए. चार्ल्स : आप बाद में जवाब दे सकते हैं। आपके पास पूरा समय है मैं पहले बोलने वाले सदस्यों को सुन रहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही विनम्र रहे। उनके पास कम से एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत ही विनम्र, ईमानदार और विशिष्ठ व्यक्ति हैं। आप उनके साथ हो सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं हैं। उन्होंने कहा है 'हालांकि आर्थिक दशा में सुधार हुआ है लेकिन समस्यायें पूरी तरह हल नहीं हुई हैं। यह उनका वक्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि हमने परिवर्तन किए है, दिशाएं निर्धारित की हैं और हमने जो प्रयास किया है उसने चार या पांच महीनों में नतीजे दिखा दिए हैं। उनको केवल यही समस्या है : वे 3 साल के समय की मांग क्यों कर रहे है ? हमारे पास अलाउद्दीन का चमत्कारी चिराग नहीं है। यदि हमारे पास चिराग होता तो हमने अब तक घटना दबा दिया होता। हम स्वयं से नफरत की बर-

बात नहीं कर सकते : हमें जटिलताओं को समझना होगा । राष्ट्र एकमत से हमारे साथ है इसमें कोई शंका नहीं है । यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास जाएं तो हम पाएंगे कि वे सभी इस बजट का स्वागत कर रहे हैं । और मुख्य आरोप यह है कि हमने अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता को त्याग दिया है लेकिन उन बड़ी लोथियों का क्या होगा जो हम लोगों को भले के लिए खर्च कर रहे हैं ? हमने पिछड़े जिलों से पी. डी. एस. के लिए 1,700 केन्द्रों को चुना है ।

सीमान्त किसानों की सहायता के लिए उर्वरक सबसिडी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने वाले हैं । हमने अपने अधिकारों का समर्थन नहीं किया है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीबों को कोई आशा नहीं है । छोटे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में वास्तविक शंका व्यक्त की गई । मैं उस भावना का भी हिस्सेदार हूं । छोटे औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाना है । वह औद्योगिक क्रियाकलाप का ऐसा मुख्य क्षेत्र है जहां 60 प्रतिशत रोजगार के अवसर हैं तथा 40% उत्पादन होता है । मुझे इस बात को लेकर भी चिन्ता है क्या यह यों ही हजम कर दिया जाएगा । छोटे औद्योगिक क्षेत्र के लिए जिस एक मुश्त पैकज का वादा किया गया था, उन्हें तत्काल देना होगा । बी. आई. एफ. आर. उनकी सहायता के लिए कुछ नहीं कर सकता ।

मेरे मित्र श्री पाल यहां नहीं है । वे एक्जिट पालिसी के बारे में बोलते समय भावुक हो उठे थे । मैं भी उनके समान ही चिन्तित हूं । लेकिन वह अपनी चिन्ता इंजीनियरों और उच्च श्रेणियों के प्रति दिखा रहे थे व कि समाज के निम्न वर्ग के प्रति मुझे विश्वास है कि एक्जिट पालिसी इस देश के प्रत्येक कमकार का ध्यान रखेगी । स्पष्ट रूप से वह वक्तव्य दिया गया कि किसी कर्मकार को नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा । उद्योगों में रुग्णता की क्या समस्याएं हैं । आठवीं लोक सभा में, मैं आकलन समिति का सदस्य था । मैं कलकत्ता में एक कपड़ा मिल की रुग्णता का अध्ययन करने गया था ।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : और सदस्यों को भी बोलना है । आपने 90 मिनट ले लिए हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : निःसंदेह हमारे मित्र आपको अपना समय देने में बहुत दयालु हैं । लेकिन उनका नाम इस सूची में नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : यदि मुझे टोका नहीं गया, तो मैं तीन या चार मिनट में समाप्त कर दूंगा । मैं उस मिल में गया । विद्युतकरघा के बारे में मेरा अनुभव बहुत ही कम था । जब मैं एक वर्ष के लिये बुन्नानूर में था, तो मैंने वहां देखा यदि कोई गलती है तो कृपया उसे ठीक कर लें । कि एक कार्मिक चार विद्युत करघे देख रहा था । जब मैं इस मिल में गया तो मैंने देखा कि एक कार्मिक दो करघों पर काम कर रहा था । मैंने एक प्रश्न पूछा कि क्या इन करघों पर काम करने के कोई मानदंड निर्धारित किया जाता है । मैंने सम्बन्धित अधिकारी को प्रश्न दोहराया । मैंने कहा कि मुझे जवाब चाहिए । तब उसने जवाब दिया कि पहले मानदंड चार करघों का था लेकिन तब एक श्रमिक हड़ताल हुई . हड़ताल के दौरान उस राज्य के श्रम मंत्री ने वर्तमान सरकार पर आरोप

नहीं लगा रहा हूँ, शायद यह श्री ज्योति बसु के कार्यभार सम्भालने के बाद हुआ होगा—ने एक समझौता किया कि एक कामिक को दो कम्पनियों पर काम करना होगा। स्थिति क्या है ? जहाँ 500 कामगार हो सकते थे वहाँ 100 कामगार हैं। इस उद्योग को स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता? हमें स्थिति को समझना है। हम बीमारी का पता लगाना है और उसके बाद ही हम दवाई दे सकते हैं। पिछली सीटों से मैं जानता हूँ कि आने के बाद मुझे अपने वक्तव्य को समाप्त करना है.....

उपाध्यक्ष महोदय : आप आगे की सीट के काफी नजदीक आ चुके हैं।

श्री ए. चार्ल्स : श्री अमलदत्त की मुख्य शिकायत यह थी कि हमने अपने चुनावी घोषणापत्र पर अमल नहीं किया है। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी समेत सभी सदस्यों का आभारी हूँ। क्योंकि वे हमेशा हमारा घोषणापत्र अपने पास रखते हैं। यह एक बाइबल की तरह है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसे एक बार फिर पढ़ें। जितना अधिक आप इसे पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप लाभान्वित होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ताकि इसे पढ़ने के बाद मैं आपका हर समय विरोध कर सकूं।

श्री ए. चार्ल्स : लोगों के कल्याण के लिए बहुत से प्रस्ताव हैं। सौ दिन में हमने कुछ वादा किया था। चुनाव अभियान के दौरान मैंने अपने सार्वजनिक भाषणों में कहा था कि डीजल की कीमत कम कर दी जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद मैं थोड़ा अचम्भित हुआ, लेकिन मैं फिर लोगों के पास गया और एक सार्वजनिक सभा में मैंने कहा कि आप नहीं सोचते कि मैं एक वकील की तरह जिरह कर रहा हूँ। लेकिन तथ्य यह है कि डीजल की कीमत वास्तव में ही कम कर दी गई क्योंकि अवमूल्यन से डीजल की कीमत जो कि 6 रुपए प्रति लीटर थी, 7 रुपए से भी अधिक हो गई होती। लेकिन यह अभी भी 6 रुपये प्रति लीटर है। इसका अर्थ यह हुआ कि डीजल की कीमत कम करने में सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किया।

आप 100 दिन इन्तजार कीजिए, आप 365 दिन इन्तजार कीजिए, आप पूर्ण अवधि तक इन्तजार कीजिए, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम एक के बाद एक, अपने सभी वायदे पूरे करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने उपासना स्थलों की यथा-स्थिति बनाये रखने के लिए पहले ही एक विधान पारित कर दिया है।

मैं समझता हूँ कि वह एक मात्र समय था जब आप ठीक ढंग से सोच रहे थे क्योंकि आपने हमारे पक्ष में वोट दिया।

अनेक प्रकार के उद्योग हैं विमान प्रौद्योगिकी उद्योग, इस्पात उद्योग, उर्वरक उद्योग, औषध उद्योग, तेल और पेट्रो रसायन उद्योग तथा पोत निर्माण उद्योग। इन क्षेत्रों में यदि हम समग्र परिवर्तन की योजना बनाएं और बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाएं तथा नये उद्योग शुरू करें तो इन उद्योगों में रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ जाएंगी और उनसे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी। प्रत्येक वर्ष कोरिया तथा जापान को 200 लाख टन लौह उर्वरक का निर्यात किया जाता है। हमें इसके प्रतिक्रमण के लिए अपनी प्रौद्योगिकी सोचनी होगी।

यहां अनेक चीजें हैं। यहां मेरे पास काफी कम समय है मुझे अपना भाषण समाप्त करना है, केरल में सभी उद्योग बंद हो गये हैं, केरल में केन्द्र का निवेश एक प्रतिशत से भी कम है। यहां काफी आयोजन हुए थ। मैं अनुरोध करूंगा कि करल में कन्द्राय सरकार को निवेश बढ़ाया जाए।

हमने अपनी नीति में परिवर्तन किया है, यह एक महत्वपूर्ण कदम है, हमें सिर्फ एक नाम प्राप्त करना है, हमें सिर्फ एक सपना पूरा करना है, जो बापू का महान सपना था हर "आंख का आंसु पोछा जाय।" उस नाम को प्राप्त को ओर यह बजट एक बड़ा काम है, मुझे विश्वास है कि माननाय वित्त मन्त्री की विश्वसनीयता, ईमानदारी सत्यानिष्ठा तथा कुशलता और प्रधानमन्त्री श्री पी. वी. नरसिंह राव के महान नेतृत्व में हम प्रगति के पथ पर हैं, भारत प्रगति के पथ पर है, तथा इस शताब्दि के अन्त तक हम विश्व का नेतृत्व करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का पुरी तरह समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग)। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार का बजट, सरकार के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं की ओर संकेत करता है। इस सरकार ने जो इस साल बजट रखा है, यदि उसे निरपेक्षता से देखें, उस पर निष्पक्षता से विचार करें, तो स्पष्ट लगता है कि यह बजट "गरीबी मिटाओ" बजट है। यह बजट ग्राम विरोधी बजट है, किसान विरोधी है, हरिजन विरोधी है और नौजवान विरोधी भी है। उपाध्यक्ष महोदय आपने देखा कि यह बजट सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित नहीं है बल्कि जो प्यारी है सरवाइवल आफ दी फिटेस्ट, जो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, उस पर आधारित है।

महात्मा गांधी ने कल्पना की थी कि इस देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये। इस बजट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने धन के साथ आमंत्रित किया है कि वे आयें और यहां प्रतिस्पर्धा करें। जब प्रतिस्पर्धा करेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस सोच के आधार पर जो छोटे-मोटे लघु उद्योग लगे हैं, उनका नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगेगा। यह आमंत्रण ऐसा लगता है जैसे एक तालाब में जहां छोटी-छोटी मछलियां हैं उसमें बड़ी-बड़ी मछलियां लाकर डाल दी। यह सिद्धांत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अगर सरकार की यह प्राथमिकता है तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। पहले ही देश में बेरोजगारी बहुत है।

इस देश में 3 करोड़ पढ़े-लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। इस देश में 9 करोड़ से ज्यादा शहरों में बेरोजगारी है। 12 करोड़ लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है, अनेक देश ऐसे हैं जिनकी पूरी आबादी 12 करोड़ नहीं है। यहां सोच होनी चाहिए थी कि किस तरह से नौजवानों को रोजगार दिया जाये। आज देश के भिन्न भिन्न कोने में नौजवान बेरोजगार होने के कारण ऐसी-ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं जो राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं। यह सब सोचकर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आमंत्रित की गई हैं वो बेरोजगारी को और बढ़ायेंगी। इससे लगता है कि सरकार

का इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि इस देश का नौजवान रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, आन्दोलन कर रहा है। उसकी तरफ ध्यान न होकर सरवाइवल आफ दी फिटैस्ट के सिद्धांत पर आइए, प्रतिस्पर्धा कीजिए। जो शक्तिशाली है वह जीत जाएगा। इस समाज में वही रहे जो प्रतिस्पर्धा कर सके। लेकिन प्रजातांत्रिक सरकार का दृष्टिकोण होता है कि कमजोर को भी उंगली पकड़कर आगे बढ़ाये, उसको शक्ति की तरफ ले जाये। लगता है कि बजट बनाते समय इस दृष्टिकोण का ध्यान नहीं रखा गया बल्कि उनको समाप्त हो जाने पर मजबूर होना पड़े। यह बजट बनाने वाले की इच्छा झलकती है यह बजट प्रजातांत्रिक भावना से सम्बन्धित नहीं है, यह ऐसा बजट है कि हमारी सरकार है, हम जो चाहें करें, कोई मरता है तो मरे, कोई जीता है तो जिए। यह प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण नहीं है। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण में सब को साथ लेकर चलना होता है, कमजोर वर्ग को मजबूत बनाना होता है। सबको न्याय मिले, समाज में इस दृष्टिकोण से योजनायें बनाई जाती हैं, लेकिन बजट में देखने के बाद ऐसा लगा कि जो देश का कमजोर वर्ग है, उसकी ओर शायद मन मोहन सिंह जी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि मन मोहन सिंह जी बड़े इकानामिस्ट हैं और उन्होंने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए शायद उन्हें उन गरीबों का ध्यान नहीं है। जो गांवों में रहते हैं जो इस प्रजातंत्र की धुरा है, जो हमारे देश की जान हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको ऊपर ले जाने के लिए, उनके रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हाथों को काम देने के लिए, उनके खेतों को पानी देने के लिए जो योजनायें बनानी चाहिए थीं आवश्यकता के आधार पर, उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

शिक्षा की ओर कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखा। देश के गांवों में 66 फीसदी लोगों से भी ज्यादा जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं, उनके बारे में बजट में कहीं ऐसा नहीं देखा कि उनकी कैसे आगे लायेंगे, गरीबी को कैसे मिटायेंगे और उनका न्याय कैसे देंगे ? इन सब की ओर ध्यान न देकर उन्होंने अपना दृष्टिकोण बताया है कि गरीबों के विकास के लिए नहीं है यह बजट, यह बजट गरीब को मिटाने और समाप्त करने के लिए है।

इस सरकार ने कभी यह नारा दिया था कि हम देश से गरीबी हटायेंगे। लोगों ने इस पर विश्वास किया लेकिन गरीबी नहीं मिटा पाये। आज शायद इनका दृष्टिकोण गरीब मिटाने और हटाने का हो गया है। गरीबों के विकास के लिए कोई योजना कारगर रूप में नजर नहीं आई है। हम अपने देश में आशंकित लोगों को कैसे शिक्षा प्रदान करेंगे, कैसे उनको शिक्षित करेंगे, कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं दिया। इस देश का किसान जो कि अर्थव्यवस्था की धुरा है, उसके फर्टिलाइजर पर भी छूट में कमी कर दी गई। यह किस ओर संकेत है ? अभी एक बहुत बड़ा कांड चल रहा है और इसी सदन में इसकी चर्चा भी हुई कि देश से कम रेट पर गेहूं बाहर भेज दिया गया और ज्यादा दामों में उसे मंगा लिया। अगर आपने पहले ठीक अनुमान लगाया होता तो गेहूं को कम दाम पर एक्सपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जब इसे एक्सपोर्ट कर दिया गया तो फिर ध्यान में आया कि यह आवश्यक है कि फिर इसे ज्यादा दामों पर मंगायें। यह भांति अनेक वर्षों से चल रही है। हमारे देश के किसान को अपनी पैदा की गई चीज के उचित मूल्य नहीं मिलते हैं। किसान जो कि सुबह चार बजे उठकर अपने बाल बच्चों के साथ खेतों में काम करने जाता है और जब कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो भी उसे बहुत नुकसान होता है और उसकी कोई पूर्ति नहीं की जाती है। मेरा कहना यह है कि किसान के विकास की ओर कोई ध्यान

नहीं दिया गया इस बजट में। किसान की दशा कैसे सुधरेगी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, हमारी कृषि कैसे उन्नति करे, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान अगर दिया है तो इस बात पर कि लोग विदेश से धन लायें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आयें और यहां से धन कमा कर विदेश में ले जायें। हमारी अर्थ स्थिति कैसे सुधरे इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह सरकार बहुत इस बात को आत्मप्रशंसा में लगी हुई है, कि यहां से इस देश का सोना बाहर गया, बाहर से इस सरकार ने मंगा लिया। इसी सरकार ने भेजा, इसी सरकार ने मंगा लिया। मुझे देहात का एक उदाहरण ध्यान में आता है कि हमारे यहां देहात में जेवर या सोने को गिरवी रखना बहुत ही अपमान जनक माना जाता है, किसी को कहीं कोई ऐसी आवश्यकतायें पड़ जायें, जो बहुत जरूरी हों और सोना गिरवी रखना होता है तो वह उसे छिपाकर ले जाता है ताकि कहीं किसी को मालूम न हो जाय कि अमुक आदमी गहने गिरवी रखकर अपनी आवश्यकताओं को चला रहा है तथा उसका मरण हो जाता है·· लेकिन सरकार ने सोना वहां भेज दिया, सब लोगों में यह हुआ कि भारत ने सोना गिरवी रख दिया। आखिर इन्हीं की नीतियों के कारण, 40 साल से यह सरकार में थे, थोड़ा सा पीरियड अगर छोड़ दिया जाय तो लगभग 40 साल से इसी दल की सरकार है। इस देश को इस स्थिति में लाकर किसने खड़ा किया, इसी दल ने और यह आज अपनी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि देखिए हमने वहां सोना रखा था, हम ले आये। यह रखना ही सबसे बड़े अपमान की चीज है, इन्होंने देश के हालात ऐसे बना दिये कि इनको लगा कि जो हमारी धरोहर थी, जो हमारा मान था, जो सम्मान था, उसको हमने गिरवी रख दिया और आज यह बड़े गौरव से कहते हैं, हम ले आये।

इसी दल ने अपने मैनीफेस्टो में जनता के सामने वायदा किया था कि हम महंगाई को 100 दिन के अन्दर रोक ही नहीं लेंगे, बल्कि कम कर देंगे लेकिन इस बजट को पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि महंगाई कम होगी। यह बात ठीक है कि जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, सदन में चर्चा हुई, किसी पत्रिका को इण्टरव्यू देते हुए उन्होंने कह दिया कि नहीं, महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे लेकिन यह जो बजट पेश किया है, उससे लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी।

आवास समस्या कैसे इस देश में हल होगी। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, आवास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि आवास बनाने के काम में आने वाली स्टील महंगी, सीमेंट महंगा, आज किस तरह से मकान बनाने की कीमतें और बढ़ती जा रही हैं। स्टील इत्यादि के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ने में सहायता मिलेगी।

जो ईमानदार लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, इस बजट में उनके साथ भी धोखा किया गया है। रुपये की कीमत घट रही है, पहले इन्कम टैक्स की सीमा 22 हजार रुपए थी। सरकारी कर्मचारियों ने और बहुत सारी पोलिटिकल पार्टियों ने, उसमें हमारी पार्टी भी सम्मिलित है, सरकार को यह सलाह दी कि क्योंकि कर्मचारियों और अधिकारियों की आय छिप नहीं सकती, वह सच बोलते हैं इसलिए इस सीमा को बढ़ाया जाय लेकिन उन्होंने 22 हजार से उसे 28 हजार कर दिया और उसके बाद दूसरी बचत की योजनाओं में जो सहूलियत मिलती थी, उसको छीन लिया। पहले 35 हजार रुपए ऐसे बन सकते थे, सेविंग करने वाले के, जिस पर टैक्स

न लगे लेकिन उसको घटाकर 28 हजार कर दिया, यह धोखा है। यहां हमारे नेता चन्द्रजीत यादव जी ने ठीक ही कहा कि यह एक सोने का मृग जैसा बजट देखने में लगता है कि सोने का मृग है··· लेकिन वह सोने का मृग नहीं है, वह तो कोई राक्षस है। इस हिरण के कारण जो सीता रूपी समाज है, उस पर आपदायें आने वाली हैं। यह भ्रम पैदा करने वाला बजट है। यह बजट··· ·· (व्यवधान)···यह छलावा है, मृग तृष्णा है। इस बजट के द्वारा सरकार ने अपने कोढ को छिपाने की कोशिश की है। यह बजट देश के समाज को न्याय नहीं देगा। इस बजट से गरीब लोग भ्रमित हुए हैं। आहिस्ता-आहिस्ता करके अब ठीक रूप समाज के सामने आ रहा है। अभी समय है, मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर सरकार ने पुनर्विचार नहीं किया तो देश में आर्थिक संकट भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे सारे देश में त्राहि-त्राहि मच जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है, अभी समय है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे। ऐसी योजनायें बनाए, जिससे हर हाथ को काम मिले और हर खेत को पानी मिले। जो बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, उसको न्याय मिले और उसका विकास हो। रोजगार को मूल-सिद्धांत में रखा जाए। जब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, तब तक इस देश में असंतोष की भावनायें कहीं-न-कहीं पैदा होती रहेंगी। जो ईमानदार लोग हैं, जिनको गिनी-चुनी आमदनी होती है, जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो अपनी तनख्वाहों को छिपा नहीं सकते हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जिस ढंग से रुपए की कीमत कम हुई है, उसी दृष्टि से आयकर की सीमा को बढ़ायें। आयकर की सीमा 48 हजार हो यह बात सिर्फ हमने ही नहीं कही है, अन्य लोगों ने भी कही है। इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है, एक सलाह है आपको। हमारे बहुत से नेताओं ने सरकार को बहुत सी सलाहें दी हैं और इसलिए दी हैं कि उसमें वे यह नहीं समझें कि विपक्ष की तरफ से सलाह आई है, इसलिए हम नहीं मानेंगे और हम मानेंगे तो अपमान हो जाएगा। इस दृष्टि से इस बात को नहीं लेना चाहिए। साथियों ने सलाह दी है, अच्छी सलाह है, इस दृष्टि से मानेंगे तो बड़प्पन भी साबित होगा। मैं समझता हूं कि सीमा को बढ़ायें। रेलवे के किराये आपने इतने बढ़ा दिए हैं, उनको घटायें। कॉटेज इण्डस्ट्री और स्माल स्केल इन्डस्ट्री देश में पनपें, इस सम्बन्ध में आपको योजनायें बनानी चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक कोई औचित्य नजर नहीं आता है कि इस बजट का समर्थन किया जाए जो सुधार के सुझाव विरोधी दल ने दिए हैं, अच्छे सुझाव हैं, यदि उनको आप बजट में शामिल करें, तो उपयुक्त रहेगा, लेकिन जब तक आप उनको शामिल नहीं करते हैं तब तक मैं बजट का समर्थन नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संसद भवन से केवल चालीस मिनट के अन्तर पर अलीपुर-नरेला नामक एक प्रखण्ड है, यदि आप गाड़ी से जायें। वहां पर लग-भग 25 गांव हैं और एक लाख की आबादी है। कल रात को मैं वहां गया था। सरकार की नीतियों के विरोध में जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, उस संदर्भ में सभा करने वहां गया था। वहां के अखिल भारतीय सैनी सेवा समाज के इन्द्रादी सिंह ने कल रात मुझे एक आवेदन दिया है। इसमें तीन मांगें हैं जिनको मैं वित्त मंत्री के ध्यान में सबसे पहले लाना चाहता हूं। पहली मांग है गांव में स्कूल, खेल मैदान, शमशान भूमि, डिस्पेंसरी, पार्क, सामुदायिक भवन और शौचालय आदि के लिए भूमि सुरक्षित की जाए। दूसरी मांग है गांवों के चारों तरफ फिरने के लिए कम से

कम 80 फुट चौड़ी सड़क छोड़ी जाए और तीसरी मांग है गांव में रहने वाले प्रत्येक भूमिहीन को को कम से कम तो वर्ग गज का रिहायशी प्लाट दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इनमें से जो मांगें हमने अभी पढ़ कर सुनाई, जो कांग्रेस ने पहले चुनाव के घोषणा पत्र में लोगों से की हैं, उन वायदों में से हैं और यहां से मात्र 40 कि. मी की दूरी पर हिन्दुस्तान की इस राजधानी में हमें एक पखाना दो, हमारे लिए पानी का इंतजाम करो, हमारे लिए श्मशान भूमि का इंतजाम करो, हमारे लिए डिस्पेंसरी दे दो, इन मांगों को लेकर आज भी जनता तरस रही है और जिस मन्त्री ने अपने बजट को यहां पेश करते हुए जो सबसे बड़ा तर्क दिया है वह यह है कि अब एक ऐसा वक्त आया है कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ अपने को जोड़ना है। मैंने जब यह बजट यहां पर पेश हो गया, उस दिन जब बहुत से लोग अभी भी विचार कर रहे थे कि इसका समर्थन करें या न करें, यह ठीक है, नहीं है, क्योंकि आपने सबको मोहित तो किया ही था। अंग्रेजी शब्द है—"मेसमराइज", और इस सदन के बाहर तो और भी लोग इससे ज्यादा मोहित हो रहे थे, आपके इस बजट से, लेकिन मैंने इस दरवाजे से निकलते हो कहा था कि यह बजट अमीरों के लिए है और गरीबों के विरोध में है। हमने यह नहीं कहा कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, हमने यह कहा कि यह गरीबों के विरोध में है और अब मैं यह समझता हूं कि यह बजट न केवल गरीबों के ही विरोध में है बल्कि जो मध्यम वर्गीय जमात है उसके भी विरोध में है।

अभी हमारे मित्र कालका दास जी ने यहां पर इस बजट के बारे में जो भी कहना था वह कह दिया और कहा कि यह कैसे लोगों को परेशानी में डालने वाला बजट है, लेकिन मेरी अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी यह प्रार्थना है कि एक बार इन लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बहुत ही स्पष्ट मन बनाना चाहिए क्योंकि मेरे पास यहां पर आर्गेनाइजर का, दो-तीन दिन पहले का अंक है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ इकनोमिक एडवाइजर हैं, शायद राष्ट्रीय समिति के सदस्य भी हैं, वय सुभाशो का लेख है। वे सलाह दे रहे हैं—

[अनुवाद]

भा.ज.पा. को राव सरकार का विरोध अवश्य करना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं उसके लिए उनका नाम यहां पर नहीं लेना चाहता था लेकिन मैं उनका नाम इस लिए ले रहा हूं कि उन्होंने एक बहुत ही बना हुआ रहस्योद्घाटन यहां पर किया है और वे लिखते हैं—

[अनुवाद]

अपने पिछले लेख में मैंने लिखा था कि कांग्रेस ने भा. ज. पा. की आर्थिक नीति को अपनाया है।

[हिन्दी]

जो आपका बजट है, उनकी शिकायत है कि आपने उनसे चुराया है।

[अनुवाद]

कांग्रेस ने भाजपा की आर्थिक नीति को चुरा लिया है और अब वह इसके राजनैतिक आधारों के पीछे है, भाजपा कांग्रेस से काफी पहले से रही उदारीकरण की बात करती आई है परन्तु विश्व ने शायद इस बात को भुला दिया है कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए ही राव सरकार को बधाइयां मिल रही हैं। दुर्भाग्य वश भाजपा में अनेक व्यक्ति इस बात को नहीं समझते हैं यदि कांग्रेस भाजपा की नीति को लागू नहीं करती है तो भाजपा की कोई जरूरत नहीं हो सकती है। यदि कांग्रेस वह कर रही हो जो भाजपा करना चाहती है तो लोग भाजपा को वोट क्यों देंगे।

[हिन्दी]

ये अंक अभी आज कम में पहुंच जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने और सदन के सामने इसे रख रहा हूं चूंकि हम लोग जाने-अनजाने सरकार की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं और कभी-कभी अपनी तरफ से भी ऐसी बातों को कहते रहते हैं कि जिससे देश का कितना नुकसान होता है। वह हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मगर यह भारतीय जनता पार्टी के घर का मामला है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : क्या मैं इसे स्पष्ट कर सकता हूं ? आपने कहा कि वह हमारे आर्थिक सलाहकार हैं। वह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के विशेष आमंत्रिती थे। हमने उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें बुलाया था। वे हमारे सलाहकार नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री आर्वे फर्नान्डीज : ठीक है, मुझे मंजूर है, अगर जो द्विभाषी द्वारा दिया गया वक्तव्य गलत है तो मुझे खुशी है।

उपाध्यक्ष जी, बजट में अमीरों के लिए क्या मिल रहा है, उनके लिए किस तरह से आपने बजट बनाया है, इस पर मैं कोई बहस छेड़ना नहीं चाहता, वह तो स्टाक एक्सचेंज बता रहा है, न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि समूची दुनिया का रिकार्ड तोड़ने का उसने काम किया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनकी तबियत इस बजट के बाद कैसी है। मैं जो कहना चाहता हूं कि गरीब को किस तरह से यह बजट तंग करेगा और तंग कर रहा है। नंबर एक तो दामों का सवाल है। वित्त मन्त्री जी ने बजट में खुद को बहुत ही भला बताने का काम किया है और कहा है कि सत्ता में आने

के बाद कुछ ही दिनों में दामों के बढ़ने की रफ्तार को 16.7 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत पर लाकर रोकने का काम हमने किया है। हालांकि मेरे ख्याल से यह अब 13 प्रतिशत तक आये बढ़ चुका है, आपके बजट आने के बाद। आपके शब्दों में—

[अनुवाद]

मुद्रा स्फीति से लड़ने की हमारी क्षमता हमारे विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि से काफी बढ़ी है।

[हिन्दी]

अब यह मेरी समझ में नहीं आता कि विदेशी मुद्रा का आपके पास भंडार कुछ बढ़ गया तो उससे हिन्दुस्तान के दाम कैसे घट जायेंगे। मैं आपका तर्क समझ सकता हूं, लेकिन जिस निष्कर्ष को आप निकालते है, वह निष्कर्ष हिन्दुस्तान के संदर्भ में मेरी समझ में नहीं आता है। पहली बात तो यह है कि इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आप देते हैं कि 17.60 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत पर ले आए है, यह हिन्दुस्तान के गरीबों के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ है। कैसे खिलवाड़ है, क्योंकि आप सारे दामों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे वाकसाइड है, माइका है, डालो-आइट है, जूट है, रबर है, इनमें पेट में जाने वाली कोई चीज नहीं है, इनके दाम कहीं बढ़ जाएं या घट जाएं, इससे गरीब के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब का जो आमदनी है, 5-10 रुपया प्रति व्यक्ति वह खर्च करता है, सरकारी कर्मचारी को भी अगर 1000-1200 रुपए मिलते है और उसका 4-5 लोगों का परिवार है, तब भी प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रुपए बने में ही वह समर्थ होता है। इसलिए आज भी गरीब अपनी आमदनी केवल खाने पर, खुराक पर खर्च करता है, कपड़ा तो बहुत दूर की बात है। मैं वित्त मन्त्री जी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में चावल के दाम 45 प्रतिशत बढ़ाने का काम किया गया।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : उस वक्त आपकी सरकार थी।

श्री आर. एन. मिर्धा : ठीक है, अभी मैं उन सरकारों पर भी आऊंगा और आपको सुनाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं के दाम 57 प्रतिशत, ज्वार के 77 प्रतिशत, बाजरे के 106 प्रतिशत, अरहर दाल के 64 प्रतिशत, फल व सब्जियों के दाम 54 प्रतिशत, आलू के दाम 121 प्रतिशत बढ़ गए। यह पिछले महीने, फरवरी के आंकड़े है। इसी तरह अण्डा, मछली यानी जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम, जो पेट में जाने वाली है, पिछले दो सालों में कम से कम 50 प्रतिशत और कुछ चीजों के 100 प्रतिशत तक बढ़े हैं। (व्यवधान) मगर मैं इसलिए इसका जिक्र यहां पर कर रहा हूं, एक गलत फहमी है कि—

[अनुवाद]

मुद्रा स्फीति की दर को 17.6 प्रतिशत से कम करके 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मगर स्थिति कुछ भिन्न है। हिन्दुस्तान के 70-80 प्रतिशत लोगों को इंफ्लेशन रेट के जो आंकड़े है उससे कोई मतलब नहीं है। उनके पेट का सवाल है और वहां पर किसी भी प्रकार के काम को आप रोक कर पाये। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं समारी सरकार को लोगों ने बनाया अब आपकी सरकार है, आपके सत्ता में आने के बाद पिछले बजट और इस बार के बजट के बीच हिन्दुस्तान के गरीब के पेट में जो अनाज जाता था, पिछले आठ-दस महीने के पहले वह कम हो गया या ज्यादा हो गया है...

श्री सुख राम (मण्डी) : ज्यादा हो गया है।

श्री आर्ज फर्नांडीज : इसका सबूत आपको रखना होगा। मंत्रीजी जवाब देंगे, लेकिन वे यह न कहें कि आई. एम. एफ. का जो सहयोग मिल रहा है उसके चलते हिन्दुस्तान में दाम बढ़े हैं। आपने माइकल मेक्लिन का नाम सुना होगा, शायद वे आपके नजदीकी दोस्त भी रहे हैं। वे 10 साल अमेरिका के अध्यक्ष रहे। मेरे पास 31 मार्च का इकोनोमिस्ट है, मुझे विश्वास है मंत्री जी ने भी पढ़ा होगा, मान लिया उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्यों;

[अनुवाद]

"3 वर्ष पहले पुनर्निर्वाचन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र के आश्वासन में उन्होंने सत्तर के दशक के समाजवाद को त्याग दिया और मुक्त बाजार के अनुयायी हो गए। यह परिवर्तन लोक प्रिय नहीं था। आवश्यक चीजों के मूल्य में तीन गुना वृद्धि हुई है तथा हाल के आरोपों में फंसी पार्टी चुनाव में पीछे चल रही है।

[हिन्दी]

यह है आई.एम.एफ. का प्रिस्क्रिप्शन। इस देश के लोगों को लूटकर मुनाफा कमाना इस देश का बड़ा व्यापारी वर्ग अपना धर्म मानता है। वहीं सरकार भी हर साल अपने ढंग से दाम बढ़ाने का काम करती है। अभी हाल ही में राशन में मिलने वाले गेहूं और चावल के दाम आपने तीस से चालीस प्रतिशत तक स्वयं बढ़ा दिए। इसलिए आई.एम.एफ. के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोगों की रोटी का प्रश्न हल हो जाएगा, मैं नहीं मानता। दाम यहां भी बढ़ेंगे। इसका कारण इस साल का बजट है और उसके साथ जुड़ा है रेल बजट, उसको भी नजर अंदाज नहीं किया है यह आज तक नहीं हुआ, इसका दामों पर असर पड़ेगा। पार्शियल कन्वर्टीबिलिटी का सिलसिला चलाया है वह दाम बढ़ायेगा। हर रोज रुपये का अवमूल्यन हो रहा है पाउण्ड 52 पर आ गया डालर 32 पर आ गया और खुले बाजार में विदेशी मुद्रा को 60 प्रतिशत बेचने का काम शुरू किया है उससे क्या दाम नहीं बढ़ेंगे। हिन्दुस्तान का सारा व्यापार जो करने जा रहे हो वह इसी पैसे से हो होगा। जहां रुपये का अवमूल्यन हो रहा है उस रुपये से आपको खरीदना होगा उसके साथ ही साथ कारखाने चलाने होंगे उसी से और जो चीजें वहां बनेंगी उससे दाम बढ़ेंगे। आपने बालक इंटरप्राइजेज के बारे में भी कहा है कि वे बैंकों के पास जायें। बजट से उनको पैसा नहीं दिया है, बन्द कर दिया है या कम कर दिया है। उनको कह दिया कि जाइये बाहर से पैसा लाइये, डिबेंचर या बान्ड्स निकालें या बैंक जाकर रुपया

निकलवायें। इसलिए उसके अन्दर भी जो चीजें बनेंगी उससे भी दाम बढ़ेंगे। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। इसका मतलब ढाई हजार करोड़ रुपये। इसलिए दाम बढ़ेंगे उधर सब्सिडी काटने का काम किया। ये सारी चीजें दाम बढ़ाने का काम करेंगी।

मुझे वित्त मंत्री का जो बजट है उसमें उनके एक वक्तव्य को पढ़ते हुए बाद आ गयी प्रधान मंत्री के वक्तव्य की। प्रधान मंत्री ने जनरल बजट पर कहा और वित्त मंत्री के एक-एक बात को काटने का काम उन्होंने स्वयं किया है। मैं प्रधान मंत्री के ही शब्दों को आपके सामने रखता हूं।

[अनुवाद]

"मुझे कीमतों की स्थिति से प्रसन्नता नहीं है। अनुभव से पता चलता है कि जब इस स्तर पर मुद्रास्फीति होती है तो इस एकल सरकार के आने में 18 से 24 महीने लगते हैं।"

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : यही बात मैं कह रहा था।

[हिन्दी]

श्री आर्जे फर्नान्डीज : आप दोनों बातें कहते हैं। सी.सी.ए. श्री निवास राघवन ने एक लेख लिखा है जो माउथ कमीशन में पूरे भाषण में उन्होंने दे दिया है इसको पढ़ने के बाद सोच लीजिये कि यह बात सही है कि वह बात सही है

[अनुवाद]

हम अनुभव से जानते हैं। उन्होंने काफी प्रभावकारी वक्तव्य दिया है वे अनुभव से जानते हैं।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री जी से बात कहना चाहूंगा कि अगर उनकी बात जानकारी में थी कि अगर यह बात सही है और वह कहते हैं कि हमें पहले से मालूम था तो यह नहीं कह रहा हूं कि यह सही है।

[अनुवाद]

आपके प्रधान मंत्री जानते हैं कि कीमतों को कम किया जाएगा प्रधानमंत्री इसे जानते हैं। वे इस चुनाव घोषणा-पत्र के निर्माता हैं।

[हिन्दी]

अगर आपने अपने घोषणा-पत्र में क्यों लिखा कि 100 दिन में हम दाम घटायेंगे। जब आप को मालूम था कि 18 महीने लगने वाले हैं तो आपने देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लिखा

वह बेवकूफ बनाने का काम हम लोगों को इस सदन में किया होता, जैसाकि बजट का मोहित बनाया तो मैं समझ सकता हूं कि आपने बेवकूफ बनाया हिन्दुस्तान की गरीब जनता को जिसको दाम के चलते परेशानी होनी थी आपने उनसे कहा कि चिन्ता मत करो, हमें सत्ता में भेज दो, हम 100 दिनों में दाम जुलाई, 1990 तक पहुंचायेंगे और अब प्रधान मन्त्री बोलते हैं। तो उपाध्यक्ष जी, कहां है वे उम्मीदें दाम गिराने की ? मैं यह तो बता दूं कि दाम तो बढ़ेंगे और उसके चलते लोगों को जो परेशानी झेलनी है यह परेशानी केवल व्यक्ति के पेट तक सीमित नहीं रहती है देश में जिस प्रकार से आम परेशानी निर्माण होती है, उसको झेलने का काम इस देश को करना होगा। इसी के साथ दूसरा प्रश्न रखता हूं जैसाकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण की शुरू में कहा था बेरोजगारी। उसके लिए बजट में क्या इलाज है ? बेरोजगारी तो बढ़ेगी और किन किन तरफ से बढ़ायेंगे, जरा इसकी कल्पना हम लोग करें। इस बजट में जो पैसे की इन्तजामी विकास के लिए पहले था, वह घट गया है। सैंट्रल प्लान आउटले 1991-92 में 42,909 करोड़ थी उसको 2 97 करोड़ घटा दिया। इस प्रकार (.5 प्रतिशत घटाने का काम आपने कर दिया और मजे की इस साल का अपने बजट में कुल मिलाकर 5436 करोड़ यानि 12.7 प्रतिशत बढ़ाने की बात की है लेकिन जो आपके कहने के अनुसार 12 या 13 प्रतिशत इन्फलेशन है, उसके चलते मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इनका पैसा बढ़ाकर दिये हैं, पिछले साल जितना विकास का काम हो पाया था, इस साल भी हो पायेगा ? इसके साथ ही एक जुड़ा हुई बात है। हम वित्त मन्त्री जी से, चूंकि उनके बजट की तारीफ हो रही है देश विदेश में, इस पर खुलासा चाहेंगे। जहां इटरामनट एक्स-पेंडिचर की तरफ इस साल आया है 8.5% तक। लगभग 10 हजार करोड़ रु. इटरामनट एक्स-पेंडिचर में से मात्र 887 करोड़ रुपया 8.5 % प्लानिंग एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और यह इतिहास में न होने वाली बात की है कि 9555 करोड़ रुपया नान-प्लान एक्सपेंडिचर में गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जितने क्रिटिकल सेक्टर हैं, उनका इन्होंने क्या किया। रूरल डेवलपमेंट में 3508 करोड़ पिछले साल था, उस को आपने 3100 करोड़ पर ले आये। गरीबों के रोजगार चले जाएंगे।

पिछले हफ्ते कर्नाटक की सरकार ने अपना बजट पेश किया। उनका बजट दस्तावेज मेरे पास यहां पर है और उसमें जवाहर रोजगार योजना पर 15% की कटौती है। ऐन एब्सोल्यूट टर्म्स। इन इफेक्टिव टर्म्स एक अलग चीज है। टैक्सटाइल्स में पिछले साल का 317 करोड़ का आवंटन आप 217 करोड़ पर ले आये। कौन मार खाएगा ? अंबानी नहीं मार खाएगा, बांबे डाइंग मार नहीं खाएगा। बड़े मिल मालिक मार नहीं खाएंगे। मार खाएगा वह बुनकर जो आंध्र प्रदेश में आत्महत्या कर रहा है। मार वह खाएगा। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और एग्रो और रूरल इंडस्ट्रीज में 350 करोड़ का आवंटन आप 335 करोड़ पर ले आए हैं। ये रोजगार निर्माण की बात है। फिर आप गरीबों की बात करते हो। पिछले साल आपने स्वास्थ्य के लिए 302 करोड़ रुपया रखा था। इस साल भी आपने उसको वही 302 करोड़ रुपए पर रख दिया। यानि पिछले साल गरीबों का जितना इलाज हिन्दुस्तान में होता था, वह नहीं हो सकता है। आपके इंश्योरेन्स का कोई काम नहीं चलेगा। पिछले साल शिक्षा पर 977 करोड़ रुपया रखा था और इस साल 952 करोड़ रुपया रखा है। मैं मंत्री जी का उन्हीं के भाषण को याद कराना चाहता हूं कि पिछले साल के बजट स्पीच में आपने कहा था कि...

[अनुवाद]

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारी जो कुछ भी समस्यायें हों, वित्तीय कमी से शिक्षा के कार्यक्रम को प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के हरसंभव प्रयास किए जायेंगे कि 14 वर्ष की आयु तक नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक निदेश 21 वीं शताब्दी के अन्त तक वास्तविकता में बदल जायें।

[हिन्दी]

21 वीं सदी में अभी मात्र 7 साल बचे हैं और इसमें से अभी एक साल और खत्म हो रहा है। मन्त्री जी, मैं आपको याद करा दूं यदि आप अपना भाषण भूल गए हों इस साल के बजट भाषण में आप ने शिक्षा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। आप मैनिफैस्टो लिख रहे हैं, आप बजट नहीं दे रहे हैं। लोगों के सामने ले जाने के लिए लोगों के बीच में जाकर के टाकिंग प्वाइंट्स कांग्रेस के हैं, अटरवाइज न पढ़ने वाले लोगों को देने के लिए यह ठीक है। हम इसको कैसे बरदास्त कर सकते हैं ? बच्चों के भविष्य का सवाल है। भाषणों में हम लोग बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ द कांस्टीट्यूशन की हम लोग चर्चा करते हैं। प्राथमिक शिक्षा पर पिछले साल 1991-92 में 288 करोड़ रुपया था। मैं उसका ब्रेक अप आपको दे रहा हूं। इस साल 284 करोड़ है। सेकेण्डरी एजुकेशन में पिछले साल 445 करोड़ था, इस साल 443 करोड़ है। यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन में पिछले साल 479 करोड़ रुपए था और इस साल 473 करोड़ है। यह अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में आपका हिसाब हो तो फिर क्या होना है ?

मैं फिर विकास पर आता हूं। मैं अभी गोहाटी में था वहां उल्फा की परेशानी है, वहां समूचे नार्थ ईस्ट की परेशानी है। यह मुझे मालूम है, आपको मालूम है। आप वहीं से अभी राज्य सभा में चुनकर आए हैं। नार्थ ईस्ट काउंसिल में आपके गवर्नर ने शिकायत की कि पिछले साल 410 करोड़ रुपए दिए गए थे विकास के काम के लिए, उसे आप 201 करोड़ रुपए पर ले आये। समूचे पूर्वांचल का इलाका गुस्से में है। हमसे जितने लोग मिले, नागालैंड के, मिजोरम के, मणिपुर के, असम के और अरुणाचल के सब लोग गुस्से में हैं और गवर्नर का खुद का भाषण है। अरुणाचल के गवर्नर ने अध्यक्षता की थी उस मीटिंग की। यह बहुत सेंसिटव मामला है। वहां नागालैंड के हमारे उम्मीदवार को गिराने के लिए कल के दिन आपके विदेश मन्त्री तीन दिन आकर डेढ़ और दो सूटकेश लेकर गये थे। अब यह 210 करोड़ रुपये का 201 करोड़ रुपये कर दिया। उसके बावजूद हमारा आदमी जीत गया। लेकिन आपकी सेंसिटिविटी कहां है, सोच कहां है ; यह मेरा सवाल है। जब मैं इनको अपने आंकड़े दे रहा हूं तो एक और आंकड़ा बता दूं और वह पूरे सदन के लिए बता दूं, केवल वित्त मन्त्री के लिए नहीं, क्योंकि उनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं। पुलिस पर पिछले साल 2022 करोड़ रुपया था और इस साल है 2300 करोड़ रुपया। मिलिटरी पर पिछले साल 16350 करोड़ रुपया आवंटित किया था, इस साल आपने 17,500 करोड़ रुपया आवंटित किया है। यानी 7 परसेंट मिलिटरी पर आपने पैसे का आवंटन बढ़ा दिया। पुलिस के लिए पैसे का आवंटन 14 प्रतिशत आपने बढ़ा दिया यानी देश में पुलिस राज आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। वह पुलिस क्या कर रही है, उसकी चर्चा मैं नहीं करता क्योंकि जब मौका आता है तो बहुत

लोग पुलिस की तारीफ करते हैं और जब परेशानी होती है, हमारे ऊपर लाठी चलती है, तो कई हमारे ऊपर टीका करने वाले भी होते हैं, इसलिए उसकी बहस में, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस ओर केवल इसलिए संकेत कर रहा हूं कि जब तक इन खर्चों को कम करके, विकास के ऊपर खर्च करने की सोच हिन्दुस्तान में नहीं आएगी, हम लोग चाहे जो यहां पर करें, जमीन पर उसका किसी भी प्रकार असर होने वाला नहीं है।

एक बात पर मैं मन्त्री जी, अभी नहीं, जब आप चर्चा का उत्तर दें, फिर कभी खुलासा अवश्य करना चाहूंगा, चाहे प्रधानमन्त्री जी उसका खुलासा करें, क्योंकि हमने देखा है कि लॉ मिनिस्ट्री की ग्रांट्स, पिछले साल, जब चुनाव देश में हुए, 190 करोड़ रुपए की थी, 190 करोड़ का इंतजाम था, लेकिन इस साल चुनाव कहीं होने वाले नहीं हैं, पिछले साल तो कई चुनाव हुए, लोक सभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, उधर मेरे ख्याल से दक्षिण के एक प्रदेश में चुनाव हुए, असम में चुनाव हुआ, फिर पंजाब में एक नहीं दो चुनाव हुए, उन सारे चुनावों के लिए 190 करोड़ रुपये का आबंटन आपने किया, मगर इस साल मैं देख रहा हूं कि किसी भी सूबे में चुनाव होने वाले नहीं हैं, मात्र राष्ट्रपति चुनाव को छोड़कर, कहीं चुनाव होने वाले नहीं हैं, फिर भी 127 करोड़ रुपए का आबंटन किस आधार पर किया गया। हमें कुछ लोगों ने बोला कि शायद लोक सभा का चुनाव इस साल अक्तूबर नवम्बर तक कराने का विचार सरकार के मन में है, यदि है तो बताइये।

[अनुवाद]

श्री मन मोहन सिंह : इससे आप क्यों भयभीत हैं ?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमें कोई डर नहीं है बल्कि हम तो आपको परसों ही बिराना चाहते थे अगर सब ने साथ दिया होता तो आप उसी दिन गिर गये होते।...(व्यवधान)...हां, हम सब को बिराना चाहते हैं, लेकिन क्या करें।...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष जी, जब मैं प्लान के बारे में यहां बात कर रहा हूं, खर्च के बारे में कुछ कह रहा हूं, तब बड़े गुस्से के साथ मुझे यह बात यहां रखनी पड़ रही है कि कुछ राज्यों के लिए आपने जो पैसे का आबंटन किया है और मैं जानता हूं कि इस बात में आप जरूर खुलासा करेंगे क्योंकि आपने इस मामले में प्रधानमन्त्री तक को सलाह देकर, उनके जरिये जो कुछ कहना और कराना था, वह करा दिया, लेकिन खुद के बचाव के लिए आप सबसे होशियार रहेंगे, मेरे मन में इस सम्बन्ध में कोई शक नहीं है। फिर भी बिहार के लिए इस साल प्लान एक्सपेंडीचर पिछले साल के मुकाबले 1.47 प्रतिशत कम है, मध्य प्रदेश के लिए 1.07 प्रतिशत कम है, उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में अपि आपने एक टिप्पणी दी है कि 751 करोड़ रुपए एक्सटर्नली ऐडिड प्रोजेक्टस के लिए आने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिये इस साल 0.84 प्रतिशत कम प्लान एक्सपेंडीचर आबंटित किया गया है। गोवा के लिये 10.29 प्रतिशत, अण्डमान और निकोबार के लिये 30.74 प्रतिशत और नार्थ ईस्टर्न कौंसिल के लिये 12.61 प्रतिशत कम इस साल आबंटन हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने

नाम मैंने पढ़े, उनमें एक दो छोटे राज्यों को छोड़कर, बाकी सभी में गैर-कांग्रेसी सरकारें सत्ता में हैं, इसलिए कोई सियासी बात इसमें नहीं है, जब आप चर्चा का उत्तर देने का काम करेंगे तो मैं आशा रखता हूं कि इसका भी कुछ जवाब आ जायेगा।

जब मैं इस सवाल को छेड़ रहा हूं, उसके साथ एक मोटी बात भी मैं छेड़ना चाहता हूं। बिल मन्त्री जी आपको कांग्यसली और डैलिबरेटली यह प्रयास करना चाहिए कि जिन राज्यों के साथ पिछले 40 सालों में केवल उपेक्षा के साथ व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार को सुधारने का काम आप करें। वर्ना आपको विश्व में क्या होता है, कहां क्या हो रहा है, सब मालूम है। मैं यहां इस बयेरत्र का नाम नहीं लूंगा, वह ठीक नहीं होगा लेकिन यदि मैं युगोस्लाविया का नाम लूं तो आप जानेंगे कि जब वहां क्षेत्रीय विषमता पैदा हो गई तो गरीबों ने बगावत नहीं की। वहां जो लोग सबसे ज्यादा धनी हो गये थे, जिनका विकास सबसे ज्यादा हुआ था, उन्होंने ही देश के गरीब लोगों को कहा कि तुम देश से चले जाओ।

[अनुवाद]

आप हमारे लिए एक रोड़ा हैं, आप कृपया यूनियन छोड़ दें।

[हिन्दी]

इससे युगोस्लाविया टूट गया। हिन्दुस्तान में भी वे ही सब चीजें हैं और जिस तनाव में हम लोग पड़े हैं, हमें उस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में आपने इस साल जो आवंटन कम किया है, उसे आपको दुरुस्त करना चाहिए।

मैं बेरोजगारी की बात कह रहा था, इसी संदर्भ में, कि पैसे का आवंटन कैसे कम हुआ, आपने कस्टम विभाग की रकम तो कम कर दी, दो हजार रुपए, एक्साइज ड्यूटी को कम करते वक्त यह भी कह दिया कि 20 प्रतिशत कम करने से 10 प्रतिशत हमारी आमदनी बढ़ी है। अब यह बड़ा अजीब सा गणित है। मगर इस गणित का यह अर्थ है कि 37 प्रतिशत विदेश से आयात बढ़ेगा, 20 प्रतिशत टैक्स घटाओ, 10 प्रतिशत उसके चलते आमदनी बढ़े, तो फिर 37 प्रतिशत विदेश से आयात आपको बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब यही है कि आपने हमारे उद्योगों पर हमला कर दिया, हल्ला कर दिया। हमारे कारखाने और बन्द हो जायेंगे। बिना किसी दबाई के आप उन्हें बन्द करना चाहते हैं, उन्हें खत्म करना चाहते हैं, बिना उनको पता लगे, आप उनको बंद करना चाहते हैं। इस सदन के बहुत से लोगों को भी पता नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने घर के कारखानों को बंद करने का इसके अंदर इन्तजाम कर चुके हैं। इसका असर क्या होगा, इसके कारण देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी, इसका मन्त्री जी अंदाजा लगा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर उन लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो इन्फार्मल सैक्टर

करके माना जाता है। आपका पिछले साल के सितम्बर का ऐलान है कि हिन्दुस्तान के समुद्र के किनारे पर जितनी मछली हैं, उसको पकड़ने के लिए विदेशी कम्पनियां शतप्रतिशत पूंजी निवेश कर सकती हैं. एन. आर. आई. नाम का जो जानवर है, वह बहुत खतरनाक जानवर है। अब उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन यह एन. आर. आई. शतप्रतिशत अपनी पूंजी लगाकर किसी भी विदेशी कम्पनी के साथ पूंजी लगाकर हिन्दुस्तान में आ सकता है, मछली पकड़ सकता है और शतप्रतिशत उस मछली को निर्यात करने का काम कर सकता है। यह सितम्बर महीने का सरकार का ऐलान है। 50 लाख मछुआरों के परिवार हिन्दुस्तान के समुद्र के किनारे पर 1948 गांवों में बसते हैं, उनका क्या होगा? उनमें बेरोजगारी बढ़ेगी। वे सड़क के मेहतर होंगे, या समुद्र के मेहतर होंगे? उनका क्या होगा? गरीब मुसलमानों का क्या होगा? गरीबों का क्या होगा? यह जो इम्पोर्टेड सैक्टर कर के करते हैं, उनका क्या होगा? फिर बैंकों का सवाल है? बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का सवाल है? 27 तारीख से कर्मचारियों की हड़ताल है।

उपाध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने इस सदन में बैंक कर्मचारियों के बारे में बयान दिया, कई बातें कही हैं। बैंकों के लोग क्या और कैसा व्यवहार करते हैं, वह अपनी जगह पर अलग मामला है, लेकिन आपकी नरसिंहम कमेटी के बारे में एक नहीं, अनेक बार बातें हो गईं। इस सदन को विश्वास में लेते हुए हिन्दुस्तान के बैंकों को खत्म करने का ऐलान हो चुका है। मेरे हाथ में यहां पर आपके डिपार्टमेंट आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज का दस्तावेज है। यह 3 जनवरी का है।

[अनुवाद]

यह केन्द्रीय सरकार के सरकारी उपक्रमों की बैंकिंग व्यवस्था के बारे में सरकारी उपक्रम विभाग का दिनांक 3 जनवरी, 1992 का कार्यालय ज्ञापन है। मैं उद्धृत करता हूं व विषय के संदर्भ में आपका ध्यान इस कार्यालय के का. ज्ञा. सं. को. बी. ई./86/ए बी बी (एफ)। 72 दिनांक 7-5-19973 और का. ज्ञा. सं. बी. पी. ई./ (24)/87-वित्त (पी. पी. यू.) दिनांक 10-4-1987 की ओर दिलाया जाता है। (प्रतिलिपि संलग्न)। वर्तमान नीति की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बैंकिंग प्रबन्ध केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों से होना चाहिए, की अब पुनरीक्षा कर ली गई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विदेशी/निजी क्षेत्र के बैंकों सहित अपनी इच्छा से किसी भी बैंक के साथ सामान्य बैंकिंग लेन देन कर सकते हैं।

[हिन्दी]

कौन से बैंक बचेंगे। हम सब लोग बहस कर रहे हैं, हमारी यूनियनें बहस कर रही हैं, सरकार उनसे बात कर रही है और हम यहां प्रश्न पूछ रहे हैं और 3 जनवरी, 1992 का आपका आर्डर गया है पब्लिक एंटरप्राइजेज के ऊपर, एक हजार सात करोड़ रुपए की पूंजी, 10 हजार करोड़ रुपए का आना-जाना, डिपाजिट होना।

[अनुवाद]

वे सब अपना पैसा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से निकाल लेंगे और स्पष्ट है, बाहर जमा कर देंगे। (व्यवधान)

श्री मन मोहन सिंह : लेकिन मैं समझता हूं, कार्यकुशलता बढ़ेगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर्थर फर्नान्डीज : हम लोग इन बातों को जानते हैं। मनुष्य का स्वभाव आप जितना समझते हैं मन्त्री जी, उतना बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे देश के पब्लिक सैक्टर के अधिकारियों का, इस देश के लोगों का स्वभाव आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 40 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष विदेश में जाते हैं, हवाला के माध्यम से जाते हैं, एक लाख करोड़ रुपये उनका वार्षिक टर्न ओवर है, तो हिन्दुस्तान में लोग तो वहां हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, यह तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और ये विदेशी बैंक वाले कितने बदमाश हैं, यह आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। (व्यवधान)

आपका मन बना है, आपकी सरकार का फैसला हुआ है। अपने बैंकों को खत्म करेंगे और अपने दामाद पर प्रहार किया है। बैंक समाप्त हो जायेंगे और हिन्दुस्तान के 265 पब्लिक सैक्टर के बैंकों में पड़ा रुपया सब उनको इन बैंकों में पड़ा रुपया का कोई जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

आप अपना सारा पैसा जितना आपके पास है वापिस ले सकते हैं। भविष्य में आप अपना बैंकिंग लेन देन विदेशी बैंकों और भारत के गैर सरकारी बैंकों के साथ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

इसका क्या नतीजा होने लगा है ? पब्लिक सैक्टर के बैंकों में काम करने वाले 9 लाख कर्मचारी अगले 2 सालों में बेरोजगार हो जायेंगे। उनको कहां रोजगार मिलेगा। रेलवे में नहीं खिसकना। फिर आपकी ऐग्जिट पालिसी। ऐग्जिट पालिसी पर पिछले डेढ़ साल भर से बहस चल रही है लेकिन फैसला नहीं हो रहा है। वह मुझे अभी मालूम हुआ कि क्यों नहीं हो रहा है। यह न होने का एक ही कारण है कि अमरीकियों का कहना है, ऐग्जिट पालिसी में आपके देश में टर्मीनेशन बेनीफिट, ग्रेच्युटी, प्रोवीडेंट फंड।

[अनुवाद]

हम इन सब बातों को नहीं मानते।

[हिन्दी]

उनको ऐग्जिट पालिसी चाहिए, हम उनसे बात करेंगे, उनके काम का उचित मुआवजा देंगे और जिस दिन हम तय करेंगे कि हमको देश से निकलना है तो एक झटके से निकालेंगे। वह एक महीना भी हो सकता है, छः महीने का भी हो सकता है।

[अनुवाद]

यह निगम नीति अमरीकी चाहते हैं।

[हिन्दी]

इस पर हमारी सरकार फंसी हुई है, अभी तक कुछ तय नहीं कर पाई है। जैसे अन्य मामलो मे विदेशी कम्पनियों ने हमारे ऊपर दबाव डालने का काम किया वही चीज यहां पर होनी है।

पिछले साल एक मामल हमने उठाया था प्राइवेट आटोमोबाइल सैक्टर का। मैं उस बात को उठाना चाहता हूं। मुझे इससे मतलब नहीं कि गाड़ी का इस्तेमाल कौन करता है। आपकी सुजुकी गाड़ी है, फिएट गाड़ी है या ऐम्बेसडर गाड़ी है। आज कलकत्ता मे हिन्दुस्तान मोटर्स मे ढाई हजार मजदूर सड़क पर है। आज बम्बई मे प्रीमियर आटोमोबाइल का दो हजार मजदूर सड़क पर है। वह तथाकथित हड़ताल लेकर, मैं गाल्डन मानने को तैयार नहीं हूं, उस शब्द का गलत अर्थ लगता है, चल दिया है और कई सैकड़ों मजदूर निकलने के वास्ते हैं। हमने पिछले साल इस बात को यहां पर छेड़ा था और कहा कि यह वह क्षेत्र है जिसके चलते उसके डालर, गाड़ी बनाने वाले गाड़ी चलाने वाले और उनके साथ ऐनसीलियराज हैं, सब मिलाकर पांच-छः लाख लोगों के रोजगार का सवाल है। आज सारा सैक्टर टोटल डिप्रेशन मे आकर पड़ा हुआ है। इस साल भी इस पर नहीं सोचेंगे, मुझे डर था कि आप अपने बजट में इसके बारे म कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही परेशानी हो जाएगी।

सरकार कह रही है कि हम लोग अभी तक जिन नीतियों को लाए हैं उन नीतियों में वापिस नहीं जाएंगे। एक सवाल मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप बार-बार कहते हैं, यहां पर चिल्लाते हैं कि वी. पी. सिंह की सरकार, चन्द्रशेखर की सरकार ने देश को बर्बाद किया इसलिए हमें यह सब करना पड़ा। एक तरफ यह बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं कि अभी जो हम कर रहे है इसे कतई नहीं बदलेंगे। इस पर आप अन्तर्विरोध नहीं देखते हैं। पार्टी की बात छोड़िए, बिल मन्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जब आप ऐसे मंच पर आते हैं जहां राजनीति नहीं है वहां ठीक बोलते है लेकिन जब राजनीति मंच पर आते हैं तो आप भी कांग्रेसियों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : पूर्णतया कांग्रेसी।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप दोनों नीतियां नहीं अपना सकते।

[हिन्दी]

आपको एक बार तय करना चाहिए कि नीतियां ठीक हैं या गलत हैं।

आज मैं एक बात करना चाहता हूं कि कौन जिम्मेदार है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

बकाया ऋण और अन्य ब्याज चुकाएं।

[हिन्दी]

1979-80 में भारत सरकार को 50,215 करोड़ थी। 1988-89, ठीक 10 साल में श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनका बेटा, दो प्रधानमंत्री ने उसे 2,68,193 करोड़ पर लाकर पहुंचाने का काम किया। क्या ऐसा नहीं है। दूसरा, जब विदेशी कर्ज लेने का काम आपकी सरकारें कर रही थीं तो क्या यह सही नहीं है कि 1979-80 तक हम लोग जो विदेश से कर्ज लेते थे उससे हम कैपिटल एसटस बनाने का काम करते थे? लेकिन 1980-81 से लेकर अपने रिवेन्यू खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज लेना शुरू किया। इसमें आपने मार खानी शुरू की और आज विदेश से, और देश के भीतर कर्ज लेकर आपने जो रिवेन्यू एक्सपेंडीचर में उसे डाल दिया है वह रकम 1 लाख 6 हजार 59 करोड़ हो चुका है। क्या ऐसा हुआ नहीं है?

जब 1981-82 में हम लोगों ने कर्ज लिया था यानी कि सरकार ने जो कर्ज लिया था, उसका ब्याज होता था 6 परसेंट से 8 परसेंट, क्या यह सही नहीं है 1991-92 तक यह ब्याज 10.75 से बढ़कर 12 परसेंट तक हो गया जिस के चलते कर्ज का बोझ देश के ऊपर और बढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। क्या यह सही नहीं है वित्त मंत्री जी, 1981 में जहां 16 बिलियन यू.एस. डालर इन्डु-स्तान के ऊपर कर्ज था, 1986 में एन आर.आई. डिपाजिट को छोड़ कर 39.7 बिलियन अमरीकी डालर इस देश के ऊपर हो गया। फिर जो इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ 1980 से श्रीमती इन्दिरा गांधी के दुबारा प्रधान मंत्री बनने के दिन से जिस में सब्जी मंडी से लेकर कलर टी.वी. एशियन गेम्स से लेकर दिल्ली में फाइव स्टार होटल, इन सारी चीजों पर विदेशी बैंकों से कर्जा लेना शुरू किया,

[अनुवाद]

न तो विश्व बैंक से किन्हीं दुतरफा एजेंसियों से और नहीं सरकार से।

[हिन्दी]

क्या इसी ने हम लोगों को लाचारी में सर्केस देने का काम नहीं किया। आप कहते हो कि पहले की सरकार की वजह से ये सब हुआ। हमारे पहले के एक प्रधान मंत्री बैठे हैं, दूसरे प्रधान मंत्री वी.पी. सिंह जी यहां नहीं हैं। आप कहते हो इन लोगों ने सब बरबाद किया। यह आपकी आर्थिक समीक्षा का पार्ट बन है जिसको 15 रोज पहले यहां रखा गया था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज रीड पेज नम्बर-4

[अनुवाद]

'चुनौतियां संबद्ध 1990-91 की घटनाएं' शीर्षक के अन्तर्गत यह कहा गया।—

"सितम्बर, 1990 मे अमाराश मे कमी का तत्काल कारण तेल और रिफाइड उत्पादों (पी ओ एल) के आयात में तेजी से वृद्धि होना था। जून, अगस्त, 1990 मे पी ओ एल का औसतन आयात प्रतिमाह 499 करोड़ रु. (287 मि. डालर) से बढ़कर अगले छः महीनों मे प्रतिमाह 1221 करोड़ रु. (671 मिलियन डालर) हो गया। कुवैत का साथ मिला लेने स विश्व मे तेल के मूल्यो में तेजी स वृद्धि हुई था और घरेलू बाजार मे कमी स बचने क लिए की गइ स्थानिक खरीद काफी महगा था। पी ओ एल आयात की लागत मे वृद्धि अनुमानित वृद्धि स अधिक थी जिसस जून, अगस्त 1990 में औसतन व्यापार घाटा प्रतिमाह 619 करोड़ रु. (356 मि. डालर) से बढ़कर आने वाले छः महीनों म 1229 करोड़ रु. (707 मि. डालर) हो गया। तेल क मूल्यो म वृद्धि का प्रभाव बाद म हुइ घटनाओ क कारन बढ़ा था। कुवैय मे काम कर रहे भारतीय कर्मचारियो न भारत वापस लाने पड़। और उनक द्वारा भेजी गई रकम का रोक दिया गया था इसक अतिरिक्त इराक पर स. रा. क अनुवर्ती व्यापार प्रतिबध के कारण इराक और कुवैत क लिए निर्यात बद हो गया था। पश्चिम एशिया को निर्यात न किए जाने स हुइ हानि का अनुमान लगभग 500 करोड़ रु. (280 मि. डालर) लगाया गया है।"

[हिन्दी]

आप जो यह हल्ला करते हो कि यह वह सरकार है जिस ने इतना बरबाद किया, इसका जवाब आप इसमे नहीं दे रहे ? यह जवाब पहले बिन स द रहे थे। फिर खुद इस समा पटल पर रखने के बाद कम से कम बोलना बद करना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि बरा इसको पढ़ लो, चूंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो वस्तु स्थिति नहीं जान पायेंगे। सरकार किस की रहती है, किस की जाती है मुझे इससे मतलब नहीं है, कल जाए यह मेरा प्रार्थना है और प्रयास भी है, लेकिन अगर सरकार चलाने वाले लोग तथ्यों पर बात नहीं करेंगे, अपने राजनीतिक लेन-देन, राजनीतिक गुस्सा-गुस्सी, उसके आधार पर नीतियों के बारे में बोलना शुरू करेंगे या देश का कैसे बनायेंगे, अपनी समस्याओ को कैसे हल करेंगे। चूंकि आपकी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता प्रधान मत्री की बात मान कर देश में गलत बोलना शुरू करे तो कैसे बात चलेगी।

आप ग्लोबल इंटिग्रेशन की बात करते हो, ग्लोबल इंटिग्रेशन किस के साथ करना चाहते हो ? दुनिया में सात ऐसे बड़े राष्ट्र हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, यह सात बड़े राष्ट्र हैं। इन सात बड़े राष्ट्रो का पिछले साल का विश्व के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक है। 12 छोटे राष्ट्र हैं, आबादी के लिहाज से, लेकिन अमीर राष्ट्र हैं, जिनका उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का 12.5 प्रतिशत पिछले साल था। यह 12 और यह 7, यह अमीर 19 राष्ट्र जिनका विश्व का कुल जो उत्पादन है, उसमें से 88 प्रतिशत इन्होंने पिछले साल पैदा किया। इन राष्ट्रो की आबादी है, 16 प्रतिशत और हिन्दुस्तान अकेले की आबादी है 16 प्रतिशत और पिछले साल विश्व के कुल उत्पादन मे हम लोगों का हिस्सा 0.8 था। यह हम लोगों की गरीबी है, यह हमारा देश है।

हिन्दुस्तान में जो आदमी औसतन आमदनी है 4000 रुपये लगभग, अमेरिका में है 6.5

लाख रुपया, जापान और स्विटजरलैण्ड में है 5.5 लाख रुपये और इंगलैण्ड से लेकर जरमन तक 6 लाख से 7 लाख रुपये साल में औसतन आमदनी है, फी आदमी, हमारी है 4000 रुपए। तो कौन सी इण्टीग्रेशन आप करने जा रहे हैं ? मगर आपके कहने में एक सत्य क्या है, हिन्दुस्तान में तीन प्रतिशत वह जमात है, जिसमें इस सदन के कुछ लोग हैं, जो सुबह रोज चिल्लाते हैं, जब हम पब्लिक सैक्टर की रक्षा में बोलते हैं, जो वहां से खड़े होकर कहते हैं, बन्द करो और निजी क्षेत्र की बात करते हैं। इस सदन में कुछ हैं, सरकार में कुछ हैं, उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं, सिनेमा वाले हैं, तस्कर हैं, अनेक किस्म के लोग हैं। तीन फीसदी आबादी हिन्दुस्तान में जरूर है, जिनकी इकोनोमी को आप इण्टीग्रेट कर सकते हो, विश्व की इकोनोमी के साथ। इसके सिवा आप किसको इण्टीग्रेट करने जाओगे, कैसे होगा ? फिर आपने कहा है, आपके भाषण में, पेज नं. 7 पर

[अनुवाद]

"भारतीय उद्योग ऐसी अवस्था में पहुंच गया है और अब ऐसे चरण में प्रवेश करने वाला है जहां वह विदेशी निवेश से मुकाबला कर सकता है इसके साथ मुकाबला और इसके साथ सहयोग दोनों कर सकता है।"

[हिन्दी]

आपको इस पर विश्वास है, इस वाक्य पर? सचमुच? हिन्दुस्तान में जो गर्व करने लायक पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग है, जिसके कुछ शेयर आप बाजार में लाये हैं, वह है बी. एच. ई. एल. बी. एच. ई. एल. का पिछले साल का कुल बिजनेस प्रोडक्शन हो गया लगभग 3500 करोड़ रुपया बी. एच. ई. एल. में कोलेबोरेशन है जर्मनी की क्राफ्टवर्क्स यूनियन और सीमेंट इंजीनियरिंग है। इन दो कम्पनियों का जो आउट पुट है, वह है 15,000 करोड़, पिछले साल का और उनका रिसर्च एण्ट डवलपमैंट खर्च है, 3500 करोड़ रुपया। 3500 करोड़ रुपया जिसका कोलेबोरेशन दि ग्राइड आफ इण्डियाज पब्लिक सैक्टर अण्डरटेकिंग्स का है, उनका रिसर्च एण्ड डवलपमैंट पर जितना पैसा खर्च होता है, साल में वह आपके प्रोडक्शन से ज्यादा है, मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को कोई गर्व से नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत परेशानी से कह रहा हूं। हम लोग गलत बातों को क्यों इस तरह से रखें ? जो स्थिति हम लोगों की है, इस देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम क्यों न समझें ? काहे इस प्रकार अमेरिका हमको धक्का दे देकर आगे बढ़ा रहा है और इसलिए हम काहे के लिए इस बात को चला रहे हैं तो इसलिए हम चाहेंगे कि इन सारी बातों के बारे में मंत्री जी कुछ गम्भीरता से विचार करें।

अब कुछ मेरी आपसे लड़ाई की बातें होंगी। एक तो अभी आपका 11 हजार करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा लाकर के रोज आप ढोल पीटने का काम कर रहे हो और यहां तक कि आप के खड़े होते ही सब लोग तालियां बजाते हैं कि 11 हजार 400 करोड़ रोज बढ़ता जा रहा है। कहां से वह पैसा आया, जरा सदन को बता दीजिए ? कहां से आया, पैसा ? अभी बताइए, कल बताइये, कल में बताइये, कहां से आया पैसा ? चूंकि मैं बताता हूं, कहां से आया पैसा। मेरे पास दिसम्बर तक के आपके ट्रेड फीगर्स हैं, अप्रैल से लेकर दिसम्बर तक के आपके ट्रेड फीगर्स हैं, आप 4000 करोड़ के घाटे में हैं।

(अनुवाद)

यह अप्रैल से दिसम्बर तक के लिए हैं। मेरे पास पिछले दो महीनों के आंकड़े नहीं हैं।

[हिन्दी]

आज आपके फारेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, 4 बिलियन, 400 मिलियन डालर्स, जाऊ 500 मिलियन डालर्स, जब कि आपका ट्रेड बेलेंस 4000 करोड़ घाटे में है। अब यह पैसा कहां से आया तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, एक तो एन. आर. आई. के जो दो बांण्ड्स आपने चलाये थे, कालेधन को सफेद करने के;

[अनुवाद]

भारत विकास पत्रों से आपको 1-1/2 बिलियन डालर मिले है और विदेशी मुद्रा प्रतिरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रेषित धनराशि से आपकों 800 डालर मिले हैं। इन दोनों से आपकों 2.3 बिलियन मिले।

तत्पश्चात सितम्बर, 1991 में सी सी एफ सुविधा के अन्तर्गत आपको 62.9 करोड़ मिले।

नवम्बर 1991 में आपको 11.7 करोड़ मिले।

जनवरी, 1992 में आपको 26.5 करोड़ मिले।

कुल मिलाकर, आपको एक हजार और 2.1 करोड़ से कुछ अधिक मिले।

श्री मनमोहन सिंह : जब आपका दल सत्ता में था, तब धन देश से बाहर जा रहा था। मैं इसमें से कुछ धन वापिस अपने देश में लाने में सफल हुआ हूं।... (व्यवधान)... श्री जार्ज फर्नांडीज जब आपकी दल सत्ता में था तब आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से स्वर्ण उधार लिया था और वह सब पैसा बाहर चला गया था। मैं मानता हूँ कि मैंने पैसा उधार लिया है। मैंने सारी उधार राशि का उपभोग हाल में उपभोग के लिए नहीं किया है बल्कि देश की जमा राशि को बढ़ाने के लिए किया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने हमारी सरकार का जिक्र किया और मैं इसकी इन्तजारी में था, क्योंकि इसका भी मुझे यहीं पर भांडाफोड़ करना था। यह आपकी "आर्थिक समीक्षा" है, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार फारन एक्सचेंज खत्म हो गया था। इसमें आपने पेज-76 पर बताया है—

यह वर्ष 1991-92 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण है जो कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा पिछले सप्ताह प्रस्तुत किया गया था। पृष्ठ-76

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह इस पुस्तक के लेखक हैं।

श्री आर्वे फर्नान्डीज : मैं इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा । मैं उन्हें श्री चन्द्र शेखर जी को उनके द्वारा दी गई सलाह के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा । मैं उन्हें बहुत सी अन्य बातों के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा । मैं उन्हें एक राजनीतिज्ञ के रूप में लूंगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उन्हें राजनीतिज्ञ बनाने के लिए भी दोषी नहीं ठहरा सकते ।

श्री आर्वे फर्नान्डीज । मैं उन्हें एक राजनीति के रूप में लूंगा ।

अनिवासी जमा राशि 1 सारणी 5.10

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, आपने पिछले आठ-दस महीने दें, जून के महीने में आपकी सरकार बनी थी, उसी दिन से यह बात चली कि एन आर आईज पैसा लेकर भाग गए और दिवालिया निकाला था ।

[अनुवाद]

माननीय वित्त मंत्री क्या आप चाहते है कि मैं डालर में आंकड़े दू मैं दे सकता हूं ।

वर्ष 1988-8० के दौरान, वर्ष के अन्त में अनिवासी भारतीयों के जमा खातों में कुल बकाया राशि 9.05 बिलियन अमेरीकन डालर थी ।

अक्तूबर 1989 के दौरान मेरा दल सत्ता में आया ।

वर्ष 1989-90 के दौरान यह राशि बढ़कर 10 बिलियन 26 बिलियन डालर हो गई ।

अगस्त 1991 में, हमने अपने ढंग से कार्य करना शुरू किया और 7 नवम्बर को हम बाहर हो गये ।

वर्ष 1990-91 में, यह राशि 10.36 बिलियन डालर से बढ़कर 10 58 बिलियन डालर हो गई ।

वर्ष 1991-92 के दौरान 9 दिसम्बर तक, यह राशि घटकर 8.5 बिलियन अमेरिकन डालर रह गई ।

श्री मनमोहन सिंह : यही मैं कह रहा था । इसमें बकाया धनराशि की समस्या शामिल नहीं है ।

श्री आर्वे फर्नान्डीज : मैं जानता हूं आपके पास इस चीज के लिए स्पष्टीकरण है ।

श्री दिग्विजय सिंह (राजागढ़) ; यही उन्होंने कहा था । (व्यवधान)

श्री आर्ज फर्नाण्डीज : यह जाल उन्होंने स्वयंम् बिछाया है यह उनके लिए यह जाल मैंने नहीं बिछाया है।

[हिन्दी]

जब कर्ज की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि देश और यह सदन निश्चित रूप से परेशान होना चाहिए। अब मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विदेशी कर्ज का सिलसिला चला और आपने कर्ज इधर से लिया, उधर से लिया, लेकिन क्या वित्त मंत्री जी आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि

[अनुवाद]

पिछले नौ महीनों में, आपने इस देश को उस दिन से जब से आपने कार्यभार संभाला था अधिक ऋणी बना दिया है। आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। यदि आप इस बात से इन्कार करते हैं तो मैं आपका भाषण समाप्त करने से पूर्व ही विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा।

[हिन्दी]

फिर हम लोग क्या कर रहे हैं। यह जो ट्रैप का मामला है, इससे देश सावधानी में रहे। इस साल के आप बजट पेपर उठा कर देख लीजिए।

[अनुवाद]

कुल विदेशी ऋण। यह चालू वर्ष का बजट है। माननीय वित्त मंत्री मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं यह बता रहा हूं कि देश कहां पहुंच चुका है। 8613 करोड़ रुपया विदेशी कर्ज के रूप में

[अनुवाद]

302 करोड़ रुपये; सामग्री अनुदान तथा सहायता के रूप में 63 करोड़ रु., इस प्रकार कुल विदेशी सहायता समुद्रपारीय देशों से उधार जो सहायता नहीं है कुल 9479 करोड़ रुपए; कृपया इसे नोट करें। तथा चूंकि 3836 करोड़ रुपए की भुगतान राशि जो कि लिए गए ऋण के मूलधन 218 करोड़ रुपया का है, इसलिए कुल भुगतान 4105 करोड़ रुपया होगा। निवल भुगतान कितना होता है? यह 5374 करोड़ रु. है। 2916 करोड़ रु. समुद्रपारीय देशों के ब्याज है और 16.87 करोड़ विशेष हुंडार पर ब्याज है। इस प्रकार बाहर भेजे जाने वाला कुल धन 2932 करोड़ रु. है। इस प्रकार 9479 करोड़ रुपये समुद्रपारीय ऋण, विदेशी ऋण में से आपके पास मात्र 2441 करोड़ रुपया बचता है। यही कर्ज का जाल है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, हम विदेश से कर्ज ले रहे हैं, लेकिन पहले लिए हुए कर्ज और उसके ऊपर का ब्याज तो वापस दें। हम नहीं समझ पाते हैं जब हम 1410 करोड़ रु. पर पहुंच गए, 11,000 करोड़ पर पहुंच गए, 15,000 करोड़ पर पहुंच गए, हम लोग अभी बहुत विदेशी कर्जा लेकर बैठे हैं। हम लोग कर्ज ले रहे हैं, लिए हुए कर्ज का वापस देने के लिए, ब्याज को वापस देने के लिए हम कब से रह हैं, प्रिंसिपल को वापस देने के लिए हम कर्ज ले रहे हैं और 9600 में से हमारे हाथ में बचता है 2400 करोड़ रुपया। तो इसलिए जो गंभीरता है उसका हम लोग समझें और इसको समझते हुए हम एक बात और कहना चाहते हैं कि यह जो स्थिति आज हम पा रहे हैं, यह स्थिति और आई एम एफ, अमरीका और दुनिया के जो पूंजीशाही देश हैं, उन्होंने यह बनाई है। वित्त मंत्री जी इसको जानते हैं, आज की राजनीतिक परिस्थिति में भले ही वे इसको कबूल न करें, लेकिन वे इसको जानते हैं और मैं उस महिला का नाम—चेनिल पायर और उनके दो-तीन वाक्य पढ़कर सुनाऊंगा ताकि सदन समझ ले कि मामला कितना गंभीर है और कैसे हम लोग अपने को यहां तक लाने का काम तो कर चुके हैं। उपाध्यक्ष जी, चेनिल पायर ने यह लिखा था ... (व्यवधान)

श्री राम नाईक : हमको बताएं, यह कौन है ? (व्यवधान)

श्री आर्वं फर्नान्डीज : इसका नाम है चेनिल पायर, यह एक अमरीकी महिला है, जो आई एम एफ की बहुत ही टीका-टिप्पणी करती रहती है और इस देश तथा अफ्रीका के देश और जो गरीब देश हैं उनके प्रति विशेष ध्यान रख कर उनका आगाह करने का काम करती है। आप उनकी बात को सुनिए, ये लिखती हैं :

[अनुवाद]

चेनिल पायर ने 1986 के अन्त में लिखते हुए यह कहा है "मैं देखता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ने इस बात के लिए चैंपियनशिप और बीसकालीन अभियान चला, रखा है कि भारतीय बाजार पश्चिमी निर्यात, पश्चिमी प्रौद्योगिकी और पश्चिमी निवेश के लिए खुल जाए। चाहे भारत को इसकी जरूरत हो या न हो। इस अभियान को तत्परता इन्दिरा गांधी के पहली बार सत्तासीन होने पर मिली थी और इसके वर्षों में यह बढ़ गई है। परन्तु यह सहायता के रिवायती स्रोतों पर आधा की। लम्बे समय तक निर्भरता रहने के बावजूद सफलता की गति धीमी रही है।"

[हिन्दी]

और आगे बढ़कर, माफ करिएगा।

[अनुवाद]

यह प्रभाव 1981 की स्थिति को दोहराया जा रहा है। यह विश्व बैंक उसी भारी

व्यापार घाटे का सहारा ले रहा है जो ऐसे आयात उदारीकरण द्वारा हुआ था जो उससे अधिक पर जोर देने के और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लिए औचित्य के रूप में स्वय इसके द्वारा किया गया था।"

[हिन्दी]

और फिर वे अन्त में बोलती हैं और अगर वित्त मन्त्री अपने आफिस में इसको लिख कर रख लें तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

चेरियन पायर ने कहा "अब भारत का क्या होने वाला है ? जैसा कि पहले था, भारत अभी भी सकट ग्रस्त नहीं है। परन्तु यह 1981 की बजाय आज संकटपूर्ण स्थिति के ज्यादा करीब है। पहले की तरह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के अनुसार भारत का सकट भयावह व्यापार घाटा है" इसी ने तो पिछले दस वर्षों में हमें ढकेल दिया और इसी के कारण भारत अपने उदारीकरण कार्यक्रम पर रोक लगा देगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों द्वारा कराए गए परिवर्तनों के कारण अब ऐसा करना उतना आसान नहीं है जितना कि 6 वर्ष पहले था।" उधार लिये गये खरबो रुपये खर्च कर दिये गये। भारत का अमीर वर्ग अब उसी तरह आयातित सामान का आदी बन चुका है जिस तरह कि भारत के कई उद्योग आयातित निवेश तथा प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं। अतः जब संकट आएगा तो यदि निर्यात मे कोई अनदेखी बढ़ोतरी हो तो सरकार के पास जोड़-तोड़ करने का भी कोई चारा रह पाएगा।"

आपने इस मुहावरे का प्रयोग अपने पहले बजट भाषण में किया था।

[हिन्दी]

मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि चेरिल पेरियल की वार्निंग आपके सामने थी, रंजीत साहू जो आपके घनिष्ठ मित्र है, उसकी वार्निंग आपके सामने थी—

[अनुवाद]

आपने स्वयं दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में चेतावनी दी थी।

[हिन्दी]

आपने खुद को वार्निंग देने का काम किया था 1987-88 में और आज उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात इस बजट मे आपको नहीं करनी चाहिए थी। हम लोग स्वदेशी के लिए, स्वावलंबन के लिए और रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह से आपने हम लोगों की भावनाओं को धक्का पहुंचाने का काम किया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच गोरे लोग बदल चुके हैं ? मुझे नहीं लगता है। अगर महात्मा गांधी न होते, नेता सुभाष चन्द्र बोस ने लड़ाई न लड़ी होती, अगर भगत सिंह फांसी पर

न लटके होते तो क्या होता। भगत सिंह को फांसी पर लटकाने का काम, जालियांवाला बाग कांड इस देश के लाखों लोगों को जेल में डालने का काम और हजारों लोगों को गोली मारने का काम क्या सन् 1947 तक इन लोगों ने नहीं किया, ताकि हमारा देश आबाद न हो। अगर हिटलर ने युद्ध न किया होता, जापान ने युद्ध न किया होता, गोरे लोग आपस में एक दूसरे का खून चूस-चूस कर सफेद न हुए होते तो क्या वे हिन्दुस्तान को इतनी आसानी से छोड़कर जाते। क्या वित्त मन्त्री जैसा देशभक्त आदमी इस बात को नहीं मानता कि परिस्थितियों ने उनको यहां से जाने पर मजबूर कर दिया। जो शैतान 300 साल तक हम लोगों पर शैतानी करते हुए नाचा, क्या वह अब साधु हो गया है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मैंने यह कभी नहीं कहा है।

[हिन्दी]

श्री आर्ज फर्नान्डीज : यही बात मैं देश को कहना चाहता हूँ, यही बात हर जगह बताना चाहता हूँ कि वे लोग बदले नहीं हैं। उन्होंने अभी वनवोड्स को छोड़ दिया है और आई एम एफ तथा वर्ल्ड बैंक को लेकर, जनरल एग्रीमेंट एट ट्रेड टेरिफ को लेकर, गेट को लेकर आज हम लोगों पर आक्रमण करने के लिए आये हुए हैं और मैं बता रहे हैं कि हमको अपने देश में कैसे राज्य चलाना है। इस सदन में अनेक लोगों ने "डंकल" की बात की है, लेटिन अमरीका की बात की है, चीन और अफ्रीकी देशों की बात की है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। वित्त मन्त्री जी, मैं बात करना चाहता हूं ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने आई एम एफ से कर्ज लिया था। अगर नार्थ सी आयल ब्रिटेन में न मिला होता तो ब्रिटेन का क्या दुर्दशा हुई होती, आप जानते हैं। आप जानते हैं फ्रांस में आज क्या हो रहा है। लेपेन्डर फासिस्ट केवल एक नारा देकर कि रंगीन लोगों चले जाओ, यह गोरे लोगों का मुल्क है, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं है, अफ्रीका के लोगों चले जाओ, 13 प्रतिशत वोट परसों पड़े हैं और राज करने वाले लोग 20-18 परसेंट पर पहुँच गये हैं। मगर उनको भी आप छोड़ दीजिए। हम अमरीका की ही बात लें। राष्ट्रपति बुश सेल्समैन बनकर निकले थे, 10 दिन के लिए निकले थे और जब अंत में जापान में कुछ नहीं मिला तो बेहोश होकर गिर गये,

[हिन्दी]

खाते खाते बेहोश हो गये।

[अनुवाद]

वह वहां एक 'सेल्समैन' के रूप में गये थे। अमरीका छोड़ने के पहले राष्ट्रपति ने कहा, "मैं अमेरिका के नवयुवकों और कामगारों के लिए नौकरी खोजने जा रहा हूँ।" राष्ट्रपति अमेरिकी उत्पादों के लिए जापान और आस्ट्रेलिया सेल्समैन के रूप को जारी रखें ताकि बेरोजगार अमेरिकी लोगों को उनकी कंपनियों में नौकरी मिल सके।

[हिन्दी]

हम उल्टा काम कर रहे हैं और अमेरिका हमको उपदेश देगा और हमें बतायेगा कि हम लोगों को कैसे राज्य चलाना है। मैं आपको बता दूं कि यह काली हिम्मत का देश है जो यहां आकर हम लोगों को धमकाती हैं। और अपने लोगों ने, मन्त्री का पता नहीं, कौन मिलने गया, हमने सुना अक्षरशः कि लाल कारपेट को बिछाकर उनको विमान से उतारने का काम उन्होंने किया था।

[अनुवाद]

उसका बड़ा भव्य स्वागत किया गया था।

[हिन्दी]

और उन्होंने हम लोगों को गालियां दीं, बोली तुम लोग झूठ बोलते हो, यह देश झूठ बोलता है, यह देश चोरी करता है, यह सब महिला हम लोगों को बोलकर गई। इनकी समस्या को आप जानते हैं। मेरे हाथ में अमरीका का फारच्युन है आज से आठ दिन बाद का है, 6 अप्रैल का, इससे बढ़कर अमरीकी पूंजीपतियों का कोई दूसरा अखबार नहीं है। वित्त मन्त्री ने भी देखा होगा, नहीं देखा हो तो उनको मैं दे सकता हूं। वह लिखता है।

[अनुवाद]

आज अमेरिका में 92 लाख लोग बेरोजगार हैं। अंशकालिक कामगारों की संख्या शामिल नहीं है। 11% अमेरिकी कामगार इस वर्ष के पहली तिमाही में बेरोजगार हैं।"

इसमें आगे कहा गया है।

"सरकारी और स्वास्थ्य को छोड़कर 1990 के मध्य से अब तक 5 लाख सेवा-नौकरियां समाप्त हो गई है। बेरोजगार प्रबंधकों और व्यावसायिक लोगों का संख्या, जो अर्थव्यवस्था में सुधार आने समय 300,000 थी, बढ़कर फरवरी, 1992 में लगभग 10 लाख हो गई।" इसमें आगे कहा गया है :

"सिर्फ फरवरी में ही लगभग 541 हजार लोगो को नौकरियों से निकाल दिया गया।"
'फारच्यून' के उसी अंक में कहा गया है।

40% कम कर्मचारियों की सहायता से 1982 की अपेक्षा "1991 में अमेरिका की रेल-सड़क से 30% ज्यादा यातायात का वहन हुआ।

[हिन्दी]

हम लोगों को कह रहा है कि निजीकरण करो, आप करने जा रहे हो।

[अनुवाद]

महोदय 1991 बैंकिंग में, बड़े बैंकों ने 44 हजार नौकरियों को समाप्त कर दिया। इसी वर्ष इससे दुगुनी अर्थात 88 हजार और नौकरियां समाप्त होंगी। अत: दो वर्षों के दौरान 1991 और 1992 में अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र में 132 हजार नौकरियां समाप्त होंगी। 6 अप्रेल के 'फॉरच्यून' में के पृष्ठ 52 और 53 पर यह लिखा है :

अब मैं बैंकिंग के बारे में ही बात करूंगा। 1991 में 127 बैंक दिवालिया हो गये। 1992 में फॉरच्यून और सरकार की भविष्यवाणी के अनुसार 200 बैंक दिवालिये हो जायेंगे। अन्य 1100 बैंक को आई एफ आर द्वारा नहीं परन्तु अपने ही एफ डी आई सी की देखरेख में है। 'फॉरच्यून' के अनुसार एफ. डी. आई. सी. ने कहा है :

पिछले वर्ष समस्याग्रस्त बैंकों की सूची में 50% की बढ़ोत्तरी हुई और अब इन बैंकों को समाप्त किया जाएगा जब ये अन्ततः बीमार हो जाएंगे तो इनमें 613 बिलियन अमेरिकी डालर की परिसम्पत्ति होगी जोकि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का ढाई गुणा है।

[हिन्दी]

18 लाख 39 हजार रुपया इन बैंकों में फंसा है जो बैंक डूबते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : यह हमारे लिए एक सीख है ताकि हमारे बैंक वैसी स्थिति में न आ जायें।

श्री आर्थर फर्नान्डीज : यह अमरीका का निजी क्षेत्र है।

[हिन्दी]

जो हमें उपदेश देता है कि हम अपने देश को कैसे चलायें. 18 लाख 39 हजार करोड़ रुपया दो सालों में डूबने जा रहा है।

[अनुवाद]

उन बैंकों की कुल परिसम्पत्तियां जो 1991 में अमरीका में फेल हो गए थे 64 बिलियन अमरीकी डालर अर्थात 192 हजार करोड़ रुपए थी। जो बैंक चालू वर्ष 1992 में डूबने जा रहे हैं उनकी परिसम्पत्ति 100 बिलियन डालर अर्थात 3 लाख करोड़ रुपए है।

अब मैं अमरीका में दिवालिएपन की बात करता हूं यह "लन्दन इकनोमिस्ट" में दिया गया है, जिसे आप रोज पढ़ते हैं। यह समाजवादी बाइबिल नहीं है। यह पूंजीवादी बाइबिल है। यह 14 मार्च के "इकनोमिस्ट" में है। सारा पृष्ठ सामने है। पिछले वर्ष अमरीका की 10 बड़ी दिवालिया कम्पनियों की जो परिसम्पत्ति दांव पर लगी है, वह 50 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक है।

[हिन्दी]

10 टाप कम्पनीज बैंकरप्ट्सी में आ गई।

[अनुवाद]

यदि आप सभी कम्पनियों को लें जिसमें छोटी इकाइयां शामिल हैं जो पिछले वर्ष अमरीका में दिवालिया हो गई।

[हिन्दी]

5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डूब गई। यह हमें उपदेश दे रहे हैं अमरीकीया यह उपदेश देंगे कि देश कैसे चलाया जाये ?

उपाध्यक्ष जी, मैं आखिरी जुमला कहने के पहले यह भी बता दूं कि अमरीका हमारे देश के बारे में क्या विचार रखता है ? यह एकनामिस्ट 27 मार्च का है, इसमें यह लिखा है।

[अनुवाद]

"....न्यूयार्क शहर में डाक्टरों का अनुमान है कि पिछले वर्ष लगभग 5,000 नए तपेदिक के मरीज थे जोकि 1990 के मुकाबले 35 प्रतिशत अधिक हैं और लगभग 300 मृत्यु हुई हैं। अमरीका के तपेदिक रोगियों में से अधिक न्यूयार्क शहर में है।"

"... एच. आई. वी. वाइरस अर्थात् एड्स वाइरस और बढ़ती हुई गरीबी, गृह न होना और नशीली दवाओं की लत लोगों को और अधिक प्रभावित कर रही है। यह बीमारी शहर के अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले जेलों, अस्पताल के वार्डों और अस्थाई ठिकानों में फैल रही है। 3 में से 2 मरीज काले युवा और हिसपैंको लोग हैं।

दुर्भाग्यवश यद्यपि न्यूयार्क में तपेदिक 1960 के स्तर पर लौट आई है पर नगर की स्वास्थ्य सेवाओं की यह स्थिति नहीं हुई है क्लीनिक, एक्स-रे, बैंच, तपेदिक का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित डाक्टर और उसका इलाज करने वाली नई दवायें 30 वर्ष पहले से भी कम अच्छी हैं। आरोग्य आश्रम और पृथक पलंगों की व्यवस्था हो गई है। जो पैसा दीर्घावधि बाह्यरुग मरीजों के इलाज पर खर्च करना था उसको कहीं और लगा दिया गया है या उसको नगर के वित्तीय संकट के बढ़ने के कारण कम कर दिया गया है।"

यही आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : यदि हम आपके ढंग से वित्तीय व्यवस्था बनायें तो वस्तुतः यही होगा।

(व्यवधान)

श्री आर्ले फर्नान्डीज : यह अमरीकी पूंजीवाद में हुआ है। यह अमरीकी पूंजीवाद है।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मईला थुतुराई) : उन्हें हमारे बारे में अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को···स्थिति तक ला दिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर्वं फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को अभी समाप्त करूंगा लेकिन अय्यर साहब आप अमेरिका के एम्बेसेडर नहीं हो लेकिन अमेरिका के एम्बेसेडर अन्दाज में क्यों बात कर रहे हो ? मैं मन्त्री जी से केवल 3-4 प्रश्न करके अपनी बात समाप्त करूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अमरीकी पूंजीवाद, रूसी पूंजीवाद की तरह गिरा है।

श्री आर्वं फर्नान्डीज : ऐसा ही भारतीय पूंजीवाद है।

श्री ई. अहमद : कृपया आप बतायें कि इन दो नीतियों को ध्यान में रखते हुए कौन सी आर्थिक नीति सबसे से अच्छी होगी।

श्री आर्वं फर्नान्डीज : एक विकेन्द्रीकृत आर्थिक व्यवस्था, जहां अमीपुर-नरेला के लोग अपना निर्णय स्वयं ले सकें, ताकि इस संसद से 40 कि. मी. दूर से उन्हें राज यहां भीख मांगने न जाना पड़े। (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : तो आपने इस देश के लोगों को अपनी शक्ति के प्रयोग के अधिकार को क्यों अस्वीकृत कर दिया था ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर्वं फर्नान्डीज : अब आप से लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। अब आप मुझे मेरी बात खत्म करने दो। मेरा आखिरी वक्तव्य है···

[अनुवाद]

महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदय से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। (व्यवधान)

श्री आर्वं फर्नान्डीज : कृपया मुझे पूरा करने दीजिए। मैं आखिरी बात कह रहा हूं। मैं वित्त मन्त्री महोदय से 3 निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

मेरी तीन रिक्वेस्ट्स हैं। मैंने जिस आल इण्डिया स्वयंसेवी-समाज का एक मांग पत्र दिया

है उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वे उठाएं। स्कूल, खेल मैदान, डिस्पेंसरी, सामुदायिक भवन, श्मशान और शौचालय-पाखाना की समस्या है।

दूसरे इनकम टैक्स के मामले में जो सिकडम की है कि बढ़ाने का काम किया तो 80 एल, 80 सी सी, 80 सी सी वी—इसको हटाकर मामूली मध्यमवर्गीय को कुछ नहीं दिया बल्कि बड़े लोगों पर आपने टैक्स कम कर दिया है। लेकिन जो हमारे मध्यम वर्गी हैं, आफिस सुपिरिंटेन्डेन्ट हैं, साधारण वकील हैं, महीने का 8-10 हजार रुपया कमाने वाले हैं, इन लोगों को आपने बहुत ऊंची में डाला है। आपने जो लिमिट 28 हजार रखी है उस पर मैं विवाद में नहीं जाऊंगा लेकिन जो आपने डिडक्शंस को खत्म किया है, उसको रिस्टोर करिए।

जो आप दुकानदारों पर एक आपत्ति लाए हैं 1400 रुपए की, आप दुकानदारों की समस्या नहीं जानते हैं। मैं उनके संगठन का अध्यक्ष हूं। मैं बम्बई के बीड़ी-तंबाकू दुकानदारों के संगठन का अध्यक्ष हूं। मुझे मालूम है उनकी क्या हालत है। सामने दुकान होती है, पीछे मकान होता है। बैंक से छुट-पुट कर्ज लेकर उस मकान का किराया देकर, कर्मचारी को वेतन देकर उसके पास क्या बचता है? आपने कहा कि जिसकी पांच लाख या तीन लाख आमदनी हो·· (व्यवधान) ··हां, वही टर्न ओवर, पांच लाख या तीन लाख टर्न ओवर हो, तो किराया, बिजली, पानी, कर्मचारी वेतन, ये सब जोड़कर उसके पास क्या बचता है? यह वालंटरी वगैरह नहीं होता है। सरकार वालंटरी कॉंट्रीब्यूशन पर काम नहीं करती है। आप इसको हटाने का काम करिए।

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : वे सबसे ज्यादा खुश हाल वर्ग के हैं।

[हिन्दी]

श्री आर्य कुमार्गिश : ठीक है, हम लोग 1500 रुपए तनख्वाह लेते हैं और हम लोग टैक्स दस बारह हजार के अलाउंस लेकर टैक्स नहीं देते हैं और फिर दूसरों को उपदेश देते हैं कि ज्यादती है।

[अनुवाद]

तो हम अपना पूरा वेतन क्यों नहीं लेते हैं और उस पर कर क्यों देते हैं। हम इतने खुश-हाल क्यों नहीं हैं?

[हिन्दी]

यह उपदेश हम न दें। उन छोटे दुकानदारों को तंग नहीं करना चाहिए। टैक्सी वालों को लेकर यही हुआ था और दुकानदारों को लेकर यह होगा तो हम नहीं चाहते कि उनके साथ यह अन्याय हो जाए। मैं मन्त्री जी से तीन चार प्रश्न पूछना चाहता हूं जिनका मैं ठोस उत्तर चाहता हूं।

एक, आपने गोल्डन हैंडशेक की बात कही है। उसका पैसा कहां है ? अगर एक व्यक्ति को एक हजार रुपया हैंडशेक हो और एक हजार लोग आ जाएं, एक लाख लोगों को एक लाख रुपया देने के लिए आएं तो अभी एक हजार करोड़ रुपया चाहिए। आपका सेफ्टी नेट, आपका नेशनल रिन्यूअल फंड, ये सब चीजें लाइये। जितने लोगों को बाहर से आना है उनके लिए कोई प्रावधान आपके बजट में नहीं है कि ये पैसे कहां से आयेंगे।

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आपके बजट में इन्तजाम नहीं है। डीए का कोई इन्तजाम नहीं है। पिछले साल और इस साल के बजट में आपने डीए का इन्तजाम नहीं किया। कर्मचारियों का क्या होगा ? क्योंकि दाम बढ़ेंगे तो और महंगाई भत्ते का प्रश्न आएगा तो आप पैसे कहां से लायेंगे ?

आई. एम. एफ. को मालूम है या नहीं है कि आपके अपने बजट में यह सब फीजिंग किया है कि गोल्डन हैंडशेक और डीए का प्रावधान किए बिना आपने अपना फिस्कल डेफिसिट कितना घटाया है, यह दुनिया को दिखाने का काम किया है, आई. एम. एफ. को मालूम है या नहीं है ? आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक का यहां पर दफ्तर है। वे अपने दफ्तर में आकर बैठते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं, उनको मालूम है या नहीं ? यहां उनका परमानेंट आफिस है। अगर उनको मालूम है और मैं जानता हूं कि उनको मालूम है, बड़े तेज हैं वे लोग, इस काम के लिए वे लोग तैयार होते हैं। तो क्या हम लोगों को फिर एक बड़े कैदखाने में ले जाने के काम में नहीं लगा है। आपका बजट बिल्ली-बिल्ली, जाने-अनजाने में हिन्दुस्तान को और परेशानी में ढकेलने के काम में क्या नहीं लगा है ? इसलिए हम चाहेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर आयें। चूंकि हम जानते हैं कि इनके उत्तर क्या हैं, इसलिए हम इस बजट का सख्त विरोध करते हैं और चाहते हैं कि सदन इसका विरोध करे।

---

4. 54 म. प.

उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि आज हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के बाद नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आज सभा की बैठक 8-00 बजे के बाद तक चलेगी जिससे कि सदस्य 1992-93 के बजट (सामान्य) 1991-92 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों और 1993-93 के लेखानुदान (सामान्य) की अनुदानों की मांगों पर सामान्य वादविवाद में एक साथ भाग ले सकें।

वित्त मन्त्री इन सभी के वादविवाद पर गुरुवार 26 मार्च 1992 को 6-00 बजे उत्तर देंगे। तत्पश्चात तत्संबंधी विनियोग विधेयकों को विचारार्थ लिया जाएगा और उसे उसी दिन निपटा दिया जाएगा। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत है।

अप.

सामान्य (बजट) १९९२-९३सामान्य चर्चा जारी

लेखानुदानों की मांगे (सामान्य) १९९२-९३ जारी

अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) १९९१-९२ जारी

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष जी, मैं बजट का ओर से विरोध तो नहीं करूंगा, केवल दुख प्रकट करना चाहता हूं । मैं बधाई देना चाहूंगा आज फर्नांडीज जी को, जिन्होंने वास्त. विकता को सामने लाने के लिए अथक प्रयास किया है और यदि मैं ऐसा कहूं कि देश की स्थिति को तथा भारत सरकार की मानसिकता को जिस तरह उन्होंने देश के सामने रखा है, उससे शायद इस पक्ष के लोगों को भी नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरणा मिलेगी । मैं इस बजट के बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बजट लाने के पहले, हमारे वित्त मन्त्री जी जिस तरह की बातें इस देश में करते थे, अचानक उनकी बातों में परिवर्तन आ गया । वह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया वह परिवर्तन धीरे धीरे आया है ।

कांग्रेस पार्टी के मित्रों से मैं कहना चाहूंगा कि मुझे याद है, पहले बजट में गांधी जी का कितना नाम लिया गया था । जवाहर लाल नेहरू के पुरुषार्थ को बखाना गया था । वित्त मंत्री जी अगर आपको याद हो तो आपने पिछला बजट राजीव गांधी के नाम पर समर्पित किया था । उस समय जिन बातों की चर्चा आपने उठाई थी, महंगाई को घटाने का सवाल, निरक्षरता को मिटाने का सवाल, बेरोजगारी को खत्म करने का सवाल, गरीबों के साथ अपना नाता जोड़ना, आपके मसूदों को देख कर पहले लोगों को भरोसा हो गया था । मेरे वे मित्र है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं , उनकी पिछली बातों पर मैंने विश्वास किया था । मैं ऐसा समझता था कि वित्त मंत्री जी शायद इस देश को उस दिशा में ले जाएंगे लेकिन जिस दिन यहां उनका बजट भाषण पढ़ा जा रहा था, इस साल का बजट रखा जा रहा था, हमें आश्चर्य हुआ, जब कई सदस्यों ने कहा बड़ा मनमोहक बजट था । अखबार के लोगों ने बड़ी प्रशंसा की । हमारे मित्र, जिनको मैं गुरुदेव कहता हूं, अटल जी ने कहा था कि उन्होंने ऐसा मोहिनी डाल दी सारे सदन पर और मनमोहन की मोहिनी से सारा देश मोहित हो गया । लेकिन मैंने उसी दिन अखबार वालों से कहा था कि यह बजट देश के 3 फीसदी लोगों के लिए है, 97 फीसदी लोग हमारे वित्त मंत्री जी की नजर में नहीं आए । शायद ये 3 फीसदी लोग वे हैं, जिनका जिक्र अभी आज साहब ने अपने भाषण में किया और जिनका सीधा रिश्ता उन बाहर के पूंजीपतियों से है, उन धन्ना सेठों से है, उन लोगों से है जो देश में और दुनिया में केवल सुख और समृद्धि देखते हैं ।

हमारी जिन्दगी . सुखों का सुहाना सपना नहीं है । संत्रासों की सिसकी भी है । हमारे देश की जो भी समस्याएं हैं, जो आज बनी हुई है, ये दुखी, ये शोषित, ये पीड़ित और उपेक्षित लोग इन्होंने ही बनाई है । महात्मा गांधी को किसी धन्ना सेठ ने सहयोग नहीं दिया था । महात्मा गांधी

के पक्ष में कोई राजा महाराजा नहीं आया था। किसी पूंजीपति ने उन्हें सहारा नहीं दिया था बल्कि इस देश के गरीब, बिना पढ़े लिखे, नौजवान लोग ही उनके साथ आए थे क्योंकि उन्हें एक भरोसा था। गांधी जी ने कहा था कि आजादी के सपने को हम पूरा करेंगे तो एक एक घर में खुशहाली का सपना साकार होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि हम स्वदेशी और स्वावलम्बन के आधार पर देश बनायेंगे वह केवल नारा नहीं था। अंग्रेजों ने केवल हमारी आजादी, राजनैतिक आजादी को ही नहीं छीना था, हमारे अर्थतंत्र को भी तोड़ दिया था। अंग्रेजों के आने से पहले यह देश हमारा हिन्दुस्तान दुनिया के सबसे धनी देशों में से था, दो सौ पचास वर्ष बाद अंग्रेज इस देश से गए और हम एक गरीब देश रह गए थे। हमारे देश में जो कुछ हुनर वाले लोग थे, आर्टिसन थे, जो दौलत पैदा करते थे, ढाका की मलमल दुनिया भर में मशहूर थी, कश्मीर का कपड़ा का काम, मुरादाबाद के बर्तन और राजस्थान की छपाई पूरी दुनिया में मशहूर थी। क्या आपको याद है कि हम लोगों को गांधी ने उस समय, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कहा था कि अगर इस देश को बनाना है तो हमें कुटीर उद्योगों की ओर जाना होगा, गांवों की गलियों की ओर जाना होगा। इनके संतापों को मिटाना होगा। इनके मसूबों को बढ़ाना होगा और इस तरह नया भारत बनाने की उन्होंने कल्पना की थी। इसलिए उन्होंने स्वदेशी और स्वावलम्बन का नारा दिया था पुरुषार्थ के बल पर ही देश और राष्ट्र बना करता है। हमें आश्चर्य होता है, अभी मैं पिछले दिनों 5 दिन के लिए अमेरिका गए थे। अमेरिकन लोगों से मैंने सवाल पूछा कि डेढ़ करोड़ काले लोग है, उनकी गरीबी की समस्या आप हल नहीं कर पाते है, हमारे 50 करोड़ लोगों की गरीबी का इलाज आपके पास है, यह जानकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ।

5.10 म. प.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री से यह कहना चाह रहा हूं कि वे ऐसा न समझें कि यह बात मैं कोई गुस्से में, कोई नाराजगी में कह रहा हूं मुझे आश्चर्य होता है, हमारे देश में भी विचारक हैं, हमारे देश में सोचने वाले हैं, हमारे देश में भी अर्थशास्त्री है और इनकी सारी समुच्चय शक्ति से हमारी नीतियां बनी। एक दो वर्ष में नहीं बनी, 40 वर्ष में बनी थी। एक-एक नीति जो पिछले 7 महीना में आपने बदली है, वे दशकों के प्रयास का नतीजा थी। जवाहर लाल नेहरू को उद्योग नीति बनवाने में 8 वर्ष लगे थे, इन्दिरा गांधी, एक बड़ा मनस्वी महिला थी, उनको एक एम. आर. टी. पी. एक्ट बनाने में 5 वर्ष लगे थे। मैं भी संसद का सदस्य था, थोड़ा मेरा भी योगदान था, लेकिन आश्चर्य होता है, एक चिदम्बरम, एक मनमोहनसिंह उठते है और दूसरे दिन अखबारों में हम पढ़ते है कि नीतियां बदल दी गई हैं। देश को पता नहीं है, अर्थशास्त्रियों को पता नहीं है, विद्वानों को पता नहीं है, संसद को पता नहीं है। आपको कहां से बुद्धि आ गई ? कहां से आपको प्रेरणा मिली ? यह बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

मुझे सबसे बड़ी परेशानी इस बात से है उपाध्यक्ष महोदय कि उस दिन अटल जी ने एक सवाल उठाया था और उस पर वित्त मंत्री जी को थोड़ा सा रोष भी आया था, उन्होंने कहा कि क्या आप देश के नौकरशाहों पर, बड़े अधिकारियों पर, उनकी राष्ट्रीयता पर विश्वास नहीं रखते। क्या आप यह समझते हैं कि वे देश प्रेमी नहीं हैं। मैं आपके जरिए से उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक दस्तावेज, जो विश्व बैंक देता है, 7 महीनों तक,

इतना गया गुजरा दस्तावेज है कि मुझे दिखाया नहीं जाता है ? 7 महीनों के बाद उसी दस्ता-
क पर्चा बाई पेपर के ऊपर आपकी एक-एक नीति निर्धारित होती है और आप हमसे जानना
ते हैं ? उस दस्तावेज को जितना प्रतिशत आता है, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि
। लोगों को वे कितना दिया जाता है ? भारत सरकार के ऊन अधिकारियों को वे प्रतिशत दिए गए
न किसी न किसी समय विश्व बैंक में या इंटरनेशनल मानेटरी फंड में नौकर थे। यह एक साधा-
ण सी बात हो सकती है, ये संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये अजीब संभावनाएं हैं, जो बातें
ऊपर दिखाई जाती हैं व उनका दिखाई जाता है, जो विश्व बैंक के लोग हैं। उन्हें इस बात पर
हो कि कौन किस पद का अधिकारी है, बल्कि अगर जाहिर सेक्रेट है, तो सेक्रेट को नहीं दी गई
डायरेक्ट सेक्रेट को दी गई है और उपाध्यक्ष महोदय हम क्या यह मान लें कि यह सब अनजाने में
। रहा है और ये बातें हम मान भी लेते हैं, विश्व मंत्री जी, आपकी सदाशयता पर, आपकी
रिफत पर, आपकी ईमानदारी पर विश्वास करने को मेरा मन होता है, लेकिन जब विश्व बैंक
ी रिपोर्ट हम पढ़ते हैं उसमें जब वे कहते हैं कि दुनिया की अर्थ-नीति को कैसे बदला, तो
म्हें कहा कि जब सरकार कमजोर हो, जब सरकार अस्थिर हो, जब किसी देश में अस्थिरता
। स्थिति हो, तो इस नीति को और जोर से चालू करो, ताकि वहां पर कोई प्रोटेस्ट न हो सके,
ई प्रतिरोध न हो सके, कोई रेसिस्टेंस न हो सके, यह रिपोर्ट विश्व बैंक देता है। उसी रिपोर्ट
। आधार पर हमारी नीतियां बनती हैं, तो मन में एक संदेह होता है। उस संदेह को आप
दूर करें या न करें, यह दूसरी बात है, लेकिन हमारी ये मान्यताएं कहीं गईं-क्या देश
देश पर बन जाता है ? हमारे मित्र अटल जी ने कहा कि सोना सस्ता हो गया, आप भी कह रहे
हैं कि हमारे भंडार में विदेशी मुद्रा बढ़ी हुई है, कहां से वह मुद्रा बढ़ी और आई है, मैं उस तफ-
सील में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज ने ये सारी बातें बता दी हैं, लेकिन केवल पैसे से देश नहीं
बना सकते, उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी हमारे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को हो जाए, तो
शायद देश बच जाए।

आज भी इस बात को सोचिए, राष्ट्र कब टूटते हैं, राष्ट्र तब टूटते हैं जब देश के लोगों
का दिल टूट जाता है, उनका मन टूट जाता है। हिन्दुस्तान गरीबी की हालत में कभी नहीं टूटा,
हिन्दुस्तान जब नंगा था, एश्वर्य था, वैभव था, राजभवनों में सोने-चांदी के अम्बार लगे थे, उस
समय हमारे गांव का किसान कहता था 'कोई नृप होय हमें का हानि, चेरि छांड़ नहिं होइब रानी'
यदि हमें इस राष्ट्र की समृद्धि में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, जब देश के लोगों में यह विश्वास हो
जाएगा और तभी आपके देश पर, आपके राष्ट्र पर कोई संकट आएगा और तब कोई बचाने वाला
आपको नहीं मिलेगा। ये 3 फीसदी लोग जो आज आपकी वाहवाही कर रहे हैं, ये वित्त मंत्री जी,
आपकी रक्षा के लिए नहीं हैं। वे आपको गिरते हुए देखकर, फिर उपहास वाली बात कहेंगे।

आप सोचिए लगाइए, आप विश्वनाथ प्रताप को गालियां दीजिए, मुझको जितना कोसना
हो, कोस लीजिए, लेकिन इस बुनियादी सवाल के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। मैं सोचता हूं जो
लोग अपने को विचारक कहते हैं, विद्वान कहते हैं, एक सवाल उठाया जाता है, क्या हुआ सोवियत
यूनियन में ? आज फलांन्डाज अब अमरीका की बात करते हैं, तो झट सोवियत यूनियन की बात
आ रही है। सोवियत यूनियन असफल हो गया। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि उन्हीं लोगों को
इस्तेमाल करके हमारे सहानुभूति के पात्र श्री गोर्बाचोफ ने यह कदम उठाया ? क्या यह सही नहीं

है कि उन्हीं बातों को, उन्हीं सलाह को मानकर उस तरफ आगे बढ़े थे ? श्री गोर्बाचोफ ने क्या यह अपने शासन के आखिरी दिनों में नहीं कहा कि हमने जो कहा था, हमको सहायता नहीं दी गई। क्या आपको मालूम है कि पोलैंड के वेलेस ने क्या कहा है। उन्होंने कहा उदारता की नीतियों के अपनाने से यहां पर कुछ नहीं मिला लेकिन पश्चिम के जो धनी देश हैं उनको हमारे देश के बाजार का शोषण करने का एक अवसर मिला। क्या आप भी गोर्बाचोफ और वेलेस बनना चाहते हैं ? मैं नहीं चाहता भारत का कोई वित्त मंत्री मैं नहीं चाहता भारत का कोई प्रधान मन्त्री इस रास्ते पर जाए लेकिन अगर आप ऐसा नहीं बनना चाहते हैं तो किस अधिकार से, किस भरोसे आपने समाचार पत्रों को बयान देते समय यह कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन की बात करना एक राजनीतिक ढकोसला है राजनीतिक ढोंग है क्योंकि हमने कर्ज लिया चालीस वर्षों में। इससे स्वदेशी और स्वावलंबन ढोंग बन जाएगा। क्या हमारे करोड़ों लोगों की जनशक्ति बेकार हो जाएगी ? यह सोचकर आपको कहना चाहिए क्योंकि इससे आप न केवल गलत आर्थिक नीतियों का प्रतिपादन करते हैं, आप देश की मानसिकता को, देश की इच्छा शक्ति को, करोड़ों श्रमिकों के मनोबल को तोड़ने के अपराधी हैं। इस बात से मैं आपसे नाराज हूं। इस बात से मुझे आपसे दुख है। अगर यह बात सही नहीं है, जो जार्ज ने कहा, किन लोगों के लिए, कहा है उसमें चर्चा हमारे किसानों के लिए, सत्तर फीसदी किसानों के पास एक हैक्टेयर से नीचे जमीन है, जो बाजार के लिए नहीं पैदा करते, पेट भरने के लिए पैदा करते हैं, उनका क्या होगा ? उनको सिंचाई की व्यवस्था कहीं आपके बजट में है क्या आपने उनके लिए कोई उत्तम खेती का प्रबन्ध किया है, क्या इलैक्ट्रीफिकेशन के लिए नई योजनाएं आपके पास हैं, क्या गांव की उन विकसित होने वाली शक्तियों को बल देने का कोई काम किया है ? मैं नहीं जानता फर्टिलाईजर में आप क्या करने वाले हैं लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि अमरीका के किसान फर्टिलाईजर पर सबसिडी पाएंगे, भारत के किसान नहीं पाएंगे।

मनमोहन जी से मैं निवेदन करूंगा, वे विचारक हैं, पढ़े लिखे हैं, बारह वर्ष पहले क्या विश्व बैंक ने बिल्ली साहब के नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार कराई। कहा कि विकसित देश और विकास माना देश के लोग हाई टेक्नोलोजी के लिए मत जाएं। वे होटीकल्चर में, फिशरी में काम करें। बारह वर्ष में सारी दुनियां बदल गई, अब हमें यही हाई टेक्नालोजी चाहिए। हमारी कृषि का इन्तजाम दूसरे करेंगे। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता लेकिन कितनी जल्दी यह सब बदल जाता है और मुझे आश्चर्य यह होता है कि वे बदल जाएं। आपकी साउथ कमीशन की बुद्धि कहां चली गई, मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है। हमने मनमोहनसिंह को उस रूप में जाना था जब उन्होंने साउथ कमीशन में एक नेता के रूप में तीसरे विश्व के लोगों को एक नया साहस, नया भरोसा देने का काम किया था।

उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहे चाहें न चाहें, भारत कोई साधारण राष्ट्र नहीं है। हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली नहीं है, प्रकृति ने, इतिहास ने वह जिम्मेदारी दी नहीं है, अगर भारत घुटने टेक देगा, तीसरे विश्व के देश घुटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमने अपनी इस मानसिकता को नहीं समझा, हमने अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझा हमसे पूछा जाता है आप रास्ता बताइए। सोवियत यूनियन में जो कुछ हुआ, वह सही है दुखद हुआ है लेकिन क्या इससे यह भी सही हो जाता है कि अक्टूबर, क्रान्ति के पीछे जो आदर्श थे,

उद्देश्य थे वे सब निकम्मे साबित थे ? क्या समता का सिद्धान्त निकम्मा सिद्धान्त है, क्या शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना पागलपन की बात है, क्या लेनिन ने जो गरीबों का नेतृत्व किया वह बेकार गया ? करोड़ों लोगों ने जो हजरत दी गरीबों का नेतृत्व को एक नया सपना देने के लिए, वह सब निरर्थक नहीं जाएगा इतनी आसानी से आज सोवियत यूनियन यदि किसी एक की गलती से टूट रहा है तो यह भी याद रखिए कम्युनिज्म कोई भगवान के हाथ में नहीं गिरा था। जब पूंजीवाद असफल हो गया, जब पूंजीवाद लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप काम नहीं कर सका जब टूटे हुए लोगों को एक नई आशा की किरण नहीं मिली तो इस दुनिया में साम्यवाद का, मार्क्सिज्म का नया आन्दोलन चला। कहां गया था, पहले अपने अच्छे बन जाइए, जो आज आप अच्छे बन रहे हैं। सब आजाद हैं। जो पैसा कमा सकता है, वह पैसा कमाये, जो भूखा मरता है, वह भूखा मरे सब को आजादी है। एक को लखपति से करोड़पति बनने की आजादी है, दूसरे को भूख से मरने की आजादी है। यह आपकी नीति है जहां राज्य की कोई जिम्मेदारी न ले। हमने अपना संविधान बनाया, इतने समझदार लोग नहीं होंगे जितने राजेश पायलट जी हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, लेकिन थोड़ी अक्ल राजेन्द्र बाबू को, जवाहर लाल जी और अम्बेडकर जी को भी रही होगी, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे उस समय उन्होंने हमारे डायरेक्टिव प्रींसिपल्स में कहा कि हम गरीब को शोषण से बचाने के लिए सहायता देंगे। उस समय पंडित जवाहर लाल जी ने जो शब्द कहे वे मेरे कानों में गूंजते हैं। उन्होंने योजना आयोग का पहला उद्घाटन करते हुए जहां गरीबी और विषमता की बात की, वहीं उन्होंने कहा कि हमारे देश में आंचलिक विषमता रीजनल इम्बैलेंस जो है, गरीब इलाके जो हैं, इनकी खबर नहीं ली गई, इनकी सेवा नहीं की गई, इनकी मदद नहीं दी गई तो वहां से बवंडर उठेगा और इस देश के लिए यह खतरनाक होगा। आंचलिक विषमता की बात कहां गई, आपकी नीतियों में इसके ऊपर कभी विचार हुआ है ? गरीबों का क्या होगा, आदिवासियों का क्या होगा, इन सारी बातों पर अगर आपने मन में सोचा होगा तो आपके मन की बातें आपके बजट में नहीं हैं। मैं यह कहता हूं कि आप मन को खोल कर लोगों के सामने रखो। जनतंत्र में, लोकशाही में षड्यंत्र से काम नहीं होते, खुले दिमाग से निर्णय लिए जाते हैं। एक हम आपसे बात करना चाहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है आप इसको छोटे रूप में लेते हैं। अटल जी बोल रहे थे। वह मेरे गुरुदेव हैं। मैं उनसे शिक्षा लेता हूं। उन्होंने कहा कि मनमोहन जी ने अपना चीरहरण कर लिया लेकिन उनकी गोपियों का चीरहरण हुआ, यह गोपियों का चीर-हरण नहीं यह द्रोपदी का चीरहरण है जो कि अटल जी नहीं कह सके इसलिये कि मनमोहन और कृष्ण लाल में सम्बन्ध बैठाने का उन पर जिम्मा था। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह रास लीला बहुत दिनों तक नहीं चलेगी क्योंकि आर्थिक विषमता का भूत, गरीबी और भूख व प्यास का सवाल आदमी को चुप नहीं रहने देता। याद रखिये मनमोहन सिंह जी, आप न करें कोई मोहन पैदा होगा जो सुदर्शन उठायेगा और विवश होगा कभी महाभारत करने के लिए। यह कहना पड़ेगा कि यह माहिनों नहीं चलेगी। एक दिन न्याय के सवाल पर इस देश में युद्ध होकर रहेगा। मैं इस बारे में कहने में कोई हिचक नहीं करना चाहता देश के लोग किस ओर जायेंगे करोड़ों गरीबों की ओर या चन्द पूंजीपतियों, सामन्तों और धन्ना-सेठों के साथ। जब धर्म युद्ध इस तरह का हो रहा हो और व्यक्ति चाहे किसी पार्टी का हो चाहे किसी दल का हो चाहे किसी जाति धर्म का हो इस लोकतंत्र में उसको भागीदार होना पड़ेगा। यह नहीं चलेगी राजेश पायलट जी पिछड़ों की नेतागिरी और मनमोहन सिंह के बजट की तारीफ दोनों साथ चलना सम्भव नहीं है, आप नहीं कर सकते, इसलिये कहता हूं कि आप हम से जानना चाहते हैं कि गांधी जी ने क्या

कहा था ? गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में कहा गया अच्छे बन जाओ, बेटों से लेकर ऋषियों तक मोहम्मद साहब से लेकर क्राइस्ट तक सब ने कहा कि अच्छा बनो, लेकिन समाज अच्छा नहीं बना । इस पर बुद्ध ने कहा कि "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" । ईसा मसीह ने गरीबों की सेवा का व्रत लिया लेकिन सब चले गये, गरीब पिसता रहा, टूटता रहा, आदमी भला बना, चन्द व्यक्ति इतिहास में ऊपर उठे, उस जमाने में थोड़ा बहुत हुआ लेकिन गांधी जी किसी को अपना ट्रस्टी इस देश में नहीं बना पाये ।

मनमोहन सिंह जी और नरसिंह राव जी को मैं बड़ी इज्जत करता हूं । आप इस जन्म में गांधी नहीं बन सकते । जो गांधी जी नहीं कर सके वह आप भी नहीं कर सकते । इतनी क्षमता को और सीमा को समझ कर आपको काम करना चाहिये । अगर इस सीमा का अन्दाज नहीं है तो हर दम गलत निर्णय पर न पहुंचेंगे उसके बदले में मार्क्स ने कहा समाज को किसी तरह बदल दो, आदमी बदलने को मजबूर हो जाएगा, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो मित्र पूछ रहे थे रास्ता क्या है, रास्ता हमारे देश ने उस समय बनाया था । महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आदमी केवल बदल जाये यह काफी नहीं है समाज किसी तरह बदल जाये यह काफी नहीं है, पहले अपने को बदलो, समाज में जो बुराइयां हैं, उनको बदलो और समाज की बुराइयों को मतलब उनका था जहां शोषण है, उत्पीड़न है, जहां गरीबी है, जहां भूख है, बेरोजगारी है, उसके खिलाफ लड़ो महात्मा गांधी केवल सन्त नहीं थे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आन्दोलन के एक योद्धा थे मानवता के एक सिपहसालार थे, जिन्होंने इन्सानियत को बुलन्दी पर पहुंचाने के लिए एक कोशिश की । उन्होंने एक नई प्रेरणा दी और आप हमसे पूछते हो कि रास्ता क्या है ? सोवियत यूनियन असफल हो गया तो क्या हिन्दुस्तान असफल हो जायेगा ? हां, असफल हो जायेगा, अगर गांधी के स्वदेशी और स्वावलम्बन को आप ढोंग समझोगे तो आपको दुनिया, आज की पार्लियामेंट भले ढोंगी न समझे लेकिन इतिहास बड़ा निर्दयी, निष्ठुर समीक्षक होता है, वह आपको ढोंगी समझेगा और आप याद रखिये, आपने क्या किया है ।

क्या-क्या वायदे आप लोगों ने कर दिये, हम उन बातों से किसी की नीयत पर सन्देह करना नहीं चाहते लेकिन क्या वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि जो वायदे आपने किये है, वह आप पूरे कर सकोगे ? 49 पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को क्या बन्द कर दोगे ? अगर नहीं बन्द कर सके तो यह वायदे क्यों किये ? तीन लाख लोगों को आप क्या निकाल सकते हो ? हमारे दूसरे मित्र हैं, नहीं दिखाई पड़ते, चिदम्बरम् साहब, एक हजार लोगों को निकालने गये थे, उनके अपने ही आफिस में क्या हुआ था, याद है आपको ? तीन लाख लोगों की बड़ी संख्या होती है और हम लोगों को इस पार्लियामेंट के बाहर भी जाना है । इस पार्लियामेंट के सन्तरियों के घेरे में रहकर हम संसद् को नहीं चला सकते, लोकशाही को नहीं चला सकते, यह बात भी हमको याद रखना चाहिए ।

यह वायदा क्यों किया गया, बैंक के ऊपर जब बात कर रहे थे, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, हमें दुख होता है, हमें आश्चर्य होता है, नितियों का मतभेद हो सकता है, अटल जी जैसा आदमी जब कहता है, बैंक के राष्ट्रीयकरण से क्या हुआ । हम चैक भुनाने के लिए जाते हैं, हमारा चैक भुनने में देरी होती है, थोड़ी देर खड़े रहना पड़ता है, बड़ा गुस्सा आता है, हम लोगों को,

क्योंकि हमारे पास चैक होता है। लेकिन आप जानते हैं 90 प्रतिशत लोगों के पास कोई चैक नहीं है ? क्या आपको मालूम है, 95% से ज्यादा लोग इस देश में कोई बैंक एकाउण्ट नहीं रखते? जिस समय राष्ट्रीयकरण हुआ था, उस समय बैंक गरीब को, किसान को, मजदूर को, गांव की कितनी बचत बैंकों में तब जमा होती थी, आज कितनी जमा होती है ? मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा आप इन बातों को जरा सोचें।

पब्लिक अण्डरटेकिंग्स के बारे में मैं नहीं कहता, उसको बन्द कर दो, सबको बन्द कर दो लेकिन बी. एच. ई. एल. के बारे में एक दिन यहीं पर सवाल उठा, मैंने कहा, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लगाएंगे, हमारे प्रधान मन्त्री जी ने उठकर कहा मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैं हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन को फिर से पुनर्जागृत कर दूंगा। आप कहोगे, इम्पोर्ट सारा जायज है, जो चाहो सारा इम्पोर्ट कर लो। बाहर से कैपीटल इंडस्ट्रीज इम्पोर्ट होंगी और आर्डर मिलेगा नहीं लेकिन हैवी इन्जीनियरिंग चलेगा। बी. एच. ई. एल. का आज क्या हो रहा है ? क्या तीन महीने बाद या 6 महीने बाद भी बी. एच. ई. एल. चल सकेगा, इन बातों को आप सोचो।

[अनुवाद]

नेहरूवाद का माडल असफल हो गया है :

[हिन्दी]

जवाहर लाल नेहरू का मैं बड़ा प्रशंसक कभी नहीं था, जहां ये बैठे हुए लोग हैं लेकिन अब मैं रोज-रोज सुनता हूं।

तो मुझे आश्चर्य होता है, हमें दुख होता है कि सामूहिकरण की भी कोई हद होती है। जिस जवाहर लाल नेहरू के नाम पर आप अपने को सैकुलर कहते हो, प्रगतिशील कहते हो, धर्म निरपेक्ष कहते हो, आगे के भविष्य को बनाने वाले कहते हो, कभी सोचा है कि जवाहर लाल नेहरू को पब्लिक अण्डरटेकिंग्स क्यों बनानी पड़ी थी ? उस जमाने में देश का कोई पूंजीपति पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में पैसा लगाने को तैयार नहीं था। उपभोग की वस्तुओं में थोड़ा पैसा लगाकर अधिक लाभ मिलता था। स्टील में; पावर जैनरेशन में अधिक पैसा लगाकर लाभ नहीं मिलता और आज भी आप इलैक्ट्रीफिकेशन के लिए पूंजीपतियों को बुला रहे हो; जैनरेशन के लिए आने के लिए तैयार हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वह आने के लिए तैयार नहीं; इन बातों को कभी आपने सोचा है ?

शिक्षा पर आपने खर्चा कम किया, स्वास्थ्य पर आपने खर्चा कम किया। संविधान में हमने कहा था कि 10 वर्ष में इस देश में कोई निरक्षर नहीं रहेगा, आज उनका क्या होगा ? 3 पीसदी शिक्षा आज प्राइवेट सैक्टर के पास है, मुश्किल से एक परसेन्ट लोग होंगे, जो प्राइवेट क्लीनिक्स में इलाज कराते हैं, बाकी लोगों का क्या होगा ? इनको आप भाग्य के भरोसे छोड़ना चाहते हो ? हमारा बुनियादी सवाल यह है कि इन सवालों पर आपने कभी गौर किया है ? कभी आपने सोचा है कि समाचार पत्रों के जरिए, टी. वी. और रेडियो के जरिए आप जो प्रचार कर देंगे, वह लोग

खाद क्यों ? खाद भी लेते लेकिन भूख और प्यास ऐसी होती है जो आदमी को बोलने के लिए मजबूर कर देती है वह भूख और प्यास लोगों को बोलने के लिए मजबूर कर रही है। क्या यह चीज हमको नहीं मिल रहा है ? कभी इस पर आपने विचार किया है ? कि हमारा सेना और पैरा मिलिटरी आर्गेनिजेशन के कितने सिपाही अपने देश के लोगों को शान्त रखने में लगे हुए हैं। मैं कोई बुरा कटु शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, करीब-करीब आधी हमारी आर्म्ड-फोर्स इसमें लगी हुई है अपने ही देश के लोगों को शान्त रखने में। भूख और प्यास से जो ज्वाला उठेगी, उसमें आप कितनी फौज लगायेंगे और उसमें भी फौज का इस्तेमाल कहां-कहां करोगे, पड़ोसी देशों को सबक भी सिखाना है, मजदूरों के आन्दोलन को एजीटेट पालिसी समझाना है। लोगों को, गरीब किसानों को संतुष्ट हल करके उनको भी शान्त रखना है। यह आपके बस की बात है विस मंत्री या और आपके बस का बाहर की बात है प्रधान मंत्री जी। मुझे डर यह लग रहा है कि यह समाज टूट जाएगा, इसलिए मैं इस पीड़ा और दर्द की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हर समाज की परम्परा होती है, हर एक राष्ट्र की अपनी मर्यादा होती है और हर एक राष्ट्र की अपनी मान्यता होती है, जो राष्ट्र अपनी मर्यादा, मान्यता और अपनी परम्पराओं को छोड़ देते हैं, अवसान में, वे राष्ट्र विनष्ट होने के लिए विवश होता है और दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती है। सत्तर वर्षों की बनी हुई परम्परा को गोबाचोव साहब ने जिस तरह से तोड़ने की कोशिश की, वे सफल उसके लिए तैयार नहीं कर पाए, यह सब आप लोगों को पता है। चालीस वर्षों का नेहरू और गांधी जी की देन को आप तोड़ना चाहोगे, उसमें खामियां और त्रुटियां हो सकती हैं, तो यह सम्भव नहीं है। मैं नेहरू जी के जमाने में उनका आलोचक रहा हूं, लेकिन मैं मनमोहन सिंह जी से और नरसिंह राव जी से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों का व्यक्तित्व उन चीजों को बदलने के लायक नहीं है। आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार काम कीजिए। सबसे पहले, इस धारा को आप बदल नहीं सकते हैं, जो धारा 40 वर्षों से इस देश में बनी है। यह काम आप मत कीजिए। मैं आपसे कहता हूं, अभी भी समय है, समय रहते हुए रास्ते लौटिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड और वर्ल्ड बैंक आपको पैसा देने वाला नहीं है। तीन साल लोगों को नहीं निकालोगे सार्वजनिक संस्थाओं से, सार्वजनिक उद्योगों से, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर बैंकों से प्रायोरिटी लैंडिंग के ऊपर आप समझौता नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक बात कहता हूं, उन्होंने इसका एक जगह प्रयोग भी किया है, दुनिया के देशों में प्रयोग किया है। मैं अपने शब्दों से, खास कर राजमाता जी से निवेदन करना चाहूंगा, फिलिपीन्स का जिक्र किया जाता है, आप कभी गई हैं, मैं नहीं गया हूं, लेकिन पढ़ा हूं, क्या फिलिपीन्स में आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक के लोगों ने जो परम्परा और जो संस्कृति कायम की है, भारत की जनता उस संस्कृति और परम्परा को अपनाने के लिए तैयार है ? भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करने वाले मित्रों, जरा इस ओर भी सोचें—विदेशों से पूंजी पैसा लेकर आपको धनी बनाने के लिए नहीं आता है, वह आता है अपने उद्योगों को पनपाने के लिए, लाभ कमाने के लिए अपनी संस्कृति को बनाने के लिए। यह बात मैं यहीं कहता हूं, आप 1980 में 'अमेरिकन ट्रैजरी' की रिपोर्ट को पढ़ें उसको शायद किसी ने न पढ़ा हो, लेकिन मनमोहन सिंह जी आप अवश्य पढ़े होंगे। उसमें उन्होंने साफ तौर से

कहा है इन संस्थाओं का, वर्ल्ड बैंक का और आई. एम. एफ. का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि बाहर अपनी नीतियों को कामयाब बनाने के लिए : उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है- हम कमर्स कम यह अपेक्षा करते हैं, हमारा विरोध न करें। इतना तो हम जरूर चाहेंगे, जो लोग हमसे कर्ज लेते हैं वे हमारा समर्थन करें। उन्होंने यह भी कहा- हमने दिल्ली में हस्तक्षेप किया और पी.एल. ओ. को सदस्य नहीं बनने दिया। और बड़े अभियान के साथ हमारे प्रधान मंत्री जो कहते हैं कि हम भी इन संस्थाओं के सदस्य हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि हम कहां पहुंच गए हैं। मैं मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहूंगा कि आपका जितना डेफिसट बजट है, उससे बारह गुना डेफिसट अगर अमरीका का हो जाए और वह वर्ल्ड बैंक से धन लेना चाहे, तो क्या उस पर भी इतनी कंडिशनेलिटी लगेगी, जो हम पर लग रही है। इसलिए आप हमको कितना भ्रम में रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और अखबारों में आपके बयान छप सकते हैं। हमारे बारे में जो आप कहते हैं, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि उस समय हमारी सरकार ने जो काम किया था, उससे 3.7 मिलियन डालर का आपको लाभ हुआ? क्या आपने उसको चालू नहीं रखा? आपने किस लिए कोलोबोरेशन किया? क्या टुथ पेस्ट के लिए, साबुन के लिए और स्पोर्ट्स फूड्स के लिए आपने किया? क्या यह देश के लिए जरूरी था? हमारे सामने हमसे भी बात हुई थी कभी कभी, मैं इतना लोगों को नहीं जानता हूं, जितना आप लोग जानते हैं। विश्व बैंक के एक बड़े आफिसर ने हमसे पूछा, अगर हम मदद न दें तो आप क्या करेंगे? हमने कहा साहब, इम्पोर्ट बन्द कर देंगे। उन्होंने कहा आप कर सकते हैं? हमने कहा- साहब, इम्पोर्ट बंद कर देंगे। उन्होंने कहा आप कर सकते हैं? हमने कहा मजबूरी हो गई तो क्या करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या भारत को आप छोड़ देंगे? यहां का बाजार आपको नहीं चाहिए, यहां की जनता का सहयोग आपको नहीं चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने यह कहा—मुझे मालूम है, हम आपका साथ चाहिए, तो आपको भी हमारा साथ चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इस राष्ट्र की सरकार एक बार नहीं, अनेक बार कहती है कि हम सहायता के बिना डूब जाते, मर जाते हम आश्चर्य होता है कि कहां मर रहे थे, कहां डूब जाते। अगर पिछली बातों का जिक्र होगा कि कैसे मैंने सोना बाहर भेज दिया, क्या किया, तो क्या उसकी सच्चाई को आप सुनना चाहेंगे। क्या मेरे लिए आज यह सही होगा कि मैं इस संसद में ये बातें कहूं, क्या आपको इस राष्ट्र की मर्यादा का ध्यान नहीं है। आप वित्त मंत्री होकर राष्ट्र की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं तो करें, आप जितनी उत्तेजना दें, लेकिन मैं उन बातों का जिक्र करना नहीं चाहता हूं: मैंने तो कहा था कि एक कमीशन बनाओ। किसने फारेन एक्सचेंज की हालत को खराब किया, आज जो ने अभी ये सब आंकड़े दिए हैं, आप तफसील में जाने का कांशश करो, उस बात को देखो। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आज हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं और इस बर्बादी से उबरने का एक ही रास्ता है कि हम अपने देश की श्रम शक्ति पर, अपने देश के किसान और मजदूरों पर विश्वास करें। उनकी आत्मा पर, उनके बल पर विश्वास करें।

मैं तो यह नहीं कहता हूं, केवल गांधी जी नहीं कहते थे, आप 1965 की बात याद करो, जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मन्त्री थे, पाकिस्तान का हमला था, देश की हालत खराब थी, लोगों

के लिए नहीं था, उस समय उन्होंने नहीं कहा कि जय वर्ल्ड बैंक और जय आई. एम. एफ., उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था 'जय जवान, जय किसान'। हमारे किसानों और हमारे देश के जवानों के बल पर यह देश बना। हम नहीं जानते कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हों वह रास्ता बड़ा स्लीपरी है, फिसलन वाला रास्ता है और कहीं आप उसमें न गिर जाओ, लेकिन अगर आप गिर जाओगे तो मुझे कोई दुःख नहीं होगा, जैसे कि जार्ज ने कहा, लेकिन यह देश गिर जाएगा, यह देश टूट जाएगा, समाज गिर जाएगा तो मुझे दुःख होगा। इस देश को टूटे हुए देश को गांधी जी ने अपने पुरुषार्थ से एक सबल राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया था, धनी नहीं थे लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हम मुकाबला कर सकते थे और जिस देश ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुकाबला किया है वह आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक से डर जाए, हम ऐसा सुधार करना नहीं चाहते। अभी इन्होंने कहा कि हम इस देश का सुधारने चले हैं, लेकिन इस देश में क्या हो रहा है, फैक्ट्रियां आज बन्द पड़ी है, वित्त व्यवस्था बिगड़ रही है, यहां का राष्ट्रपति जा रहा है जापान और कोरिया से मिलने के लिए, क्या जापान और कोरिया ने किसी को अपने विकास के लिए बाहर से बुलाया था, उन्होंने अपने बल पर विकास किया। मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता, मैं केवल एक ही बात करना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश न की जाए तो अच्छा है क्योंकि इस बहादुरी का पर्दाफाश आज नहीं तो कल जरूर ही होगा और हम यह कह रहे हैं कि आडवाणी जी आ गए हैं तो दिखाई पड़ रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि संसदीय इतिहास में एक अनहोनी घटना उस दिन हुई जिस दिन बजट पेश किया जा रहा था और लोग शोर मचा रहे थे कि बजट लीक हो गया, यह एक निराला घटना थी, मैं उस बारे में इस समय कोई चर्चा नहीं करूंगा, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था, लेकिन अचानक सब सारा विपक्ष बोल रहा है, नेता विरोधी दल उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये सारा बजट राव, चेलैया की रिपोर्ट पर है, मुझे नहीं मालूम कि उनको कैसे मालूम था और अगर हमारे वित्त मंत्री यह कह दें कि यह रिपोर्ट उन्होंने वर्ल्ड बैंक की नहीं दिखाई है तो हम मान जाएंगे। आडवाणी जी का कहना है नहीं और वित्त मंत्री जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हमने राजा चेलैया की रिपोर्ट नहीं दिखाई है और सब लोग शांत हो गए। इस संसदीय जनतंत्र में एक अचूक, अनोखा काम होते हुए मैंने देखा है, लेकिन उसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपनी कमेटियों की रिपोर्ट को अपने बजट में दिखाएगी, बजट में प्रस्तुत करेगी, बिना देखे हुए वर्ल्ड बैंक के लोग, बिना देखे हुए इस बात को मान लें, ये आडवाणी जी मान सकते हैं लेकिन विश्व बैंक प्रेसीडेंट साहब नहीं मानेंगे क्योंकि उनको अपने स्वार्थों का ज्यादा ध्यान है।

आडवाणी जी, मैं भी चाहता हूं कि अस्थिरता न हो, मैं भी चाहता हूं कि सरकार चले और रोज चुनाव न हो, लेकिन आडवाणी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम केवल सरकार नहीं चला रहे हैं, हम इस देश में एक ऐसी परम्परा को जन्म दे रहे हैं जो परम्परा हमारे अस्तित्व को नकार देगी, जो परम्परा हमारे इतिहास के विरुद्ध है, जो परम्परा हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, जो परम्परा हमें तबाही की ओर ले जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप नेता विरोधी दल को कि विरोध हर दम मत करो, लेकिन एक बात जो मैंने पहले भी कही थी कि हर समय मत देखो कि कोई चीरहरण गोपियों का हो रहा है, गोपियों के चीरहरण में एक रस है, एक भावुकता है, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण में आप ही जैसे कोई भाष्म पितामह चुप रह गए थे। इस देश का क्या होगा

मन्त्री द्वारा वक्तव्य 25 मार्च, 1992

क्योंकि ये चीरहरण हो रहा है इस देश के गरीब का, निर्धन का, भूखों का। मैंने बड़े दुख के साथ लेकिन थोड़ा अभाव मानसिकता में वह भाषण सुना जब वित्त मंत्री जी को तालियों से अपार प्रसन्नता हुई तो उन्होंने उठ कर कहा—

सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,

देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है।

कोन सरफरोशी करता है, सरफरोशी करने वाले कम लोग होते है। जो मार दिया जाता है, वह शहीद नहीं हो जाता। मार्क्स और चाइसस्की चाहे समाजवादी हो चाहे पूंजीवादी हो, जो जनता की भावना को नहीं पहचानता, उनका सड़क पर घसीट दिया जाता है, वे शहीद नहीं होते। वित्त मंत्री जी इस गलतफहमी में मत रहिएगा, शहादत नहीं मिलने वाली है यह बात याद रखिए। मैं यह चेतावनी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, हम सब साथ जो इस सदन में बैठे हैं, आदर्शों और सिद्धांतों की बात छोड़ दीजिए, चाहे कोई चाइसस्की हो या मार्क्स हो, जनता की भावनाओं के साथ जो नहीं जुड़ा है, उसको इतिहास कभी माफ नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी, आप में काबलियत है और उस काबलियत का उपयोग करके इस चंगुल से बाहर निकल आइए। यह ऐसा चंगुल है जो देश को मिटा देगा, आपको मिटा देगा, आपको बरबाद कर देगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। आज मैं बहुत संयम से इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस रास्ते को छोड़ देंगे, आज भी कांग्रेस के लोगों से उम्मीद है, कमसे कम दिखाने के लिए ही गांधी जी को याद रखो, नेहरू की परम्परा को इस तरह से नकारो, देश की मनस्कता को इस तरह मत ताड़ो नहीं तो याद रखो—

जिन हाथों में अंकित है राजतिलक देने की,

उन्हीं हाथों में ही ताकत है वक्त उतार लेने की :

———

मंत्री द्वारा वक्तव्य

रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : अक्तूबर, 1991 में रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में कुछ भूमि का आधिग्रहण किया है। राज्य सरकार से तत्काल एक रिपोर्ट मांगी गई और मैंने स्वयं 15 अक्टूबर, 1991 को मुख्य मंत्री को पत्र लिखा जिसमें उनका ध्यान भूमि अधिग्रहण के फल स्वरूप होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियाओं की ओर आकर्षित किया गया था और यह अनुरोध किया गया था कि न्यायालय में लम्बित पड़े मामले

और विवादास्पद मामले की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की वांछनीयता पर पुनः विचार किया जाए। राज्य सरकार और स्वयं मुख्य मंत्री से उत्तर प्राप्त हुए। इन उत्तरों के अनुसार भूमि का अधिग्रहण पर्यटन का विकास और अयोध्या में यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। उत्तर में यह आश्वासन भी दिया गया था कि रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं।

स्थिति को शांत करने और समाधान खोजने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 2.11.91 को राष्ट्रीय एकता परिषद की एक बैठक बुलाई. बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने निम्नलिखित आश्वासन दिये :—

(एक) मामले का सद्भावपूर्ण हल निकालने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे;

(दो) अंतिम हल निकलने तक उत्तर प्रदेश सरकार रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा के प्रति पूर्णतया जिम्मेदार होगी;

(तीन) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय के आदेशों को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा; और

(चार) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित पड़े मामलों में निर्णय का उल्लंघन नहीं होगा।

इन आश्वासनों को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में पारित संकल्प में शामिल किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली अनेक रिट याचिकाएं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ तथा उच्चतम न्यायालय में भी दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय ने 25 अक्तूबर, 1991 को एक आदेश पारित किया, जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित आदेश दिए गए थे।

(एक) राज्य अधिसूचित भूमि का कब्जा लेले और अधिसूचनाओं में बताएं गए उद्देश्य के लिए व्यवस्था करे लेकिन वहां किसी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं किया जाएगा, यद्यपि अस्थाई निर्माण किया जा सकता है;

(दो) भूमि का कब्जा न्यायालय के अगले आदेशों के अधीन होगा; और

(तीन) अधिग्रहण भूमि का अन्तरण या हस्तान्तरण नहीं किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने भी, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा 2 नवम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में दिए गए आश्वासनों, जिन्हें न्यायालय को प्रस्तुत अभ्यावेदन के रूप में लिया था; को भी ध्यान में रखते हुए, 15 नवम्बर, 1991 को एक आदेश पारित किया।

मैं समय समय पर, राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा से संबंधित केन्द्र सरकार की चिन्ता के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को अवगत कराता रहा। मैंने उन्हें 13 नवम्बर, 1991, 26 दिसम्बर, 1991 तथा 10 जनवरी, 1992 को पत्र लिखे, जिनमें उनका ध्यान अन्य बातों के साथ-साथ रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की पर्याप्त सुरक्षा प्रबंधों तथा धार्मिक त्यौहारों, जब अयोध्या में काफी भीड़ जुटने की संभावना रहती है, के दौरान इसे कोई नुकसान न पहुँचाए जाने की आवश्यकता की ओर दिलाया और रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में उन कुछ अवरोधों को पुनः लगाए जाने का अनुरोध किया जिन्हें हटा दिया गया था। मुख्य मन्त्री अपने एक उत्तर में बताया कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

फरवरी, 1992 में ऐसी रिपोर्टें थी कि अयोध्या में कारसेवकों की नगर शैली में एक दीवार का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार या इसके अधिकारियों द्वारा आरम्भ किया गया। मैंने 21 फरवरी, 1992 को मुख्य मन्त्री को लिखा कि इस मद्दे पर व्याप्त तनाव को देखते हुए लोगों के दिमागों में संदेह पैदा करना बिल्कुल भी वांछनीय नहीं होगा और उनसे अनुरोध किया कि वे ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस मद्दे पर पुनः विचार करें। मुख्य मन्त्री के तारीख 10 मार्च, 1992 के उत्तर के अनुसार दीवार के निर्माण का कार्य विवादास्पद ढांचे की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था के संबंध में किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार यह नहीं सोचती कि दीवार के निर्माण से किसी प्रकार का तनाव पैदा होगा बल्कि इससे विवादास्पद ढांचे की ओर अधिक सुरक्षा होगी। इस दीवार के निर्माण के परिणामस्वरूप अभी तक किसी प्रकार का तनाव ध्यान में नहीं आया है।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में कतिपय ढांचों को गिराने और राम जन्म भूमि न्यास को कुछ भूमि सौंपने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त होने के तत्काल बाद इस मद्दे को राज्य सरकार के साथ उठाया गया था। 22 मार्च 1992 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को एक तेलेक्स संदेश भेजा गया था जिसमें उन्हें उसी रात को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया था। उनसे उसी रात को या अगली सुबह अर्थात 23 मार्च, 1992 को गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा भी संपर्क स्थापित किया गया था। मुख्य सचिव ने टेलीफोन पर कुछ प्राथमिक सूचना दी और आश्वासन दिया कि बाद में पूरे तथ्यों की एक रिपोर्ट भेज दी जाएगी।

मन्त्रालय द्वारा पुनः 23 मार्च 1992 को एक और विस्तृत संदेश भेजा गया था जिसमें एक विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई थी। मैंने भी दिनांक 23 मार्च, 1992 को मुख्य मन्त्री को फैक्स द्वारा एक पत्र भेजा। मैंने मुख्य मन्त्री का ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में हाल ही में उठाए गए कदमों और 2 नवम्बर, 1992 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उनके द्वारा दिये गए आश्वासनों की ओर आकृष्ट किया और उनसे इस बात पर विचार करने का अनुरोध किया कि क्या इन कदमों को उठाने से पूर्व न्यायालय में पड़े मामलों के अंतिम निर्णय अथवा इस विवाद से सम्बन्धित सभी पार्टियों को मान्य आपसी समझौता हो जाने तक इंतजार नहीं करना चाहिए था ?

गृह मंत्रालय के 22 और 23 मार्च, के संदेशों के उत्तर में राज्य सरकार ने कहा है कि अक्तूबर, 1991 में अधिग्रहित भूमि को पर्यटन विभाग ने अपने अधिकार (कब्जे) में ले लिया है

और मुआवजा जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करवा दिया गया है। पर्यटन विभाग ने भूमि को समतल करने के उद्देश्य से कतिपय निर्माणों को हटाना आवश्यक समझा। पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगामी कार्रवाई करने हेतु यह अपेक्षित था। तदनुसार, 2 मार्च, 1992 को पर्यटन विभाग ने भूमि को समतल करने के लिए कुछ स्थायी/अस्थायी निर्माणों को हटा दिया। इनमें सुमित्रा भवन, गोपाल भवन, लोमस आश्रम की दीवार पर बनी तीन कुटिया और विवादित क्षेत्र के बाहर कुछ दुकानें शामिल है। सीता रसोई परिसर में मंदिर के उस भाग को, जहां मूर्ति इत्यादि है, उसी प्रकार बरकरार रखा गया है। राज्य सरकार ने आगे कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार, सम्पूर्ण कार्यवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई।

राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि पर्यटन विभाग ने कोई भी स्थाई निर्माण नहीं किया है, वर्ष 1991 में अधिग्रहित भूमि का किसी को हस्तांतरण नहीं किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए विवादास्पद ढांचा पूर्णतः सुरक्षित है। यह भी कहा गया है कि पर्यटन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.11.1991 के आदेशों तथा उच्च न्यायालय के दिनांक 24.10.91 के आदेशों का पूरी तरह पालन किया गया है।

रामकथा पार्क परियोजना के संबंध में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूतपूर्व राज्य सरकार ने, वर्ष 1989 तक, 52.90 एकड़ भूमि का उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के लिए अधिग्रहण किया था। इस भूमि के बारे में न्यायालय में कोई विवाद नहीं है तथा भूमि के स्वामियों ने अधिग्रहण के एवज में मुआवजा प्राप्त किया है। भूतपूर्व सरकार ने पर्यटन का विकास करने के प्रयोजन हेतु एक राम कथा परियोजना तैयार की थी, परन्तु इसको कार्यान्वित नहीं किया जा सका। राम जन्म न्यास नई दिल्ली ने पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा था कि वह इस परियोजना का अपने संसाधनों से कार्यान्वयन करेगा। तदनुसार वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद पर्यटन विभाग ने राम जन्म न्यास को परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 42.09 एकड़ भूमि पट्टे पर दी।

केन्द्रीय सरकार का यह स्पष्ट मत है कि राज्य सरकार सहित सभी संबंधित पार्टियों द्वारा न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, जिसका इस विवाद से संबंधित मौजूदा साम्प्रदायिक भावनाओं अथवा संवेदनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़े तथा जिससे इस विवाद को हल करने में और कठिनाई हो जाए। केन्द्रीय सरकार यह महसूस करती है कि इस मुद्दे का आपसी बातचीत से हल निकालने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए जिससे दोनों संबंधित समुदायों की भावनाओं का पूर्ण आदर हो। यदि ऐसा हल नहीं निकल सकता है तो न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाए और उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाए।

मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे राम जन्म भूमि बाबरी-मस्जिद विवाद की जटिलता तथा संवेदनशीलता को ध्यान में रखें। हम जो कुछ भी कहते है अथवा करते हैं, उसमें हमें उत्तेजनात्मक बातें नहीं कहनी चाहिए, जिनसे समस्या और बिगड़ जाए। दूसरी ओर, इस मामले पर विचार विमर्श करते समय, हमें शान्ति और संयम बरतना चाहिए ताकि समस्या का स्वीकार्य हल निकाला जा सके।

5.40 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम बजट पर फिर चर्चा शुरू करते हैं। श्री भोगेन्द्र झा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय आज हमने दो बातें उठायी हैं, परन्तु मंत्री महोदय ने उनका उत्तर नहीं दिया है। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार भूमि योजना को सामान्य रूप से क्यों नहीं बता रही है और दूसरे क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार को दीवार का निर्माण करने के लिए कोई निर्देश दिया है, जैसाकि श्री आडवाणी द्वारा बताया गया है। (व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी) : महोदय, यहां एक आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार की एक समिति की सिफारिश के अनुसार एक दीवार बनायी गयी है। क्या यह सही है या नहीं ? (व्यवधान)

श्री एस. बी. चव्हाण। महोदय इस मुद्दे के बारे में जिसे माननीय सदस्य ने उठाया है और मुझे बताया गया है कि विपक्ष के नेता ने भी यही बात उठायी है कि कम्पाउण्ड दीवार केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार बनायी जा रही है। क्या मैं सही हूं; (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सलाहकार समिति ।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विशेषज्ञ समिति। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : (गांधी नगर) महोदय, गृह मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति यह पता लगाने के लिए भेजी गयी थी कि किस प्रकार का संरक्षण दिया जाना चाहिए और इसने यह सिफारिश की कि एक दीवार बनाने की योजना तैयार की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दीवार बनाने की योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गयी है ; इतना ही नहीं। दिसम्बर, 1991 में इस गृह मंत्रालय ने फिर उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि आप दीवार क्यों नहीं बना रहे हैं। और फरवरी 1992 को गृह मन्त्रालय ने उन्हें लिखा कि आप दीवार क्यों बना रहे हैं। यह फर्क 26 दिसम्बर, 1991 को गृह मन्त्रालय में संयुक्त सचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार को दीवार बनाने की आवश्यकता की याद दिलाते हुए लिखा और कहा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है ? और फरवरी, 1992 में गृह मन्त्रालय ने लिखा कि मुझे समाचार पत्रों से पता चला है कि एक दीवार बनायी जा रही है। वह क्यों बनायी जा रही है ?

श्री एस. बी. चव्हाण : यदि आप मेरी बात समझने की कोशिश करें तो वास्तव में जो मैं कह रहा हूं वह इसका स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है। बात यह है आसूचना ब्यूरो के अधिकारी

अयोध्या गये थे। जिन स्थानों पर रुकावटें लगायी गयी हैं वे बेकार हो गयी हैं और जब बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे होते हैं तो वे अन्दर जाने की कोशिश करते हैं। अतः उसके स्थान पर एक दीवार बनाने की जरूरत है।

[हिन्दी]

आप और मेरे पास जो रिपोर्ट है, उसमें इतना फर्क है कि आप उसके मुताबिक जो कह रहे हैं, वह सच नहीं है। मेरा कहना यह है कि पूरी जमीन डिस्प्यूटेड है, उसके बाजू में कम्पाउंड वाल बनाया है और यह पूरी वाल और वह दीवार एक खास आर्किटेक्चर द्वारा बनायी जाती है तो लोगों के दिल में यह शक पैदा हुई कि जो आगे जाने वाला प्लान है, उसका यह हिस्सा है...

श्री प्रदय लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : हिस्सा तो है ही, अन्दर बनेगा ही ..

श्री एस. सी. जम्हार : मगर हमने जिन लोगों को एक्सपर्ट्स मुकर्रर किया है, उन लोगों ने यह कहा होता तो मुझे दूसरा लेटर लिखने की जरूरत नहीं है मैं जब लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि आप जो कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स ने जो कहा है, दोनों में फर्क हो सकता है, आपको नहीं करना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरा कहना यह नहीं है कि क्या आपने यह नहीं लिखा था, कि उ. प्र. सरकार ने दीवार नहीं बनायी होगी। मैंने कहा था कि उन्होंने इसको स्वयं बनाया होगा और यदि उन्होंने ऐसा किया होगा, तो उन्होंने यह सुन्दरतापूर्वक और पावनता पूर्वक किया होगा।

[हिन्दी]

लेकिन यह बात भी सही है कि दिसम्बर एंड में यू. पी. सरकार की ओर से कहा गया कि दीवार क्यों नहीं बनी ?

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी अपना ही अपहरण कर रहे हैं। उन्होंने जो बात उठायी थी वह यह थी कि उ. प्र. सरकार विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का अनुपालन कर रही है और अब वे अपने शब्द वापस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि दीवार बनाई जा रही है वह विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार नहीं है। यह फर्क है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : विवादित भूमि पर दीवार बनाने की बात सरकार को कब पता चली ? दीवार कब बनायी गयी ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गृह मंत्री इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि दीवार विवादित भूमि पर नहीं बनायी गयी है। वह उस चीजों को घेरते हुए बनायी गयी है।

श्री एस· बी चव्हाण : मैं समझता हूं कि तथ्यात्मक कारणों से विचारों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए । जहां तक परिसर की दीवार का सवाल है कम से कम मेरी सूचना यह है कि तीन ओर उन्होंने दीवार बनाई है ।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दीवार का निर्माण विवादित भूमि को घेरते हुए किया गया है या नहीं और यदि इसका निर्माण किया गया है या किया जा रहा है तो सरकार ने दीवार के निर्माण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ।

श्री एस. बी. चव्हाण : यह ऐसा विवाद है जो या तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़ा है और क्या इससे न्यायालय के आदेशों का उलंघन हुआ है, ऐसा मामला है जिसे न्यायालय में ही उठायी जायेगी । मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता हूं ।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि चव्हाण साहब ने कम से कम एक ऐसी बात को स्पष्ट कर दिया है जिसे लेकर सुबह काफी हंगामा हो गया था । मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ था । परन्तु आडवाणी जी यह बात स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि दीवार का निर्माण विशेषज्ञ समिति की सलाह पर किया गया है । परन्तु गृह मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जो दूसरी बात बताई है वह यह है कि यह भूमि पर्यटन विभाग द्वारा वि. हि. प. न्यास या राम मन्दिर ट्रस्ट को दे दी गयी है । इस भूमि के हस्तान्तरण के मामले पर भारत सरकार की क्या राय है ? मुझे नहीं पता कि यह वैधानिक है या अवैधानिक । वैधता ही एकमात्र प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या इससे इस क्षेत्र में तनाव फैलेगा और अल्पसंख्यकों के मन में डर पैदा होगा ।

श्री एस. बी. चव्हाण : मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं । वहां दो प्रकार की भूमि हैं । एक 2.73 एकड़ भूमि है जो राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद क्षेत्र से लगी हुई है । उस क्षेत्र से लगी हुई दूसरी भूमि वह है जो अधिगृहीत की गयी है जो 60 एकड़ है । इसमें से 42 एकड़ भूमि इस न्यास को स्थानान्तरित कर दी गयी है । प्रश्न यह है कि क्या यह वांछनीय है या नहीं मेरी राय यह है कि यह बिल्कुल ही वांछनीय नहीं है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : अध्यक्ष जी, पोजीशन यह है कि वह जो डिस्प्यूटेड लैण्ड थी जिसको अक्वायर किया गया, उसके चारों तरफ जिन लोगों ने उसको जाकर देखा है, बड़े-बड़े बाम्बे वायर्स लगाकर उसको एक जेल की शक्ल दे दी गई है । उसमें से गुजरने के लिए लोगों की चेकिंग की जाती है । चारों तरफ से बड़े-बड़े बाम्बे वायर्स लगाकर ऐसा मालूम होता था कि यह कोई मन्दिर नहीं है, यह कोई जेल खाना है । वहां जाकर देख लीजिए । वहां जाकर चारों तरफ देख लीजिए, यह जो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसमें लोग पूजा करने के लिए जाते थे, उनकी फ्रिस्किंग की जाती थी, उनकी तलाशी की जाती थी । (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी (कटक) : ये कौन हैं ? अयोध्या के ट्रस्टी हैं क्या ?

श्री श्रीश चन्द्र दीक्षित : मैं जो वहां देकर आया हूं, वह आपको बता रहा हूं ।...(व्यवधान)

...मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह हाउस के इनफॉरमेशन के लिए है। उसकी वजह से वहां पर पूजा करने वाले जाने वाले लोगों को क्षोभ होता था जो बार्ब्ड वायर्स बनी हुई थीं और यह तय हुआ, जैसे आडवाणी जी ने कहा कि इन बार्ब्ड वायर्स को हटाकर अगर उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो एक दीवार बना दी जाए। अब उसको हटाकर दीवार बनाई जा रही है। आप हमें भारतवर्ष का कोई ऐसा मंदिर बता दें जिस मन्दिर के चारों तरफ बार्ब्ड वायर्स लगी हों। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। अगर बार्ब्ड वायर्स को हटाकर मन्दिर के चारों तरफ उसकी प्रोटेक्शन के लिए, अगर दीवार बना दी गई है तो यह कौन सा जुर्म है ? मैं एक बात और कहूंगा।

हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि एक...(व्यवधान)...मैं एक वाक्य में खत्म कर रहा हूं। जो दूसरी जमीन की बात की जाती है, वह जमीन सन् 1985 से लेकर 1989 तक अक्वायर की गई और उसको एक प्लांड वे से अक्वायर करने की बात थी जिस को आप वहां के उस समय का तिवारी प्लान कह सकते हैं। या वीरबहादुर प्लान कह कह सकते हैं, कोई प्लान कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसको अक्वायर करके छोड़ दिया कि हम यहां पर राम कथा पार्क बनाएंगे, लेकिन किसी प्रकार से उसको डेवलप नहीं किया। अगर कोई संस्था आती है और यह कॉमटियर करती है कि जो आपका प्लान है, जिस तरह से आप डेवलप करना चाहते थे, अगर उसी तरह से हम अपने खर्चे से डेवलप करने को तैयार हैं, अगर यह हमको दे दिया जाए तो इससे कौन सा जुर्म हो गया ?...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : एक एक करके सवाल पूछिए। मैंने जेना जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, गृह मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में राष्ट्रीय एकता परिषद के प्रस्ताव के बारे में बताया है जिसके माध्यम से सारे देश को यह आश्वासन दिया गया है कि अयोध्या में विवादित भूमि पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जायेगा जिनसे तनाव पैदा हो। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार वहां पर यथास्थिति बनाये रखी जायेगी। यह आश्वासन राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में दिया गया था और राष्ट्रीय एकता परिषद का यह संकल्प सारे देश को दिया गया।

अब हम दो बातें उठा रहे हैं। एक अयोध्या के भूखण्ड की योजना के बारे में है। उ. प्र. सरकार द्वारा जो भी स्वीकृत दी गयी वह भूखण्ड योजना आज तक उ. प्र. सरकार का एक गोपनीय मामला है। भूखण्ड योजना का क्या हुआ ? क्या भूखण्ड योजना के अनुसार कार्य हो रहा है ? वह भूखण्ड योजना क्या है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मन्त्री महोदय के पास भूखण्ड योजना के बारे में कोई जानकारी है या नहीं।

दूसरे, दीवार के निर्माण के बारे में उन्होंने कहा है कि यह वांछनीय नहीं है और यह होना नहीं चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार दीवार के निर्माण के कार्य को रोकने के बारे में सोच रही है। चाहे कोई भी यह काम क्यों न कर रहा हो। क्या वे उसे रोकने जा रहे हैं या नहीं ?

तीसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री महोदय यह जानते हैं कि कौन सी भूमि का हस्तान्तरण वि. हि. प. को किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वि. हि. प. के संविधान में यह विशेष हिस्सा है या नहीं। उनका उद्देश्य मस्जिद को तोड़कर मन्दिर का निर्माण करना है। मैं जानना चाहता हूं कि यह बात उनके संविधान में मौजूद है या नहीं। यदि उद्देश्य में यह बात है तो उ. प्र. सरकार इस प्रकार के संगठन को भूमि का हस्तान्तरण कैसे कर सकती है। भारत सरकार इस मामले पर चुप क्यों है ? मेरा मुद्दा यह है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): स्टे आर्डर जो हाई कोर्ट ने दिया, उसमें साफ यह कहा गया है कि इस जमान का किसी दूसरे को मतालिक नहीं किया जा सकता और अब आपने

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : कहां कहा गया है, कौन सी जमीन दूसरे को दी गयी है। यदि आप पढ़कर आये तो आपको पता हो। आप पहले पता करके आइये। ...(व्यवधान)

श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : दूसरी बात, जिस जमीन के ऊपर दीवार बनायी जा रही है, वह वक्फ बोर्ड की लैंड है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट के अन्दर कन्टम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त दी गयी है, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त पेश की गयी, उसका जवाब आपके एडवोकेट नहीं दे सके। अब 27 तारीख की पेशी रखी गयी है। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब यह बताएं कि आखिर, ये जो तमाम हाई कोर्ट के आदेशों की खिलाफवर्जियां की गयी हैं सेन्ट्रल गवर्नमैंट इसके ताल्लुक से क्या कर रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोभनाल चटर्जी (बोलपुर): हमने माननीय गृह मन्त्री का वक्तव्य सुना है। यह जाहिर है कि उनका वक्तव्य राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर आधारित है। पर हमारे पास इसका एक और संस्करण मौजूद है। मैं समझता हूं कि श्री आशा चन्द्र दासगुप्त यहां विश्व हिन्दू परिषद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं इस बारे में ठीक से नहीं जानता हूं। यदि मैं गलत हूं तो मुझे सही सूचना दें। इसके भिन्न भिन्न बयान आये हैं। माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि दीवार के स्थान से ही बाबरी भ्रम पैदा होता है। यह विवादित स्थल से सटा है या उसी पर है, इसका फैसला उसके सही निर्माण स्थल योजना के प्राप्त होने के बाद किया जा सकता है। यहां स्थानीय निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया है।

यही कारण है कि मैंने यह सुझाव दिया है कि वहां एक संसदीय शिष्टमण्डल को जाना चाहिए। और माननीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से यह पता करें कि क्या संसदीय शिष्टमंडल को वहां जाने की अनुमति मिलेगी क्योंकि उन लोगों ने धमकी दी है कि वहां किसी को नहीं जाने दिया जायेगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसका प्रस्ताव किया है और क्या आप इसको पहले ही पता लगा चुके हैं ?

क्या केन्द्र सरकार ने उस स्थल के बारे में पर्यटन विभाग के प्रस्तावों का पता किया है ?

वे वहां स्थित नमी डांचों को क्यों गिरा रहे है ? आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है ? क्या ऐसा मन्दिर निर्माण की भूमि को तैयार करने के लिए किया जा रहा है जिसमें विवादित भूमि और उससे लगी हुई जमीन भी शामिल है ?

वहां हो रही घटनाओं की वजह से वहां के लोगों के मन की शंकाओं और संदेहों को दूर करने के लिए इन तथ्यों का पता चलना चाहिए।

अत: मैं केन्द्र सरकार माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इन तथ्यों का पता लगाएं तथा सभा को विश्वास में लेते हुए और राज्य सरकार के साथ मशविरा करके यह पहल करें ताकि वहां एक सर्वदलीय संसदीय शिष्टमण्डल को भेजा जा सके जिसका चुनाव किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री जोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं केवल एक स्पष्टीकरण के लिए खड़ा हुआ हूं और जो बात नहीं आयी है वही कहूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सबके लिए बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि आप के सारे मुद्दे दूसरे सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों में शामिल हो गये हैं। अब मन्त्री महोदय को जवाब देने दें।

6.00 अ. प.

श्री एस. बी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, स्थापना स्थल के बारे में क्या सरकार ने अपनी योजना प्रस्तुत की है, मुझे यहां न सिर्फ निर्माण स्थल योजना के बारे में ही बल्कि जमीन के अधिग्रहण के बारे में भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहिए और विपक्ष के नेता को भी यह जानने में रुचि होगी सरकार को अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ी। जमीन के अधिग्रहण के मामले में तो यह सामान्य प्रथा है कि मालिकों के नामों को, जमीन की चौहद्दी को और संबन्धित सर्वेक्षण संख्याओं को साफ-साफ बताया जाये। बड़ी दिक्कत के साथ मुझे आसूचना अधिकारियों को भेज कर निर्माण स्थल योजना को प्राप्त करना पड़ता है और यह मालूम करना पड़ता है कि वे किस जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं यह बड़ी दुखद स्थिति है यह सही है कि हम किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। परन्तु यदि वे जानकारी न दें और हमें इसके लिए कोशिश करनी पड़े तो वह निश्चय ही विचारणीय है। (व्यवधान)

श्री ई. अहमद मलेरी : विध्वंस अभियान अभी भी चल रहा है। इसकी क्या प्रतिक्रिया है। कृपया आप उन्हें तो विदेश नहीं है। ... (व्यवधान)...

श्री एस. बी. चव्हाण : एक मिनट रुकें। मुझे स्पष्ट करने दें। मैं आपको सारे कागजात दिखाने को तैयार हूं। इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है। यदि उन्होंने जानकारी दी होती तो मैं इस झमेले में क्यूं पड़ता ? सच तो यह है कि मैं राज्य सरकार के साथ किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं।

राष्ट्रीय एकता परिषद के संकल्प के संबंध में भी एक मुद्दा उठाया गया था और यह पूछा गया था कि क्या इसका उल्लंघन हुआ है ? वास्तव में राष्ट्रीय एकता परिषद का एक संकल्प तो यही था कि यहां राष्ट्रीय एकता परिषद की एक स्थायी समिति को अयोध्या जाना चाहिए । मैंने सबंनों पत्र लिखे हैं और मुझे एक का भी जवाब नहीं मिला है । (व्यवधान) यही कारण है कि न चाहते हुए भी मुझे यह कहना पड रहा है कि न सिर्फ राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति ही नहीं वरन यदि सभा के भी कुल माननीय सपस्य जाना चाहें तो हम शिष्टमंडल भी भेज देंगे । भा. ज. पा सहित सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें वे (भाजपाई) भी इसमें शामिल हो सकते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रेम धूमाल (तुमीरपुर) । आप हमें इसमें से नहीं निकाल सकते हैं ।

श्री राम कापसे (ठाणे) : हम भी इसमें आना चाहेंगे ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : ऐसा करके आप हमारे ऊपर कौन सा अहसान कर रहें हैं । हम भी तो यहां है, हमें तो आपको शामिल करना ही पड़ेगा । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस बी चव्हाण : राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों में आप भी सह भागी हैं । इसमें कोई विवाद नहीं है । इस संकल्प को सर्वानुमति से पारित किया गया था ? जब सर्व सम्मति से इस संकल्प को पारित किया गया था तो फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा की गयी ? क्या उत्तर प्रदेश को ऐसी जगह समझा जाये जहां हममें से कोई नहीं जा सकता है ? इस पूरे प्रकरण का राज क्या है ? अयोध्या में तो सिर्फ इस शिष्ट मंडल को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जाने के उच्छुक किसी भी व्यक्ति को जाने का हक होना चाहिए । उन्हें कोई भी नहीं रोक सरता है । यह बहुत ही गलत रवैया है । (व्यवधान)...मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि इससे तो यही चाहिए होता है कि आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ।

महोदय मैं एक और मुद्दा उठा कर अपनी बात पूरी करूंगा । वह इस बारे में है कि मंदिर को ढाहने के पीछे क्या मंशा है । सच तो यह है कि अधिग्रहण के पहले भी मुख्य मंत्री ने मुझे से खुद कहा था कि वे इसका अधिग्रहण नहीं करेंगे । परन्तु, दो दिन के भीतर इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई । अब क्या यह मंदिरों को गिराना बिल्कुल ही आवश्यक है ? आप यह क्यों सोचते है कि हिन्दूओं का प्रति निधित्व करना आपका एकाधिकार है ? आप यह कहने वाले कौन होते है कि आपको एकधिकार है ? आपको यह एकाधिकार नहीं है । आप मन्दिर को ढहा नहीं सकते हैं... मुझे अपनी पूरी बात कहने दें । मैं अब केवल दो वाक्य और कहूंगा ...(व्यवधान)...उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिये हैं (व्यवधान) कृपया इसे समझने की कोशिश करें । आप हल्ला कर के मुझे चुप नहीं कर सकते है । उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसे किसी को दिया नहीं जा सकता है जब न्यायालय ने ऐसा कहा है और जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया भी न्यायालय के अंतिम आदेश के

जरूरत है, तब भी क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार यह पहले से समझे बैठी है कि फैसले से सिर्फ भाजपा या उत्तर प्रदेश सरकार की ही जीत होगी। मैं भा.ज.पा. नहीं कहूंगा यह उनके खिलाफ भी हो सकता है। यदि यह उनके खिलाफ होता है तो वे फिर से मन्दिरों को कैसे बनायेंगे? कृपया इसे समझने की कोशिश करें। आप मन्दिरों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि आपको अधिकार नहीं है। मैं नहीं समझता कि आप इस मामले में हार कबूल करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह एक गम्भीर मामला है कि मन्दिरों को नष्ट किया जा रहा है। (व्यवधान) गृह मन्त्री जी के वक्तव्य ने इस मामले की गम्भीरता को स्पष्ट किया है, यह एक राष्ट्रीय मामला बन गया है। यह सामान्त बात नहीं है। गृह मन्त्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार मन्दिरों के विध्वंस में सहायक है। यह एक अन्य विस्फोटक राष्ट्रीय मामला बन रहा है। स्वतन्त्र भारत में जहां हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं तथा सब धर्मों को बराबर समझा जाता है। यह एक साधारण बात नहीं है। अब प्रत्येक व्यक्ति की, धार्मिक मन्दिरों तथा वैयक्तिक सम्पत्ति और हर चीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है उत्तर प्रदेश सरकार मन्दिरों के विध्वंस में सहायक बनी है तथा अधिगृहीत की गई भूमि एक संगठन को सौंप दी गई है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को संक्षेप में भी कह सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : जिसने इस देश में साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया है। उस संगठन को भूमि सौंपना एक सामान्य बात नहीं है। इससे यह देश नष्ट हो जाएगा तथा यहां गृह-युद्ध छिड़ जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गृह मंत्री जी यह महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नहीं अपितु अनेक अवांछित कार्य किए गए हैं, क्या वह बाबरी मस्जिद और जन्म-जन्म भूमि की विवादास्पद भूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे।

गृह मन्त्री श्री एस. बी. चव्हाण : यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और हम वहां हो रहे कार्यों को पूर्ण जानकारी रखते हैं और यदि ऐसी स्थिति आएगी तो निश्चित ही भारत सरकार को उस भूमि को अपने अधिकार में लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ... (व्यवधान) अब 6.15 बजे हैं। मुझे दूसरे सदन में भी उत्तर देना है। यही मेरी आलोचना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी कठिनाई समझ सकता हूं। अब हम प्रश्न नहीं पूछते चलिये हम आपसे उत्तर प्राप्त करें और उत्तरों की आलोचना करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, यह विषय परसों जब यहां सदन में उठा था आज प्रातः काल उठा तब गृह मन्त्री जी यहां नहीं थे। गृह मंत्री जी कल और परसों दोनों दिन राज्य

सभा में थे और इसीलिये इस विषय पर उनके विचार हम को अखबारों से ही ज्ञात हुए या राज्य सभा की प्रोसिडिंग्स के रिकार्डस से ही ज्ञात हुए। परसों पहले बार धारा 356 का प्रयोग करने की उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि सरकार के पास काफी गम्भीर तथ्य हैं अन्यथा कोई भी जबाबदार गृह मंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। आज जब यह बयान उन्होंने इस सदन में दिया और हम सदन में दिया तो मैं इस पूरे बयान में जो कि चार पेज का है और बहुत लम्बा-चौड़ा है, मैं खोजता रहा कि इसमें कोई ऐसी झलक मिले जिससे पता लगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस प्रकार से जो वचन उन्होंने नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल में दिए या जो वचन उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिये या हम लोगों ने यहां दिये उनका उल्लंघन कहां हुआ, मुझे नहीं दिखायी दिया। उससे एक प्रकार से मेरे मन में संतोष हुआ। मैंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को लेटर में कहा है कि मैंने बयान देखा है जो राज्य सभा में दिया गया है और मैं आपको कह सकता हूं कि आप भी आकर यहां उत्तर देते तो यही बयान देते। इसमें किसी भी प्रकार की न केवल उत्तर प्रदेश सरकार की क्योंकि परसों भी उन्होंने यह कहा कि वह बात टालते हैं, जवाब नहीं देते हैं, हम को यह नहीं कहते हैं लेकिन इसमें एक-एक पत्र का उत्तर उन्होंने कब दिया है, कैसे दिया है, कैसे दिया है, इसका भी उल्लेख है।

अभी उन्होंने एक और विषय दिया है जिस में कहा है कि नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल की स्टैंडिंग कमेटी बनी जाये तो उसके बारे में उन्होंने उनको लिखा है, जिस का उत्तर नहीं दिया, मैं इसकी भी जानकारी करूंगा कि उन्होंने क्यों उत्तर नहीं दिया, क्या मामला है लेकिन जहां तक परसों और कल में व आज में अगर कोई कमी होनी उत्तर प्रदेश सरकार में तो निश्चित रूप से इन चार पेजों में आ जाता। यह नहीं आई है। इसीलिए मुझे लगता है कि परसों के गृह मन्त्री और आज के गृह मन्त्री में जो अन्तर इस सदन को दिखायी दिया और उस सदन को दिखाई दिया, उसकी पूर्ति के लिए यह आखिरी भाषण दिया है। यह जो उत्तेजनात्मक भाषण है' उसमें मैं इतना ही कहूंगा कि आपने सारी संसद को आखिर सलाह दी है

[अनुवाद]

"मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की विवादस्पद भूमि तथा मामले संवेदनशील स्वरूप को ध्यान में रखें। जो भी कुछ हम कहते है, अथवा कहते हैं, अथवा करते हैं हमें निश्चय ही इसमें उन भावनात्मक लहर अथवा वक्तव्यों से बचना चाहिए जो समस्या को और अधिक गम्भीर बना दे सकते हों। दूसरी ओर हमें इस मामले पर चर्चा करते समय शान्ति और नियन्त्रण रखना चाहिए ताकि समस्या का स्वीकार्य समाधान खोजा जा सके।"

[हिन्दी]

आपने अपने आखिरी भाषण मे जो कहा है, कल प्रातःकाल उसको पढ़कर देख लीजिए।

[अनुवाद]

क्या वह नियंत्रित और शान्तिपूर्ण दृष्टिकोण और अनुरोध है ? जिस के आखिर में आते-

जाते कह देते हैं कि हम सरकार को बर्खास्त कर देंगे, उसमें संकोच नहीं करेंगे। आखिर, संविधान का उल्लंघन करने वाली कोई भी सरकार हो, वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे आपकी आन्ध्र की सरकार हो, चाहे हमारे मित्रों की पश्चिम बंगाल की सरकार हो, अगर संविधान का वह उल्लंघन करती है तो उसको बर्खास्त करने का आपको अधिकार है, लेकिन आप 4-5 पेज का बयान यहां पर दें, उसमें एक रत्ती भर भी जिस को आप कहें, उसमें आप उनकी किसी गलती का उल्लेख न करें, और उसके बाद जाते-जाते एक बात कह दें कि उन्होंने ऐसा किया और तनाव पैदा किया, क्या यह उचित है, गृह मंत्री के लिए ? यह उचित होगा, हमारे कुछ साथियों के लिए, यह उचित होगा...(व्यवधान)...हमारे किसी साथी के लिए, हमारे साथी भी कर सकते हैं लेकिन गृह मंत्री से मैं इस बात की अपेक्षा नहीं करता हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर कि अगर किसी भी न्यायालय की आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, संविधान का किसी धारा का उल्लंघन होता है, आप हमको बताइये, आप उत्तर प्रदेश की सरकार को बताइये लेकिन इस संसद का उपयोग किसी राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए बिना तथ्य के मत करिये।

श्री एस. बी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 356 की उपयोग जो होता है, वह स्पेरिंगली, होता है जहां गवर्नमैण्ट को ऐसा लगे कि इस चीज को करने के सिवा और कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया है, ऐसी हालत में जरूर किया जाता है। जो मेरा ओपिनियन है, मैं आज यहां पर नहीं बता पाऊंगा : यह जो डेलीगेशन जायेगा, वह डेलीगेशन आने आने के बाद मुझसे मिले और फिर उसके बाद अन्तिम निर्णय करने का मैं फैसला करूंगा।...

(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आज सभा की बैठक 6.00 बजे के बाद तक होगी, जब तक सभा में उपस्थित जो सभी सदस्य जो बोलना चाहे उन्हें बोलने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता मुझे संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है कि उन्होंने सदस्यों और संसद में कार्यरत अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था की व्यवस्था का है। यदि प्रेस के लोग भी उपस्थित होंगे, तो उन्हें भी रात्रि भोज उपलब्ध होगा।

अब श्री भोगेन्द्र झा बजट पर भाषण देंगे।

6.17 म. प.

सामान्य (बजट) १९९२-९३सामान्य चर्चा जारी
लेखानुदानों की मांगे (सामान्य) १९९२-९३ जारी
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) १९९१-९२ जारी

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, जो बजट हमारे वित्त मन्त्री ने पेश किया है, मैं

अपने दल की ओर से उस बजट की मुख्य दिशा, उस बजट के मुख्य आधार और उसके मुख्य बिन्दुओं का विरोध करता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री झा, कृपया अपना भाषण जारी रखें। मैं किसी और सदस्य को बुलाऊंगा क्योंकि वाद-विवाद के समय अन्य अनेक सदस्यों को भी बोलना है ऐसा नहीं है श्री झा। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, उसका मूल कारण क्या है, मैं नहीं चाहूंगा कि जिन तर्कों को मैंने सुना है, उनको मैं दोहराऊं। हमारे बहुत मित्र इस पर बोल गये है। मुख्य चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि बजट का जो दर्शन है, जिस दर्शन के तहत यह बजट तैयार हुआ है, पेश किया गया है, यह

6.18 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दर्शन, विकास का दर्शन बहुत ही खतरनाक है और देश की मौलिक नीति के खिलाफ है।

हमारे वित्त मंत्री ने भाषण ही में है कि इस देश में एक धनी तबके को बनाएंगे और उस धनी तबके से बजट के जरिए नहीं, बजट प्रस्तावों के जरिये नहीं, कर सम्बन्धी सुझावों के जरिये नहीं, यह कह रहे हैं कि वह ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे। यह ऐसी आशा कर रहे हैं तो सारे देश को, देश की अर्थव्यवस्था को करोड़पतियों के हाथ में छोड़कर और देश के मेहनतकशों को करोड़पतियों के हाथों में छोड़कर उनसे यह ट्रस्टी की अपील करते हैं मगर उनके लिए कोई कदम इनके बजट के सुझावों में नहीं है, इनके वित्त विधेयक में नहीं है। इतना ही नहीं है, वित्त मन्त्री के बजट भाषण में ही यह स्पष्ट है कि आम लोगों पर, गरीब लोगों पर, कमजोर तबके के लोगों पर बोझा पड़ेगा ही, इस बजट के चलते।

[अनुवाद]

कमजोर वर्गों के लोगों पर अत्यधिक सम्भव भार वे लक्ष्य क्या रखते हैं कि सीमा तक भार पड़।

[हिन्दी]

इसलिए बोझा बजट के जरिए देश की आम कमजोर जनता पर पड़ेगा, जिसको वे बढ़े हुए तक कम करने का कोशिश करेंगे। इनका लक्ष्य भी नहीं है कि बजट का बोझा कमजोर वर्गों पर नहीं पड़े या नहीं पड़ने देंगे। लक्ष्य में चाहे वे विफल हों, यह अलग बात है, लेकिन इनका लक्ष्य है कि अधिक बोझा नहीं पड़ने देंगे। यह इनका लक्ष्य है।

इतना ही नहीं, यहां देश का उत्पादित माल हमारा है और मंहगाई हमारे है क्या उत्पा-

एक यंत्र हमारे है, उनको भी ये बाहर से मंगाएंगे, निर्यात आयात करेंगे। इनके बजट का लक्षण क्या है—निर्यात बड़े पैमाने पर बढ़ाओ। क्यों ? क्योंकि विदेशी मुद्रा हासिल करेंगे। किस लिए आयात करने के लिए। आयात को बढ़ाओ, माल को निर्यात करने के लिए। निर्यात के लिए आयात और आयात के लिए निर्यात यानि आयात और निर्यात के चक्रव्यूह में हमारा यह बजट फंसा हुआ है। 85 करोड़ की आबादी वाले इस देश का क्या होगा, यह इनके आर्थिक दर्शन में भी नहीं है, केवल आयात-निर्यात का ही चक्र है। उपाध्यक्ष महोदय, आयात में इन्होंने लक्ष्य क्या रखा है—

[अनुवाद]

अनावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को निरुत्साहित किया जाएगा।

[हिन्दी]

मतलब आयात होगा ही, उपभोक्ता वस्तुओं का भी आयात होगा। मगर जो गैर जरूरी उपभोक्ता वस्तुयें हैं, उनका भी आयात होगा, लेकिन उसको उत्साहित नहीं करेंगे, बल्कि बन्द नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जब देश में वित्तीय संकट का राना हमारे वित्त मंत्री जी रोते हैं, तो कहते हैं कि पिछली सरकार ने किया। पिछली सरकार ने खराब नहीं किया, यह कहने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसमें रहा। लेकिन जब ये राना रोते हैं कि वित्तीय संकट है, गैर जरूरी उपभोक्ता सामान को भी ये रोकेंगे नहीं, उनके आयात को ये उत्साहित नहीं करेंगे। मगर उन्होंने आयात भी चालू रखा, तो यह किस तरह का आपका विदेशी मुद्रा का संकट है और किस तरह का यह आर्थिक संकट है कि गैर जरूरी उपभोक्ता सामान भी यहां मंगाएंगे। इसलिये मैं इनके भाषण से हंसा, उनके आर्थिक दर्शन और उनके उद्देश्य पर। इस बजट के लक्ष्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। जहां तक छंटनी की बात है, वित्त मंत्री जी ने बार-बार में कहा है, अखबारों में भी निकला है कि छंटनी नहीं होगी। इनके भाषण में क्या है ? इनके भाषण में है कि मजदूरों की छंटनी नहीं होगी। ये इतना ही कहते हैं मजदूरों पर अत्यधिक बोझ डालने का अनुमोदन नहीं दिया जाएगा। मजदूरों पर बोझ पड़ेगा, भारी बोझ पड़ेगा, लेकिन अत्यधिक बोझ नहीं पड़ेगा। मतलब बोझा भी पड़ेगा, हल्का बोझा पड़ेगा, लेकिन टूटने वाला बोझा नहीं पड़ेगा। यह इनका लक्षण है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं बातों का दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूरे बजट का जो उद्देश्य है, उसके संबंधों की बात मैं यहां कह रहा हूं, जो उद्देश्य है, जो दर्शन है, वह बहुत खतरनाक है। इसके जरिए हम यहां पर उपभोक्ता सामान को मंगायेंगे और एक तरफ कहते हैं कि विदेशी पूंजी के लिए भारत के दरवाजे खोल देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक घटना बहुत बाद की याद है। चौथी लोक सभा में यहां पर हमारे तत्कालीन वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने संसद में जा कर घोषणा किया था— भारत माता की बन विदेशी पूंजी के प्रवेश के लिए खुला एक विशाल जंगल। कितना अर्थपूर्ण कथन है···(व्यवधान) मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वे तत्कालीन वाणिज्य मंत्री थे। आज उस शब्द का नहीं, लेकिन हमारे वित्त मंत्री उन्हीं कार्यों को यहां दोहरा रहे हैं. उसका परिणाम क्या हुआ, उस समय भी विश्व बैंक के आदेश पर योजना को बंद कर दिया और एक नहीं चार वर्षों तक देश योजना विहीन रहा, हमारा देश योजना विहीन

वहां और इस योजना विहान काल में बेकारी और महंगाई बढ़ी तथा विकास का काम रुका और 57 फासदी हमारे रुपये का अवमायन हो गया। उस समय अमरीका का कर्जा हमारे ऊपर 3400 करोड़ था, वह बढ़कर 5300 करोड़ हो गया और तब जो संकट बढ़ा उस इतिहास को हम सभी जानते हैं और संकट इतना बढ़ा कि एक दिन की हड़ताल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने की, 19 सितम्बर, 1968 को, जिसमें 14 आदमी गोली से मारे गये, उनमें से शास्त्री भवन में एक चपरासी था, वे मारे गये, 25,000 गिरफ्तार हुये और 45,000 को नौकरी से निकाल दिया गया और तब यह संकट हुआ और उसमें हम लोगों ने सुझाव दिया कि किस योजना चालू हो, तब तत्कालीन वित्त मन्त्री ने कहा कि जब तक मैं वित्त मन्त्री हूं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तब तक नहीं होगा। फिर मैं नरम पड़ नहीं जा रहा हूं और ऐसी हालत में देश भर में बैंक कर्मचारी, आल इंडिया एम्पलाईज एसोसियेशन सड़कों पर आए तब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा और अगर इनके रहते नहीं होगा तो वित्त मंत्री बदला जाए, तब वित्त मन्त्री बदले गए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और तत्कालीन प्रधान मंत्री इन्दिरा जी कांग्रेस से निकाली गईं चूंकि कांग्रेस पार्टी को यह पसन्द नहीं था।

मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतिहास में यह गुजर चुका है, तब इस सदन में मैं भी था और हम लोगों की भी भूमिका उसमें थी। उस समय सरकार नहीं गिरी मगर कांग्रेस पार्टी से प्रधान मंत्री और उनके और लोग निकाल दिए गए। तो इसलिए अभी जो यह सरकार कर रही है विदेशी पूंजी के निवेश का मामला, जो हमारे माथे पर जिस तरह से आ रहा है उससे एक नया खतरा पैदा हो गया है हाईब्रिड कल्चरलिज्म का, दोगला पूंजीवाद का खतरा। मैं अपने कुछ मित्रों से सहमत नहीं हूं कि यह बजट लोगों के हित में होगा, यह उनके हित में होगा जो उत्पादक पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, जो देश में पैदा करना चाहते हैं उनके हित के खिलाफ होगा। जब फोर्ड रॉकफेलर और दुनिया के अरब-खरबपति सब भारत में आएंगे तो टाटा और बिड़ला, कितने हफ्ते को उनके लिए खुराक होंगे। इसलिए यह पूरा राष्ट्रीय पूंजीवाद सबका, जो उत्पादन करके अपना धन बढ़ाता है वह भी संकट में पड़ेगा, तब कौन बचेगा, दोगला पूंजीवाद। मैं दोगला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो देश के हित के खिलाफ केवल विदेशी हित पर देश का माल बेचेगा, तो यह देश हित के खिलाफ है, लोकहित के खिलाफ है और जो लक्ष्य वित्त मन्त्री ने रखा है वह हमारी परम्परा और हमारे भविष्य के भी खिलाफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, उसी में तर्क आता है, हम तकनीक का आयात करेंगे, मगर पूरे भाषण में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि वे तकनीक जो हमारे देश में उपलब्ध है उसका आयात हम नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम आयात के खिलाफ नहीं हैं, जो तकनीक हमारे यहां नहीं है उसका हम आयात करें, यह बात समझ में आ सकता है, जो सामान हमारे लिए पैदा करना अभी सम्भव न हो, अतिआवश्यक है तो उसके आयात के भी हम खिलाफ नहीं है, लेकिन यह आयात के लिए दरवाजे खोल रहे हैं और कब, जब हमारे यहां उत्पादन से वे मुकाबला करेंगे और बड़े शोक से हमारे वित्त मंत्री बोलते जा रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं, हम मुकाबले के लिए छोड़ देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास में बहुत मुकाबला हुआ है और एक साधु की कहानी है वे बाघ भी पालते थे बकरे भी पालते थे और उपदेश दे दिया, बाघ ने भी सुन लिया और बकरे ने भी सुन लिया और साधु ने समझा कि दोनों ने बात मान ली और कहा कि तुम मिल करके रहो और एक दूसरे पर

चोट करो। बाघ बकरों को खाता गया, मिलकर रहना गया और अंत में सभी बकरे साफ हो गए, मिलकर रहते हुए साफ हो गए, साधू के संरक्षण में साफ हो गए। तो वह मुकाबला आप किससे करवा रहे है। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : साधु भी साफ हो गया होगा।

श्री योगेन्द्र झा : साधू भी साफ होंगे, उपाय क्या है। मैंने पहले कहा कि योजना मन्त्री के, वे साफ हुये वह तो अंतिम परिणाम है, लेकिन मैं अभी साफ होना नहीं चाहता हूं, इनको सुधारना चाहता हूँ, अभी भी संभले, अभी भी बचें।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि हम अपनी स्वानीय तकनीक को बढ़ाने के लिये क्या करेंगे। क्या यह संभव नहीं है कि हमारे जो राजकीय क्षेत्र है या निजी क्षेत्र हैं, जो भी उत्पादन का काम करते है हरएक के लिये कानूनी शर्त दे दें कि हस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट का भी कार्य करेंगे। 10-15-20 प्रतिशत, जो भी जिसके लिये संभव हो, उतना हम अपनी टेक्नोलॉक का विकास करेंगे। यह नहीं कि हमारे देश में बुद्धि और अनुभव की कमी है। हर विश्वविद्यालय में और तकनीकी तथा विज्ञान महा विद्यालयों में यह आवश्यक किया जाये कि नई तकनीक का विकास करो, पैसा लेकर करो, नई चीजों को लेकर करो। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो भी पूंजी है बड़ी पूंजी है, जिसको हम चला सकते हैं, वह है 85 करोड़ मस्तक की पूंजी, 1 अरब 70 करोड़ हाथ है, हाथ भी एक पूंजी है जो बिना डीजल और बिजली के काम करती है, मस्तिष्क हैं जो उसको सहारा देते हैं, उसका उपयोग करो। उनकी बेकारी हल हो, इसके लिये नहीं कर रहा हूं, यह ठीक है कि उनको काम भी मिले, लेकिन वह मामूली बात है। असल बात यह है कि उनकी क्षमता, योग्यता, हुनर और अक्ल का देश के विकास के लिये उपयोग हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग हो और ऐसी हालत में हमारी छोटी, लेकिन माकूल तकनीक, अप्रोप्रिएट टेक्नालाजी, वह छोटी हो सकती है, लेकिन बड़े-बड़े अरब पतियों का मुकाबला कर सकती है, विदेशी तकनीक का मुकाबला कर सकती है। बड़ी तकनीक के मामले में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिक पिछड़े जरूर है, लेकिन बहुत पिछड़े नहीं है और अगर मौका दिया जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते है। आज ब्रेन-ड्रेन हो रहा है, तकनीक का पलायन हो रहा है, हमारे देश के वैज्ञानिक भाग रहे है और उनको अमरीका तथा दूसरे देश अपने यहां रखते है। एक पुराना नहीं, बहुतों के उदाहरण आपके यहां मोजूद हैं, उनका वे उपयोग करते हैं और हम उनसे शर्तों पर कर्जा ले रहे हैं। अपनी तकनीकि का विकास, माकूल तकनीकि का विकास इस लक्ष्य को पूरे बजट भाषण में कहीं नहीं रखा गया है। दुर्भाग्य से देश में हवा फैलाई जा रही है कि यह आधुनिक बजट है, नई तकनीक के मुताबिक बजट है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में डंकल प्रस्तावों की बात भी आती है। प्रस्ताव अभी कबूल नहीं हुआ है, मगर बजट के प्रस्तावों में, वित्त विधेयक में डंकल प्रस्ताव की बहुत सी बातें मान ली गई हैं, उन पर अमल शुरू हो गया है। कार्ला हिल्स ने भी कहा है कि भारत सरकार इसको लागू करती जा रही है। सदन में बजट स्वीकृत नहीं हुआ, उरुग्वे राउंड का समझौता अभी नहीं हुआ, बातें चलेंगी, मगर उसका अमल यहां शुरू हो गया है। मैं समझता हूं कि यह देश को और इस संसद को अंधेरे में रखने वाली बात है, जब वे इस पर अमल करते जा रहे है।

उपाध्यक्ष जी, कुछ चीजों को हम ले लें, व्यापार के मामले में सामान का व्यापार, सेवा संस्थाओं का व्यापार, पेटेन्ट का व्यापार और बहु-राष्ट्रीय व्यापार का मामला है, इन सभी के बारे में उनकी शर्तें हैं। पेटेन्ट के मामले में सदन में बातें हो चुकी हैं, मगर जहां हमारा अपना पेटेन्ट कानून है 1970 का, संयोग से मैं भी उस समय पांचवीं लोकसभा में था। प्रक्रिया के बारे में पेटेंटिंग किया। एक ही सामान अनेकों प्रक्रियाओं से पैदा हो सकता है। हमारे ऊपर शर्त है डंकल की कि नहीं उत्पादन पर, सामान पर जो प्रथम का नतीजा होगा उसी पर पेटेंटिंग होगा। इसका नतीजा होगा, जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने 400 से अधिक किस्मों के गेहूं की की इजाद की है, नये-नये किस्म के चावल की इजाद की है और चीजों का प्रयास कर रहे हैं, महत्ता देने से और कर सकते हैं, गेहूं की किस्मों में संसार में किसी देश से हम पीछे नहीं हैं, पेटेंटिंग हो जाएगी, प्रोडक्शन की प्रक्रिया ही नहीं जो हमारा वैज्ञानिक विकास का काम है, शोध का काम है वह बंद हो जाएगा। मानसिक गुलामी, वैज्ञानिक गुलामी के फंदे में हम पड़ जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ मित्र बोले थे, उनको बात मैं बाद में कहूंगा। डंकल प्रस्ताव की शर्तों में क्या है—कृषि को अनुदान नहीं दे सकते। कृषि में जो लागत है—खाद, बिजली, पानी और बीज है, उस पर आप अनुदान नहीं दे सकते। कौन सा देश कह रहा है? अमेरिका कह रहा है, जहां पर फसल को जलाने के लिए, खेत में फसल को जलाने के लिए सरकार अनुदान देती है, अमेरिका के अरबपति फार्मर, हजारों एकड़ के मालिकों के लिए ताकि बाजार सस्ता न हो जाए ज्यादा गेहूं के आने से। कम से कम जितनी लागत लगेगी उतना मालिक वसूल लेगा, इस लिए काटो न, फसल तैयार न करो, मेहनत न करो, खेत में ही जला दो। इसलिए वे जलाने के लिए फसल को अनुदान देना चाहिए, पैदा करने के लिए अनुदान नहीं देना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि भारत सरकार मानवाधिकार के सवाल को लाए। विश्व में अनाज के बिना लोग मर रहे हैं, खेतों में अनाज को जलाने का काम संसार में एक सरकार कर रही है, जो मानवता को चूल्हे भाड़ने का सवाल है, कुछ करोड़पतियों के मुनाफे के लिए। दूसरी तरफ हम अनुदान न दें इस प्रक्रिया को भी लागू करने का काम भारत सरकार ने पिछले बजट के समय से शुरू कर दिया है। जैसे उर्वरक पर अनुदान में कमी का मामला हुआ। संसद में बड़ी बहस के बाद वित्त मन्त्री तैयार हुए कि 5 एकड़ से कम जमीन वाले जो किसान हैं उनको 40 फीसदी अनुदान चालू रखेंगे। पांच एकड़ से ज्यादा वाले जो किसान हैं उनको सिर्फ 10 परसेन्ट ही अनुदान मिलेगा। बजट प्रस्ताव के बाद ये बातें आयीं। मगर जहां तक मुझे जानकारी है देश में शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां पर यह लागू हो रहा है। मैं वित्त मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि वे सदन को यह बतायें कि क्या अनुदान की रकम राज्य सरकारों को उन्होंने भेज दी है? अगर भेज दी है तो कितनी-कितनी भेजी है और वह अनुदान वास्तव में किसानों को मिल रहा है या नहीं? मगर इन्होंने नीति को धीरे-धीरे लागू करना शुरू कर दिया है। उसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका में हमारा कपड़ा खुलेआम नहीं जा सकता है हमारे लोग अमेरिका में खुलेआम नहीं जा सकते हैं। एक जमाने में जाते थे, इस सदी के शुरू में, लोग खुलेआम जाते थे। बहुत लोगों ने आजादी का संघर्ष वहीं से शुरू किया। कामा गाटा मारू भारत की आजादी के लिए लड़ने आए। लेकिन आज अमेरिका में हमारे आदमी मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए नहीं जा सकते हैं। उन पर रोक है। हमारा कपड़ा नहीं जा सकता है, उस पर रोक है। हमारे वित्त मन्त्री जी कहते हैं कि हम देश के फाटक खोल रहे हैं, जो भी विदेशी पूंजी आये, उसके लिए हम फाटक खोल रहे हैं। क्या यह बराबरी का

व्यापार है ? क्या यह बराबरी का रिश्ता है। राष्ट्र की बात को किनारे रखिए, मैं कहता हूं कितना अपमान जनक यह मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी डंकल प्रस्ताव में है कि आप किसानों से गल्ला खरीदने के लिए लाभकारी मूल्य का कदम भी नहीं उठा सकते हैं। आप अनाज के वितरण के लिए भी जो अब वितरण प्रणाली है उसमें सस्ती दर पर अनुदान नहीं दे सकते हैं।

अभी इन्होंने माना नहीं है और धीरे-धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं जो कि अमल में लाना शुरू कर दिया है और इंकार नहीं किया है। यह बजट उसका भयंकर सपना है। यह बजट अपने दर्शन, दृष्टिकोण और सुझावों में बहुत खतरनाक है। कुछ दिन पहले वित्त मन्त्री ने एक प्रश्न के जवाब में विदेशी बैंकों की तारीफ की थी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आसानी से नहीं हुआ। वित्त मन्त्री गये और बहुत से मन्त्री सरकार से निकले और प्रधान मन्त्री आसक दल से निकाली गई। देश में एक भूकम्प हुआ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। हमारे मित्र कह रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण सही हुआ या गलत हुआ है। चौथी लोक सभा में मैं था और हमारे मित्र वाजपेयी जी भी थे। यह कहा जाता था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण खत्म हो जायेगा। जमाखोरों लोगों का संगठन बना था कि पैसा वापिस दो। 36 करोड़ की पूंजी उन चौदह बैंकों में थी। आज कोई मुकाबला है कि कितनी पूंजी उनके पास है और कितनी सौ गुणा हो गई है। मैं उन इलाकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जहां 25 एकड़ वाले काश्तकारों को बैंक से कर्जा लेने का सपना था। सभी खामियों के बावजूद एक रिक्शा, तांगा, भैंस या किसी छोटे कारोबार या दुकान के लिए बैंक से कर्जा मिलता है। हमारे वित्त मन्त्री विदेशी बैंकों को यहां ला रहे हैं और बैंकों का भी विदेश से हवाला करना चाह रहे हैं। राष्ट्रीयकरण साफ करने के लिए क्या कर रहे हैं। यह कर रहे हैं कि देश के निजी बैंक, विदेशी बैंक और दोनों बैंक से मिले हुए बैंक से इनको आजादी रहेगी। बैंक से मुकाबला करने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं कि इतना कमजोर वर्ग को दो और कम सूद ऐसे लोगों से लो। वह बैंक किनको देगा। वह केवल चोर व्यापारियों को देगा और सूद वसूलेंगे इस लिए खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। वित्त राज्य मन्त्री यहां पर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज 25 तारीख है और 27 तारीख को देशभर के ग्रामीण बैंक के कर्मचारी सहताल पर जा रहे हैं। उनकी बातों को मानें या नहीं मानें लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में सरकार कदम नहीं बढ़ा रही है और इंकार करने की हिम्मत भी नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे मुद्रा-स्फीति का खतरा होगा। मैं अपनी ओर से सुझाव देता हूं कि बैंक के कर्मचारी मानें या नहीं मानें, राष्ट्रीय ट्रिब्युनल के फैसले के मुताबिक दे दें और जमा राशि में रख लें और बाजार को वह पैसा न दें। पैसा उन्हीं के पास रहे और कर्मचारियों को मिल जाये और मुद्रा स्फीति नहीं बढ़े। प्रायोरिटी सेक्टर को 44 फीसदी से घटाकर दस फीसदी पर लाने का सवाल है। यह कितना खतरनाक हो जाएगा। उसका हम और आप अन्दाज कर सकते हैं। सूद खोरी अभी भी सारे देश में है। कोई राज्य, कोई जिला, या कोई शहर या गांव नहीं है जहां पर गैर कानूनी सूदखोरी खुले आम न चलती हो। कानून अपनी जगह पर है और सूदखोरी गैरकानूनी चल रही है चाहे दिल्ली, कलकत्ता या त्रिवेन्द्रम हो या एक भी गांव या शहर नहीं है। केरल के एक आदमी बता रहे थे कि सुबह मछली बेचने वाली को सौ रुपया देता हूं और वह बेचकर आती है तो 150 रुपया लेता है। एक दिन में पचास फीसदी सूद तो उसकी साहूकारी और सालाना जोड़ लीजिए। उस दर पर हो या नहीं हो। मैंने कहा कि देश का कोई शहर या गांव बाकी नहीं है। विशाल जन-समुदाय को इन लुटेरे सूदखोरों के हवाले करने जा रहे हो। इतना ही नहीं, जो निजी क्षेत्र के बैंक अपना धाता

खोलेंगे उनको लाइसेन्स की जरूरत नहीं है। उसी इलाके पर हमने एक बैंक की शाखा खोलने का काम किया और उसी काम के लिए तस्करों के लिए, चोरों के लिए और सूदखोरों के लिए उन्होंने बैंक खोल दिया तो हमारे बैंक फैसे उनका मुकाबला कर पायेंगे। जो कमर्शियल बैंक और ग्रामीण क्षेत्र के बैंक में सूद की दरों का रेट है, उसका भी लक्ष्य है कि उसको बराबरी के रूप में लाया जाये। यहां राज्य मन्त्री बैठे हैं, बैंकों में जो गड़बड़ है मैं इनको 23 ऐसी रसीदों का पुलिन्दा दे रहा हूं ये सभी छाया प्रतियां हैं सच्चे आदेश की, 23 आदमियों का कर्जा माफ कर दिया जिनके जिम्मे एक भी पैसे का कर्ज नहीं था। मैं दे रहा हूं आप ले लीजिए।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : वह तो राज्य सरकार को भी देखना है। यह आपके ही समय में हुआ है।

श्री भोगेन्द्र झा : लेकिन रसीदें आपके समय की हैं। मैं चाहूंगा आप लें। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है। मेरे पास शुद्ध हरिजनों का आवेदन है इस आवेदन पर 21 आदमियों के हस्ताक्षर हैं उनको एक भी पैसा नहीं मिला और कागजों पर कर्जा दे दिया गया है, यह मधुबनी जिले में झंझारपुर में स्टेट बैंक की शाखा का मामला है। मैं आपकी अनुमति से दोनों चीजें यहीं इनको दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी जरूरत नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : ऐसे ही राजकीय क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र का मुकाबला है। जिस सरकार के मातहत हमारा राजकीय क्षेत्र चल रहा है उस सरकार का वित्त मन्त्री, उस सरकार के कई मन्त्री राजकीय क्षेत्र के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मैं चाहूंगा आपके जरिए कि वित्त मन्त्री सदन के सामने और देश के सामने हिसाब रखें कि देश में निजी क्षेत्र का कौन-सा कारखाना है, जो सिर्फ अपने पैसे से उद्योगपति उसको चला रहा है, एक ही बता दें। है कोई टाटा या बिड़ला जो अपने पैसे से चलाता हो। टाटा का हिस्सा टिस्को में भी है, बहुत पूंजी उत्पादक कारखाना है, लेकिन उसकी पूंजी इसमें तीन-चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। बिड़ला का हिन्दुस्तान मोटर्स कारखाना है, जो एम्बेसडर कार बनाता है उसकी भी इसमें ढाई प्रतिशत से ज्यादा पूंजी नहीं है। फिर बाद में ये बदनाम सरकार को करते हैं। जब हम स्वराज प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय गाते थे—खूसे बने हैं घोड़े, हमको काला बता रहे हैं।

हमी से पैसा वसूल करके हमीं को जालिम सता रहे हैं। हमारे पैसे से, जनता के पैसे से देश का एक-एक उद्योगपति अपना उद्योग चला रहा है। इसका हिसाब सदन को दें कि कितनों ने अपना दिवाला निकाला है? इस बात का भी हिसाब दें कि राजकीय क्षेत्र का घाटा कितना है और निजी क्षेत्र का कितना है? राजकीय उपक्रमों का जो पैसा है, बैंकों का या अन्य वित्तीय संस्थाओं का कितना पैसा उन लोगों ने दिवाला निकालकर मार दिया है। कितना बकाया है, यह भी बताएं? मंदिर का पुजारी अगर गोमांस का प्रचार करने लगे या मस्जिद का मौलवी सुअर मांस का प्रचार करने लगे तो क्या हालत होगी, बाहर करें वह अलग बात है। ऐसे ही आज के जो रक्षक हैं वे ऐसा प्रचार किये हुये हैं तो फिर रक्षा कौन करेगा। जहां के एक नेता ने समझा हम तीसमारखां है। इसलिए यह व्यवस्था, जो हमारे कुछ मित्र बोल है, मानव इतिहास में पहला मौका

आया था पहला अवसर मिला जहां हर व्यक्ति को थोड़ी अवधि में शिक्षित कर दिया गया, एक भी व्यक्ति बेकार नहीं रहा। 1946 से 1986 तक एक भी पैसा मुद्रास्फीति में नहीं बढ़ा, महंगाई नहीं बढ़ी। दवा व शिक्षा सौ फीसदी मुफ्त हुई। यह सबों के लिए बात हुई लेकिन कुछ को ज्यादा चाहिए। सबों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो लेकिन उस कुछ ने वहां जा कर दिया है, हमारे यहां वैसी उपलब्धियां है भी नहीं। जो भी कुछ है, उसका बंटाधार करने के लिए हमारे वित्त मन्त्री यह बजट पेश कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा.....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें। कल 6-00 बजे माननीय, वित्त मन्त्री जी उत्तर देंगे। अनेक अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं। उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा। अन्त में उन्हें दो-तीन मिनट का समय मिलता है। इससे आग्रह स्थिति उत्पन्न होती है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : इसलिए मैं अपने सुझाव के साथ बात समाप्त कर दूंगा। मैं समझता हूं कि राजकीय क्षेत्र को मजबूत करने का रास्ता निकालना चाहिए। मजदूर वर्ग पर भी यह जिम्मा है कि इस चुनौती को स्वीकार करें कि लाभप्रद रूप में मिल को चलायेंगे, अपने हित में, देश के हित में स्वार्थ और परमार्थ दोनों में। सरकार का कर्तव्य है कि यह कसाईखाना नहीं बने, श्मशान घाट नहीं बने। राजकीय क्षेत्रों में उनके इलाज का काम करें, सभी लोगों का सहयोग करें। सभी जो शुरू किया है, इन्होंने लाभप्रद क्षेत्रों में अपना हिस्सा बांटना शुरू किया है और वह भी खुले बाजार में। कई मित्रों ने यहां कहा है कि 1150 करोड़ रुपया मिला था, 250 करोड़ रुपया कुछ लोगों को दे दिया गया है। यह किस के हित में किया जा रहा है? करोड़ों रुपयों को लुटाकर कुछ को आप करोड़पति बना रहे हैं। यह सरकार इस काम को कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक उद्योग में एक यूनियन हो। गुप्त मतदान से यूनियन बनाइये और वह यूनियन जिम्मेदार रहे, उद्योग में मजदूरों को हिस्सा मिले और वह लाभप्रद तरीके से चले। सभी क्षेत्रों में इस बात को लागू किया जाए और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी हो, एक रेस्पांसिबिलिटी, एकाउंटेबिलिटी-दोनों हो, सफलता, विफलता के लिए। यह नहीं कि बदली होकर चले गये, खत्म हो गया, हमारा प्रमोशन होता चला गया। ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल्य वृद्धि का सवाल है, हमारे वित्त मन्त्री ने पहले तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का ठुकराया कि 100 दिनों में यह मुमकिन नहीं है। अभी वह कहते हैं कि 12 फीसदी थोक में महंगाई है लेकिन इस महंगाई के लिए छोटा सा इलाज हम भी चाहेंगे कि विरोध करें या खुलकर कहें। पिछले बजट के समय भी वित्त मन्त्री ने कहा था कि झा साहब के सुझाव पर विश्व बैंक काम कर रहा है। मेरा अभी भी आग्रह है सरकार से कि थोक व्यापारियों को गिरफ्तार कीजिये, तलाशी लीजिये और इतना और कर दीजिये कि निजी थोक व्यापारियों को बैंक से एक भी पैसा न दिया जाए, वे अपने पैसे से व्यापार करें, काला पैसा हो, उजला पैसा हो लेकिन अपने पैसे से करें। जो आपके राजकीय व्यापार निगम है, एफ. सी. आई. है, उससे लेकर अपनी जन-वितरण प्रणाली को पुष्ट करें। इसलिये, उपाध्यक्ष जी, जो खासकर कुछ सुझाव इसके आये हुये हैं, जो लाये हैं ग्रामीण विकास मद में .....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे डर है कि अन्त में कुछ माननीय सदस्य उल्लेखित हो जाएंगे। प्रत्येक सदस्य को अवसर प्रदान होना चाहिये। अन्य माननीय सदस्यों को भी वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र झा : मैं तीन मिनट मांग रहा हूं क्योंकि अपने दल की ओर से मैं पहला बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष जी, यह जो प्रोग्राम विकास मद में वित्त मन्त्री का भाषण है, इन्होने पैसे में कमी कर दी है। अब कैसे कर दी है? गांवों के विकास का क्या होगा? मैं सिर्फ गरीबों के लिये नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिये नही कह रहा हूं कि गरीबों को नुकसान होगा। वह तो होगा ही। मगर उनके पास पैसा नही होगा, उनका विकास नहीं होगा तब भारत की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी? आपके उद्योगों के लिए बाजार कहां मिलेंगे, लोग कैसे खरीदेंगे और तब हमारे वित्त मंत्री कहेंगे कि माल फाजिल हो गया। विदेश से मगाया परन्तु बिक नहीं रहा है। लोग भूखे मरेंगे, अनाज खरीद नही सकेंगे, नगे रहेंगे पर कपड़े खरीद नहीं सकेंगे। अभी भी है परन्तु इसमें और बढ़ती होगी। अभी यहां बड़ा आयात हो रहा है। यह महगाई का और मंदी का, इनफ्लेशन और स्टेगनेशन का, स्टेगफ्लेशन का ये आयात कर रहे हैं। अभी हालत यह है कि हमको खरीदने की सामर्थ्य नहीं है तो गरीब के साथ क्या हालत हो गई होगी। आज अमेरिका में जो मंदी है, पूंजीवादी जगत में जो मंदी है, उनकी मंदी हमारे माथे पर चली आएगी और जो भी बड़े कारखाने वाले हैं वे भी मंदी में फसेंगे क्योंकि माल नहीं बिकेगा। इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जो अन्याय करने जा रहे है उसे बदलिए। अगर खेती का उत्पादन बढ़ेगा, हमारे कारखाने के लिए अधिक कच्चा माल मिलेगा, अगर उनके घर मे पैसा होगा अनाज होगा तो हमारे कारखाने का तैयार माल वे खरीद सकेंगे। इस मामले में वित्त मन्त्री का दृष्टिकोण है—इन्होने एयर कंडीशंड होटल्स यह भी बम्बई के अन्दर, उनको करमुक्त कर दिया है। मुझे बोलते हुए खेद होता है। लेकिन इस भाषण मे इन्होंने तर्क दिया है कि बम्बई निगम के चुनाव में जो मतदाताओं ने किया है, उस खुशी में वहां के वातानुकूलित होटलों का यह करमुक्त कर रहे हैं। बम्बई के नागरिकों का यह अपमान है कि केवल वातानुकूलित होटल वालों के बल पर कांग्रेस जीती है और जहां कांग्रेस पार्टी जीती है वहीं करमुक्त किया है वातानुकूलित होटल को। यह कितना भयंकर बात है।

दूसरी तरफ सोमेंट और घड़ी वगैरह पर टैक्स बढ़ाते हैं जिनको आम लोग खरीदेंगे। मैं खत्म करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि जो महगाई, बेकारी बढ़ती जा रही है और इस बजट के चलते और बढ़ेगी, यह बरदाश्त करने की बात नही होगी। जो 1979 मे हुआ था, देश का श्रमजीवी, कलम से मेहनत करने वाला हो, फावड़े से मेहनत करने वाले हो, हंसिया से मेहनत करने वाले हो, हथोड़ो से मेहनत करने वाले हो, खेत या कारखाने में काम करने वाले हों, वे चुपचाप नहीं बैठेंगे, संघर्ष के मैदान मे आएंगे और अगर आएंगे तो वह धमाका इधर भी पड़ेगा और उधर भी पड़ेगा और तब मैं समझता हूं कि सरकार का जो उथल-पुथल होगा, आयात से काम नहीं चलेगा और फिर संघर्ष मे देश के श्रमजीवी आएंगे। हम सभी वामपंथी और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी जनवादी मित्र देश को संघर्षों में भी आगे रखने और फिर ऐसा हालत पैदा

करें कि इनका बजट और इनके विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हुक्म पर चलने का जो आधार है, उसको तोड़कर मैं निराश नहीं हूं, मगर भारत ने खतरे का मुकाबला किया है और इस बजट से आने वाले खतरे का मुकाबला करेगा, देश आगे बढ़ेगा और हम एक दल के रूप में अगली कतार में उनके साथ रहेंगे। यही कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देते हुए बैठता हूं।

(अनुवाद)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर सभी बोलने वाले सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि उन सदस्यों की स्थिति को ध्यान में रखें जिन्हें उनके बाद बोलना है।

ऐसे अनेक सदस्य हैं जिन्होंने अधिक समय लिया है। यह सभा अनेक दलों के कुछ नेताओं के भाषण सुनने का इच्छुक है और ऐसी स्थिति में उन्होंने अधिक समय लिया है। मेरा सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे शेष सदस्यों को भी अपनी शिकायतें करने तथा बजट के सम्बन्ध में कुछ बहुमूल्य सुझाव देने का अवसर प्रदान करें।

अब मैं श्री के. पी. सिंह देव को बोलने के लिये बुलाऊंगा।

श्री थाडमासिंह मुअनाम (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, सभी दलों को अवसर दिया गया है.....तो मेरी पार्टी को क्यों नहीं ?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम कांग्रेस पार्टी के दो तथा विपक्ष के एक सदस्य को बोलने की अनुमति देने की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। कई छोटे दलों में एक अथवा दो सदस्य शामिल हैं। उन्हें भी बोलने का अवसर दिया जाएगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आपको बोलने का अवसर मिला था और अन्य सदस्यों को अन्त में बोलने का अवसर मिला था। इस बार आपको यह बात ध्यान में रखनी है। इसका कोई और विकल्प नहीं है। आप तो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और आप इन कठिनाइयों को जानते भी हैं। मुझे स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। श्री के. पी. सिंह देव।

7.00 अप.

श्री के. पी. सिंह देव (बैरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चार वक्ताओं के बाद मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैंने माननीय श्री आर्जे फर्नांडीस, पूर्व प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेखर तथा भारतीय मार्क्सवादी दल के श्री यागेन्द्र झा द्वारा दिए गए भावपूर्ण भाषणों को बहुत ध्यान से सुना है। मैं चाहता हूं कि श्री चन्द्रशेखर और श्री आर्जे फर्नांडीस यहां उपस्थित रहें।

क्षण भर के लिए, वास्तव में मैं उनके प्रभावशाली भाषण तथा वाक्पटुता से अत्यधिक प्रभावित हुआ कुछ सम्मोहितों सा हो गया था। चूंकि वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण

दे रहे थे और वित्त मन्त्री डा. मनमोहन सिंह के बारे में यही कह रहे थे कि उन्होंने सम्पूर्ण देश को सम्मोहित कर दिया है, मैं भी श्री जार्ज फर्नांडीज के भाषण से क्षण भर के लिए प्रभावित हुआ था। वास्तव में श्री चन्द्रशेखर ने इसी बात को दोहराया था।

मुझे 1979 में श्री जार्ज फर्नांडीस द्वारा दिया गया भाषण याद है जब उन्होंने उद्योग मंत्री के रूप में श्री मोरार जी देसाई का सक्षमता पूर्ण ढंग से बचाव किया था और दूसरे दिन दूसरी पार्टी के नेता को दोषी ठहराया था जिसका नाम का मैं नहीं समझता कि श्री यादव इसका उल्लेख करना चाहेंगे। मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा।

7.02 म.प.

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं]

माननीय सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री महोदय को एक नवीन आर्थिक नीति का दस्तावेज संसद में प्रस्तुत करने के लिए और इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकारी की वित्तीय, व्यापारिक तथा औद्योगिक नीतियों में महत्वपूर्ण सुधार करने में बहुत सफलता प्राप्त की है।

वास्तव में वह साथियों की नीतियों से थोड़ा अलग हो गए हैं तथा उन्होंने काफी व्यावहारिक बजट रखा है जिसमें बहुत आर्थिक पुनर्गठन क्या बृहत आर्थिक सिद्धांत शामिल है। काफी लम्बे समय के बाद पहला बार हम ठोस आर्थिक तथा वास्तविकता पर आधारित नीतियों की ओर बढ़ रहे हैं, पुनः वित्तीय अनुशासन बहाल करना वित्त मन्त्री का काफी बड़ा उपलब्धि है। यदि कोई व्यक्ति बजट के कागजातों पर विश्वास करे, जिससे वित्त मंत्री के मित्र सहमत नहीं है, तो आप पायेंगे कि घाटा घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 6.5% हो गया है।...(व्यवधान) तथा पिछले वर्ष की गई पहल के कारण उम्मीद है कि इसे कम करके 5 प्रतिशत करेंगे, मैं समझता हूं कि श्री मनमोहन सिंह का यह पहला बजट है क्योंकि पिछला बजट किसी और का देन था जिस वे अपना होने का दावा नहीं कर सकते। परन्तु उसमें भी उन्होंने कुछ नए कदम उठाए थे।

जब भी हम बजट की बात करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध का साधन है तथा नीति सम्बन्धी पहल तथा उद्देश्यों का घोषणा पत्र भी यह सापेक्ष स्वरूप में होता है और उस स्वरूप में हमें इस 1992-93 के बजट को देखना है, इसे 1991-92 की अर्थव्यवस्था के पारप्रेक्ष्य में देखा जाना है, वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में देश की अर्थव्यवस्था, जैसा कि 1991 में थी, को बताया है कि जब उन्होंने वित्त मंत्रालय का दायित्व लिया तो गलत बजटीय प्रक्रिया, बढ़ते वित्तीय घाटे तथा खराब वित्तीय अनुशासन, विशेषकर 1990-91 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्वास की कमी हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय सामाज में भारत की स्थिति में गिरावट आई थी। 1991-92 का वर्ष विशेष रूप से कठिन था। वर्ष 1990 के प्रारम्भ से शुरू होने वाले संकट से अर्थव्यवस्था को अभी उबारना है, आयात में काफी कमी होने से औद्योगिक गतिविधि में गिरावट आई है तथा निर्यात कम हुआ है, अभी इस बात का पता लगाना है कि संकट कितना गहरा है, वास्तव में हममें से ज्यादातर अर्थशास्त्री नहीं हैं और वे अर्थशास्त्र के छात्र नहीं हैं या उस विषय को देख रहे हैं, महोदय, मैं काफी पिछड़ा राज्य, आपके राज्य से भी काफी पिछड़े

राज्य का हूं। मैं उड़ीसा के जंगल का हूं जिसकी अधिक जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या जनसंख्या का 42 प्रतिशत है, अतः हम इन शहरी और आर्थिक शब्दों को जिनका मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज उपयोग कर रहे हैं, नहीं जानते कि आंकड़ों का भंडार है। यदि विदेशी पत्रिकायें तथा समाचार प्राप्त होते हैं। मैं उनके साथ अभी तर्क नहीं करना चाहता।

वास्तव में, मई-जून 1991 में स्थिति यह थी कि इतिहास में पहली बार देश को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जब ऋण भुगतान के उसके अन्तर्राष्ट्रीय वायदे में चूक होने की की संभावना थी और ऐसी गलती का परिणाम काफी गंभीर होता। यदि हम उस स्थिति में होते और यदि हम असहायता की उस स्थिति से उबर नहीं पाते तो हमें पता चलता कि यह स्थिति कितनी गम्भीर थी। एक गलती हमें तीन अंकों की भांति मुद्रास्फीति में ले जाती जो भारत में एक अभूतपूर्व स्थिति होती। हमने कभी भी ऐसी स्थिति नहीं देखी। परिवहन प्रणाली जो आयातित तेल पर निर्भर करती है उसमें बाधा से तथा देश के विभिन्न भागों में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में कमी से कौन प्रभावित होता है ? गरीब व्यक्ति प्रभावित होते हैं जिनके लिए मेरे मित्र बढ़-चढ़कर बातें कर रहे थे।

इसी परिप्रेक्ष्य में वित्त मन्त्री ने इस बजट कागजातों को पारित करने के लिए प्रस्तुत किया है। डा. मनमोहन सिंह का बजट किस दर्शन पर आधारित है ? इसका दर्शन अर्थव्यवस्था को पुनः विकास के पथ पर वापस लाना है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके और हम वास्तव में आत्मनिर्भर हो सकें। इसका उद्देश्य क्या है ? इसका उद्देश्य मुद्रास्फिति पर तेजी से नियन्त्रण करना है। यह अर्थव्यवस्था के विकास को गतिमान बनाना चाहता है तथा आत्मनिर्भरता पर आधारित विकास के अनुरूप विदेशी भुगतान की निरन्तर व्यवस्था करना चाहता है। विश्व के संदर्भ में आत्म निर्भरता का अर्थ संभवतः विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से देश को अलग करना और आयात को कम करना नहीं है। हम तभी आत्म निर्भर हो सकते हैं यदि हम पर्याप्त रूप से निर्यात कर अपने आयात का भुगतान करें। वास्तव में बजट का उद्देश्य यही है। यह एक प्रतियोगी माहौल बनाना चाहता है और हमें निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए। इसका उद्देश्य वास्तविक आत्म निर्भरता हासिल करना है जहां हम सहायता अथवा ऋण के सहारे को त्याग सकें और इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था पर अफसरशाही के नियन्त्रण को कम करना है, जिसने लालफीताशाही को जन्म दिया, जिससे क्षमता कम होती है तथा भ्रष्टाचार बढ़ता है।

ये सभी बातें विश्व बैंक के निर्देश नहीं हैं। ये सभी बातें 1991 के कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में हैं, मुझे मई, 1991 के जारी कांग्रेस (इ) के चुनावी घोषणा पत्र की एक या दो पंक्तियों का उल्लेख करने की अनुमति दी जाए।

अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें कहा गया है।

एक सुदृढ़ व्यवस्था बहाल करने के लिए वित्तीय नीति को प्राथमिकता देनी होगी। बजटीय प्रणाली में अत्यधिक घाटे से गम्भीर वित्तीय असंतुलन पैदा हो गया है, इसमें सुधार करना होगा। बचत दर स्थिर हो गई है 152 विकासात्मक खर्च तथा उपभोग खर्च का एक भाग ऋण

संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। यह कि असाध्य स्थिति है इसे तत्काल सुधार की आवश्यकता है।"

डा. मनमोहन सिंह की ये ही कार्य करने हैं :

"कांग्रेस फालतू खर्चों में काफी कटौती करेगी, गैर विकासात्मक खर्च को युक्तिसंगत बनाएगी तथा सरकार के राजस्व आधार का गतिशील लाभोन्मुखी सरकारी क्षेत्र के माध्यम से विस्तार कर वित्तीय संतुलन की पुनर्स्थापित करेगी। घाटे की व्यवस्था करने योग्य सीमा तक सीमित रखा जाएगा।

कराधान के मामले में कांग्रेस का विचार करके बोझ को बढ़ाना नहीं है बल्कि कर संग्रह की कुशलता में सुधार कर तथा कर कानूनों को बेहतर ढंग से लागू कर राजस्व के वृद्धि करने का है, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार के करों के मामले में कांग्रेस एक स्थाई कर प्रणाली स्थापित करेगी। कांग्रेस कर संरचना को युक्तिसंगत बनाने तथा स्थिर बनाने के लिए कदम उठाएगी।

कांग्रेस ऐसे क्षेत्रों में जहां पर अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता है जैसे कि निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के आवास, राजमार्ग सड़क, तथा पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों, स्कूल भवनों तथा पेयजल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में उपयुक्त कर सम्बन्धी छूट देकर लाभ के पुनर्निवेश को बढ़ावा देगी।

कांग्रेस लघु बचत के लिए ब्याज की दरों में वृद्धि करेगी।

कांग्रेस गलत उपभोग पर रोक लगाने के लिए नीतियां तथा उपाय तैयार करेगी।

काले धन की बुराई को रोकने के लिए प्रभावी नीति तैयार की जाएगी तथा लागू की जाएगी।"

कांग्रेस सशक्त निर्यात संवर्धन, प्रभावकारी आयात प्रतिस्थापन एक समुचित विनिमय दर सम्बन्धी तंत्र की स्थापना करके तथा उत्पादकता एवं अर्थव्यवस्था की कुशलता बढ़ाकर वर्तमान विदेशी मुद्रा संकट की समस्या से निपटेगी।

कांग्रेस ने सर्वथा आत्म निर्भरता, आत्म समर्थन तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में किया है, अर्थव्यवस्था को आधुनिक और प्रतियोगी बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और विकास की गति तेज करने के लिए सभी उपलब्ध स्रोतों से संसाधन प्राप्त किये गए हैं और इनका उपयोग और विनिर्माण के लिए किया गया है। इस नीति ने अधिकतर देश को विश्व के अन्य भागों में आई मन्दी या मुद्रास्फीति के हानिकर प्रभावों से प्रतिरोधी शक्ति प्रदान की है।"

यह कांग्रेस सरकार का पिछला, 1952 से यही रिकार्ड रहा है। और हमारे माननीय मित्र हमें अपने तर्क और बुद्धिमत्ता से किये गये तथ्यों से इस बात का स्वगठित तथ्यों से यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। वास्तव में, इस पहले 1977 में दो बार और 1989 में एक बार अपने, अपनाये और आंशिक रूप से अशिक्षित भारतवासियों ने उन्हें दो बार

मौके दिये। वे बिखर गये। एक बार 27 महीनों में एक बार 11 महीनों में और एक बार साढ़े तीन महीनों में और वह भी इसी घोषणा पत्र के कारण जिसके लिए भारत के तथाकथित निरक्षर लोगों ने उनको जो जनादेश दिया था और वही वित्त मन्त्री महोदय ने करना चाहा है। लोगों ने उनको लिखा है, उसको कार्यान्वित करें और यही उन्होंने करने की कोशिश की। परन्तु सभापति महोदया, आपको पता है कि कितनी गर्मागर्मी हो गई है कि बजट को विश्व बैंक के अधिकारियों को दिखा दिया गया है, यह सी आई ए को दिखा दिया है या सभी ऐरे गैरे को दिखा दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और तीन दिन बाद जैसे ही वित्त मन्त्री महोदय ने राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर पत्र रखे, सब शांत हो गया और उनके बैग में क्या था और प्रैस में क्या था, इसके बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

कुछ समय पहले हमने यह भी सुना था कि कुछ पार्टियों को कथित रूप से के. जी. बी. से पैसा मिला है, हमारे एक माननीय मित्र ने कहा, 'हम समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। अतः बत्तख के लिए जो सांस है वह हंस के लिए सांस होनी चाहिए। दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जब यह माना जाता है कि डा. मनमोहन सिंह ने बजट के बारे में विश्व बैंक को बता दिया है—जैसा कि इण्डियन एक्सप्रेस में छपा था—तो हमें इण्डियन एक्सप्रेस में छपी इस बात पर भी विश्वास करना चाहिए कि किसी पार्टी द्वारा के जी बी से पैसा लिया गया है। अतः हमें तार्किक होना चाहिए, हमें उद्देश्यपरक होना चाहिए, हमें विषयपरक नहीं होना चाहिए, मेरी विपक्ष के माननीय सदस्यों से यही एकमात्र अपील है। अब, सभापति महोदया (व्यवधान) ऐसा ही चलने दीजिये, हमें भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित होने दीजिए। यदि आप चाहें कि मैं बैठ जाऊं, तो मैं बैठ जाऊंगा। (व्यवधान)

महोदया, जैसाकि मैंने कहा है, मैं बहुत ही अविकसित राज्य से आया हूं और यह उन सात पंचवर्षीय योजनाओं का परिणाम है, जो कि सोवियत यूनियन के नमूने पर तैयार की गई हैं। आज सोवियत यूनियन ऐसी स्थिति में क्यों आ गया है कि उसे अमरीका से भीख मांगनी पड़ रही है अमरीका एक गंदा देश हो सकता है। हमने गंदे अमरीकियों को सिनेमा में देखा है, जब हम स्कूलों और कालेजों में पढ़ते थे। हो सकता है अमरीकी गन्दे हों, उनका पैसा गन्दा हो, उनका जीवनयापन का तरीका गन्दा हो। परन्तु सोवियत संघ जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश था, जिसने अमरीका को ललकारा था, अब उससे भीख क्यों मांग रहा है? यह केवल उसकी आर्थिक शक्ति के कारण है। आज वही अमरीका जापान से भीख मांग रहा है। मैं समझता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज यह जिक्र कर रहे थे कि श्री जार्ज बुश बेहोश हो गये थे और वे बेसुध हो गये थे क्योंकि जापान के आटोमोबाईल उद्योग ने अमरीका के आटोमोबाईल उद्योग का एक प्रतिशत भी योगदान देने के लिये मना कर दिया था और विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति अर्थात् अमरीकी राष्ट्रपति को खाली हाथ वापस आना पड़ा। अतः यह देश की आर्थिक शक्ति ही है जो किसी देश को इस बात की शक्ति देती है कि वह अपनी विदेश नीति, घरेलू नीति, आर्थिक नीति लागू कर पाये और अन्त निर्भर, स्वावलम्बी गुट निरपेक्ष और स्वतन्त्र बना रहे। अतः देश की सम्प्रभुता देश की आर्थिक शक्ति पर निर्भर करती है, सैन्य बल और केवल मानवशक्ति पर ही आधारित नहीं है और यदि केवल मानवशक्ति से ही राजस्व इकट्ठा करना सम्भव हो जाता, तो हम मजबूत और अत्यधिक विस्तीर्ण नीति नहीं अपनाते और न ही हमारे पास अर्थशास्त्री और आयोजनाकार नहीं

होते जो बजट या योजनायें तैयार करते। अतः 45 वर्ष बाद डा. मनमोहन सिंह द्वारा इन विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की गई है और इसी कारण मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। श्री वसुदेव आचार्य मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे। वित्त मन्त्री महोदय ने हिम्मत दिखाई है। बजाय बात को घुमाने फिराने के उन्होंने सीधी कार्यवाही की है। आखिरकार गलत नीतियों और दोषपूर्ण योजनाओं से अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से कौन प्रभावित हुआ है ?

महोदया, महात्मा गांधी उन्होंने जिस बुनियादी शुरुआत आवश्यकता पर वे जोर दिया करते थे वह थी रोजगार की आवश्यकता। यदि अर्थव्यवस्था मजबूत और गतिशील है, तो रोजगार प्रदान किया जा सकता है और यह पूरी अर्थव्यवस्था के विकास की बात है जिस पर रोजगार सुलभ कराने की बात घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। डा. मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था की स्वावलम्बी, आत्म निर्भर, चुस्त और मजबूत बना कर यही कोशिश तो कर रहे हैं। जहां तक बेरोजगारी की समस्या का सवाल है, जैसा कि मेरे अनेक माननीय मित्रों ने कहा है और जिसके प्रति मैं भी आशंकित हूं हमने बजट दस्तावेज में देखा है कि ग्रामीण विकास कार्यों और जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजन पर काफी जोर दिया जा रहा है। मुझे निश्चित रूप से पता है कि मेरे अपने राज्य में, सभा में भी कि श्री श्रीकान्त जेन यह नहीं कह पायेंगे कि संसद सदस्यों को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करनी होती है। परन्तु यह एक और समस्त धनराशि की घोखाधडी, पुर्विनियोजन और दुरुपयोग का मामला है। आज एक विधान सभा का सदस्य एक बहुत बड़ा ठेकेदार है, जो एक कागज के टुकड़े पर या सिगरेट के कागज पर एक अधिशासी अभियन्ता को लिखकर दे सकता है कि 50,000 रुपये का ठेका दे दिया जाये। जब मैं अपने मित्र श्री लोकनाथ चौधरी के साथ ये बात भुवनेश्वर में श्री उत्तमभाई पटेल से कही तो इसे कोई नकार नहीं पाया। अतः ग्रामीण विकास की भी यही स्थिति है।

महोदया, जब तक क्रियान्वयन की समुचित निगरानी नहीं होगी, राज्य सरकारों पर बिना कोई जवाबदेही डाले, उन्हें सहायता देते चले जाने का मतलब यह होगा कि उनके यहां भी मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। क्योंकि यह लक्ष्य गत वर्ग तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि, जैसाकि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने 1989 में कहा था, लक्ष्य गत वर्ग तक केवल 15 प्रतिशत ही पहुंच पाता है। आज कोई बेहतर स्थिति नहीं, बदतर स्थिति है। यह इस कारण है कि कार्य की गुणवत्ता परिसम्पत्तियों के सृजन, उनके रखरखाव और मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मैं रोजगार संबंधी पहलू पर ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के पहलू को लेकर चेतावनी देना चाहता हूं। यह बात ध्यान में रखनी होगी क्योंकि केवल यह आंकड़े दे देने से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे कि इतनी धनराशि स्वीकृत की गई।

दूसरी बात जो मैं जानकारी में लाना चाहता हूँ, वह शिक्षित बेरोजगारों का सवाल है। बजट में इस बारे में ठीक से कुछ निर्दिष्ट है। परन्तु मैं समझता हूं कि इसका अपने आप में यह मतलब निकलता है, जैसा कि श्री आर्जे फर्नान्डीज ने भी कहा है कि वित्त मंत्री के पास उन सभी बातों का उत्तर है जो उठाई गई हैं। मुझे विश्वास है कि वे सभा को विश्वास में लेंगे जब वे इस चर्चा का उत्तर देंगे कि वे हमारे पास बड़ी संख्या में उपलब्ध जनशक्ति का क्या करना चाहते हैं क्योंकि मानव संसाधन विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का

क्षेत्र हो, तकनीकी प्रशिक्षण का क्षेत्र हो या मेडीकल कालेज या इंजीनियरी कालेज हो हमें स्पष्टा-करण चाहिए।

दूसरी बात जन शक्ति आयोजना की है। नौकरशाही को बजट में विनियामक की बजाय विकासीय भूमिका अदा करना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बालपुर)। आपकी तरह का नहीं।

श्री के. पा. सिंह देव : मेरी तरह का नहीं लेकिन किसी तरह का तो, आज मैं नहीं सोचता कि आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति या प्रशासनिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लिए तंत्र विद्यमान है या तैयार हो, कोई भी योजना सही और विश्वसनीय आंकड़ों से प्रारम्भ होनी चाहिए। आंकड़े उपलब्ध नहीं है, तन्त्र विद्यमान नहीं है। इन सबको केन्द्र से समन्वय और निरीक्षण की आवश्यकता है क्योंकि केवल पुण्य आशा और विश्वास रखना तथा गांधीवादी नीति आत्मा होने की भावना का उच्चारण करना जबकि मेरे पिता श्री भागेन्द्र झा कह रहे हैं, हमें मुसीबत में डाल देगा यदि हम इस पर सुधारात्मक कारवाई नहीं करते हैं।

पांच या छः प्रश्न है जिनका मैं उल्लेख करूंगा। एक सरकारी क्षेत्र उपक्रमों से पूंजी को निकालने के बारे में है। वास्तव में आज माननीय मंत्री ने बताया कि 3000 करोड़ रुपये के मूल्य के शेयरों में पैसा निकाला गया खुले बाजार में ।।,000 करोड़ रुपये कमा रहा है। अतः सुझाव है कि यदि सरकारी क्षेत्र से अधिक पूंजी निकालनी पड़े तो इसे चुने हुए और कुछ संस्थाना, जहां आवश्यकता है, को बजाये जनता को दिया जाए ताकि डाइवर्टी और शेयरधारियों का अधिक विस्तार हो।

बचत करने के बारे में मैं कुछ कहूंगा। आज इसी इंडियन एक्सप्रेस में यह प्रकाशित हुआ है कि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो में सेवा निवृत्त व्यक्ति सलाहकारों के पदों पर कैसे मोटी रकम वेतन के रूप में ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में नालकों में 21 अधिकारी है जो कि लगभग करोड़ों रुपया लेते हैं तथा वे सलाहकार हैं। कोई बागवानी के मालियों का सलाहकार है। कोई नलसाजों की देखभाल पर रहा है। वह एक सेवा निवृत्त अधिकारी होता है। मैं सोचता हूं कि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है यदि इन सलाहकारों और उनकी भूमि-काओं की ठीक प्रकार से जांच की जाए।

अब तत्पश्चात टेलीफोन कनैक्शनों, विशेषकर एस टी डी कनैक्शनों का प्रश्न आता है। एस टी डी केवल कुछेक चुने हुए व्यक्तियों को ही दी जाती है और न किसी आम श्रमिकों या अन्य किसी को। यहां अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रभावित हो सकती है इसी प्रकार ईंधन, पी ओ एल सब्सिडी तथा नागरिक क्षेत्र दोनों में अर्थ व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

मेरा दूसरा मुद्दा अनुशासित, समर्पित और प्रशिक्षित जन शक्ति, जिसे भूतपूर्व सैनिकों के रूप में जाना जाता है और जिनकी संख्या 50 लाख के लगभग है की विशाल जन-शक्ति के इस्तेमाल का है। हमने उनके बारे में नहीं सोचा है, हम उनको राष्ट्र निर्माण समय तक कार्य-कलापों में कैसे ला सकते हैं हम कैसे शिक्षित और अर्द्ध-शिक्षित युवकों की प्रतिभा को राष्ट्र निर्माण

सम्बन्धी कार्यकलापों में उपयोग कर सकते हैं और विशाल प्रशिक्षित जन-शक्ति वैज्ञानिक जन-शक्ति तथा अन्य का उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकी को अपना कर ग्रामीण और कृषिक प्रधान समाज को अधिक अधुनातन समाज है—मैं आधुनिक नहीं बल्कि अधुनातन समाज कहना चाहता हूं—मैं बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों और अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आ सके।

कृषि व्यापार संघ, जिसके बारे में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है और प्रौद्योगिकी मिशन जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रारम्भ किए गए थे, इसका कोई जिक्र नहीं है कि मैं कैसे कार्य करेंगे। वास्तव में यदि वे अपने उत्तर के दौरान इस पर प्रकाश डाल सकें तो हम बहुत सन्तुष्ट होंगे कि सभी कुछ सही दिशा में चल रहा है

आज में मैं अपना भाषण यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि बजट बहुत व्यावहारिक है। लेकिन राज्य सरकारों के कार्यान्वयन के लिए काफी कुछ छोड़ दिया गया है और हम बहुत सी राज्य सरकारों का रिकार्ड बनते हैं जो खर्च रोकने की बजाय खर्च करने पर विश्वास करती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पश्चिम बंगाल के बारे में क्या ख्याल है ?

श्री के. पी. सिंह देव : मैं केवल अपने राज्य के अनुभव से ही बोल सकता हूं। मैं पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं कह रहा हूं। आपके पास उसका अच्छा अन्दाजा है हालांकि मैं पश्चिम बंगाल में पैदा तथा पला हूं। यह उड़ीसा से अच्छी नहीं है।

केवल क्रियान्वयन में ही हमें सचेत रहना होगा और उसके लिए उत्तरदायित्व वचनबद्धता और जिम्मेदारी से काम लेना होगा।

इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं।

धन्यवाद।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, कई लोगों ने इस बजट को सर्वश्रेष्ठ बताया है।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : एक दौर पूरा हो चुका है। अब जनता दल।

सभापति महोदय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा छोड़ी गई सुरी का अनुसरण कर रही हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मुझे दोहराने दें। देश में बहुत से लोगों ने इस बजट को सर्वश्रेष्ठ बताया है। मेरे विचार से वे ठीक है। लेकिन केवल आंशिक रूप से। मेरे विचार से इस बजट का स्वरूप सर्वश्रेष्ठ होने के साथ-साथ बहु राष्ट्रीय वादी बजट है। यह बजट बहु-राष्ट्रीयों के लिये है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक और पश्चिम की सरकारों में प्रमुख संगठन है। यह बजट की सम्पूर्ण दिशा कोष लोगों के विरुद्ध है।

हमें बताया गया है कि हम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दिनों में नहीं है। मैं इससे सहमत हूं क्योंकि उस समय हमें केवल सौदा व्यापार द्वारा ही शोषित किया जा रहा था। अब हालात बदल चुके हैं। आज सम्पूर्ण विश्व न केवल सौदे व्यापार से शोषित हो रहा है बल्कि पूंजी के प्रवाह से भी, विभिन्न देश अधिक लोगों के शोषण से और उस आधार पर लाभ अर्जित कर रहे हैं। अधिक शोषण के लिये उसमें सेवाओं में व्यापार भी और जोड़ देने का प्रस्ताव है जिसे हम सब समझ रहे हैं। अतः हमारी अर्थव्यवस्था के शोषण हमने बाधाएं खड़ी करने की कोशिश की है, हम दो प्रकार की अड़चनें पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। एक अड़चन बहुराष्ट्रीकों ने विरुद्ध तो विदेशी दूसरे अर्थों में हमारी अर्थ व्यवस्था की आत्म-निर्भरता को कमजोर करने का प्रयास देने की कोशिश करना है। इन अड़चनों में से एक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम है और दूसरा आयात और सीमा शुल्क दर ऊंचा नियंत्रित करना है अन्य प्रकार की अड़चन भी थी वह अड़चन संविधान के नीति-निदेशक के सिद्धान्तों के अनुपालन से पैदा हुई है कि आय और धन की असमानता में कमी होना चाहिए अड़चने गैर-एकाधिकारी क्षेत्र से थी। एक ओर टी पी अधिनियम विद्यमान है। इन दोनों नियमों और विनियमों लाइसेंसिंग और अन्य के अतिरिक्त हमारे सामने सरकारी क्षेत्र के रूप में एक अति आवश्यक अड़चन थी ताकि बहुराष्ट्रीकों और देश के भीतर एकाधिकारवादियों दोनों के विरुद्ध एक अड़चन के रूप में काम करने लगा था। इससे हम कहां तक सफल हुए हैं। कई दशक पहले हम अपनी आर्थिक आत्म-निर्भरता को बचाने के लिए बहुराष्ट्रीकों के खिलाफ अड़चनें पैदा करके सफल हुए थे। हम अन्य अड़चनों से निपटने में अधिक सफलता नहीं मिली है। एम आर टी पी अधिनियम के कार्य करने के बावजूद सरकारी क्षेत्र के कार्य करने के बावजूद हम जानते हैं कि देश में एकाधिकारवादी बढ़े हैं। देश में बढ़ती हुई गरीबी के साथ-साथ बड़े घरानों ने धन कमाया है।

यह इतिहासकारी अद्भुत स्वप्नवना है। हम देश में एकाधिकारवादियों के खिलाफ अंकुश लगाना चाहते हैं ताकि देश में और अधिक प्रतिस्पर्धा हो। ये कुछ एकाधिकार बाधाएं के खिलाफ है। हमने उन्हें अब कुछ सकारात्मक शब्दांश दिये हैं और वे सबको पता है। वे कहते हैं कि हमको प्रतिस्पर्धा के लिये भूमि का समतल करना होगा। प्रतिस्पर्धा के लिये भूमि का समतल करना उन लोगों के कूट शब्द है जो देश में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधित्व करते हैं। आन्तरिक रुकावटों को दूर न कर पाने की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्रों के ठीक प्रकार से काम न कर पाने है। जिम्मेदार कौन था। सरकार तथा शासकीय दल की दखलनदाजी है। आज हम सब चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था का विनियमित करना है और सरकारी क्षेत्र को प्रभावी रूप से कार्य करना है हमने समस्याओं को समझा है। केवल प्रतिक्रिया भिन्न है। आप समझते हैं कि यह सफल नहीं हुआ है तो हम अपना पूंजी वापस ले लें और सरकारी उद्यमों को निजी क्षेत्र को दे दें। हमारा विचार है कि सरकारी क्षेत्र को सक्षम बनाना है। इसका विकल्प है कि उस नौकरशाही के प्रभाव से प्रबन्ध करके प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित कराया जाये। आप नौकरशाही के प्रभाव को हटाने के नाम पर इन्हें निजी क्षेत्र को देना चाहते हैं और आप एक विकल्प भी चाहते हैं। हम सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी सुनिश्चित करके नौकरशाही के प्रभाव को कम करना चाहते हैं और सरकारी क्षेत्र के कामकाजों में दलीय और सरकारी प्रभाव को कम करना और रोकना है।

मैं उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो वर्तमान स्थिति के लिये जिम्मेदार हैं। कौन ? जब आप यह पूछते तो आप स्वयं का निजी क्षेत्र के सामने समर्पण कर देते हैं, हम यह भूल जाते हैं कि आज अर्थ व्यवस्था में उत्पन्न कठिनाईयों के लिए सरकार के अलावा और कोई और जिम्मेदार है तो यह अर्थ व्यवस्था के बड़े पैमाने पर निजीकरण है। जब आप यह कहते हैं कि आप उद्योगी नहीं हैं, आपने अपने व्यापार में पैसा नहीं लगाया है, बहुत अधिक संरक्षण दिया गया है, तो आप वास्तव में किसका और संकेत करते हैं ? यह टाटा, बिरला और अम्बानी का और संकेत जाते हैं। इन एकाधिकारवादी घरानों ने, उद्योग हीन से मना कर दिया है क्योंकि वे सोचते हैं कि किसी प्रकार की रुकावट के कारण वे देश में कुछ भी नहीं करना चाहिये। यह स्वाभाविक है। वे लाभ कमाना चाहते हैं, जैसाकि सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चाहती हैं। अतः उनके लिये कुछ और चिन्ता की बात नहीं है। इस मूल बात के साथ मुझे बात करने दीजिये और बजट पर चर्चा करने दीजिए। मैंने अपनी बात इन आंकड़ों के आधार पर कहनी थी जो श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यहां दिए हैं। ऐसे में जबकि संकट आ रहा था और किसी तरह उसे टाला जा सकता था, वह बढ़ गया। हम दस वर्ष इस अपेक्षा नहीं कर रहे थे क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात को मानदण्ड दी गयी थी कि इस समय जो संकट आया है वह अमरीका का इराक से युद्ध के कारण आया है इसके साथ ही तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई और भुगतान संतुलन का संकट उत्पन्न हो गया। मध्य-पूर्व का बाजार हाथ से निकल गया। मध्य-पूर्व का बाजार हाथ से निकल गया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लोग जो देश से बाहर गए थे, मध्य-पूर्व में रोजगार की तलाश में थे, उन्हें वापस आना पड़ा और उनको भेजने वाले वतन आदि बन्द हो गए। विदेशों से आने वाला इस धन राशि का आगम बन्द होने का मुख्य कारण, जो वित्त मन्त्री महोदय के बजट भाषण में बताया था वह यह था कि अप्रवासी भारतीयों के बीच से धनराशि तो निकाली जाने लगी किन्तु जमा होना बन्द हो गया। स्थिति बदल गयी। अब युद्ध समाप्त हो गया है। और जो लोग मध्य पूर्व में थे वापस चले गए हैं और हमें अपना बाजार मिल गया और हमारे विदेशी मुद्रा के भण्डार फिर से बढ़ने लगे हैं। उस समय जो हुआ वह यह था कि धनराशि का निकलना जाना बढ़ा नहीं परन्तु जमा होना कम हो गया। वित्त मन्त्री महोदय ने न तो यह बताया और न ही इसे स्वीकार किया। परन्तु किसी तरह ऐसा हो रहा था। इनको आज बताया जा रहा है कि हमें अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करना चाहिए अर्थात् जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। हमें अपने साधनों से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। जब आप वित्तीय घाटे की बात कर रहे थे तो यही सब तब बताया गया। बिल्कुल इसी बात की मांग हम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। जितना आप अपने निर्यात से भुगतान कर सकते हैं उससे ज्यादा आयात नहीं करना चाहिए। पिछले 40 सालों में प्रत्येक साल में हम जितना अपने निर्यात से कमाते हैं, उसका 8000 करोड़ रुपए ज्यादा का आयात कर रहे हैं। आज आपको देश को बताना चाहिए कि आपको आर्थिक कार्य न करना पड़े। आपको अपनी आय से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। परन्तु पिछले 10 सालों से ऐसा हो रहा है और हम इस पर आपत्ति कर रहे हैं, परन्तु आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अतः संकट आ गया है तो आपके पास इस संकट से उबरने के लिए आज क्या विकल्प है ?

यदि हमारे विदेशी मुद्रा के भण्डार में वृद्धि हुई है। यह इस कारण हुई है कि आपने आयात पर रोक लगायी है। हम प्रोद्योगिकी के बारे में क्या बात करते हैं। उन सपनों वाली बातों का क्या मतलब जो टी. वी. पर दिखाए जा रहे हैं हम उनकी इच्छा करते हैं, जबकि हम उतना

निर्यात नहीं कर पाते हैं, जितना आयात करते हैं। यह भी हमारी वैकल्पिक तकनीक का हिस्सा है। आप निर्यात बढ़ायें तो ठीक है परन्तु जितना आप निर्यात करते हैं, उससे ज्यादा आयात न करें।

मैं यह कह रहा हूं कि यह बहु राष्ट्रीय नीति है। मैं आपकी जानकारी में एक बहुत ही अद्भुत बात लाऊंगा। आप कहते हैं कि हम वित्तीय घाटे से चिन्तित है। मैं इसका जिक्र बाद में करूंगा। शायद डा. देवी प्रसाद पाल पर्याप्त रूप से वित्त मंत्री महोदय का विश्व बैंक के नजदीक नहीं थे। अतः उन्हें वित्तीय घाटे और बजट घाटे के बीच के फर्क के बारे में पता नहीं है। परन्तु मैं आपका ध्यान बजट में उल्लिखित एक बहुत ही अद्भुत बात की दिलाऊंगा। वित्त मंत्री महोदय के भाषण के अन्तिम पैरा ग्राफ में इस प्रकार कहा गया है :

"अतः करों की वर्तमान दरों पर···यह 4872 करोड़ रुपए की पाई को वे फटे ही छोड़ देता है।"

यह भाषण के भाग 'क' का अन्तिम वाक्य है। भाषण के भाग 'ख' में कहा गया है ? हमको इस खाई को पाटने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि इन सभी करों का अन्त में क्या हुआ ? 4872 करोड़ रुपए के बजट घाटे के स्थान पर इन प्रयासों के बाद बजट घाटा बढ़कर 5320 करोड़ रुपए हो गया। यह बढ़ गया। क्या आपने कभी कोई ऐसा बजट भाषण सुना है करों की वर्तमान दरों पर जितना बजट घाटा हो वह भाग 'ख' के भाषण के बाद बढ़ गया हो।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि बजट घाटा वित्त मंत्री महोदय की चिन्ता की बात नहीं है। उनकी चिन्ता किस बात को लेकर है ? उनकी चिन्ता वित्तीय घाटे को लेकर है ? वित्तीय घाटा क्या है ? आपको सरकार को इतना नहीं खर्च करना चाहिए जो आपके पास उपलब्ध राजस्व से अधिक हो। आप यह करें और अन्य बातों के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दें। उनको मांगने दें और अमीर होने दे। हमें बजट घाटा नहीं चाहिए। बजट घाटे का नियंत्रण रखना चाहिए पर बाजार से उधार पर क्यों नहीं। क्यों ? क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र पनपे हम चाहते हैं कि उधार मांगी हुई धनराशि से सरकारी क्षेत्र को उत्पादन कारी बनाकर हम अपने कर्जों को अदा कर सकते हैं—आंतरिक ऋण कम हो जाएगा यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए चिन्ता की बात नहीं है। वित्तीय घाटा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से चलायी गयी एक अवधारणा है। वे चाहते हैं कि हम खर्चा न करें, कितने प्रकार से ? दो प्रकार से। हमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं चलाने चाहिए और सरकारी क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहिए। मैंने रुकावटों से शुरू किया हैं। मैं यह करता हूं कि यह सरकारी क्षेत्र है जो एकाधिकार को रोकता है और प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इतनी अधिक शक्तिशाली है कि भारत में निजी क्षेत्र अलग से उनका मुकाबला नहीं कर पायेंगे। केवल सरकारी क्षेत्र ही इनका मुकाबला कर पायेंगे। संक्षेप में इस बात पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आपत्ति की गयी है। अतः वे कहते हैं कि उन्हें बजट घाटे की कोई चिन्ता नहीं है और जैसाकि मैंने कहा है वित्त मंत्री महोदय बजट घाटे से चिन्तित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने बजट के अन्त में जो कहा है

उसकी तुलना उससे की जा सकती है जो उन्होंने अपने भाषण के भाग 'क' के अन्त में कहा है।

यह क्या है ? ऐसा क्यों है कि वे आघात करना चाहते हैं हमारी ओर से गलती कहां हुई है ? बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं। मैं उन सब आंकड़ों का जिक्र नहीं करूंगा, बल्कि कुछ ही के बारे में बताऊंगा।

ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां कटौती की गयी है ? वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को संतुष्ट कैसे करेगा ? वे किस बात को वजह से कटौती कर रहे हैं ?

वे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कीमत पर यह कटौती कर रहे हैं। वे वैज्ञानिक शिक्षा की कीमत पर यह कटौती कर रहे हैं। वे अनुसंधान कार्यों की कीमत पर यह कटौती कर रहे हैं। क्यों ? आप मुझे बताएं। वे चाहते हैं कि भारतीय श्रमजीवी जनसमूह की स्थिति इतनी खराब हो जाए कि जब वे यहां आएं तो वे सारी लाभ कमा खूब धनवान बन जाएं उन्होंने सरकारी क्षेत्रों पर हमला क्यों किया ? इसके अनेक कारण हैं।

श्री प्रफुल्ल पटेल (भण्डारा)। आप इतने निराशावादी क्यों हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपको बताऊंगा कि मैं निराशावादी क्यों हूं और फिर भी निराशावादी नहीं हूं।

महोदया, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमें बताया गया है कि देश में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी अधिक मजदूरी कमाते हैं। वे इसके लिए लड़े और अधिक मजूरी पाई। यह न तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए उपयुक्त है, न ही मुद्राकोष के लिए। यदि वे सरकारी क्षेत्रों की निधियों में कटौती कर मजूरी कम कर सकते हैं, यदि वे अधिक बेरोजगार पैदा कर सकते हैं यदि वे देश में बेरोजगारों की एक आरक्षित सेना बना सकते हैं, तो ही इसके लाभ सुनिश्चित है इसलिए, व्यय का स्वरूप ऐसा है कि हमारे लोग स्वास्थ्य, बेरोजगारी, मजदूरी यहां तक कि वैज्ञानिक और अन्य विकास की दृष्टि से भूखे मरेंगे। यही कारण है कि यह किसी के लिए उचित नहीं है लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए है। आप सोच रहे हैं कि हमें वापसी भुगतान के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में इसे गम्भीरता से ले रहे हैं ? क्या आप समझते हैं कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष चाहते हैं कि हम उन्हें वापिसी भुगतान कर दे ? क्या आप अपने अतीत को भूल गए हैं जब ऋणदाता नहीं चाहते थे कि कभी भी उन्हें वापिस भुगतान किया जाए। उनके विभिन्न उद्देश्य थे। यदि कोई गरीब व्यक्ति जाकर यह कहता है कि मैंने जो उधार लिया है उसे मैं वापिस यह दूंगा, तो उसे चांटा मारा जाएगा क्योंकि उद्देश्य वापिसी भुगतान पाना नहीं है। ऋण के कारण वे गरीबों का घर बार, परिवार, हृदय, सम्पूर्ण सम्पत्ति और श्रम शक्ति हथिया लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ऋण के कारण वह आजन्म गुलाम बन कर रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक वापसी भुगतान के इच्छुक नहीं हैं। वे चाहते हैं कि आप उधार लेते रहें और अधिक उधार लें। वहां वाणिज्यिक बैंक है। हम जानते हैं कि हर जगह आर्थिक

संकट था। इसके अनेक कारण थे। वह ऋण भार वाणिज्यिक बैंकों के कारण था जो मोटे लाभ कमा रहे थे। वे वापिस भुगतान चाहते थे क्योंकि उन्होंने विश्व के अन्य क्षेत्रों में लाभ देखा, न तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने न ही निम्न बैंक ने भुगतान के लिए कहा।

यदि हम यह करें, तो हम अवरोधकों को नष्ट कर देंगे। हम इन अवरोधकों को हटाएंगे। हम सीमा शुल्क को बदलों में 1500 करोड़ रुपए तक की कमी करेंगे ताकि विदेशी आ सकें। हम अपने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का विस्तार कर देंगे। हम बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की पूंजी के लिए अपने गर्भाशय का विस्तार कर देंगे। (व्यवधान)

महोदया क्योंकि आपने पहले ही घंटी बजा दी है, मैं व्यय के बारे में नहीं जाऊंगा। लेकिन जिसका आपने उल्लेख किया, जिसे आप ग्रामीण स्तर पर अथवा शहरी स्तर पर लोगों के लिए लाभकारी समझा है, आप पाएंगे कि उनसे सम्बन्धित संशोधित अनुदानों में कटौती की गई है ताकि वित्तीय घाटे को 6·5 प्रतिशत पर को बनाए रखा जा सके। वे चाहेंगे कि हम इस वित्तीय घाटे 6·5 से 2·5 प्रतिशत और 2·5 प्रतिशत से शून्य तक कम कर दें। इसका क्या मतलब है? कल्याण पर खर्च मत करो सरकारी निवेशों पर खर्च मत करो केवल राजस्व पुलिस, सैनिक और ऋण सेवाओं पर राजस्व खर्च हो, और किसी पर नहीं यह अभिप्राय है। क्या आपने वित्तीय घाटे को कम करने पर विचार किया है जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बल दे रहा है।

महोदय, मेरे पास अधिक समय नहीं है। इसलिए, मैं दूसरे पहलू आप को लेता हूं। दूसरी तरफ मैं राज्यों पर खर्च को लूंगा।

मैं वित्त मंत्री महोदय के दावे का अभी खंडन कर दूं। ये रहा बजट सरसरी तौर पर किया है। जिन माननीय सदस्यों ने उनके पक्ष में मतदान किया है, क्या उन्होंने आंकड़ों पर विचार किया है? आओ अब आंकड़े देखें। आंकड़ों में करों और शुल्कों में राज्यों का भाग दिखाया गया है जो सरकार को नहीं वित्त आयोग को देय है। अब मैं कुल हस्तान्तरित संसाधनों पर आता हूं जिनमें, योजनेतर अनुदान, राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों, ऋणों और मध्यियों की कम वसूली शामिल है। आंकड़े क्या हैं? बजट में यह व्यवस्था थी कि 1991-92 में ?,160 करोड़ हस्तान्तरित किए जाएंगे. वास्तव में 3,167 करोड़ रु. हस्तान्तरित किए गए थे और इस वर्ष प्रस्तावित राशि 76.82 करोड़ की है। ये आंकड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि इन आंकड़ों में एक आंकड़ा शामिल नहीं है? यह आंकड़े राज्यों द्वारा केन्द्र के लिए देय ब्याज के भुगतान के आंकड़े हैं। यदि आप इस आंकड़े को लेखे में लें तो उस तरफ के मेरे मित्र पाएंगे कि कुल हस्तान्तरित राशि बताई राशि से कम है वित्त मंत्री के दावे के बावजूद यह बढ़ने की बजाय घटी है लेकिन यह एक प्रकार का तरीका है। लेकिन आपको मजबूर किया गया है, मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहराता। आपसे योजना को रद्द करने के लिए कहा गया है क्योंकि योजना के कुछ उद्देश्य और कुछ आय होते हैं जो देश के लिये वांछनीय समझे जाते हैं। योजना का अभिप्राय यही है कि आपको उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अपने साधनों को विकसित करना है और यह सभी कार्य बहुराष्ट्रीय निगमों के लाभ उठाने वालों के लिये बाधक हैं। इसलिए योजना के आकार को कम किया जाना है। योजना के आकार में कटौती की जाए इसलिये सरकारी क्षेत्र में

किए जाने वाले निवेशों में कटौती की जानी है और इसलिए राज्यों को विकास कार्य के लिये किये जाने वाले स्थानान्तरण में कटौती की जानी है। यही कारण है कि इसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बजट समझा जाता है न कि विशिष्ट वर्ग का बजट।

अब मैं सभा का ध्यान आम बजट पर दिलाना चाहता हूं। दावे किए गए हैं। मैं नहीं जानता कि वास्तव में इसका ठीक से क्या अर्थ है। इसके बावजूद हम इसे अस्तव्यस्त और भ्रांतिपूर्ण बजट कहेंगे। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह बजट डा. मनमोहनसिंह का बजट है इसलिए कल्पनात्मक की दृष्टि से सक्षम है। महोदय क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट व्यवसायिक दृष्टि से भ्रांति पैदा करने वाला बजट है। संभवतः अर्थ शास्त्रीयों की पृष्ठ से ऐसी होती है कि कभी-कभी उसे दोहरे मस्तिष्क वाला समाज वैज्ञानिक कहा जाता है। एक ओर तो यह तथा दूसरी ओर इसके विपरीत और इस प्रकार गड़बड़ी पैदा होती है कि व्यवसायिक दृष्टि से एक सक्षम अर्थशास्त्री देश के समक्ष अव्यवस्था पैदा कर रहा है तथा इस प्रक्रिया में अपनी ही बात का खंडन कर रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि उसका इसमें क्या हित है। पिछले वर्ष एक ओर उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क को कम करना होगा। आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये व्यापार के द्वार खोलने पर 1500 करोड़ रुपये अर्पित रहे हैं। दूसरी ओर आप कहते है कि रुपए को परिवर्तनीय बना दिया जाए। जैसाकि श्री आर्जे ने सभा को ध्यान दिलाया है कि यह 60 प्रतिशत है जो कि निर्यातकों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई गई है। हम सरकार की नियंत्रक शक्ति को जानते हैं। आपको याद है श्री वी सिंह को भी याद करना चाहिये कि वित्त मंत्री द्वारा बताए गए संकट का एक पहलू यह है कि हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार में बहुत कम राशि रह गई है, क्योंकि जिन निर्यातकों के पास विदेशी मुद्रा थी वे उसे यहां वापस लाने से मना कर रहे हैं। उन पर हमारा यही नियंत्रण है; वे निर्यात द्वारा कमाई गई विदेशी मुद्रा को वापस लाने से मना कर सकते हैं। पिछले वर्ष 'इक्सिम स्क्रिप्ट' योजना थी। छूट क्या दी गई थी? आपका 30 प्रतिशत इक्सिम स्क्रिप्ट के रूप में होगा। इसे बेचा जा सकता है और आज आंशिक परिवर्तनीयता के माध्यम से छूट यह है कि 30 प्रतिशत 60 प्रतिशत बन गई है ताकि 60 प्रतिशत परिवर्तनीय हो ताकि निर्यातकों को कुछ अधिक प्रोत्साहन मिले।

8.00 म. प.

यही वे कहते हैं। मूल्य ह्रास और अवमूल्यन के माध्यम से क्या हम पिछले दस वर्षों में वास्तव में अपने निर्यात को बढ़ाने में सफल हुये हैं। उनमें गिरावट आई है, क्योंकि हमारे निर्यात एक बार फिर बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और उनके अग्रणी संगठनों पर निर्भर हो गए हैं। हम अपने आयात पर नियंत्रण कर सकते हैं। अपनी प्रभुसत्ता के आत्मसमर्पण का एक सूचक स्वयं अपने आयात पर नियंत्रण को त्याग देना है। इस पर पर्दा डालने की दृष्टि से आप इसी बजट भाषण में इसका खंडन करने में यह कहकर नहीं हिचकिचाते है कि आपने 100 करोड़ रुपये तक की छूट दी है या आंशिक परिवर्तन से आपने आयात को अधिक कठिन और निर्यात को आसान बना दिया है।

अपने आम बजट को देखिये। क्या यह एक सही विवरण है? राजस्व, आय कर और शुल्क में वृद्धि को देखिये वह पूर्व निर्धारित थी। पिछले वर्ष पुनरीक्षित प्राक्कलनों में हम यह

दर्शाने में सफल रहे कि हालांकि सीमा शुल्क के बारे में हमारे आकलन गलत साबित हुये फिर भी हमने उत्पाद शुल्क और करों से अधिक राशि एकत्रित की। यह आश्चर्यजनक बात है। पिछले वर्ष विकास की दर शून्य विकास की दर थी, पिछले वर्ष औद्योगिक विकास की दर शून्य थी, और पिछला वर्ष कृषि विकास की नाकारात्मक दर थी। उसी वर्ष हम उद्योगों से अधिक उत्पाद शुल्क एकत्रित करने में सफल हुये। उसी वर्ष हम निर्यातों करों से अधिक राशि एकत्रित करने में सफल हुए थे और उसी वर्ष हम आयकर से अधिक राशि एकत्रित करने में सफल हुये।

इस वर्ष का बजट भी रोचक है। मुद्रास्फीतिकारी रुझ को देखते हुये आपने जिस बढ़ोतरी की कल्पना की है उसका अभिप्राय है कि अर्थव्यवस्था में आप एक बार फिर शून्य विकास दर की कल्पना कर रहे हैं।। आपने वादा किया कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाएगा। लेकिन आपको याद है कि आपने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसका वास्तव में पालन नहीं किया गया है। लेकिन अब आप बजट भाषण में यो वादा करते हुए नहीं हिचकिचाते हैं। मैं सरकारी पक्ष से पूछता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि वर्ष के मुकाबले 1 91-92 में मुद्रास्फीति में कमी का लगाम बढ़ोत्तरी हुई है। आप मुंह बार तुलना नहीं कर सकते। औसतन मुद्रास्फीति इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक रही। यह आपकी नीतियों के कारण हुई। इस वर्ष आपने नियंत्रित मूल्यों को बढ़ा दिया है। आपने रेल माल भाड़े में वृद्धि कर दी है। आपने यात्री किराए में वृद्धि कर दी है और आप उत्पाद शुल्क पर 2500 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि एकत्रित कर रहे रहे हैं। आप आशा कर रहे हैं कि मूल्यों में गिरावट आएगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इस संसद में कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु पागलखाने में आपको भेजा जा सकता है।

8.05 अ.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदया, सम्पूर्ण आम धारणा.....

एक माननीय सदस्य : महोदया अब पीठासीन नहीं हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है, महोदय पीठासीन अधिकारी इस तरह से बदल रहे हैं जैसे कि वित्त मंत्री अपने विचार बदलते हैं।

ठीक है, मैं आम बजट की बात कर रहा था। महोदय, मुझे विश्वास है कि नरसिम्हम समिति की विकृत रिपोर्ट की तुलना में चेल्लय्या समिति की रिपोर्ट कुछ हद तक अच्छी है। मैं इसका खंडन नहीं करता कि उस रिपोर्ट में कुछ बातें ऐसी हैं जो अच्छी भी है। यदि आप एक बच्चे की आय को उसके मुखिया की आय के साथ मिलाते हैं तो यह स्वागत योग्य कदम है। वास्तव में इसमें उसकी मांग की भी कि पति/पत्नी की आय को भी मिला दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे एक बचने का रास्ता है। शायद चेल्लय्या समिति ने इस विचार का अस्वीकार कर दिया है।

जब आप चेल्लय्या समिति की बात करते हैं और जब आप राज्यों के प्रति विशेष अनुकम्पा दर्शाते हैं तो ऐसा क्यों है कि चेल्लय्या समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है ? यह

सिफारिश प्रेषण कर के लिए था। वर्षों से हम इस पर चर्चा कर रहे है कि। यह भी सहमति हुई थी लेकिन राज्यो की सहायता करने की दृष्टि से वित्त मंत्री ने प्रेषण कर को एक और वर्ष के लिये टाल दिया है। हमने बार-बार आपका ध्यान आश्चर्यजनक तथ्यों की ओर आकर्षित किया है। हमने कहा है और विभिन्न राज्य सरकारों ने भी कहा है कि ब्याज दर की गलत नीति के कारण लघु बचतो की राशि कम हो गई है।। एक निर्णय लिया गया है और मैंने वह निर्णय देखा है। आप इसे कुछ हद तक संशोधित कर रहे है। बजट म लघु बचत से एकत्रित राशि का अनुमान 8,000 करोड़ रुपये लगाया गया था, पुनराक्षित अनुमान 6,400 करोड़ रुपये था और अब आपका 7,200 करोड़ रुपये एकत्रित करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही·····

श्री प्रफुल पटेल : इसकी आलोचना करने की बजाय आपको केवल यही कहना चाहिए कि अगला बजट क्या होगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैंने पहले ही आलोचना के दौरान उसका उल्लेख कर दिया है।

गैर सरकारी लोक भविष्य निधि, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम की एक विशेष जमा राशि है। कुछ वर्ष पूर्व इसे चोरी छिपे ले लिया गया था। यह आपका राज्यो को उनका उचित जमा राशि से वंचित करने का तरीका है। लघु बचतों की अनुमानित राशि 7,76 करोड़ से घटकर 7,383 करोड़ रुपये रह गई है। इस विशेष जमा राशि का बजट 8,260 करोड़ रुपए था. आपने इन राज्यों को क्यों वापस नहीं दिया?

महोदय, अब मैं विशेष तौर पर प्रत्यक्ष करों की बात करूंगा। तथ्य होगा आप आम करों पर आय के अनुसार यह स्वीकार करते प्रतीत होते हैं लेकिन आपने वास्तव में इस पर क्या किया है आपने अधिक कर देने वाले कर दाताओं के अमीर वर्ग को अधिक दिया है और कम आयकर देने वालो को कम दिया है। आप कर में भी परिवर्तन करने को आपके प्रयास भी प्रगतिशील नहीं हैं। पूर्ण रूप से बहुत से लोगों ने जिक्र किया है कि स्लैब में परिवर्तन और प्रगति के नाम पर रियायतों को हटा देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम हैं कि जितना कम कर देने वाला होगा। उस पर जाना ही अधिक बोझ होगा और कितना अधिक कर देने वाला होगा उस पर उतना ही कम बोझ रहेगा।

एक और बात है जिसका मैं केवल संदर्भ के तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। यह केवल निष्पक्षता की भावना के कारण है कि एक विशेष आय सीमा पर अधिकार है और यह केवल एक सीमा तक नहीं है बल्कि पूर्ण आय पर है। यही सब कुछ आपको एक मूर्खतापूर्ण स्थिति में डालता है यहां तक 100/-रुपये आय का अभिप्राय है 2000/-रुपये अतिरिक्त कर का लगाना ये सब बेकार की बातें है। यह सब व्यावसायिक क्षमता की सूचक नहीं हैं, बल्कि आपको इन सब बातों की जांच करनी चाहिए।

अत. मैं कहता हूं कि यह बजट विशिष्ट वर्ग के लिए है, क्योंकि इसमें अमीर लोगों को अधिक रियायतें दी गयी है। यह बजट जन विरोधी और गरीब विरोधी है।

यह बजट मुद्रास्फातिकारी है । इस बजट से विकास तो होगा नही, अपतु ठहराव आयेगा। इस बजट स गरीबी रेखा क नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियो को देश में खुली छूट मिल जायेगी ।

मैं अपनी बात यह मांग करते हुए कहूंगा । कृपया इस बजट को भी समाप्त कर दें ठीक उसी तरह जैसे अपने आ चन्द्र शेखर का मजबूर किया था। वित्त विधेयक और बजट प्रस्तावो पर सभा की एक समिति बनायी जाये । आपके पास 3-4 महीने तक के लिए लेखानुदान है । हम चाहते हैं कि नीति मे परिवर्तन हो । अत: हम चाहते हैं कि आप इस जांच के लिए तैयार हो जायें ।

यदि आप मान जायें तो ठीक है । आपके मान जाने का अर्थ यह होगा कि आप नीति में परिवर्तन कर सकेंगे । यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे पास आपकी सरकार को बदल देने के लिए संघर्ष के सिवाय कोई और चारा न होगा ।

8.13 म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

तेहरवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेहरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

महोदय इसके अतिरिक्त आपकी अनुमति से मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि संसद सदस्यों तथा प्रेस के लिए सांझा भोज की व्यवस्था कमरा संख्या 70 में की गयी है तथा कर्मचारियों के लिए सांझा भोजन की व्यवस्था कमरा संख्या 73 में की गया है ।

8.14 म.प.

सामान्य (बजट) १९९२-९३सामान्य चर्चा जारी
लेखानुदानों की मांगे (सामान्य) १९९२-९३ जारी
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) १९९१-९२ जारी

*

श्रीमती केसरबाई सोनाजी लोरसागर (बीड) : उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय वित्त मन्त्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किय गए वर्ष 1992-93 क बजट का समर्थन करती हूं । बजट

---

* मूल मराठी में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

प्रस्तुत करने से पूर्व बजट के सम्बन्ध में लोगों के मन में अनेक सन्देह और आशंकाएं थीं। प्रस्तुत करने के बाद सभी आशंकाएं समाप्त हो गई और वास्तव में यह बजट एक सुखद आश्चर्य के रूप में लोगों के सामने आया।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने सामान्य व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु के रूप में ध्यान में रख कर बजट तैयार किया है। इस बजट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बल प्रदान किया है। यह बजट निश्चय ही हमारी अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगा। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि यह बजट हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री नरसिंह राव जी द्वारा अपनाई गई प्रगतिशील नीतियों का परिणाम है। हमारे देश ने पिछले आठ महीनों में असाधारण प्रगति की है और सभी को इसकी जानकारी है। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह बजट अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया था और फिर भी यह ऐसा बजट है जिसने लोगों के मन में आशा जगाई है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बजट ने हमारे देश में लोगों के मन को सम्मोहित किया है।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस बजट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान की है और इसका लक्ष्य देश का प्रगति करना है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने निश्चित आय वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आयकर छूट की सीमा को 22000 रु/- से 28000 रु. तक करके राहत प्रदान की है।

मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इस सीमा को बढ़ाकर 32000 रु./- किया जाए। इसी प्रकार उन कामकाजी महिलाओं जिनकी वार्षिक आय 75000 रु. से अधिक है को मानक कटौती को 15000 रु. तक बढ़ाकर छूट प्रदान की गई है। निश्चय ही कामकाजी महिलाओं को यह अच्छी रियायत दी गई है।

बजट में वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों को रियायत प्रदान की गई है। उन वृद्ध व्यक्तियों को जिनकी आय 59000 रु. से कम है कर में 10% छूट प्रदान की गई है जबकि विकलांग व्यक्तियों के लिए कर छूट सीमा 60000 रु. से बढ़ाकर 1,0000 रु. कर दी गई है। इस प्रकार माननीय मन्त्री जी ने निर्धन और विकलांग व्यक्तियों को रियायत प्रदान करके उनके प्रति सहानुभूति दर्शाई है।

इस बजट की अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टता यह है कि इसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को घरों के निर्माण के लिए 10000 रु. की सहायता दिए जाने का प्रावधान है इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार प्रदान किया जाएगा। बजट में रोजगार गारंटी योजनाओं के लिए 2,040 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई है।

बजट में कमजोर वर्गों के लोगों के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, पेय जल आपूर्ति इत्यादि की व्यवस्था करके उनका ध्यान रखा गया है। इस बजट में अर्थ व्यवस्था के सभी अत्यावश्यक क्षेत्रों विशिष्ट रूप से कृषि और उद्योग के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित की गई है।

कीटनाशकों पर आयात शुल्क में रियायत प्रदान की गई है। उर्वरक राज सहायता के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। इस प्रोत्साहन से कृषि उत्पादों में वृद्धि होगी। यदि हम वास्तव में कृषि उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम कृषि का उद्योग का दर्जा प्रदान करना होगा।

फैक्टरी की मशीनरी और फैक्टरी के माल का बीमा होता है। परन्तु यदि किसान की फसल प्राकृतिक विपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है तो उसकी फसल का कोई बीमा नहीं होता है। हमें किसानों को बीमे की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। किसानों को पम्प सैट खरीदने तथा सिंचाई के उद्देश्यों के लिए 50% ऋण तथा 50% राज सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनका जीवन समृद्ध और खुशहाल बन सके। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भी कृषि मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि कृषि उत्पादन केवल तभी बढ़ सकता है यदि हम कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करेंगे।

सरकार द्वारा किसानों को सहायता प्रदान करके डेयरी और मुर्गी पालन जैसे सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बागवानी के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 'फलोद्योग' योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले किसानों को 14000 रु. की राज सहायता प्रदान की जा रही है। मैं अनुरोध करती हूं कि देश के अन्य भागों में भी ऐसी योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

सिंचाई कृषि का मूल निवेश है। यद्यपि देश में सिंचाई की संभावनाएं बहुत कम है, मेरे जिले बीड में यह केवल 3% है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई की कुछ छोटी और मध्यम परियोजनाओं के कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजे है। मैं अनुरोध करती हूं कि इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए ताकि अधिक भूमि की सिंचाई की जा सके तथा इससे हमारे कृषि उत्पादों की वृद्धि में सहायता प्राप्त होगी।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, मुझे यह नोट करके प्रसन्नता हुई है कि लाइसेंस के बड़े नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है यह बदलो हुआ औद्योगिक वातावरण और अधिक उद्योगों की स्थापना में सहायक होगा। हमारे देश में ऐसे लाखों बेरोजगार व्यक्ति है जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। मेरा सुझाव है कि युवा व्यक्तियों को लघु औद्योगिक यूनिटों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वह अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें। इस प्रकार उन्हें स्व रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। इससे देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायता प्राप्त होगी। चूंकि स्वदेशी बाजार में वस्तुओं की सप्लाई होगी, अतः मैं समझती हूं कि मूल्यों पर नियंत्रण हो जाएगा इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता प्राप्त होगी।

हमारे देश में ऐसे लाखों गांव है जहां पीने का पानी नहीं है। बीड जिला सूखा ग्रस्त जिला है। वहां लोगों को पीने के पानी की पर्याप्त कमी का सामना करना पड़ता है। कुओं के पानी का स्तर नीचा हो गया है। लोगों को 4-5 कि. मी. की दूरी से पानी लाना पड़ता है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि गांवों में पेय जल की व्यवस्था के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जाए।

मुझे यह पता चलने पर बहुत दुख हुआ कि शहरों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है जबकि हमारे गांव अभी भी इन सुविधाओं से वंचित हैं। यातायात की सुविधाओं की कमी के कारण गांवों

में अनेक मरीज इलाज के बिना मर जाते हैं। ऐसे अनेक मामले हैं जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं चिकित्सा सुविधा के अभाव में मर गई है। यह अत्यन्त दयनीय स्थिति है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि उन गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोले जाएं जहां 10000 की आबादी है। ग्रामीण महिलाओं के हित के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में प्रसुति केन्द्र खोले जाना भी आवश्यक है।

सरकार को उस व्यक्ति पर लगभग 5 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं जो एम. बी. बी. एस. की डिग्री प्राप्त करता है जबकि होम्योपैथिक डाक्टर पर केवल एक लाख रुपए खर्च होते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि गांवों में होम्योपैथी डिस्पैंसरीयां खोली जाएं। चूंकि होम्योपैथी दवाईयां सस्ती होती है अतः ग्रामीण लोग उन्हें खरीदने में समर्थ हो सकते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि होम्योपैथिक कालेजों को अनुदान सहायता प्रदान की जाए मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में होम्योपैथिक डाक्टरों को नियुक्त किया जाना चाहिए। सरकार को होम्योपैथिक डिस्पैंसरियां खोलने के लिए सहायता प्रदान करनी चहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रो में चिकित्सा की होम्योपैथिक पद्धति को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, मैंने यह देखा है कि शहरों में अच्छी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम शैक्षिक सुविधाएं हैं। गांवों में प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं है। लाखों विद्यार्थी डिग्रियां प्राप्त करते हैं परन्तु उन्हें कोई नौकरी प्राप्त नहीं होती। एक अथवा दो वर्षों की अवधि के तकनीकी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है। यदि युवा व्यक्ति तकनीकी कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो वह अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्हें लघु औद्योगिक इकाईयों को शुरु करने हेतु 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण प्रदान किया जाना चाहिए। यह 40% ऋण तथा 50% राज सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए। यह उनको स्वयं रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगा और देश में बेरोजगारी समाप्त करेगा। यदि व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो वह कुण्ठित रहने लगता है और मोर्चों, आन्दोलनों में भाग लेने लगता है। इसलिए उनको काम में लगाना आवश्यक है ताकि वे रोजगार में लगे रहे। यह एक स्थायी समाधान है जो देश में बेरोजगारी दूर कर सकता है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संस्थान खोले और स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लिए सहायता देने हेतु योजनाएं तैयार करे।

अब, मैं अपने जिला बीड के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। बीड महाराष्ट्र का अत्यधिक पिछड़ा हुआ जिला है। इसकी जनसंख्या 15 लाख है। इस क्षेत्र में यातायात के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष 4 लाख कर्मचारियों को काम की तलाश में कहीं और जाना पड़ता है। उन्हें दिवाली जैसे अपने त्यौहार पुणतया सड़क पर मनाने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें अत्यधिक दूर तक पैदल चलना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उनकी दुर्दशा की कल्पना कर सकता है। यातायात के साधनों की कमी के कारण यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए अहमदनगर बीड़ परली रेलवे लाइन बिछाना इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही उचित है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लाइन का स्वर्गीय राजीव गांधी जी के प्रधान मंत्रीत्व काल में सर्वेक्षण किया गया था। लेकिन अब इस लाइन पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है

क्योंकि रेल मंत्रालय ने कहा है कि तकनीकी दृष्टि से यह लाइन उपयुक्त नहीं है । यदि हम इस दलील को मानकर चलते हैं तो इस क्षेत्र का विकास कम से कम अगले 100 वर्षों में भी नहीं हो पाएगा । इसलिए मैं अनुरोध करना हूं कि अहमद नगर बीड़ परली रेलवे लाइन यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए । केवल यह रेलवे लाइन ही इस क्षेत्र का विकास कर पायेगी । अब यहां उद्योग लगाए जाएंगे । गरीबी और बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी । इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह इस रेलवे लाइन के लिए बजट संबंधी प्रावधान करें और इसे यथाशीघ्र पूरा करें ।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सरकार ने कोंकण रेल निगम स्थापित करने के लिए स्वीकृति दे दी है । सरकार ने जनता में बांड जारी करके इस निगम के लिए सहायता राशि जुटाने की भी अनुमति दी है । यह एक नई योजना है और मैं उसका स्वागत करता हूं । मैं अनुरोध करती हूं कि सरकार को कोंकण रेल निगम के समकक्ष मराठवाड़ा रेल निगम स्थापित करना चाहिए और सरकार को निधियां जुटाने के लिए पब्लिक बांड जारी करने की अनुमति देनी चाहिए । इस प्रकार का कदम इस रेल परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने में मदद करेगा । इससे प्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी ।

मुझे यहां यह बात उठाते हुए प्रसन्नता हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि विदर्भ के लिए एक सांविधानिक विकास निगम स्थापित किया जाना चाहिए । मराठवाड़ा के पिछड़ेपन को दूर करने और उसका विकास सुनिश्चित करने के लिए ऐसा संवैधानिक निगम बनाना आवश्यक है । मैं समझती हूं कि माननीय प्रधान मंत्री स्थिति से अवगत होंगे । मैं आशा और विश्वास करती हूं कि माननीय प्रधान मंत्री स्वयम् संसद के इसी सत्र में विदर्भ के लिए संवैधानिक निगम की स्थापना की घोषणा करेंगे । इस प्रकार के कदम की लम्बे समय से प्रतीक्षा है । और इसकी मराठवाड़ा और और विदर्भ के लोगों द्वारा अत्यधिक स्वागत किया जाएगा । मैं माननीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगी कि वह और विलम्ब किए बिना इस कदम को उठाएं ।

इन शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष महोदय का मुझे बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करती हूं और इसका पूर्वत समर्थन करती हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पारस राम मंगवार...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : हमारे भाषण दल का क्या हुआ ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि श्री जार्ज फर्नान्डीस ने एक घंटा पच्चीस मिनट का समय लिया है। प्रत्येक राजनैतिक दल को उसके लिए समय आवंटित किया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : लेकिन यहां कई लोगों को ज्यादा समय दिया। सब को बराबर समय मिलना चाहिए। अभी हमने देखा कि कई मेम्बर्स 40-50 मिनट तक बोले हैं, लेकिन उनको टोका नहीं गया।

उपाध्यक्ष महोदय : दस मिनट हो जाते हैं तो हम बेल बजाते हैं (व्यवधान)

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : यह सरासर अन्याय है। हम लोगों को समय मिले या न मिले लेकिन हम चाहते हैं कि इन्साफ हो। जिस को बोलने का मौका मिलता है वह तो बोलता चला जाता है और उसको बैठने के लिए नहीं कहा जाता है। जो जबर्दस्ती बोलता है, उसको बोलने से रोका नहीं जाता है। ऐसा नहीं चलेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय मैं विरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : सी.पी.आई. और सी.पी.एम. को जितना समय दिया, उस हिसाब से जनता दल को समय चाहिए, बी.जे.पी. को समय चाहिए और दूसरे दलों को समय देना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी समय मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम : आपने दूसरे दलों को बहुत से मौके दिए हैं। भारत राज्यों का संघ है, समूहों का नहीं। मैं एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे अवश्य एक मौका दिया जाना चाहिए। मुझे अनेक बार मौका देने से मना कर दिया गया है... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मौका दिया जाएगा...

(व्यवधान)

श्री याइमा सिंह युमनाम । मैं आपकी व्यवस्था देने पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं तो विरोध प्रकट कर रहा हूं महोदय मुझे मौका क्यों नहीं देना चाहिए । जनता दल कांग्रेस दल भा.ज.पा. के कई सदस्य बोल चुके हैं ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मौका दिया जाएगा ...

(व्यवधान)

श्री याइमा सिंह युमनाम : हमें बोलने का अधिकार है । हमें बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री याइमा सिंह, आपको मौका दिया जाएगा...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि प्रत्येक राजनैतिक दल के सदस्यों की संख्या के अनुसार समय आवंटित किया जा रहा है । दूसरे, दो सदस्य सत्ता दल के बोलते हैं और एक विपक्ष से बोलता है । इसी क्रम में सूची तैयार की जाती है । आपको मौका दिया जाएगा । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री याइमा सिंह युमनाम महोदय, कई घंटे हो गए हैं । लेकिन हमें कोई मौका नहीं दिया गया है ।

श्री मुहो राम खेकिया (नोनीं): हमारे अनुरोध पर यह भी विचार किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री याइमा सिंह, आपको मौका दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं । आपने अपने अपने राज्यों में अध्यक्ष के पद पर कार्य किया है ।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मेरी बात सुनें । जब पीठासीन अधिकारी एक तरफ से दो व्यक्तियों को बुलाते हैं और तीन चार व्यक्तियों को विपक्ष से बुलाते हैं, कम से कम एक सदस्य किसी छोटे दल से हो । कृपया हमारी कठिनाईयों को समझें ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम यही तरीका अपना रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : ऐसा नहीं हुआ है । कुछ को ज्यादा समय मिला है, कुछ को कम मिला है । हम तो यहां अपने हक के लिए लड़ेंगे (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय । वास्तव में, शुरू में ही कैसे इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि शुरू के वक्ता के द्वारा अधिक समय लिया जाता है तो बाद वक्ताओं के दिमागों में आक्रोश पैदा होता है । मैंने यह अनुरोध किया है । मैंने यह सभा को भी बताया है ।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : ऐसा नहीं हुआ है । किस दल को कितना समय मिला है, यह बताया जाए, और किस आदमी को कितना समय दिया है, यह बताया जाय, आपको यह पता लग जाएगा । हमारे दल का जितना समय है, वह काटकर जनता दल का समय बनता है कि नहीं बनता है ?

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, कृपया सूची को पढ़िए और देखिए कि हमारी तरफ के कितने वक्ताओं ने भाषण दिया है । सत्ता पक्ष को कम समय मिल रहा है ।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : धैर्य मत खोइए । अभी मुख्य वाद-विवाद पर आते है । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी बात सुनें । इस कार्य के लिए घटी मौजूद है । सामान्यत: प्रत्येक सदस्य को दस चिन्ह आवंटित किए जाते है । आवंटित समय के समाप्त होने से दो मिनट पहले मैं घटी बजाता हूं । यह आपके हाथ में है कि आप घंटी का आदर करें अथवा इसे नजर-अन्दाज कर दें । तीन घंटियां बजाई जाएंगी । कुछ सदस्य निश्चय ही घंटी पर ध्यान देते हैं लेकिन कुछ लोग अधिक और विस्तृत जानकारी रखने और उसे बताने और सभा को प्रभावित करने के कारण घटी पर ध्यान नहीं देते है ।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जो आपके आदेश को नहीं मानता है, उसको आप समय देते हैं और जो आदेश मानता है, उसको नहीं देते हैं ।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : प्रत्येक दल को बोलने का एक मौका दिया जाना चाहिए । प्रत्येक दल में से एक सदस्य को मौका दिया जाना चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, हमारा भारत धर्मपरायण, कृषि प्रधान, ग्राम प्रधान देश है फिर भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र की इस बजट में उपेक्षा की गई जबकि 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिलने के बाद गैरीबी हटाओ, आत्म निर्भर बनाओ का ढिंढोरा पीटने वाली सरकारों ने देश का सोना तो गिरवी रख दिया और कहीं विश्व बैंक, अन्त-

राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों तथा विदेशी कम्पनियों के लाने के चक्कर में राष्ट्र को भी गिरवी न रख दे। साढ़े 44 साल के शासन में कोई भी पार्टी सत्ता में आई हो, वैसे तो 40-41 साल तक कांग्रेस ही सत्ता में रही लेकिन सभी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से गिरगिट की तरह रंग बदलकर, नोटंकी वालों की तरह दिखावटी मुखौटा लगाकर दूसरी पार्टी बना लेते हैं लेकिन उनका दिल, दिमाग व मनोवृत्तियां तो पहले जैसी ही रहती हैं। निजी स्वार्थों में रत नेता अपने आप पूंजीपति होते गये और गरीब को और गरीब बनाते रहे।

हमारे वित्त मंत्री ने कहा था कि हमको विरासत में विकट परम्परा और समस्या मिली और सेवा की महान परम्परा मिली और कहा कि विदेशी बैंकों ने कर्ज देना बन्द कर दिया। जब 44 साल की आजादी में आपने हमारा देश जब 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ था, उस समय 3452 करोड़ रुपए की पूंजी हमको मिला थी लेकिन हमारी सरकार ने सन 1951 तक 32 करोड़ अपने ऊपर कर्जा लिया। अपने यहां साधन तो नहीं बनाए लेकिन खर्चे बढ़ाते चले गए। कुछ समय पहले हिन्दुस्तान पर 12 हजार करोड़ कर्ज हो गया और इस समय एक लाख 62 हजार करोड़ का कर्जा है। आशय यह हिन्दुस्तान का कर्ज लेने में पहला नम्बर है और दुनिया के अन्दर चौथा नम्बर है। कर्ज में जो राशि ली जाती है, उसका पचास प्रतिशत तो सूद में चला जाता है और बाकी पचास प्रतिशत का सिर्फ विकास के काम में आता है। इन सब का कारण पूंजीपति और विशेषकर देश के नेता हैं। जैसा कि अखबारों में आया भी है—राजीव जी का विदेशी बैंकों में कितना धन जमा है। सन 1981 में जो उद्योग बन्द किए थे, उससे 25 हजार मजदूर बेकार हुए थे और सन 1991 तक यह संख्या उद्योगों के बन्द होने से तीन लाख हो चुकी है। रोजगार बढ़ाने के बजाए, रोजगारों एक प्रतिशत घटता जा रहा है। सत्तर टन सोना इस सरकार ने बेच दिया है और 70 प्रतिशत चीजें रोजमर्रा के काम में आने वाली हम विदेशी चीजें इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार 75 प्रतिशत विदेशी दवाएं, जो विदेशों में इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, बेकार होती हैं, वे इस्तेमाल की जाती हैं। इसके साथ बोफोर्स का काण्ड चला था, उसी प्रकार से विद्युत रेलवे इंजनों का 550 करोड़ रुपए का सौदा स्वीडन के साथ मन्त्रालय की ओर से हुआ है। विदेशी कम्पनियों के लालच में आकर सोचते हैं कि रोजगार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको पेप्सी कोला कम्पनी के बारे में बताना चाहता हूं। इस कम्पनी ने वादा किया था कि पचास हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने केवल 489 लोगों को ही काम दिया। मैं बताना चाहता हूं, जो विदेशी कम्पनियां भारत में चलती हैं, वे जो पैसा कमाती हैं, उस पैसे का इस्तेमाल हमारे यहां के धर्मों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए करती हैं इस प्रकार का व्यापार देश में हो रहा है।

हमारे वित्त मन्त्री जी ने कृषि के लिए और सिंचाई के लिए बजट में कहीं भी कोई धन नहीं रखा है, जबकि 80 प्रतिशत जनता देश की गांवों में रहती है और खेती करती है। उन लोगों का कहीं पर भी बजट में जिक्र नहीं किया गया है। सिंचाई और बाढ़ कृषि के क्षेत्र में आते हैं, इनकी राशि को भी बजट में घटा दिया गया है। इसके साथ-साथ उन्होंने खाद पर से सब्सिडी हटा दी है। पहले तो हिन्दुस्तान में उन विदेशी कम्पनियों के लालच में आकर अपने नए-नए बीज लाए और खाद पर सब्सिडी दी और अब सब्सिडी हटाने के बाद हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति हो रही है, उससे किसानों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। यह सारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए सम्भव है। ग्रामीण विकास के लिए 1992-93 में 1991-92 के मुकाबले कम पैसा दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों की याद हम लोगों को उसी समय याद आती है, जब इलेक्शन होता है। चुनाव के बाद उन मजदूरों, किसानों और दूसरे लोगों को भूल जाते हैं कि कहीं किसान भी रहता है, जिसकी चोटी का पसीना एड़ी तक आता है। खेतों में मेहनत करके सबको खिलाता है।

परिवार कल्याण के नाम पर जो पैसा दिया जाता है, वह ज्यादातर बेकार जाता है। चूंकि परिवार कल्याण का कार्यक्रम सिर्फ कागजों पर ही होता है, इसलिए वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसका सारा पैसा गोलमाल करने के बाद शासन प्रशासन दोनों दोषी बनते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आयकर की सीमा 22 हजार से बढ़ा कर आपने 28 हजार कर दी है, लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए यह सीमा 48 हजार होनी चाहिए। यह न करके छोटे-छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इसके अलावा आपने एक लाख से ऊपर सरचार्ज लगाया है, यह सरचार्ज भी आपका निराधार है। होना यह चाहिए कि एक लाख के ऊपर जो आय होती है, उस पर सरचार्ज होना चाहिए, लेकिन उस पर न होकर पूरी आय पर 12 प्रतिशत का सरचार्ज लिया जाता है। हमारी मांग है कि आयकर की सीमा 28 हजार से बढ़ाकर 48 हजार होना चाहिए। बीमा पालिसी का घाटा हुआ। जीवन धारा पालिसी और एनएसडी में घाटा हुआ और सरकारी नीतियों का जो पालन करने वाले लोग हैं, उनका घाटा हो रहा है। व्यापारी और चोरी करने वाले बेइमान जो लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं उनका फायदा होता है। आपने काला सीमेंट, मोटर साइकिल और स्कूटर के टायर-ट्यूबों पर 10 से 30 परसेन्ट का बढ़ोतरी की है। यह भी अन्याय है, जबकि पैसा आपको कारों पर बढ़ाना चाहिए था। काला सीमेंट ज्यादातर मकान बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन उस पर भी आपने बढ़ा दिया है। ईंट के पैसे बढ़ाए, काले सीमेंट के पैसे बढ़ाए, लोहे के बढ़ाए, तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में मकान कैसे बना सकते हैं। दो तीन बातें इन्होंने बताई हैं उनमें कुछ तथ्य है जैसे अन्न प्रधान रोजगार चलाने की योजना है, लेकिन जवाहर रोजगार योजना के लिए इन्होंने पैसा बिल्कुल घटा दिया है। जहां तक गिरवी पड़ा सोना लाने की बात, यह अच्छी बात है, विदेशी मुद्रा से पांच किलो सोना लाने की बात अच्छी है। स्वर्ण के बदले पांच और सात साला बांड, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव था वह अच्छी बात है। व्यवसाय के लिए बैंकों से दिए गए ऋण पर 2 परसेंट छूट दी गई है। एक रंक, एक पेंशन वाली बात भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव था और एक बात और है कि सभी मंत्रालयों में व्यय कम, मंत्रालयों के व्ययों के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो मंत्रीगण, सांसदगण और अधिकारीगण हैं उनकी मोटरों पर भी रोक लगाई जाए क्योंकि जब मोटरों पर रोक होगी तो उससे भी हमारे पैसे की बचत होगी, पर्यावरण में भी लाभ और पेट्रोल की भी बचत होगी।

रोजाना इस्तेमाल वाली चीजें जैसे चाय, काफी, माचिस, शक्कर इनको कर मुक्त रखा, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं लेकिन आपने ग्रामीणों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है यह आपने उनके साथ अन्याय किया है। मैं दो-तीन सुझाव और देना चाहूंगा कि विदेशों में जो धन जमा है उस धन को भारत में वापस लाया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए धन को बढ़ाया जाए और बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटे-छोटे उद्योग चलाए जाएं। परिवार कल्याण में पक्षपात न हो और सभी सम्प्रदायों के साथ एक समान व्यवहार हो। स्वास्थ्य विभाग का पैसा बढ़ाया

जाए। कृषि सम्बन्धी खाद, बीज आदि पर सब्सिडी दी जाए, सिंचाई और बाढ़ के लिए धन बढ़ाया जाए। आय कर 28,000 की जगह 48 000 किया जाए और 12 परसेंट सरचार्ज को समाप्त किया जाए। स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया जाए। भोगोलिक रहन-सहन, बोलचाल तथा इतना विशाल राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों को उत्तरांचल का दर्जा दिया जाए। सत्य, धर्म, न्याय, सुरक्षा तथा अहिंसा का मुकाबला करते हुए इस बजट को लागू किया जाए।

हमारे वित्त मन्त्री जी ने आखिर में बताया कि हमारा राष्ट्र सदा जवाहर लाल नेहरू का, उनकी दूरदर्शिता का कृतज्ञ रहेगा, मैं तो यह कहूंगा कि पं. जवाहर लाल नेहरू का प्रधानमन्त्री बनना देश के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध हुआ क्योंकि यह उन्हीं की महिमा है, कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर पर धारा 370 लगाई और जम्मू एक राज्य में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान बने, इसके बाद उन्होंने वहां पर शेख अब्दुला से एकता किया था कि जम्मू-कश्मीर को अलग से राष्ट्र बनाया जाएगा, लेकिन हमारे महान राष्ट्रभक्त रफी अहमद किदवई को मालूम हुआ तो उन्होंने जम्मू- कश्मीर में जाकर शेख अब्दुला को जेल में डाल दिया और जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुला के सपनों को धूल में मिला दिया और उन्होंने अपने जिन्दा-जी शेख अब्दुला को जेल से बाहर नहीं निकलने दिया और उनके सपनों को साकार नहीं होने दिया।

अन्त में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इन देश भक्तों का दिखावटी अनुकरण न करके ईश्वर को साक्षी करके वास्तविक देश भक्तों के पद चिन्हों पर चल कर ईमानदारी का परिचय देते हुए कार्य किया जाए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री "जय जवान-जय किसान" का नारा बुलन्द कर शहीद हो गए और नैतिकता की राह दिखाई। श्री देसाई ने कम से कम शराब को बन्द करके नैतिकता की राह दी। जब मैं जनता की मीटिंगों में जाता हूं तो मुझे बहुमत मालूम होता है कि कि वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री नरसिंह राव को देश भक्त, राष्ट्र हितैषी लोग मानते हैं, वे वास्तव में राष्ट्र का भला चाहने वाले प्रधानमन्त्री हैं अगर वे देश के चाटुकारों और दलालों में न उलझें तो भारत का विकास हो सकता है, तो वैसे प्रधानमन्त्री का वही हाल है जो लंका में विभीषण का था, जैसे कहा है :

"सुनहूं पवनसुत रहनि हमारी, जिमि दशनाहि महु जीभ बिचारी।"

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को जब मैं देखता हूं और पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि इसका मुंह स्वदेशी की ओर नहीं है, ग्रामीण विकास की ओर नहीं है, शिक्षा की ओर नहीं है प्यास से तड़पती जमीन को पानी देने की ओर नहीं है, बाढ़ नियन्त्रण की ओर नहीं है, उन इलाकों की ओर इसका मुंह नहीं है जहां से बम के धमाके और गोलियों की आवाजें आ रही हैं, चाहे आंध्र का इलाका हो, रंगारेड्डी और करीम नगर जिला हो या दूसरे जिले हों, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा का इलाका हो या मध्य प्रदेश का बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर हो, जहां रोज भूख से मरने की खबरें आ रही हैं, उड़ीसा का कालाहांडी का इलाका हो चाहे बिहार का मध्य बिहार का इलाका हो, जो इलाके उपेक्षित रहे हैं, जहां 80 प्रतिशत आज भी निरक्षर लोग रहते हैं, जहां आवागमन की सुविधा नहीं है, जहां बेरोजगारी चरमसीमा पर है, जहां लोग दाने-दाने के बिना तड़प रहे हैं, इस बजट का मुंह उस ओर नहीं है। इस बजट का मुंह किस ओर है। इस बजट का मुंह आईएमएफ की ओर है, विश्व बैंक की ओर है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों

की ओर है, विदेशी निवेशकों की ओर है और होना स्वाभाविक भी है। क्योंकि जब कोई कर्जदार महाजन के पास जाता है तो गिड़गिड़ाते हुए जाता है और सोचता है कि हम महाजन से कुछ कर्जा लेंगे। आज हमारी हालत ऐसी ही हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय यह जो विश्व बैंक है, सबसे ज्यादा कर्जा अगर इसने किसी को दिया है तो वह भारत वर्ष है। 37 अरब डालर कर्जा सिर्फ विश्व बैंक का हमारे ऊपर है और कुल विदेशी ऋण मिलाया जाए तो करीब 70 अरब डालर का हो जाता है। हम देखें कि हम कहां जा रहे हैं। जिस तरह से आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, हर साल चर्चा करते हैं, चाहे सरकार किसी की भी क्यों न हो, लेकिन यह देश कहां जा रहा है, आप इसको सोचें।

जब देश गुलाम था तो देश ने रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसा साहित्यकार पैदा किया, जिसको नोबल पुरस्कार मिला और दुनिया जिसके आगे सिर झुकाती है। जब देश गुलाम था तब देश में गामा पहलवान पैदा हुआ, जिसकी जोड़ का दूसरा पहलवान दुनिया में पैदा नहीं हुआ, लगातार 20 वर्ष तक वह विश्व चैम्पियन रहा। जब देश गुलाम था तब देश में जगदीश बसु, सी वी रमण और भाभा जैसे वैज्ञानिक पैदा हुए। जब देश गुलाम था तब रवीन्द्र नाथ टैगोर जैसे साहित्यकार पैदा हुए, जिसके आगे दुनिया ने सिर झुकाया और उनको नोबल पुरस्कार मिला। जब देश गुलाम था तो गांधी जैसा नेता पैदा हुआ, विवेकानन्द जैसा वक्ता पैदा हुआ। जब देश गुलाम था तो दुनिया वालों को हम हाकी के खेल में हराते रहे, लेकिन क्या वजह है, क्या कारण कि आजादी मिलने के बाद हमने कोई ऐसा साहित्यकार, कोई ऐसा वक्ता, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा वैज्ञानिक, कोई ऐसा खिलाड़ी, कोई ऐसा पहलवान नहीं पैदा किया, जिसका लोहा दुनिया माने। हो न हो कहीं न कहीं खोट है, हो न हो कहीं न कहीं कमी है, अभाव है। अभी मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने जो कहा कि 1951 में हमारे ऊपर 32 करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा था। उससे और पीछे जाएं, जब हमको 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, उस दिन यह देश महाजन था। इंगलैंड उस वक्त हमारा कर्जदार था। उस दिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया में हमारा 180 करोड़ रुपया जमा था और पौंड पावना की रकम इंगलैंड में जो जमा थी, वह अलग थी। क्या वजह है कि आजादी मिलने के बाद हमें खुशहाली की ओर जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। हम बरबादी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमको लगता है कि जब तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नहीं आएंगी, जब तक वे हमारी मदद नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आजादी के पहले हमें याद है हम लोग विदेशी कपड़ों की होली जलाते थे। लेकिन आज यह हालत हो गयी है कि हम विदेशी कम्पनियों को दावत दे रहे हैं, न्यौता दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि विदेशी कम्पनियां आवें। लेकिन हमारी स्थिति कहां जा रही है। आप देखें 1950 में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 2 परसेंट था और जैसे-जैसे आजादी की उम्र बढ़ती गयी। विदेशी कर्जा बढ़ता गया 1988 के जून महीने तक भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा दो परसेंट से कम होकर 0·5 परसेंट तक चला आया। कर्जा बढ़ गया विश्व व्यापार में हमारा परसेंट कम हो गया और देश में बीमारी अथाह रूप से बढ़ रही है। जहां 10 लाख आदमी कैंसर के रोगी हैं, 60-90 लाख आदमी टी.बी. के रोगी हैं, 40 लाख आदमी कुष्ट के रोगी हैं, हमारी हालत बिगड़ती जा रही है। कहते हैं हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से पैसा लेकर देश को आगे बढ़ायेंगे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का किस्सा बहुत लम्बा है

और समय नहीं है कि मैं उन किस्मों को कहूं। मैं इतना ही कहूंगा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जिस मार्डन तकनीक को लेकर हमारे देश में प्रवेश कर रही हैं, जिस बड़ी पूंजी को लेकर प्रवेश कर रही हैं, उससे हमारे लघु उद्योग खत्म हो जाएंगे। उसे कोई रोक नहीं सकता है। बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उसे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मंहगाई बढ़ेगी, असन्तोष बढ़ेगा और हमारे लिए सिरदर्दी हो जाएगी कि इस असन्तोष को कैसे कम करें, उस असन्तोष को कैसे हम दूर करें। एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी पैप्सको जो यहां टमाटर के बीज को तैयार करती है। उसका भाव 16000 रुपये किलो है। जो हमारी देशी कम्पनी उस बीज को तैयार करती है उसका रेट 250 रुपये किलो है। इस तरह से ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां प्याज का बीज तैयार करती है 30 हजार रुपये किलो। हम कहां जा रहे हैं ? जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही है और जो बाहर से बीज आ रहा है, इससे हमें उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ना है। हमारे सामने स्थिति भयानक है। मैं वित्त मंत्री जी की मुसीबत को उनकी बेचैनी को समझता हूं हमारे सामने भुगतान संकट है। इससे हम कैसे निपट सकते हैं।

मेरा कहना है वित्त मंत्री महोदय आप सिर्फ इंटरनेशनल मानटरी फण्ड और वर्ल्ड बैंक पर निर्भर न करें, बल्कि कुछ अपने अन्दर ताकत लाएं, स्वदेश पर, देश पर भी निर्भर करें और यह कोशिश करें कि जो हमारा निर्यात है वह ज्यादा बढ़े। निर्यात कम होता जा रहा है, आयात बढ़ता जा रहा है। 1989 और 1990 में निर्यात था 3180.00 करोड़। 1990-91 में हो गया 4766.55 करोड़ और 1991-92 जो चल रहा है इसमें सात महीनों में हुआ 209 करोड़। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो निर्यात है उसका हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। विदेशी कम्पनी को छूट देंगे तो वह यहां आएगी, यहां सामान बनाएगी और मुनाफा कमा कर ले जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, ब्यूरो आफ इण्डस्ट्री एसोसिएशन एक संस्था है। उसने अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें कहा है कि हिन्दुस्तान में से 1.00 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बहुराष्ट्रीय कम्पनियां दवाइयों पर मुनाफा कमा कर ले जा रही हैं। कैसी दवाई ? जिसको बनाने पर विदेशों में प्रतिबन्ध है। उस दवाई को हम बना रहे हैं, प्रतिबन्धित दवाई को हम बना रहे हैं। दवाई ही नहीं कीट नाशक दवाइयां हैं, जिनकी 30 हजार से लेकर 40 हजार मीट्रिक टन तक खपत होती है, यह तो प्रतिबन्धित है विदेशों में, जो हमारे यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बना रही है और उसको हम सहयोग दे रहे हैं। यह देश कहां जाएगा ? गांधी का देश आखिर कहां जाएगा ? यह हमें कोई बता दे। समय नहीं है, मैं विस्तार में बताता कि किस तरह से रोजगार कम हो रहे हैं। यह बजट आत्मनिर्भरता की ओर नहीं यह विदेशों पर निर्भर रहने की ओर ले जाएगा। इस बजट से गरीबी खत्म नहीं होगी, इस बजट से भुगतान संकट दूर नहीं होने पाएगा। भुगतान संकट दूर करने के

4.00 अ.प.

लिए जैसे मैंने कहा निर्यात को बढ़ावा दें। मैं यह कहना चाहता हूं वित्त मंत्री महोदय कि आप जरा निष्ठुर बनें, कठोर बनें। जो फिजूलखर्ची हो रही है, इतनी फजूलखर्ची है कि जिसका अन्दाजा नहीं लगा सकते कहीं पार्टी होती है शादी ब्याह होते हैं, एक-एक शादी पर 50-50 लाख रुपया खर्च होता है और हम रोक नहीं लगा पा रहे हैं। आपने कहा कि हम कटौती करेंगे, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन नयी सरकार गद्दी पर आयी, सरकार ने क्या किया, मुझे ठीक से नहीं

मालूम लेकिन मुझे जो खबर मिली है कि 28 करोड़ रुपए ठाठ-बाठ पर दरी कालीन और कुर्सी के लिए आवंटित गया है। वित्त मंत्री महोदय, जरा इसका पता लगाएं। मैं यह चाहूंगा कि सरकार की ओर से हमेशा यह छापा जाए कि किस के शासनकाल में फैशन पर, ऐशो-आराम पर, फजूल-खर्ची पर कितना पैसा खर्च हुआ। इससे बड़ा कल्याण होगा।

वित्त मन्त्री महोदय, निष्ठुर बनें। कर वसूली में अरबों रुपये का कर बकाया है, जिसे आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं। जो धनी हैं उनसे आप कर वसूल नहीं कर रहे है, जो गरीब है उससे वसूल कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, समय नहीं है, मैं यह कहूंगा कि यह देश बारूद के ढेर पर खड़ा है, जहां चारों तरफ से खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास जो साधन हैं, हमारे पास जो जमीन है हमारे पास जो बेरोजगार युवक है, उनको उत्पादन के साधनों को एक साथ लेकर इस देश में उत्पादन को बढ़ायें ताकि हमें विदेशों पर निर्भर नहीं होना पड़े। जब तक ऐसा नहीं करेंगे भुगतान संकट से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, मैं यह कहूंगा वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आगे बढ़ें, एक नया सपना लेकर आगे बढ़ें। एक ऐसे समाज, एक ऐसी दुनिया की रचना करें जिसमें कोई भूखा प्यासा न रहे और सभी को बराबरी का हिस्सा मिले। ऐसी दुनियां बनाने के लिए, ऐसे समाज की रचना करने के लिए आप आगे बढ़ें। मैं इतना ही कहूंगा।

(अनुवाद)

श्री विजय कृष्ण हांडिक (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमारे देश के आर्थिक इतिहास में वर्तमान बजट के मुकाबले पहले भी कुछ बजट अधिक विषम परिस्थितियों में पेश किए गए थे तथा कुछ बजटों पर दार्शनिक पहलुओं और कुछ में स्थिर अर्थ-व्यवस्था को पुनः गतिमान बनाने पर जोर दिया गया है स्पष्ट है कि बजट के आलोचकों की हमारी चुनौती इसी आधार पर है।

महोदय, आमतौर पर यह कहा जाता है कि बजट नेहरू कालीन मण्डल बचनबद्धता तथा 1950, 1960 तथा 1970 के दशक की दिशा से भटक गया है। मैं सीधे-सीधे रिकार्ड पेश करना चाहता हूं। आजादी के बाद के इतिहास की शुरुआत से भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में मिश्रित सिद्धांतों को चुना है। यह माना गया कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सहयोगात्मक और संयुक्त कार्यवरण से उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं पण्डित जवाहर लाल नेहरू का उद्धरण देता हूं :

> "आप इसे जो चाहें कहे, मिश्रित अर्थ व्यवस्था या कुछ और। इसमें दो बातें हैं एक देश की सम्पदा बढ़ती है और दूसरे देश में सम्पदा का अधिक समान रूप से विवरण होता है।"

महोदय, पुनः पण्डित नेहरू के शब्दों में :

"यदि किसी पिछड़े और अविकसित देश में समाजवाद आरम्भ किया जाता है, तो उसमें

निश्चितत: उसका पिछड़ा वर्ग नहीं जाएगा। वास्तव में हमारा समाजवाद पिछड़ा हुआ या गरीबों से पीड़ित नहीं है।"

अत: स्पष्ट है कि भारत के विकास के संदर्भ में निर्मित पाई गई। समाजवाद के लिए कोई विशेष संरचना नहीं होनी चाहिए बल्कि व्यावहारिक प्रयास किए जाने चाहिएं जिससे उत्पादन बढ़ सके समान वितरण किया जा सके तथा अधिक अवसरों का समानता प्रदान का जा सके। स्पष्ट है इस बजट से यही सब प्राप्त करने की मंशा है। इस लक्ष्य की के अनुसरण में हमने अपने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जो सामाजिक न्याय के हमारे प्रयास को पुन: प्रतिपादित करता है। बजट हमारे समाज के उन गरीब वर्गों विशेष कर ग्रामीण जनों के संरक्षण के उपायों का एक सूचक है, जो विस्तृत आर्थिक स्वरूप और आर्थिक पुनर्गठन की आवश्यकता से त्रस्त हुए हैं।

बजट के प्रस्तावित राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक रूपान्तरण के प्रतिकूल परिणामों से बचाएगा। जैसाकि बजट में दर्शाया गया है कि जवाहर रोजगार योजना रोजगार के अवसर जुटाने और जवाहर रोजगार योजना की प्रतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि रोजगार सृजन के लिए बनाते हैं, पर यह हमारा ध्यान केन्द्रित है इसके अतिरिक्त, समाज के निर्धन वर्गों को मूल्यों के बोझ से बचाने के लिए 1700 अति पिछड़े इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों का आवंटन एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। गरीबी उन्मूलन योजना और स्वर्णिम जयंती इन्दिरा गांधी द्वारा प्रारम्भ किया गया 20 सूत्री कार्यक्रम तथा राजीव गांधी की जवाहर रोजगार योजना सभी में हमारी सामाजिक और आर्थिक नीति के मुख्य स्तम्भ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उदारीकरण बहुत से लोगों के लिए केवल एक दु:स्वपन है। बजट जिस उदारीकरण का समर्थन करता है उसका अभिप्राय यह नहीं है कि बाजार को नग्न और निष्ठुर अर्थ व्यवस्था का शासन करने की इच्छा रखते हैं।

संविधान की प्रस्तावना में हमने एक मूल्य प्रणाली की परिकल्पना की है। समाजवाद ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत का समाजवाद के उत्कर्ष का अपना तरीका है। कल एक माननीय सदस्य ने कांग्रेस के समाजवाद के बारे में टिप्पणी की थी। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 'हां' हमारा अपना कांग्रेसी समाजवाद है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कठिनाई जानते हैं। पहले के वक्ताओं ने अधिक समय लिया है मैंने भी सभा में इसके बारे में अन्दाजा लगाया था। जब मैं लोगों में जा रहा था मैंने पाया कि कुछ सदस्य काफी उत्तेजित हो रहे हैं। वास्तव में वक्ताओं को केवल 10 मिनट का समय लेना चाहिए।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक। मैं केवल एक मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं हमारे वरिष्ठ सदस्य काफी उत्तेजित थे। वह अपने जीवन में कभी उत्तेजित नहीं हुए। यदि हर कोई 10 मिनट बोलेगा तो हमें बिना मतलब के बहुत

तक बैठना पड़ेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि इस समय सीमा का पालन करें। आखिर कार माननीय कमजोरी भी है। दो तीन मिनट तो ठीक है। यदि आप 20 से 45 मिनट लेंगे तो दूसरों का क्या होगा ? वे भी अन्य लोगों की तरह महत्वपूर्ण है। उनको भी समय दिया जाना चाहिए। हमें वस्तुतः दस मिनट पर कायम रहना चाहिए। नहीं तो विभिन्न राजनैतिक दलों को दिया गया समय पर ही विचार किया जाएगा तथा अन्यों को बोलने के अवसर से वंचित होना पड़ेगा।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : आपने अचानक यह बात कही है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा में साक्षी है, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लिया है।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : महोदय, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे माननीय पिता श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ने कुछ टिप्पणियां की हैं, मुझे श्री नेहरू द्वारा की गई एक संगत टिप्पणी याद आई। यह बहुत ही रुचिकर है क्योंकि एक बार यह कहा गया था कि हमने नेहरू को भुला दिया है। यह केवल ये दिखाने के लिए है कि हमने नेहरू को नहीं भुलाया है, मैं उद्धृत करता हूं।

> "साम्यवादी अपनी आंखें बन्द करके चलते हैं···हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें बाहर से हर जगह से सीखना है, हमें अपने मार्ग और तरीकों का अनुसरण करना है।"

अतः हम बाहरी स्रोत के विरुद्ध नहीं है। लेकिन वह बाहरी स्रोत कहां है जो हमें सामाजिक विचारों से प्रेरित कर रहा है ? सबसे पहले पूर्वी यूरोपीय देशों में पूर्वी यूरोपीय प्रणाली रह गई, जहां सोवियत संघ की तरह साम्यवाद निचले स्तर से कभी नहीं बढ़ा। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केवल ऊपर थोपा गया था। उसके बाद समाजवाद के जनक सोवियत शक्ति का अन्त हुआ। खुश किस्मति से हमारी पार्टी की कोई अतिरिक्त क्षेत्रीय निष्ठा नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : विश्व बैंक के सिवाय।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : वह कोई अतिरिक्त क्षेत्रीय निष्ठा नहीं है। आप कृपया सुनें, यदि उपाध्यक्ष महोदय मुझे समय देंगे तो मैं उस पर बाद में बात करूंगा।

मुझे निष्पक्ष होना चाहिए तथापि विचार धारा में मूलतः कोई दोष नहीं था जो दोष था वह यह था। सभी औचित्यों सभी ठोस वास्तविकताओं को ताक पर रखकर उस विचारधारा के प्रति अंधी दृढ़ आस्था रखी जा रही थी और खून-खराबपूर्ण क्रूरताएं करके इसे इस तर्क के आधार पर दृढ़ता पूर्वक लागू किया जा रहा था कि यह सब तथाकथित बर्बादी क्रांति को कुचलने के लिए किया जा रहा है।

सम्भवतः चीन बुद्धिमान निकला, जिसके पास चिरस्थाई मिश्रित अर्थव्यवस्था है, "प्रारम्भ करके" की प्रक्रिया को एक दशक से ठीक प्रकार से चला रहा है। उसे "प्रारम्भ करने" की

प्रक्रिया का हम अब अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि हमारे आलोचक दोहरे मापदण्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं एक भारत के मामले में हमारी, हमारी नीति को गैर सरकारी, पूंजी और बहुराष्ट्रकों के समक्ष पूर्णतया घुटने टेकना कह कर तथा दूसरी ओर शतुर्मुर्ग की तरह रेत में सिर गड़ा कर चीन सम्मोहक रूप से इस की छोटी अवधि में कई देशों से 45 बिलियन डालर की बहुराष्ट्रक पूंजीनिवेश "प्रारम्भ करने" के अवसर प्रदान कर रहा है जिसमें 10 लाख डालर का निवेश ताइवान का है—यह एक ऐसा परिवर्तन है जिसे चीनी चीन विशेषताओं का समाजवाद कहता है।

भारत और चीन दोनों का लक्ष्य एक जैसा है। दोनों अपनी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करके उत्पादन को बढ़ाना और उसे दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। दुनिया से जोड़ने के इसी लक्ष्य को प्राप्त करना इस बजट का एक और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है।

चूंकि समय ज्यादा नहीं है, अतः मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान एक विशेष मुद्दे की ओर खींचना चाहूंगा।

महोदय, बजट क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने की सरकार की इच्छा की झलक मिलनी चाहिए। इसे योजना आयोग पर नहीं छोड़ा जा सकता है। चूंकि बजट में आर्थिक नीतियों का खुलासा किया गया है अतः इसमें इस इच्छा का भी समावेश होना ही चाहिए। इस देश में ऐसी गलत भावना फैल गयी है कि सरकार क्षेत्रीय शिकायतों को मान्यता देती है और उन्हें केवल तभी स्वीकार करती है जब स्थिति नाजुक और विस्फोटक हो जाती है। सरकार इस पर बातचीत के जरिये विचार करने के बजाय धमकी मिलने के बाद विचार करती है। सरकार को बजट में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को न्याय संगत रूप से पूरा करने संबंधी ठोस उपायों का बताते हुए एक नीति संबंधी घोषणा करनी चाहिए। सिर्फ ऐसा करने के बाद ही उन विभिन्न क्षेत्र के लोगों में आत्म विश्वास जमेगा जहां कि अभी दुर्भाग्य वश अलगाव बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मन्त्री इस पर ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि देश के लोगों तक सही और अच्छे सन्देश जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चित ही। आपने अपना भाषण पहले ही समाप्त कर लिया है। अपने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है। वह आपके अनुरोधों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ? आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री राव बोलेंगे।

श्री लोकनादीश्वर राव वाड़े (विजयवाड़ा) : महोदय, अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित कुछ बजट प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

महोदय, वर्तमान मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिये। मध्यवर्ग और निर्धारित आय वाले लोगों को इससे बड़ी कठिनाई होती है अतः इसे बढ़ाकर 42 हजार रुपये करना चाहिए या कम से कम 36,000 रुपये तो करना ही चाहिए।

मैं सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुमानिक करों का भी स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि कर वसूली करने वाला तंत्र छोटे व्यापारियों को परेशान करता रहा है यह सरलीकरण सही दिशा में सही कदम है। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वाणिज्य करों की वसूली के मामले में वह राज्य सरकारों को उपयुक्त उपाय सुझायें। यह बात सभी जानते हैं कि कर वसूल करने वाले लोग सहायक वाणिज्य कर अधिकारी कुछ जगहों पर प्रति माह 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं। यह सारा भार फिर से उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। अतः सरकार इन करों में सुधार लाने के संबंध में गम्भीरता से विचार करे। उन्हें इतना ही करके नहीं रुक जाना चाहिए।

मैंने यह भी देखा है कि सरकार की कथनी और बजट प्रस्तावों में इसके अनुरूप आवंटन में अन्तर है। अब मैं वित्त मंत्री के बजट भाषण के भाग (क) से उद्धृत करता हूं :

> "हमारा दीर्घकालीन उद्देश्य एक ऐसी उत्पादन पद्धति का विकास करना है जो श्रम को प्रोत्साहन दे तथा आय की उत्पादक नौकरियों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करें और देहाती तथा शहरी क्षेत्रों के बीच आमदनी और धन के असमानता को कम करें।"

नियंत्रण निर्देश पत्र सभी सदस्यों को प्रचालित आठवीं योजना के लक्ष्य विशेषताएं और बड़े आयाम दीर्घकाल के अन्तर्गत किये गये थे, से भी मैं यह उद्धृत करना चाहता हूं।

लक्ष्यों में कहा गया है :

> "आठवीं योजना में इन लक्ष्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस शताब्दी अन्त तक करीब-करीब सबको रोजगार देने के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करना जनता के सक्रिय सहयोग और प्रोत्साहन निरुत्साहन दोनों की प्रभावी योजनाओं के जरिए आबादी की बाढ़ को रोकना खाद्य पदार्थों के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त करते और निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन को करने के लिए कृषि का विकास और विविध-करण करना।"

परन्तु बजटीय प्रस्तावों में यह प्रतिबिम्बित नहीं होता है। वर्ष 1991-92 में 1858 करोड़ रुपये का मकान ले उन्होंने वर्ष 1992-93 के लिए 1879 करोड़ रुपए का ही आवंटन किया है। इसी तरह ग्रामीण विकास और सिंचाई क्षेत्र में भी यही हालत है। परन्तु ऊर्जा में इन्होंने इसे 7117 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8198 करोड़ रुपया कर दिया है, यानि 1000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। यह क्या हो रहा है ? हमारे माननीय वित्त मंत्री हमारे देश के प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों में से हैं। फिर जब वह भी और सरकार भी सभी जानते हैं कि पूंजी उत्पादन में वृद्धि का अनुपात कृषि के मामले में काफी अच्छा है फिर भी आप कृषि को महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं?

मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेती में उत्पादन में वृद्धि का अनुपात 3:2 है जबकि उद्योग में यह 1:3 है। इसका मतलब हुआ कि उतने ही निवेश से कृषि में ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

सातवीं योजना के दौरान कृषि और इससे जुड़ा गतिविधियों के लिए 12,864 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे जबकि उद्योग और खनिज के लिए 29 66 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यह तो ढाई गुणा है इस बजट में उद्योग और इससे जुड़ी चीजों के लिए किया गया आवंटन खेती और इससे जुड़े विषयों के लिए किए गए आवंटन से चार गुणा ज्यादा है। यह भेदभाव अभी भी चल रहा है। फिर भी आप कहते रहते हैं कि सरकार खेती पर ही सारा ध्यान दे रही है और उन्हें छोटे और सीमांत किसानों से बड़ा प्यार है। मैं सिर्फ सीधा सा सवाल पूछता हूं कि क्या बिना भोजन के भी कोई बढ़ सकता है, अपनी ताकत बढ़ा सकता है ? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था किए बगैर हम खेती में तेजी से वृद्धि की आशा कैसे कर सकते हैं ? पिछले वर्ष सरकार ने चीनी गेहूं चावल और कपास का निर्यात करके अरबों रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त की थी। अब इस वर्ष देश के कुछ भागों में कुछ विपरीत मौसमी हालातों के कारण हमें गेहूं का आयात करना पड़ रहा है। अब हम कपास का भी आयात कर रहे हैं। अतः हमारी कृषि का विकास अभी इतना भी नहीं हो सका है कि वह एक मौसम, एक साल के विपरीत प्रभावों को भी झेल सके। अतः मैं सरकार को सलाह देता हूं कि वह कृषि के क्षेत्र को और ज्यादा धन प्रदान करे।

परेशानी में डालने वाली एक और खबर है। सिंचाई के बारे में आप तो जानते होंगे कि बड़े और मंझोले सिंचाई योजनाओं में एक हेक्टेयर की सिंचाई में करीब 40,000 रुपया लगता है जबकि लघु सिंचाई से ऐसा करने में सिर्फ 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक लगते हैं। समाचार पत्रों में एक बड़ी घबराहट पैदा करने वाली खबर छपी है :

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की मदद से नलकूपों का विद्युतीकरण करने का सरकारी कार्यक्रम मुश्किल में है और वाणिज्यिक बैंक यह योजना बना रहे हैं कि उन्हें इसको सहायता देना बन्द कर देना चाहिए। कृषि का विशेष परियोजना (स्पेशल प्रोजेक्ट एप्रोकस्चर) नामक कार्यक्रम के तहत पहले पम्पसेटों के विद्युतीकरण के खर्च का नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंक और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आदि बराबर-बराबर उठाते थे। विद्युत मंत्रालय के हाल के एक प्रपत्र के अनुसार नाबार्ड और अन्य वाणिज्यिक बैंकों ने इसके कार्यक्रम में अपना भागीदारी कम कर दी है तथा इससे पूरी तरह अपना हाथ खींच लेने की मंशा जाहिर की है। इसके क्या कारण कृषि उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले पम्पसेट के विद्युतीकरण के इस कार्यक्रम के लिए धन की उपलब्धता पर गम्भीर असर पड़ा है। नाबार्ड और बैंकों का लगातार समर्थन प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय, योजना आयोग और आर. ई. सी. द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए गए परन्तु अब तक सफलता नहीं मिली है।

यह बहुत ही चेतावनी देने वाला समाचार है। मैं आशा करता हूं कि यह सही नहीं है। परन्तु यदि यह सही है तो देश इसकी बहुत ही महंगी कीमत चुकाने जा रहा है। मैं वित्त मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि इस समाचार पर ध्यान दें और देश में पम्पसेटों का विद्युतीकरण करने के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

मैं सरकार को भी आगाह करता हूं, कृपया कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली राज सहायता अचानक बन्द न करें। अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह सकता है, विश्व बैंक कह सकता है। यदि आप कृषि क्षेत्र से किए जाने वाले हमारे निर्यातों का दर विपरीत प्रभावित पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय

मुद्रा कोष और विश्व बैंक इन सभी राज सहायताओं को बन्द करने को कह रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका में कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली राज सहायता 75 अरब डालर है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय कृषि क्षेत्र को 134 अरब डालर तक की राज सहायता देता है। महोदय, हमारे देश में यह 7 अरब डालर तक नहीं पहुंची है। और इसमें से भी ज्यादातर राज सहायता अन्य क्षेत्रों में चली जाती है। किसानों को इससे अधिक लाभ नहीं होता है। उदाहरणार्थ उर्वरकों को देखिए। ज्यादातर लाभ उत्पादकों और सरकार के पास जा रहे हैं। नैफ्था, कोयला बिजली और अन्य चीजों के बढ़े हुए मूल्यों के कारण स्वयं सरकार को लाभ मिल रहे हैं।

महोदय, इस समय कृषि में पूंजी बहुत कम लगी है जोकि कुल राष्ट्रीय आय का एक तिहाई है और दो तिहाई आबादी के लिए उपयोगी है। जब आपको यह पता चलेगा कि यह पूंजी बजाय बढ़ने के कम हो गई है तब आपको बहुत बुरा लगेगा। 1980-90 में यह 9.6 प्रतिशत थी जबकि 10 वर्ष पहले यह 18.7 प्रतिशत थी। इसी कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी कम हो गए हैं। इन सभी बातों को देखते हुए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि का भारत औसत उत्पादन 0.8 प्रतिशत है जबकि उद्योग का 1.4 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि आप कृत्रिम उपायों से उद्योगों को संरक्षण दे रहे हैं परन्तु कृषि के लिए आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसानों को सजा दे रहे हैं और अपने समर्थन मूल्यों द्वारा उन्हें कम कीमत दिलवा रहे हैं जोकि उसके उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं है और कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अनिवार्य रूप से रोक और कर लगाए गए हैं। इन सब उपायों से आप किसानों को सजा दे रहे हैं। वास्तव में, हम कृषि व्यापार केन्द्र जैसा कि वित्त मन्त्री महोदय ने प्रस्ताव किया है का स्वागत करते हैं। यह देश के किसानों को कुछ हद तक मदद कर सकता है। परन्तु अब तक उन्हें कोई सीधा लाभ नहीं मिल रहा है। केवल कुछ बड़े लोग जो शहरों में रहते हैं और निर्यात का काम करते हैं को लाभ मिल रहा है। परन्तु अब कुछ प्रयास किये जा रहे हैं जिसका हम स्वागत करते हैं। परन्तु जब तक आप कृषि क्षेत्र की पर्याप्त ऋण नहीं देंगे जो कि जरूरी भी है स्थिति में सुधार नहीं होगा। (व्यवधान) इसी प्रकार वर्तमान बजट में आपने कृषि क्षेत्र की आवंटित धनराशि में कमी कर दी है। तो आप और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलकर किसानों के लिए एक्टेंशन सेवाओं का विस्तार कैसे करेंगे? मुझे डर है कि ये गतिविधियां रुक जायेंगी। मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि वह इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करे और कृषि क्षेत्र को आवंटित धनराशि में वृद्धि करें। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन लाकर वे यह सोच रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार होगा? जब तक आप ऐसा उपाय नहीं करेंगे जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो, आप अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते है। चीन में कुछ संयुक्त उद्यमों के लिए विदेशी पूंजी लगाने की बात चल रही है। ऐसे संयुक्त उद्यमों के प्रबंधक को यह शक्तियां होंगी कि वह किसी को भी रखे या जो कम काम करे उसे निकाल दे। जब तक इस देश में भी सभी मजदूरों के बारे में चाहे वह किसी उद्योग में कार्यरत हो या किसी सार्वजनिक प्रशासनिक सेवा में या कहीं भी कार्य करता हो कुछ ऐसे ही उपाय नहीं किए जाएंगे, कोई सुधार नहीं होगा (व्यवधान) उसे देश की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी यदि ये सभी सुधार वास्तव में देश के उद्योगों और कृषि के विकास में सहायक होते हैं तो निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु हमारा डर दूसरी बात के लिए है। अब कोका कोला देश में निवेश करने के लिए तैयार है और एक ओर

कम्पनी कास्ट आयर के क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए देश में निवेश करने को तैयार है। हमें ऐसे क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति क्यों देनी चाहिये जहां पर पहले से ही काफी निवेश है और मशीनरी भी कार्य कर रही है। आपको हर क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। आपको ऐसे क्षेत्रों में उनके द्वारा निवेश पर रोक लगानी चाहिए जहां पर पहले से ही काफी निवेश हो रहा है। केवल उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करने देना चाहिये जहां पर विदेशी तकनीक और पूंजी आवश्यक हो। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सीमेंट और खाना पकाने की गैस के मूल्य कम कर देना चाहिये। वर्तमान बजट केवल अमीर लोगों की सहायता करेगा आम गरीब लोगों की नहीं। मैं इस बजट का विरोध करता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राव साहब कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाडडे : कुछ माननीय सदस्यों को एक घंटा 25 मिनट से भी अधिक समय तक बोलने दिया गया है। आप मुझे केवल तीन मिनट और नहीं दे रहे हैं। मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं और महोदय मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सीमेंट और खाना पकाने की गैस के मूल्यों में प्रस्तावित वृद्धि को कम कर दें। वास्तव में अब तक भी आपने सीमेंट के मूल्यों में 20 रु. की और वृद्धि कर दी है। अमीर लोग और वे लोग जिनके पास काला धन है पर इस मूल्य वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा। परन्तु आम मध्य वर्ग के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस देश में लाखों घरों की कमी है। परन्तु मैं समय की कमी के कारण ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा।

इसी प्रकार खाना पकाने की गैस की कोई आयात की वस्तु नहीं है। यह प्रत्येक परिवार की अनिवार्य घरेलू जरूरत है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसके मूल्य को कम कर दें।

यदि यह बजट वास्तव में गरीब आदमी और आम आदमी का बजट है और यदि सरकार काले धन को निकालने के बारे में वास्तव में गंभीर है तो आप 100 रु. के नोटों का चलन बन्द क्यों नहीं कर देते हैं? यह बताया गया है कि एक लाख करोड़ रुपए का काला धन इस देश में है। यदि आप 100 रु. के नोटों का चलन बन्द कर देते हैं, तो आप आम आदमी और मध्य वर्ग के करदाता को कोई सजा नहीं देंगे। मैं इस बजट का विरोध इसलिये करता हूं क्योंकि यह गरीबों को कष्ट देगा। यदि सरकार वास्तव में उनका कल्याण चाहती है तो उन्हें मेरा सुझावों से सहमत होना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकट गिरि गौड़ा।

श्री साईमालिंह यूमनाम : महोदय, यह मेरी बारी है। मैं बहुत देर से इन्तजार कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारी एक व्यवस्था है और हमें उसके मुताबिक ही कार्य करना है। कृपया मेरे साथ सहयोग करें। आप श्री गौड़ा के बाद बोल सकते हैं।

श्री दाईमासिंह युमनाम : महोदय यह उचित नहीं है। ...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं यह सही नहीं है।

अध्यक्षपीठ के लिए उनके द्वारा की गई टिप्पणी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

प्रो. के. बेंकटगिरि गौड (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों ने एक घंटे से भी अधिक देर तक भी बोला है। आप कहते है कि मैं केवल 10 मिनट बोल सकता हूं। यह उचित नही है। मैं एक घंटा तक बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बोलने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं और बजट की अच्छी बातों का स्वागत करना चाहता हूं। 30 जुलाई, 1991 को जब पिछले वर्ष के बजट पर बोलते हुए मैंने कहा था : 'मैं इस सभा में बजट की सराहना करने के लिये नही खड़ा हुआ हूं बल्कि उसकी आलोचना करने के लिये खड़ा हुआ हूं।' अत. मैंने बजट और इसे बनाने वाले की आलोचना की। इसका निर्णय इतना सुसंस्कृत व्यक्ति है कि वह कड़ी परीक्षा के समय मुस्कराता रहा। जब मैंने सभा छोड़ी और घर गया तो मैं पछतावे और खेद की भावना से परिपूर्ण था।

इस समय मैं बजट का विरोध नही करूंगा। मैं इसका स्वागत करता हूं और मेरे ऐसा करने के बहुत अच्छे कारण हैं। बजट के कई पहलू अच्छे है और मैं इसके अच्छे पहलुओं का स्वागत करता हूं। मैं इस सभा मे उन बातों में सुधार के लिये कुछ सुझाव देता हूं जो अच्छे नहीं हैं।

महोदय, वित्त मंत्री महोदय अपनी कुशल वित्तीय नीति के लिये हमारी बधाई के पात्र है। कुछ सदस्यों का कहना है कि बजट गरीब विरोधी है अन्य कहते है यह अमीरों के लिए है। कुछ कहते हैं यह विकासोन्मुखी है, अन्य कहते हैं कि यह विकास विरोधी है। कुछ कहते हैं कि यह विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है अन्य कहते है कि ऐसा नही है।

परसो श्री वाजपेयी ने बजट पर बोलते हुये कहा था कि जब गोपियां भगवान मनमोहन के पास गई तो उन्होंने उनका चीरहरण कर दिया लेकिन डा. मनमोहनसिंह एक भिन्न व्यक्ति है। जब गोपियां अपनी गंदी साडियों में उनके पास गई तो उन्होंने उन्हें निर्वस्त्र कर उन्हें नई चमचमाती साडियां दे दी तथा जब उन्होंने उन साडियों को पहना तो वे मेनका और उर्वशी की तरह लगने लगी। मंत्री महोदय ने हमसे तीन वर्ष तक इंतजार करने को कहा है। देखें तब आखिर कैसा दिखता है। मुझे आशा है कि उनका सपना सच्च होगा।

अत: इस भीषण आर्थिक संकट में बजट प्रस्तुत किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने पिछले महीने संसद को संबोधित किया था तथा उन्होंने कहा था कि हालात बहुत ही संगीन है। परिस्थिति मे परिवर्तन नही हुआ है। यह अभी भी विकराल है। अब यह कैसे भयकर है? मुद्रा-

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्थिति 12-2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। मुद्रा की सप्लाई का क्रम अलग है। यह 1 से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। उत्पादन से छः प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। इन सबसे मुद्रास्फीति बढ़ रही है, फिर से अदायगी भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो गया है। निर्यात बढ़ रहा है। लेकिन उस दर से नहीं जितने से आयात बढ़ रहा है। व्यापारिक अन्तर है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के उधार लेकर कम किया जाएगा।

वित्त मन्त्री कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा कोष का प्रयाप्त कोष है। यह 11,000 करोड़ रुपये के लगभग है। हम उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे यह कथन निर्यात के माध्यम से होगा ? नहीं उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से उधार लेकर प्राप्त किया गया है। चीन के पास लगभग 40 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा है और ताइवान जैसे एक छोटे देश के पास 80 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा है जबकि भारत के पास केवल 4.4 बिलियन डालर की विदेशी मुद्रा है। जैसा कि मंत्री जी कहते हैं। यदि अप्रैल से आयात शुल्क मुक्त कर दिया जाता है तो कुछ ही महीनों के भीतर ये विदेशी मुद्रा के कोष निःशेष हो जाएंगे तथा इससे हमें दोबारा विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास ऋण के लिये जाना पड़ेगा।

5 करोड़ लोग बेरोजगार है। अनुमानों से पता चलता है कि इस दशक के अन्त तक श्रमिक शक्ति में 7 करोड़ की बढ़ोतरी होगी। यदि यही हाल रहा तो हम देश की बेरोजगारी की समस्या को कैसे सुलझा सकते है।

2.6 लाख करोड़ का स्वदेशी ऋण है तथा हम सही अर्थों में कर्ज के जाल में फंसने वाले हैं। सरकारी राजस्व का लगभग 30% ब्याज अदायगी में चला जाता है। हम विदेशी ऋण के जाल में भी फंसने वाले है। डंकल व्यापार पैकेज को यदि स्वीकार किया जाता है तो इससे हमारी कृषि, हमारे उद्योग और हमारा व्यापार नष्ट हो जाएगा। औद्योगिक श्रमिक एग्जिट पालिसी का विरोध करता है। वे सारे देश में आन्दोलन चलाने की योजना बना रहे है। कर्मचारियों ने नरसिम्हन समिति रिपोर्ट के कार्यान्वयन के विरुद्ध एक आन्दोलन चलाने की धमकी दी है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान न किए जाने की चिन्ता है। वे इस वेतन वृद्धि रोकना मान रहे हैं। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में असन्तोष है। लोग विद्रोह के कगार पर है। इस स्थिति में वित्त मन्त्री ने अपना बजट प्रस्तुत किया है।

पिछले वर्ष, चुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था जो झूठे वायदों से भरा हुआ था। इसमें कहा गया था कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो मूल्य अप्रैल या मई, 1990 के स्तर पर आ जाएंगे। मैं कहूंगा कि 1991-92 का बजट दो कारणों से हितकारी था। प्रथमतया घाटा 7,000 करोड़ रु. का था। वित्तीय के तरीके आयात मुद्रा वित्तीय ऋण वित्तीयन, स्फीतिकारी था। बहुत से लोग यह भी मानते है कि बजट स्फीतकारी नहीं था। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मूल्य 16 से 17 प्रतिशत तक बढ़ गया। दो महीने बाद वे गिरकर 13.3 प्रतिशत तक रह गये और अब यह 12.2 प्रतिशत अंकित है। मुझे इन आंकड़ों पर संदेह है। मेरे विचार से वे जनता और संसद से सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे है।

इस वर्ष बजट घाटा कम हुआ है । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमें वित्तीय घाटे को सकल उत्पाद के 3 प्रतिशत तक कम करने के लिए कहा है । ऐसा कर लिया गया है । बजट घाटे में 2000 करोड़ रुपये की कमी हुई है लेकिन यह काफी नहीं है ।

पिछले महीने संसद में बजट की घोषणा के बाद खाद्यान्नों के मूल्य 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गए । आम आदमी को वक्त का गुजारा करने में भी असफल है । गरीब लोग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बजट घाटे के बारे में चिन्तित नहीं है बल्कि उन प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतों से चिन्तित है जिन्हें वे खरीदते हैं । अतः यह आवश्यक है कि मूल्य निर्धारण के लिये मूल्य नियन्त्रण के उपाय तुरन्त लागू किए जाय तथा उनका सारे देश में जांच की जाए ।

वित्त मन्त्री ने अपने बजट में कई प्रस्ताव दिए हैं । उनका कहना है कि उन्होंने चेरलया समिति का रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है । प्रस्ताव क्या है ? आय कर में पहले चार स्लैब होते थे और अब उन्हें कम करके तीन कर दिया है । कर की मार्जिनल दर 40 प्रतिशत है । ऐसे करों के भुगतान के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया है । यह "लफरलवं" विश्लेषण पर आधारित है । डा. लफर लास एन्जेल युनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे मैंने एक लेख पढ़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे कॉफी हाउस में कॉफी के लिए गये और उन्हें एक विचार सूझा उन्होंने कागज का टुकड़ा लिया और कॉफी की मेज पर पर एक रेखा चित्र बना दिया । उसके दो सिरे एक लम्बवत और एक समतल थे । लम्बे सिरे पर उन्होंने कर की दर दर्शाई और समतल सिरे पर कर की प्राप्तियां दर्शाई । उन्होंने अधोमुखी वक्र रेखा खींचा । इसमें दर्शाया गया कि जैसे-जैसे कर दर बढ़ती है कर प्राप्ति घटती है । जैसे जैसे कर हर बढ़ती है, कर प्राप्ति घटती है अतः वित्त मन्त्री ने सोचा कि कर की दरों में कमी से कर प्राप्ति में वृद्धि होगी यह मूल्यांकन अमरीका पर लागू होता है जहां कर देने में ईमानदारी है लेकिन भारत में जहां करों के प्रति ईमानदारी की कमी है वहां कर की दरों में कमी से अधिक राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकती । सरकार को नुकसान केवल कर की दरों के कारण नहीं होता, बल्कि करों का भुगतान न करने के कारण होता है । अतः मार्जिनल कर की दर को बढ़ाया जाए । मैंने वित्त मन्त्री को लिखा है कि वे उस कर को वापस ले जो पिछले वर्ष बैंक जमा से हुई आय पर लगाया गया था क्योंकि इस पर इस तरह दोहरा कर लग जाता है । मुझे आय हुई, मैंने इस पर कर अदा कर दिया और तब तक मैंने इसमें से कुछ हिस्से का मैंने खर्च कर दिया तथा अन्य हिस्से को बचत कर लिया । मैंने अपनी बचत को बैंक में जमा कर दिया । जमा से आय हुई और इस आय पर भी कर लगा दिया गया । अतः यह दोहरा कर है जो अनुचित है । जब से यह कर लगाया गया है बैंक जमा राशियों में गिरावट आई है । लोगों ने बैंकों से अपनी जमा राशियां वापस ले ली और उन्हें सोने और वास्तविक सम्पदाओं में लगा दिया । अतः मूल्यों में वृद्धि हुई और बैंक जमा में कमी हुई । इन कारणों से, मैंने वित्त मन्त्री से इस कर को वापस लेने को कहा है । उन्होंने विनम्रता से इसे वापस ले लिया है । मैं उनको इसके लिए धन्यवाद करता हूं ।

आय कर अधिनियम के खंड 80 एल के अन्तर्गत कर दाताओं को दिए जाने वाले लाभ वापस ले लिये गये हैं । उन्हें पुनः बहाल किया जाना चाहिए । नियमित कर को 45 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए । नियमित बचत इस बात पर निर्भर करती है कि कर की दर ऊंची है या नीची । जब कर दरें कम कर दी जाती हैं तब नियमित बचत बढ़ती है ।

उद्योगों की प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा सुधार के लिए उन्हें इन मदों की आवश्यकता होती है। उन्हें पुराने मूल्य के आधार पर नहीं अपितु प्रतिस्थापन लागत के आधार पर मूल्यह्रास छूट दी जानी चाहिए। यदि पुरानी कीमत के आधार पर मूल्य ह्रास दिया जाएगा तो वह नए उपकरण मशीनरी और प्रौद्योगिकी खरीदने में समर्थ नहीं होंगे क्योंकि उनके मूल्य बढ़ जाते हैं। निवेश आंतरिक संसाधनों पर निर्भर करता है इस लिए नियमित दरों को कम करके तथा प्रतिस्थापन लागत के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान करके आंतरिक संसाधनों को बढ़ाना आवश्यक है।

खाद्यान, चाय, काफी तथा चीनी जैसी वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर वृद्धि से मुक्त रखा गया है। इसका उद्देश्य मूल्य वृद्धि को रोकना तथा मूल्य स्तर को स्थिर बनाए रखना है।

अब मैं काले धन की बात करता हूं। हमारे देश में काला धन है। यह काला धन 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये है। भारत सरकार द्वारा निरन्तर अनेक उपाय किए गए हैं परन्तु सरकार इस पर नियन्त्रण रखने में असमर्थ रही है।

वित्त मन्त्री ने सोने के आयात और स्वर्ण बांडों की नीति शुरू की है। अनिवासी भारतियों तथा व्यक्तियों सहित प्रत्येक व्यक्ति जो भी विदेशों से भारत में आता है पांच कि. ग्रा. तक सोना ला सकता है। अब वे सोना लायेंगे तथा काला धन रखने वाले लोगों को बेच देंगे। यह लोग काले धन की सहायता से सोना खरीद सकते हैं और फिर वे स्वर्ण बांड खरीद सकते हैं। स्वर्ण बांडों की अवधि परिपक्व होने पर वे सोना वापस ले सकते हैं तथा उसे बेचकर धन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार काले धन का वैध धन में बदल लिया जाता है। इसलिए इस स्वर्ण बांड योजना को वापस लेना अच्छा होगा।

अब, हमारे यहां डरए को आंशिक परिवर्तनीयता होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी घोषणा की थी।

रुपये का अवमूल्यन हो गया है तथा जिन लोगों के पास रुपये हैं उन्होंने एक ही दिन में अर्थात 11.2.9- को एक बिलियन डालर मूल्य के रुपयों को डालर में परिवर्तित करा लिया है। रुपये का 10% अवमूल्यन हुआ है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक को 250 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इसे अवश्य ही वापस लिया जाना चाहिए।

1950 के दशक के प्रारम्भ में स्टर्लिंग को परिवर्तनीय बनाया गया था। उसके भयंकर परिणाम निकले थे. युद्ध समाप्त के तुरन्त बाद, ब्रिटेन को भुगतान सन्तुलन की समस्या का सामना करना पड़ा था। इस संकट के समाधान के लिए लेबर पार्टी की सरकार ने 18 सितम्बर, 1949 को स्टर्लिंग का अवमूल्यन कर दिया गया था। फिर भी भुगतान संतुलन की समस्या बनी रही। चर्चिल की सरकार ने स्टर्लिंग को परिवर्तनीय बना दिया था परन्तु इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, स्टर्लिंग का अवमूल्यन हो गया और भुगतान सन्तुलन की समस्या बनी रही। लेबर विपक्ष पार्टी ने स्टर्लिंग की परिवर्तनीयता का विरोध किया। फिर सरकार इसकी परिवर्तनीयता को वापस लिया।

इसके अतिरिक्त, मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। बजट घाटे के कारण मुद्रा स्फीति होती है। इसलिए बजट घाटे की आवश्यक सीमा होनी चाहिए। विदेशों से लिये जाने वाले ऋण तथा देशी ऋण की भी एक सहज सीमा होनी चाहिये।

भारतीय रिजर्व बैंक, जो इस समय सरकारी विभाग है, को स्वायत्तशासी निकाय बनाया जाना चाहिये, जो संसद के नियन्त्रणाधीन हो। अन्यथा, हर बार भारत सरकार रिजर्व बैंक को नोट छापने के लिए कहेगी भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के आदेशों का पालन करेगा और नोट छापेगा तथा इससे मुद्रा स्फीति बढ़ेगा।

इसके अतिरिक्त, मूल्यों पर नियन्त्रण के लिए मूल्य आयोग बनाया जाना चाहिये। जैसाकि आपने देखा है कि मूल्य बढ़ रहे हैं, कुछ मूल्य बढ़ रहे हैं, कुछ मूल्य कम हो रहे हैं तथा एक ही वस्तु के लिये अलग-अलग बाजारों में भिन्न-भिन्न मूल्य है। व्यवसाय, उद्योग और सरकार से सदस्यों को शामिल करके मूल्य आयोग बनाया जाना चाहिए जो मूल्यों को निर्धारित और सम्पूर्ण देश में मूल्यों पर नियन्त्रण रखें।

इन शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बजट का स्वागत करता हूं।

श्री थाइमासिंह गुमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सर्व प्रथम, मैं अपनी आपत्ति का उल्लेख करना चाहता हूं : पीठासीन अधिकारी द्वारा समय के आवंटन तथा चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के लिये बनाये गए मानदण्डों अथवा पद्धति से मैं प्रसन्न नहीं हूं। आपने मुझे बोलने का अधिक अवसर प्रदान नहीं किया, यद्यपि मैं चर्चा में भाग लेने के लिए देर रात तक सभा में बैठा रहा जबकि बजट पर चर्चा का अन्त हो रहा था। मैं आपकी इच्छा से नहीं अपितु बोलने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूं। यदि मुझे पीठासीन अधिकारी की इच्छा से चर्चा में भाग लेना है, तो मुझे चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिए था क्योंकि मैं नियमों के अधीन बोलने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूं। नियमों के अधीन, मैं चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। परन्तु मुझे खेद है कि आज पीठासीन अधिकारी की इच्छा से मुझे चर्चा में भाग लेना है, जो उचित नहीं है।

एक दिन में देर रात तक चर्चा में भाग लेने के लिए प्रतीक्षा करता रहा, परन्तु मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। अनेक अन्य सदस्यों को मेरे स्थान पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया। मैं जानता हूं कि यदि विपक्ष अथवा सत्ता पक्ष का कोई माननीय सदस्य पीठासीन अधिकारी के आसन के निकट तक चला जाता है तो उसे बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है और मुझे अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

श्री थाइमासिंह गुमनाम : मैं यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हूं। मैं विरोध करना चाहता हूं। मैंने अनेक प्रश्न तैयार किए थे ताकि मैं चर्चा में भाग ले सकूं, परन्तु अब आप अनेक वक्ताओं के बाद मुझे बोलने का अवसर दे रहे हैं और वह भी केवल दस मिनट में अपनी सारी बात पूरी करने

का समय दे रहे हैं। मैं दस मिनट में अपनी सारी बात किस प्रकार कह सकता हूं ? मुझसे पहले बोलने वाले सभी सदस्यों को आपसे 20 मिनट, 30 मिनट और इससे भी अधिक समय दिया है। परन्तु अब मुझे केवल दस मिनट में अपनी बात कहने के लिए कहा गया है। मैं केवल दस मिनट में कैसे अपनी बात कह सकता हूं।

सर्व प्रथम, बोलने का मेरा अधिकार है। दूसरे, यदि मुझे बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं पेंठासीन अधिकारी की दया पर सभा में चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता।

मुझे नियमों के अनुसार अधिकार मिलना चाहिए। आपको यह नोट कर लेना चाहिए। इसलिए बीच में हस्तक्षेप मत करिए।

महोदय, मैं बजट का विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपत्ति क्यों करूं ? मैं जानता हूं कि बजट क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने में बिलकुल असमर्थ है। यह बजट केवल धनी लोगों के लिए है। कहावत के अनुसार यह मात्र नई बातलों में पुरानी शराब के समान है। मेरे क्षेत्र धर्म और राज्य के संबंध में यह कहावत और अधिक लागू होती है। मैं अपनी टिप्पणियों के लिए स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं यह जानता हूं। मुझे और समय दिया जाना चाहिए। ठीक है, मुझे आपके आदेश का पालन करना है। मैं आज बहस नहीं करूंगा। लेकिन मैं बीच से शुरू करना चाहूंगा।

मैं इस बजट का विरोध करता हूं क्योंकि इस बजट में शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों के लिए दी गई राशि पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

शिक्षा के लिये राष्ट्रीय नीति स्वीकार की गई है। लेकिन इस नीति के कार्यान्वयन के लिए धनराशि अपेक्षित है। नीति अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है क्योंकि बजट में प्रयाप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस बजट में भी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मन्त्रालय अथवा शिक्षा विभाग देश के कुशल व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्री, दर्शनशास्त्री और विद्वान देने में सफल होगा। लेकिन जब नीति ही कार्यान्वित नहीं की जाती है तो नीति अपनाने का क्या लाभ है ?

कोठारी आयोग के अनुसार, राष्ट्रीय आय का कम से कम 8 प्रतिशत अवश्य ही शिक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब स्थिति क्या है ? यह आंकड़ा लगभग तीन प्रतिशत है। इस प्रकार वर्तमान सरकार ऐसा करने में असफल रही है और इसका परिणाम यह है कि बहुत से कालेज, विज्ञान कालेज ऐसे है जिनमें प्रयोगशालाएं नहीं है, योग्य व्यक्ति अध्यापक नहीं है और ऐसे स्कूल मौजूद है जिनमें अध्यापक, पुस्तकालय और पढ़े लिखे प्रशिक्षक नहीं हैं। बहुत ऐसे संस्थान मौजूद हैं जिनमें प्रयाप्त स्थान और अध्यापक आदि, नहीं है यह वास्तविकता है। यही कारण है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकार कर लिए जाने के बाद भी कार्यान्वित नहीं की गई है। यह कार्यान्वित नहीं की जाएगी। यही कारण है कि मैं बजट विरोध कर रहा हूं।

मेरा अगला मुद्दा यह है कि जब कृषि सम्बन्धी कार्यों मे विस्तार की जोरदार शब्दों में मांग की गई थी तो बजट में प्रयाप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है और कृषि को उद्योग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि कृषि को उद्योग घोषित कर दिया जाता है तो कृषि में बहुत अधिक संख्या में रोजगार मिल जाएगा । वह इस उद्योग में रोजगार प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं किया गया है इसलिए भी मैं इसका विरोध करता हूँ। ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध कराई गई राशि भी प्रयाप्त नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किए बिना आप देश के विकास का दावा नहीं कर सकते हैं । देश मे सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जिन्हें सड़कों से नहीं जोड़ा गया है । बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास कार्य शुरु नहीं हुआ है । अत: ग्रामीण विकास के लिये धनराशि प्रयाप्त नहीं है .

इस समय, कोई देश अपनी सफलताओं और खेल कूद के क्षेत्र में अपने कार्यकलापों से पहचाना जाता है : इसलिए, ऐसे समय में जब देश अपने कार्यकलापों और खेल-कूद में अपनी सफलताओं से अपनी जगह बना रहे हैं, वहां खेलकूद के लिए उपलब्ध कराई गई राशि प्रयाप्त नहीं है। यह खेदजनक स्थिति है ।

उद्योगों के संबंध में भी प्रयाप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है । आपको ज्ञात है कि देश के हथकरघा उद्योगों के उत्पादों की अत्यधिक मांग है । वह विदेशी बाजारों में छा सकते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि वे विदेशी मुद्रा कमा सकते है । हथकरघा उद्योगों और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयाप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है । लघु उद्योगों के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का अभिप्राय गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है । लेकिन बजट में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है ।

ऐसे कई अन्य विभाग भी हैं जिनके लिए उपयुक्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है । इस समय में इनके विस्तार में जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे दिया गया समय बहुत कम है ।

महोदय, अब मैं उस मुद्दे पर आना चाहूंगा जिसका अभी श्री जैकोब ने मणिपुर के बारे में उल्लेख किया है । यद्यपि बजट में बहुत कम राशि उपलब्ध कराई गई है जब भी कार्यान्वियन का प्रश्न आता है इसका कार्यान्वियन नौकरशाही सोसायटी द्वारा किया जाएगा । इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत । वहां कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है । किसी भी कार्यक्रम में जनता अवश्य शामिल होनी चाहिये । लोगों को शामिल किये बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं होगा । इसलिए बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है क्योंकि कांग्रेस दल जो केन्द्र में सत्ता में है वह मणिपुर में अपनी सरकार बनाना चाहता है । और क्योंकि मणिपुर राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाना चाहती है । अत: वहां चल रही बैंच सरकार निरस्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था । दल बदल, विधायकों के खरीदने अथवा धन और पदों के लिए उन्हें आकर्षित करने जैसे अनुचित कार्यों को युक्ति के रूप में अपनाकर उन्होंने बड़ी चतुराई से विधानसभा को अनुमानित रूप में निलम्बित किए हुए हैं । केवल इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने ऐसा किया ।

यह दुर्भाग्य है कि मणिपुर के लिए बहुत कम राशि आवंटित की गई है । और यह एक

एजेन्सी द्वारा खर्च की जाएगी जो लोकप्रिय नहीं है। इसलिए इसे उचित ढंग से खर्च नहीं किया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद फैलेगा। कुछ अनुचित एजेन्सियां इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेगी। मुझे इस बात का खेद है।

10.00 अ.प.

जब मणिपुर बजट पर चर्चा की जायेगी तब मैं इस पर चर्चा करूंगा। इसलिये मैं इस मुद्दे को यहीं छोड़ रहा हूं।

यहां जब हम बैठकर देश की समस्याओं पर चर्चा कर रहे है मणिपुर की समस्याओं को नजर-अंदाज किया जा रहा है। मणिपुर की भाषा को मान्यता प्रदान करने की मांग की जा रही है। इसके लिए वह आन्दोलन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। एक सज्जन का प्रश्न हड़ताल पर बैठे हैं उसके बारे में इस सभा में प्रश्न उठाया गया है लेकिन मणिपुर में महिलाओं, बच्चो सहित सभी वर्गों के सैकड़ों-हजारो लोगों ने भूख हड़ताल कर रहे हैं। हिन्दी फिल्मों का चित्र पर विज्ञान पर प्रतिबन्ध और स्कूलों में हिन्दी बढ़ाने पर प्रतिबंध के लिए वहां आन्दोलन हुए हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस समय में सब गतिविधियां वहां चल रही हैं। अकेले मणिपुर मे सैन्डल स्कूल को जला कर राख दिया गया था, बहुत से सरकारी वाहन भी जला कर राख कर दिए गए थे लेकिन इसका किसी पर कोई असर नहीं हुआ। लोग वहां विद्रोह कर रहे हैं। यदि यहां इसी प्रकार होता रहा तो मैं इस माननीय सभा में घोषणा करता हूं कि एक दिन स्थिति नियंत्रण में नही रहेगी यदि आप मणिपुर की समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे तो मणिपुर एक दूसरा पंजाब या कश्मीर बन जाएगा। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि मणिपुर की समस्याओं पर ध्यान देने के लिये यह सही समय है अन्यथा स्थिति बहुत खराब हो जायेगी।

बजट के सम्बन्ध में हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता समर्पित करने के बारे में इस सभा में बहुत कुछ कहा गया है। इस बारे में अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि मैं विपक्ष के अपने मित्रों के विचारो से सहमत हूं। केवल यह कहना चाहता हूं कि भारत माता के बहुत सारे बच्चे भीख मांग कर पेट भरना पसन्द नहीं करते। भारत माता के अनेक बच्चे अपमान अथवा भीख मांग कर पेट भरने की बजाय भूखे रहना पसन्द करते है। वित्त मन्त्री और प्रधान मन्त्री ने सभा को आश्वासन दिया है कि हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को समर्पित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन सभा से बाहर कुछ लोग हैं जो इनसे सहमत नहीं है। वे महसूस करते हैं कि उन्हें अन्य देशों से भीख मांग कर उनका पेट भरा जा रहा है। भारत माता के ऐसे बच्चे हैं जो इस बात से प्रसन्न नहीं है। इसलिए अब यह लोगो के हाथ में है कि समय आने पर निर्णय दें।

महोदय, मैं मणिपुर पीपल्स पार्टी से सम्बन्ध रखता हूं। इसलिये भविष्य में अन्य दलों की तरह छोटी पार्टियों को भी निश्चित समय आवंटित किया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं बजट विरोध करता हू और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

डा. आर. मल्लू (नगर कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट 1992-93 पर सभा में अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं इस युगान्तरकारी बजट का, जिसका सामान्यत: सभी लोगों ने, और विशेषत: अर्थशास्त्रियों बहुत जोश के साथ स्वागत किया है, समर्थन करता हूं। विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों ने भी एक नये प्रकार के नवजीवनदायी बजट के रूप में इसकी सराहना की है। मुझे विश्वास है यह बजट देश को 21 वीं शताब्दी में ले जायेगा। और यह हमारे महान नेता (स्व) श्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई उदारीकरण की चरम बिन्दु है। मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव और वित्त मन्त्री डा. मनमोहन सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिये और अर्थ-व्यवस्था को, जो एक वर्ष पहले बहुत बुरी हाल में थी उसे एक नई दिशा दी।

श्री के. वी. रेड्डय्या यादव (मछली पटनम) : महोदय, यह लिखित भाषण पढ़कर बोल रहे हैं।

डा. आर. मल्लू : जी नहीं, मैं लिखित भाषण में से पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल कुछ नोटस हवाला दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है जैसे वे पढ़ रहे हों। परन्तु वे इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं, जिसके लिए आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिये।

डा. आर. मल्लू : मैं यहां पर माननीय सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि कुछ सदस्यों की यह राय है कि पेरु, अर्जेन्टीना, ब्राजील जैसे देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण लिया और वे आर्थिक रूप से धराशायी हो गये और ऋण के जाल में फस गये। परन्तु मैं यह अवश्य बताना चाहूंगा कि पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देश और भूतपूर्व सोवियत संघ के टुकडे-टुकडे हो गये और यूगोस्लाविया में गृह-युद्ध चल रहा है। इस देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से कोई ऋण नहीं लिया है परन्तु फिर भी स्वयं के ही कारण वे नष्ट हो गये।

भारत का उदाहरण अनूठा और विशेष है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण लेने के बावजूद भारत की आर्थिक सम्प्रभुता को छीना नहीं जा सकता और उसे नहीं खोएगा विखण्डित नहीं किया जा सकता। परन्तु यह वक्त का तकाजा है कि देश को वित्तीय संकट से बचाया जाये।

यहां पर मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान भूमि परिसीमन, बैंकों के राष्ट्रीय करण प्रिवी पर्स को समाप्त करने आदि जैसे जो उस निर्णय लिये गये थे, वे उस समय अनिवार्य और अवश्यम्भावी थे। वरना देश की अर्थव्यवस्था और लोकतन्त्र खतरे में पड़ सकता था, अन्ततः तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा उन दिनों किये गये उपाय हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचा सके थे। यह स्वतन्त्र भारत के इतिहास पहली बडी उपलब्धि थी। इसी प्रकार प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव

और वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा अब कि लाभ की गई नई उद्योग नीति, व्यापारिक और वाणिज्यिक सुधारों ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और देश की समप्रभुता की रक्षा की है और इसी कारण, यह स्वतन्त्र भारत की दूसरी बड़ी उपलब्धि है।

यह बजट केवल वोट पाने के लिए नहीं, बल्कि देश के कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए तैयार किया गया है।

10.19 म.प.

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुई]

मैं इस माननीय सभा को जानकारी मे विभिन्न देशों, जैसे संयुक्त राज्य अमरीका और भूतपूर्व सोवियत संघ आदि मे प्रति व्यक्ति भूधारिता के आंकड़े देना चाहता हूं और उनकी भारत के आंकड़ों से तुलना कराना चाहता हूं। संयुक्त राज्य अमरीका मे प्रति व्यक्ति भूधारिता 40 एकड़ है भूतपूर्व सोवियत संघ में यह 20 एकड़ थी। परन्तु जब भारत की बात आती है। तो प्रतिव्यक्ति भूधारिता केवल 75 सेन्ट है, अर्थात् एक एकड़ से भी कम है। इस पृष्ठ भूमि में जबकि और प्रति-व्यक्ति भूधारिता 75 प्रतिशत है, बिना अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सहायता देश का विकास करना बहुत मुश्किल है।

महोदय, एक साल पहले विदेशी वाणिज्यिक ने ऋण देना बन्द कर दिया था और प्रवासी भारतीयों ने हमारे बैंको बैंको मे से अपना रुपया निकालना शुरू कर दिया था जो इस बात का संकेत था, कि उन्हें अर्थव्यवस्था का को ठीक प्रकार से संचालन कर पाने की हमारी क्षमता पर विश्वास नहीं रह गया था। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हमारी सरकार को अपने स्वर्ण भण्डारों को विदेशो मे गिरवी रखना पड़ा था। औद्योगिक उत्पादन की गतिधीमी हो गई थी।

मैं आशा करता हूं कि सकारात्मक बजट प्रस्तावों मे किन ढांचे सबंधी और वित्तीय उपायों को करने का विचार किया गया है, वे शुरू मे तो काफी परेशानी पैदा करेंगे परन्तु भावी अर्थव्यवस्था को तीव्र एवं निरन्तरिक गति से विकास का मौका मिलेगा। खासकर सीमा मे बढ़ोतरी, निजी आय कर दरो मे कटौती और निगमित करों में कोई परिवर्तन न करना मध्य वर्ग को राहत देगा और काले धन को जमा करने के प्रयासो को कम करेगा।

ब्याज की दरों में कमी, पूंजीगत सामान पर कम आयात शुल्क, आयात बजाव को समाप्त करना, वैधानिक नकद तरलता अनुपात को कम करना बैंक को ऋण पर दी जा सकने वाली पूंजी को बढ़ायेगा और ऋण की कमी को खत्म करेगा, पूंजी बाजार में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और अर्थव्यवस्था का रूप खुला हो जायेगा। ये सभी उपाय विकास के लिये रास्ता खोलेंगे। अतः इनका पूरी तरह समर्थन करना चाहिए।

वित्त मंत्री महोदय का वित्तीय घाटे को, 1990-91 के 44,610 करोड़ रु. (वास्तविक) से कम करके 1991-92 में 37,792 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान) करना से और 1992-93 में इसमें

और कमी कर इसे 34,408 करोड़ रु. सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रशंसा करनी चाहिये। प्रवासी भारतीयों स्वर्ण का आयात करने की अनुमति देना स्वर्ण की तस्करी को रोकेगा जो बहुत अधिक बढ़ गया है।

रुपये की आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाना वित्त मन्त्री महोदय के लिए एक बड़ी वित्तीय बुद्धिमत्ता का काम है। यह हमारे आयात और निर्यात, दोनों को ही संतुलित करेगा।

महोदया, इसके साथ ही में वित्त मंत्री महोदय का ध्यान वेतनभोगी करदाताओं की वेदना की ओर दिलाना चाहूँगा जो धारा 80 एल, 80 सी सी (ए) और 80 सी सी (बी) को वापस लिए जाने से बुरी तरह प्रभावित हुये हैं। इन छूटों को बहाल कर देना चाहिए। मुद्रा स्फीति की बढ़ती हुई दर को देखते हुये आयकर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 36,000रु. कर देना चाहिये, और मानक कटौतियों को सभी वेतनभोगी करदाताओं के लिये 1.,000 रु. कर देना चाहिये।

आवास निर्माण क्षेत्र को कम लाभ होने के कारण उस पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। आयकर अधिनियमन की धारा 23 में प्रस्तावित संशोधन जो नये आवासों के मामले में किसी आवास के वार्षिक मूल्य में से 600 रु. की कटौती करने की अनुमति नहीं देता है और जो लागू होता है, नये आवासों के निर्माण को बुरी तरह प्रभावित करेगा। अतः छूट को वापस नहीं लिया जाना चाहिये।

जन संख्या वृद्धि सभी विकास कार्यों को निस्प्रभावी कर देती है। अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे पारिवार कल्याण के लिए दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि कर दें, जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित किया जा सके।

महोदया, अब समाज कल्याण मन्त्रालय के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए हास्टल के बारे में मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये हास्टलों के निर्माण, के लिए दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करें।

मैं कृषि के बारे में मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूँ कि यथा संभव अधिकाधिक भूमि चाहे वह वर्षा सिंचित हो, या शुल्क चाहे वह चावल या गेहूं की खेती के लिए हो, या बागवानी के लिए हो सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सिंचाई से उत्पादन में हो और रोजगार के अवसर भी सुलभ हों।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में मैं कहूंगा कि सूचना और प्रसारण मन्त्री महोदय धनराशि आवंटित करके एक ऐसे सैल का गठन करें जो प्रैस के माध्यम से सामाजिक समानता और और सामाजिक न्याय के लिए विज्ञापन तैयार करके समाचार पत्र पत्रिकाओं प्रकाशित करे और इस प्रकार सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए काम करे ताकि हम समाज के कम- और वर्गों के साथ न्याय कर सकें।

महोदय, भूमि सीमन के विषय में भी मैं एक बार फिर से भारत के प्रधानमन्त्री को इस के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सभी मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलाई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि भूमि-सीमन के काम को 31 मार्च से पहले ईमानदारी से लागू कर दिया जावेगा तथा तदनुसार निर्देश भी दे दिये गये थे । मैं आंध्र प्रदेश का हूं और हमारे मुख्य मन्त्री ने इस संबंध में पहले से कदम उठाते हुए एक दिन में 11,000 एकड़ जमीन के पट्टों का बांटा है तथा मैं जमीन के पट्टों को दिये जाने का काम जोर-शोर से चल रहा है । भारत के प्रधानमन्त्री द्वारा जो भी निर्देश दिये गये है उनका पालन हमारे राज्य में बहुत अच्छी तरह से हो रहा है ।

अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मैं वित्त मंत्री से एक और अनुरोध करना चाहूंगा । वह एक पिछड़ा क्षेत्र है जहां कोई रेल-लाइन तक नहीं है । मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस क्षेत्र के कुछ हिस्से रेलवे से जुड़े है फिर भी रेल लाइन को उस क्षेत्र से नहीं जोड़ा गया है जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पड़ते है । मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें ताकि हमारे क्षेत्र में भी मूल लाइनों का विस्तार हो सके क्योंकि यह राज्य का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में रेल लाइनों के लिए कई आंदोलन भी चल रहे हैं ।

मैं सूचना तथा प्रसारण मन्त्री से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र नगर कुरनूल के लिए एक 'लो पावर ट्रांसमीटर' (कम शक्ति के ट्रांसमीटर) लगवाएं जहां कि सबसे खराब और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बहुत से लोग रहते हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट का समर्थन करता हूं तथा अपने सम्मानित प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री का राष्ट्र के लिए इस युगांतरकारी बजट के लिए धन्यवाद देता हूं ।

10. 18. म. प.

[श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, विभिन्न दृष्टिकोणों से बजट का विश्लेषण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि यह बजट बाहरी एजेन्सियों की देन है तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक की कैद में है । यह बजट देश के अमीरों, धनवानों और आभिजात वर्ग के लोगों के आराम के लिए है और इससे हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी का जीवन बहुत ही कठोर हो जाएगा । इस बजट के बारे में ऐसा समझा जा रहा है कि यह इस महान देश की आर्थिक आजादी के नाश की गति को तेज करेगा ।

इस बजट में इस देश के हितों के प्रति दुराग्रही विदेशी पूंजी और बहु-राष्ट्रीय नियमों को खुला निमंत्रण दिया गया है । बजट विश्लेषण के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उसे हरेक मुद्दे पर विस्तार से विचार व्यक्त करने के लिए मुझे पर्याप्त समय नहीं दिया गया है ।

महोदय, पिछले दिनों वित्त मन्त्री ने यह कहा है कि उन्होंने देश को आर्थिक मुसीबत से उबार लिया है । अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के दिवालियेपन के बारे में मैं सिर्फ एक आंकड़े को उजागर करना चाहूंगा ।

जैसा कि मैंने पहले कहा है मैं पर्याप्त आंकड़ो को उपलब्ध होने के बावजूद उद्धृत कर सकता मैं असमर्थ हूं। वर्ष 1988-89 मे भारत सरकार के ऊपर कुल देनदारी 2,09,179 करोड़ रुपयों की थी और इसकी संपत्ति 1,83,800 करोड़ रुपए थी। अतः देनदारियां 90,319 करोड़ रुपये ज्यादा थी। यह स्थिति वर्ष 1988-89 में थी।

अब हम कैसे तरक्की कर रहे है। 1991-92 में सरकार की देनदारियां, सरकार की संपत्तियों से काफी ज्यादा है। इस वर्ष के अन्त तक ये देनदारियां बढ़कर 92,824 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी। देनदारियां 3,52,880 करोड़ रुपए होगा और सम्पत्ति 2,60,186 करोड़ रुपए होगी। इस प्रकार देनदारियां सपत्तियों से 35% ज्यादा है। अगले वर्ष यानि 1992-93 में क्या सम्भोग है? तब यह अन्तर बढ़ कर 1,06,-059 करोड़ रुपए हो जाएगा तो यह दिवालिएपन की हालत है। यदि आप खुद को भी व्यापारिक घराना, बैंक या छोटी या बड़ी दुकानों की तरह हो खुद को सोचे तब तो आप दिवालिये हो हो चुके है। जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है अब इस सरकार के लिए सिर्फ दिवालिया सरकार घोषित होना ही बाकी है।

अब मैं ऋण जाल के बारे में भी एक ही बात कहूंगा। हम बड़ी तेजी से ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। सच तो यह है कि हम ऋण जाल म फस चुके है। ऐसा अनुमान है कि 31 मार्च, 1991 को देश पर कुल विदेशी कर्ज 1,30,100 करोड़ रुपय है जो कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत है। वर्ष 1981-82 में यह मात्र 18,380 करोड़ रुपए था। 1993-1994 तक मेरी गणना के अनुसार, हालांकि मैं इसके बारे में बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूं, फिर भी 45 हजार करोड़ रुपये का भुगतान सिर्फ ब्याज की किस्तों में करना पड़ेगा। इस प्रकार जहां 18,380 करोड़ रु. का कुल विदेशी कर्ज या वही आज हमें करीब करीब उसके बराबर ब्याज की किस्तों के रूप में देना पड़ेगा।

मैं बहुत सारे तथ्यों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। इसी वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को ब्याज-भुगतान के रूप में दी जाने वाली रकम प्रति व्यक्ति 36.53 रु. होगी और मूलधन के लिए दी जाने वाली किस्त की रकम 96.08 रु. प्रति व्यक्ति होगी. ये दो आंकड़े हमारी दुर्दशा को बताने वाले आइने है।

इस देश को बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों बेचा जा रहा है। इस बजट नीति से बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे और उद्योग नष्ट हो जाएंगे

मैं सिर्फ कुछ मुद्दों का ही जिक्र करूंगा। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 7 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। परन्तु दूसरी रिपोर्टों के अनुसार से शहरी और देहाती क्षेत्रो म कुल मिलाकर 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इस बजट के प्रस्तावों से बेरोजगारी की इस लगातार बढ़ती समस्या का हल होने की कोई आशा नहीं बनती है।

यह बजट मुद्रास्फीतिकारी भी होगा क्योंकि घाटे योजना खर्च में 1991-92 के 79,697 करोड़ के मुकाबले 1992-93 में 84,975 करोड़ का प्रावधान है।

औद्योगिक और कृषि के क्षेत्रों मे उत्पादन में कमी और उसके विकास में अवरोध से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है और क्यों उत्पादन कम होगा और बजट में धन का प्रावधान ज्यादा है।

1991-93 में 1992-93 के योजना आकार को भी घटा दिया गया है। हालांकि इसके लिए 98,417 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है फिर भी इसमें जो नाम मात्र की वृद्धि है उसे यदि और मुद्रा स्फीति में 12 प्रतिशत की बढ़त को देखें तो यह नकारात्मक वृद्धि होगी।

1992-93 में पूंजीगत व्यय केवल 2 प्रतिशत बढ़ेगा जबकि राजस्व व्यय बढ़कर 7 प्रतिशत होने जा रहा है।

ये सभी बातें भली-भांति यह सिद्ध करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है।

मैं अति महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं।

मैं यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि केवल नीति को क्रियान्वयन ही एक मात्र समाधान है। मेरे विचार से मेरे पास और समय नहीं है अन्यथा, मैंने बता दिया होता और इस ओर तथा इस ओर के बहुत से सदस्य इनसे यह जानने के इच्छुक हैं कि विलम्ब क्यों है।

आप इजाजत नहीं देंगे और न ही मैं अपने आपको एक सीमा से आगे आने की इजाजत दूंगा। अतः हालांकि मेरे पास विकल्प है लेकिन फिर भी मैं इस समय इस दशा को स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है। बहुत से विकल्प हैं और केवल ये विकल्प ही देश को बचा सकते हैं।

मुझे आशा और विश्वास है तथा मैं देश और राष्ट्र के हित में विश्वास करता हूं कि सरकार अपनी सम्पूर्ण आर्थिक नीति में संशोधन करेगी ताकि हम जी सकें और इज्जत से जी सकें।

श्री के. पी. रेड्डया यादव (मछलीपटनम) : समापति महोदय, कृपया मुझे बोलने का अवसर दीजिए।

सभापति महोदय : आपको अवसर मिलेगा। आपको भी आपका मौका मिलेगा। मैं आपको मौका दूंगा।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : कैसे ?

सभापति महोदय : मैं जानता हूं आपकी पार्टी को भी कहना है।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : कांग्रेस को पहले राऊंड मे कैसे समय दिया गया था। वहां ये किन्तु हमे एक भी मौका नहीं दिया गया।

सभापति महोदय : श्री रेड्डय्या, यह एक लम्बी सूची है। अध्यक्ष पीठ पर इल्जाम न लगाएं।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : सभापति महोदय, आप केवल सदस्यों की संख्या मत गिनिये।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं तो अनावश्यक ही हमारा समय नष्ट हो जाएगा।

श्री के पी रेड्डय्या यादव : पहले आप एक मौका दें तथा हमारी पार्टी पर मामला समाप्त करें। ऐसा नहीं है कि हमें अन्त में मौका मिले। कांग्रेस, भा ज पा, सी पी एम, ऐसे।

सभापति महोदय : अब सभा समय नष्ट न करें। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

श्री के पी. रेड्डय्या यादव : आप जो भी समय देना चाहें, आप मेरी पार्टी को अन्तिम पार्टी के रूप में समय देंगे।

सभापति महोदय : श्री रेड्डय्या, मैं चाहूंगा कि आप मुझे समझें।

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट) सभापति महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रारम्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। हर किसी का विशेषकर विपक्ष को वित्त मंत्री महोदय से एक निष्ठुर बजट की ही उम्मीद नहीं। लेकिन हमारी महत्व वित्त मंत्री महोदय के इस सम्मानीय सभा में एक बहुत ही नरम और अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। मैं जानता हूं कि समय बहुत ही कम है। (व्यवधान)

प्रथमतया, आय कर योग्य आय जो पहले 22,000 रुपए पर निर्धारण की गई थी अब 28,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। यह केन्द्र सरकार द्वारा किया गया एक सही निर्णय है और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन मध्यम वर्ग के लोग समाज में कुछ समस्याओं से ग्रस्त है। उच्च वर्ग आय-कर के रूप में किसी भी बड़ी धनराशी दे सकता है। लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि आय-कर सीमा को न्यूनतम 28,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिया जाए। यह मेरा पहला अनुरोध है।

दूसरे, मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में बताना चाहता हूं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीब लोगों के लिए रास्ते खोलने हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वर्तमान स्थिति क्या है ? राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को ऋण नहीं दे रहे हैं। उन्हें बैंकों से ऋण प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वहां, अर्थात् गांव में प्रत्येक मैनेजर गांव का मालिक है। मैंने यह किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है और यदि वे बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं तो बैंक मैनेजर उन पर ऋण वापस करने के लिए दबाव डालते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि किसानों को राष्ट्रीकृत बैंकों से ऋण मिलना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि मैं केरल राज्य से आ रहा हूं। केरल में केन्द्रीय निवेश प्रति वर्ष घटता जा रहा है। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इसे और बढ़ाए। केरल राज्य में काजू सिंचं उद्योग को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से एक यह है कि काजी

मिर्च किसी रोग से प्रभावित है। मलयालम में करमे "कुरिमुलगुलम" कहते हैं, अंग्रेजी में इस रोग का नाम 'विलकविल्ड' है। अतः केरल सरकार को इस बीमारी को रोकने के लिए 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन काली मिर्च उत्पादकों ने बैंकों से ऋण लिया था। अब वे इस ऋण को अदा करने की स्थिति में नहीं है मेरा वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि वे उस ऋण को माफ कर दें।

महोदय, अति आवश्यक बात यह है कि केन्द्र सरकार ने केरल राज्य के कायमकुलम में ताप विद्युत संयंत्र को पर्यावरणीय मंजूरी दी है। लेकिन दुःख की बात यह है कि विद्युत का केवल 20 प्रतिशत केरल राज्य को मिलेगा और शेष अन्य राज्यों को दिया जाएगा। हमें केरल के उत्तरी भाग में भीषण विद्युत संकट का सामना करना पड़ रहा है। अतः हमें बिजली चाहिए। हम बिजली के कुल उत्पादन का कम से कम 40 प्रतिशत केरल राज्य के लिए चाहते हैं।

मैं वित्त मंत्री महोदय को उनके सोना आयात करने की इजाजत देने के निर्णय के लिए बधाई देना चाहता हूं। केरल के बहुत से लोग खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं। वर्तमान नीति के वे विदेशों से अपने साथ पांच किलोग्राम सोना ला सकते हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय को उनके सही निर्णय के लिए बधाई देता हूं।

समूचा विपक्ष कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस विश्व-बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दो नीतियां अपना रही है। हाल ही में हमने एक अखबार में एक राजनैतिक दल के विदेश से धन प्राप्त करने की खबर पढ़ी। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस आरोप के बारे में एक जांच आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए। यदि यह आरोप सही पाया जाता है, तो सरकार को चुनाव आयोग से सम्पर्क करना चाहिए और चुनाव आयोग से इस राजनैतिक दल की मान्यता समाप्त करना चाहिए।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। केरल भारत में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है। हमें अधिक उद्योग चाहिएं। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हमें केरल राज्य में अधिक कम्पनीज निवेश चाहिए।

अब मैं पर्यटन के बारे में कहना चाहता हूं। पर्यटक आतंकवादी गतिविधियों के कारण कश्मीर नहीं जा रहे हैं। परन्तु केरल में पर्यटक स्थलों के विकास की बहुत अधिक गुंजाइश है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केरल में पर्यटन के लिए और अधिक धनराशि दी जाए।

वर्ष 1992-93 के बजट में 5, 89 करोड़ रुपए का घाटा है जो वर्ष 1991-92 के बजट घाटे की तुलना में 2,330 करोड़ रुपए कम है। मुद्रा स्फीति में बढ़ने से रोकने के लिए यह इस बजट का रुपहला पहलू है। जब श्री वी. पी. सिंह की सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था तो 11000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है। हर साल में इस वर्तमान द्वितीय स्थिति में वित्त मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और मैं पुनः वित्त मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव (मछली पटनम) : मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यदि यह महासभा ही कुछ कठोर नियमों और विनियमों का पालन नहीं करती है तो अन्य संगठन इनका पालन किस प्रकार करेंगे ? हम सम्पूर्ण देश के प्रशासन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहेंगे। मैं अत्यन्त खेदपूर्वक यह टिप्पणी कर रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी समय आवंटित करें, पहले वह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, भारतीय साम्यवादी दल तेलगु देशम दल जैसे बड़े दलों को बोलने का अवसर दें। पहली बारी में आपको सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहिए और उसके बाद जो भी समय शेष बचे, उसमें आप अन्य पार्टियों को बोलने का मौका दें।

श्री आडवाणी, श्री चन्द्रशेखर, श्री चन्द्रजीत यादव और श्री जार्ज फर्नांडीस जैसे अधिक वरिष्ठ नेताओं ने इस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है।

उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसकी गहराई में न जाकर और उन सब बातों को न दोहरा कर मैं वित्त मन्त्री महोदय और माननीय प्रधान मन्त्री को इस देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पुनः पटरी पर लाकर चलाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी धीमी गति से चल रही है परन्तु मुझे आशा है कि वह तीव्र गति से चलने लगेगी और अन्ततः अपने उद्देश्य को प्राप्त होगी।

मैं माननीय सभा के अवलोकन में यह बात करना चाहता हूं कि यहां अनेक नए नेता हैं। कल मैं राज्य सभा में गया था वहां श्री जवाहर रेड्डी और अन्य विपक्ष के नेता अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं इस सभा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह उदारवादी प्रक्रिया वर्ष 1985-86 में प्रारम्भ हुई थी जब राजीव गांधी इस देश के नेता थे। जब वी. पी. सिंह इस देश के वित्त मन्त्री थे, राजीव गांधी देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे। वास्तव में यह सोचा गया बहुत बड़ा कार्य था। परन्तु एक बात है कि उन्होंने देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए जिस तन्त्र को चुना वह घटिया किस्म का तन्त्र था। इस कारण वह पूर्णतया असफल रहे। यद्यपि देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने का उनका स्वप्न स्वागत योग्य था, किन्तु उन्होंने घटिया स्तर के तन्त्र का प्रयोग किया, उनके मंत्रिमंडल में घटिया स्तर के मंत्री थे उनकी पार्टी तथा प्रशासन में घटिया स्तर के सदस्य तथा अधिकारी थे। इसी कारण वह पूर्णतया असफल रहे। देश की जनता के ध्यान में तथ्य नहीं लाए गए। इसी कारण आज हम सब श्री मनमोहन सिंह तथा श्री पी वी. नरसिंह राव को दोष दे रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि हमें इन परिस्थितियों में इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए इन दोनों को बधाई देनी चाहिए।

सर्वप्रथम मैंने यही कहा है कि हमें तथ्यों के बारे में चर्चा करनी चाहिए और दलगत नीति के अनुसार नहीं बोलना चाहिए। पिछले सत्र में मैंने कुछ सुझाव दिए थे अवमूल्यन और निजीकरण के स्थान पर हमें एक उपयुक्त विकल्प को अपनाना चाहिए था, अर्थात् हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक से धनराशि उधार लेना पूरी तरह बन्द कर देना चाहिए था। यदि हमने विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना बन्द कर दिया होता तो हमारे देश पर विदेशों का केवल एक लाख करोड़ रुपए का ऋण ही शेष रहता। वर्ष 1990-91 में हमने विदेशों को 32,000 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया था जबकि 42000 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं

का आयात किया। इसमें जहां तक भुगतान सन्तुलन का सम्बन्ध है 10,000 करोड़ रुपए व्यापार घाटा हुआ। मैंने पिछले बजट भाषण में सुझाव दिया था कि यह व्यापार घाटा केवल पूंजीगत वस्तुओं के आयात और ईंधन तेल जैसे पेट्रोल इत्यादि के आयात के कारण हुआ था। यदि आपने इन वस्तुओं का आयात न किया होता तो 32,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती थी और हमारा निर्यात केवल उसी स्तर तक ही बना रहा। पूंजीगत वस्तुओं के आयात को स्थगित करना केवल कल्पना की बात नहीं है, अपितु यह व्यवहार्य है। दो तीन वर्षों के लिए आप पूंजीगत माल के आयात को बन्द कर सकते हैं। हम केन्द्र तथा राज्य स्तर पर देश में उप-प्रभागीय अधिकारियों के स्तर तक जीपों और कारों के प्रयोग को रोकना होगा। सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की जीपों तथा कारों में रुपए के पेट्रोल तथा डीजल की खपत होती है। हम इस बात को भूल गए हैं कि जब हमारे देश के समक्ष खाद्यान्न की समस्या थी, तो लाल बहादुर शास्त्री ने "एक दिन में एक बार भोजन" करने की घोषणा की थी। क्या हम लोक हित के लिए, देश के हित के लिए, 'भारत माता' के हित के लिए थोड़ा बलिदान नहीं कर सकते? क्या उप-प्रभागीय अधिकारी स्तर के व्यक्ति सार्वजनिक वाहनों द्वारा कार्यालय नहीं जा सकते? क्या वे रेलवाड़ी और सड़क परिवहन निगम की बसों द्वारा कार्यालय नहीं जा सकते? चीन में इस समय क्या हो रहा है? श्रेणी एक अधिकारी स्तर तक के व्यक्ति साइकल द्वारा कार्यालय जाते हैं परन्तु यहां आप भ्रष्ट और अक्षम प्रशासनिक अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं और वे लोग देश को लूटना चाहते हैं। जब हम संकटपूर्ण स्थिति में है तो विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के स्थान पर हम उप-प्रभागीय स्तर के अधिकारियों तक के लिए कारों और जीपों के प्रयोग पर रोक लगा सकते हैं। मैंने यह सुझाव दिया था परन्तु उन्होंने इसका पालन नहीं किया। एक बूंद पेट्रोल भी बचाया नहीं गया। सरकार की ओर से व्यय में किसी प्रकार की कटौती करने अथवा कम व्यय करने का कोई संकेत नहीं दिया गया। मैं अनेक राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश आदि में गया था मैंने यह सुना कि हमारे वित्त मंत्री महोदय तथा माननीय प्रधान मंत्री बहुत अच्छे इन्सान हैं। मैं स्वयं नहीं जानता कि उन्होंने वास्तव में क्या कार्य किए हैं। परन्तु वह कहा रहे थे कि वे दोनों व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और उन्होंने इस वर्ष बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। परन्तु मुझे खेद है कि आंकड़ों की कहानी बिल्कुल अलग है। हमने औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है—यह आज 2·5 प्रतिशत है। यदि मैं भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. हिन्दुस्तान केबल्स लि. और हिन्दुस्तान मशीनटूल्स में जाऊं तो पता चलेगा कि लक्ष्य का केवल 20 प्रतिशत प्राप्ति हुई है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह आंकड़े कहां से प्राप्त किए हैं।

(व्यवधान)

महोदय यदि आप चाहें यदि माननीय अध्यक्ष महोदय चाहें तो मैं अपना भाषण लिखित रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। हम सब जाकर अपना भाषण प्रस्तुत कर देंगे और यह विषय यहीं समाप्त हो जाता है। इस देश में संसद को कार्यवाही चलाने के लिए प्रति मिनट लगभग 20 लाख रुपए खर्च करते हैं: हम लोगों के विचार सुनने चाहिए। कृपया मेरा विशिष्ट मामला समझते हुए मुझे बोलने के लिए कुछ और समय प्रदान करें।

सभापति महोदय: मेरा आपसे केवल यही अनुरोध है कि संक्षेप में भाषण दें। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्री के. पी रेड्डय्या यादव : आप विद्वान व्यक्ति है और आपको हर चीज की बाहरी तौर से और भीतरी तौर से जल्दी जानकारी है। मुझे आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। अन्य लोगों के लिए, मैं कुछ कह सकता हूं।

सत्ता दल के पक्ष के लोगों को सही स्थिति जानने का मौका दीजिए। उन लोगों को असली चीज मालूम नहीं होती है।

मैं केवल औद्योगिक नीति को लूंगा। परामर्शदात्री समिति की बैठक में, मैंने माननीय मन्त्री और दो उद्योग मन्त्रियों से भी प्रश्न पूछे थे। उन्हें निजीकरण करने दीजिए, उन्हें बेचने अथवा कुछ भी करने दीजिये। परन्तु उससे पहले उन्हें राष्ट्र को यह बताने दीजिये कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लगातार घाटे में चलने के क्या कारण हैं। मैंने यह भी बताया है कि घाटा भारतीय कर्मचारियों और भारतीय वैज्ञानिकों की अध्यक्षता के कारण नहीं हुआ है। यह भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। यह प्रबन्ध निदेशकों, कार्यकारी निदेशकों और महाप्रबन्धकों के कारण हुआ है। उस उद्योग के उप ठेकेदार है। वे उन उत्पादों के छोटे ठेकेदार हैं जो फैक्टरियों से बाहर आते हैं। प्रधान मन्त्री महोदय कृपया इसमें संशोधन करें सार्वजनिक उपक्रम अधिक्षम और लाभकारी होंगे। वे हमारे बजट के लिए निधियां भी जुटायेंगे। (व्यवधान)

पिछली बार, मैंने मौजूदा परिस्थितियों में, देश की स्थिति के अनुसार वित्त मंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन किया था। लेकिन इस बजट का समर्थन किया जाए, अथवा विरोध, इसके बारे में अन्त में बताऊंगा।

हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में करोड़ों रुपए लगाए है। निजीकरण के बाद इनके कर्मचारी कहां जाएंगे ? आप जिस तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये कर्मचारी कहां जाएंगे ? आप केवल उनका भरण पोषण करेंगे। वित्त मंत्रालय समझ नहीं रहा है। ये करोड़ों लोग कहां जायेंगे। इसलिए मैं माननीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के बारे में पुनः विचार करें। उन्हें स्थिति से इस प्रकार नहीं निपटना चाहिए कि सम्पूर्ण देश में अव्यवस्था फैल जाये।

यदि हम बजट आबटन का विश्लेषण करें, तो राशि किस प्रकार बांटी गई है। 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 20% जनता शहरों में रहती है। यदि हम विश्लेषण करें, तो यह पता चलता है कि 80 प्रतिशत राशि शहरों को आबंटित की गई है और 20 प्रतिशत राशि ग्रामीण लोगों में आबंटित की गई है। आप ग्रामीण लोगों को शहरों में आने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आप इस देश के 1 प्रतिशत निहित स्वार्थों युक्त व्यक्तियों का बजट संसाधनों का 80 प्रतिशत पर छूट दे रहे हैं यह वास्तविकता है। मैं माननीय वित्त मन्त्री श्री ठाकुर से पूछना चाहता हूं। 1947 से 99 प्रतिशत भारतीय जनता ने करों का ईमानदारी से भुगतान किया है। वह ईमानदारी से रहे। एक प्रतिशत से सारी सम्पत्ति को लूट लिया है। अब आप बतायें कि यह कैसा बजट है। आपने बेईमान व्यक्तियों को माफ कर दिया है और ईमानदार लोग अब रो रहे हैं। इनके दिल में कुछ दर्द नहीं है।

नियमित रूप से करों का भुगतान करने, पिछले 44 वर्षों से ईमानदारी से रहने के बावजूद आपने अब अंतिम क्षणों में दूसरे देशों से सोना, हीरा लाने के लिए सभी रियायतें दी हैं, बिना किसी कठिनाई के लूट के धन को स्विटजरलैंड से लाने के लिये रियायतें दी हैं। देश की 99 प्रतिशत जनसंख्या के प्रति दिल में कोई सहानुभूति नहीं है। ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है। आप भी एग्रीकलचर फार्मस को छोड़ देंगे ? मैं फार्मस के बारे में एक बात बोलूंगा (व्यवधान) सरकारी तंत्र केवल वही इस बात को समझेगा जब वह स्वयं कठिनाई में होगा। मेरा कहने का आशय यह है कि सरकार अमरीका से मिलियन टन गेहूं आयात करने के लिए मजबूर होते हैं। वह अमरीका फ्रांस और कनाडा से भीख मांग रहे हैं जबकि हमारे अपने भाई भारत के किसानों ने देश में 170 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया है। आपने उन्हें सम्मान नहीं दिया है और आपने उसकी सेवाओं और बलिदान के महत्व को पहचाना नहीं है और आप किसानों को अधिक दाम देकर उनसे उर्वरक पर दी जाने वाली राज-सहायता वापस लेना चाहते हैं। आप बिना विस्तृत जानकारी के अमरीकी गेहूं के लिए 5 रु. प्रति किलो देना चाहते हैं···(व्यवधान)···मैं केवल सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि श्री ठाकुर यहां उपस्थित हैं। हमारे किसानों ने 2.25 रु. प्रति किलो के भाव से गेहूं बेचा है। अब वही किसान उसे 4-5 रु. प्रति कि. ग्रा. के भाव से खरीद रहे हैं। कल वित्त मन्त्री महोदय ने कहा था कि वह किसानों से खरीद के मूल्यों में वृद्धि नहीं करेंगे। दूसरी तरफ, वह मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करने में भी असफल रहे हैं। इसका क्या हल है ? परिमार्जित बातचीत अथवा जानकारी या किताबी ज्ञान से इसका हल नहीं निकलेगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री के. पी. रेड्डैया यादव : महोदय, मेरे हृदय में आपके लिए बहुत आदर है। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिये। भारतीय खाद्य निगम 40 मिलियन टन अनाज खरीद रहा है। इस देश के किसान 70 मिलियन टन अनाज अपने उपभोग के लिए रख रहे हैं और कुल उत्पादन 170 मिलियन टन है। इसलिए कटाई के दौरान और दूसरे महीने में बाकी 100 मि. टन अनाज जमाखोरों और बनिया लोगों द्वारा खरीदा जा रहा है। वह इसे 4 रु. प्रति किलो के भाव बेच रहे हैं। इसका क्या हल है ? किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के इस शोषण से कैसे बचाया जा सकता है ? मैं अब इसके लिए एक हल सुझाना चाहूंगा। आपको कृषि श्रमिक मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यापक कानून बनाना चाहिए। किसानों को मजदूरी अनाज के रूप में दी जानी चाहिए न कि रुपयों में। यदि आप आज उसे रुपयों में मजदूरी देते हैं तो अगले महीने उसे वही गेहूं जिसे उसने 2.25 रु. प्रति किलो के भाव बेचा था, 4-5 रु. प्रति किलो के भाव से खरीदना पड़ेगा। आप इसका हल निकालिये और किसानों को अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत अपने पास रखने और मजदूरों को अनाज के रूप में मजदूरी देने के लिये प्रेरित किया जाये। इस देश के किसानों पर हो रहे अत्याचार को रोकने का केवल यही एक तरीका है। आप साहूकार जमाखोर अथवा भ्रष्ट राजनीतिज्ञ अथवा भारतीय खाद्य निगम अथवा भ्रष्ट अधिकारियों को नियन्त्रित नहीं कर सकते। इसलिए, अगले सत्र में एक व्यापक कानून बनाइये कि किसानों को मजदूरी को मजदूरी अनाज के रूप में देनी चाहिये और उसे अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत अपने घर में रखना चाहिये और सरकार को उत्पादन का 50 प्रतिशत अपने घर में रखने में किसान की मदद करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

11-40 अ. प.

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मेरा आपके जरिये सभा से एक निवेदन इस समय प्रेस के लोग भी थक गये हैं और प्रत्येक सदस्य भी थक गया है। मैं इस तथ्य को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करना चाहूँगा कि अभी भी बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो बजट पर बोलना चाहते हैं। लगभग 11 सदस्य अभी सभा में उपस्थित हैं जो बोलना चाहते हैं। यदि सभा स्वीकार हो तो हम इसे लगभग 15 मिनट में स्थगित कर सकते हैं। हम निर्णय लें कि जो सदस्य अभी उपस्थित हैं, कल बोलने वालों में वे सबसे पहले बोलेंगे क्योंकि कल लगभग तीन घंटे का समय रखा गया है। मुझे आशा है वरिष्ठ सदस्य इसके सहमत होंगे क्योंकि ये सदस्य रात्रि बजे तक सभा में उपस्थित रहे हैं।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : बशर्ते आप अपनी बात को पूरा करें,

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सम्पूर्ण सभा का निर्णय है। यह केवल मेरा कथन नहीं है, मेरे कथन से इसका महत्व कहीं अधिक है।

इसलिए, अब एक या दो ऐसे सदस्य बोलें जो अपनी बात संक्षेप में कहना चाहते हैं, और तत्पश्चात् हम सभा को स्थगित कर दें। यदि सभा सहमत हो तो मैं एक और छोटा सा बात कहना चाहूँगा हम इस महीने की 31 तारीख से लेकर 4 अप्रैल तक की अनुदान मांगों पर चर्चा करेंगे मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने आप को सामान्य बजट और वित्त और से सम्बन्धी मामलों तक ही सीमित रखें और विशिष्ट विभागों की मांगों पर चर्चा न करें क्योंकि विशिष्ट मंत्रालयों पर अलग से चर्चा करने का भी अवसर मिलेगा। लगभग 10 मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा होगी। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे संक्षेप में चर्चा करें और नीति संबंधी मामले पर अधिक प्रकाश डालें ताकि सबको विचार पता चलें।

सभापति महोदय : जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री श्री कुमारमंगलम ने सुझाव दिया है, सभा ने यह निर्णय लिया है कि जो सदस्य इस समय उपस्थित हैं और जिनके नाम सूची में हैं उनको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। और फिर यदि कोई सदस्य बोलना चाहेंगे तो उनको बाद में मौका दिया जाएगा। अतः अब हम 11.15 बजे तक सभा की कार्यवाही चलाते हैं और फिर इस सभा की कार्यवाही को स्थगित कर देंगे। अब श्री सनत कुमार और श्री मुल्लकरनाम बोलें। फिर हम सभा की कार्यवाही को स्थगित कर देंगे।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, मैं सरकार प्रस्तुत बजट प्रस्तावों का विरोध करता हूं। बजट का आलोचनात्मक आकलन करने से पहले मैं कहूंगा कि यह बजट गरीबों, ग्रामीणों, मध्यम वर्ग के विरुद्ध है और अमीरों के हक में तथा सेल्समैन के लाभ का बजट है। यह बजट उन लोगों के साथ एक क्रूर मजाक है जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं। बजाय मुद्रा स्फीति को कम करने के यह बजट मुद्रा स्फीति के घावों को और बढ़ाएगा और आम आदमी को और अधिक परेशान करेगा।

स्पष्टतया वित्त मन्त्री डा. मनमोहन सिंह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के इशारों पर नाच रहे हैं। इकल प्रस्ताव स्पष्टतया भारतीय बाजार पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा कायम करने के लिए है जिससे भारतीय उद्योगों के हितों पर बुरा असर पड़ेगा। कुटीर और लघु उद्योगों की भूमिका और अधिक कमी हो जायेगी। भारतीय व्यापारियों को अपने विदेशी प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने 1991-92 के बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय सभा को आश्वासन दिया था कि वे मुद्रा स्फीति को कम करेंगे और आवश्यक वस्तुओं की आसमान को छू रही कीमतों को भी नीचे लाएंगे। परन्तु आज हम क्या देख रहे हैं? लगभग सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, यद्यपि वित्त मंत्री इन्हें कम करने का दावा कर सकते हैं। यदि वे बाजार के रुझान का अध्ययन करें तो वे यह महसूस करेंगे कि उनका दावा गलत है। स्पष्टतः वित्त मंत्री महोदय बढ़ते मूल्यों को रोकने में सफलता नहीं पाई है।

भारतीय किसान को वित्त मंत्री महोदय द्वारा बहुत ही कठिन सौदा करना पड़ा है। इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में किसानों के लिए कोई लाभप्रद व्यवस्था नहीं है। वास्तव में कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित धनराशि पिछले वर्ष निर्धारित की गई धनराशि से भी कम है। इससे कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा। अतः ऐसी स्थिति में जहां औद्योगिक विकास कम हुआ है, कृषि क्षेत्र के विकास में और कमी आने से भारतीय अर्थ व्यवस्था और खराब होगी।

वर्तमान बजट प्रस्तावों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन लोगों के पास नौकरियां हैं उनमें से हजारों लोगों को सरकार की नीति के कारण अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। इससे लोगों में और अधिक सामाजिक असन्तोष पैदा होगा।

महोदय, शिक्षा हमारे देश की प्रगति और विकास का आधार है। यह आश्चर्य की बात है कि वित्त मंत्री के बजट प्रस्तावों में शिक्षा का कोई जिक्र नहीं है। शिक्षा के अवसरों के उपलब्ध न होने के कारण पहले ही हमारे देश की प्रतिभा का दूसरे देशों में पलायन हो रहा है। वित्त मन्त्री महोदय ने देश के युवाओं को पूरी तरह निराश किया है। मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि वे गलती से भूल गये हों, तो इस बारे उचित संशोधन कर लें।

महोदय, मैं कहूंगा कि वित्त मंत्री महोदय के प्रस्ताव हर तरह से देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देंगे। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री महोदय ने विगत में की गई गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है। वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व वाली उपनिवेशवादी शक्तियों के हाथों की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। जितनी जल्दी वे सजग हो जाएं उतना ही भारतीय अर्थव्यवस्था और देश के हित में होगा।

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर)। सभापति महोदय, मेरे पास समय सीमा के भीतर ही अपनी बात कहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा सभा के समक्ष

रखे गए बजट प्रस्तावों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट तैयार करके उसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले मंत्री महोदय को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि सामाजिक स्थिति कैसी है और किन परिस्थितियों में वे यह बजट तैयार कर रहे हैं। बजट का उद्देश्य नवीनतम प्रौद्योगिकी के माध्यम से तीव्र विकास होना चाहिए था।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आपकी अनुमति से मैं केवल एक मिनट बोलना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जब मैंने अन्तिम निवेदन किया था तो मैंने यह समझा था कि दलों के नेताओं ने ऐसा संकेत दिया है कि वे कल बोलेंगे अतः कुछ माननीय सदस्य जो आज यहां बैठे हैं उन्हें समय की कमी के कारण कल बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अतः यदि आज कोई सदस्य बोलना चाहे तो मैं समझता हूं कि उन्हें समय देना उचित होगा। (व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : आप अपना विभाग क्यों बदल रहे है ?

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं अपनी दिमाग नहीं बदल रहा हूं क्या आपके दलों के नेता यह सुनिश्चित करेंगे कि कल कोई सदस्य नहीं बोलेंगे ? श्री जेना पहले आप मुझे यह आश्वासन दें तब मैं आपसे सहमत होऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को अपना अवसर खोना पड़े।

श्री अन्ना जोशी : अब यह आप यह निर्भर करता है कि कल आप अवसर देते हैं यह नहीं।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : आपको मौका देना मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है। बल्कि आपके दल के नेता के ऊपर निर्भर करता है।

श्री अन्ना जोशी : अभी-अभी जब मंत्री महोदय आपसे निवेदन कर रहे थे और हम लोग उसके सहमत हो रहे थे, श्री सावे खड़े होकर बोले कि क्या आप अपने शब्दों पर कायम रहेंगे ? यह बात कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल है कि आज जो लोग बाद में बोलने वालों में है और जो लोग 11.00 म.प. या 11.15 म.प. तक बैठे हैं उन्हें कल सबसे पहले मौका मिलेगा और उसके बाद अन्य नेताओं को। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वे मेरे दल के हैं या अन्य दलों के हैं।

डा. आर. बल्लु : महोदय, यदि विपक्ष के सदस्यों को पहले बोलने का मौका मिल गया तो मैं समझता हूं कि वे बोलने से हमारे दल के सदस्यों को पहले बोलने का कुछ मौका दिया जाये। यह इस कारण है कि यदि कल श्री वी. पी. सिंह या कुछ अन्य नेता बोलने लगे तो माननीय सदस्य जो आज 11.00 म.प. या 11.15 म.प. तक रुके हैं वे अथवा सोच सकते हैं। आज हम यहां किस-लिए बैठे हैं ?

हम यहां सुबह से बोलने का अवसर प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। अतः यही कारण है कि हम सुबह से इन्तजार कर रहे हैं।

महोदय, मन्त्री केवल सदस्यों को बोलने का अवसर देने की है।

श्री मोरेश्वर साबे। सभापति महोदय, प्रस्ताव केवल संसदीय कार्य मंत्री की ओर आया है किसी और की तरफ से नहीं। यह किसी और सदस्य या अन्य की ओर से नहीं आया है ? आप आप इसके साक्षी है। इसे कार्यवाही वृतान्त मे शामिल कर लिया गया है।

श्री अन्ना जोशी : अब यह आपका उत्तरदायित्व है कि आप कहां बोलने का अवसर दें।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मेरे विचार से माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि मैंने अपना सुझाव यहां बैठे हुए सभी सदस्यों के हित में दिया था।

श्री अन्ना जोशी : लेकिन आप उस पर सहमत हैं।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : परन्तु एक और समस्या भी है। पहले की बजाय हमारे पास अब थोड़ी सी भिन्न प्रणाली मौजूद है। प्रमुख नेताओं ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। उन्होंने बजट पर अपने बहुत ही दृढ़ विचार व्यक्त किए हैं।

यदि आप तकनीकी तौर पर ध्यान दें तो हमने अपना चर्चा का समाप्त कर दिया है कार्य पद्धति के अनुसार नहीं चल रहा हूं। मैंने फैसला किया था कि कल वित्त मंत्री छः म. प. पर जवाब देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास लगभग तीन से चार घंटे होंगे यदि विपक्ष के नेता वास्तव मे बोलना चाहते हैं तो तब मुश्किल होगी। मैं उन सदस्यों को दाव पर नहीं रखना चाहता जो यहां पर अपने अवसर की प्रतीक्षा मे काफी देर से बैठे हैं। इसी कारण मैंने यह बात सभा के समक्ष रखी है प्रश्न यह है कि यदि हम सभी यह सुनिश्चित कर सके और अपने-अपने दलों के नेताओं को बतायें वे नहीं बोलेंगे और समय का प्रदान करने का प्रयास करेंगे, तो सब ठीक-ठाक हो जाएगा। उसके बाद कोई अन्य समस्या नहीं है। लेकिन मैं उन सदस्यों के विरुद्ध में गलत धारणा नहीं बैठना चाहता जो यहां मौजूद है।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं एक समझौते का सुझाव दे सकता हूं। जो यहां पर मौजूद है और बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने का मौका दें और जो उपस्थित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं इस बात से सहमत हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं अपना निर्णय सभा पर थोप नहीं सकता हूं। इसका निर्णय सभा को लेना है।

श्री प्रद्युत बोरा : इसलिए मैं कहता हूं कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उन्हें अब

बोलने दिया जाए। उन्होने काफी लम्बे समय से इन्तजार किया है। चाहते हुए भी वे कल बोल नहीं पाएंगे।

समापति महोदय : कुल मिलाकर अटठारह सदस्य है जो बोलना चाहते हैं।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : जो बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने दिया जाए।

समापति महोदय : अठारस सदस्य हैं जो इस चर्चा में भाग लेने के लिए इच्छुक है। वे सब यहां बैठे है। यदि हम इस सूची को पूरी करना चाहते तो हमें 2 3 म. प. या 3.00 म.प. तकबैठना होगा।

हालांकि संसदीय कार्य मंत्री के कहने पर हमने निर्णय ले लिया है और चूंकि आप सब चाहते हैं कि आपने अपने सदस्य इस वाद-विवाद में भाग लें और यदि आप यहां इस स्थिति में नही है कि आप अपने नेताओं को ओर से वचन दे सकें कि आप कल भाग नहीं लेंगे तो मेरे विचार से यह एक मुश्किल कार्य है। ... . (व्यवधान) यही मैं कह रहा हूं। यही मंत्री जी कह रहे हैं। हमें चर्चा पूरी करनी चाहिए।

आप यह जोखिम नहीं ले सकते हैं। अत: जो बजट पर चर्चा में भाग लेना चाहते है और यहां बैठे हैं हमें उन्हें बोलने के अवसर से वंचित नही करना चाहिए। अत: सभा की अनुमति से हुआ चर्चा जारी रखेंगे। जो जा चुके हैं उन्हे कल बोलने के लिए प्राथमिकता दी जाती।

श्री श्रीकांत जेना (कटक)। क्या वे अन्तिम वक्ता हैं? (व्यवधान)

समापति महोदय : जो, नहीं।

श्री कवीन्द्र पुरकायस्त : मेरे विचार में बजट की उपयोगिता अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी स्तर के बराबर नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पूर्ण रोजगार के द्वारा तेजी से विकास, उच्च स्तरीय आत्मनिर्भरता, सामग्री, वित्तीय और माननीय राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परन्तु उच्च तकनीकी उद्योगों और क्षेत्रों में विदेशी पूंजी को उचित हिस्सा दिया जाएगा। नीति सम्बन्धी पर्यावरण जिसमें प्रत्येक गैर सरकारी और सरकारी उद्यम फल फूलसकें और कुशलता तथा उत्पादकता को पारितोषिक मिल सके, और कृषि लघु उद्योग समाज के कमजोर वर्गों पिछड़े क्षेत्रों को ओर सरकार वित्तीय और प्रशासनिक दोनों तरह का विशेष ध्यान देगी और उन्हें शेष देश के साथ लाने के लिये सन्तुलित क्षेत्रीय विकास किया जाएगा ताकि वे राष्ट्रीय विकास के लिए अपनी भूमिका निभा सके। विकास केवल जनता के लिये ही नहीं होना चाहिए, इसे पर्यावरण को साफ रखना चाहिये और भोगोलिक सतुलन बनाये रखना चाहिये।

यह एक तथ्य है कि वित्त मंत्री ने बजट को बहुत ही चतुराई से तैयार किया है। जो बाहर से न आकर्षित लगता है, लेकिन सम्पूर्ण अध्ययन और मदवार विचार करने पर वह स्पष्ट हो जाता है कि सारी आकर्षण अप्रोतिकर है। बजट स्थितिकारी, ग्रीब विरोधी, उत्पादकता विरोधी और मुल्यो को नियंत्रित करने में पूर्णतया असमर्थ है।

राष्ट्रीय खुशहाली की दृष्टि से कृषि की अहम भूमिका के संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी अन्य लोगों के साथ है। उन्होंने अपने बजट भाषण में भी यह स्वीकार किया है कि देश के आर्थिक विकास में तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक उत्पादन का तेजी से विकास और कृषि में रोजगार को सुनिश्चित नहीं कर सकती। इस संबंध में उन्होंने भूमि सुधारों की आवश्यकता का जिक्र किया है। क्या मैं यह आग्रह कर सकता हूं कि भाषण में भूमि अधिग्रहण के माध्यम से सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई हजारों एकड़ भूमि के उचित उपयोग के लिए सरकार ने क्या उपाय किये है। यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि असम में फालतू भूमि का अधिग्रहण, या तो अवैध कब्जाधारियों द्वारा या जिनके द्वारा इस पर कब्जा किया गया है, किया जा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि चार भूमि की हजारों बीघा जमीन पर भी बंगलादेश के सीमा क्षेत्रों में घुसपैठियों द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया गया है और इस संबंध में सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में असफल रही हैं।

मुझे कहना है कि विकास के लिए देश के विभिन्न स्थानों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों के लिए किसी विशेष बात का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कोई आवंटन किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा ऊर्जा का है। यह उद्योगों, मानव जगत और कृषि के लिए बहुत आवश्यक और लाभप्रद है। 4378 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए 6411 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। लेकिन यह देखा गया है कि देश के बहुत से भागों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन बहुत कम है खास कर उत्तरी पूर्वी राज्यों में, और शुल्क इतना अधिक है कि लोग बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं, अतः विद्युत उत्पादन के लिए बजट में आवंटन इस देश के किया जाए ताकि पिछड़े क्षेत्रों के विकास और अन्य मामलों में विकास के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पादन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त इस बजट में शिक्षा के लिए समुचित आवंटन नहीं किया गया है सरकार निरक्षरता को दूर करने के लिए काफी कुछ करती है, परन्तु दुर्भाग्यवश बजट में प्रावधान काफी कम हैं। अतः देश इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए जहां निरक्षरता एक पाप है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस पाप को धोने के लिए बजट आवंटन की समीक्षा की जानी चाहिए।

यह देखा गया है कि पूरे देश में क्षेत्रीय प्रगति को ठीक प्रकार बरकरार नहीं रखा गया है सभी अनुचित प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है। यह पाया गया है कि विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय तथा अन्य दृष्टि से अधिक पिछड़ा है तथा उन क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए काफी कम धनराशि आवंटित की गई है। इसके परिणामस्वरूप यह पाया गया है कि वहां असंतोष बढ़ता जा रहा है तथा वहां के लोग इस बात से नाराज हैं अतः इन सभी वजहों से यह बजट इस देश की जनता को संतुष्ट नहीं कर सकता है और इस बजट से देश की प्रगति नहीं हो सकती है।

यह बजट निश्चित रूप से बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं है। चूंकि यह बजट जन विरोधी है, अतः मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

उपसभापति महोदय: श्री सहदेव सिंघला।

श्री भोरेलाल बोरे: महोदय सदन में गणपूर्ति नहीं है।

उपसभापति महोदय: गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जाये।

सभापति महोदय: सभा में गणपूर्ति नहीं है अतः सभा कल म.प. 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

11.26 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार 26 मार्च 1992/6 चैत्र 1914 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता ब्रिटिश बुक्स 472 पुरानी साईकिल मार्केट दिल्ली-6

पी० एल० एस० 48/10/21/92 (एन०)
250

© 1992 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472, एसप्लेनेड रोड दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।